मंगलवार, 15 जुलाई, 1980

24 आषाढ़, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 27, मंगलवार, 15 जुलाई, 1980/24 आषाढ़, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—27
*तारांकित प्रश्न संख्या : 531, से 534, 537, 540, 542 और 543	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	28—361
तारांकित प्रश्न संख्या : 510, से 530, 535, 536, 538, 539, 544 से 550	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3986 से 4200, और 4202 से 4367	
अतारांकित प्रश्न संख्या 197 दिनांक 10-6-1980 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	361—362
सदस्यों की गिरफ्तारी और रिहाई	362
(सर्वश्री जयपाल सिंह कश्यप और चन्द्रपाल शैलानी)	
श्री रशीद मसूद, संसद सदस्य की गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ किये गए व्यवहार के बारे में	362—364
सभा पटल पर रखे गए पत्र	364—366, 474
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	367—391
पूर्वोत्तर राज्यों की तोड़-फोड़ की कथित "आपरेशन-ब्रह्मपुत्र" नामक योजना का समाचार	
श्री एडुआर्डो फैलीरो	367
श्री योगेन्द्र मकवाना	371
श्री तारिक अनवर	377
श्री धर्मदास शास्त्री	380
श्री के० लकप्पा	381
श्री जैल सिंह	384

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति — 391

प्रथम प्रतिवेदन

1400वें हिजरी सन के शताब्दी समारोहों के बारे में वक्तव्य — 391—394

श्री बी० शंकरानन्द — 391

भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की ढाका में हुई 19वीं बैठक के निष्कर्षों के बारे में वक्तव्य — 393

श्री केदार पांडे — 393

नियम 377 के अधीन मामले — 395—398

(एक) राजस्थान में बंदरों पर अनुसन्धान की परियोजना

श्री सतीश अग्रवाल — 395

(दो) तमिलनाडु को इस्पात और कच्चे लोहे का आबंटन

श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियन — 395

(तीन) साइलेंट वैली की पनबिजली परियोजना को तुरन्त स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन — 396

(चार) काजू उद्योग के विकास के लिए काजू बोर्ड की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री बी० के० नायर — 397

(पांच) दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयन्त्र के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता — 397

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1980-81 — 398—

कृषि मन्त्रालय

और

ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय

श्री दिगम्बर सिंह — 398

श्री नगीना राय — 403

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत — 409

श्री जायनल अबेदिन — 413

श्री शान्तुभाई पटेल — 420

श्री राम नगीना मिश्र — 422

श्री एस० मुरुगैयन — 427

लोक सभा

मंगलवार, 15 जुलाई, 1980/24 आषाढ़, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गुजरात में विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की मासिक आवश्यकता

*531. श्री डी० पी० जवेजा : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की मासिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) गत तीनों महीनों के दौरान कुल कितना कोयला दिया गया है;

(ग) बिजली घरों को कम कोयला दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में बिजली की कमी दूर करने के लिए बिजली घरों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयला देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (घ) विवरण 1 तथा 2 सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण-1

(क) और (ख) पिछले तीन महीनों—अप्रैल-जून, 1980 के दौरान गुजरात में ताप विद्युत केन्द्रों को आबंटित किए गए कोयले की तथा उन्हें वास्तव में प्राप्त हुए कोयले की मात्रा दिखाने वाला विवरण उपाबंध में दिया गया है।

(ग) निर्धारित लिंकेजों की तुलना में कोयले की सप्लाई में कमी का मुख्य कारण है, गुजरात में ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में वैगनों का उपलब्ध न होना।

(घ) गुजरात राज्य सहित देश में विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(1) कोयला कम्पनियों और रेलवे से कहा गया है कि विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करें।

(2) कोयला विभाग, रेलवे और विद्युत विभाग के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रखा जा रहा है और विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च-स्तरीय अन्तर-मंत्रालयीय बैठकें भी समय-समय पर की जाती हैं।

(3) विद्युत केन्द्रों को दैनिक आधार पर कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

(4) ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग मंत्रिमंडलीय औद्योगिक अवसंरचना समिति द्वारा भी साप्ताहिक आधार पर की जा रही है।

विवरण-2

अप्रैल, मई और जून, 1980 की अवधि के लिए गुजरात के ताप विद्युत केन्द्रों पर कोयले की आवश्यकताओं और प्राप्तियों को दिखाने वाला विवरण

(आंकड़े मीटरी टनों में)

ताप विद्युत केन्द्र का नाम		अप्रैल, 80	मई, 80	जून, 80
साबरमती	आवश्यकता	100,000	100,000	100,000
	प्राप्ति	87,000	87,000	85,000
धूवारण	आवश्यकता	10,000	10,000	10,000
	प्राप्ति	10,000	10,000	10,000
गांधी नगर	आवश्यकता	70,000	70,000	70,000
	प्राप्ति	55,000	51,000	59,000
उकाई	आवश्यकता	160,000	160,000	160,000
	प्राप्ति	121,000	118,000	131,000

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : मन्त्री महोदय का सभा पटल पर रखा गया वक्तव्य अत्यन्त औपचारिक है तथा सभी एहतियाती उपायों के बावजूद जिनका कि आपने उल्लेख किया है। दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि धुवारन के सिवाय अन्य तीन परियोजनाओं की आवश्यकता पूरी नहीं की जाती। धुवारन के बारे में भी मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में यह एकमात्र बिजलीघर है जैसा कि आज पानी में डूबा हुआ है तथा इसके बह जाने का भय है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बिजली घर को बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और यदि किसी कारण वह बच नहीं पाता तो सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए क्या-क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गए हैं ?

श्री विक्रम महाजन : यह राज्य बिजली बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है तथा इस कमी की हालात में यथा सम्भव सहायता देते हैं। आमतौर पर हम एक राज्य से बिजली लेकर दूसरे राज्य को देते हैं।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। फिर भी मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न रखता हूं। ऊर्जा के लिए कोयला तथा अन्य कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने कोई एवजी सामग्री की खोज की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? उस क्षेत्र में जो मूल एवजी पदार्थ उपलब्ध हैं वह ज्वार-ऊर्जा है। क्या सरकार ने ऊर्जा के इस महत्वपूर्ण साधन को उपयोग में लाने की बात सोची है ?

श्री विक्रम महाजन : विश्व में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने वाला एक ही ज्वार विद्युत केन्द्र है। यह फ्रांस में है तथा हमने उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है तथा उनके विशेषज्ञ इस देश में आये हैं तथा उन्होंने तीन स्थल चुने हैं, अर्थात खम्भात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुन्दरवन। उन्होंने सिफारिश की है खम्भात की खाड़ी ऐसा स्थल है जहां ज्वार बिजली घर की स्थापना हो सकती है तथा हमने पहले ही उसके लिए कुछ करोड़ रुपये की धन-राशि का आवंटन कर दिया है तथा उसका अनुसंधान कार्य शीघ्र शुरू हो जायेगा। जहां तक गुजरात के लिए नई परियोजनाओं का प्रश्न है, इस उकाई लेफ्ट बैंक कडाना पम्पड—पन बिजली केन्द्र—उकाई पांचवीं यूनिट वानक बोरी तथा वानक बोरी विस्तार—तापीय केन्द्र जोड़ रहे हैं जिनसे 1985 तक 1175 मेगावाट बिजली और उत्पन्न होगी।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई करने से बिजली की स्थिति सुधर जायेगी। यदि नहीं, तो कोयले को छोड़कर और कौन-सी बाधाएं दूर की जानी हैं।

श्री विक्रम महाजन : एक बात कोयले के बारे में है। परन्तु इस समय गुजरात के बिजली घरों में कई दिन के लिए कोयला है। अतः यही एक कारण नहीं है, मुख्य समस्या देखभाल की है जोकि तभी दूर की जा सकती है जबकि राज्य बिजली बोर्ड अपने देखभाल करने वाले तथा प्रबन्ध से सम्बन्धित कर्मचारियों को सतर्क करे। यदि वे अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता 10% बढ़ा लेते हैं तो गुजरात राज्य की समस्या वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता से दूर की जा सकती है।

भारतीय फिल्मों की विदेशों को तस्करी

*532. **श्री भीखा भाई :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत से कई फिल्मों की विदेशों को तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी फिल्मों के वितरकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि कुछ भारतीय फिल्मों की भारत से बाहर

तस्करी करने का प्रसास किया गया था। पकड़े गए व्यक्तियों के साथ कानून के अनुसार बर्ताव किया गया।

पकड़ी गई फिल्मों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

1975 से 1978 तक पकड़ी गई फिल्मों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

वर्ष और फिल्म का नाम	रीलों की संख्या	पकड़े गए व्यक्तियों के नाम और संख्या	मामले की स्थिति
1	2	3	4
1975			
अराधना	18	के० माधवन नय्यर	ये फिल्में एक जलपोत से पकड़ी गई थी। मामले पर न्याय-निर्णय किया गया। जलपोत से जब्त की गई फिल्मों को 30,000 रुपए का जुर्माना देने पर छोड़ा गया। के. माधवन नय्यर पर 5,000 रुपए और अन्य पांचों पर पांच-पांच सौ रुपए का जुर्माना किया गया। माधवन नय्यर के विरुद्ध अभियोग चलाया गया। अभियुक्त को 15-11-77 को छोड़ा गया।
अनुराग	3		
दो यार	11		
शिकार	9		
दो शेर	15		
आयिराथिल द्रुवन	1		
आजाद	15		
ब्रह्मा, विष्णु, महेश	14		
प्यासा	6		
मर्मयोगी	11		
रिवाल्वर रीता	11		
मिनाथूरूवी कोलक्केसु	6		
कुल	120		

(सभी फिल्में एक ही बार में पकड़ी गईं थी और इन सब पर एक ही मामला बना)

1976			
• पारस	17	लावारसी	ये फिल्में एस०एस० द्वारका स्थिति नामक जहाज से लावारसी में पकड़ी गईं थीं। फिल्मों को जब्त कर लिया गया है। कोई अभियोग नहीं है।
• रोटी	16		
• यादों की बारात	16		
कुल	49		

1	2	3	4
1977			
गीता मेरा नाम	17	1. श्रीकान्त वी० हर्ष (यातायात सहायक, इंडियन एयरलाइंस) 2. पदम कुमार वी. तिवारी (यातायात सहायक, इंडियन एयरलाइंस) 3. रामपाल सिंह, लंडर (इंडियन एयरलाइंस) 4. देव के. भाटिया 5. मोती एम. गेही	मामले पर 7.10.78 को विभागीय न्याय-निर्णय दिया गया है और रीलों को पूर्णरूप से जब्त कर लिया गया है। देव के. भाटिया और श्रीकान्त वी. हर्ष पर 2,000 रु० का जुर्माना और तिवारी तथा रामपाल सिंह पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना किया गया। इन व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चल रहा है।
पप्पी	18	1. चन्दरू के. चन्दीरामनी 2. चन्दु वल्लभदास भाटिया 3. इसमाईल मोहम्मद मूसज 4. मोती मेघराज गेही 5. डी. आर. देशपांडे (सहायक स्टेशन सुप्रिन्टेंडेंट (एयर इंडिया) 6. एस. के. हिंगोरानी यातायात सहायक (एयर इंडिया) * इस मामले में दो व्यक्ति देव भाटिया और डी.एन. ऐज जो तस्करी में फंसे हैं, अभी तक फरार हैं। उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस-माईल मोहम्मद मूसज अरब नागरिक है। उनकी जमानत जब्त हो गई है। उसके दुबई भाग जाने की खबर है।	मामले पर 19.10.78 को न्याय-निर्णय किया गया और रीलों को पूर्णरूप से जब्त कर लिया गया। चन्दरू और चन्दीरमानी पर बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना और इसामाईल पर 25,000 रु० तथा हिंगोरानी और देशपांडे तथा मोती एम. गेही पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना किया गया। सभी व्यक्तियों पर अभियोग दायर किया गया। चन्दरू वी· भाटिया और मोती एम. गेही को न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया गया था और शेष व्यक्तियों के बारे में अभियोग पैंडिंग है।

1	2	3	4
गोपी	29	ये दोनों फिल्में बाहर जाने वाले यात्रियों के सामान की जांच करने के दौरान बम्बई गोदी में 12.10.77 को एक ही बार लावारसी स्थिति में पकड़ी गई थी।	अभी न्याय-निर्णय अधीन है।
दो रास्ते	17		
1978			
1. देवदास	5	श्री रोबर्ट जोनस्टोन	4.1.78 को पकड़ी गई इन फिल्मों को जब्त कर लिया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उस पर अभियोग चलाया गया, किन्तु न्यायालय द्वारा उसको निर्दोष ठहराया गया।
तलाक	4		
पति-पत्नी	4		
कारीगर	4		
आसरा	4		
अंडर कैपरिकान (अंग्रेजी)	3		
दि मैन हु नो टू मच (अंग्रेजी)	1		
कुल	25		
2. बम्बई में 20.4.78 को अन्य सामान के साथ 64 रीलें पुरानी जंग लगी हुई और टूटी-फूटी अवस्था में पकड़ी गईं।		1. मधुकर नारायण हल्पे 2. राजकुमार लक्ष्मी-नारायण कत्पालिया	दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इनको कारण बताओ नोटिस दिया गया और मामले पर न्याय-निर्णय किया गया। जगदीश पांडे और गुलाम हुसैन गुलाम मोहम्मद पर पांच-पांच हजार रुपए तथा हल्पे और कत-पालिया पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना किया गया।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष, महोदय ने जो जवाब दिया है, वह अपर्याप्त और असंतोषप्रद है। उन्होंने जवाब में कहा है : "सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है··· "। संकेत क्या मिलता है "कि कुछ भारतीय फिल्मों की भारत से बाहर तस्करी करने का प्रयास

किया गया था।" मैंने यह सवाल नहीं पूछा है। मैंने पूछा है कि विदेशों में कितनी फिल्में गई हैं। इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है। जवाब में कहा गया है: "प्रयास किया गया था।" यह तो पास्ट टेंस है। पिछले दो सालों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आगे मंत्री महोदय ने कहा है: "पकड़ी गई फिल्मों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।" उस विवरण से पता चलता है कि सजा के रूप में जुर्माना किया गया है और फिल्म को जब्त कर लिया गया है। इससे मालूम होता है कि कहीं न कहीं कोई कमजोरी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो राज्याधिकारी ऐसे मामलों में फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। क्या सरकार ऐसे केसिज में ज्यादा कड़ी सजा देने पर विचार करेगी ?

श्री वसन्त साठे : स्मगलिंग करते समय जितनी फिल्में पकड़ी गई हैं, कानून के मुताबिक उन पर जुर्माना इतना कम हुआ है, हमारे मित्र को इस पर संतोष नहीं है। कानून में यह प्रावधान है कि स्मगल्ड आइटम की जितनी कीमत होगी, उसका कुछ अनुपात—50 प्रतिशत या कुछ और—ही दंड हो सकता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं ? अगर आप चाहते हैं कि वह दंड ज्यादा होता हो, तो कानून को बदल दीजिये, ज्यादा दंड कर दीजिये, जेल करवा दीजिए, जो चाहे करवा दीजिये। आज जो कानून है, उसके मुताबिक यह कार्यवाही की गई है। अगर पार्लियामेंट की यह मंशा है कि इसमें कुछ ज्यादा कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, तो उस मंशा पर विचार किया जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार की क्या मंशा है ? सरकार ने क्या सोचा है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : कानून में क्या लिखा है ?

श्री वसन्त साठे : कानून में केवल दंड का प्राविजन है, और उसके मुताबिक जुर्माना हुआ है। लेकिन यह सवाल कस्टम्ज द्वारा रोकने और इस तरह से कार्यवाही करने से हल नहीं होगा। आज तो दुनियां में वीडियो कैसेट का सिस्टम हो गया है। हमारी फिल्में कानूनी ढंग से जिस देश में जाती हैं—इंगलैंड में या यूरोप में— वहां उसको आटोमेटिकली रेगुलर फिल्म्ज में ट्रांसफर किया जा सकता है। नैगेटिव बनाने की जरूरत ही नहीं है। साइंस की इतनी तरक्की हो गई है। इसलिए इसका कामर्शल सालूशन निकालना होगा। पुलिस सालूशन से यह मामला हल नहीं होगा।

श्री भीखा भाई : इस स्टेटमेंट में 1979 और 1980 का ब्यौरा नहीं बताया गया है कि उन दो सालों में कितनी फिल्में स्मगल हुई हैं। मैंने पूछा है कि एक्चुअली कितनी फिल्में स्मगल हुईं। मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रयास में इतनी पकड़ी गई हैं। प्रयास वाली बात अलग है। यह तो इन दि प्रोसेस आफ स्मगलिंग हैं। जो एक्चुअली स्मगल हो गई और जो भाग कर दुबई चले गए उनके बारे में मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष महोदय, चोरी जब होती है तो पकड़ी जाने के बाद कितना पकड़ा गया यह समझ में आता है। जो पकड़ा ही नहीं गया, जो बाहर स्मगल हो गया उसके बारे में

हमें मालूमात ही नहीं है तो वह हम कैसे बताएंगे ? जो पकड़ा गया उसी से बता सकते हैं।··· (व्यवधान) उनको है पता तो हमको बता दें।

दूसरा जो इनका सवाल था कि पिछले दो सालों में कितनी स्मगलिंग हुई, तो पिछले दो सालों में कोई स्मगलिंग पकड़ी नहीं गई है। सीजर्स नहीं हुए हैं। इसका कारण मैंने बताया कि आजकल स्मगलिंग करने की जरूरत नहीं महसूस होती है बाहर, उसका प्रिन्ट वहीं बनाया जा सकता है।

श्री मूल चन्द डागा : इसमें एक सवाल है कि स्मगलिंग हुई या नहीं हुई ? चोरी से यहां से बाहर गई या नहीं ? पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई यह तो आपकी कमजोरी है। लेकिन चोरी हुई या नहीं ?

श्री वसन्त साठे : चोरी हुई कि नहीं, यह तो जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक मालूम नहीं हो सकता। उसका तो अन्दाज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : चलचित्र की तस्करी होती है और वह पकड़ी नहीं जाती है यह इस बात का भी प्रमाण है कि इन फिल्मों की आवश्यकता विदेश में है। अगर विदेश में इनकी आवश्यकता है तो क्यों नहीं सरकार जहां पकड़ ही नहीं पाती है, वहां इन कानूनों में रियायत करती ताकि ये फिल्में अधिक रूप में बाहर जाएं और उससे सरकार को पैसा भी मिले ?

श्री वसन्त साठे बिलकुल सही है भागवत जी ने जो कहा। असली साल्यूशन वही है कि इसमें रियायत करके कमर्शियल बेसिस पर इसका लाभ उठाया जाय और इससे पैसा कमाया जाय बजाय इसके कि पुलिस ऐक्शन से रोकने की कोशिश की जाय।···(व्यवधान)···गधा भी गया और ब्रह्मचारी भी गया तो इससे क्या फायदा ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मन्त्री महोदय ने सभा पटल पर जो वक्तव्य रखा है उसमें उन्होंने उन देशों की सूची नहीं दी है जिनमें वास्तव में तस्करी की जाती है। इसलिए जानकारी के रूप में हम उसे जानना चाहेंगे।

दूसरे, चूंकि उन्होंने कहा है कि इस बुराई का वाणिज्यिक समाधान ही एक मात्र उपाय है। उन्हें संसद को बताना चाहिए कि वह वाणिज्यिक समाधान क्या है। यदि वह केवल वाणिज्यिक समाधान की बात करते हैं तो इसका कुछ भी अर्थ निकल सकता है। वह वाणिज्यिक समाधान की पूरी-पूरी व्याख्या करें।

श्री वसंत साठे : वास्तव में यह नहीं पूछा गया कि वे देश कौन से हैं। दूसरे, एक बार एक वस्तु की तस्करी की जाती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह अमुक देश तक सीमित है क्योंकि ऐसी वस्तु सभी जगह जा सकती है, जहां पर उसकी मांग है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : 150 देशों को नहीं ?

श्री वसन्त साठे : हम देशों को गिना नहीं सकते। उनमें से कुछ जाने माने हैं।

अब उन्होंने वाणिज्यिक समाधान के बारे में पूछा है। हमने इस पूरे मामले का अध्ययन करने के लिये एक कार्य दल की नियुक्ति की है·····

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उसके सदस्य कौन हैं ?

श्री वसन्त साठे : यह एक अन्तर-मन्त्रालय कार्य दल है। मैं उसमें डा० स्वामी जैसे विशेषज्ञों की मदद नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनमें आपस में ही इसके कारणवश संघर्ष हो जायेगा कि कलकत्ता में अधिक तस्करी होती है अथवा बंबई में अथवा अन्यत्र। इस समय हम अन्तर-मन्त्रालय कार्य दल में यह प्रयोग कर रहे हैं। हम इसका समाधान ढूंढ़ने की कोशिश करेंगे।

डा० वसन्त कुमार पंडित : यदि आप वक्तव्य को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीन मामलों को छोड़ दिया गया है तथा जुर्माने बहुत कम लगाये गये हैं। इस प्रकार तस्करों के लिए फिल्मों की तस्करी करना सरल है। तथा इससे उन्हें लाभ मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि उन तीन व्यक्तियों को क्यों छोड़ दिया गया, क्या साक्ष्य को तोड़ा मरोड़ा गया है अथवा वर्तमान कानूनों में कोई कमी है ?

श्री वसन्त साठे : स्पष्टतः जैसा कि मैंने बताया है पुलिस की मदद से इसका समाधान नहीं हो सकता। उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं किया जा सके तथा उन्हें न्यायालय में इसका लाभ मिल गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई निरोधात्मक उपाय नहीं है ?

श्री वसन्त साठे : निरोधात्मक कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है। जो लोग बंबई से आते हैं वे वास्तव में विशेषज्ञ हैं। वे जानते हैं। (व्यवधान) वास्तव में तस्करी जैसे मामले एक व्यक्ति का कार्य नहीं। यह कार्य एक दल द्वारा होता है। इसकी तस्करी टुकड़ों में होती है। एक व्यक्ति के पास दो या तीन रीलें होती हैं शेष रीलें दूसरे व्यक्तियों के पास होती हैं। और जब आपको थोड़ा सा भाग मिलता है तो कठिनाई पैदा हो जाती है। मैंने इन मामलों का अध्ययन नहीं किया। ऐसा करना संभव नहीं है। बात यह है कि या तो कानून में अथवा साक्ष्य में त्रुटि है। वे न्यायालय में छूट जाते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं ?

ईस्टर्न कोलफील्ड्स की खानों में दुर्घटनाएं

*533. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों द्वारा सुरक्षा नियमों की उपेक्षा किये जाने के कारण वर्ष 1979 के दौरान भारत में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खानों में सबसे अधिक घातक दुर्घटनाएं हुई ;

(ख) क्या उस वर्ष 35 घातक दुर्घटनाओं में 43 व्यक्ति मारे गए; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में 1979 में 36 घातक दुर्घटनाओं में 44 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इन दुर्घटनाओं में 3 दुर्घटनाएं गैर खनन दुर्घटनाएं थीं। किन्तु, खान सुरक्षा महानिदेशक ने जांच के बाद केवल सात मामलों में, जिनमें 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया।

(ग) सांविधिक जांच के बाद खान सुरक्षा महानिदेशक ने छः मामलों में अभियोजन शुरू कर दिया है और शेष एक मामले में उन्होंने संबद्ध अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 1979 में कोल माइन्स में सबसे अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं और उसमें भी खासकर ईस्टर्न कोल फील्ड्स में जितनी भी कम्पनियां हैं कोल इंडिया की, उनमें सबसे ज्यादा हुई हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वहां के मैनेजर्स और जितने भी सम्बन्धित अधिकारी हैं वे सब मिलकर, जो लोग प्राइवेट कोल माइन्स चलाते हैं उन कोल माइन्स में पोजीशन को ठीक बनाने के लिए जो सुरक्षा के नियम हैं, उनको ताक पर रखकर बराबर ही एक्सीडेन्ट्स होने देते हैं। यही कारण है कि 1978 में 154 आदमी 130 दुर्घटनाओं में मरे, लेकिन उसमें से केवल ई० सी० एल० में 35 आदमी मरे और 25 दुर्घटनायें हुई। इस बार ई० सी० एल० में दुर्घटनायें बढ़कर 35 हो गई·····।

अध्यक्ष महोदय :- अब कम्पेयर करने के बाद आप सवाल कीजिए।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन बातों पर पर्दा पड़ जाता है इसलिये मैं·····

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिये।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हजारों डिटोनेटर्स जो आप कैप लैम्प हाउस में रखते हैं और उसमें आधा टन हाई-एक्सपलोसिव मिला है, जबकि इनको यहां पर नहीं रखना चाहिए, इनको मैग्जीन हाउस में रखना चाहिए। ये डिटोनेटर्स इसीलिए यहां पर रखे जाते हैं क्योंकि इनको प्राइवेट माइन्स ओनर्स के साथ मिलकर बेच दिया जाता है। मन्त्री जी 19-3-80 को खुद इस स्थिति को देखने के लिए गए थे। वहां के मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों ने जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग की, लेकिन मंत्री जी को वहां के अधिकारियों ने उनकी बात को सुनने नहीं दिया। तो क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो ई० सी० एल० में दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करके, उसको रोकने के लिए क्या कारगर उपाय करेंगे ?

श्री विक्रम महाजन : मैं अपने वक्तव्य में पहले ही बता चुका हूं कि जांच की गई थी तथा खान सुरक्षा महानिदेशक ने जांच के बाद केवल 7 मामलों में, जिनमें 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। यहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। जहां तक 14 मामलों का सम्बन्ध है, केवल 10 मामलों में कर्मचारियों को अथवा पर्यवेक्षण कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। 5 मामलों में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कम्पनी कार्यवाही कर रही है और 7 मामलों में अनियोजन शुरू कर दिया गया है। जब जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि वे जिम्मेदार नहीं हैं तो कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसलिए न्यायिक जांच का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इसी महीने दो और तीन तारीख को गोपालचक में भी एक्सीडेंट हुआ और उसमें चार आदमी मर गए और 8 आदमी सख्त घायल हुए और मंत्री जी इस घटना को देखने के लिए भी गए थे। वहां के कोयलरी

कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने मंत्री जी से दुर्घटना की न्यायिक जांच की मांग की है कि दोषी अधिकारियों को सेवा मुक्त किया जाए, मरने वाले मजदूरों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और आश्रितों को तुरन्त नौकरी दी जाए और उत्पादन सुरक्षा कार्य में पूर्ण ध्यान दिया जाए। क्या मंत्री महोदय इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए न्यायिक जांच करायेंगे ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं स्वयं गया था तथा बिहार के श्रम मंत्री मेरे साथ गये थे। वह उस क्षेत्र के हैं तथा वह उस क्षेत्र से भली-भांति परिचित हैं। हम कई श्रमिक नेताओं से मिले तथा इस बारे में उनके सुझावों को सुना। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ नेताओं तथा प्रबन्धकों को विभिन्न खानों तक जाना चाहिए ताकि वे यह देख सके कि सुरक्षा समिति की सिफारिशों पर दृढ़ता से पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। हमने इस सुझाव को मान लिया है।

इसके अलावा हमने राज्य सभा में बताया था तथा मुझे याद है कि इस सभा में भी हमने कहा था कि एक सप्ताह में विभागीय जांच करायी जायेगी तथा यदि जांच द्वारा पता चलेगा कि कोई व्यक्ति दोषी है तो ऐसे व्यक्ति को दण्ड दिया जायेगा। अर्थात उसे सेवा से निलम्बित कर दिया जायेगा। अब कोयला खान महानिदेशक ने रिपोर्ट दी है तथा यदि उस रिपोर्ट से पता चलता है कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो हम उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। अभी तक हमने इस बारे में कई कदम उठाये हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ईस्टर्न कोलफील्ड में हुई दुर्घटनाओं से पीड़ित लोगों को क्या क्षतिपूर्ति दी गई है तथा क्या सरकार सुरक्षा उपायों की दृष्टि से सभी कोयला खानों का निरीक्षण कराने तथा इस्टर्न कोल फील्ड की खानों में सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का पर्यवेक्षण करने के लिए एक स्थायी तंत्र बनायेंगे।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने मंत्रिमंडल में निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होगा जो एक विशेषज्ञ के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए जाएगा कि क्या सुरक्षा उपाय वास्तविक रूप से किए जाते है।

यह एक बात है। क्षति पूर्ति बढ़ाने पर हम विचार कर रहे हैं। अभी तक हम किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उन्होंने ईस्टर्न कोलफील्ड के कार्मिको को दी गयी क्षति पूर्ति के बारे में कुछ नहीं बताया।

श्री विक्रम महाजन : सामान्यतः 30,000 रुपए प्रति कार्मिक दिए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई जटिल मामला नहीं है। इसे आपको व्यक्तियों की संख्या से गुणा करना है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हम मंत्री मंडल में निर्णय ले चुके हैं कि एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश एक विशेषज्ञ के साथ इस बात को देखेगा कि क्या सुरक्षा उपाय पूर्णतः लागू

किए जा रहे हैं अथवा नहीं। यह एक बात है। मुआवजा बढ़ाने के बारे में हम विचार कर रहे हैं। हम आगे किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : पूर्वी कोयला क्षेत्रों के श्रमिकों को मुआवजा देने के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है।

श्री विक्रम महाजन : सामान्यतया एक श्रमिक को लगभग 30,000 रुपए दिये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई पेचीदा मामला नहीं है। आप इसे व्यक्तियों की संख्या से गुणा करें। प्रश्न संख्या 534।

किसानों को डीजल की सप्लाई

*534. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों को कृषि प्रायोजनों के लिए डीजल अभी तक उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या गत तीन महीनों के दौरान राजस्थान सरकार को डीजल कम सप्लाई किया गया है और यदि हां, तो कितना डीजल कम सप्लाई किया गया है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार डीजल की उचित वितरण पद्धति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्रालय अक्तूबर 1979 से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को हाई स्पीड डीजल तेल का मासिक आबंटन कर रहा है। आगे और विभिन्न क्षेत्रों के बीच डीजल का आबंटन करना सम्बन्धित राज्य सरकार का काम है। परन्तु उन्हें यह परामर्श दिया गया है कि वे कृषि आवश्यकताओं को उच्चतम प्राथमिकता दें। मार्च 1980 के आरम्भ से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एच० एस० डी० का आबंटन उदार पैमाने पर किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों की ओर से कृषिकों को कृषि कार्यों के लिए डीजल देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

(ख) राजस्थान के सम्बन्ध में मार्च से जून 1980 के लिए हाई स्पीड डीजल के आबंटन और बिक्री तथा 1979 के तदनुरूपी महीनों की बिक्री सम्बन्धी ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(आंकड़े मि० टनों में)
हाई स्पीड डीजल आयल

माह	1980 के लिए एलोकेशन	1980 में बिक्री	1979 में बिक्री
मार्च	40000	42490	35645
अप्रैल	39000	39490	33308
मई	43132	43250 (प्रोविजनल)	39106
जून	42000	—	38342

हाई स्पीड डीजल की मार्च और मई 1980 के बीच हुए विक्रय (सप्लाई) इन महीनों के लिए किये गये आवंटन की तुलना में अधिक तथा इसी प्रकार पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीनों के विक्रय की तुलना में अधिक रहा है।

(ग) राज्यों, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, को राज्य के अन्दर हाई स्पीड डीजल का सही और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत मार्ग निर्देशन पहले ही जारी किए गए हैं।

श्री मूल चन्द डागा : आपने मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया है, उसको मैंने देखा है। मैं जानना चाहता था कि राजस्थान सरकार की कितनी मांग थी और आपने उनकी मांग को वीड-आउट करके कितना परसेन्ट दिया, लेकिन आपने जो उत्तर दिया है उससे मालूम हुआ कि मार्च महीने में आपने उनको 40000 मीट्रिक टन एलोकेट किया, जबकि उनकी सेल 424:0 मीट्रिक टन की बतलाई गई है। आपने जो तीन तरह के आंकड़े दिये हैं उनसे मालूम होता है कि वहां कोटा लेने वालों की तादाद बहुत है, लेकिन सप्लाई कम है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की कितनी मांग थी और उस मांग का कितना परसेन्ट आपने राजस्थान को दिया, जब कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हिन्दुस्तान में दूसरा प्रान्त है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, जहां तक स्टेट का सम्बन्ध है, चूंकि डीजल की शार्टेज है इसलिए हर स्टेट ज्यादा डिमाण्ड करती है और जब ज्यादा डिमाण्ड करती है तो डिमाण्ड और कन्जम्पशन का सम्बन्ध नहीं रहता है, इसलिए यह सवाल पैदा हो जाता है कि कौन से बेसिज पर दिया जाये। हर स्टेट की एंग्जाइटी होती है कि जितना ज्यादा हो सके, डीजल हासिल किया जाय। मेरे पास वहां के गवर्नर साहब का एक लेटर 21 अप्रैल, 1980 को आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी स्टेट को 53720 मीट्रिक टन का एलाटमेंट होना चाहिये, जबकि किसी वक्त भी राजस्थान की हिस्ट्री में इतनी डिमाण्ड नहीं थी और इतनी सेल भी नहीं थी।

श्री मूल चन्द डागा : 53720 मीट्रिक टन के लिए वहां के गवर्नर ने लिखा, जबकि उस समय वहां आपका शासन था, मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितने परसेन्ट कम दिया ? कई छोटे-छोटे राज्य हैं जिनको उनकी मांग के हिसाब से ज्यादा मिला है, जबकि राजस्थान के बारे

में मैंने तीन महीने का पूछा तो मालूम हुआ कि आपने हर महीने 25-30 परसेन्ट कोटा कम दिया है, डिमाण्ड से कम, इसका क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने अभी बतलाया कि हर स्टेट ज्यादा डिमाण्ड कर रही है और जो कन्जम्पशन है वह भी बहुत बढ़ रहा है—1977-78 में एच० एस० डी० का कन्जम्पशन 77 लाख 40 हजार मीट्रिक टन था, 1978-79 में 86 लाख 38 हजार था, 1979-80 में 97 लाख 27 हजार हो गया। इस तरह से 1977-78 में 8.9 परसेन्ट कन्जम्पशन बढ़ा, 1978-79 में 11.5 परसेन्ट बढ़ा, 1979-80 में 12.6 परसेन्ट बढ़ा।

डीजल का कन्जम्शन हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है और जितना कन्जम्पशन बढ़ रहा है, उसको पूरा 100 परसेन्ट हम सप्लाई कर सकते हैं—ऐसी गारन्टी नहीं दे सकते। इसीलिए हम हर स्टेट को एलोकेट कर रहे हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट को मालूम है कि देश में डीजल की शार्टेज है, इसलिये ज्यादा डिमाण्ड कर रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : आपने जो गाइड-लाइन्ज स्टेट्स को दी हैं, उसमें काश्तकार चाहता है···

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ लिया है। आपको इस पर एकाधिकार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। श्री घोष।

श्री निरेन घोष : चूंकि कृषि देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिये क्या मन्त्री महोदय हमें बतायेंगे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कितने डीजल की आवश्यकता है ? अपने पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत की सप्लाई की है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक कृषि क्षेत्र की आवश्यकता का सम्बन्ध है, इसे राज्य सरकार पूरा करती है। हम यहां विभिन्न क्षेत्रों को डीजल की मात्रा निश्चित नहीं करते। विभिन्न क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारें ही डीजल की मात्रा का आवंटन करती हैं। हमने राज्य सरकारों से कहा है कि कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। कृषि क्षेत्र की मांग जो भी हो, उसे पूरा किया जाना चाहिये।

श्री निरेन घोष : मेरा प्रश्न कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा करने से सम्बन्धित है। मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा है। मैं जानना चाहता था कि पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों की कितनी आवश्यकता थी और कितनी पूरी की गयी। मैं यही जानना चाहता था।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : कृषि क्षेत्र में किसान भी शामिल हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि जहां तक किसानों की आवश्यकता का सम्बन्ध है, उन्हें पूर्णतः पूरा किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यही मार्गदर्शी बातें लिखी हैं तथा यही निदेश भेजे हैं।

श्री सुनील मैत्रा : हमने मन्त्री महोदय को डीजल की मांग में वृद्धि के बारे में कहते हुए सुना है। इस वर्ष मई में पश्चिम बंगाल के लिए आपने 65,400 मी० टन हाई स्पीड डीजल की स्वीकृति दी है। लेकिन जून में इसे घटाकर 50,600 मी० टन कर दिया गया है। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : साधारणतः जून के महीने में मांग कम हो जाती है। मात्रा निश्चित करते समय हम पिछले तीन वर्ष की सप्लाई को ध्यान में रखते हैं। पिछले वर्ष की सप्लाई के आधार पर इस वर्ष हमने अधिक मात्रा की सप्लाई की है।

नर्मदा मुख्य नहर

*537. **श्री अमरसिंह वी० राठवा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा मुख्य नहर भारत में सबसे बड़ी नहरों में से एक होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, नर्मदा नहर प्रणाली पर 2639 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। प्रस्तावित सरदार सरोवर बांध के दाएं किनारे से निकलने वाली नर्मदा मुख्य नहर 445 किलोमीटर लम्बी होगी और इसका शीर्ष जल-निसार 40,000 क्यूसेक होगा, जिससे गुजरात में 15.257 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी और राजस्थान को जल की सप्लाई भी की जायेगी। राजस्थान की सीमा पर नहर की क्षमता 2500 क्यूसेक होगी।

श्री अमर सिंह वी० राठवा : यह जो नहर बन रही है, उसको युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए कोई योजना सरकार के पास है, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री केदार पांडे : इस स्कीम को सरकार जरूर चाहती है कि जल्दी कम्पलीट करे लेकिन जिस तरह की यह मल्टी-परपज स्कीम है, उसको पूरा करने के लिए, 12 साल से कम नहीं लगेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : नहरों की योजना बनायी जा रही है और इसे सौराष्ट्र में लागू किया जाना है जो एक अर्ध-शुष्क क्षेत्र है जहां वर्षाकाल में भी सिंचाई की आवश्यकता है। जामनगर नहर तथा वांकनेर नहर के सर्वेक्षण के लिए बहुत मांग हुई है। अब पानी की मात्रा सीमित है। क्या अर्ध-शुष्क क्षेत्रों, जिन्हें वर्षा काल में भी सिंचाई की आवश्यकता है, के लिए अधिक राशि आवंटित की जाएगी ? क्या कैरा तथा बड़ौदा क्षेत्रों, जहां खरीफ फसल के लिये ही पानी दिया जायेगा, के बजाय उस क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री केदार पांडे : यह योजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए जल का आवंटन किया गया है। इस बांध-नहर तथा तापीय बिजलीघर को मुख्यतः गुजरात सरकार ने ही कार्यान्वित किया है। जैसे कि मैंने कहा, यह एक आरम्भिक अवस्था है और ब्यौरे का प्रश्न बाद में सामने आएगा। नर्मदा नदी के बांध का काम भी अभी प्रारम्भिक अवस्था में है।

डा० महिपतराय एम० मेहता : इस नहर के निर्माण में से पानी नहर के निर्माण को निकाल दिया गया है। यह मुख्य नहर का भाग है। यदि यह सच है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री केदार पांडे : मुझे इसके लिए नोटिस चाहिए। मुख्य नहर बांध बनने के बाद बनायी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न —538, 539—सदस्य उपस्थित नहीं हैं। मेरे विचार में सदस्यों ने किसी विशेष समय सभा से अनुपस्थित रहने का निश्चय किया हुआ है।

हिन्दुस्तान सैनिटरी वेयर के प्रबन्ध में कथित अनियमितताएं

*540. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमानी ग्रुप से सम्बन्धित मैसर्स हिन्दुस्तान सैनिटरी वेयर, बहादुरगढ़ (हरियाणा) के प्रबन्ध में वित्तीय अनियमितताएं और कदाचारों के गम्भीर आरोप लगाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या आरोपों के सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है, और उसके परिणाम क्या रहे ?

वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) कम्पनी के प्रबन्ध के विरुद्ध प्राप्त कुछ आरोपों का सत्यापन करने के लिए, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत एक निरीक्षण किया गया था, परन्तु ये प्रमाणित नहीं हुए थे। तथापि, निरीक्षण के दौरान, कम्पनी अधिनियम के कुछ उपबन्धों के कुछ उल्लंघन प्रकाश में आये थे। अधिकांश उल्लंघन तकनीकी प्रकृति के पाये गये थे, अतः आवश्यकतानुसार इन तकनीकी उल्लंघनों को कम्पनी द्वारा दूर करने के लिए, औचित्यपूर्ण कार्यवाही की गई थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मन्त्री ने "हां" कहा है। उसका अर्थ यह है कि गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। लगाये गये आरोप क्या थे, जिनकी बाद में जांच की गई ?

श्री पी० शिवशंकर : वास्तव में, कम्पनी के भूतपूर्व कर्मचारियों ने कुछ ऐसे आरोप लगाये थे जो मुख्यतः आयकर तथा सम्पत्तिकर के अपवंचन, अधिष्ठापित क्षमता में हेरफेर और स्टोर तथा खपत में गड़बड़ी से सम्बन्धित थे। इस प्रकार के आरोप लगाये गए थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस कम्पनी के पास कितनी राशि के कर का बकाया है ?

श्री पी० शिवशंकर : यह मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ गम्भीर आरोप हैं और कम्पनी कर का अपवंचन कर रही है। मुझे पता चला है कि लगभग एक करोड़ रुपये का अपवंचन हुआ है.....

अध्यक्ष महोदय : आपको दूसरे मन्त्रालय के नाम प्रश्न देना पड़ेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कम्पनी के कदाचार सम्बन्धी गम्भीर आरोप कम्पनी कानून के अधीन आते हैं। यदि आवश्यक था तो उन्हें यह सूचना वित्त मन्त्रालय से लेनी चाहिए थी।

श्री पी० शिवशंकर : मैं कम्पनी कानून से सम्बन्धित हूं। जहां तक बकाया अथवा कर का सम्बन्ध है, हमने निरीक्षण के बाद सारे मामले को आयकर विभाग को भेजा। यह उनका काम है···(व्यवधान) मुझे खेद है, मैं उत्तर नहीं दे सकता (व्यवधान)···मैं उत्तर कैसे दे सकता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे दूसरे प्रश्न द्वारा पूछा जा सकता है, इस बारे में कोई पाबन्दी नहीं है·····

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस बारे में आपका निर्णय चाहता हूं। मुझे याद नहीं कि मैंने मूल प्रश्न को उनके मन्त्रालय को भेजा अथवा नहीं लेकिन फिर भी यह प्रश्न उन्हें सौंपा गया। जब वह मान गये हैं कि कुछ आरोप करों के अपवंचन से सम्बद्ध थे, तो उन्हें उत्तर देने से पहले सारी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में वह बता रहे हैं कि इनके विभाग से क्या सम्बन्धित है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, नहीं यह सब इनके विभाग से सम्बन्धित है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आरोप लगाये गये थे और उनकी जांच हुई।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्ता, मैंने इसे देख लिया है। आपने यहां "कम्पनी कार्य" लिखा है। आपका प्रश्न, कम्पनी कार्य से सम्बन्धित है। आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या कठिनाई है? मैं उस प्रश्न की अनुमति दे सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मामला कई वर्षों से अनिर्णीत पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न पूछें, मैं उसे अनुमति दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने इसे यह कह कर टाला है·····

श्री पी० शिवशंकर : मुझे खेद है कि आपकी वह धारणा है। मैं उसे टालने में दिलचस्पी नहीं रखता। मैंने यही कहा था कि मैं केवल कम्पनी कार्य से सम्बन्धित हूं और आप इस बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं उत्तर देने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे एक और प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है। इससे कोई अन्तर नहीं आता। वे इस बात पर क्यों अड़ रहे हैं जिससे हमारा समय भी अनावश्यकरूप से बेकार हो रहा है; नहीं, नहीं, कोई अनुमति नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या जो जांच की गई थी उससे यह पता चलता है कि बोरियों, जलने वाली लकड़ी, लोहे और इस्पात, पुआल आदि की खरीद के लिए क्रय बिल झूठे बनाए गये थे। कुछ उष्मसह सामग्री के आयात के बारे में झूठा विवरण दिया गया था और झूठे उपयोग और व्यय का झूठा विवरण दिया था। वहां पाई गई तकनीकी भूलों से उनका यही तात्पर्य है या क्या वे यह समझते हैं कि कम्पनी के विरुद्ध मामला उठाने के लिए ये काफी गम्भीर अभियोग है?

श्री पी० शिवशंकर : अब देखना यह है कि निरीक्षण के समय उनमें पाई गई कमियों में से कुछ कमियों को सदस्यों के अनुरक्षण रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया था। यद्यपि वैधानिक

मांग के अनुसार दो अलग-अलग रजिस्टर बनाने थे, परन्तु अनुबन्ध, कम्पनी और फर्म के रजिस्टर और निदेशक के रजिस्टर के अन्तर्गत केवल विवरण बताने वाला एक ही रजिस्टर रखा गया था। अनुबन्ध रजिस्टर को ठीक से नहीं तैयार किया गया था, क्योंकि बहुत सी कमियों को, स्वयं अनुरक्षण के अधीन ही दिखाया गया था। तब कम्पनी ने आनुतोषिक; करों और प्रस्तावित लाभांशों के लिए अपने लेखा में कोई प्रावधान नहीं किया था। वास्तविक या कुल के आधार पर मजदूरों को दिये जाने वाले आनुतोषिक के बारे में देनदारी का प्राक्कलन नहीं किया था। यह बताया गया था कि इस कम्पनी द्वारा अपने एककों, अपनी सहायक कम्पनियों में किया गया निवेश, निवेश नियन्त्रण के वैधानिक उपबन्ध की उपेक्षा करके किया गया था, जैसे—कम्पनी अधिनियम की धारा 372। कम्पनी ने 31 मार्च, 1975 और 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्षों की उस राशि को जो अक्षत लाभांश के रूप में अलग खाते में जमा नहीं कराया। व्यवसाय वृद्धि के आधार पर श्री सोमानी की विदेश यात्रा पर कम्पनी में पर्याप्त व्यय किया। और विदेश यात्राओं के सन्दर्भ में, ये सभी मामले सम्बन्धित विभाग को सूचित कर दिये गये थे। इस अन्तिम मुद्दे से सम्बद्ध मामले को हमने आयकर विभाग को भेजा। जहां तक लेखों का सम्बन्ध था, इस विदेश यात्रा को समायोजित नहीं किया गया था। उस समय यही स्थिति थी जब मैंने कहा था कि ये कमियां हैं जो निरीक्षण के समय पाई गई थीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केवल उनकी इस आन्तरिक प्रक्रिया की जानकारी से ही कि किस विभाग ने इसे दूसरे किस विभाग को भेजा है, परिचित कराने मात्र से सदन को सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या यह तकनीकी भूल नहीं है कि गंभीर आरोप पहले ही सिद्ध हो चुके हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में आगे कार्यवाही जारी रखें। उनके उत्तर मिल जायेंगे।

पश्चिम बंगाल की विद्युत व्यवस्था में दामोदर घाटी निगम का योगदान

*542. **श्री निरेन घोष :** क्या **ऊर्जा और कोयला** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी देंगे वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिम बंगाल की विद्युत व्यवस्था में अप्रैल, 1978 से मई, 1980 तक दामोदर घाटी निगम का महीने-वार कितने मेगावाट योगदान रहा है; और

(ख) दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल की विद्युत सप्लाई में लगातार गिरावट (यदि कोई हो) के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पश्चिम बंगाल में उपभोक्ताओं को अप्रैल, 1978 से मई, 1980 तक दामोदर घाटी निगम द्वारा की गई विद्युत सप्लाई संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

(ख) विद्युत उत्पादन में कमी ताप विद्युत संयंत्रों में बार-बार होने वाली बन्दियों तथा कम जल विद्युत उत्पादन होने से हुई।

विवरण

मास	*पश्चिम बंगाल की औसत सप्लाई मेगावाट में (सी० ई० एस० सी० सहित)
अप्रैल, 78	225.17
मई, 78	214.23
जून, 78	207.48
जुलाई, 78	221.21
अगस्त, 78	228.39
सितम्बर, 78	228.15
अक्तूबर, 78	222.05
नवम्बर, 78	239.09
दिसम्बर, 78	229.36
जनवरी, 79	219.19
फरवरी, 79	217.68
मार्च, 79	218.36
अप्रैल, 79	235.81
मई, 79	213.05
जून, 79	198.11
जुलाई, 79	200.75
अगस्त, 79	202.64
सितम्बर, 79	179.91
अक्तूबर, 79	182.09
नवम्बर, 79	162.60
दिसम्बर, 79	175.55
जनवरी, 80	189.66
फरवरी, 80	190.23
मार्च, 80	172.90
अप्रैल, 80	172.22
मई, 80	156.85

* औसत सप्लाई = $\frac{\text{मासिक ऊर्जा खपत}}{\text{संबंधित मास के घण्टों की संख्या}}$

श्री निरेन घोष : महोदय, विवरण से मैं यही जान सका हूं कि दामोदर घाटी निगम को पश्चिमी बंगाल को प्रतिदिन 95 मेगावाट विद्युत सप्लाई करनी पड़ती है। अब विवरण में ही दिखाया गया है कि 2000 मेगावाट से भी अधिक की मासिक कमी है और गत कुछ मास में यह और घट गई है, अर्थात, 172, 172 और 1561 दामोदर घाटी निगम की सम्पूर्ण असफलता का क्या कारण है, जो कि मन्त्री महोदय के अधीन है ? क्या इस असफलता का कारण कोयले की कमी है या टरबाइन की असफलता अथवा ट्रान्सफार्मर की असफलता है ? क्या इस प्रणाली की कार्यपद्धति की जांच एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति से नहीं कराई जा सकती ? क्या यह मंत्रालय की असफलता का सूचक नहीं है ? जहां तक विद्युत सप्लाई का सम्बन्ध है, क्या एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति मन्त्रालय के कार्यपद्धति की जांच नहीं कर सकती। इस पर न तो केन्द्र और न ही राज्य सरकार शान्त बैठ सकती है। क्या केन्द्र सारे देश की विद्युत व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह विद्युत उत्पादन पर निर्भर करता है। यदि विद्युत उत्पादन 600 मेगावाट है, तब तो दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता विद्युत व्यवस्था को विद्युत की कुछ मात्रा सप्लाई कर सकता है। यदि 700 मेगावाट का उत्पादन होता है, तब दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता विद्युत व्यवस्था को उसमें से कुछ विद्युत सप्लाई कर सकता है। ऐसी स्थिति है और दामोदर घाटी निगम और पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार के बीच इस आशय का कोई सुस्पष्ट अनुबन्ध नहीं है कि जो कुछ विद्युत उत्पादन होगा, वे 80,000 या 90,000 मेगावाट की विद्युत मात्रा को उनको सप्लाई कर देंगे। ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। हमने बताया है कि इंग्लैंड से एक कार्य-दल भेजा गया था और दल यहां पहुंच चुका है और उन्होंने हमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो कि दो भागों में बटी हुई है। एक भाग तकनीकी कठिनाई के बारे में है और दूसरे भाग में प्रबन्धकीय कठिनाई के बारे में बताया गया है। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं और दामोदर घाटी विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री निरेन घोष : महोदय, वे सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई अनुबन्ध नहीं है। चाहे यह लिखित हो या मौखिक, समझौता तो है और विद्युत उत्पादन के बारे में समाचार-पत्रों में प्रतिदिन समाचार आ जाता है। ऐसा लगता है कि कार्य-दल ने इसकी जांच की है और इसने तकनीकी कारणों को बता दिया है। मैं कार्य-दल द्वारा पता लगाए गए तकनीकी कारणों को जानना चाहता हूं। तकनीकी असफलता के लिए कौन उत्तरदायी है, और प्रबन्धकीय असफलता के लिए कौन उत्तरदायी है ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : जो कुछ मैंने कहा है उसे मैं फिर से दोहराता हूं। ऐसा कोई लिखित अनुबन्ध नहीं किया गया है। (**व्यवधान**) यदि वे जोर देते ही हैं तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि कलकत्ता विद्युत व्यवस्था और दामोदर घाटी निगम के मध्य हुए अनुबन्धीय पत्रों को मैं सभापटल पर लाकर रख सकता हूं। मैं तो केवल इतनी ही बात कह सकता हूं। जहां तक तकनीकी कठिनाई की बात है, हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने हमें एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इंग्लैंड से हमें पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हम पूर्ण प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और फालतू पुर्जे प्राप्त करने का भी प्रयास कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, बोकारो के मामले में, हमें फालतू

कल-पुर्जे नहीं मिल पा रहे हैं। कठिनाइयां तो इसमें हैं। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि दामोदर घाटी निगम की विद्युत सप्लाई में सुधार होगा और कम से कम यह करने का प्रयास कर ही रहे हैं कि तकनीकी कठिनाई तो दूर हो ही जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मन्त्री महोदय ने बताया है कि दामोदर घाटी निगम से कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को सप्लाई की मात्रा निश्चित नहीं थी। क्या मैं यह मान लूं कि जहां तक दामोदर घाटी निगम स्रोत से सप्लाई का सम्बन्ध है, दुर्गापुर इस्पात परियोजना प्राथमिकता के क्षेत्र में आती है ? आज के समाचार-पत्र में बड़ी ही बेचैन करने वाली खबर है कि दुर्गापुर इस्पात परियोजना को विद्युत की अनियमित सप्लाई के कारण, वहां विस्फोटक स्थिति की बड़ी आशंका है और समस्त उपक्रम, परियोजना मशीनरी के पूर्ण विनाश की आशंका है ? यह समाचार आज के समाचार-पत्रों में है। क्या इस ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसे देखा है या क्या उन्हें आज सवेरे से समाचार-पत्र देखने का समय ही नहीं मिला ? यदि इस ओर उनका ध्यान दिलाया गया है तो नियमित सप्लाई बनाये रखने के लिये तत्काल क्या कदम उठाए गये हैं जिससे इसको कोई नुकसान न हो ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : सप्लाई के मामले में इस्पात प्राथमिकता क्षेत्र में आता है। सम्पूर्ण तथ्य यह है कि जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है, उसमें हमें सर्वोच्च प्राथमिकता रेलवे को देनी है और उसके बाद कोयले और इस्पात आदि को। यह सब विद्युत उत्पादन पर निर्भर करता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज के समाचार-पत्र में समाचार आया है कि चूंकि दामोदर घाटी निगम अनियमित विद्युत सप्लाई कर रहा है, इससे सारी की सारी परियोजना ही खतरे में पड़ गई है। उन्हें यह पता ही नहीं है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने बताया है कि यह सब विद्युत उत्पादन पर निर्भर करता है।

श्री बीजू पटनायक : मन्त्री महोदय ने संसद के गत सत्र के दौरान एक निश्चित वक्तव्य दिया था कि दामोदर घाटी निगम की कार्यकुशलता में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है और शीघ्र ही यह 800 मेगावाट की अपनी निश्चित क्षमता पर पहुंच जायेगा। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि दिन-प्रतिदिन के अनुसार गत तीन दिनों में कितना उत्पादन हुआ है ? क्या मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि यह कहकर कि कोई अनुबन्ध नहीं किया गया, वे कलकत्ता विद्युत निगम को दिये गये वचन से क्यों मुकर रहे हैं ? क्या वे यह जानते हैं कि दुर्गापुर और बोकारो इस्पात परियोजनाओं तथा आसनसोल की 'इस्को' निर्माणी से स्थायी अनुबन्ध है ? क्या वे यह जानते हैं कि स्वयं अपनी ही कोयला खानों को न्यूनतम मात्रा में विद्युत सप्लाई के लिए भी उनका अनुबन्ध है ? यदि ऐसा है तो ये अनुबन्ध किस प्रकार पूरे किये गए। क्या वे यह भी जानते हैं कि विद्युत सप्लाई के अभाव में उनकी अपनी कोयला-खानें बाढ़ से डूब गई हैं ? क्या वे इस बात से भी अवगत हैं कि विद्युत न मिलने के कारण आधे इस्पात संयंत्र बन्द हो गए हैं ?···(व्यवधान) क्या मन्त्री महोदय इन प्रश्नों का उत्तर देंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : दामोदर घाटी निगम का विद्युत उत्पादन अभी स्थिर नहीं हो सका है, कभी तो यह 600 मेगावाट से भी अधिक चला जाता है जैसे—620 या

630 मेगावाट आदि और फिर यह 500 या 400 मेगावाट तक घट जाता है। सारी गड़बड़ इस बात में है कि दामोदर घाटी निगम के विद्युत उत्पादन को स्थिर रखने में सफल नहीं हो सके हैं। यदि हम विद्युतोत्पादन को स्थिर रखने में सफल हो जाएं तो स्थिति में सुधार हो जाता। परन्तु दुर्भाग्य से हम इसमें सफल नहीं हो सके हैं। हम इसमें सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न उपभोक्ताओं के प्रति दामोदर घाटी निगम के दायित्व को हम भली-भांति जानते हैं। परन्तु इस बात को मैं फिर दोहराता हूं कि कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को विद्युत की कोई मात्रा-विशेष सप्लाई करने के लिए हम बाध्य नहीं हैं :(व्यवधान) चाहे विद्युत उत्पादन कितना ही क्यों न हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही तीन पूरक प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है। मार्च में या उसके आसपास, इस सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते समय, उन्होंने यह कहा था कि उनके पद पर आने से पहले, फरवरी से पूर्व, दामोदर घाटी निगम में प्रतिदिन विद्युत उत्पादन 450 या 500 मेगावाट से कम हो गया था। क्या यह सच है कि इसके इस सरकार के हाथ में आने के बाद औसत घट गया है ? परन्तु पहले का वक्तव्य गलत था जिसके ऊपर मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया था, आपको यह बात याद है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि दामोदर घाटी निगम के विद्युतोत्पादन में स्थिरता नहीं आ पाई है। कभी-कभी विद्युत उत्पादन लगभग 600 मेगावाट तक पहुंच जाता है और कभी-कभी यह 400 मेगावाट तक घट जाता है। यह स्थिर नहीं हो सका है। यही बात मैंने कही है और उसे ही मैं दोहरा रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनका कहना था कि फरवरी से पहले औसत उत्पादन···

अध्यक्ष महोदय : श्री सूरजभान।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं। क्या आप उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। यदि आप उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं तो मै बैठ जाता हूं। **(व्यवधान)**

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित जीवनियां

*543. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन प्रभाग ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुविख्यात भारतीयों की जीवनियां प्रकाशित की हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रकाशित पुस्तकों के नाम क्या हैं और वे किन-किन भाषाओं में उपलब्ध हैं;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान इस तरह की और अधिक जीवनियां प्रकाशित करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए चुनी गई पुस्तकों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में अब तक प्रकाशित पुस्तकों तथा उनके लेखकों के नाम क्रमश: विवरण—क, ख और ग में दिए गए हैं। "भारत के अमर चरित्र" पुस्तक-माला के अंतर्गत हिन्दी में प्रकाशित की गई लघु जीवनियां परिशिष्ट-घ में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान प्रकाशन के लिए निम्नलिखित छ: पुस्तकें स्वीकृत की गई हैं :

1. पंडित गोपाबन्धू दास
2. वी० ओ० चिदम्बरम पिल्लै
3. गोपी नाथ बरदोलोई
4. वी० के० कृष्ण मेनन
5. सी० एन० अन्नादुरै
6. रवि शंकर शुक्ल

विवरण-क

अंग्रेजी

क्रम संख्या	शीर्षक	लेखक
1.	अब्दुल कलाम आजाद	अर्श मल्लयानी
2.	ऐनी बेसेन्ट	सी०पी० रामास्वामी अय्यर
3.	आशुतोष मुखर्जी	ससाधर सिन्हा
4.	आनन्द के० कुमार स्वामी	जगमोहन
5.	बदरुद्दीन तैयबजी	ए०जी० नूरानी
6.	बंकिम चन्द्र चटर्जी	ए०के० बोस
7.	भुलाभाई देसाई	एस०सी० सीतलवाड़
8.	बी०आर० अम्बेदकर	डब्लू०एन० कुबेर
9.	सी० शंकरन नायर	के०पी०एन० मेनन
10.	चार्ल्स फ्रियर एन्ड्रयूज	बी० चतुर्वेदी और एम० माइकल
11.	दादाभाई नौराजी	आर०पी० मसानी
12.	देशबन्धु चितरंजन दास	हेमेन्द्र नाथ दासगुप्ता
13.	देशप्रिय जतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता	पद्मिनी सेन गुप्ता
14.	दीवान रंगाचार्लु	एन०एस० चन्दवरकर
15.	धोंधो केसव कर्वे	जी०एल० चन्दवरकर
16.	गांधी-हिज लाइफ एण्ड थॉट्स	आचार्य कृपलानी
17.	गोपाल कृष्ण गोखले	टी०आर० व्योगिरिकर
18.	जी० सुब्रमनिय आयर	एस०ए० गोविन्दराजन

क्रम संख्या	शीर्षक	लेखक
19.	ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	बिनॉय घोस
20.	जमना लाल बजाज	श्रीमन नारायण
21.	जमसेदजी टाटा	बी०श० सकलतवाला और के० खोसला
22.	जवाहर लाल नेहरू	एम० चलपती राव
23.	कस्तुरी रंगा आयंगर	वी० के० नरसिम्हन
24.	लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक	एन०जी० जोग
25.	लालबहादुर शास्त्री	डी०आर० मनकेकर
26.	एम०आर० जयकर	वी०वी० कुलकर्णी
27.	एम० विस्वेस्वर्या	वी० सीतारमैया
28.	मदनमोहन मालवीय	सीताराम चतुर्वेदी
29.	महादेव गोविन्द रानाडे	पी०जे० जागीरदार
30.	मजहरुल हक	जे०एस० झा और क्वयामुद्दीन अहमद
31.	मोतीलाल नेहरू	वी०आर० नन्दा
32.	पी०एस० सिवस्वामी अय्यर	के० चन्द्रशेखरन
33.	फिरोजशाह मेहता	होमी मोदी
34.	लाजपत राय (लाइफ एण्ड वर्क्स)	फिरोज चंद
35.	रविन्द्र नाथ टैगोर	हिरनमय बनर्जी
36.	रामानंद चटर्जी	नेमाईसदन बोस
37.	राजा राम मोहन राय	सौमेन्द्रनाथ टैगोर
38.	राजेन्द्र प्रसाद	काली किंकर दत्ता
39.	रोमेश चन्द्र दत्त	आर०सी० दत्त
40.	सरोजनी नायडू	तारा अली बेग
41.	सय्यद अहमद खान	के०ए० निजामी
42.	एस० श्रीनिवास अय्यंगर	के०आर०आर० शास्त्री
43.	सच्चिदानंद सिन्हा	बी०पी० सिन्हा
44.	सुभाष चन्द्र बोस	गिरिजा के० मुखर्जी
45.	सुरेन्द्र नाथ बनर्जी	एस०के० बोस
46.	स्वामी विवेकानंद	वी०के०आर०वी० राव
47.	एस० सत्यमूर्ति	आर० पार्थसार्थी
48.	तेज बहादुर सप्रू	एस०के० बोस
49.	ठक्कर बापा	वियोगी हरि
50.	वी०एस० श्रीनिवास शास्त्री	टी०एन० जगदीसन
51.	के० वीरेसालिंगम	डी० अंजनेयुलु

विवरण-ख

हिन्दी

जारी की गई :

क्रम संख्या	शीर्षक	लेखक
1.	ऐनी बेसेन्ट	सी०पी० रामास्वामी अय्यर
2.	आशुतोष मुखर्जी	ससाधर सिंहा
3.	बदरुद्दीन देसाई	ए०जी० नूरानी
4.	भूलाभाई देसाई	एम०सी० शीतलवाड
5.	दादाभाई नौरोजी	आर०पी० मसानी
6.	देश प्रिय जतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता	पदमनी सेन गुप्ता
7.	देशबंधू चितरंजन दास	हेमेन्द्रनाथ दासगुप्ता
8.	धोंधों केशव कर्वे	जी०एल० चंदवरकर
9.	गोपाल कृष्ण गोखले	टी०आर० व्योगिरीकर
10.	ईश्वर चंद्र विद्यासागर	बिनॉय घोष
11.	जमना लाल बजाज	श्रीमन नारायण
12.	लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक	एन०जी० जोग
13.	लाल बहादुर शास्त्री	डी०आर० मनेकर
14.	मदन मोहन मालवीय	सीताराम चतुर्वेदी
15.	मोतीलाल नेहरू	बी०आर० नन्दा
16.	फिरोजशाह मेहता	होमी मोदी
17.	राजाराम मोहनराय	शोमेन्द्र नाथ टैगोर
18.	राजेन्द्र प्रसाद	काली किंकर दत्ता
19.	रोमेश चन्द्र दत्त	आर०सी० दत्त
20.	सच्चिदानन्द सिन्हा	बी०पी० सिन्हा
21.	सुरेन्द्र नाथ बनर्जी	एस०के० बोस
22.	वी०एस० श्रीनिवास शास्त्री	टी०एन० जगदीशन
23.	ठक्कर बापा	वियोगी हरि
24.	कला गुरु आनन्द कुमारस्वामी	मुकन्दी लाल
25.	सैयद अहमद खान	के०के० निजामी
26.	महात्मा गांधी	जे०बी० कृपलानी
27.	सुभाष चन्द्र बोस	गिरिजा के० मुखर्जी
28.	बंकिमचन्द्र चटर्जी	एस०के० बोस

विवरण-ग

प्रादेशिक भाषाएं

जारी की गई :

क्रम संख्या	शीर्षक	लेखक	भाषा
1.	आशुतोष मुखर्जी	ससाधर सिन्हा	बंगला
2.	देशबन्धू चितरंजन दास	हमेन्द्र नाथ दासगुप्ता	,,
3.	देशप्रिय जितेन्द्र मोहन सेनगुप्ता	पदमिनी सेनगुप्ता	,,
4.	ईश्वर चन्द्र विद्यासागर	विनाय घोष	,,
5.	राजा राममोहन राय	सोमेन्द्रनाथ टैगोर	,,
6.	रोमेशचन्द्र दत्त	आर०सी० दत्त	,,
7.	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी	एस०के० बोस	,,
8.	बंकिमचंद्र चटर्जी	एस०के० बोस	,,
9.	फिरोजशाह मेहता	होमी गोदी	गुजराती
10.	दिवान रंगाचारलू	एन०एस० चन्द्रशेखर	कन्नड़
11.	सी० संकरन नय्यर	के०पी०एस० मेनन	मलयालम
12.	भूलाभाई देसाई	एम०सी० शीतलवाड	मराठी
13.	धोंधो केशव कर्वे	जी०एल० चंदवरकर	,,
14.	गोपाल कृष्ण गोखले	टी०आर० व्योगिरिकर	,,
15.	लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक	एन०जी० जोग	,,
16.	अब्दुल कलाम आजाद	अर्श मल्सयानी	उर्दू
17	सैयद अहमद खान	के०ए० निजामी	,,

विवरण-घ

हिन्दी में 'भारत के अमर चरित्र' पुस्तकमाला के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकें

क्रम संख्या	शीर्षक	लेखक
1.	गोपाल कृष्ण गोखले	नेमी शरण मित्तल
2.	चितरंजन दास	भूपेन्द्र नाथ सान्याल
3.	दादाभाई नौरोजी	सुरज नारायण मुंशी
4.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	मन्मथनाथ गुप्त

1	2	3
5.	महामना मालवीयजी	अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार
6.	लौहपुरुष सरदार पटेल	मुकुट विहारी वर्मा
7.	स्वराज्य के मंत्रदाता तिलक	विष्णु चन्द्र शर्मा
8.	अमर शहीद भगत सिंह	श्रीमती वीरेन्द्र सिन्धु

प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची में दर्ज पन्द्रह भाषाओं में से प्रकाशन प्रभाग ने केवल आठ भाषाएं ही क्यों चुनीं और शेष सात भाषाओं में एक भी प्रकाशन नहीं निकाला गया ? मैं विशेषरूप से पंजाबी, असमिया, तेलगू, उड़िया और कुछ अन्य भाषाओं जैसे सिन्धी और संस्कृत का उल्लेख करना चाहूंगा। आज तक इन सात भाषाओं की उपेक्षा क्यों की गई ?

श्री वसन्त साठे : कारण मुझे मालूम नहीं है। किसी भी भाषा की उपेक्षा करने का कोई इरादा नहीं है। परन्तु यदि कोई जीवनी-विशेष और उस भाषा में कोई लेखक विशेष है जिसने उस जीवनी को लिखा हो और यदि आप उसे मेरे ध्यान में लायें तो इस पर विचार होना चाहिए और मैं इस पर विचार करूंगा। मैं आपको यह आश्वासन दिला सकता हूं कि किसी भी भाषा की उपेक्षा करने का कतई भी कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० नारायण चंद पराशर : प्रकाशन प्रभाग कुछ भाषाओं के कुछ लेखकों द्वारा जीवनी लेखन की योजना बनाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल आठ भाषाओं को ही क्यों चुना गया है और अन्य सात भाषाओं की उपेक्षा क्यों की गई है ?

श्री वसन्त साठे : मैंने बताया है कि किसी भाषा-विशेष को चुनने अथवा अन्यों को उपेक्षित करने का कोई निश्चित विचार इसमें नहीं है। यह घटनावश ही है कि ये आठ भाषाएं ले ली गईं। यदि मेरे माननीय मित्र किसी लेखक या भाषा विशेष का सुझाव देंगे और वह मेरे ध्यान में लाया जाता है तो मैं उस पर विचार करूंगा।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो जीवनी के चुनाव में प्रधानता रखते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मुन्शी प्रेमचन्द जैसे प्रतिष्ठित लेखक को, जिनकी जन्म शताब्दी इन दिनों हम मना रहे हैं, क्यों नहीं चुना गया और किसी खिलाड़ी की भी जीवनी को आज तक भारत में क्यों नहीं चुना गया।

श्री वसन्त साठे : मैं इस बात का विशेषरूप से पता करूंगा कि कोई पुस्तक या जीवनी मुन्शी प्रेमचन्द पर क्यों नहीं चुनी गई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पालघाट में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के उपकरणों का उत्पादन

*510. **श्री बी० एस० विजयराघवन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक एक्चेंज के लिए उपकरणों का उत्पादन पालघाट स्थित भारतीय टेलीफोन उद्योग में किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पालघाट कारखाने में निजी स्वचल शाखा एक्सचेंज (पी० ए० बी० एक्स०) और निजी स्वचल एक्सचेंज (पी० ए० एक्स०) जैसे छोटे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को 10,000 लाइनें प्रतिवर्ष की मौजूदा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 1.5 लाख लाइनें करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। विस्तार की प्रस्तावित योजना में निजी स्वचल एक्सचेंजों (पी० ए० एक्स०) और निजी स्वचल शाखा एक्सचेंजों (पी० ए० बी० एक्स०) की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के अलावा इलेक्ट्रानिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज (टी० ए० एक्स०) और ग्रामीण स्वचल एक्सचेंज (आर० ए० एक्स०) के उत्पादन की योजना भी शामिल है।

ग्रामीण उद्योगों का विकास

*511. **श्री के० प्रधानी :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण उद्योगों, विशेषरूप से वंशगत (पारम्परिक) उद्योगों के विकास के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित टैक्नोलोजी को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष महत्व दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) जी हां। ग्रामीण उद्योगों के विकास तथा गामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी के सृजन के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। वे कार्यक्रम ये हैं :—

(1) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों, सेवाओं तथा व्यापार उद्यमों का विकास करना है, के ग्रामीण उद्योग, सेवा तथा व्यापार घटक।

(2) स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण की योजना (ट्राइसेम) जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित कुशलताओं तथा प्रौद्योगिकी को ग्रामीण युवकों तक पहुंचाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि उन्हें स्व-रोजगार परियोजनाओं में लाने योग्य बनाया जा सके।

(3) खादी तथा 25 विशिष्ट ग्रामीण उद्योगों का विकास। कार्यक्रम में उन कुशलताओं, जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में गुंजाइश है, में कारीगरों का प्रशिक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है।

भारत सरकार मुद्रणालय में हिन्दी प्रसार योजना

*512. **श्री के० लकप्पा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली तथा फरीदाबाद में हिन्दी प्रसार योजना के लिए जून, 1979 में विभिन्न वर्गों के 184 पद बनाए गए थे;

(ख) इन पदों पर अब तक कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दी प्रसार योजना के लिए लगाई गई काफी अधिक मशीनी/उपकरण अप्रयुक्त पड़े हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(घ) क्या उसके लिए उत्तरदायित्व नियत किया जायेगा; और

(ङ) मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) 17

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

(घ) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) अगली मशीन तथा उपस्कर लगाने पर और पद भरे जाएंगे।

विवरण

हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अन्तर्गत अभी तक दो मुद्रणालयों नामतः भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद में निम्नलिखित मशीनें स्थापित की गई हैं :—

क्रम सं०	विवरण	भारत सरकार के जिन मुद्रणालयों में स्थापित की गई हैं।	
		मिन्टो रोड	फरीदाबाद
1.	लाइनो मशीन	5	5
2.	कटिंग मशीन	—	1

भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में 10 अन्य पदों सहित लाइनों आपरेटरों के 6 पद पहले ही भर दिये गये हैं। स्थापित 5 मशीनों में से चार मशीनें दोनों पारियों में वास्तविक रूप से कार्य कर रही हैं। तथापि, पांचवीं मशीन कुछ फालतू पुर्जों के अभाव के कारण बेकार पड़ी हैं जिनके लिए सम्बन्धित फार्म के साथ बात चल रही है। जहां तक भारत सरकार मुद्रणालय फरीदाबाद का सम्बन्ध है अभी तक पदों को भरने में कुछ कठिनाई हो रही है क्योंकि रोजगार कार्यालय लाइनों आपरेटरों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार देने में असमर्थ है। अपने ही एक अन्य मुद्रणालय से स्थानान्तरण के आधार पर एक लाइनो आपरेटर की मुद्रणालय में नियुक्ति की गई। भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद में शेष पदों को भरने के लिए मुद्रणालय में प्रबन्धकों के प्रयास जारी हैं। एक कटिंग मशीन स्थापना की तिथि से ही वर्तमान स्टाफ द्वारा ही उपयोग में लाई जा रही है।

ताज, आगरा में प्रवेश-शुल्क

*513. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताज, आगरा को देखने के लिए प्रति व्यक्ति एक रुपया पचास पैसा अतिरिक्त प्रवेश शुल्क लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रवेश-शुल्क पर इस अतिरिक्त अधिभार की अनुमति दी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस शुल्क में कमी करने अथवा इसे पूर्णतया समाप्त करने का है ताकि गरीब लोग भी ताज देख सकें ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ताज महल देखने के लिए आए (15 वर्ष से ऊपर आयु के) प्रति व्यक्ति से 50 पैसा प्रवेश-शुल्क लेता रहा है।

परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त जुलाई, 1976 से आगरा विकास प्राधिकरण न केवल ताजमहल से बल्कि आगरा-दुर्ग, सिकन्दरा तथा इतिमादुद्दौला का मकबरा आदि स्मारकों से भी प्रति व्यक्ति 1 रुपया 50 पैसा शुल्क ले रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया गया है। वे इसे समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं।

उज्जैन का टेलीफोन केन्द्र

*514. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित टेलीफोन केन्द्र की कितने टेलीफोन कनेक्शनों की क्षमता है;

(ख) क्या उज्जैन का स्वचालित टेलीफोन केन्द्र सुचारु रूप से कार्य कर रहा है;

(ग) क्या उज्जैन टेलीफोन केन्द्र को वातानकूलित बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं;

(घ) उज्जैन नगर में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम हैं; और

(ङ) प्रतीक्षा सूची के लोगों को कब तक स्थायी टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जायेंगे ?

संचार मंत्री (सी० एम० स्टीफन) : (क) एक्सचेंज की नाममात्र क्षमता 2400 लाइनों की है जिसमें से लगभग 2200 कनेक्शन प्रदान किए जा सकते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) 30-6-80 को 453 व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे, जिसमें से अधिकांश के नाम 30-9-79 के पश्चात् ही दर्ज किए गए थे।

(ङ) अगले 3 महीनों के दौरान लगभग 200 और कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है। शेष आवेदकों को 1982-83 के दौरान कनेक्शन दिए जाने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल के लिए केन्द्रीय आवास निधि

*515. **श्री चित महाटा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण आवास निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है; और

(ख) पश्चिम बंगाल में इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979 में कितने ग्रामीण आवासों का निर्माण किया गया है और वर्ष 1980 के लिए कितने ग्रामीण आवासों के निर्माण का लक्ष्य है।

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) राज्य प्लान योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में योजना के लिए समग्र रूप से दी जाती है और यह किसी योजना या विकास शीर्ष विशेष से संबंधित नहीं होती। इसी प्रकार जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम से निधियों का नियतन विभिन्न आवासीय योजनाओं के लिए राज्यों को एकमुश्त सहायता के रूप में किया जाता है। इसलिए, पश्चिम बंगाल में सिर्फ ग्रामीण आवास के लिए स्वीकृत धनराशि बताना संभव नहीं है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बड़ा गाँव रीवा (मध्य प्रदेश) में खुदाई

*516. **श्री फूल चंद वर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश में रीवा जिले के बड़ा-गांव नामक स्थान पर की जा रही खुदाई के दौरान पुरातत्वीय महत्व की बहुत सी वस्तुयें पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) ये वस्तुयें किसके कब्जे में हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी हां। परन्तु अब इन स्थलों पर पुरातत्व सम्बन्धी कोई खुदाई नहीं हो रही है।

(ख) एक स्थान की खुदाई के में से 27 मूर्तियां और शिलालेखों के दो खंड, दो मानव-कपाल, मानवों और पशुओं की अस्थियां तथा लकड़ी की कड़ी का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान की खुदाई में से नौ टूटी हुई मूर्तियां आठ मानव-कपाल और मानव तथा पशु अस्थियां प्राप्त हुईं।

दोनों स्थानों से प्राप्त की गई मूर्तियां ईसा की 11वीं शताब्दी से संबंधित हैं।

(ग) यह वस्तुएं नजरात रीवा में हैं।

उड़ीसा में आवासों के लिए हुडको की योजना

*517. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में मकानों के निर्माण के लिए हुडको द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी योजनाएं मंजूर की गई और उनके लिए धनराशि दी गई;

(ख) क्या यह सच है कि हुडको योजना के अन्तर्गत संबलपुर (उड़ीसा) में मकानों के निर्माण हेतु इच्छुक लोगों से आवेदन पत्र मांगे गए थे; और

(ग) यदि हां, तो उनसे कितना पैसा इकट्ठा हुआ और योजना को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) पिछले तीन वर्षों में हुडको द्वारा उड़ीसा राज्य में स्वीकृत की गई योजनाएं :

वर्ष	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण (कुल) (करोड़ रुपयों में)
1977-78	4	1.47
1978-79	13	8.05
1979-80	5	2.01

(ख) तथा (ग) आवास तथा नगर निगम को मई, 1977 में 177 रिहायशी एककों (आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-63 और निम्न आय वर्ग-54) के निर्माण के लिए सम्बलपुर क्षेत्रीय सुधार न्यास से सिद्धेश्वर आवासीय वास चरण-1 सम्बलपुर नाम की एक योजना प्राप्त हुई थी जिसमें यह सूचित किया गया था कि सम्बलपुर क्षेत्रीय सुधार न्यास ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के मकानों के लिए क्रमशः 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये की प्रारम्भिक जमा राशि के साथ आवेदन पत्र आमन्त्रित कर पहले ही मांग सर्वेक्षण कर लिया है। तथापि, प्रारम्भिक जमा के जरिये एकत्रित की गई राशि को, राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया है। योजना हुडको द्वारा स्वीकृत नहीं की जा सकी क्योंकि

सम्बलपुर क्षेत्रीय सुधार न्यास उस भूमि को अधिग्रह और दखल में नहीं कर सका जिस पर निर्माण करना प्रस्तावित था और अन्ततः सम्बलपुर क्षेत्रीय सुधार न्यास ने इस योजना को राज्य सरकार को संबोधित अपने दिनांक 21-6-1979 के पत्र सं० 1346 जिसकी प्रतिलिपि हुडको को भेजी गयी थी, द्वारा योजना को समाप्त करने का निर्णय किया गया ।

ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन तथा डेरी उत्पादकों का विपणन

*518. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गीपालन तथा डेरी उत्पादकों के लिए विपणन की सुविधायें देने पर कोई ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) और (ख) मुर्गीपालन तथा डेरी का विकास राज्य के विषय हैं । राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित कुक्कुट तथा डेरी उत्पादकों के लिए विपणन की सुविधाएं सुलभ करने हेतु योजनाएं शुरू की हैं । आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात तथा महाराष्ट्र आदि जैसे कुछेक राज्य सरकारों ने राज्य स्तरीय कुक्कुट विपणन संगठनों तथा निगमों की स्थापना की है । राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ (नेफेड) राष्ट्रीय स्तर पर अण्डों तथा कुक्कुट के विपणन में सहायता भी कर रहा है । नेफेड ने एक कुक्कुट विपणन प्रभाग पहले ही स्थापित कर दिया है और सबसे पहले दिल्ली में अण्डों का विपणन शुरू किया है जहां उत्तरी राज्यों के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से अण्डे पहुंचते हैं । नेफेड आजकल प्रतिदिन लगभग 2 लाख अण्डों का व्यापार कर रहा है जो कि दिल्ली के बाजारों में अण्डों की कुल आवक का एक चौथाई भाग है । विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम जो कि 19 राज्यों/एक केन्द्र शासित क्षेत्र के 68 जिलों में चल रहा है, के अन्तर्गत अण्डों तथा कुक्कुट के विपणन के लिए उपयुक्त संगठन स्थापित करने हेतु राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को प्रति जिला 5 लाख रुपये की दर से वित्तीय सहायता भी सुलभ की जाती है । योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे/सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों, अनसूचित जातियों व अनसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध की विपणन सुविधाओं का प्रावधान समन्वित पशु एवं डेरी विकास परियोजना अर्थात् भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत आपरेशन फ्लड-1 व आपरेशन फ्लड-2 का मुख्य भाग है । इन परियोजनाओं के अन्तर्गत, उत्पादक सहकारी सोसायटियां सदस्यों द्वारा उत्पादित दूध के लिए केन्द्र मुहैय्या करती है और इस दूध का विधायन तथा विपणन अधिक मांग वाले क्षेत्रों में शहरी डेरियों के माध्यम से किया जाता है । आपरेशन फ्लड-1 के अन्तर्गत आनन्द के पैटर्न की 9000 उत्पादक सहकारी सोसायटियां स्थापित की गई हैं । आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत, लगभग 155 जिलों को अन्तर्गत लाए जाने की आशा है जिसमें 10 मिलियन फार्म परिवार वाले शामिल होंगे ।

उपर्युक्त के अलावा, एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन द्वारा सहाय्यित परियोजना है जिसके तर्गत अंआनन्द के पैटर्न पर दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटियों को स्थापित करने के

लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के राज्यों में डेरी परियोजनाओं को सहायता दी जाती है।

डेरी मुर्गीपालन के लिए अनिवार्य विपणन सम्बन्ध विकसित करने हेतु समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन के 10 प्रतिशत की सीमा तक आधार-भूत ढांचा सम्बन्धी सहायता भी उपलब्ध है।

राजस्थान में सूखा-उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन भीलवाड़ा जिले में तहसीलों का शामिल किया जाना

*519. **श्री गिरधारी लाल व्यास** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसींद, मांडल और रायपुर तहसीलों में हर वर्ष पानी की कमी के कारण अकाल पड़ता है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के आठ जिलों को सूखा-उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम योजना में शामिल किया है क्योंकि इन जिलों में अकाल पड़ता है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने भाग (क) में उल्लिखित तीन तहसीलों को सुखा-उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम योजना में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को लिखा था परन्तु इन तहसीलों को शामिल नहीं किया गया जिससे इस क्षेत्र के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) क्या सरकार सूखा-उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम योजना में उपरोक्त तीन तहसीलों को शामिल करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो कब तक ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान के 13 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण सम्बधी उपनियम

*520. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण संबंधी अपने कोई उप-नियम नहीं है और भवन निर्माण में सभी प्रकार की अनियमितताओं का समाधान जुर्माना अदा करके किया जा सकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि कोई भवन निर्माण संबंधी उप-नियम हो तो भी दिल्ली विकास प्राधिकरण को उन्हें लागू करने का कोई कार्यकारी अधिकार प्राप्त नहीं है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि जनता सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को कार्यकारी प्राधिकरण बनाने के बजाय एक वाणिज्यिक संगठन बना दिया था ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली नगर निगम के भवन उप-नियमों को अपनाया है और स्वीकृत भवन के नक्शों से विपणन का समाधान निगम द्वारा अपनाई गई पद्धति पर किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के ढांचे के अन्तर्गत एक विकास प्राधिकरण है।

केन्द्रीय 'पूल' में खाद्यान्न का स्टाक

*521 **श्री रघुनदन लाल भाटिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1980 को केन्द्रीय 'पूल' में कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न का स्टाक था; और

(ख) रबी की फसल की क्या सम्भावनाएं हैं और केन्द्रीय 'पूल' में कितना खाद्यान्न और जमा हो जाने की आशा हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिह राव) : (क) 31 मार्च, 1980 को केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध खाद्यान्नों का कुल स्टाक लगभग 119 लाख मीटरी टन था। उस तारीख को राज्य सरकार के पास पड़े स्टाक को जोड़कर सभी सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का कुल उपलब्ध स्टाक 140.2 लाख मीटरी टन था।

(ख) वर्तमान रिपोर्टों के अनसार कृषि वर्ष 1979-80 के दौरान गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम हो सकता है। अब तक प्राप्त सूचनानसार, सरकारी एजेंसियों द्वारा इस फसल से 58.1 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की जा चकी है जिसमें से लगभग समस्त मात्रा को कन्द्रीय भण्डार में शामिल कर देने की आशा है।

प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों का पता लगाने के उपाय

*522. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऐसे उद्योगों का पता लगाने के लिए शीघ्र उपाय करने का विचार है, जिनमें प्रदूषण पैदा करने की सम्भावना रहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) जी, हां। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत स्थापित किये गये जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने उन उद्योगों के 20 बड़े ग्रुपों का पता लगाया है जिनमें जल प्रदूषण के उच्च तत्व मौजूद हैं। वे इस प्रकार हैं :—

1. वस्त्र उद्योग
2. किण्वन
3. खाद

4. हस्त सूत्र उद्योग
5. इनरगैनिक कैमिकल इण्डस्ट्रीज
6. लुगदी तथा कागज
7. दवाइयां तथा भेषजीय
8. चीनी उद्योग
9. पेट्रो-केमिकल्स इण्डस्ट्रीज
10. तेल शोधन
11. कीटनाशक
12. थरमल पावर प्लांट
13. लोह धातु
14. खाद्य संसाधन
15. टैनेरीज
16. रबड़ संसाधन
17. आरगेनिक रसायन
18. नान-फैरस इण्डस्ट्रीज
19. डेरी
20. खान उद्योग

इन 20 बड़ी श्रेणियों के उद्योगों को यह मार्गनिर्देशन देने कि इनमें होने वाले जल प्रदूषण के प्रभावी नियन्त्रण के लिए इनको क्या कार्यवाही करनी चाहिए, जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड का उद्योग विशिष्ट न्यूनतम राष्ट्रीय बहिःस्राव मानक तैयार करने का प्रस्ताव है। ऐसा उद्योग विशिष्ठ न्यूनतम राष्ट्रीय बहिःस्राव मानक, इन चार उद्योगों अर्थात खाद (फासफेटिक तथा नाइट्रोजिन्स), फरमेन्टेशन (ब्रीवरीज, डिस्ट्रीलेरीज तथा मालटेरीज), फाइबर (हस्त निर्मित) तथा वस्त्र उद्योग (सूती तथा ऊनी) के लिए पहले ही तैयार कर लिए गए हैं। नौ अन्य उद्योगों, अर्थात, हैवी इनोरगेनिक केमिकल्ज, एकीकृत लोह तथा इस्पात मिल्स, तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल्स, भेषजीय, लुगदी तथा कानज, कीटनाशक, चीनी तथा थरमल पावर प्लांट के लिए ऐसे मानक तैयार किए जा रहे हैं।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेय जल

*523. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु धनराशि का आवंटन करने के लिये किन मानदण्डों का अनुसरण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार उक्त प्रयोजन के लिए निधियों का नियतन करते समय मैदानी क्षेत्रों की तुरन्त में रेगिस्तानी क्षेत्रों में गांवों के बीच दूरी, कुओं की अत्यधिक गहराई और ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं पर अधिक लागत को ध्यान में रखती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या राजस्थान के लिए 1979-80 के लिए धनराशि आवंटित करते समय इन बातों को ध्यान में रखा गया था और यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इन महत्वपूर्ण बातों को और इस तथ्य को देखते हुए कि देश में रेगिस्तानी क्षेत्र का 45 प्रतिशत से अधिक भाग इस राज्य में है, राजस्थान को अधिक धनराशि आवंटित करने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेय जल की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श करने के बाद योजनाओं का निष्पादन करने के लिये निधियों की व्यवस्था राज्य योजनाओं में की जाती है। तथापि, ग्रामीण जल पूर्ति के बारे में, क्योंकि राज्य सरकारें समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल देने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पिछड़ गई थी, अतः केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के उन समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सहायता देकर राज्यों के संसाधनों को बढ़ाने का निर्णय लिया, जिनका 1972 में किये गये सर्वेक्षण के दौरान दूरी, जल की गहराई तथा जल की गुणवत्ता से संबंधित कतिपय मापदण्डों के आधार पर पता लगाया गया था। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, उन शेष समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या, जिन्हें जल उपलब्ध कराया जाना है, उनकी जनसंख्या और संसाधन अन्तराल, कार्य निष्पादन इत्यादि जैसी अन्य विशेष बातें हैं जिनका निधियों का नियतन करते समय अनुसरण किया जाता है।

(ग) वर्ष 1979-80 के लिए निधियों का नियतन करते समय उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखा गया था। वर्ष 1980-81 में राजस्थान सरकार को 1979-80 की तुलना में अधिक राशि आवंटित की जायेगी।

निर्यातक देशों के लिए वर्ष 1981 का चीनी का कोटा

*524. **श्री पी० एम० सईद**
श्री गुलाम रसूल कोचक } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होने की सम्भावना के कारण वर्ष 1981 में निर्यातक देशों के लिए चीनी के कोटे को लम्बित रखा जाना जारी रहेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा विभिन्न राष्ट्रों में हुए चीनी के कम उत्पादन के कारण किया जायेगा; और

(ग) क्या इसके फलस्वरूप चीनी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी कम उपलब्ध होगी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1977 के अधीन, निर्यात के कोटे उस समय लम्बित कर दिए जाते हैं जब चल रहे मूल्य 15 यू० एस० सेन्ट प्रति पौंड को पार कर जाते हैं। इस समय मूल्य काफी ऊंचे स्तर पर चल रहे हैं। यदि 1981 में भी मूल्य इसी प्रकार 15 यू० एस० सेंट प्रति पौंड के स्तर से अधिक रहते हैं तो इसके फलस्वरूप 1981 में भी निर्यात के कोटे लम्बित रखने होंगे।

(ख) जी हां।

(ग) सामान्यतया इससे उपलब्धता में कमी हो सकती है। तथापि, चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के वर्तमान ऊंचे मूल्य कुछ निर्यातक देशों को उनके चीनी का निर्यात करने के प्रयास में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की उपलब्धता प्रत्याशित मूल्यों पर कम नहीं हो सकती है।

सूखाग्रस्त उड़ीसा राज्य में अनाजों के उत्पादन का लक्ष्य

*525. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश के लिए वर्ष 1980-81 के लिए उत्पादन के 1350 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य में से उड़ीसा के लिए कितना उत्पादन-लक्ष्य रखा गया है; और

(ख) उड़ीसा राज्य के फिर से सूखे की चपेट में आ जाने के कारण इस लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) योजना आयोग ने 1980-81 में उड़ीसा के लिए 66.3 लाख मीटरी टन के खाद्य उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि देश में 1350 लाख मीटरी टन खाद्य उत्पादन का लक्ष्य है।

(ख) मौसम विज्ञान सम्बन्धी रिपोर्टों से पता चलता है कि जून, 1980 के दौरान समूचे उड़ीसा में दूर-दूर तक वर्षा हुई थी जो खेती के काम के लिए अनुकूल रही। इस स्थिति से फायदा उठाकर वह राज्य निम्नलिखित उपायों के जरिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है :—

(1) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र को 1979-80 में 10 लाख हैक्टार से बढ़ाकर 1980-81 में 16.5 लाख हैक्टार करना।

(2) सिंचाई की सुविधाओं के पूरे उपयोग, उर्वरकों के अधिक प्रयोग, आदानों की पर्याप्त सप्लाई और विस्तार शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए समन्वित प्रयास करना।

(3) 22 लाख रुपये की लागत से 2200 हैक्टार क्षेत्र में चावल का एक सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम क्रियान्वित करना।

(4) दो जिलों में सघन दाल विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चल रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों के खेतों में प्रदर्शन करना, किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना; रिजोबियम कल्चर का उत्पादन करना, बीज उत्पादन की व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना और वनस्पति रक्षण के उपायों का विस्तार करना है।

विशाखापत्तनम में सहकारी चीनी कारखाने की निर्माण अवधि को बढ़ाया जाना

*526. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम जिले के कोथाकोटा में बनाये जा

रहे सहकारी चीनी कारखानों की निर्माण अवधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या चीनी की कमी को देखते हुए सरकार उक्त चीनी कारखाने को कोई वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) लाइसेंस की वैधता अवधि को 30-6-1981 तक बढ़ा दिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"कैओंस इन टेलीग्राफ आफिसेज" शीर्षक समाचार

*527. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तारघर में गड़बड़ के बारे मे दिनांक 18 जून, 1980 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उन आरोपों की कोई जांच की है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

18 जून, 1980 को नयी दिल्ली के समाचार पत्र "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच का परिणाम (संक्षिप्त रूप में)

प्रकाशित समाचार के अनुसार	प्रारम्भिक जांच का परिणाम (संक्षिप्त रूप में)
(i) मद्रास शहर के तथा अन्य स्थानों के तारघरों से हजारों तार डाक द्वारा भेजे जा रहें हैं विशेषकर मई के आरम्भ से और तार डाक से भेजने के लिए मद्रास केन्द्रीय तारघर में एक अनुभाग अलग से खोला गया है।	(i) केन्द्रीय तारघर, मद्रास में मई और जून, 1980 के महीनों में प्राप्त तारों में से क्रमशः 5.6 प्रतिशत और 4 प्रतिशत तार डाक द्वारा भेजे गये थे । केन्द्रीय तारघर, मद्रास में तारों को डाक से भेजने के लिए अलग से कोई अनुभाग नहीं खोला गया है । फिर भी यथा आवश्यक तारों

1	2
	को डाक द्वारा भेजने सम्बन्धी काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जाते हैं।
(ii) जब सर्किट या तार बाबू उपलब्ध नहीं होते हैं तब तार डाक द्वारा भेजे जाते हैं। डाक द्वारा तार भेजा जाना भी सम्बन्धित उड़ान की उपलब्धता पर आश्रित है।	(ii) डाक द्वारा तार भेजने का निर्णय प्रत्येक दिन में एकत्रित तारों और सर्किटों की उपलब्धता का पुनरीक्षण करके किया जाता है। यदि डाक द्वारा भेजना आवश्यक हो तो सम्बन्धित उड़ान की उपलब्धता पर निर्भर करता है और प्रकाशित समाचार में बताये गए कारणों से भी विलम्ब सम्भव है।
(iii) सर्किटों पर मद्रास से लखनऊ, जलंधर पटना, कलकत्ता और पुरानी दिल्ली को तार भेजने में होने वाली देरी बहुत अर्से से महसूस की जा रही है। बिजली फेल हो जाने से और अधिक देरी हो जाती है।	(iii) तथा (iv) : सर्किटों पर मद्रास से लखनऊ, जलंधर, पटना, कलकत्ता और पुरानी दिल्ली को तार भेजने में देरी होती रही है। उस हद तक कर्मचारियों की कमी तथा कुछ हद तक सर्किटों का उपलब्ध न होना इस देरी के मुख्य कारण हैं। मई और जून में 1980 के महीनों में तार बाबुओं के संवर्ग में लगभग 33 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी रही है। मई और जून, 1980 के दौरान टर्मिनलों और मध्यवर्ती स्टेशनों की उपेक्षा से प्रचालन सम्बन्धी देरी के कारण विशेषकर लखनऊ और पटना के सर्किट बहुत कम उपलब्ध हो सके थे। मद्रास से लखनऊ, जलंधर, पटना और कलकत्ता के प्रमुख सर्किट वाहक केन्द्रों के मार्ग से बनाये जाते हैं।
(iv) चिरकाल से बनी रहने वाली कर्मचारियों की कमी तथा सर्किट के बार-बार फेल हो जाने से, विशेषकर शादी के बधाई तारों के समय में स्थिति और भी सोचनीय हो जाती है। केन्द्रीय तारघर, मद्रास में लगभग 10,000 शादी के बधाई तार नित्य ही प्राप्त होते हैं।	सभी केन्द्रीय तारघरों और विभागीय तारघरों में सहायक इंजन जेनरेटर लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं। तथापि, मद्रास,

लखनऊ, जलंधर, पटना और कलकत्ता में सहायक इन्जन जेनरेटर मौजूद हैं।

पुनः कोड अंकित करके वितरण के लिए केन्द्रीय तारघर मद्रास में मई और जून, 1980 के महीनों के दौरान कुल 7738 बधाई तार प्राप्त हुए थे।

(v) डाक द्वारा भेजे गए तारों की रकम लौटा दी जानी चाहिए। यद्यपि रकम लौटाने का प्रावधान है किन्तु केवल कम्पनियां तथा संस्थान ही इसका लाभ उठा पाते हैं। जनसाधारण को इस प्रकार के प्रावधान की जानकारी भी नहीं है।

(v) भारत में एक्सप्रेस और साधारण तार बुक तथा वितरित किए जाते हैं। बुक किए गए समय से लेकर गन्तव्य कार्यालय में प्राप्त होने के समय तक एक्सप्रेस तारों के मामलों में 24 घण्टे की तथा साधारण तारों की 48 घन्टे की देरी होने पर ऐसे तारों की रकम लौटाने का प्रावधान है। साथ ही शर्त यह है कि ऐसे तारों की कीमत में से 50 पैसे काट कर रकम लौटा दी जाती है, चाहे उसे मूल कार्यालय से अथवा मध्यवर्ती स्टेशन से आंशिक या पूरी यात्रा के लिए डाक द्वारा भेजा गया हो। रकम तभी लौटाई जाती है जबकि तार भेजने वाले को तार बुक करते समय देरी होने की संभा- के बारे में न बताया गया हो।

दूरसंचार सर्किलों/जिलों में अध्यक्षों को नियम में दिए गए इन प्रावधानों का पालन करने तथा जहां भी आवश्यक हो रकम लौटाने की मंजूरी देने के निदेश दे दिए गए हैं। तारों के पारेषण और वितरण में शीघ्रता लाने तथा जहां भी रकम देय हो उसकी वापसी की मन्जूरी देने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाएंगे।

कृषि सम्बन्धी आंकड़ों की गणना 1976-77 का कार्य

*528. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 के लिए कृषि सम्बन्धी आंकड़ों की गणना का कार्य इस बीचा पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है;

(ग) इस इस प्रकार की आगामी गणना वर्ष 1980 में करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रारम्भिक कार्य किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्वास मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) कार्य का अधिकांश भाग पूरा हो गया है।

(ख) कई राज्यों के बारे में कुछ प्राथमिक रिपोर्टें प्रकाशित की गई हैं। कुछ तैयार हो रही हैं।

(ग) इस प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है।

(घ) अभी कार्य शुरू होना है।

'पाल्यू टेंटस प्लेइंग हैवक विद ताज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

*529. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 जून, 1980 के टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली संस्करण में 'पाल्यूटेंटस प्लेइंग हैवक विद ताज' (प्रदूषण से ताजमहल को भारी नुकसान) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके पूरे तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार का विचार न केवल ताज को संरक्षण देने बल्कि वातावरण को दूषित होने से बचाने और पर्यावरण सम्बन्धी खतरों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) आगरा में वातावरणीय प्रदूषण के मुख्य कारण हैं (i) दो थरमल पावर केन्द्र, (ii) रेल समाहार यार्ड और (iii) 250 अतिरिक्त ढलाई घर। पास-पड़ोस की वायु में सल्फरडायक्साइड केन्द्रीकरण का दैनिक अनुपात 7 से-42/यू० जी०/एम 3 के बीच है और सल्फर-डायक्साइड केन्द्रीयकरण का वार्षिक अनुपात 15 से 20/यू०जी०/एम3 के बीच है। प्रदूषण के उपाय करने के पश्चात् रिफाइनरी से प्रदूषण 1.0 से 2.0 यू०जी०/एम 3 तथा 65 यू०जी०/एम० 3 होगा। डा० वरदाराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 'ताजमहल' के संगमरमर पर अभी तक कोई हानि दिखाई नहीं दी है।

भारत सरकार ने प्रदूषण नियन्त्रण के उपायों की जांच तथा निरीक्षण के लिए एक उच्च

अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। यह समिति संबंधित प्राधिकरणों/अभिकरणों को निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही है :

(1) दो थरमल पावर केन्द्रों को बन्द करना;

(2) आगरा तथा आगरा केन्ट में रेल समाहार यार्ड में यात्री गाड़ियों द्वारा डीजल प्रयोग करना;

(3) ढलाई घरों को स्थानान्तरित करना;

(4) जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड, एन०ई०ई०आर०आई०, भारतीय मौसम विज्ञान तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्सर्जन स्तर का प्रबोधन।

वातावरणीय प्रदूषण तथा पर्यावरणीय खतरे को रोकने के लिए भारत सरकार शीघ्र ही वायु प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के लिए एक कानून बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

मत्स्य ग्रहण और उसका उपयोग

*530. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तट के आसपास 200 मील के उस क्षेत्र में, जिसे भारत अपना क्षेत्र होने का दावा करता है प्रति वर्ष अनुमानतः कितनी मात्रा में मछली पकड़े जाने की सम्भावना है;

(ख) इस समय कितनी मात्रा में मछली पकड़ी जाती है; और

(ग) वहां से अधिकयम मात्रा में मछली पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय तट एकमात्र आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्रीय क्षेत्र अधिनियम (1976 के अधिनियम 80) की धारा 7(1) के अंतर्गत भारत का समुद्रीय सार्वभौम क्षेत्र समुद्र तट से 200 मील तक है।

ऐसा अनुमान है कि इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 45 लाख मीटरी टन मछलियों को पकड़ना संभव है।

1978-79 में समुद्रीय मात्स्यिकी के उत्पादन का अनुमान 16.2 लाख मीटरी टन था।

(ग) उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार का निम्नलिखित कदमों को उठाने का विचार है :

(1) इन संसाधनों की खोज करने और प्रशिक्षण के लिए बेड़े में अधिक जलयानों को बढ़ाना;

(2) बड़े जलयानों के चयनात्मक आयात की अनुमति देना;

(3) देश में निर्माण किये जाने वाले बड़े जलयानों के लिए राज-सहायता देने की योजना; तथा

(4) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्यों का विवधीकरण करने और उन्हें तेज करने में सामान्यतः सहायता देना।

विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन की अनुवर्त्ती कार्यवाही

*535. श्री पी० के० कोडियन
श्री भीकू राम जैन } : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि वर्तमान विद्युत संयंत्रों में अधिक बिजली पैदा की जाए, निर्माणाधीन परियोजनाओं को जल्दी चालू किया जाए और आगामी दस वर्षों में एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या ठोस अनुवर्त्ती कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) राज्यों के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य राज्य बिजली बोर्डों का अपने प्रचालनों को आधुनिक प्रबन्ध संकल्पनाओं के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए उन्हें एक नई दिशा देना था। सम्मेलन में यह आम सहमति हुई थी कि कुछ नई योजनाएं शुरू की जाएं जैसे प्रत्येक केन्द्र के लिए सुधार एवं नवीकरण दलों का गठन करना, प्रत्येक नई या निर्माणाधीन परियोजना के लिए कार्यान्वयन संबंधी एक व्यापक समय-सूची तैयार करना तथा मुद्रा प्रवाह संबंधी परिप्रेक्ष्य तैयार करना, देश के लिए एक दीर्घकालिक विद्युत योजना तैयार करना, विभिन्न विधाओं का व्यावसायीकरण करना तथा वित्त प्रबंध में और सप्लाईकर्त्ताओं के साथ कार्य-व्यवहार में वाणिज्यिक दृष्टिकोण अपनाना आदि। निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा इस सम्मेलन में की गई थी ताकि परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन करने में बाधा डालने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके।

केन्द्रीय स्वामित्व वाले राष्ट्रीय ग्रिड की संकल्पना के संबंध में सभी राज्यों की जो आम सहमति थी उसमें पारेषण में केन्द्रीय सरकार की भूमिका को मान्यता दी गई। राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के लिए सम्मेलन में कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं की गई थी क्योंकि राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण और विकास करना, इसके स्वरूप के अनुसार ही, एक क्रमिक और सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार इस संबंध में उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था करने सम्बन्धी कार्यवाही कर रही है।

आगामी सप्ताहों में उपर्युक्त सभी मामलों पर, अलग-अलग राज्य बिजली बोर्ड के साथ विस्तारपूर्वक अनुवर्त्ती विचार-विमर्श किया जाना है क्योंकि अपेक्षित कई सुधारों का क्रियान्वयन सीधे राज्य प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार में आता है।

कडी मास्टर प्लान के लिए वित्तीय सहायता

*536. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निचले मयूरक्षी नदी के बेसिन में बाढ़ की भारी सम्भावना वाले कन्डी क्षेत्र में बाढ़ से बचाव और बाढ़ नियन्त्रण के लिये 'कंडी प्लान' को क्रियान्वित करने हेतु किसी वित्तीय सहायता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कंडी मास्टर प्लान के लिये कुल कितनी लागत का अनुमान लगाया गया है और कितनी धनराशि की सहायता की मांग की गई है; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार के इस अनुरोध पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुमान लगाया है कि कंडी क्षेत्र एकीकृत बाढ़ निमंत्रण एवं जल-निकास स्कीम, चरण—एक पर 51.50 करोड़ रुपए की लागत आयेगी।

उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए मांगी गई सहायता की राशि और उसके बारे में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कम्प्यूटर से बिल बनाने का काम

*538. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 22 जून, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "डेसू कम्प्यूटर बिलिंग टू स्टे, नौ मैटर इफ कंजूमर्स सफर" (दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कम्प्यूटर बिल बनाने का काम जारी रहेगा चाहे उपभोक्ताओं को कठिनाई उठानी पड़े) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कम्प्यूटर से बनाए गए लगभग 90 प्रतिशत बिल गलत होते हैं और प्रतिवर्ष उनको पुनः बनाए जाने के लिए लौटाया जाता है;

(ग) एक चक्र के लिए कम्प्यूटर द्वारा बिल बनाने में बम्बई की कम्प्यूटर फर्म को दिए जाने वाले शुल्क इस प्रक्रिया में आंकड़े और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों को बम्बई भेजने का खर्च और अन्य प्रासंगिक खर्च सहित अनुमानतः कितना खर्च आता है;

(घ) क्या प्राधिकृत बैंकों में जमा किए गए बिलों की राशि को उपभोक्ता के हिसाब में जमा करने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं; और

(ङ) इस स्थिति को ठीक करने और राजधानी में परेशान, उपभोक्ताओं को अपेक्षित राहत देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए गए बिलों में से लगभग 10% बिलों को बाद में हाथ से ठीक करना पड़ा है।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि बिल तैयार करने के एक पूर्ण चक्र के लिए कम्प्यूटर फर्म को 1.22 लाख रुपये प्रतिमास का भुगतान किया जाता है तथा इस कार्य के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के किसी अधिकारी को बम्बई नहीं भेजना पड़ता।

(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के केन्द्रीय रोकड़ संग्रह कार्यालय को बिलों के प्रतिपर्ण (काउंटर फायल) भेजने में बैंकों से कुछ देरी हुई है।

उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव है कि बिजली उपभोग के प्रभार के बिलों की एसूली, बैंकों के जरिए करने की स्कीम त्याग दी जाए तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के रोकड़ संग्रह केन्द्रों के जरिए वसूली करने की पुरानी पद्धति फिर अपनाई जाए। बैंकों के जरिए होने वाली वसूली दिल्ली विद्युत प्रदाय प्रंस्थान द्वारा की जाने वाली कुल वसूली का 4 से 5% ही बैठता है।

(ङ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को निदेश दिए गए हैं कि स्टाफ का सहयोग सुनिश्चित करते हुए तथा बिल बनाने की पद्धति में सुधार लाने के लिए 'मास्टर डेटा' में आवश्यक परिशोधन करके कम्प्यूटर द्वारा बिल बनाने की पद्धति के स्थिरीकरण के लिए शीघ्रता से कदम उठाएं। अपने जिला कायालयों में जनता की शिकायतें शीघ्र से दूर करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा कदम उठाए गए हैं।

उड़ीसा सीमेंट द्वारा साहू केमिकल्स का अधिग्रहण

*539. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सीमेंट के प्रबन्धक वाराणसी (उ०प्र०) स्थित साहू केमिकल्स का प्रबंध भी अपने हाथ में ले रहे है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मामला सरकार के विचाराधीन है ?

विधि तथा न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) मैं० न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड से सम्बन्धित 'साहू केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स' नामक एक एकक को खरीदकर अपने अधिकार में लेने के उनके प्रस्ताव के लिये, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये, मैं० उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड से, एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) हां श्रीमान् जी।

काहलगांव में ताप बिजली घर

*544. **श्री सूरज भान :** क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ताप बिजली निगम निर्माण सेवाएं विभाग द्वारा पेश की गई दिनांक 21 जुलाई, 1969 को संयुक्त जांच रिपोर्ट और काहलगांव सुपर ताप बिजली घर की दिनांक 30 जुलाई, 1979 को योजना रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया है;

(ख) क्या सरकार ने इन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए काहलगांव में एक सुपर ताप बिजली घर के निर्माण का निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसकी क्षमता कितने मेगावाट होगी और उसका कार्य कब आरम्भ हो जाएगा ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के निर्माण सेवा विभाग ने तारीख 21 जुलाई, 1979 को कोई संयुक्त जांच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है। कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र के बारे में तारीख 30 जुलाई, 1979 की कोई आयोजना रिपोर्ट भी सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ख) जैसा कि ऊपर कहा गया है, उपर्युक्त रिपोर्टें सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को अलग से कहा है कि कहलगांव में एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करें।

(ग) इस समय, लगभग 3,000 मेगावाट की चरम क्षमता के आधार पर परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह क्षमता सोपानबद्ध रूप में प्रतिष्ठापित की जाएगी। तथापि स्थल की अन्तिम क्षमता, कोयले की उपलब्धता पर तथा अन्य तकनीकी पैरामोटरों पर निर्भर होगी।

परियोजना को व्यवहार्यता रिपोर्ट दिसम्बर, 1980 तक पूरी हो जाने की संभावना है, बशर्ते कि कोयले की सोपानबद्ध उपलब्धता पहले से मालूम हो। व्यवहार्यता रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति देने का काम हाथ में लिया जाएगा। अतः इस समय यह बता सकना सम्भव नहीं है कि इस परियोजना पर कार्य किस समय तक शुरू हो जाएगा।

चलचित्रों पर मनोरंजन-कर की समाप्ति

*545. श्री राम विलास पासवान : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण भारत (गैर-हिन्दी भाषी राज्यों) में हिन्दी चलचित्रों पर से और हिन्दी-भाषी राज्यों में गैर-हिन्दी चलचित्रों पर से मनोरंजन कर समाप्त करने का है; और

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि इससे राष्ट्रभाषा के विकास में मदद मिलेगी ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) मनोरंजन-कर राज्य-विषय है। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को यह जानकारी नहीं है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार के विचाराधीन है या नहीं। तथापि, यह कहना कठिन है कि इस प्रकार का प्रोत्साहन राष्ट्रीय भाषा के विकास में कैसे सहायक होगा।

निवास स्थान बदले जाने के बाद गैस कनेक्शन न दिया जाना

*546. श्री अनवर अहमद : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निवास स्थान बदले जाने की स्थिति में पंजीकृत व्यक्तियों को गैस कनेक्शन, जिसके लिए उनका नाम प्रतीक्षा सूची में वर्षों तक रखा गया था, नहीं दिए जाते हैं;

(ख) क्या मूल आवेदकों के नाम स्वीकृत ऐसे गैस कनैक्शन उन्हें दिए जाने के बजाए व्यापारियों द्वारा काला बाजार में बेच दिये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कदाचारों को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी कि मूलतः पंजीकृत व्यक्तियों को ही उनके निवास स्थान बदले जाने के बाद भी कनेक्शन दिए जाएं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह बताना सम्भव नहीं है कि क्या इस कारण डीलरों द्वारा कालाबाजारी होती है।

(ग) वर्तमान पद्धति के अनुसार किसी भी डीलर के पास पंजीकृत व्यक्ति और प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्ति को अपने निवास स्थान बदलने के बारे में उक्त डीलर को सूचित करना होता है और उनकी बारी आने पर कनेक्शन दिये जाते हैं। यदि ये व्यक्ति अपनी बारी पर गैस कनेक्शन प्राप्त नहीं करते हैं, तो उनके नाम नये गैस कनैक्शन देने के लिए विचार किये जाते हैं, बशर्ते कि तेल कम्पनी नये कनेक्शन देने की स्थिति में है।

औद्योगिक अल्कोहल की कीमतों में वृद्धि

*547. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल**
श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल } : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी०आई०सी०पी० (औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो) ने मार्च, 1979 में पेश किये गए अपने प्रतिवेदन में औद्योगिक अल्कोहल की कीमतों में वृद्धि की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो बी०आई०सी०पी० की उक्त सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है और औद्योगिक अल्कोहल की कीमतों के पुनरीक्षण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) सम्बद्ध उद्योगों को राहत देने की दृष्टि से औद्योगिक अल्कोहल की कीमत के शीघ्र पुनरीक्षण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार औद्योगिक अल्कोहल की कीमतों को पुनरीक्षण करते समय बी०आई०सी०पी० के उपरोक्त प्रतिवेदन के प्राप्त होने के बाद हुई मुद्रास्फीति को ध्यान में रखने का है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बी. आई. सी. पी. की सिफारिश विचाराधीन हैं।

(घ) जी, हां।

'नार्थ बिहार रिवर्स इनस्पेट' शीर्षक समाचार

*548. **श्री पीयूस तिरकी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिनांक 23 जून, 1980 में 'मेवरल नार्थ बिहार रिवर्स इनस्पेट' (उत्तरी बिहार की अनेक नदियों में बाढ़) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य प्राधिकारियों की सहायता के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) और (ख) उत्तर बिहार में बाढ़ें आई हैं, लेकिन वे निम्न से मध्यक तीव्रता वाली बाढ़ें थीं, और बाढ़ के स्तर खतरे के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं।

केन्द्रीय सरकार ने एक केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की है जो विभिन्न नदियों में आने वाली बाढ़ों की पूर्व-सूचना देकर राज्यों को बाढ़ का सामना करने में बहुमूल्य सहायता देता है। इस सेवा के अन्तर्गत उत्तर बिहार की बाढ़-प्रवण नदियां भी शामिल हैं। बिहार में नेपाल से आने वाली नदियों के बारे में बाढ़-पूर्वानुमान लगाने की व्यवस्था में सुधार लाने और उसका आधुनिकीकरण करने के प्रबन्ध करने के लिए केन्द्रीय सरकार नेपाल सरकार के साथ भी बातचीत कर रही है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि फसलों को क्षति पहुंचने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

विश्व बैंक द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दी गई राशि

*549. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विश्व बैंक ने अब तक कुल कितनी राशि का ऋण दिया है;

(ख) उस पर किस दर से ब्याज लिया गया; और

(ग) उक्त ऋण के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) भारत में ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के वित्त व्यवस्था हेतु भारत सरकार ने विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ) के साथ दो ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं—23 जुलाई, 1975 को हस्ताक्षर किया गया 57 मिलियन अमरीकी डालर का आई. डी. ए. ऋण सं० 572 आई. एन. तथा 21 जून, 1979 को हस्ताक्षर किया गया 175 मिलियन अमरीकी डालर का आई. डी. ए. ऋण सं० 911-आई. एन. भागीदार राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्राप्त की गई सामग्री तथा प्रस्तुत किए गए दावों के आधार पर विश्व बैंक प्रतिपूर्ति करता है। 12 जून, 1980 तक विश्व बैंक ने आई. डी. ए. ऋण सं० 575-आई. एन. के अन्तर्गत कुल 48.774 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की प्रतिपूर्ति की है। आई. डी. ए. ऋण सं० 911-आई. एन. के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति अभी शुरू होनी है।

(ख) कोई ब्याज नहीं लिया जाता, परन्तु भारत सरकार को इन ऋणों पर निकाली

गई ऋण राशि के मूलधन पर तथा समय-समय पर बकाया राशि पर 1% प्रतिवर्ष का 3/4 की दर से सेवा प्रभार विश्व बैंक (आई. डी. ए.) को देना होता है।

(ग) आई. डी. ए. ऋण सं० 572-आई. एन. के अन्तर्गत सामग्री प्राप्त करने के लिए दिए गये आर्डरों के मूल्य का तथा 12 जून, 1980 तक प्राप्त हुई प्रतिपूर्ति का राज्यवार ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है। आई. डी. ए. ऋण सं० 911-आई. एन. के अन्तर्गत किया गया राज्यवार आबंटन (अनन्तिम) विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

आई. डी. ए. ऋण संख्या 572-आई. एन. के अन्तर्गत सामग्री प्राप्त करने के लिए दिए गए आर्डरों के मूल्य का तथा विश्व बैंक से प्राप्त हुई प्रतिपूर्ति की राशि का राज्यवार ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य बिजली बोर्डों के नाम	दिए गए आर्डरों का मूल्य	विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की गई ऋण राशि (मिलियन डालर में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.188	3.363
2.	असम	2.888	2.752
3.	बिहार	12.653	11.355
4.	गुजरात	2.338	2.496
5.	कर्नाटक	4.697	4.797
6.	केरल	1.565	1.277
7.	महाराष्ट्र	2.577	1.738
8.	मध्य प्रदेश	7.419	6.150
9.	उड़ीसा	2.039	1.391
10.	पंजाब	2.725	2.945
11.	राजस्थान	2.541	2.760
12.	तमिलनाडु	5.131	5.198
13.	पश्चिम बंगाल	6.979	1.552
	जोड़	58.740	48.774

विवरण-2

175 मिलियन अमरीकी डालर के आई. डी. ए. ऋण संख्या 911-आई. एन. का राज्यवार अनन्तिम आवंटन

(अमरीकी मिलियन डालर में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	आवंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	13.12
2.	असम	2.88
3.	बिहार	15.34
4.	गुजरात	10.92
5.	कर्नाटक	8.16
6.	केरल	3.68
7.	महाराष्ट्र	15.81
8.	मध्य प्रदेश	21.40
9.	उड़ीसा	5.23
10.	पंजाब	9.60
11.	राजस्थान	11.82
12.	तमिलनाडु	12.35
13.	उत्तर प्रदेश	22.25
14.	पश्चिम बंगाल	15.44
	जोड़	168.00
	जोड़	168 मिलियन अमरीकी डालर
	कीमत में वृद्धि के लिए व्यवस्था	4.00 ,,
	पायलट परियोजना तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए व्यवस्था	3.00 ,,
	जोड़	175.00 मिलियन ,,

हार्ड-कोक निर्माता संघ के लिए विशेष परमिट

*550. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक हार्ड कोक निर्माता संघ को 4000 टन कोयले का विशेष परमिट दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 4 लाख टन के लिए एक ऐसा ही परमिट निरशा हार्ड-कोक निर्माता संघ को भी दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मालदा जिले में लोगों के एक ग्रुप को दिये गये कोयला परमिटों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) हार्ड कोक बनाने वाले जिन लघु उद्योगपतियों को कोयले की कमी महसूस होती रही है उसकी लगातार मांग को पूरा करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल और मई, 1980 में धनबाद और निरसा के प्रत्येक हार्ड कोक निर्माता को उसके एसोसिएशन की मार्फत 40,000 टन कोयला दिया है।

(ङ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में खान मुहानों पर विशाल स्टाक होने तथा पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में कोयले की कमी को ध्यान में रखते हुए कोल इंडिया लिमिटेड पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को जिले के कोयला उपभोक्ताओं में वितरण के लिए एक निश्चित मात्रा में कोयला देती रही है। अक्टूबर, 1979 और मई, 1980 के बीच पश्चिम बंगाल राज्य के जिला मजिस्ट्रेटों की मार्फत विवरण के लिए कुछ 3,47,000 टन कोयला दिया गया। इसमें से मालदा जिले को दिसम्बर, 1979 में 14,000 टन और मार्च, 1980 में 1500 टन कोयला दिया गया। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न उपभोक्ताओं के अनुरोध पर, हर मामले में आवश्यकता और स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल के विभिन्न उपभोक्ताओं को लगभग 3,74,000 टन कोयला भी दिया गया था जिसमें से मालदा जिले के उपभोक्ताओं को लगभग 36,000 टन कोयला आवंटित किया गया था।

पीने का पानी

3986. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि बीकानेर जिले की लूणकरंणसर और कोलयर तहसील के सैकड़ों गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या उन गांवों में डीजल इन्जन खराब पड़े हैं, जहां पानी की सप्लाई लिफ्ट कैनल स्कीम के माध्यम से की जाती है और बिजली की समय पर सप्लाई न होने के कारण मिठिरा, केशरदेशर, बड़ाबांस, सिक्खसर, पचरों गांवों में भारी आतंक है; और

(ग) इस क्षेत्र में पानी सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) पेय जल की व्यवस्था करना राज्य का विषय है। तथापि, त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार उन गांवों को पीने का पानी मुहैया करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देती है जहां पीने के पानी की समस्या अपेक्षाकृत अधिक विकट है।

छठी योजना (1980-85) के दौरान मौजूदा लक्ष्य सभी समस्याग्रस्त गांवों को पेय जल मुहैया करने का है।

राजा महेन्द्र प्रताप का स्मारक

3987. **श्री दिगम्बर सिंह : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री चरण सिंह ने प्रधान मन्त्री के रूप में अपने मथुरा दौरे के समय कहा था कि केन्द्रीय सरकार महान क्रान्तिकारी देश भक्त राजा महेन्द्र प्रताप का स्मारक बनाने के काम में सहायता करेगी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश के प्रेरणा स्रोत और देश से बाहर बनाई गई भारत की प्रथम स्वाधीन सरकार के प्रवर्तक राजा महेन्द्र प्रताप का स्मारक बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और स्मारक कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सरकार को ऐसे विवरण की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राजा महेन्द्र प्रताप का स्मारक बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित वायरलैस इन्सपैक्टरों की परीक्षा का परिणाम

3988. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश ने किसी समय दिसम्बर 1979 में अपने सर्किल के कुछ वायरलैस इन्सपैक्टरों का चयन करने के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम अभी तक प्रकाशित घोषित नहीं किया गया;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो परिणाम प्रकाशित करने में इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) परिणाम कब तक प्रकाशित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, हां ।

(ख) परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) मूल्यांकन के बाद उत्तर पुस्तकें अभी तक परीक्षक से प्राप्त नहीं हुई हैं क्योंकि वह चिकित्सा आधार पर 24-7-80 तक छुट्टी पर हैं। परिणाम यथा सम्भव शीघ्र घोषित कर दिया जाएगा ।

तेल की अनुपलब्धता के कारण बेकार पड़ी मत्स्य नौकाएं

3989. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से शिक्षित युवकों ने पश्चिमी तट पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नौकाएं (ट्रालर्स) खरीदी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति कितने हैं;

(ग) क्या कुछ मत्स्य-नौकाएं तेल की अनुपलब्धता के कारण बेकार पड़ी हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को इनकी मत्स्य नौकाओं के लिए तेल दिलवाने में सहायता करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

गाय के मांस, भेड़ के मांस, सूअर के मांस, मुर्गे और मेंढक के मांस में पोषक तत्व

3990. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय गाय के मांस, भेड़ के मांस, सूअर के मांस, मुर्गे और मेंढक के मांस में पोषक-तत्वों की मात्रा कितनी होती है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है और सम्बन्धित स्रोतों से एकत्र की जा रही है । जानकारी प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली और अजमेर (राजस्थान) के बीच एस० टी० डी० सेवा

3991. **श्री भगवान देव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान दिल्ली से एस० टी० डी० सेवा के अन्तर्गत जोड़े जाने वाले नगरों में राजस्थान का अजमेर नगर भी एक है;

(ख) यदि हां, तो इस नगर को दिल्ली से कब तक जोड़ दिए जाने की आशा है; और

(ग) यदि नहीं, तो किसी नगर को एस० टी० डी० सेवा के अन्तर्गत जोड़े जाने के मानदण्ड क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं ।

(ख) लागू नहीं होता ।

(ग) एस० टी० डी० सुविधा देने के लिए मानदण्ड निम्नलिखित हैं :—

(i) राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ना ।

(ii) जिला मुख्यालयों को सम्बन्धित राज्यों की राजधानियों से जोड़ना ।

(iii) दिल्ली से 300 कि० मी० और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से 200 कि० मी० की अरीय दूरी के अन्तर्गत पड़ने वाले जिला मुख्यालयों को सम्बन्धित महानगरीय केन्द्रों से जोड़ना ।

(iv) यातायात के आधार पर जिन अन्य मार्गों का औचित्य बनता है (प्रतिदिन प्रतिमार्ग, पर 100 करचल कालों को न्यूनतम माना गया है) ।

पश्चिम बंगाल में रात को तथा 24 घन्टे खुले रहने वाले डाकघर

3992. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में ऐसे शहरों/नगरों की संख्या कितनी है जहां रात्रि डाकघर काम कर रहे हैं और दिन-रात खुले रहने वाले डाकघरों के नाम क्या-क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : पश्चिम बंगाल के नगरों/कस्बों में रात्रि डाकघरों की कुल संख्या 10 है जिसमें से 5 कलकत्ता में ही हैं । इस प्रकार का कोई डाकघर नहीं है जिसे 24 घण्टे खुला रखा जाता हो ।

टेहरी गढ़वाल में पोस्ट मास्टर द्वारा डाकिये के कर्तव्य पूरे किये जाना

3993. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल जिले में ऐसे भी कुछ डाकघर हैं जहां स्वयं पोस्ट मास्टर डाकिये के कर्तव्य पूरे करता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डाकघर कितने हैं;

(ग) क्या पोस्ट मास्टर स्वयं ही गांव-गांव जाकर डाक बांटते हैं; और

(घ) क्या सरकार को उनके विरुद्ध कोई शिकायत मिली हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां । कुछ विभागोत्तर शाखा डाकघरों में वितरण कार्य शाखा पोस्ट मास्टरों को सौंपा जाता है ।

(ख) इस प्रकार के डाकघरों की संख्या 5 है ।

(ग) जी हां ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गेहूं और धान की प्रति हैक्टेयर उत्पादन लागत

3994. **श्री बालासाहब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के डेल्टा जिले में, पंजाब के नहर सिंचित क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के असिंचित क्षेत्रों में धान और गेहूं का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन कितना है;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित तीन क्षेत्रों में विभिन्न व्यय शीर्षों के अन्तर्गत धान और गेहूं की प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन लागत कितनी है; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक तीन क्षेत्रों में गत प्रत्येक तीन वर्ष के दौरान किसान को प्रति हैक्टेयर औसत शुद्ध आय कितनी हुई ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) आंध्र प्रदेश के डेल्टा जिलों में, जिनमें, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुन्टूर तथा प्रकाशम जिले शामिल हैं, चावल की प्रति हैक्टार औसत पैदावार 1976-77 में 1450 किलोग्राम, 1977-78 में 1591 किलोग्राम तथा 1978-79 में 2052 किलोग्राम थी। उत्तर प्रदेश के असिंचित क्षेत्र में चावल की प्रति हैक्टार पैदावार 1976-77 के पतझड़ मौसम 841 किलोग्राम तथा शरद मौसम में 755 किलोग्राम, 1977-78 के पतझड़ मौसम में 934 किलोग्राम तथा शरद मौसम में 949 किलोग्राम और 1978-79 के पतझड़ मौसम में 1062 किलोग्राम तथा शरद मौसम में 1030 किलोग्राम रही है। उत्तर प्रदेश के असिंचित क्षेत्र में गेहूं की प्रति हैक्टार पैदावार 1976-77 में 849 किलोग्राम 1977-78 में 975 किलोग्राम तथा 1978-79 में 1040 किलोग्राम रही है। पंजाब में चावल तथा गेहूं की 90 प्रतिशत से अधिक फसलों को सिंचाई की सुविधा मिलती है। अतः सिंचित तथा असिंचित फसलों से सम्बन्धित प्रति हैक्टार पैदावार के अनुमान अलग से उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार नहरों से सिंचित क्षेत्र, नलकूप से सिंचित क्षेत्र आदि के बारे में प्रति हैक्टार पैदावार से सम्बन्धित आंकड़े प्राप्त करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सिंचित क्षेत्रों से प्राप्त हैक्टार पैदावार को दिखाने के लिए समूचे क्षेत्रों की संयुक्त पैदावार ली जा सकती है। पंजाब में चावल के मामले में प्रति हैक्टार पैदावार 1976-77 में 2583 किलोग्राम, 1977-78 में 3001 किलोग्राम तथा 1978-79 में 2918 किलोग्राम रही है। पंजाब में गेहूं की प्रति हैक्टार पैदावार 1976-77 में 2432 किलोग्राम, 1977-78 में 2538 किलोग्राम तथा 1978-79 में 2715 किलोग्राम रही है।

(ख) प्रमुख फसलों की खेती की लागत के अध्ययन हेतु वृहत योजना के तहत प्रमुख फसलों की खेती/उत्पादन की लागत के अनुमान समूचे राज्य सरकार के लिए लगाए जाते हैं। आकड़े वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार बिना किसी पूर्व तैयारी के चुने गए आदर्श कृषि करने वाले किसानों से इकट्ठे किये जाते हैं। इस नमूना डिजाइन में प्रश्न के भाग (क) में दिए गए इलाकों के लिये अलग से अनुमान नहीं दिये जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली और अन्य शहरों के बीच सीधी टेलीफोन सेवा

3995. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शहरों के राज्यवार नाम क्या हैं जिनके साथ अगले तीन वर्षों में वर्षवार

दिल्ली से सीधी टेलीफोन सेवा प्रारम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है तथा दिल्ली से और दिल्ली के लिए सीधी टेलीफोन सेवा के उनके लिए कोड नम्बर क्या होंगे;

(ख) अब तक किन-किन शहरों को सीधी टेलीफोन सेवा द्वारा दिल्ली से जोड़ा गया है और दिल्ली से तथा दिल्ली के लिए सीधी टेलीफोन सेवा के उनके कोड नम्बर क्या-क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्यवार किन-किन शहरों को सीधी टेलीफोन सेवा द्वारा दिल्ली से जोड़ा गया है और दिल्ली से तथा दिल्ली के लिए सीधी टेलीफोन सेवा के उनके कोड नम्बर क्या-क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) आगामी तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के साथ जिन नगरों को जोड़ा जाना है उनके कोड नं० नीचे दिये जा रहे हैं :—

क्रम सं०	स्थान (राज्य) का नाम जिसे एस० टी० डी० पर दिल्ली से जोड़ा जाना है	दिल्ली से बहिर्गामी एस० टी० डी कोड नम्बर	दिल्ली को आवक एस० टी० डी० कोड नम्बर
	1980-81 संस्थापन कार्यक्रम		
1.	अल्लेपी (केरल)	0477	011
2.	बाराकर (पश्चिम बंगाल)	03446	011
3.	बेल्लारी (कर्नाटक)	08392	011
4.	बर्नपुर (पश्चिम बंगाल)	03448	011
5.	कूमूर (तमिलनाडु)	04264	011
6.	कन्नानोर (केरल)	0497	011
7.	ईरोडे (तमिलनाडु)	0424	011
8.	काकीनाडा (आन्ध्र)	0884	011
9.	कोट्टायम (केरल)	0481	011
10.	नियामतपुर (पश्चिम बंगाल)	03445	011
11.	राजकोट (गुजरात)	0281	011
12.	बड़ौदा (गुजरात)	0265	011
13.	देवनगिरी (कर्नाटक)	0819	011
14.	मैसूर (कर्नाटक)	0821	011
15.	मंगलौर (कर्नाटक)	0824	011
16.	शिमोगा (कर्नाटक)	08182	011
17.	उदीपि (कर्नाटक)	08252	011
18.	रायबरेली (उ० प्र०)	0535	011
19.	लुधियाना (पंजाब)	973	011
20.	आसनसोल (पश्चिम बंगाल)	0341	011
21.	रांची (बिहार)	0651	011

1	2	3	4
22.	ग्वालियर (म० प्र०)	976	91
1981-82 संस्थापन कार्यक्रम			
1.	बरेली (उ० प्र०)	0581	011
2.	शाहजहांपुर (उ० प्र०)	0584	011
3.	मुरादाबाद (उ० प्र०)	0591	011
4.	रामपुर (उ० प्र०)	05952	011
5.	धनबाद (बिहार)	0326	011
6.	रांची (बिहार)	0651	011
7.	दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)	0343	011
8.	हलदिया (पश्चिम बंगाल)	03224	011
9.	वर्दवान (पश्चिम बंगाल)	0342	011
10.	सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	0353	011
1982-83 संस्थापन कार्यक्रम			
1.	अमरावती (महाराष्ट्र)	0721	011
2.	सूरत (गुजरात)	0261	011
3.	पटियाला (पंजाब)	0175	011
4.	अबोहर (पंजाब)	0147	011
5.	बड़ौदा (गुजरात)	0265	011
6.	हुबली (कर्नाटक)	0836	011
7.	तिरुपती (आन्ध्र)	08574	011
8.	वेल्लौर (तमिलनाडु)	0416	011
9.	उन्नाव (उ० प्र०)	05152	011
10.	राउरकेला (उड़ीसा)	0661	011

(ख) 1-7-1980 को जिन शहरों को दिल्ली से एस० टी० डी० सेवा उपलब्ध है उनके नाम (एस० टी० डी० कोड सहित) नीचे दिए जा रहे हैं :—

क्रम सं०	स्थानों का नाम	दिल्ली से बहिर्गामी एस० टी० डी० कोड नम्बर	दिल्ली को आवक एस० टी० डी० कोड नम्बर
1.	आगरा	0562	011
2.	अहमदाबाद	975	011
3.	अलीगढ़	054	91
4.	इलाहाबाद	0532	011

1	2	3	4
5.	अलवर	981	911
6.	अम्बाला	0171	011
7.	अमृतसर	9183	911
8.	अराह	06182	011
9.	बंगलौर	0812	011
10.	बेलगांव	0831	011
11.	भटिंडा	0164	011
12.	भिवानी	974	911
13.	भोपाल	977	91
14.	बम्बई	022	011
15.	भुवनेश्वर	0674	011
16.	बुलन्दशहर	955	91
17.	कलकत्ता	033	011
18.	कालीकट	0495	011
19.	चंडीगढ़	0172	011
20.	छपरा	06152	011
21.	कोयम्बतूर	0422 (रात्रि सेवा)	011
22.	कटक	0671	011
23.	दरभंगा	06272	011
24.	देहरादून	935	91
25.	दिसपुर (गौहाटी)	0361	911
26.	एर्नाकुलम	0484 (रात्रि सेवा)	011
27.	गांधीनगर	92729	91
28.	गंगटोक	0359	011
29.	गुड़गांव	9227	911
30.	हापुड़	9122	911
31.	हिसार	983	911
32.	हैदराबाद	0842	011
33.	इंदौर	978	011
34.	जयपुर	914	911
35.	जम्मू	191	911
36.	जमशेदपुर	0657	011
37.	जोधपुर	986	911
38.	जालंधर	0181	011
39.	कानपुर	951	911

1	2	3	4
40.	करनाल	984	91
41.	खड़गपुर	0321	011
42.	कोहिमा	0386	011
43.	कोसी कलां	05662	011
44.	लखनऊ	952	911
45.	लुधियाना	0161 (रात्रि सेवा)	011
46.	मद्रास	044	011
47.	मदुरै	0452 (रात्रि सेवा)	011
48.	मेरठ	913	911
49.	मोदीनगर	9223	911
50.	मुरादाबाद	985	91
51.	मसूरी	93585	891
52.	मुजफ्फरनगर	956	91
53.	मुजफ्फरपुर	0621	011
54.	नागपुर	0712 (रात्रि सेवा)	011
55.	पानीपत	933	011
56.	पंजिम	0832	011
57.	पटना	972	911
58.	पुणे	0212	011
59.	क्वीलोन	0474	011
60.	रोहतक	932	911
61.	सहारनपुर	982	911
62.	सलेम	0427	011
63.	समस्तीपुर	06274	011
64.	शिलांग	0364	011
65.	शिमला	9177	911
66.	सोनीपत	9226	911
67.	श्रीनगर	9194	911
68.	सूरत	0261	011
69.	तिरुचिरापल्ली	0431 (रात्रि सेवा)	011
70.	त्रिवेन्द्रम	0471	011
71.	वाराणसी	0542	011
72.	सासाराम	06184	011

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एस० टी० डी० पर दिल्ली के साथ जोड़े गये स्थानों की सूची नीचे दी जा रही है :—

स्थान	चालू होने का वर्ष	दिल्ली से बहिर्गामी कोड	दिल्ली को आवक कोड
हैदराबाद (आन्ध्र)	1977-78	0842	011
अम्बाला (पंजाब)	1977-78	0171	011
भुवनेश्वर (उड़ीसा)	1977-78	0674	011
कोहिमा (नागालैंड)	1977-78	0386	011
इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	1977-78	0532	011
जोधपुर (राजस्थान)	1977-78	986	91
बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)	1977-78	955	91
इन्दौर (मध्य प्रदेश)	1977-78	978	91
मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)	1977-78	956	91
हिसार (हरियाणा)	1977-78	983	91
वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	1978-79	0542	011
कटक (उड़ीसा)	1978-79	0671	011
जमशेदपुर (बिहार)	1978-79	0657	011
खड़गपुर (प० बं०)	1978-89	0321	011
पंजिम (गोवा)	1978-79	0832	011
पुणे (महाराष्ट्र)	1978-79	0212	011
मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	1978-79	985	91
सासाराम (बिहार)	1979-80	06184	011
छपरा (बिहार)	1979-80	06152	011
दरभंगा (बिहार)	1979-80	06272	011
समस्तीपुर (बिहार)	1979-80	06274	011
मुजफ्फरपुर (बिहार)	1979-80	0624	011
आरहि (बिहार)	1979-80	06162	011
कोसीकलां (उत्तर प्रदेश)	1979-80	05662	011
क्वीलोन (केरल)	1979-80	0474	011

विकास प्राधिकरण

3996. श्री रामावतार शास्त्री : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण भारतवर्ष में 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के वर्षों के दौरान कुल कितने विकास अधिकारी (पी. एल. आई.) नियुक्त थे;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कुल कितना बिजनस प्राप्त किया गया; और

(ग) यदि आंकड़े यह उचित ठहराते हैं कि वर्ष प्रति वर्ष कुल बिनस में सतत वृद्धि होती जा रही है, तो पदावधि आधार पर विकास अधिकारियों के वर्तमान केडर के बदले में विकास अधिकारी (पी. एल. आई.) का एक पृथक स्थायी केडर बनाने में क्या कठिनाई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) :

(क) 1977-78=94
1978-79=124
1979-80=164

(मार्च 1980 में 40 नए पदों का सृजन किया गया था)

(ख) 1977-78 =32,03,63,800 रुपए
1978-79=56,54,82,700 रुपए
1979-80= 68,45,09,000 रुपए (अनन्तिम)

(ग) विकास अधिकारियों की वर्तमान संख्या के आधार पर अलग स्थायी संवर्ग के सृजन का औचित्य नहीं ठहरता ।

धान और गेहूं की प्रति एकड़ उपज की तुलना

3997. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में धान और गेहूं की प्रति एकड़ औसत उपज में अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) वर्ष 1976, 1977 तथा 1978 के दौरान भारत तथा प्रमुख उत्पादक देशों में धान तथा गेहूं की प्रति हैक्टार पैदावार निम्नलिखित है :

प्रति हैक्टार पैदावार
(किलोग्राम)

देश	1976	1977	1978
	धान		
भारत	1637	1963	2008
बंगलादेश	1784	1939	1890
बर्मा	1799	1945	2019
चीन	3518	3519	3534
जापान	5503	6166	6250
पाकिस्तान	2347	2330	2551

देश	प्रति हैक्टार पैदावार (किलोग्राम) 1976	1977	1978
	गेहूं		
भारत	1410	1387	1480
कनाडा	2096	1963	1999
पाकिस्तान	1422	1431	1305
अमरीका	2036	2061	2128
रूस	1629	1483	1920

(ख) विश्व के प्रमुख धान उत्पादक देशों की तुलना में भारत में चावल की प्रति हैक्टार पैदावार बंगलादेश तथा वर्मा के समान ही है। देश के पंजाब आदि कुछ क्षेत्रों में प्रति हैक्टार पैदावार लगभग 4500 किलोग्राम तक है। परन्तु राष्ट्रीय आधार पर देखा जाए तो उपज जापान व चीन, आदि की तुलना में कम है। भारत में धान की पैदावार कम होने का कारण यह है कि यहां उसकी खेती वर्षा व मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर है। धान की खेती का लगभग 40% भाग जल-मग्न हैं, जिससे उत्पाद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऊंचान वाली भूमि में (जो धान के क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत है) धान की खेती अनियमित एवं अपर्याप्त मानसून के कारण नमी से प्रभावित होती है।

विश्व के गेहूं पैदा करने वाले विभिन्न देशों के विषय में उत्पादकता की तुलना करना ठीक नहीं है क्योंकि कनाडा, अमरीका तथा रूस आदि देशों में गेहूं शरद कालीन फसल के रूप में पैदा होता है, जिसकी अवधि भी लम्बी होती है और उस 'मौनों क्राप' के रूप में उगाया जाता है। उनकी मौसम सम्बन्धी आवश्यकताएं भारत में पैदा होने वाले गेहूं से भिन्न हैं। भारत में गेहूं की पैदावार का स्तर प्रायः पाकिस्तान जैसा ही है और वहां की मौसमी परिस्थितियां भी भारत के समान ही हैं।

व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम

3998. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम चलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम किस तारीख को चलाया गया था; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिये प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम को कुछेक चुने खण्डों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में वर्ष 1963 में शुरू किया गया था।

(ग) कार्यक्रम को 1979-80 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है। 1978-79 तक प्रत्येक राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र को आबंटित खण्डों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम

आरम्भ से लेकर व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम खण्डों का राज्यवार आवंटन

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	तीसरी योजना के दौरान	1966-67 से 1968-69 के दौरान	चौथी योजना के दौरान	1974-75 के दौरान	1975-76 के दौरान	1976-77 के दौरान	1977-78 के दौरान	1978-79 के दौरान	1978-79 तक योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्य									
1. आन्ध्र प्रदेश	20	25	25	—	2	2	2	3	79
2. असम	2	20	19	3	5	5	6	10	70
3. बिहार	8	47	24	8	9	9	12	12	129
4. गुजरात	1	16	28	8	9	8	10	10	90
5. हरियाणा	5	7	13	4	6	5	4	5	49
6. हिमाचल प्रदेश	6	8	8	2	4	4	4	4	40
7. जम्मू तथा काश्मीर	—	11	2	1	2	2	2	4	24
8. कर्नाटक	6	50	39	6	7	7	8	5	128
9. केरल	5	30	26	7	6	7	8	6	95
10. मध्य प्रदेश	9	56	40	8	8	8	13	13	155
11. महाराष्ट्र	12	47	44	9	—	1	5	6	124
12. मणिपुर	—	5	4	2	2	1	—	2	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. मेघालय	1	4	5	1	1	2	3	4	21
14. नागालैंड	—	—	—	—	—	—	1	1	2
15. उड़ीसा	74	22	20	5	5	5	8	8	147
16. पंजाब	12	17	20	4	3	3	5	5	69
17. राजस्थान	12	17	10	2	2	2	2	2	49
18. सिक्किम	—	—	—	—	—	—	1	1	2
19. तमिलनाडु	7	5	26	5	5	5	8	14	75
20. त्रिपुरा	—	3	4	—	1	1	2	2	13
21. उत्तर प्रदेश	29	93	63	14	17	16	20	20	272
22. पश्चिम बंगाल	10	29	15	3	5	6	9	10	87
केन्द्र शासित क्षेत्र									
23. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	1	1
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	1	1	2
25. चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	1	—	1
26. दादर तथा नगर हवेली	—	—	1	1	—	—	—	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. दिल्ली	—	4	1	1	—	—	—	—	6
28. गोवा दमन व दीव	—	2	5	—	1	1	1	1	10
29. लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	1	1	2
30. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	1	1	2
31. पांडीचेरी	—	2	1	—	—	—	1	—	4
अखिल भारतीय	219	520	442	94	100	100	139	152	1766

क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें

3999. **श्री के० मालन्ना** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विषय-वार तथा भाषा-वार कितनी पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन किया गया;

(ख) क्या इन पुस्तकों को विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं जहां क्षेत्रीय भाषाओं की इन पुस्तकों का उपयोग किया जा रहा है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विवरण संलग्न है । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1081/80) ।

(ख) और (ग) ये पुस्तकें पाठ्य-चर्या उन्मुख हैं और क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम के रूप में अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हैं । प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक अध्ययन बोर्ड है जो विश्वविद्यालय के छात्रों के अध्ययन के लिए पुस्तकों की सिफारिश करता है । इनमें से अधिकांश पुस्तकें छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई हैं ।

दिल्ली और पश्चिम बंगाल के शहरों के बीच सीधी टेलीफोन सेवाएं

4000. **श्री समर मुखर्जी**
श्री सैफुद्दीन चौधरी } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के उन शहरों/नगरों के जिलेवार नाम क्या हैं जिन्हें अगले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार सीधी टेलीफोन सेवा के माध्यम से दिल्ली से जोड़ दिये जाने की सम्भावना है तथा दिल्ली से तथा दिल्ली के लिए सीधी टेलीफोन सेवा के उनके कोड नम्बर क्या होंगे;

(ख) पश्चिम बंगाल के उन शहरों/नगरों के नाम क्या हैं जिन्हें सीधी टेलीफोन सेवा द्वारा अब तक दिल्ली से जोड़ दिया गया है तथा दिल्ली से तथा दिल्ली के लिए सीधी टेलीफोन सेवा के उनके कोड नम्बर क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सीधी टेलीफोन सेवा द्वारा पश्चिम बंगाल के जिलेवार किन-किन शहरों/नगरों को दिल्ली से जोड़ा गया है तथा दिल्ली से तथा दिल्ली के लिए सीधी टेलीफोन सेवा के उनके कोड नम्बर क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) आगामी 3 वर्षों के दौरान एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली से जोड़े जाने वाले पश्चिम बंगाल के सम्भावित शहरों के नाम इस प्रकार हैं :

जिला	स्टेशन	दिल्ली से बहिर्गामी एस.टी.डी. कोड	दिल्ली को आवक एस.टी.डी. कोड
1980-81 का कार्यक्रम			
बर्दवान	बैरकपुर	03444	011
,,	बरनपुर	03446	011
,,	नियामतपुर	03448	011
,,	आसनसोल	0341	011
,,	बाहुला (केवल बहिर्गामी)	03442	011
,,	रानीगंज (केवल बहिर्गामी)	03445	011
1981-82 का कार्यक्रम			
बर्दवान	बर्दवान	0342	011
मिदनापुर	हाल्दिया	03224	011
बर्दवान	दुर्गापुर	0343	011
कूचबिहार	कूचबिहार	03582	011
दार्जिलिंग	दार्जिलिंग	0354	011
,,	सिलिगुड़ी	0353	011
मालदा	मालदा	03512	011
(1982-83)			
नादिया	कृष्णानगर	03472	011
मिदनापुर	मिदनापुर	03226	011
पुरुलिया	पुरुलिया	03252	011
बीरभूम	सूरी	03462	011
दार्जिलिंग	कालिम्पोंग	03552	011
दार्जिलिंग	कुरसियोंग	03554	011

(ख) पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित शहर/कस्बे जहां से दिल्ली के लिए एस.टी.डी. सेवा उपलब्ध है :

स्थान		दिल्ली से बहिर्गामी एस.टी.डी. कोड	दिल्ली को आवाक एस.टी.डी. कोड
कलकत्ता		033	011
खड़गपुर		0321	011
आसनसोल	केवल बहिर्गामी		011
सिलिगुड़ी	केवल बहिर्गामी		011
बर्दवान	केवल बहिर्गामी		011
हाल्दिया	केवल बहिर्गामी		011
दुर्गापुर	केवल बहिर्गामी		011

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित स्टेशन एस.टी.डी. द्वारा दिल्ली से जोड़े गये :

जिला	स्टेशन		प्रारम्भ होने का वर्ष	दिल्ली से बहिर्गामी एस.टी.डी. कांड	दिल्ली को आवक एस.टी.डी. कांड
मिदनापुर	खड़गपुर		1977	0329	011
कलकत्ता	कलकत्ता		,,	033	011
दार्जिलिंग	सिलिगुड़ी	केवल बहिगामी	,,	0353	011
बर्दवान	बर्दवान	केवल बहिगामी	,,	0342	011
मिदनापुर	हाल्दिया	केवल बहिगामी	,,	03224	011
बर्दवान	दुर्गापुर	केवल बहिगामी	,,	0343	011
बर्दवान	आसनसोल	केवल बहिगामी	1980	0341	011

दिल्ली टेलीफोन जिला से माल की चोरी

4001. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन जिले से कुछ समय पूर्व लाखों रुपये के समान की चोरी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सामान का अनुमानित मूल्य क्या था, चोरी के लिए क्या तरीके अपनाये गये थे, तथा सामान को प्राप्त करने के लिए और राजकोष को हुई हानि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं;

(ग) क्या चोरी करने वाले कुछ अधिकारियों को निलम्बित किया गया है और यदि हां, तो उन्हें 1 जुलाई 1980 तक निलम्बन तथा अन्य भत्तों के रूप में कुल कितनी राशि अदा की गई है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की हानियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1974 में 5 5 लाख रुपये की कीमत के भंडारों की हानि के मामले की जांच की थी। ये भंडार कुछ अधिकारियों द्वारा जाली मांग पत्र प्रस्तुत करके केन्द्रीय भंडार डिपो दिल्ली से निकाले गए थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दे दी गई है। मुकदमे के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जी हां। 1-7-1980 तक उन्हें भुगतान किए गए निर्वाह एवं अन्य भत्तों की कुल रकम 2,24,583 रुपये थी।

(घ) उपचारी सतर्कता उपाय किए गए हैं जिनमें दिल्ली टेलीफोन जिले में सतर्कता उड़न दस्तों का गठन भी शामिल है।

ग्राम्य विकास नीति का पुनरीक्षण

4002. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में ग्रामीण विकास नीति का पुनरीक्षण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी, हां। सरकार छठी पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण विकास नीति को तैयार करने के सम्बन्ध में चल रहे ग्राम विकास कार्यक्रमों की पुनरीक्षा कर रही है।

(ख) चूंकि नई नीति की पुनरीक्षा तथा प्रतिपादन का कार्य अभी पूरा किया जाना है, इसलिए इस अवस्था में ब्यौरे प्रस्तुत करना कठिन है।

महाराष्ट्र के जिलों के लिए पीने का पानी

4003. **श्री मधु दंडवते** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के लान्जा तालुका के बेरल, वाकेडल सालेष तथा कोचरी और अरगांव गांवों के लिए पीने के पानी की योजनायें केन्द्रीय वित्तीय सहायता न मिलने के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता कब दी जायेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) महाराष्ट्र सरकार ने अरगांव ग्राम की एक योजना को अनुमोदन के लिए सरकार को भेजा है। केन्द्रीय सरकार इस योजना के अनुमोदन पर विचार करने से पूर्व, राज्य सरकार से कतिपय स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा

कर रही है । राज्य सरकार ने शेष ग्रामों की योजनाओं को अभी तक नहीं भेजा है । राज्य सरकार से प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जायेगा ।

आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में संचार योजनाएं

4004. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में संचार व्यवस्था की योजनायें तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय को इस बात की पूरी जानकारी है कि देश के आदिवासी क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का अभाव है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय ने 1980-81 के लिए पांचवीं योजना अवधि और वार्षिक योजना में संचार की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) तथा (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और दूर संचार संबंधी सुविधाओं में सुधार लाने की योजनाओं में जन-जाति उप-योजना क्षेत्रों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है । योजनावधि 1978-83 के दौरान देश के जनजाति क्षेत्रों में 3000 नये लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक तार घर खोलने का प्रस्ताव है । छोटे टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की नीति को भी उदार बना दिया गया है । इसके अनुसार घाटे पर टेलीफोन एक्सचेंज खोला जा सकता है बशर्ते कि प्रत्याशित राजस्व वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 40 प्रतिशत हो । इससे जनजाति क्षेत्र भी लाभान्वित रहेंगे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी हां ।

(ङ) योजना आयोग द्वारा पहले अनुमोदन की गई वार्षिक योजना 1980-81 के अंतर्गत लगभग 5000 ग्रामीण डाक घर खोलने का प्रस्ताव है परन्तु तैयार की जा रही पंच वर्षीय योजना 1980-85 के परिप्रेक्ष्य में इसमें संशोधन किया जा सकता है । यह प्रस्ताव है कि खोले जाने वाले नये ग्रामीण डाक घरों में से कुछ प्रतिशत जन-जाति क्षेत्रों में खोले जायें । उनका प्रतिशत प्रत्येक राज्य में भिन्न होगा जो कि जनजाति क्षेत्रों और जनसंख्या पर निर्भर होगा । उपरोक्त (ख) के अनुसार 1980-81 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत 600 नये लम्बी दूरी के सार्वजनिक एवं संयुक्त डाक तार घर खोले जायेंगे ।

दिल्ली में संसद् सदस्यों के लिए प्लाट

4005. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार दिल्ली में संसद सदस्यों को प्लाट नहीं संबंधी नीति को बदलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संसद सदस्यों सहित कुछ वर्गों के लिए प्लाटों/फ्लैटों के आरक्षण के बारे में अपनाये जाने वाली नीति सरकार के विचाराधीन है ।

विश्वास नगर शाहदरा में पानी की लाइनें

4006. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री 12 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल सप्लाई जल-मल विकास उपक्रम ने 14 फरवरी, 1979 के संकल्प संख्या 379 के अनुसार विश्वास नगर शाहदरा, दिल्ली-32 के ब्लाक 31, 32 और 33 में पानी की लाइनें बिछानी थीं परन्तु 5 मार्च, 1974 की योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि लोगों द्वारा वर्ष 1973-75 में प्रस्तुत 87 करार फार्म अधिकारियों ने पास नहीं किये हैं, यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले को हाथ में लेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार अधिकारियों को यह कहने का है कि वे इस योजना को उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लें, तथा क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जायेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

(क) 5-3-74 की योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका क्योंकि निवासियों/प्लाटधारियों ने अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं की ।

(ख) तब से लागू दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान की नीति के अनुसार, इस काम को कुल 40 प्रतिशत प्लाटधारियों/निवासियों या 100 प्लाटधारियों/निवासियों द्वारा विकास प्रभार देने के करारनामों का निष्पादन करने के पश्चात् ही हाथ में लिया जाना था। कुल 328 प्लाटों में से सिर्फ 47 प्लाटधारियों ने 5-9-74 तक करारनामे पर हस्ताक्षर किए जबकि इस नीति को समाप्त कर दिया गया । प्लाटधारियों/निवासियों ने मार्च, 1975 में 37 करारनामों को जमा किया था (निवासियों ने 40 का दावा किया था) किन्तु इन्हें स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह नीति 5-9-1974 को समाप्त कर दी गई है । यदि इन करारनामों को भी गिना जाता है, तो भी 100 करारनामों या कुल 40 प्रतिशत करारनामों की मूल स्थिति संतोषजनक नहीं है ।

(ग) इस योजना का कार्यान्वयन दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा तब ही किया जा सकता है जबकि प्लाटधारी अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्यारम्भ करने के लिए संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करें ।

मनुष्यों तथा जानवरों के लिए पीने का पानी

4007. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार ऐसे गांवों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जहां कुओं में जहरीला पानी होता होता है और जिसे पीकर मनुष्यों तथा जानवरों की मृत्यु हो जाती है; और

(ख) ऐसे गांवों के लोगों तथा उनके जानवरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) पेय जल की व्यवस्था की अग्रता के लिए ग्रामों का वर्गीकरण निम्नलिखित मानदण्ड पर किया जाता है अर्थात् वह ग्राम जहां जल का स्रोत 1.6 कि. मी. की दूरी पर या 15 मीटर की गहराई पर हो या जिन ग्रामों में जल के स्रोतों में बीमारी के कीटाणु हों या जहां जल के स्रोतों में स्वास्थ्य के लिए हानिकर अत्यधिक खनिज पदार्थ हों ।

1972 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिससे ज्ञात हुआ कि 1.53 लाख ऐसे ग्राम हैं जो उपर्युक्त कसौटी की पुष्टि करते हैं । इन ग्रामों को समस्याग्रस्त ग्राम नामित किया गया है ।

तथापि, राज्य सरकारों ने बतलाया है कि सर्वेक्षण अपूर्ण था और यह कि और अधिक ग्राम समस्याग्रस्त ग्रामों की श्रेणी में आते हैं । राज्यों को ऐसे ग्रामों की अन्तिम सूची बनाने को कहा गया है । यह अनुमान लगाया गया है कि उनकी संख्या लगभग 2 लाख होगी । यह विचार किया गया है कि (1980-85) के दौरान शेष ग्रामों में राज्य क्षेत्र की संशोधित न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रम में किये जाने वाले संसाधनों तथा केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम में दी जाने वाली निधियों द्वारा पेयजल की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

केन्द्रीय लोक सेवा निर्माण विभाग (उद्यान विभाग) में उप-निदेशकों के स्वीकृत पदों को भरा जाना

4008. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक सेवा निर्माण विभाग(उद्यान विभाग) में नवम्बर, 1979 में उप-निदेशकों के दो पदों को स्वीकृत किया गया था;

(ख) क्या सितम्बर, 1979 में स्वीकृत किये गये एक पद को स्वीकृति के तुरन्त बाद ही तदर्थ रूप से भर दिया गया था जबकि उपरोक्त दो पदों को सात माह से अधिक समय बीत जाने पर भी रिक्त रखा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) उप-निदेशक का एक पद अक्तूबर, 1979 में बनाया गया था । दूसरा पद नवम्बर, 1979 में एक उप-निदेशक उद्यान की पदोन्नति से रिक्त हुआ ।

(ख) और (ग) एक पदाधिकारी के एक वर्ष की छुट्टी पर जाने से अगस्त, 1979 में इस ग्रेड में एक अल्पावधि रिक्ति हुई। इसको सितम्बर, 1979 में तदर्थ आधार पर भरा गया था। इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति में कतिपय कठिनाइयों के कारण ही नियमित रिक्तियों को अभी तक नहीं भरा गया है।

हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के पास बेकार पड़े विमानों के कारण हानि

4009. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मन्त्रालय द्वारा डिलीवरी न लिए जाने के कारण 60 बसन्त विमान हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के पास पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो किन आधारों पर मंत्रालय ने अपने पूर्वतर आदेश को रद्द कर दिया;

(ग) इस खरीददारी में कितनी धनराशि खर्च होनी थी और सौदा करने से कितनी धनराशि की हानि हुई; और

(घ) इन बेकार पड़े विमानों को सरकार का किस प्रकार उपयोग में लाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी, नहीं। विमानों की संख्या केवल 8 है।

(ख) परन्तु कृषि मंत्रालय ने अक्तूबर, 1972 में हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड को सूचित किया था कि अगस्त, 76 में कृषि मंत्रालय और हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड के बीच हुये करार के अनुसार उन्होंने 100 विमानों (बसंत) का आर्डर देने का निर्णय किया है और वे 100 और यान खरीद सकते हैं। तथापि, यह बता दिया गया था कि हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड कृषि विमानन निदेशालय को केवल 34 बसंत विमानों की सप्लाई करेगा, जिनमें डिलीवर किये जा चुके विमान भी शामिल होंगे।

केवल 34 बसन्त विमानों की डिलीवरी के करार के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :—

(1) फिक्स्ड विंग विमानों के लिए अपर्याप्त कार्य होना और बाद में विद्यमान बेड़े का कम उपयोग होना, और

(2) बसंत विमानों के लिए राज्य सरकारों, सार्वजनिक और गैर-सरकारी उपक्रमों से मांग का न होना।

(ग) और (घ) 8 बसंत विमानों की लागत 60 लाख रु० के लगभग होगी। इन विमानों की खरीद सरकार के विचाराधीन है। इसलिए आर्डर रद्द करने से हुई हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

नालन्दा, बिहार में आलू उत्पादन

4010. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नालन्दा जिला देश के सबसे अधिक आलू उत्पादक केन्द्रों में एक बड़ा केन्द्र है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में आलू का उत्पादन उसकी खपत से अधिक है जिसके परिणामस्वरूप आलू उत्पादकों को अपनी उत्पादन लागत की तुलना में कम मूल्य मिलते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में आलू के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन)
1973-74	48.61
1974-75	62.25
1975-76	73.06
1976-77	71.70
1977-78	81.35
1978-79	101.25

देश में आलू की खपत के बारे में सही-सही जानकारी उपलब्ध नहीं है अतः यह कहना संभव नहीं है कि उत्पादन खपत से अधिक है। तथापि सरकार का यह अनवरत प्रयास है कि आलू उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए समय पर उचित उपाय किए जाएं।

भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्य आयात से उत्पन्न हुए निपटान हेतु विचाराधीन दावे

4011. **डा वसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्य आयात से उत्पन्न हुए बहुत से दावे काफी अर्से से निपटान हेतु विचाराधीन पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन दावों का शाखावार, ब्यौरा क्या है और दावे की तारीख तथा इसमें अन्तर्ग्रस्त राशि कितनी है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने वाणिज्यिक मध्यस्थों के जरिये विचाराधीन दावों के निपटान के लिए प्रबन्ध किये थे; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम का अपना कानूनी विभाग है; यदि हां, तो दावों के प्राथमिक विवरणों को तैयार करने के लिए बाहर के वकीलों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम के अपने स्टाफ में ऐसे दावों के निपटान के लिए एक अर्हताप्राप्त और अनुभवी मर्चेन्ट नेवी मास्टर अथवा पूरी तरह से अनुभव प्राप्त सेवा-निवृत्त वकील हैं;

(च) क्या भारतीय खाद्य निगम भारतीय मध्यस्थता परिषद् नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित मध्यस्थ पैनल से बाहर मध्यस्थों को नियुक्त करता है; और

(छ) लम्बे अर्से से विचाराधीन इन दावों के शीघ्रतापूर्वक निपटान के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या कार्यवाही करने की योजना बनाई गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जहाज के मालिकों के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम के 75 दावे और भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध जहाज के मालिकों के 49 दावे विवाचन/न्यायालयों में फैसले के लिए लम्बित पड़े हुए हैं। भारतीय खाद्य निगम के पास कोई दावा लम्बित नहीं पड़ा हुआ है ।

(ख) संलग्न विवरणों के अनुसार। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-1082/80]

(ग) जी हां। भारतीय खाद्य निगम और सरकार के हितों की सुरक्षा करने के लिए चार्टर पार्टियों के उपबन्ध के अनुसार प्रबन्ध किए गए थे ।

(घ) निगम को कानूनी सलाह देने के लिए भारतीय खाद्य निगम का अपना विधि सैल है। बाहर के वकीलों को केवल उन्हीं मामलों में नियुक्त किया जाता है जहां मामला लंदन अथवा वाशिंगटन के विवाचन न्यायालय को जाता है। भारत में बाहर के वकीलों को उन्हीं मामलों में लगाया जाता है जबकि मामला न्यायालयों को जाता है क्योंकि न्यायालयों में केवल व्यवसायिक वकील ही पेश हो सकते हैं ।

(ङ) जी नहीं।

(च) भारतीय खाद्य निगम के वाणिज्यिक विवाचकों का पैनल सामान्यतया भारतीय विवाचन परिषद के विवाचकों के स्वीकृत पैनल तथा बाहर के जिन व्यक्तियों को जहाजरानी पद्धतियों का अनुभव हो, उनमें से ही तैयार किया जाता है।

(छ) भारतीय खाद्य निगम इन मामलों पर कड़ी निगरानी रखता है और विवाचकों को उनके पास लम्बित पड़े हुए मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए बराबर याद दिलाता रहता है। जहां तक न्यायालयों के मामलों का सम्बन्ध है, ये न्यायालयों में पेशियों पर निर्भर करते हैं और पेशियों की तारीखें न्यायालयों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। भारतीय खाद्य निगम यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालयों द्वारा मामले भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसी विलम्ब अथवा लापरवाही के कारण स्थगित न होने पाएं ।

विदेश संचार भवन के निर्माण के लिए ठेका

4012. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ओशन कामनवैल्थ केबल प्रोजेक्ट के लिए विदेश संचार भवन के निर्माण हेतु किस फर्म को ठेका दिया गया है और उन अन्य फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने उसके लिए आवेदन पत्र भेजे थे; और

(ख) उस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से एम० एड० डिग्री का हटाया जाना

4013. **श्री तारिक अनवर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में शिक्षा-व्याख्याता (भूगोल) के पद के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताओं में से एम० एड० डिग्री की एक अर्हता को हटा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के विशेष कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, शिक्षा संकाय में लेक्चरर के पद के लिए अध्यादेश XXIV में निर्धारित अर्हता "सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी अथवा किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष डिग्री के साथ निरन्तर अच्छा शैक्षिक रिकार्ड" है । इसलिए शिक्षा संकाय में भूगोल के लेक्चरर के पद के लिए प्रथम श्रेणी के भूगोल में स्नातकोत्तर की डिग्री अनिवार्य है । अतः निर्धारित अर्हताओं में से एम० एड० की डिग्री हटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

आनन्द स्थित नेसेन्ट डेयरी उपकरण विनिर्माण कारखाने का बन्द होना

4014. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्द स्थित नेसेंट डेयरी उपकरण विनिर्माण कारखाने को बन्द करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए केन्द्र ने 1.5 करोड़ रुपये की साम्य पूंजी अग्रिम रूप से दी है;

(ख) उक्त निर्णय किस स्तर पर किया गया; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारतीय डेरी निगम की एक सहायक कम्पनी के माध्यम से बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र में डेरी उपकरणों के विनिर्माण की परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनी मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० (एच० एम० टी०) के पक्ष में समाप्त कर दिया गया था । भारतीय डेरी निगम को दी गयी 1.50 करोड़ रुपये की राशि, उस पर अर्जित किए गए ब्याज के साथ सरकार को लौटा दी गई है ।

(ख) और (ग) भारतीय डेरी निगम के अधीन एकक की स्थापना न करने, बल्कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को परियोजना सौंपने के बारे में विचार करने के लिए उद्योग मन्त्रालय से अनुरोध करने का निर्णय कृषि मन्त्रालय ने इन कारणों से लिया था :—

(1) डेरी उपकरणों के लिए आपरेशन फ्लड-2 की बहुत सी आवश्यकताओं को विश्व बैंक से उपलब्ध होने वाली निधियों के उपयोग से पूरा करना था, जिसके लिए भारतीय डेरी निगम की खरीदार के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की पद्धति का अनुसरण करना था। यह पद्धति प्रस्तावित एकक से उपकरण प्राप्त करने में रुकावट पैदा करती यदि इसे भारतीय डेरी निगम के अधीन स्थापित किया गया होता।

(2) सार्वजनिक उपक्रम समिति (1975-76) ने अपनी 83वीं रिपोर्ट में यह विचार भी व्यक्त किया था कि डेरी उपकरणों के विनिर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में एक नया एकक स्थापित करने से पूर्व हिन्दुस्तान मशीन टूल्स जैसे डेरी उपकरणों का विनिर्माण करने वाले वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के एककों की सम्भावनाओं का पता लगाया जाए; और

(3) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, जो मशीनरी तैयार करने के लिए बेहतर उपकरणों से लैस है, ने भी डेरी उपकरणों को शामिल करने के लिए अपनी विनिर्माण गतिविधियों में विविधता लाने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी।

उद्योग मन्त्रालय ने वित्त मन्त्रालय की स्वीकृति से यह परियोजना हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को सौंप दी है।

अकाल से प्रभावित राज्यों को वित्तीय राहत देने के लिए मानदंड

4015. **श्री भीखा भाई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अकाल से प्रभावित विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता देने में किसी मानदंड का पालन नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों को ज्यादा और कुछ को कम सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को दी गई सहायता दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) क्या अकाल से प्रभावित लोगों तथा उनके सामुदायिक स्तर जैसी बातों को उक्त धनराशि आवंटित करते समय उक्त प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा गया था ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ग) सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से राहत पहुंचाने के लिये किये जाने वाले व्यय की वित्तीय व्यवस्था करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों के लिए वित्त आयोग द्वारा समय-समय पर सिफारिश की गई व्यवस्था तथा नीतियों के अनुसार एक समान तथा उद्देश्यपूर्ण मानदंड अपनाती है। प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली सहायता की राशि का निर्धारण प्रत्येक मामले में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय दलों तथा उच्च स्तरीय समिति द्वारा आकलित खर्च के आधार पर किया जाता है। राहत के लिये दी जाने वाली सहायता का स्वरूप व उसकी मात्रा का निर्धारण करते समय प्रभावित हुई आबादी, विशेषतौर से छोटे व सीमांत कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों तथा राहत की जरूरत वाले अन्य निर्धन वर्गों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

केरल समुद्री तट पर मत्स्य पत्तन

4016. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल समुद्री तट पर मत्स्य पत्तन मछली के लिए विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या मछली पकड़ने के उद्योग को सहायता देने के विचार से मछली पकड़ने के बन्दरगाह की किसी विकास योजना पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) कोचीन के लिए एक गहन समुद्री मत्स्य पत्तन की स्वीकृति दी गई है। कार्य का एक बड़ा हिस्सा पूरा किया जा चुका है। लघु मत्स्यन पत्तन योजना और माल उतारने और जहाजों के ठहरने की सुविधाओं की व्यवस्था की योजना के अंतर्गत विझींजोम (चरण-1) पोन्नानी, वलियापतनम, कन्नानोर, बेयपोर और कासरगोडे में निर्माण-कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है।

(ख) नींदाकारा, विझींजोम (चरण-2), चेरुवथूर और नीलेस्वरम के लिए मत्स्यन पत्तन के विकास की योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं। नींदाकारा के सम्बन्ध में मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है और तीन योजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पानी खारा होने का खतरा

4017. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को पानी के खारा होने का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हुगली नदी में भारी मात्रा में गाद के जमा होने से पानी के मीठा बनने के काम में रुकावट आती है;

(ग) क्या उड़ीसा में भूमिगत जल के खारा होने का कारण निर्धारित सीमा से आगे गहरा छिद्रण किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) उड़ीसा के बालासोर, कटक और पुरी जिलों के तटीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और 24-परगना के तटीय क्षेत्र लवणीयता की समस्या का सामना कर रहे हैं।

(ख) हुगली नदी के जल प्रवाह में कमी होने के कारणों में से एक कारण गाद-मिट्टी भरना है जिसके कारण नदीय क्षेत्र में जलीय परतों में स्थिर भूमिगत जलाशयों पर प्रभाव पड़ रहा है।

(ग) उड़ीसा राज्य के तटीय क्षेत्रों में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा खोदे गए कुछ गहरे कुओं में पानी के लवणीय होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(घ) लवणीयता का पता लगाने के पश्चात सुधार सम्बन्धी उपाय सुझाए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में नलकूपों के लिए विश्व बैंक ऋण

4018. **श्री राम लाल राही :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकीय नलकूपों के लिए विश्व बैंक ऋण के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले जिलों की सूची में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का नाम जोड़ने के रास्ते में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं; और

(ख) इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में 500 नलकूपों के निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ ऋण सम्बन्धी करार को अंतिम रूप दे दिया गया है। सीतापुर जिले को इस करार में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सार्वजनिक नलकूप प्रणाली की तकनीकी और परिचालन सम्बन्धी सुधारों के सापेक्ष्य गुणों का प्रदर्शन और मूल्यांकन किया जाए। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में से, राज्य की कृषि जलवायु सम्बन्धी समग्र स्थितियों वाले केवल 12 जिलों में ही क्रियान्वित की जाएगी। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए राज्य के पश्चिमी केन्द्रीय और पूर्वी हिस्सों में बराबर-बराबर 12 जिले चुने गए हैं तथा इसी तरह नलकूपों की संख्या भी बांटी गई है। ये जिले नीचे दिए गए हैं :

क्षेत्र	जिला	नलकूपों की संख्या
पश्चिमी	सहारनपुर	45
	अलीगढ़	40
	इटावा	40
	मैनपुरी	40
केन्द्रीय	लखनऊ	40
	लखीमपुर	40
	हरदोई	45
	फैजाबाद	45
पूर्वी	आजमगढ़	40
	वाराणसी	40
	गाजीपुर	40
	इलाहाबाद	45

दिल्ली के होटलों के बारों के बारे में

4019. श्री दिग्विजय सिंह : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के होटलों के बारों में एल्कोहल बेचे जाने की अनुमति है परन्तु भारतीयों के लिए इसकी मनाही है;

(ख) ऐसा भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रशासन का विचार इस भेदभाव को कब समाप्त करने का है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी०शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मद्य त्याग कराने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा यह आवश्यक समझा गया कि इस देश के नागरिकों को होटलों की बारों में शराब पीने से रोका जाए। उसी के साथ-साथ विदेशियों की जरुरतों को भी पूरा करना आवश्यक समझा गया। इसलिए यह निर्णय किया गया कि ऐसी बारों में केवल विदेशियों को ही शराब बेची जाए। इस नीति में इस समय कोई भी परिवर्तन करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

मधुबनी में श्याम साकरी तथा लोहत चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण

4020. श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार के मधुबनी जिले में स्याम, साकरी तथा लोहत चीनी कारखानों का आधुनीकीकरण करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : सरकार के पास इन तीन चीनी फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण करने विषयक कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

कृषि यन्त्रों का उत्पादन

4021. श्री आर० के० महालगी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की बिजली की कमी के कारण कृषि यन्त्रों आदि के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इन यन्त्रों का पिछले छः महीनों के दौरान कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) क्या सरकार ने इन यन्त्रों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) मांग को पूरा करने के लिए देश में कृषि उपस्करों का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है।

पीने का पानी

4022. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे क्षेत्रों का पता ले लिया गया है, जहां जमीन के नीचे वाले पानी में खार, लवण, नाइट्राइट और फ्लोराईड तत्व पाए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 1972 में किए गए सर्वेक्षण में अधिक खारापन, लोहा, फ्लोराइड आदि विद्यमान होने के कारण स्वास्थ्य के लिए समस्या बन जाने के आधार पर 24778 ग्रामों को समस्याग्रस्त ग्राम चुना गया था ।

(ख) जहां कहीं सम्भव होता है जल सप्लाई करने से पहले, जल को अनुमेय स्तर का बनाने के लिए इसका शोधन किया जाता है । यदि शोधन सम्भव न हो तो वैकल्पिक स्रोतों की खोजा जाता है और लोगों को पीने के लायक जल प्रदान किया जाता है ।

राज्यों को दी गई चीनी एवं उसका उठाना

4023. **श्री नवीन रवाणी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को राज्यवार चीनी का कितना कोटा दिया गया और राज्यों द्वारा चालू वर्ष के विगत चार महीनों में राज्य-वार कितनी मात्रा में चीनी उठाई गई ?

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मार्च से जून, 1980 के पिछले 4 महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों को आवंटित लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे विवरण-1 में दिए गये हैं । उन राज्यों जिनके लिए निगम चीनी उठाने का काम कर रहा है, के लिए उन 4 महीनों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा फैक्ट्रियों से वास्तव में उठाई गई मात्रा विवरण-2 में दी गई है । अन्य सभी राज्यों में राज्य की एजेंसी स्वयं फैक्ट्रियों से चीनी उठाती है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन राज्यों के मामले में 30-6-1980 को लेवी चीनी की न उठाई गई शेष मात्रा लगभग 32,000 मीटरी टन रही है; इस शेष मात्रा के राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सभी सीधे अलाटी राज्यों से 30-6-1980 तक की पूरी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

विवरण-1

मार्च से जून, 1980 तक के पिछले चार महीनों में आवंटित लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे को बताने वाला विवरण

(मीटरी टन)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	मासिक कोटा
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	20882
2.	असम	7541
3.	बिहार	26929

1	2	3
4.	केरल	10495
5.	मध्य प्रदेश	20825
6.	मेघालय	493
7.	मिजोरम	171
8.	उड़ीसा	10723
9.	उत्तर प्रदेश	41761
10.	पश्चिमी बंगाल	21994
11.	चंडीगढ़	243
12.	दिल्ली	5304
13.	जम्मू और कश्मीर	2250
14.	अरुणाचल प्रदेश	228
15.	अंडमान	190
16.	लक्षद्वीप	65
17.	गुजरात	14031
18.	हरियाणा	4916
19.	तमिलनाडु	19783
20.	महाराष्ट्र	24743
21.	कर्नाटक	14215
22.	पंजाब	6564
23.	राजस्थान	12757
24.	गोआ, दमन और द्वीप	470
25.	दादर तथा नगर हवेली	36
26.	हिमाचल प्रदेश	1588
27.	मणिपुर	524
28.	नागालैंड	340
29.	पांडिचेरी आदि	230
30.	त्रिपुरा	759
31.	सिक्किम	107.5

नोट : उपर्युक्त मासिक कोटे के अलावा, कुछ राज्य सरकारों को सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए लेवी चीनी की थोड़ी मात्रा भी आवंटित की जा सकती है।

विवरण-2

जिन राज्यों का कार्य निगम द्वारा सम्भाला जा रहा है उनके लिए मार्च से जून, 1980 के दौरान फैक्ट्रियों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाई गई लेवी चीनी की मात्राएं बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	उठाई गई मात्राएं (मीटरी टन)
1.	असम	20428.6
2.	बिहार	134407.4
3.	उड़ीसा	38670.7
4.	पश्चिमी बंगाल	96825.8
5.	मिजोरम	827.9
6.	मेघालय	1980.8
7.	उत्तर प्रदेश	196824.0
8.	जम्मू और कश्मीर	11250.1
9.	दिल्ली	19880.7
10.	चंडीगढ़	998.5
11.	मध्य प्रदेश	100007.1
12.	अरुणाचल प्रदेश	875.1
13.	अंडमान	762.8
14.	लक्षद्वीप	260.0

नोट : सम्बन्धित चार महीनों के कोटे और पिछले महीनों में चीनी के किए गए आवंटन के प्रति न उठाए गये पिछले स्टाक के प्रति भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपर्युक्त मात्राएं उठाई गई थी।

भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न

4024. **श्री शान्ताराम :** क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास 30 जून, 1980 के दिन किस-किस मात्रा में कौन-कौन सा अनाज था;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के पास गोदामों में कई प्रकार के खाद्यान्न पड़े हैं जो ग्रेड बी०, सी० तथा डी० किस्मों के हैं और यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक किस्म का कितना-कितना अनाज है और उन गोदामों के नाम क्या हैं जिनमें उक्त बी० सी० तथा डी० किस्म का अनाज पड़ा है तथा ये अनाज कब से वहां पर पड़े हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार उक्त किस्मों के अनाज का निपटान करने का है

और यदि हां, तो किस प्रकार से और कब ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास 30 जून, 1980 को खाद्यान्नों की उपलब्ध कुल मात्रा का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है । तथापि, भारतीय खाद्य निगम के पास 31 मई, 1980 को खाद्यान्नों का कुल स्टाक 130 लाख मीटरी टन था । स्टाक की अनाज-वार और मात्रावार स्थिति अनुबंध-1 में दी गई है;

(ख) अनाजों की 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणियों की गोदाम-वार और जिन्स-वार स्थिति तथा उनके भंडारण की अवधि के बारे में सूचना भारतीय खाद्य निगम के पास तुरन्त उपलब्ध नहीं है क्योंकि देश में 2000 से भी अधिक भंडारण डिपों हैं और इस सूचना को एकत्रित करने में काफी समय लगेगा । तथापि, विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की श्रेणी-वार स्थिति अनुबन्ध-2 में दी गई है ।

(ग) गेहूं की 'क' और 'ख' श्रेणियों के स्टाक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाते हैं । 'ग' और 'घ' श्रेणियों के स्टाक 2/3 'ग' और 'घ' श्रेणियों तथा 1/3 'क' और 'ख' श्रेणियों के अनुपात के रूप में रोलर आटा मिलों को जारी किए जाते हैं । जहां तक चावल का सम्बन्ध है, 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणियों के स्टाक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाता है जबकि श्रेणी 'घ' के स्टाक को सफाई करने के बाद जारी किया जाता है । जिस निम्न श्रेणी के स्टाक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी करने योग्य नहीं समझा जाता है, उसे जब आवश्यक समझा जाता है, नीलाम कर दिया जाता है ।

अनुबन्ध-1

31-5-80 को श्रेणीवार खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति बताने वाला विवरण

(मीटरी टन)

जिन्स	श्रेणी				
	क	ख	ग	घ	जोड़
गेहूं	34,09,949	11,48,863	1,75,970	42,370	4777152
चावल	27,96,269	22,85,550	1,84,265	84,182	5350266
धान	25,90,117	2,17,824	4,854	522	2813317
मक्का	83	29	281	71	464
दालें	19,825	1,910	9,112	7,187	38034
माइलो	—	2	844	118	964
जो	3,292	839	385	33	4549
बाजरा	115	8,004	173	8	8300
ज्वार	19,281	414	5	79	19779
सकल जोड़	88,38,931	36,63,435	3,75,889	1,34,570	130,12,825

अनुबन्ध-2

31-5-1980 को गेहूं की श्रेणीवार स्टाक स्थिति बताने वाला विवरण
(आंकड़े मीटरी टन में)

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	श्रेणी क	ख	ग	घ	जोड़
1.	दिल्ली	73548	9508	389	5	83450
2.	हरियाणा	419882	8709	—	9	428600
3.	हि० प्र०	8234	—	—	366	8600
4.	जम्मू और कश्मीर	2660	1796	—	—	4456
5.	पंजाब	947968	51827	4972	3733	1008500
6.	राजस्थान	464793	270383	12616	602	748394
7.	उत्तर प्रदेश	740808	82965	6899	2228	832900
	जोड़	2657893	425188	24876	6943	3114900
8.	गुजरात	91312	56330	566	—	148208
9.	काण्डला (पी.ओ.)	730	2698	46	—	3474
10.	महाराष्ट्र	112726	60199	101770	17805	292500
11.	म० प्र०	301596	372857	16316	1929	692698
	जोड़	506364	492084	118698	19734	1136880
12.	आं० प्र०	32136	21247	2458	678	56519
13.	कर्नाटक	27697	2933	604	—	31234
14.	मद्रास (पी.ओ.)	144	766	26	—	936
15.	केरल	6846	1657	—	40	8543
16.	तमिलनाडु	39899	19967	1415	1019	62300
	जोड़	106722	46570	4503	1737	159532

1 2	3	4	5	6	7
17. असम	8314	11784	2	—	20100
18. बिहार	64668	116818	18149	9965	209600
19. कलकत्ता (पी.ओ.)	7871	2207	5119	2403	17600
20. एन०ई०एफ०	2368	832	—	—	3200
21. उड़ीसा	18406	1932	204	807	21340
22. पश्चिमी बंगाल	37343	51457	4419	781	94000
जोड़	138970	185021	27893	13956	365840
सकल जोड़	3409949	1148863	175970	42370	4777152

31-5-80 के चावल की श्रेणीवार स्टाक स्थिति

(आंकड़े मीटरी टन में)

क्र०सं० क्षेत्र का नाम	श्रेणी क	ख	ग	ग	जोड़
1. दिल्ली	14813	256	25	325	15419
2. हिमाचल प्रदेश	807	—	—	—	807
3. हरियाणा	211647	169601	967	3	382518
4. जम्मू तथा कश्मीर	5193	1761	640	345	7939
5. पंजाब	917267	1177052	17534	3245	2115098
6. राजस्थान	34725	42850	500	321	78396
7. उत्तर प्रदेश	151926	220409	4893	10116	387344
	1336378	1612229	24559	14355	2987521
8. गुजरात	12650	10792	—	—	23442
9. कांडला (पी.ओ.)	650	—	—	—	650
10. महाराष्ट्र	176186	195311	14736	79	386312
11. मध्य प्रदेश	469478	24371	348	2553	496750
	658964	230474	15084	2632	907154
12. आन्ध्र प्रदेश	442911	192332	64236	5347	704826
13. कर्नाटक	792	2461	89	260	3602
14 मद्रास (पी.ओ.)	2250	99	—	—	2349
15. केरल	80991	36759	17680	3737	139167
16. तमिलनाडु	81689	117122	38038	26344	263193
	608633	348773	120043	35688	1113137

1	2	3	4	5	6	7
17.	असम	3341	1033	27	481	4882
18.	बिहार	906	5328	4355	1053	11642
19.	कलकत्ता (पी.ओ.)	18603	30417	6547	22638	78205
20.	एन.ई.एफ.	3151	2609	122	19	5901
21.	उड़ीसा	35744	3733	182	4619	44278
22.	पश्चिमी बंगाल	130549	50954	13346	2697	197546
		192294	94074	24579	31507	342454
	सकल जोड़	2796269	2285550	184265	84182	5350266

31-5-80 को धान की श्रेणीवार स्टाक स्थिति
(आंकड़े मीटरी टन में)

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	श्रेणी क	ख	ग	घ	जोड़
1.	हरियाणा	173543	12057	—	—	185600
2.	पंजाब	1713100	—	—	—	1713100
3.	राजस्थान	6507	23	4	—	6534
4.	उत्तर प्रदेश	35146	654	—	—	35800
5.	मध्य प्रदेश	34200	—	—	—	34200
6.	आं० प्र०	534833	156520	3219	78	694650
7.	केरल	4390	5229	—	—	9619
8.	तमिलनाडु	39370	5974	948	8	46300
9.	असम	6032	2882	—	76	8990
10.	बिहार	1343	15710	643	—	17696
11.	कलकत्ता (पी.ओ.)	10337	3063	—	—	13400
12.	एन.ई.एफ.	1037	23	40	—	1100
13.	उड़ीसा	10290	78	—	360	10728
14.	पश्चिमी बंगाल	17089	15611	—	—	32700
15.	जम्मू और कश्मीर	2900	—	—	—	2900
	जोड़	2590117	217824	4854	522	2813317

31-5-80 को अन्य खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति

(आंकड़े मीटरी टन में)

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	श्रेणी क	ख	ग	घ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
			मक्का			
1.	हरियाणा	29	—	—	—	29
2.	पंजाब	54	18	160	4	236
3.	राजस्थान	—	2	—	—	2
4.	एन.ई.एफ.	—	9	121	67	197
		83	29	281	71	464
			दालें			
1.	हरियाणा	6315	19	237	128	6699
2.	राजस्थान	13496	233	1	—	13730
3.	पंजाब	—	166	—	—	166
4.	मध्य प्रदेश	14	1162	3097	2888	7161
5.	उत्तर प्रदेश	—	37	3122	3883	7042
6.	महाराष्ट्र	—	293	2655	288	3236
		19825	1910	9112	7187	38034
			माइलो			
1.	राजस्थान	—	2	435	118	555
2.	कर्नाटक	—	—	409	—	409
		—	2	844	118	964
			जौ			
1.	हरियाणा	3275	6	—	—	3281
2.	पंजाब	—	5	—	21	26
3.	उत्तर प्रदेश	—	828	385	4	1217
4.	दिल्ली	17	—	—	8	25
		3292	839	385	33	4549

1	2	3	4	5	6	7
			बाजरा			
1.	हरियाणा	34	—	—	—	34
2.	पंजाब	43	4	8	8	63
3	राजस्थान	—	—	2	—	2
4.	उत्तर प्रदेश	—	30	153	—	183
5	गुजरात	—	166	—	—	166
6.	आन्ध्र प्रदेश	38	7804	10	—	7852
		115	8004	173	8	8300
			ज्वार			
1.	राजस्थान	131	6	5	—	142
2.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	79	79
3.	आन्ध्र प्रदेश	18725	275	—	—	19000
4.	मद्रास (पी.ओ.)	—	24	—	—	24
5.	गुजरात	425	109	—	—	534
		19281	414	5	79	19779

कपास उत्पादन के लिए राज सहायता

4025. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपास उत्पादन को संरक्षण करने के लिए किसी प्रकार की राज सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो कपास उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान (वर्षवार), कितनी-कितनी राजकीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या सरकार राज सहायता को बढ़ाने अथवा घटाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) 1976-77 से 1980-81 के पांच वर्षों के दौरान कपास उत्पादन के संरक्षण के लिए दी गई राज सहायता की धनराशि इस प्रकार है :

	राजसहायता की रकम (लाख रुपए)	
1976-77	72.83	वास्तविक व्यय
1977-78	81.61	
1978-79	85.41	
1979-80	117.65	बजट आवंटन
1980-81	152.15	

(ग) और (घ) कपास उत्पादन संरक्षण सम्बन्धी राज सहायता के बारे में छठी पंच-वर्षीय योजना के प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

गौहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में आचार्य विनोबा भावे का वक्तव्य

4026. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आचार्य विनोबा भावे के हाल के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया जिसमें उन्होंने सम्पूर्ण देश में गौहत्या पर तत्काल रोक लगाने सम्बन्धी अपनी पिछली मांग को दोहराया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) सरकार को आचार्य विनोबा भावे के हाल के किसी ऐसे वक्तव्य की कोई जानकारी नहीं है जिसमें उन्होंने सम्पूर्ण देश में गौहत्या पर तत्काल रोक लगाने सम्बन्धी अपनी पिछली मांग को दोहराया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

राज्य सरकारों से खाद्य जोन बनाने का अनुरोध

4027. **श्री गुफरान आजम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें खाद्य जोन बनाने के लिये केन्द्र सरकार पर जोर डाल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्नातक (बी. ए.) पाठ्यक्रम में प्रवेश देना

4028. **श्री चन्द्रपाल शैलानी**
श्री कृष्ण दत्त } क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने 10+2 परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत 12वीं कक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त कर पास होने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष (बी. ए. पास) में कालेजों में नियमित विद्यार्थियों के रूप में प्रवेश न देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या 40 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को जो ऐसे गरीब तथा हरिजन परिवारों के हैं जो कि अपने बच्चों को निजी शिक्षक रखकर शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं दिल्ली में नियमित महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा;

(ग) क्या ऐसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत परीक्षा देने के लिये प्राइवेट विद्यार्थियों के रूप में प्रवेश देने का प्रस्ताव है;

(घ) 40 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को सफल घोषित करने का क्या औचित्य है, जबकि उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के अवसरों से वंचित रखा जाता है; और

(ङ) क्या सरकार विश्वविद्यालय अधिकारियों को सीनियर सेकैन्डरी सर्टिफिकेट की परीक्षा में सफल घोषित सभी विद्यार्थियों को बिना किसी अंकों की प्रतिशतता के आधार पर प्रवेश देने के लिये कहेगी ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दाखिला के लिये 40 प्रतिशत अंक की न्यूनतम आवश्यकता का कोई नया निर्णय नहीं है अपितु यह शैक्षिक परिषद का पिछले दशक से प्रचलित निर्णय है। तथापि, अनसूचित जातियों जनजातियों के छात्रों के मामले में न्यूनतम अंकों में 50 प्रतिशत अंकों तक की छूट है।

(ग) और (घ) पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय में दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों के मामले में पात्रता की न्यूनतम आवश्यकता 40 प्रतिशत है जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के मामले में 5 प्रतिशत अंकों तक की छूट है। अंकों की कम प्रतिशतता रखने वाले छात्र बाह्य उम्मीदवारों के रूप में परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। अतः उन छात्रों को जिन्होंने सीनियर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा में 40 अंकों से कम अंक प्राप्त किये है, उच्च शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिये निर्धारित न्यूनतम पास प्रतिशतत उच्च शिक्षा की संस्थानों में दाखिला से सम्बद्ध नहीं है।

(ङ) जी, नहीं। अपनी दाखिला नीति निर्धारित करना विश्वविद्यालय का काम है।

दिल्ली में बेघरों को घर

4029. **श्री राम विलास पासवान** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में बेघर लोगों को निःशुल्क मकान प्रदान करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) गन्दी बस्तियों (झुग्गी-झोंपड़ी के विकास के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि गन्दी बस्तियों (झुग्गी झोंपड़ियों) में निवासियों की हालत बहुत खराब है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) झुग्गी-झोंपड़ी पुनर्वास योजना के अन्तर्गत गन्दी बस्ती की समस्याओं का सरकार को पता है। झुग्गियों में रहने वाले गन्दी बस्ती निवासियों को मूल सुविधाओं से युक्त विकसित प्लाट दिये जाते हैं।

मन्त्रालय में रिक्त पड़े अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

4030. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये कितने आरक्षित पद 1 जून, 1980 को रिक्त पड़े थे; और

(ख) इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) 1 जून, 1980 को कृषि मन्त्रालय (मुख्य) में 46 पद रिक्त थे, जिसमें 17 पद अनुसूचित जातियों के लिए तथा 29 पद अनसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित 46 रिक्त पदों में से 33 पद भरे नहीं जा सके क्योंकि जिस श्रेणी के लिये ये पद आरक्षित थे, उस श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। 3 रिक्त पदों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं तथा उचित श्रेणी के उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिये कार्रवाई की जा रही है। 3 अन्य मामलों में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की सिफारिश की है। 5 मामलों में संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिश की प्रतीक्षा है। एक रिक्त पद को भरने के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुना गया उम्मीदवार को शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया गया। एक अन्य रिक्त पद के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का दावा गलत पाया गया और आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह दूसरे उम्मीदवार की सिफारिश करे।

भुवनेश्वर क्षेत्र टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र

4031. **श्री बृज मोहन महंती** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर, कटक, पुरी में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या क्या है; और

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी नामों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) 1.7.80 की तीन एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची में नये कनेक्शनों के लिये आवेदनों की संख्या और कनेक्शन दिये जाने के लिये सम्भावित अवधि नीचे दी जा रही है :—

	1.7.80 को प्रतीक्षा सूची	निपटान की सम्भावित तारीख
भुवनेश्वर	663	जून, 1981
कटक	436	दिसम्बर, 1981
पुरी	10	अक्तूबर, 1981

खाद्य नीति का पुनरीक्षण

4032. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान खाद्य नीति का पुनरीक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) खाद्य नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है। 1980-81 के लिए खरीफ के अनाजों की मूल्य और वसूली नीति फिलहाल सरकार के विचाराधीन है।

डाक तथा तार विभाग में कर्मचारियों की कमी

4033. **श्री के० ए० राजन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग में कर्मचारियों की कमी की समस्या है जो 5 से 11 प्रतिशत तक है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की अविलम्ब भर्ती के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न संवर्गों में कमी के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे। यह कमी कुछ तो इस वजह से है कि विभाग की विभिन्न गतिविधियों को तेजी से और चतुर्दिक विकास हो रहा है और कुछ इस वजह से भी है कि भर्ती की कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं के कारण पदों की मंजूरी होने और उन्हें भरने के बीच कुछ समय लग सकता है।

(ग) देरी को कम करने के लिए हाल ही में भर्ती प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया गया है। लिपिकीय और संबद्ध संवर्गों की भर्ती को भी मंडल स्तर पर विकेन्द्रित कर दिया गया है ताकि भर्ती संबंधी औपचारिकताओं को तेजी से अन्तिम रूप दिया जाता है। रिक्त स्थानों को भरने के कार्य पर मुख्यालयों में नियंत्रण रखा जाता है तथा इसके लिए हर संभव प्रयत्न किया जाता है कि मंजूर पदों की भर्ती तेजी से की जा रही है।

मनचेरियल, आंध्र प्रदेश स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में खराब हो चुके चावल और चीनी की बिक्री

4034. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में मनचेरियल स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम ने स्वीकार किया है कि चावल और चीनी की कुछ मात्रा खराब हो गई है और हाल ही में 200 क्विंटल से अधिक चावल 6 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तमिलनाडु के कुछ व्यापारियों को बेच दिया गया है जब कि उन बोरियों का मूल्य 7/- रुपये से अधिक है जिसमें चावल पड़े होते हैं और 120/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से चीनी बेची गई है जबकि बाजार मूल्य लगभग 900 रुपये प्रति क्विंटल है; और

(ख) यदि हां तो, गत वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल और चीनी की कुल कितनी मात्रा खराब घोषित की गई है और उन्हें किन मूल्यों पर बेचा गया और उनकी बिक्री में किस प्रक्रिया का पालन किया गया ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) मनचेरियल स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में गीली/पसीजी हुई चीनी के छः बोरे उपलब्ध हैं और उन्हें अभी तक बेचा नहीं गया है। मवेशी चारे के रूप में श्रेणीकृत चावल के केवल 8 बोरे 32 से 36 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचे गये थे।

(ख) पिछले एक वर्ष की क्षतिग्रस्त चीनी/खाद्यान्नों की विशिष्ट मात्राएं तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, इस समय भारतीय खाद्य निगम के पास क्षतिग्रस्त चीनी तथा खाद्यान्नों का कुल स्टाक इस प्रकार है—चीनी 8046 मीटरी टन और खाद्यान्न 88,615 मीटरी टन। इसमें से 57 मीटरी टन क्षतिग्रस्त चावल है। क्षतिग्रस्त चीनी को टेंडर आमंत्रित करके अथवा नीलामी द्वारा बेचा जाता है। क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों को सबसे पहले पशु चारे, मुर्गी चारे तथा खाद के प्रयोजन आदि जैसे विभिन्न ढेरों में श्रेणीकृत किया जाता है। ये स्टाक राज्य सरकारों को दिए जाते हैं। यदि वे ऐसे स्टाक स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें टेंडर आमंत्रित करके अथवा नीलामी द्वारा स्वीकृत/पंजीकृत पार्टियों को बेचा जाता है।

उत्तर प्रदेश द्वारा मांगी गई और उसको आवंटित तथा सप्लाई की गई चीनी, गेहूं, चावल और मोटे अनाज की मात्रा

4035. **श्री मोहम्मद असगर अहमद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से आज की तारीख तक तथा जनवरी, 1979 से मई, 1979 तक महीनेवार उत्तर प्रदेश को कितनी लेवी चीनी, गेहूं, चावल और मोटा अनाज आवंटित किया गया तथा वास्तव में कितना सप्लाई किया गया; और

(ख) उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक उपरोक्त मद की कितनी-कितनी मात्रा मांगी गई थी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। जनवरी, 1979 से मई, 1979 की अवधि के दौरान, कोई लेवी चीनी आवंटित नहीं की गई थी क्योंकि कोई नियंत्रण नहीं था।

विवरण

जनवरी, 1979 से मई, 1979 और जनवरी, 1980 से जुलाई, 1980 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय भण्डार से चीनी, गेहूं (सार्वजनिक वितरण तथा सेलर आटा मिलों के लिए) चावल और मोटे अनाजों की मांग, उनको किये गये आवंटन और की गई सप्लाई को बताने वाला विवरण—

(हजार मीटरी टन में)

मास	मांग				आवंटन				पूर्ति*				महीने की पहली तारीख को उ० प्र० में स्टाक		
	लेवी चीनी	गेहूं (सा० वि० तथा मिल)	चावल	मोटे अनाज	लेवी चीनी	गेहूं (सा० वि० तथा मिल)	चावल	मोटे अनाज	लेवी चीनी	गेहूं (सा० वि० तथा मिल)	चावल	मोटे अनाज	गेहूं	चावल	जोड़
1979															
जनवरी	—	70.0	—	—	—	70.0	—	—	—	46.8	—	—			
फरवरी	—	70.0	—	—	—	70.0	—	—	—	50.3	—	—			
मार्च	—	70.0	—	—	—	70.0	—	—	—	59.5	—	—			
अप्रैल	—	70.0	—	—	—	70.0	—	—	—	42.0	—	—			
मई	—	70.0	—	—	—	70.0	—	—	—	30.0	—	—			
1980															
जनवरी	50.0	116.0	70.0	—	41.77	116.0	70.0	3.4	25.58	116.0	22.4	—	1325.7	614.5	1940.2
फरवरी	50.0	125.0	80.0	—	41.77	125.0	80.0	—	46.76	161.9	32.5	—	1110.2	589.2	1699.4
मार्च	50.0	191.0	54.0	—	41.77	150.0	54.0	—	34.36	111.8	32.4	—	854.4	529.0	1383.4
अप्रैल	50.0	175.0	50.0	4	41.83	150.0	50.0	—	41.95	69.4	24.8	—	677.0	468.7	1145.7
मई	50.0	168.0	50.0	—	41.77	150.0	50.0	—	60.43	63.9	34.2	—	646.0	449.6	1095.6
जून	50.0	168.0	75.0	—	41.77	150.0	50.0	—	42.19	53.2	28.5	—	832.9	410.6	1243.5
जुलाई	50.0	215.0	75.0	—	41.77	150.0	75.0	—	उ०न०	उ०न०	उ०न०		उ०न०	उ०न०	उ०न०

*जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया।

उ० न०=उपलब्ध नहीं

खेलकूद और शारीरिक संवर्द्धन के क्षेत्र में भारत और जर्मन जनवादी गणतंत्र के बीच समझौता

4036. **श्री भीकूराम जैन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मन जनवादी गणतन्त्र ने हाल में खेलकूद और शारीरिक संवर्धन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग और आदान-प्रदान के लिए समझौता सम्पन्न किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) जर्मन जनवादी गणराज्य के प्राधिकारियों और हमने खेलों से सम्बन्धित एक प्रोटोकोल के प्रारूप पर चर्चा की तथा इसमें शामिल किए जाने वाले प्रावधानों पर विस्तृत रूप से सहमति व्यक्त की।

(ख) प्रोटोकोल के प्रारूप में भारतीय छात्रों के लिए जर्मन जनवादी गणराज्य में आठ महीने की अवधि के अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक पाठ्यक्रम, उत्तर-स्नातक अध्ययन के सोलह महीने के पाठ्यक्रम तथा विभिन्न विषयों में डाक्टर उपाधि प्राप्त करने के लिए उत्तर स्नातक अध्ययन की भी व्यवस्था है। प्रोटोकोल में भारतीय टीमों के प्रशिक्षण में सहायता के लिए जर्मन जनवादी गणराज्य से भारत में विभिन्न क्षेत्रों के प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को भेजने तथा राष्ट्रीय खेल संस्थान और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज द्वारा भारत में आयोजित प्रशिक्षण और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में सहायता के लिए विशेषज्ञों को भेजने की भी परिकल्पना है। इसमें जर्मन जनवादी गणराज्य में शारीरिक संस्कृति तथा खेलकूद प्रणाली के अध्ययन के लिए भारत से विशेषज्ञों को भेजना और जर्मन जनवादी गणराज्य के खेलकूद साहित्य तथा फिल्मों की सप्लाई करना भी शामिल है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड आदि में आल इंडिया फैडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व

4037. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आर्गेनाइजेशन, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और योजना आयोग के शिक्षा सलाहकार बोर्ड में उसे प्रतिनिधित्व देने के लिए अनुरोध कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके अनुरोध पर निर्णय न लेने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सरकार द्वारा गठित एक परामर्शदात्री निकाय है, जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के प्रतिनिधि और कई अन्य पदेन सदस्य शामिल हैं। सरकार इस बोर्ड में शिक्षा में विभिन्न अभिरुचियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षाविदों को भी मनोनीत करती है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में शिक्षकों के संगठनों अथवा शैक्षिक क्षेत्र के कर्मचारियों के किसी अन्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की परिकल्पना नहीं की गई

है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक वैधानिक निकाय है और वि० अ० अधिनियम में निर्धारित आयोग के गठन में, किसी शिक्षक संगठन के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं है। योजना आयोग ने किसी शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया है।

डाक और तार विभाग में क्षेत्रीय प्रणाली का आरम्भ किया जाना

4038. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार बोर्ड ने डाक और तार विभाग में क्षेत्र प्रणाली (सर्कल कार्यालय का विकेन्द्रीकरण) आरम्भ करने से पहले कर्मचारी संघों से परामर्श नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक और तार कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघ अब भी इसका विरोध कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार विकेन्द्रीकरण योजनाओं को समाप्त करने का विचार कर रही है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) इसे आरम्भ करने से पूर्व कुछ संघों से अनौपचारिक रूप से परामर्श किया गया था।

(ख) कुछ संघ इसके गठन के पक्ष में तथा कुछ विरोध में थे।

(ग) योजना की पुनरीक्षा की जा रही है।

भागलपुर में केन्द्रीय स्कूल खोला जाना

4039. **श्री सूरज भान** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर जैसे डिवीजनल मुख्यालय में अब तक कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब तक खोल दिया जायेगा; और

(ग) क्या भागलपुर विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु 10 एकड़ भूमि देने का निर्णय किया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) भागलपुर में एक केन्द्रीय विद्यालय प्रारम्भ किए जाने पर केवल तब ही विचार किया जा सकता है जब उचित प्रायोजित प्राधिकारी से निर्धारित रूप में एक ठोस प्रस्ताव प्राप्त हो।

(ग) जी, हां।

बम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर झुग्गी झोंपड़ियां

4040. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई में सरकारी भूमि पर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लाखों लोग अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं और यदि हां, तो क्या सरकार बम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर बनी झुग्गी झोंपड़ियों का ब्यौरा देगी;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई के कोलाबा क्षेत्र के गीता नगर, आजाद नगर, सुदाम झोंपड़ी और काली वाड़ी झोंपड़-पट्टियों में रहने वाले झुग्गी झोंपड़ियों के निवासी पिछले कई वर्षों से पानी की सप्लाई, सफाई सुविधा, बिजली और सड़क आदि जैसी मूल आवश्यकताओं के बिना वहां रह रहे हैं और सरकार अभी तक उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई है तथा/अथवा उनके लिए जीवन की मूल आवश्यकताओं की व्यवस्था नहीं कर पाई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई में केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित भूमियों पर बहुत बड़ी संख्या में अनधिकृत झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियां बन गई हैं और अभी तक इन कालोनियों में कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार की भूमियों पर अनधिकृत रूप से बनी गन्दी बस्तियों की सफाई/सुधार के महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों पर महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों तथा भू-स्वामी केन्द्रीय सरकार के विभागों के प्रतिनिधियों के मध्य परस्पर विचार विमर्श हुआ, ये प्रस्ताव पुनः केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं।

सरकारी फार्मों में फसलों पर प्रति क्विंटल उत्पादन लागत

4041. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के लिए सेन्ट्रल फार्मों में उगाई गई सभी प्रमुख फसलों की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि उद्योग में भी सरकारी क्षेत्र आरम्भ करने के लिए सरकारी फार्मिंग का विस्तार करने का है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) वित्तीय वर्ष 1979-80 (30-6-1980 को समाप्त होने वाले वर्ष) के लिए निगम के खातों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, अतः खातों को अंतिम रूप देने के बाद ही प्रमुख फसलों के उत्पादन की लागत तैयार की जायेगी।

(ख) जी नहीं।

ग्रामीण कृषकों को बिचौलियों के प्रभाव से बचाने के लिए नयी विपणन सुविधाएं देने की योजना

4042. **श्री एन० ई० होरो** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण कृषकों को बिचौलियों तथा दलालों के प्रभाव से बचाने के लिए कोई नई विपणन सुविधाएं देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) बाजारों का विकास और विनियमन राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार बाजारों को नियमित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन तथा मार्ग-दर्शन देती है। अधिकांश राज्य सरकारों ने बाजारों को नियमित करने हेतु कानून बनाए हैं। इन अधिनियमों में काश्तकारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से बिक्री के तरीकों, माप-तोल, माल की सुपुर्दगी, अदायगी आदि जैसी व्यापार प्रक्रियाओं को नियमित करने की व्यवस्था है।

भारत सरकार राज्य सरकारों को निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत उनके बाजारों में आधारभूत ढांचे की सुविधाएं सृजित करने तथा उनमें सुधार करने के लिए केन्द्रीय सहायता भी सुलभ करती है :

(1) चुने हुए नियमित बाजारों का विकास।

(2) ग्रामीण बाजारों का विकास।

(3) उत्पादकों के स्तर पर ग्रेडिंग केन्द्रों की स्थापना।

(ग) जम्मू तथा कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम के राज्यों और अंडमान व निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, दादर तथा नागर हवेली, लक्षद्वीप और मिजोरम के केन्द्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर, सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों ने अपने बाजारों को नियमित करने के लिए कानून बनाए हैं। इन राज्यों को भी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विनियामक कानून बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इन योजनाओं के अन्तर्गत बाजारों के आधारभूत ढांचे के विकास हेतु सहायता देने के लिए 289 नियमित बाजारों, 712 ग्रामीण बाजारों और 21 ग्रेडिंग केन्द्रों के लिए 1979-80 तक 1631.93 लाख रुपये की धनराशि संस्वीकृत की गई है।

मछुओं के लिए कल्याण योजनाएं

4043. **श्री वी० के० नायर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश के मछुए अत्यधिक गरीबी और सबसे खराब दीन हालत में रह रहे हैं यद्यपि उनके श्रम से हमारे लोगों के स्वास्थ्य और वातावरण में काफी योगदान मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके लिए बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन और दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति की पूर्ति करने सहित बीमा लाभ की व्यवस्था करते हुए व्यापक कल्याणकारी योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या समुद्री-उत्पादों के सभी निर्यातों के मूल्य पर उगाही करके मछुआ कल्याणकारी कोष बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) अन्तर्देशीय मत्स्यन केवल एक अंशकालिक व्यवसाय है। परन्तु समुद्री मछुओं के लिए सामान्य रूप से यह पूर्णकालिक व्यवसाय है। परम्परागत नावों तथा गियरों का प्रयोग करने वाले मछुओं, विशेषकर समुद्री मछुओं की आय साधारण होती है।

(ख) कल्याण, वृद्ध अवस्था के लिए पेंशन तथा बेरोजगारी भत्ते से सम्बन्धित मामले राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

(ग) मछुओं के लिए कल्याणकारी निधि तैयार करने की सम्भावना के बारे में जांच की जा रही है।

विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारी व्यक्ति

4044. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रर में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों की शिक्षा (विश्वविद्यालय) पूरी हो जाने के बाद उनको रोजगार प्राप्त करने के मामले में शिक्षा की उपयोगिता का पता लगाने के के लिए विश्वविद्यालयों को कोई विशिष्ट अनुदान दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त नौकरी ढूढ़ो वाले (यह आवश्यक नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों) जिनके नाम देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज थे की संख्या 31-12-1977 को 11.80 लाख से बढ़कर 31-12-1978 को 13.19 लाख हो गई और 31-12-1979 को 14.19 लाख हो गयी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में अमन, औस धान की फसलों आदि को हानि

4045. **श्री गदाधर साहा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में एक सप्ताह तक चले नरसंहार के कारण अमन, औस धान की फसलों, झूम खेती और पटसन बागान को कितना नुकसान पहुंचा है; और

(ख) राज्य में पुनर्वास कार्यक्रम और वहां की कृषि अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) त्रिपुरा में नरसंहार के कारण धान, पटसन तथा झूम खेती को हुई क्षति के संबंध में कृषि मन्त्रालय को राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, भारत सरकार ने एक दल का गठन किया है जो हाल ही के दंगों से पीड़ित हुए व्यक्तियों के राहत देने के लिए त्रिपुरा सरकार की जरूरतों का जायजा लेगा।

बंगाल में रघुनाथजंग और जौंगीपुर एक्सचेंज का मिलाया जाना

4046 **श्री जायनल अबेदिन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दो टेलीफोन एक्सचेंजों अर्थात रघुनाथजंग और जौंगीपुर के क्षेत्रों को एक ही स्थानीय क्षेत्र के रूप में मिलाने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) रघुनाथजंग तथा जौंगीपुर को भागीरथी नदी अलग करती है तथा इस नदी पर इन दोनों स्थानों के बीच पुल न होने के कारण इन टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थानीय क्षेत्रों को मिलाना सम्भव नहीं है।

लगातार जुताई करने से भूमि की उर्वरता पर प्रभाव

4047. **श्री दौलतराम सारण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि की लगातार जुताई करने से भूमि की उर्वरता नष्ट होती है और अत्यधिक जुताई करने से भूमि का पानी और हवा से क्षारण होता है; और

(ख) यदि हां, तो सीजन में केवल एक बार जुताई करने से अच्छी फसलें प्राप्त करने की तकनीक क्या है जिससे भूमि की चार से आठ बार जुताई करने में लगने वाले समय, धन और श्रम की बचत हो सके ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जुताई की आवश्यकता प्रमुख रूप से बीज बोने के लिये खेत की सही तैयारी करने, खर-पतवार पर काबू पाने, मिट्टी में फसल अवशिष्टों के समावेशन और मिट्टी के पानी को सोख लेने की क्षमता बढ़ाने हेतु मिट्टी की कड़ी पपड़ी/सतह तोड़ने के लिये है। भूमि की लगातार अत्यधिक जुताई से न केवल समय, धन और शक्ति लगती है बल्कि इससे मिट्टी का ढांचा नष्ट हो जाता है जिससे पानी और हवा के द्वारा होने वाले कटाव के अधिक प्रखर होने के परिणामस्वरूप मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है। इससे महसूस करते हुए, कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के संस्थानों में जुताई की सही जरूरत पर, जो विभिन्न मिट्टियों और फसलों के लिए वेजोड़ हो, अध्ययन शुरू किये गये हैं। न्यूनतम जुताई का विचार गहन बहु-फसली खेती के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जहां की मिट्टी की नमी की क्षति को घटाने और अगली फसल को तत्काल बोने के लिये खेत की जुताई में समय का महत्व हो।

(ख) न्यूनतम जुताई करके अच्छी फसल लेने की तकनीक हैं :...खरीफ की फसल के लिये तैयारी हेतु उपयुक्त जुताई करना और खरीफ की फसल की कटाई के तुरन्त बाद बिना जुताई की तैयारी के रबी की फसल की बुवाई करना, यहां तक कि खेत की खूंटी बिना निकाले भी सीड ड्रिल अथवा बीज व उर्वरक ड्रिल या देशी हल से बुवाई करना। फसल की बुवाई के पश्चात, खर-पतवार की उपज पर या तो मेहनतियों के द्वारा या फसल के जिन झाड़ी नाशकों

की सिफारिश की गई है उनका प्रयोग करके नियन्त्रण करने की आवश्यकता है । कुछ स्थानों पर, जहां कि रेतीली दुमट या रेतीली मिट्टी है, खरीफ की फसल के लिये भी तैयारी की जुताई की आवश्यकता नहीं है । अनेक अध्ययनों से पता चला है कि एक अच्छी जुताई से उतनी ही उपज प्राप्त हुई है जितनी की 3 से 4 जुताई से प्राप्त होती है । चावल के मामले में पटरा लगाने की संख्या को भी उपयुक्त तरीके से पटरा लगाकर, जिसमें अधिक छेदने की क्षमता हो, कम किया जा सकता है ।

गोआ में वन-विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

4048. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में वन रोपण के लिये उपयुक्त बहुत-सी गैर काश्त शुदा भूमि है; और

(ख) यदि हां, तो वनों के विकास के लिये केन्द्र सरकार का विचार इस संघ राज्य क्षेत्र को क्या सहायता देने का है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र गोआ से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भूमि जल प्रदूषण

4049. **श्री के० अर्जुनन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि तमिलनाडु में मेट्टुर औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास की भूमि जल, उस क्षेत्र के उद्योगों से बाहर रहने वाले बेकार जल में मिश्रित रसायनों के कारण प्रदूषित हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन क्षेत्रों में जल-प्रदूषण और वायु-प्रदूषण को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में मछली उत्पादन में आत्म निर्भरता

4050. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर होने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल को राय चौक के मत्स्यन बन्दरगाह हेतु अब तक 285.75 लाख रुपये दिये जा चुके हैं तथा वहां समुद्र तटीय सुविधाएं प्रदान करने के लिये 32.58 लाख रुपये निर्मुक्त

किये गये हैं। नामखाना में एक मत्स्यन बन्दरगाह का निर्माण करने के लिये 11.07 लाख रुपये की रकम मन्जूर की गई है।

पश्चिम बंगाल के लिये पांच मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों को, जिनमें 5 जिले शामिल हैं, मन्जूरी दी गई है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने वाला अन्तर्देशीय मात्स्यिकी परियोजना में पश्चिम बंगाल के 11 जिले शामिल हैं (इसमें मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों के 5 जिले भी शामिल हैं)। केन्द्रीय सरकार परियोजना हेतु 2.91 करोड़ रुपये तथा कृषि पुनर्वित्त विकास निगम 5.59 करोड़ रुपये की रकम प्रदान करेंगे।

मंदसौर टेलीफोन एक्सचेंज (म० प्र०) का कार्यकरण

40. 1. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मन्दसौर एक्सचेंज ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तथा एक्सचेंज का उपकरण अधिकांश समय खराब हो जाता है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खराबी दूर करने के लिये सरकार अथवा विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) मन्दसौर एक्सचेंज सन्तोषप्रद कार्य कर रहा है। तथापि जून, 80 में कुछ केवल की खराबियां हुई थीं जिसके परिणामस्वरूप शिकायतों में वृद्धि हुई।

(ग) अब केवल के दोष दूर कर दिये गये हैं।

प्रथमा परीक्षा पास करने वाले छात्रों को 11वीं कक्षा में दाखिला

4052. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की गणित और अंग्रेजी के साथ प्रथमा परीक्षा पास कर ली है उनको दिल्ली स्कूल में 11वीं कक्षा में दाखिला नहीं दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, की प्रथमा की परीक्षा को केवल हिन्दी में मैट्रिकुलेशन स्तर के समकक्ष मान्यता दी गई है न कि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पूर्ण माध्यमिक परीक्षा (मैट्रिकुलेशन) जिसमें दो भाषाओं, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक तौर पर लाभदायक उत्पादन कार्य, शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा का अध्ययन शामिल है।

फ्रेंड्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी दिल्ली

4053. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रेंड्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के सदस्यों को यथार्थता का सत्यापन सहकारिता विभाग दिल्ली द्वारा 1971 में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सत्यापित सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ग) सोसाइटी ने कुल कितने प्लाटों का विकास किया और अब तक शेष कितने प्लाट आवंटित है;

(घ) क्या समिति ने प्लाटों के आवंटन के लिए दूसरी लाटरी हेतु 74 सदस्यों की सूची भेजी जिसमें 1971 और 1978 में सत्यापित सदस्य सम्मिलित हैं;

(ङ) यदि हां, तो लाटरी किस तारीख को निकाली जानी है;

(च) क्या समिति निर्माण की बढ़ती लागत तथा सदस्यों के अधिवंता प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए 1978 से जल्द से जल्द दूसरी लाटरी निकालने के लिए अभ्यावेदन दे रही है; और

(छ) यदि हां, तो ऐसा प्रत्येक अभ्यावेदन किस तारीख को दिया गया ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोकोआ फलियों का आयात

4 .*4. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैडबरीज जैसे चाकलेट निर्माताओं के लाभ के लिए कोकोआ फलियों का भारी परिमाण में आयात करने का विचार है;

(ख) क्या इससे कोका फलियों का देश में उत्पादन करने वालों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या आयात के प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जाएगा; और

(घ) क्या यह सच कि "साल वृक्ष" के बीज से प्राप्त "सिन्थेटिक कोका वाटर" एक बढ़िया वैकल्पिक पदार्थ के रूप में सिद्ध हुआ है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) मुक्त सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ताओं को इस समय कोको की फलियों का आयात करने की अनुमति है ।

(ख) और (ग) इस मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) साल की चिकनाई का और अधिक परिसंस्करण करने पर उससे कोको वाटर के गुणों जैसा उत्पाद तैयार हो सकता है ।

पटसन का सम्भावित उत्पादन

4055. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आने वाली पटसन की फसल में उसकी अच्छे किस्म की नई उपज होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो कितना उत्पादन होने की आशा है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) पटसन पैदा करने वाले मुख्य राज्य असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मानसून से पहले (मार्च-मई, 1980) और जून, 1980 के दौरान साधारण या साधारण से अधिक वर्षा हुई। यह वर्षा पटसन की बुवाई, जो अभी चल रही है, करने के लिए अत्यन्त अनुकूल रही है। 1980-81 में उत्पादन के स्तर का अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है । किन्तु 1979-80 में 61.2 लाख गांठों (180 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ) के स्तर से अधिक उत्पादन प्राप्त करना सम्भव होना चाहिए, बशर्ते कि इन राज्यों में दक्षिण-पश्चिम मानसून की बकाया अवधि में साधारण वर्षा हो ।

राजा महेन्द्र प्रताप के नाम की डाक टिकट का मुद्रण

4056. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महान क्रांतिकारी देशभक्त राजा महेन्द्र प्रताप के जन्म दिन 1 दिसम्बर, 1979 को डाक टिकट जारी किए गए थे और यदि हां, तो उसकी संख्या क्या है;

(ख) कुल कितनी डाक टिकटों के मुद्रण का निर्णय लिया गया था और कम डाक टिकटें मुद्रित किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) शेष डाक टिकटों का मुद्रण कब तक हो जाएंगे; और

(घ) इस प्रकार मुद्रित डाक टिकटों में से कितने टिकटों की अब तक बिक्री हो गई है; और कितने शेष हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) राजा महेन्द्र प्रताप के सम्मान में स्मारक डाक टिकट 15 अगस्त 1979 को जारी किया गया था। उस समय 30 पैसे वर्गमूल्य के 30 लाख डाक डिकट मुद्रित करने का आदेश दिया गया था जो स्मारक डाक टिकट मुद्रित करने का सामान्य आदेश था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) व्यवहारिक दृष्टि से यह पता लगा पाना सम्भव नहीं है कि किसी निश्चित समय में देश भर के डाकघरों में बिक्री के लिए कितने डाक टिकट बिक्री के लिए पड़े हुए हैं ।

समुद्री मत्स्य उद्योग में फिश-फाउन्डर्स और इको-साउन्डर्स का उपयोग

4057. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को समुद्री मत्स्य उद्योग में फिश-फाउन्डर्स और इको-साउन्डर्स के लाभप्रद उपयोग के बारे में पता है;

(ख) क्या मशीन प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथोरिटी द्वारा वास्तविक मत्स्य पोतों को रियायती दरों पर उपरोक्त उपकरणों की सप्लाई करने की कोई स्कीम चलाई जा रही है अथवा चलाए जाने की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

अजमेर, राजस्थान में स्विटजरलैण्ड की सहायता से बकरी पालन केन्द्र

4058. **श्री भगवान देव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के अजमेर जिले में स्विटजरलैंड की सहायता से एक बकरी पालन केन्द्र खोले जाने की कोई योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा कितना-कितना अनुमानित व्यय किया जाएगा;

(ग) यह केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा; और

(घ) केन्द्र में कितनी बकरियों के पाले जाने की व्यवस्था की जाएगी और इस केन्द्र से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) सरकार इस योजना पर विचार कर रही है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

उल्हास नगर, महाराष्ट्र स्थित मानव चालित टेलीफोन केन्द्र का कार्यकरण

4059. **श्री भगवान देव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उल्हास नगर, जिला थाना महाराष्ट्र के निवासियों से मानव चालित टेलीफोन केन्द्र के कार्यकरण के बारे में शिकायत मिल रही है और क्या उनकी मांग है कि वहां इसके स्थान पर स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना की जाएं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या इस टेलीफोन केन्द्र के स्थान पर स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस टेलीफोन की स्थापना कब और कहां की जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसकी स्थापना में क्या बाधाएं हैं और किसी नगर में ऐसा टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का मापदन्ड क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) स्वचल एक्सचेंज द्वारा हस्तचलित एक्सचेंज के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है । हालांकि उल्हास नगर में टेलीफोन प्रणाली कार्य-

करण ठीक है, फिर भी महाप्रबन्धक दूरसंचार की सेवा और अविलम्ब निराकरण उपायों को प्रारम्भ करने के सभी मामलों के सम्बन्ध में जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

(घ) इस उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थानान्तरित भूखण्ड संख्या 705, भाग 7 बी, कैम्प संख्या 2 के भूखण्ड में इस एक्सचेंज को 1984 तक सेवा योग्य बनाए जाने की सम्भावना है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंधी भाषा का विकास प्रचार

4060. **श्री भगवान देव** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सिंधी भाषा के विकास/प्रचार के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है और इस सम्बन्ध में कौन-सी योजनाएं क्रियान्वित करने का विचार है;

(ख) सिन्धी भाषा के विकास के लिए अब तक क्रियान्वित की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिन्धी भाषा विकास बोर्ड में ऐसे कितने पदाधिकारी और कर्मचारी हैं जो सिन्धी भाषी हैं और उनकी संख्या कितनी है जो गैर-सिन्धी भाषी हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण (मंत्री श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सिन्धी भाषा के विकास के लिए 3.50 लाख रु० की राशि आवंटित की गई है। सिन्धी-पुस्तक निर्माण का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत शैक्षणिक साहित्य और सामान्य पुस्तकें तथा संदर्भ कृतियां प्रकाशित करने का प्रस्ताव है। दो संदर्भ कृतियां प्रकाशित की जा चुकी हैं और बच्चों की पांच पुस्तकें छप रही हैं। अनुवाद के लिए कई पुस्तकें तथा पुनर्मुद्रण के लिए दुर्लभ पुस्तकें चुनी गई हैं। एक सिन्धी शब्द-कोश को तैयार किया जा रहा है। सिन्धी लेखकों को प्रोत्साहित करने हेतु उत्कृष्ट सिन्धी पुस्तकों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार योजना और नये सिन्धी लेखकों के लिए कार्यशालाओं के आयोजन तथा साहित्यिक महत्व की चुनी हुई सिन्धी पुस्तकों को काफी मात्रा में खरीदने की एक योजना शुरू की गई है।

(ग) इस प्रकार का कोई सिन्धी भाषा विकास बोर्ड नहीं है। तथापि, सिन्धी पुस्तक निर्माण योजना को एक सिन्धी अध्येता सलाहकार समिति की देखरेख में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें दो सरकारी सदस्य तथा 10 गैर-सरकारी सदस्य हैं। सभी गैर-सरकारी सदस्य सिन्धी भाषी हैं। यह योजना वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जहां दो अधिकारी इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं जिसमें एक सिन्धी है तथा दूसरा गैर-सिन्धी है।

ईस्ट-आफ कैलाश कम्युनिटी शापिंग सेन्टर में भवन-निर्माण सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन

4061. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के ईस्ट आफ कैलाश कम्युनिटी शापिंग सेन्टर में बहु-मंजिले भवनों के कुछ प्लाट-धारियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वीकृत प्लान का उल्लंघन करते हुए निचले तल्ले बना लिए हैं; जिसके परिणामस्वरूप उनके निर्मित क्षेत्र में और किराए की आय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनके विवरण क्या हैं और किन परिस्थितियों में उन्हें पूरा होने का प्रमाणपत्र जारी किया गया था;

(ग) इस उल्लंघन को कैसे नियमित किया गया और इस प्रकार के अनधिकृत अतिरिक्त निर्माण से होने वाली किराए की स्थायी आय को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार अर्थ-दण्ड लगाया गया; और

(घ) पूरा होने के प्रमाणपत्र जारी करने से पहले प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी धन-राशि का अर्थदण्ड लगाया गया ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसके ईस्ट आफ कैलाश कम्युनिटी शापिंग सेन्टर में बहु-मंजिले भवनों के कुछ प्लाटधारियों ने अनुमेय सीमा से अधिक तहखाने का निर्माण किया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 32 मामलों में उल्लंघन किया गया है। उनको पूर्णता का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) इन उल्लंघनों को नियमित नहीं किया गया है। उल्लंघनकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

बिहार डाक सर्किल में सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु

4062. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार डाक सर्किल में 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान सेवा करते समय में सभी श्रेणियों के कुल कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सामान्य नियमों में ढील देकर नियुक्ति करने के लिए कुल कितने आवेन पत्र प्राप्त हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सामान्य नियमों में ढील देकर कुल कितनी नियुक्तियां की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे आवेदन पत्र कुल कितने मामलों में रद्द किए गए;

(ङ) कुल कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(च) ऐसे मामलों में बहुत अधिक व्यक्तियों की नियुक्तियां न किये जाने के क्या कारण हैं और उनको शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

4063. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत निर्माण और सरकारी भूमि के अतिक्रमण का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण का हिसाब लगाने के लिए कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, सम्बन्धित अभिकरणों के ध्यान में जब ऐसे मामले आते हैं तब वे कार्रवाई करते हैं।

गृह-निर्माण सहकारी समितियों को प्रीतमपुरा में भूमि का आवंटन

4064. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियों को जिन्हें प्रीतमपुरा में भूमि का आवंटन किया गया है, गृह निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसी समितियों के नाम क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निम्नलिखित दस मामलों में मकान बनाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि उनके मामले में, विकास कार्य तथा मकान बनाने के लिए अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं :—

1. दिल्ली संघ सहकारी गृह निर्माण समिति।
2. सी० डब्ल्यू० पी० सी० गृह निर्माण समिति।
3. सप्लाई, लेखा परीक्षा तथा लेखा संगठन गृह निर्माण समिति।
4. कोहाट गृह निर्माण समिति।
5. शिवा गृह निर्माण समिति।
6. पहाड़ी धीरज, गृह निर्माण समिति।
7. यू० पी० समाज, गृह निर्माण समिति।
8. वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, गृह निर्माण समिति।
9. डेरा गाजी खां, गृह निर्माण समिति।
10. सी० पी० डब्ल्यू० डी०, गृह निर्माण समिति।

मंत्रालय के साथ संसद सदस्यों का पत्र-व्यवहार

4065. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विभाग के बहुत से उच्च अधिकारी संसद सदस्यों के पत्रों की न तो प्राप्ति की सूचना देते हैं और न ही उनका उत्तर देते हैं;

(ख) क्या ऐसी कार्यवाही इस विषय में सरकार के स्थायी आदेशों के विरुद्ध है; और

(ग) क्या सरकार इस विषय में स्थायी आदेशों का कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करेगी तथा दोषी व्यक्तियों के साथ कड़ी कार्यवाही करेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावती पहले प्राप्त कर्त्ता द्वारा भेजी जाने और बाद में उस पर तुरन्त कार्रवाई करने के लिए स्थाई अनुदेश मौजूद हैं। इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियो को निदेश दिए गए हैं।

दूर-दराज के क्षेत्रों में तार और टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए नये मापदण्ड

4066. **श्री के० मालन्ना :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे दूर-दराज के क्षेत्रों में, जहां इस समय तार और टेलीफोन की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए किसी नये मापदण्ड को अपनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) विगत कुछ वर्षों से सरकार द्वारा दूरस्त क्षेत्रों को तार और टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने हेतु अपनाए जा रहे मानदण्ड नीचे दिए जा रहे हैं।

(क) **तार सुविधाएं :**

(1) ऐसे क्षेत्र मौजूदा तार घर से 20 कि०मी० (अरीय दूरी) दूर होने चाहिए।

(2) सामान्य क्षेत्रों में अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और पहाड़ी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिये।

(3) सामान्य क्षेत्रों में प्रति वर्ष रु० 2000/- से अधिक, पिछड़े/पहाड़ी क्षेत्रों में रु० 5000/- प्रति वर्ष से अधिक का घाटा नहीं होना चाहिए।

(ख) **टेलिफोन सुविधाएं :**

(1) ऐसे क्षेत्र वर्तमान एक्सचेंजों से 40 कि० मी० (अरीय दूरी) से अधिक दूरी पर होने चाहिए, तथा

(2) सामान्य क्षेत्रों में अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और पहाड़ी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिये ।

स्मारक डाक-टिकट जारी करने के मार्गदर्शी सिद्धांत

4067. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवित तथा मृतक महान व्यक्तियों के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए यदि कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गए हैं तो वे क्या हैं; और

(ख) ऐसे डाक-टिकट जारी करने का ढंग कैसे निर्धारित किया जाता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत की एक प्रति विवरण में दी गई है ।

(ख) स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों को फिलेटलिक सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो सरकार को इस सम्बन्ध में सलाह देती है ।

विवरण

स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत :—

1. प्रस्ताव काफी पहले अर्थात् जारी करने की प्रस्तावित तारीख से करीब एक वर्ष पहले भेजे जाने चाहिए, ताकि योजनाबद्ध कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में प्रस्ताव की समुचित जांच, डिजाइन करना, अनुमोदन, घोषणा, छपाई और सप्लाई की जा सके ।

2. जीवित व्यक्ति का सम्मान करने की दृष्टि से स्मारक डाक टिकट जारी नहीं किया जाना चाहिए ।

3. जिन गणमान्य व्यक्तियों पर स्मारक डाक टिकट जारी किये जाएं वे राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए और डाक टिकट निकालने का वह अवसर साधारण तथा जन्म-शताब्दी या 10वीं/25वीं/50वीं/100वीं बरसी होनी चाहिए । बहुत ही अपवादात्मक मामलों में गणमान्य व्यक्ति की पहली बरसी पर स्मारक डाक-टिकट जारी किये जा सकते हैं ।

4. किसी संस्थान की स्मृति में साधारणतया तब तक कोई डाक टिकट जारी नहीं किया जाना चाहिए जब तक वह अवसर उसकी शताब्दी का न हो ।

5. डाक टिकट जारी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की घटनाओं पर ही विचार किया जाना चाहिए, कम महत्व वाले अवसरों की स्मृति में विशेष कैंसीलेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

6. एक वर्ष में जारी किये जाने वाले स्मारक/विशेष डाक टिकटों की संख्या लगभग 40 होनी चाहिए और इन डाक टिकटों में से गणमान्य व्यक्तियों पर निकाले जाने वाले डाक टिकटों की संख्या लगभग 10 होनी चाहिए ।

अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान बच्चों के कल्याण के लिए राज्य योजना कार्यक्रम

4068. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल-वर्ष के दौरान बच्चों के कल्याणार्थ कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को राज्य योजना तैयार करने के कतिपय निदेश जारी किए थे; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने बच्चों को सुविधा प्रदान की गई थी ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानंद) : (क) अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई "अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष 1979 के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना" की प्रतियां राज्य सरकारों को उपलब्ध कर दी गई थीं और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे बाल स्वास्थ्य, पोषाहार, समाज कल्याण, शिक्षा विधि निर्माण, प्रचार इत्यादि के क्षेत्रों में इस दस्तावेज में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ठोस कार्यक्रम शुरू करें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे राज्यों की वार्षिक योजनाओं में ऐसे कार्यक्रमों को शामिल करें तथा उनके लिए आवश्यक बजट प्रावधान करें।

(ख) सुविधा पाने वाले बच्चों की संख्या विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। तो भी 1979-80 के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का अनुमानित विस्तार नीचे दिया गया है :

विशेष पोषाहार कार्यक्रम	लगभग 7 मिलियन बच्चों तथा दूध पिलाने वाली माताओं को इसके अंतर्गत सुविधा उपलब्ध कराई गई।
बालाबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	2,30,000 बच्चों को इसके अन्तर्गत सुविधा उपलब्ध कराई गई।
समेकित बाल विकास सेवा योजना	50 और परियोजनाएं मंजूर की गईं, जिससे परियोजनाओं की कुल संख्या 150 हो गई।
देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को संस्थागत और गैर संस्थागत सेवाएं	40,400 बच्चे
श्रमजीवी और बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु केन्द्र	49,275 बच्चे
सर्वव्यापक प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों की और भरती	3.97 मिलियन

गर्भवती महिलाओं को टेटनस से बचाने के लिए टीके	6.00 मिलियन
चेचक वेक्सीनेशन	32.00 मिलियन
बी०सी०जी० वेक्सीनेशन	13.00 मिलियन
ट्रिपल प्रतिरोधन (डी०पी०टी०)	12.00 मिलियन
बीवेलेन्ट प्रतिरोधन (डी०टी०)	20.00 मिलियन
विटामिन 'ए' की कमी के कारण बच्चों में अंधेपन को रोकने के लिए रोगनिरोधन	25.00 मिलियन
पोषाहार की कमी से होने वाली रक्तक्षीणता को रोकने के लिए रोग निरोधन	
(1) माताएं	11.00 मिलियन
(2) बच्चे	11.00 मिलियन

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सफाई यूनिट

4069. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में हाल ही में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिट खोला गया है जो नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के सभी भवनों और संसद भवन तथा राष्ट्रपति भवन में भी सफाई और इन स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति और इनमें भोजनालयों आदि की स्थिति की देखभाल करता है;

(ख) यदि हां, तो इस यूनिट में कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उन्हें क्या कार्यभार सौंपे गये हैं;

(ग) क्या सरकार अब उक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिट को भंग करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि ऐसे भवनों की सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति की देखभाल करने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है तो वह क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एक चिकित्सा लोक स्वास्थ्य एकक था, उसका मुख्य चिकित्सा-अधिकारी था। इस एकक में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य मन्त्रालय में रिपोर्ट करने का निदेश देते हुए कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।

(ख) इस एकक में निम्नलिखित कर्मचारी थे :

1. स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी	1
2. वरिष्ठ सफाई निरीक्षण	2
3. सफाई निरीक्षक	3
4. भेषजज्ञ (फारमिस्ट) कम्पाउंडर	1
5. स्वीपर	2

(ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केवल केन्द्रीय सरकार उन भवनों के रख-रखाव तथा सफाई के लिए जिम्मेदार है जिनकी देखभाल इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए केयर टेकरों द्वारा की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है। सरकारी भवनों में केन्टीनों, क्लबों तथा होस्टलों में भोजन में मिलावट की जांच दिल्ली प्रशासन के खाद्य निरीक्षकों द्वारा की जाती है।

उड़ीसा सब डिवीजनल और जिला मुख्यालय के साथ खण्ड मुख्यालय को जोड़ा जाना

4070. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले के कुछ खंड मुख्यालयों को टेलीफोन तार लाइनों द्वारा अभी भी जोड़ा जाना है;

(ख) यदि हां, तो उन खंडों और क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) इन खंडों के सब-डिवीजनल तथा जिला मुख्यालय के साथ सम्पर्क की व्यवस्था करने हेतु उड़ीसा सर्किल किस वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव मंत्रालय को विचारार्थ भेजा है;

(घ) प्रस्ताव भेजने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन क्षेत्रों के लिए धन जुटाने हेतु कितने वित्तीय वर्ष लगेंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) ब्लॉक मुख्यालय ये हैं :

1. बंधुगांव (कोरापुट उप-मंडल)
2. दसमंथपुर —(वही)—
3. गोविंदापल्ली (खोयरपुर) मालकिनगिर उप-मंडल
4. कुडुमुलुगुमा —(वही)—
5. रामनगाडा (गुनुपुर उप-मंडल)

(ग) इन स्थानों पर ये सुविधाएं प्रदान करने हेतु उड़ीसा सर्किल ने सिंगल चेनल वी० एच० एफ० संपर्कों का प्रस्ताव किया है।

(घ) वैकल्पिक प्रणाली के लिए उपस्कर पर क्षेत्रीय प्रयोग किए जा रहे हैं।

(ङ) प्रणालियों की स्वीकृति मिलने पर ही वित्त का प्रबन्ध किया जाएगा।

राजस्थान में पेय जल की समस्या

4071. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लूण करणसर लिफ्ट परियोजना के निर्माण से पहले सैंकड़ों गांवों में पेय जल की कोई समस्या नहीं थी जबकि इसके बन जाने के बाद हजारों गांव पेय जल की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) बीकानेर और नागौर जिलों के कितने गांव इस समस्या से ग्रस्त हैं;

(ग) इस वर्ष ट्रेक्टरों द्वारा पानी की सप्लाई पर कितना व्यय किया गया; और

(घ) उक्त क्षेत्रों की पेय जल समस्या को स्थायी तौर पर हल करने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार लूणकरणसर लिफ्ट सिंचाई योजना में 150 किलोमीटर की दूरी तक रहने वाले को पेय तथा औद्योगिक जल की व्यवस्था करने के लिए और 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र की पम्पों द्वारा सिंचाई के लिए लूणकरणसर-बीकानेर क्षेत्र के लिए लगभग 20 क्यूसेक क्षमता के लिफ्ट चैनल की व्यवस्था है।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार, बीकानेर जिले में 538 और नागौर जिले में 125 समस्याग्रस्त ग्राम हैं जहां पेय जल की उपलब्धता की स्थिति अधिक विकट है।

(ग) राज्य सरकार से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) पेयजल की पूर्ति करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे रही है। सभी समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए 1980-85 के दौरान जल की व्यवस्था करने का वर्तमान लक्ष्य है जोकि राज्य क्षेत्रों में संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में दिये जाने वाले संसाधनों से तथा केन्द्र द्वारा पोषित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रमों के संसाधनों से किया जायेगा।

गांवों में आधुनिक उपकरण आदि के वितरण की व्यवस्था करना

4072. **श्री फूल चंद वर्मा :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में ग्रामीणों के लिए आधुनिक कृषि उपकरणों का वितरण करने और उन्हें रेडियो, टेलीविजन और कृषि सम्बन्धी फिल्मों जैसी आधुनिक मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाएं

देने और स्वास्थ्य तथा स्वस्थ वातावरण के लिए और अधिक सुविधाएं अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में आगे बढ़ने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी योजना आरम्भ करने का है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) लघु कृषि सम्बन्धी शिक्षा-प्रद/अनुसंधान फिल्मों के निर्माण की एक योजना स्कीम है। इन फिल्मों के अन्तर्गत न केवल फसलों के बारे में जानकारी दी जाती है बल्कि पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, सूअरपालन, सिंचाई, उर्वरकों, नाशीजीव-नियन्त्रण, भूमि सुधारों, किसानों की ऋण आवश्यकताओं आदि जैसे सभी कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी दी जाती है।

जहां तक स्वास्थ्य हेतु और अधिक सुविधाओं का सम्बन्ध है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

1. सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं-सेवी योजना।
2. बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्त्ता योजना।
3. दायी प्रशिक्षण योजना।
4. चिकित्सा शिक्षा के पुनर्स्थापन की योजना।

(ख) ब्यौरे (विवरण—1 व 2 में) दर्शाए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

योजना का संक्षिप्त ब्यौरा

योजना का शीर्षक : "कृषि संबंधी फिल्मों के निर्माण हेतु फिल्म एकक"

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि सम्बन्धी अनुसंधान/शिक्षाप्रद फिल्मों के निर्माण के विशिष्ट उद्देश्य से वर्ष 1967 में एक फिल्म निर्माण एकक की स्थापना की। यह एकक एक वर्ष में औसतन 3 से 4 शिक्षाप्रद अथवा अनुसंधान फिल्मों का निर्माण कर लिया करता था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी क्षमता को बढ़ाया गया, ताकि शैक्षणिक माध्यम के रूप में उपयोग में लाई जाने वाली फिल्मों की अपेक्षित संख्या का निर्माण किया जा सके। फिल्मों के प्रिंट सारे देश में निम्नलिखित एजेंसियों को भेजे जाते हैं :

1. कृषक प्रशिक्षण केन्द्र
2. कृषि सूचना एकक
3. गहन कृषि विकास कार्यक्रम एकक
4. विस्तार शिक्षा संस्थान

5. कृषि विश्वविद्यालय
6. पण्य निदेशालय
7. क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्र
8. फिल्म पुस्तकालय, विस्तार निदेशालय
9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
10. ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र

इसके अलावा विस्तार निदेशालय, कृषि तथा सहकारिता मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग के सहयोग से कृषि सम्बन्धी अनुसंधान तथा शिक्षाप्रद फिल्में तैयार करता है। अभी तक इस तरह की फिल्मों की 340 रीलों का निर्माण किया जा चुका है।

विवरण-2

एक खण्ड में लगभग 80 से 100 गांव होते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करते हैं। ग्रामीण जनता को गहन स्वास्थ्य देख-रेख सेवा प्रदान करने हेतु खण्ड के अन्तर्गत ऐसी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 5437 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत स्वास्थ्य सेवा सुलभ करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं भी शुरू की गई हैं :

(1) **सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता योजना** :—31-3-1980 तक 1,37,078 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है और 1533 कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता समुदाय की सेवा करने के लिए पहले ही गांवों में जा चुके हैं।

(2) **बहुउद्देश्यीय कार्यकर्त्ता योजना** :—इस योजना में उप-केन्द्र स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत 46 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों तथा 7 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पुनरुनुस्थापन प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर एकल उद्देश्यीय कार्यकर्त्ताओं को बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्त्ताओं की तकनीकी धारणा तथा कुशलताओं में प्रशिक्षण देना है।

(2) **दाईयों के लिए प्रशिक्षण** : – उद्देश्य यह है कि प्रत्येक गांव के लिए एक कुशल दाई सुलभ करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय दाईयों को प्रशिक्षण दिया जाए।

(4) **चिकित्सा शिक्षा का पुनरुनुस्थापन** : – उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रत्येक चिकित्सा कालेज पर 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उत्तरदायित्व होगा तथा इन्हें

3 चलते-फिरते सज्जिल दवाखाने सुलभ किए जायेंगे जो ग्रामीण-क्षेत्रों में लोगों को मौके पर ही सेवाएं उपलब्ध कर सकेंगे।

चीनी के उत्पादन में कमी

4073. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वर्ष 1977-78 में जब गन्ने की फरपूर फसल हुई थी और चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ था तो तत्कालीन कृषि मन्त्री ने गन्ना उत्पादकों को गन्ने के उत्पादन में कमी करने की सलाह दी थी जिसके फलस्वरूप गन्ने और चीनी के उत्पादन में ऐसी कमी हुई कि हमें चीनी का आयात करना पड़ा है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : 1977-78 मौसम के दौरान गन्ने की भरपूर फसल होने और चीनी का रिकार्ड उत्पादन होने के फलस्वरूप, गन्ना उत्पादकों को स्वीटनिंग तत्वों का उत्पादन करने वाले यूनिटों की सीमित स्थापित समता की दृष्टि में अपने समस्त गन्ने की पिराई करवाने में कुछ कठिनाई हुई थी। इस स्थिति के संदर्भ में, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गन्ना उत्पादकों को सलाह दी थी कि वे गन्ने के क्षेत्रफल में कमी करें और वे फसल-योजना और फसल विविधीकरण शुरू करें। 1978-79 और 1979-80 के वर्षों के दौरान गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी तथा उसके परिणामस्वरूप इस वर्ष चीनी के उत्पादन में गिरावट चीनी के कम मूल्य होने की दृष्टि में गन्ने के वास्तव में दिए गए मूल्यों में कमी होने के कारण कही जा सकती है।

राजस्थान में चीनी का वितरण

4074. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, वहां कितनी चीनी का वितरण किया जा रहा है और उसके क्या आधार हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को चीनी के वितरण के लिए कोई मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बताए हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि नगरों में दी जा रही चीनी गांवों में दी जा रही चीनी से भिन्न है और यदि हां, तो किस हद तक और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) राजस्थान की मध्य 1977 की अनुमानित जनसंख्या 3.05 करोड़ है। राज्य में 1-4-1978 को 30017000 की प्रायोजित जनसंख्या के संदर्भ में 425 ग्राम प्रति व्यक्ति की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान को 12,757 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा प्राप्त हो रहा है।

(ख) 17-12-1979 से आंशिक नियंत्रण को पुनः लागू करने के तुरन्त बाद राज्य सरकार को जारी किए गए अनुदेशों में, राज्य सरकार को साथ-साथ यह परामर्श दिया गया था कि या तो वे स्वयं अथवा अपने नामितों के माध्यम से लेवी चीनी की सुपुर्दगी लें और उसके

वितरण/बिक्री की ऐसे ढंग से व्यवस्था करें जैसाकि राज्य सरकार उचित समझे। उन्हें यह भी बताया गया था कि अतीत की पद्धति के अनुसार, राज्य सरकार को दिए गए लेवी चीनी के कोटे का वितरण उनके द्वारा राज्य में लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर की दुकानों/राशन की दुकानों के माध्यम से किया जाएगा।

(ग) राज्य सरकार द्वारा हाल ही में दी गई सूचनानुसार, राजस्थान में लेवी चीनी के वितरण की मात्रा दोनों ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास है। तथापि, कलक्टर स्टाक के जमा हो जाने के कारण उपलब्धता के अनुसार इस मात्रा में वृद्धि भी कर देते हैं और इसलिए कुछेक जिलों में कभी-कभी 425 ग्राम से भी अधिक मात्रा में चीनी वितरित की जाती है।

रसायनों के बहाये जाने से कृषि भूमि को नुकसान पहुंचेगा

4075. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस समय चालू उद्योगों से गंदा पानी और रसायन युक्त पानी के बहाये जाने से कृषि-भूमि को नुकसान पहुंचता है और यदि हां, तो क्या इस प्रकार की शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में इन उद्योगों से बहाये गए गन्दे और रसायन युक्त पानी के कारण कितनी भूमि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है और सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में पेय जल

4076. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में पेयजल के भारी संकट को दूर करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस योजना को कब तक क्रियान्वित करने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) पेयजल पूर्ति योजनाओं को बनाने और उनके निष्पादन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को पेय जल पूर्ति की विकट समस्या वाले ग्रामों में त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायक अनुदान देकर उनकी सहायता कर रही है।

फिलहाल, लक्ष्य छठी योजना (1980-85) में सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने का है।

ईवनिंग लॉ कालेज

4077. **श्री भीखा भाई :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में शाम के समय लगने वाले लॉ कालेज जून, 1982 से बन्द कर दिये जाएंगे;

(ख) क्या सरकार को पता है कि ऐसा करने से आंदोलन होगा क्योंकि देश में प्रत्येक राज्य में ईवनिंग लॉ कालेजों की संख्या आधी दर्जन से कम नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारतीय बार काउन्सिल ने अगस्त, 1979 में काउन्सिल के एक संकल्प को विधि शिक्षा प्रदान करने वाले सभी विश्वविद्यालयों के ध्यान में ला दिया था जिसके अनुसार विश्वविद्यालयों को अधिक से अधिक जून, 1982 तक वर्तमान प्रातःकालीन तथा सायंकालीन कालेजों और विभागों को पूर्ण-कालिक दिवा कालेजों तथा विभागों में बदल देना चाहिए। बार काउन्सिल के अनुसार किसी भी ऐसे विधि कालेज को पूर्णकालिक दिवा कालेज समझा जाएगा। यदि अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक कार्य दिवस को इसकी कार्य अवधि 6½ घन्टे कर दी जाए जिसमें कक्षाओं में लेक्चर देना, शिक्षकों से सम्पर्क करने के घन्टे, पुस्तकालय कार्य और अन्य पाठ्यचर्या तथा सह-पाठ्यचर्या सम्बन्धी कार्य शामिल हैं।

(ख) और (ग) भारतीय बार काउन्सिल द्वारा की गई सिफारिशों के विरुद्ध सरकार को अभी तक कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

छोटे किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध किया जाना

4078. **श्री नारायण पराशर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे और सीमांत किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध किए जाने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं और प्रत्येक राज्य में इनके वितरण के लिए क्या तंत्र लगाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) सरकार की नीति उचित मूल्यों पर उर्वरक सप्लाई करने की है। उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य किसानों के सभी वर्गों के लिए समान हैं, लेकिन लघु तथा सीमान्त किसानों को भारत सरकार द्वारा राज-सहायता दी जाती है :—

(1) केन्द्रीय प्रायोजित विशेष कार्यक्रमों जैसे कि लघु कृषक विकास एजेन्सी। सघन ग्राम विकास के अन्तर्गत लघु किसानों को फास्फेटयुक्त तथा पोटाश-युक्त उर्वरकों के मूल्य का 25 प्रतिशत तथा सीमान्त किसानों को 33⅓ प्रतिशत राजसहायता दी जाती है। अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित लघु/सीमान्त किसानों को उर्वरकों की लागत के 50 प्रतिशत की दर से राजसहायता दी जाती है।

(2) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लघु तथा सीमान्त किसानों को दी जाने वाली वर्तमान राजसहायता 31-3-1981 तक दी जाती रहेगी। राजसहायता की व्यवस्था लघु कृषक विकास एजेंसी, सघन ग्राम विकास एजेंसी जैसी उपयुक्त एजेंसियों के जरिए की जाएगी।

(ख) और (ग) उर्वरक का वितरण संस्थागत एजेंसियों तथा निजी विक्रेताओं द्वारा किया जाता है। समूचे देश में लगभग एक लाख बिक्री केन्द्र हैं। किसानों को (जिनमें लघु और सीमान्त किसान शामिल हैं) इन बिक्री केन्द्रों के जरिए उर्वरक सप्लाई किया जाता है। तथापि, राज्य में उर्वरकों का वितरण करना राज्य सरकार का कार्य है।

"मिलटोन" परियोजना का परित्याग

4079. **श्री वी० एस० विजयाराघवन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रायोजित "मिलटोन" परियोजना को केरल ने त्याग दिया है;

(ख) परियोजना की कुल लागत और रोजगार क्षमता क्या थी; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना को अस्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने इस परियोजना को बन्द करने का निर्णय किया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए लगभग 3.41 लाख रुपये तक के उपकरण की व्यवस्था की थी। इसके अलावा, कार्यचालन पूंजी, संस्थापन प्रभार, स्टाफ के वेतन सम्बन्धी खर्च और अन्य आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 1.00 लाख रुपये की राशि मन्जूर की गई थी। इस यूनिट के संचालन के लिए इस परियोजना में केवल 5 अतिरिक्त पद की व्यवस्था थी।

(ग) राज्य सरकार के विचार से यह परियोजना आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है।

शहरी भूमि का अधिकतम सीमा अधिनियम 1976 को निरस्त करना

4080. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की जोरदार मांग है कि सामान्यतः लोगों की और विशेषतः व्यापारियों और उद्योगपतियों की मदद के लिए शहरी भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 को निरस्त कर दिया जाए;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) इस अधिनियम को रद्द करने के सुझाव हैं।

(ख) और (ग) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 और उस पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशनों के अनुसार, राज्य सरकारों को पहले ही यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली अतिरिक्त रिक्त भूमियों के पात्र मामलों में छूट दें।

लाल किले के संग्रहालय में चोरी

4081. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1980 के पूर्वार्ध में लाल किले के संग्रहालय से अमूल्य मुगलकृतियों की चोरी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो चोरी की गई वस्तुओं का अनुमानित मूल्य क्या था; और

(ग) सरकार ने चोरी की गई वस्तुओं को बरामद करने के लिए क्या विशेष प्रयास किये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) चोरी की गई वस्तुओं का अनुमानित मूल्य 1,55,000/- रुपये है।

(ग) अपराध अन्वेषण विभाग, अपराध शाखा, दिल्ली में इस मामले की रिपोर्ट कर दी गई है। अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है। अभी मामले की छान-बीन की जा रही है।

शाहदरा में मृत पशु घर

4082. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा दिल्ली-32 के ईस्ट अर्जुन नगर और विश्वास नगर बस्तियों से कुछ ही गज के फासले पर दो मृत पशु घर पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से चलाए जा रहे हैं और शाहदरा जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों को लिखित शिकायतें भेजने के बावजूद इसका चलना बन्द नहीं किया गया है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों से इस मृत पशु घर से करीब ही एक राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहा है फिर भी ये मृत पशु घर सामान्य रूप से चल रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सम्बन्धित अधिकारियों के इस उदासीन रुख के लिए उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने और लगभग 10,000 से अधिक जनसंख्या को बदबू संकट तथा क्षेत्र में बार-बार बिजली की खराबी के संकट से बचाने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि इन स्थानों पर कोई मृत पशु धर नहीं चलाए जा रहे हैं । किन्तु दो स्थान हैं जहां मृत पशुओं की हड्डियां शाहदरा से बाहर भेजने के लिए इकट्ठी की जाती हैं।

(ख) यह सत्य है कि हड्डी इकट्ठी करने के इन केन्द्रों के निकट एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहा है ।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें चलाए हैं। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने भी बिजली की खराबी को दूर करने के उपाय किए हैं।

मैथिली में शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय

4083. श्री भोगेन्द्र झा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जो स्नातक पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर तक मैथिली भाषा में शिक्षा देते हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार के भागलपुर, मिथिला, पटना और रांची विश्वविद्यालय में मैथिली भाषा की व्यवस्था प्रथम डिग्री स्तर पर अध्ययन के एक विषय के रूप में है। मैथिली भाषा में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधाएं मिथिला और पटना विश्वविद्यालयों में उपलब्ध हैं।

रिहायशी क्षेत्रों से कारखानों और दुकानों का स्थानान्तरण

4084. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिहायशी क्षेत्र से कारखानों और लकड़ी का सामान बनाने वाली दुकानों के स्थानान्तरण के बारे में दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा किए गए निर्णय की घोषणा 6 जून, 1980 को की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे रिहायशी क्षेत्रों की संख्या कितनी है जिसमें कारखाने और लकड़ी के सामान वाली दुकान चल रही हैं और उन्हें कब तक स्थानान्तरित किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 23-5-80 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली में प्लाईवुड, टिम्बर व्यापार आदि को पहाड़गंज, लाल कुआं, तेलीवाड़ा तथा भीड़भाड़ के अन्य इलाकों से स्थानान्तरित करने का फैसला किया है।

कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है कि इनको कब तक हटाए जाने की संभावना है।

राजस्थान में श्रमिकों के लिए क्वार्टर

4085. श्री मूलचन्द डागा : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पाली नहर (राजस्थान) में महाराजा उमेद मिल के सामने श्रमिकों के लिए क्वार्टर बनाए थे; और यदि हां, तो कब;

(ख) क्या इन क्वार्टरों में श्रमिकगण अनेक वर्षों से रह रहे हैं और उनकी हालत बहुत खराब हो गई है क्योंकि उन मकानों की कोई मरम्मत नहीं कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन क्वार्टरों की मरम्मत कराई जाएगी; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिसके अधीन इन क्वार्टरों में रहने वाले श्रमिकों को जो इन मकानों को खरीदने के इच्छुक हों, उन्हें खरीदने की अनुमति दी जाए ताकि वे अपनी सुविधा से उनकी मरम्मत करा सकें; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार (और न कि केन्द्रीय सरकार) ने इस मन्त्रालय द्वारा आरम्भ की गई औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजनाओं के अन्तर्गत तृतीय योजनावधि में पाली में 600 क्वार्टरों का निर्माण किया। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1966-67 से इन क्वार्टरों में मजदूर रह रहे हैं और समय-समय पर इनकी मरम्मत की जा रही है बशर्ते कि बजट प्रावधान हो।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने फरवरी, 1978 में राज्य सरकारों को उनके द्वारा उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों के लिए बनाए गए मकानों को उनके वर्तमान दखलकारों को बेचने का निर्णय किया है। देय मूल्य मूल लागत का 80 प्रतिशत होगा और किराया खरीद सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस सुविधा के अन्तर्गत एक टेनामेंट को बेचने से पहले दखलकार को सभी बकाया किराया तथा अन्य देयताएं चुकता करनी होंगी। उसको क्रय की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के भीतर टेनामेंट को पुनः विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी। टेनामेंटों के करो तथा मरम्मत और रख-रखाव के भुगतान की देयताएं विक्रय की तारीख से खरीददार की होंगी।

बोकारो तापीय संयंत्र की चिमनियों से राख का निकलना

4086. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बोकारो तापीय संयन्त्र की चिमनियों से दिन रात बहुत अधिक मात्रा में निकलने वाली और रिहायशी इलाके तथा स्थानीय जन जातीय गांवों की ओर वायु के साथ ले जाई जा रही राख सारे क्षेत्र को प्रदूषित कर रही है और स्वास्थ्य के लिए गम्भीर संकट पैदा कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो जनजातीय क्षेत्रों पर इसके हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सरकार को इसका पता है कि

बोकारो तापीय संयंत्र की यांत्रिक चिमनी से कुछ उड़न राख उड़ती है परन्तु इससे हुंए प्रदूषण की सीमा का पता नहीं है।

(ख) मैसर्स कुलजियन कारपोरेशन ने तापीय संयंत्र का डिजाइन बनाने से पहले पूरे साल तक वायु का सर्वेक्षण किया था जिससे कि उड़न राख से आसपास के निवासियों तथा पौधों को होने वाली हानि को कम किया जा सके। बोकारो तापीय संयंत्र के चालू होने के पश्चात वायु प्रदूषण का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) इस संयंत्र में इलैक्टोस्टेटिक चिमनी लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

भगवान बुद्ध का 2500वां निर्वाण दिवस

4087. **श्री निहाल सिंह :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1956 में भगवान बुद्ध का 2500वां निर्वाण दिवस मनाया था और यदि हां, तो इनमें किन-किन देशों ने भाग लिया था और 1958 में प्रदर्शनी की समाप्ति पर उन्होंने कितनी-कितनी कलाकृतियां कितने-कितने मूल्य की भेंट की थीं;

(ख) क्या यह सच है कि ये सभी कला-कृतियां वर्ष 1958 के बाद सारनाथ महाबौद्ध सोसाइटी को सौंप दी गई थी, जो बाद में राष्ट्रद्रोही तत्वों द्वारा चोरी करली गई और क्या कुछ सांसदों ने भी इस सम्बन्ध में 11 अप्रैल, 1979 को पत्र लिखे थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच करवाई थी और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति दोषी पाए गए; और

(घ) क्या उसमें कुछ विदेशी लोग भी शामिल थे और अब कितनी कलाकृतियां उपलब्ध हैं तथा कितनी चोरी चली गई थीं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां। भगवान बुद्ध के 2500वें निर्वाण दिवस के समारोह के एक भाग के रूप में बौद्ध कला की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी जिसमें भारत के अतिरिक्त इन देशों ने भाग लिया : बर्मा, सिलोन (अब श्रीलंका), फ्रांस, संयुक्त राज्य अमरीका, हंगरी, इटली, यू० के०, नेपाल, कम्बोडिया, जापान, कोरिया, अफगानिस्तान, वियतनाम, भूटान तथा चीन। प्रदर्शित किये गए प्रदर्शनों तथा उनके मूल्य के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) तत्कालीन शिक्षा मन्त्री द्वारा भूतपूर्व संसद सदस्य श्री सौगत राय से दिनांक 11 अप्रैल, 1979 को एक पत्र प्राप्त हुआ था परन्तु यह सारनाथ के एक बौद्ध भिक्षु स्वर्गीय डा० भीक्षुक धर्म रक्षित के उनके अपने संग्रह से सम्बन्धित कला वस्तुओं के नुकसान के सम्बन्ध में था। वाराणसी के दिनांक 5-11 जनवरी 1980 के हिन्दी साप्ताहिक "वेदना" में महाबोधी सोसायटी, सारनाथ में कुछ वस्तुओं के कथित अवैध रूप से हटाए जाने तथा बिक्री से सम्बन्धित रिपोर्ट को छोड़कर, किसी कला संग्रह की चोरी के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ग) समाचार पत्र में दी गई कहानी की जांच की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परम्परागत और गैर-परम्परागत तिलहनों जैसी फसलों के लिए समर्थन मूल्य

4088. **श्री नवीन रवाणी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 में परम्परागत और गैर-परम्परागत तिलहनों और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसी फसलों के लिए क्या-क्या समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए थे और जब इन वस्तुओं के बाजार भाव गिर गये थे तब ये कितनी मात्रा में खरीदी गई;

(ख) ऐसी फसलों के लिए 1978-79 और 1979-80 में कितने अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की गई; और

(ग) 1980-81 में ऐसी फसलों के लिए उत्पादकों को कितनी राजसहायता दी गई अथवा देने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) वर्ष 1979-80 में छिलके सहित मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज और सरसों के बीज के समर्थन मूल्य निम्नलिखित हैं :—

	(रुपये प्रति क्विंटल)
छिलके सहित मूंगफली	190.00
सोयाबीन	175.00
सूरजमुखी के बीज	175.00
सरसों के बीज	245.00
	(1979-80 में विपणन की जाने वाली 1978-79 की फसल के लिए)

वर्ष 1979-80 में, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने सोयाबीन के मामले में 18,291 मीटरी टन तक की खरीद की । अन्य तिलहनों के मामले में राज्य सरकारों ने मूल्यों के समर्थन के लिए खरीद कार्य करने की आवश्यकता महसूस नहीं की, क्योंकि उनके मूल्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्यों से अधिक थे । अब मूल्य कम थे, 1979-80 में (26 जून, 1980 तक) मूल्य समर्थन कार्य के अन्तर्गत नेफेड ने महाराष्ट्र में 1,82,406 मीटरी टन और गुजरात में 14,830 मीटरी टन प्याज की खरीद की ।

(ख) सिंचाई से लाभान्वित हुए क्षेत्र के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार, 1977-78 के स्तर की तुलना में 1978-79 में तिलहनों के अन्तर्गत के सिंचित क्षेत्र में लगभग 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1978-79 के स्तर की तुलना में 1979-80 में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान तिलहनों के लिए फसल विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली राज सहायता की राशि को दर्शाने वाली एक तालिका निम्नलिखित है :—

योजनाएं	राज-सहायता की राशि (लाख रुपयों में)
मिनिकिट	20.00
प्रदर्शन	54.86
पौध संरक्षण	162.50
प्रमाणित बीज	151.02

उड़ीसा में फसल बीमा

4089. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार से राज्य में फसल बीमा लागू करने के लिए कोई सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो वह सुझाव क्या है; और

(ग) उस पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को सुझाव दिया था कि वे भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा तैयार किए गए समरूप क्षेत्र उपागम पर आधारित मार्गदर्शी फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन पर विचार करें।

(ग) इस बारे में उड़ीसा सरकार से कोई उत्तर नहीं आया है।

बिहार में चीनी की मांग की कमी

4090. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सम्बन्ध में गत दो वर्षों की चीनी की मांग और सप्लाई के आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार में लोगों को चीनी प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और क्या वहां पर इसका मूल्य भी 5 रुपये से बढ़ कर 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार की उसकी मांग के अनुसार चीनी सप्लाई करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्वास मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जनवरी, 1978 से जून, 1980 तक (16 अगस्त से 16 दिसम्बर, 1979 के बीच की अवधि, जबकि चीनी पर से नियंत्रण उठा लिया गया था, को छोड़कर) बिहार को सप्लाई की गई लेवी चीनी की कुल मात्रा 3,21,877 मीटरी टन थी। बिहार सरकार ने जनवरी, 1978 में अपने मासिक कोटे को 26,929 मीटरी टन से बढ़ाकर 30,000 मीटरी टन करने और मार्च, 1980 में इसे और बढ़ाकर 40,000 मीटरी टन करने के लिए अनुरोध किया था।

(ख) उपर्युक्त सप्लाई-स्थिति को देखते हुए बिहार में उपभोक्ताओं के लिए लेवी चीनी की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक मालूम पड़ती है। बताया गया है कि बिहार में 4 जुलाई को चीनी का थोक मूल्य 585 रुपये प्रति क्विंटल और खुदरा मूल्य 6.00 रुपये प्रति किलो के आस-पास था।

(ग) 1980 मौसम में चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट और इसके फलस्वरूप लेवी चीनी की अत्यन्त कम उपलब्धता को देखते हुए मांग के अनुसार, बिहार समेत किसी भी राज्य के कोटे में वृद्धि करना सम्भव नहीं पाया गया है।

समाज के कमजोर वर्गों को अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था

4091. **श्री के० प्रधानी :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार को पता है कि आजकल समाज के काफी लोगों विशेषकर कमजोर वर्गों को शिक्षा की पब्लिक स्कूल प्रणाली से लाभ नहीं पहुंच रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक ऐसी योजना बनाने का है जिसके माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों —पिछड़ी जातियों, आदिवासियों और अन्य निर्धन समुदायों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लाभ प्राप्त हो सकें ?

शिक्षा, तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सरकार के पास अनुमोदित आवासी माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्ति की पहले ही एक योजना है, जिसके अन्तर्गत निम्न आयु वर्ग के ऐसे योग्य बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो अन्यथा अच्छे आवासी माध्यमिक स्कूलों में अध्ययन करने के अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ऐसे छात्रों को 500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 6,000/- रुपये से अधिक नहीं है। छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ताओं का चयन अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति देने की एक योजना है। चालू वर्ष के दौरान, 22,500 छात्रवृत्तियां, प्रति समुदाय विकास खण्ड के लिए चार छात्रवृत्तियां, प्रति जन-जाति समुदाय विकास खण्ड के लिए दो अतिरिक्त छात्रवृत्तियां और 20 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले प्रत्येक समुदाय विकास खण्ड के अनुसूचित जाति के प्रत्येक प्रतिभाशाली बच्चे के लिए एक-एक छात्रवृत्ति की दर से वितरित करने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों के पास केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एक पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना है।

टेलीफोन आपरेटरों के लिए प्रशिक्षण

4092. **श्री के० प्रधानी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में टेलिफोन आपरेटर के अभ्यर्थियों को उनसे कुछ शुल्क लेकर एक माह की अवधि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे टेलीफोन आपरेटरों की संख्या कितनी है जिन्होंने इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर लिया है;

(ग) विभिन्न दूरभाष केन्द्रों में दैनिक मंजूरी पर कितने कर्मचारी लगाये गये हैं और उनमें से प्रत्येक कितनी अवधि से सेवारत हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आयु सीमा सम्बन्धी कोई प्रतिबंध लगाया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गैर विभागीय टेलीफोन आपरेटरों के प्रशिक्षण में एक महीने की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की संख्या इस प्रकार है :

1977-78	462
1978-79	592
1979-80	358

इस प्रकार के प्रशिक्षित प्रत्याशियों को विभाग में रोजगार नहीं दिया जाता है। अतः रोजगार पाने वाले प्रत्याशियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) 158 अनियमित अल्प अवधि टेलीफोन आपरेटर ट्रंक एक्सचेंजों एवं विशेष सेवा एक्सचेंजों में कार्य कर रहे हैं। उन्हें मई 1978 और जनवरी 1979 के दौरान भर्ती किया गया था वे तभी से सेवारत हैं।

(घ) जी हां।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष

4093. श्री एन० ई० होरो
श्री के० मालन्ना } : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मई, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में केवल एक उपाध्यक्ष है परन्तु इसकी वेतन पंजी में तीन उपाध्यक्ष दर्शाए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके वेतन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वे कब से तथा कितना वेतन ले रहे हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार इस समस्या को हल नहीं कर पाई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) श्री एम० एन० बुच ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का कार्यभार श्री एम०ए०के० तायब को 20-11-1979 को सौंप दिया और उन्होंने 21-11-1979 से नई दिल्ली स्थित शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान में निदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया। शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान में निदेशक के रूप में श्री बुच की तैनाती के औपचारिक आदेश 2-5-1980 को जारी हुए। नियमानुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण 30 अप्रैल, 1980 तक उनका वेतन देता रहा और उन्होंने उनके वर्तमान नियोक्ताओं से 21-11-79 से 30-4-80 तक की अवधि की प्रतिपूर्ति की मांग की है।

श्री एम० ए० के० तायब ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का कार्यभार मौजूदा पदधारी श्री वी० एस० ऐलावादी को 3-4-1980 को सौंप दिया और उन्हें 12-6-1980 को भारत सरकार, कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात किया गया है। उनके वेतन को 30-4-80 से 12-6-80 तक रिक्त पद के विरुद्ध समायोजित किया गया है। इसी बीच दिल्ली

विकास प्राधिकरण ने जिन्होंने 31-5-1980 तक उनके वेतन का भुगतान कर दिया था, मौजूदा नियोक्ताओं से मई, 1980 को दिये गये वेतन की प्रतिपूर्ति की मांग की है।

श्री तायब के मामले में 3-4-1980 से 30-4-1980 तक की मध्यवर्ती अवधि को "अनिवार्य प्रतीक्षा" के रूप में समझा गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने श्री तायब को नियमानुसार इस अवधि का उनके वेतन का भुगतान कर दिया है।

पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल, दिल्ली विश्वविद्यालय

4094. श्री के० लकप्पा
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री एच० एन० नन्जे गोडा } : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल, दिल्ली विश्वविद्यालय का कार्यक्रम सुचारु रूप से नहीं चल रहा है जैसा कि प्रबंध समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है;

(ख) चेयरमैन, प्रबन्ध समिति के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) स्कूल का कार्यकरण सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा, विद्यालय के कार्यकरण के संबंध में, प्रस्तुत नोट पर दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा अभी विचार किया जाना है। कार्यकारी परिषद निष्कर्षों पर विचार करेगी और विद्यालय के कार्यकरण में सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों पर निर्णय लेगी।

मध्य प्रदेश के उज्जैन सर्कल के अन्तर्गत आलोत आदि में टेलीफोनों का कार्यकरण

4095. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में उज्जैन सर्कल के अन्तर्गत आलोत, महीदपुर और खचरोड़ में टलीफोनों के कार्यकरण को सुधारने के लिए उनके मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां टेलीफोनों के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या प्रबन्ध किए है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वहां बेहतर टेलीफोन सेवा के लिए आत्मनिर्भर टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना करने का है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। आलोत और खचरोड़ में स्वतन्त्र ट्रंक एक्सचेंज खोलने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर दूरसंचार सेवाएं मिल सकें और मौजूदा सुविधाओं में सुधार हो सके।

(ख) ट्रंक कार्यकरण में सुधार लाने की दृष्टि से इन भागों पर कैरियर प्रणालियों की संस्थापना की योजना हैं :

1. आलोत—नागदा ।

2. महीदपुर—उज्जैन ।

3. खचरोड़—नागदा ।

आलोत और नागदा के बीच खुले तार युग्मों में से एक के स्थान पर एल्यूमूनियम तार लगाने का प्रस्ताव है ।

(ग) यातायात के कम परिमाण को ध्यान में रखते हुए फिलहाल स्वतन्त्र टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

शाजापुर और देवास, मध्य प्रदेश में दुग्ध संयंत्र

4096. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के घनी आबादी वाले शाजापुर और देवास जिलों के नगरीय क्षेत्रों में दूध की सप्लाई करने के लिए बड़ी क्षमता वाले दुग्ध संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो वहां दूध की कमी को देखते हुए क्या सरकार का विचार उक्त योजना को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) 1,000 लिटर प्रतिदिन की क्षमता का एक दुग्ध प्रशीतन संयंत्र शाजापुर जिले में कार्य कर रहा है। 20,000 लिटर प्रति दिन की क्षमता वाला एक प्रशीतन संयंत्र देवास जिले में स्थापित किया जा रहा है। इनको अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोशिएसन से सहायता प्राप्त डेरी विकास कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है ।

दोनों जिले आपरेशन फ्लड-2 में भी शामिल हैं, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ यह भी है कि 50,000 से अधि जनसंख्या वाले शाजापुर तथा देवास के शहरी क्षेत्रों में दूध की सप्लाई की जाए । राज्य सरकार उपरोक्त योजनाओं को पर्याप्त प्राथमिकता दे रही है ।

अभयारण्यों के बाहर वन्य जीवों की संख्या में कमी

4097. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परकार को पता है कि देश में वन्य जीवों की संख्या को, विशेषरूप से राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के बाहर, कम होने और समाप्त होने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के बाहर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) राष्ट्रीय उद्यानों और आश्रय-स्थलों से बाहर वन्य प्राणियों की संख्या में कुछ गिरावट आई है, लेकिन कोई निश्चित संख्या नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अभी तक ऐसे पशुओं की कोई गणना नहीं की गई है।

(ख) वन्य प्राणियों की रक्षा और संरक्षण के लिए अपनाए गए मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. वन्यप्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को अपनाकर उसे लागू करना, जो कि वन्य-प्राणियों और उनके वास-स्थलों की रक्षा और संरक्षण के लिए और कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा देने हेतु कानूनी ढांचा और सांविधिक आधार प्रदान करता है।

2. वन्य पशुओं और उनकी ट्राफियों, विशेषकर खतरे में पड़ी प्रजातियों के व्यापार और वाणिज्य को भी उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस समय अपनाई जा रही निर्यात नीति खतरे में पड़ी सभी प्रजातियों के निर्यात को नियन्त्रित करने में कमोवेश सफल हो गई है। 1976 से भारत वन्य वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं की खतरे में पड़ी जातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का भी एक सदस्य बन गया है। इससे सम्मेलन के अन्य सदस्य देशों के सहयोग से, खतरे में पड़ी प्रजातियों के वाणिज्यिक उपयोग को नियंत्रित करने में भी काफी मदद मिली है।

3. केन्द्रीय सरकार के कहने पर, वन्य-प्राणियों के संरक्षण के कार्य पर पूरी तरह से ध्यान देने के लिए अधिकांश राज्यों में वन्य-प्राणि स्कन्धों की स्थापना की जा चुकी है।

4. राज्य वन विभाग को राष्ट्रीय उद्यानों और आश्रय-स्थलों के बाहर वन्य-प्राणियों के संरक्षण के कार्य हेतु पूर्णतः उत्तरदायी बना दिया गया है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले पर पूरी तरह से ध्यान दें।

5. राष्ट्रीय उद्यानों और आश्रय-स्थलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किये गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 75,700 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र सहित अब 19 राष्ट्रीय उद्यान और 202 आश्रय-स्थल हैं, जो देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत है।

6. राष्ट्रीय उद्यानों और आश्रय-स्थलों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता दे रही है, जिसके लिए योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं।

7. अत्यन्त खतरे में पड़ी प्रजातियों के मामले में, उन्हें प्राकृतिक वास-स्थलों में पुनः बसाने के लिए विशेष परियोजनाएं तैयार की गई हैं। बाघ के मामले में, "बाघ

परियोजना" के अन्तर्गत दस राज्यों में 11 विशेष आरक्षित क्षेत्र तैयार किए गए हैं, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार, मगरमच्छों को बसाने के लिए विभिन्न राज्यों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सहायता प्राप्त एक विशेष परियोजना चल रही है।

8. हाल ही में राज्य सरकारों से वन्य-प्राणि रक्षा से सम्बन्धित कार्य की विशेष देखभाल और ध्यान देने और चोरी-छिपे शिकार इत्यादि के मामलों में कठोर कार्यवाही करने के लिए दोबारा कहा गया है। इसके अतिरिक्त, इस बात पर भी बल दिया गया है कि ऐसे क्षेत्रों में केवल उपयुक्त कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाए।

बागानों, फसलों और बागवानी के लिए विश्व बैंक से सहायता

4098. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने बागानों, फसलों और बागवानी के विकास में अपना सहयोग दिया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विश्व बैंक से किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) जी, हां। इनमें और कृषि के अन्य क्षेत्रों में अनेक परियोजनाओं के लिए बैंक सहायता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक के साथ करारों पर हस्ताक्षर किये गए हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कृषि परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	ऋण/उधार की संख्या	परियोजना	लागू होने की तारीख	समाप्त होने की तारीख	ऋण/उधार की राशि अमरीकी डालर (आंकड़े दस लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	ऋण 1011	चम्बल राजस्थान	12-74	6-81	52.0
2.	" 1251	आंध्र प्रदेश सिंचाई	9-76	12-82	145.0
3.	" 1273	राष्ट्रीय बीज	10-76	6-81	25.0
4.	" 1394	गुजरात मात्स्यकी	7-77	6-83	14.0

1	2	3	4	5	6
5.	उधार 695	गुजरात मात्स्यकी	7-77	6-83	4.0
6.	,, 342	कृषि विश्वविद्यालय	6-73	12-81	12.0
7.	,, 378	कर्नाटक मण्डी	9-73	12-81	8.0
8.	,, 450	हिमाचल प्रदेश सेब	9-74	12-80	13.0
9.	,, 482	कर्नाटक डेरी	12-74	9-82	30.0
10.	,, 502	राजस्थान नहर	12-74	6-81	83.0
11.	,, 521	राजस्थान डेरी	8-75	12-82	27.7
12.	,, 522	मध्य प्रदेश डेरी	7-75	6-82	16.4
13.	,, 526	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	6-75	6-80	35.0
14.	,, 532	गोदावरी	6-75	6-80	45.0
15.	,, 541	पश्चिम बंगाल कृषि विकास	8-75	3-80	34.0
16.	,, 562	चम्बल मध्य प्रदेश	9-75	6-81	24.0
17.	,, 609	मध्य प्रदेश वानिकी	5-76	12-81	4.0
18.	,, 610	समेकित कपास	11-76	12-81	18.0
19.	,, 680	केरल कृषि विकास	6-77	3-85	30.0
20.	,, 682	उड़ीसा कृषि विकास	6-77	12-83	20.0
21.	,, 690	पश्चिम बंगाल विस्तार	8-77	9-82	12.0
22.	,, 712	मध्य प्रदेश विस्तार	9-77	9-83	10.0
23.	,, 720	तमिलनाडु सिंचाई	9-77	3-83	23.0
24	,, 728	असम विस्तार	9-77	3-83	8.0
25.	,, 736	महाराष्ट्र सिंचाई	1-78	3-83	70.0
26.	,, 737	राजस्थान विस्तार	2-78	6-83	13.0
27.	,, 740	उड़ीसा सिंचाई	1-78	10-83	58.0
28.	,, 747	अनाज भण्डारण 2	5-78	6-82	107.0
29.	,, 761	बिहार विस्तार	5-78	10-83	8.0
30.	,, 788	कर्नाटक सिंचाई	8-78	3-84	126.0*
31.	,, 806	जम्मू और कश्मीर बागवानी	12-78	6-84	14.0
32.	,, 808	गुजरात मध्यम सिंचाई	10-78	6-84	85.0
33.	,, 815	आन्ध्र प्रदेश मात्स्यकी	10-78	9-84	17.5
34.	,, 816	राष्ट्रीय बीज 2	12-78	12-84	16.0
35.	,, 824	राष्ट्रीय डेरी	12-78	12-85	150.0
36.	,, 813	हरियाणा सिंचाई	12-78	8-83	111.0

1	2	3	4	5	6
37.	उधार 855	एन०ए०आर०पी०	1-79	9-83	27.0
38.	,, 862	संयुक्त विस्तार	12-79	12-84	25.0
39.	,, 871	एन०सी०डी०सी०	5-79	3-84	30.0
40.	,, 889	पंजाब सिंचाई	6-79	6-85	129.0
41.	,, 925	उत्तर प्रदेश सामाजिक वानिकी	1-80	12-84	25.0
42.	,, 947	ए०आर०डी०सी० 3	2-80	6-82	250.0
43.	,,	गुजरात सामाजिक वानिकी	4-80	12-85	37.0
44.	,, 963	अन्तर्देशीय मात्स्यकी	—	9-85	20.0
45.	,,	महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई	—	9-84	210.0
46.	,,	उत्तर प्रदेश नलकूप	—	12-82	18.0
47.	,,	मल्टी स्टेट काजू (कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश)	—	—	22.0
48.	,,	गुजरात सिंचाई	—	—	175 0

* अस्थायी

— कार्य की अवधि अभी निश्चित की जानी है ।

जहाजपुर और असिन्द को टेलीफोन द्वारा भीलवाड़ा, राजस्थान से जोड़ा जाना

4099. **श्री गिरधारी लाल व्यास** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जहाजपुर और असिन्द का भीलवाड़ा (राजस्थान) के साथ सीधा टेलीफोन सम्बन्ध नहीं है जिसके कारण भीलवाड़ा से इन स्थानों के साथ संपर्क स्थापित करने में कठिनाई होती है; और

(ख) जहाजपुर और असिन्द का भीलवाड़ा के साथ सीधी टेलीफोन लाइन से सम्बन्ध कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जहाजपुर एवं असिन्द क्रमशः देवली एवं ब्यावर ट्रंक एक्सचेंजों से जुड़े हुए हैं । इन एक्सचेंजों से उद्गमित कम ट्रंक परियात, इन एक्सचेंजों तथा भीलवाड़ा के मध्य लाइनें एवं तार बिछाने पर होने वाली बड़ी लागतों के कारण इस समय इन्हें भीलवाड़ा से जोड़ने के मामले पर विचार नहीं किया जा सकता । एक्सचेंजों तथा परियात का इतना विस्तार होने पर कि यह मार्ग आर्थिक तौर पर व्यवहार्य हो जाए तभी इस प्रणाली पर विचार किया जा सकता है।

गन्दी बस्तियों को समाप्त किया जाना

4100. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में गन्दी बस्तियों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए तथा उन्हें विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान में गन्दी बस्ती वाले क्षेत्र कहां-कहां स्थित हैं तथा क्या पाली शहर भी इसमें सम्मिलित है और यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके विकास के लिए वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का अब वित्तीय सहायता देने का विचार है और यदि हां तो किन-किन कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में गन्दी बस्तियां न बनने पाएं कोई उपचारात्मक उपाए किए हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) नगर की उन गन्दी बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार योजना में जो सभी नगरीय क्षेत्रों पर लागू हैं, गन्दी बस्ती क्षेत्रों के लिए मूल-भूत सहूलियतें और सुविधाएं देने की व्यवस्था है, जिन्हें आने वाले 10 वर्षों के लिए हटाया नहीं जाना है। सुधार की मदें जो योजना के अधीन उपलब्ध हैं, इस प्रकार हैं :

1. जलपूर्ति की व्यवस्था जिसमें पेयजल के नल शामिल हैं।
2. सीवर।
3. बरसाती पानी की नालियां।
4. सामूहिक स्नानगृह और शौचालय।
5. मौजूदा गलियों को चौड़ी करना और उनमें खड़ंजे बिछाना।
6. सड़क की बिजली।

यह योजना राज्य सरकार द्वारा संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अंग के रूप में राज्य प्लान योजनाओं के लिए किए गए नियतनों में से चलाई जाती है।

(ख) और (ग) सरकार के पास राजस्थान के उन नगरीय क्षेत्रों के बारे में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है जहां गन्दी बस्तियां मौजूद हैं। तथापि 1980-81 के राजस्थान की वार्षिक योजना दस्तावेज में दी गई सूचना के अनुसार, संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन पर्यावरणीय सुधार योजनाएं अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के गन्दी बस्ती क्षेत्रों में आरम्भ की गई हैं। छोटे तथा मध्यम आकार के कस्बों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को 1979-80 के दौरान पाली कस्बे के विकास के लिए एकीकृत परियोजना के एक अंग के रूप में भूमि के अर्जन और विकास की

योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 3.15 लाख रुपये की ऋण सहायता दी गई है। इस परियोजना में गन्दी बस्ती सुधार का एक घटक है जिसका वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(घ) रिक्त सरकारी भूमियों पर अनधिकृत उल्लंघन रोकने के लिए स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध शक्तियों के प्रयोग के अलावा, यह आशा की जाती है कि आवासीय क्षेत्र के अधीन स्थल तथा सेवाओं जैसी कम लागत की योजनाओं के जरिये समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

प्रोफैसनल सहायकों/प्रूफ रीडरों के पदों पर पदोन्नति

4101. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने प्रोफैसनल सहायकों/प्रूफ रीडरों के पदों पर विभागीय उम्मीदवारों को पदोन्नति/सीनियर वेतनमान देते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों/निदेशों का पालन नहीं किया और उस सम्बन्ध में उदारता बरती; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफैसनल सहायकों/प्रूफ रीडरों के मामले में भी ऐसी उदारता बरतने के बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों में छूट देकर, कुछ व्यावसायिक सहायकों को, उनकी लम्बी तथा प्रशंसनीय सेवा और इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि उन्हें पहले ही निर्धारित अर्हताओं में छूट देकर व्यावसायिक सहायक के पद पर पदोन्नत किया जा चुका था, 550-900 रुपये के वेतनमान में रखा है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन के बिना, प्रूफ रीडर के पद के वेतनमान को संशोधित करके 425-700 रुपये तथा सेलेक्शन ग्रेड को संशोधित करके 550-900 रुपये कर दिया। यह संशोधन उन पदधारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों, उसके सेवा रिकार्ड तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि पदोन्नति के उद्देश्य से इस पद को पहले ही वरिष्ठ सहायकों के बराबर कर दिया गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विषय पर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को लिखा है तथा अगली कार्यवाई विश्वविद्यालय के उत्तर प्राप्त हो जाने पर करेगा। आयोग द्वारा पहले निर्धारित की गई शर्तों में छूट के प्रश्न पर विचार करना आयोग का काम है।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित खाद्यान्न भंडारण परियोजना की क्षमता में कमी

4102. **श्री पी० एम० सईद**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित खाद्यान्न भंडारण परियोजना की क्षमता को कम कर दिया गया है;

(ख) क्या विश्व बैंक द्वारा मध्यावधि समीक्षा से इस योजना की क्षमता कम की गई है;

(ग) यदि हां, तो यह क्षमता कितनी कम की गई है;

(घ) इसी कमी के मुख्य कारण क्या थे; और

(ङ) क्या भारत की संभावित अच्छी फसल को ध्यान में रखते हुए उत्तर और दक्षिण में भंडारण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है ?

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 35.75 लाख मीटरी टन खाद्यान्न भंडारण क्षमता का निर्माण कराने सम्बन्धी विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना की भूमि की उपलब्धता में कठिनाइयां होने, रेलवे साइडिंग की अनुपलब्धता, लागत में वृद्धि होने आदि की दृष्टि में समीक्षा की जा रही है। क्षमता में कटौती करने के बारे में भारतीय खाद्य निगम के प्रस्ताव पर विश्व बैंक से विचार-विमर्श करने और भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विचार किया जाएगा।

(ङ) भण्डारण क्षमता की निरन्तर समीक्षा की जाती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनी ही क्षमता पर दबाव महसूस किया जा रहा है और इस तथ्य को ध्यान में रखकर छठी योजना में भंडारण की आवश्यकताओं के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। नीति यह रहती है कि घटिया प्राइवेट भंडारण क्षमता तथा कवर और प्लिथ क्षमता पर निर्भरता कम की जाए।

जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा योजना

4103. श्री पी० एम० सईद
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने आगामी तीन वर्षों के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा योजना लागू करने के लिए 4.26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उक्त प्रयोजन के लिए अधिक धनराशि देने के लिए सहमत हो गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय मन्त्रालय ने उक्त योजना जनसंख्या सम्बन्धी कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष के साथ सहयोग करके प्रस्तावित की थी; और

(घ) क्या इसे चालू शिक्षा वर्ष के दौरान लागू किया जाएगा ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सरकार ने एक राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें तीन वर्षों (1980-83) के दौरान 4.26 करोड़ रुपये का व्यय निहित है।

(ग) जनसंख्या कार्यकलाप हेतु संयुक्त राष्ट्र कोष ने, इस प्रयोजन के लिए सरकार की वित्तीय सहायता की पेशकश की है।

(घ) कार्यक्रम में पाठ्यचर्या विकास, अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करने, मुख्य व्यक्तियों का प्रशिक्षण और अनुसन्धान एवं मूल्यांकन की व्यवस्था है, जो कार्यक्रम के संचालन के दौरान क्रमिक ढंग से शुरू किए जाएंगे। 1980-81 में 10 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू हो गया है।

डाक तार विभाग द्वारा जनता को दक्ष सेवा उपलब्ध करने की मंत्रणा

4104. **श्री पी० एम० सईद**
श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने ऐसे कई प्रस्ताव रखे हैं और देश भर के महा-डाकपालों को यह सप्लाई दी है कि डाक तार विभाग द्वारा जनता को प्रभावी एवं दक्ष सेवा उपलब्ध कराने के लिए सर्किल स्तर पर एक तंत्र बनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो विभाग की कार्यकुशलता को सुधारने के लिए उन्होंने किन योजनाओं का सुझाव दिया है;

(ग) उनमें से कितनी कार्यान्वित कर दी गई हैं; और

(घ) डाक तार विभाग के कार्यकरण में कितना सुधार हो रहा है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (घ) जी हां। सभी पोस्टमास्टर जनरलों को मानिटरिंग यंत्रीकरण को और सुदृढ़ बनाने के लिए तथा कारगर ढंग से डाक सेवाओं की गुणवत्ता को मानिटर करने तथा सुधार लाने के लिए निदेश दिए गए हैं। डाक टिकटों, डाक स्टेशनरी, फार्म तथा आवश्यक उपस्करों की डाकघरों तथा रेल डाक सेवा कार्यालयों में उपलब्धता निरंतर मानिटर की जा रही है। मंडल अधीक्षक तथा उप-मंडल निरीक्षकों को डाकघरों का अक्सर आकस्मिक दौरा करने तथा काउंटर सेवाओं तथा डाक एकत्र करने, उसकी छंटाई करने, पारेषण तथा वितरण करने के लिए विशेष तौर से ध्यान देने के लिए कहा गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन पर अनधिकृत कब्जा

4105. **श्री पी० एम० सईद**
श्री मोहम्मद इसरार अहमद
श्री गुलाम रसूल कोचक
श्री एस० एम० कृष्ण
श्री ज्योतिर्मय बसु
श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की 10,000 एकड़ भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या कारण थे;

(ग) क्या किसी जांच के आदेश दिए गए हैं अथवा की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी मकान

4106. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने श्रेणी 'ए' में 15 वर्ष, श्रेणी 'बी' में 20 वर्ष, श्रेणी 'सी' में 23 वर्ष और श्रेणी 'डी' में 25 वर्ष की सेवावधि पूरी कर ली है परन्तु जिन्हें अभी तक सरकारी मकान आवंटित नहीं किया गया है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में किस प्राथमिकता तिथि तक के कर्मचारियों को आवास मिल गया है ;

(ग) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनकी श्रेणी 'ए' के लिए प्राथमिकता तिथि दिसम्बर, 1964 तक है, श्रेणी 'बी' के लिए 1957 तक है, श्रेणी 'सी' के लिए 1956 तक है और श्रेणी 'डी' के लिये 1955 तक है; और

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में श्रेणीवार उल्लिखित किस प्राथमिकता तिथि तक के सरकारी कर्मचारियों को सरकारी मकान सरकार द्वारा मिल सकेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली में सामान्य पूल वास की प्रतीक्षा करने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

श्रेणी 'ए' के लिए 15 वर्ष की सेवा अवधि वाले कर्मचारी	882
टाइप 'बी' के आवंटन के लिए प्रतीक्षा कर रहे 20 वर्ष की सेवा अवधि वाले कर्मचारी	1861
टाइप 'सी' के आवंटन के लिए प्रतीक्षा कर रहे 23 वर्ष की सेवा अवधि वाले कर्मचारी	1791
टाइप 'डी' के आवंटन के लिए प्रतीक्षा कर रहे 25 वर्ष की सेवा अवधि वाले कर्मचारी	कोई नहीं

(ग) दिल्ली में सामान्य पूल में आवंटन की प्रतीक्षा करने वाले कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

टाइप	अग्रता तारीख	संख्या
ए	21-12-1964	550
बी	31-12-1957	408
सी	31-12-1956	1304
डी	31-12-1955	कोई नहीं

(ख) और (घ) क्योंकि इस बारे में कोई निर्धारित तारीख नहीं बताई गई है, इसलिए सूचना देना सम्भव नहीं है।

भूमि की अधिकतम सीमा कानून के अन्तर्गत आवंटित भूमि के लिए केन्द्रीय सहायता

4107. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित भूमि के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस योजना को लघु किसान विकास क्षेत्रों/सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्रों में कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता 1 जनवरी 1975 के पश्चात वितरित किए गए क्षेत्रों के बारे में सभी राज्यों को उपलब्ध हैं। तथापि, इसमें वे क्षेत्र शामिल नहीं हैं, जहां लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास आदि जैसी अन्य केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत आवंटियों को ऐसी सहायता सुलभ की जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अन्तर्गत आवंटियों से यह प्रत्याशा की जाती है कि वे इन योजनाओं के अधीन लाभ उठायेंगे। आई. टी. डी. पी. क्षेत्रों जहां इस योजना के अन्तर्गत आवंटी सहायता के लिए पात्र होंगे, के सम्बन्ध में अपवाद रखा गया है।

(ग) और (घ) चूंकि इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध निधियां सीमित हैं, अतः इस योजना के कार्यक्षेत्र का उन क्षेत्रों में विस्तार किया जाना संभव नहीं हो सका है, जहां लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास जैसी अन्य केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी परिकल्पित नवीकृत प्रयासों के साथ यह आशा की जाती है कि उन क्षेत्रों जो इस योजना के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं मैं इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फालतू भूमि के आवंटियों को आवश्यक सहायता सुलभ की जा सकेगी। योजना के कार्य-क्षेत्र का अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने से इस योजना के अन्तर्गत निधियां बहुत कम प्राप्त हो सकेंगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन क्षेत्रीय समितियों और उपलब्धियों सम्बन्धी लेखा परीक्षा समितियों का कार्यकरण

4108. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा का मार्गदर्शन करने के लिए गठित की गई अनेक उच्चस्तरीय समितियां पिछले एक वर्ष से निष्क्रिय हैं और 1975 में बनाई गई आठ क्षेत्रीय समितियों की कोई बैठक नहीं हुई है तथा उपलब्धियों सम्बन्धी लेखा-परीक्षा समितियां काम नहीं कर रही हैं;

(ख) क्या डा० एम० एस० रंधावा की अध्यक्षता में गठित कृषि विश्वविद्यालयों सम्बन्धी पुनरीक्षण समिति द्वारा 1978 में की गई सिफारिशें अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उक्त कर्तव्यों का निर्वाह न किए जाने के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्य कर रहे कई वैज्ञानिकों ने संस्थापन छोड़ कर जाना शुरू कर दिया जिससे उक्त संस्थान को उनकी वैज्ञानिक जानकारी और अनुभव से वंचित होना पड़ा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। कृषि अनुसन्धान और शिक्षा का मार्गदर्शन करने के लिए गठित की गई कोई उच्चस्तरीय समिति पिछले एक या अधिक वर्षों से निष्क्रिय नहीं रही। वर्ष 1975 में गठित आठ क्षेत्रीय समितियों की जून, 1980 तक 25 बैठकें हुई हैं। दस उपलब्धियों सम्बन्धी लेखा-परीक्षा समितियां काम कर रही हैं। तीन और उपलब्धियों सम्बन्धी लेखा परीक्षा समितियां गठित की गई हैं।

(ख) डा० एम० एस० रंधावा की अध्यक्षता में कृषि विश्वविद्यालयों की समीक्षा समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह तत्काल भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा विश्वविद्यालयों को तथा मन्त्री (कृषि तथा सिंचाई) द्वारा सभी मुख्य मन्त्रियों को अग्रेषित की गई थी। वित्तीय स्वरूप की सिफारिशें जो केवल भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद से सम्बन्धित थीं, छठी पंच-वर्षीय योजना के प्रस्ताव में सम्मिलित की गई थीं। अन्य सिफारिशों की समीक्षा उप-कुलपतियों की बैठकों में जो कि वर्ष में दो बार होती हैं, और क्षेत्रीय समितियों की बैठकों में भी नियमित रूप से की गई। कुछ सिफारिशें, जिनमें राज्य सरकार के अनुमोदन तथा अधिनियमों तथा संविधि में सुधार की आवश्यकता होगी उनको सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्। नीचे प्रस्तुत की गई नई कार्मिक नीति के प्रकाश में, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में कार्य कर रहे विज्ञानियों को इस संस्था को छोड़ कर जाने का कोई कारण नहीं है जिससे संस्था को उनकी वैज्ञानिक जानकारी और अनुभव से वंचित होना पड़े।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने एक नयी कार्मिक प्रणाली विकसित की है और कृषि अनुसन्धान सेवा 1.10.1975 में शुरू की गई थी। नयी कार्मिक नीति की अति महत्वपूर्ण विशेषताओं में से तीन ये हैं :—

(1) केवल वेतन में वृद्धि के लिए किसी भी विज्ञानी को भविष्य में अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र से अलग हटने की आवश्यकता नहीं है; जो विज्ञानी अपना कार्य समर्पण भाव से तथा श्रेष्ठतापूर्वक कर रहा/रही हो वह बार-बार बिना आवेदन पत्र दिये और अपने व्यावसायिक सहयोगियों से बिना प्रतिस्पर्धा के और किसी नए अनुसन्धान प्रबन्ध स्थल को बिना जाये संस्था के अन्तर्गत उच्चतम संभाव्य वेतन पाने की आशा कर सकता है;

(2) प्रत्येक विज्ञानी को अपनी सेवा के कुछ समय में उपेक्षित तथा जनजाति की समस्याओं को सुलझाने के लिए सहायता करनी पड़ सकती है; तथा

(3) सभी अनुसन्धान प्रबन्ध तथा समन्वित स्थानों को सावधिक आधार पर भरा जायेगा ताकि किसी विज्ञानी को उसके सक्रिय अनुसन्धान क्षेत्र को बहुत लम्बे समय तक छोड़ने की आवश्यकता न हो।

महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में बांस की खेती के लिए केन्द्रीय सहायता

4109. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में केन्द्र की सहायता से बांस की बड़े पैमाने पर खेती किये जाने की संभावना है जिससे कागज के उत्पादन में सहायता मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की शीघ्र जांच करने और महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण प्रदेश में बांस के बागान के लिए केन्द्रीय सहायता देने का है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टिड्डियों से खतरा

4110. **श्री शान्ताराम**
श्री चिरंजी लाल शर्मा } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस आशय के समाचार मिले हैं कि टिड्डियों का खतरा समाप्त होने की रिपोर्ट मिलने पर एक वर्ष से कम समय में ही टिड्डियों का वापिस आने का खतरा उत्पन्न हो गया है और वे अफ्रीकी रेगिस्तान से भारत के तटवर्ती राज्यों से होते हुए भारत में प्रवेश करेंगी; और

(ख) क्या सरकार ने टिड्डियों के सम्भावित आक्रमण से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं। किसी प्रमाणिक स्रोत से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रजनन मौसम के दौरान भारत सरकार के टिड्डी चेतावनी संगठन को सतर्क रखा जाता है। चालू मौसम में किसी सम्भावित आक्रमण से होने वाले नुकसान से बचने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :

(1) टिड्डी चेतावनी और नियन्त्रण संगठन को भारत-पाक सीमा के आस-पास कड़ी निगरानी रखने के लिए सतर्क किया गया है;

(2) संगठन की तैयारी की समीक्षा करने तथा संभावित प्रजनन क्षेत्रों में उपयुक्त उपाय करने के लिए 29-4-1980 को वनस्पति रक्षण सलाहकार एवं टिड्डी नियन्त्रण निदेशक ने टिड्डी अधिकारियों, खाद्य एवं कृषि संगठन के क्षेत्रीय टिड्डी अधिकारी, कृषि विमानन निदेशक, अनुसूचित क्षेत्रों के राज्य तथा केन्द्रीय वनस्पति रक्षण अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी;

(3) टिड्डी चेतावनी संगठन में नियन्त्रण उपकरण, वाहन तथा कीटनाशी औषधियां तैयार रखी हुई हैं;

(4) कर्मचारियों को छुट्टी से वापस बुला लिया गया है;

(5) टिड्डी चेतावनी संगठन के क्षेत्रीय अधिकारियों को वेतार संचार-उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण देने के लिए अभी हाल में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रायोजित एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था; तथा

(6) हमारे टिड्डी अधिकारी पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ नियमित रूप से सीमा-बैठकें कर रहे हैं।

गुजरात में कपास और प्याज का उत्पादन और उसका मूल्य

4111. **श्री नवीन रवाणी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत फसल में कपास और प्याज का कितना उत्पादन हुआ और बाजार में उस समय क्या मूल्य थे जब इसकी फसलें बेची जाने के लिए तैयार थीं; और

(ख) यदि इसके मूल्य बहुत कम थे तो सरकार ने खुले बाजार में इसके मूल्यों में होने वाली घट-बढ़ से कपास और प्याज उत्पादकों को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की थी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) वर्ष 1978-79 में गुजरात में कपास का उत्पादन 21.01 लाख गांठें (प्रत्येक गांठ 170 कि० ग्रा०) और प्याज का उत्पादन लगभग 3.12 लाख मीटरी टन हुआ था। इन जिन्सों की मण्डी में सबसे अधिक आमद के दौरान गुजरात के केन्द्रों में महीने के अन्त में कपास और प्याज के मौजूदा थोक मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) कपास के मामले में वर्ष 1978-79 में कपास के बाजार मूल्य सामान्यतया समर्थन मूल्यों से अधिक थे। प्याज के सम्बन्ध में नाफेड ने पिछले वर्ष गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, अहमदाबाद के सहयोग से गुजरात के बाजार में प्रवेश किया और 35/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से लगभग 15,000 मीटरी टन खुला प्याज खरीदा।

विवरण

विपणन मौसम के दौरान गुजरात के महत्वपूर्ण केन्द्रों में महीने के अन्त में कपास और प्याज के थोक मूल्य

(रुपये—प्रति क्विंटल)

कपास

केन्द्र	किस्म	वर्ष	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल
बड़ौच	दिग्विजय	1978-79	400	410	425	450	425
		1979-80	400	380	440	445	420

प्याज

केन्द्र	किस्म	वर्ष	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई
जामनगर	लाल	1978-79	70	80	45	60	35	40
		1979-80	110	90	30	60	60	30

टिप्पणी—गुजरात राज्य में प्याज की दो फसलें होती हैं :

1. दिसम्बर से जनवरी तक, और
2. मार्च से जून तक।

'लेटर बाई सैटेलाइट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4112. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 20 जून, 1980 के टाइम्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली में 'लेटर बाई सैटेलाइट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या सरकार, जहां तक विदेशी डाक का सम्बन्ध है, उस सेवा का विस्तार प्रायोगिक उपाय के रूप में करने पर विचार करेगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

सांसदों के लिए फ्लेट्स

4113. **श्री नवीन रवाणी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोधी होटल के पीछे निर्मित न्यू इन्टरनेशनल होस्टल का उपयोग करने की क्या योजना है क्या इस होस्टल के कमरों को सांसदों को पेशकश की गई थी और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था और यदि हां, तो इस अस्वीकृति का क्या आधार था;

(ख) क्या मंत्रियों, अधिकारियों, सचिवों और सांसदों द्वारा आजकल अधिकृत अनेक बंगलों में मकानों का निर्माण करने की कोई स्कीम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सातवीं लोक सभा के चुनाव के तुरन्त बाद कुछ संसद सदस्यों को अस्थायी अवधि के लिए उस समय तक प्रगति बिहार होस्टल में आवास देने की पेशकश की गई थी जब तक कि उन्हें नियमित संसद सदस्यों का वास नहीं दे दिया जाता। संसद सदस्यों ने अधिक दूरी के कारण वहां जाना स्वीकार नहीं किया। तथापि, एक संसद सदस्य ने दो दिन के लिए इसे वास को लेना चाहा। होस्टल का वास अब केन्द्रीय सरकार के पास अधिकारियों को आवंटन करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

(ख) और (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

पंजीयक सहकारी समितियां, दिल्ली द्वारा भूमि एवं गृह विभाग को सत्यापित सदस्यों की सूची देना

4114. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत पंजीयक सहकारी समितियां दिल्ली को अपेक्षित है कि वह समिति के श्रेणी एक के अन्तर्गत आने वाले सदस्यों की सत्यापित सूची सात दिन की अवधि के भीतर भूमि एवं गृह विभाग को प्रेषित हों;

(ख) क्या श्रेणी एक के सदस्यों के सम्बन्ध में सत्यापन किसी क्षेत्रीय जांच के बिना और सहकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर किया जाना अपेक्षित है;

(ग) यदि हां, तो क्या फ्रेंडज सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के श्रेणी एक के सदस्यों की सूची सात दिन की निर्धारित अवधि के भीतर पंजीयक द्वारा आगे भेज दी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो सत्यापन के लिए समिति के आवेदन पत्र की तारीख क्या है और विलम्ब के कारणों सहित पंजीयक द्वारा अन्तिम स्वीकृति की तारीख क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सहकारी समितियों के पंजीकार को इस श्रेणी की सदस्यता का सत्यापन, सदस्यों की सूची प्राप्त करने के एक सप्ताह के अन्दर करना होता है बशर्ते कि यह सूची समिति के द्वारा सहकारी समितियों के पंजीकार से सरलीकरण की प्रक्रिया के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर प्रेषित की गई हो। सहकारी समितियों के पंजीकार के द्वारा इस सत्यापित सूची की एक प्रति भूमि तथा भवन विभाग को भेजी जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी नहीं, क्योंकि समिति ने निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित समयावधि में अपने सदस्यों की सूची नहीं भेजी और न ही सहकारी समितियों के पंजीकार को 'फ्रीज्ड' सूची की प्रमाणित प्रति भेजी थी, सूची को निर्धारित समयावधि में निपटाया नहीं गया।

(घ) समिति ने सूची को 28-3-78 को पेश किया था। चूंकि यह सरलीकृत पद्धति में निर्धारित तरीके के अनुसार नहीं थी, इसलिए समिति को यथा निर्धारित सूची पेश करने के लिए कहा गया था और सदस्यों के अपेक्षित घोषणा पत्रों और विधिवत सत्यापन सहित सूची के प्राप्त होने पर 135 सदस्यों की सदस्यता सहकारी समितियों के पंजीकार द्वारा निपटाई गई थी और इसे भूमि तथा भवन विभाग को 4-5-79 को भेजी गई थी।

समुद्री सीमा के अन्तर्गत मछली पकड़ने के स्थान तथा गैर भारतीय उद्यमों द्वारा मछली पकड़ना

4115. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की समुद्री सीमा के अन्तर्गत मछली पकड़ने के प्रमुख स्थान कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या अन्य देश इन स्थलों पर काफी मात्रा में मछली पकड़ने का काम करते हैं; और

(ग) यदि गैर भारतीय उद्यमों द्वारा भारत की समुद्री सीमा में मछली पकड़ने का काम किया जाता है तो वे अनुमानतः कितनी मछली पकड़ लेते हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) एकमात्र आर्थिक क्षेत्र अधिनियम (76 का 80) की धारा 3 (2) के तहत भारत का क्षेत्रीय जल, समुद्र तट से 12 मील की दूरी तक बताया गया है। धारा 7 (1) के तहत एकमात्र आर्थिक क्षेत्र समुद्र में 200 मील तक है। भारत के क्षेत्रीय जल की समूची तटरेखा के किनारे मछली पकड़ने के स्थल हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

पश्चिमी तट पर मत्स्य पत्तन में तलकर्षण

4116. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तट पर सभी मत्स्य पत्तनों में प्रवेश करने में मत्स्य नौकाओं को भारी कठिनाई का सामना करना पडता है क्योंकि वहां पर अत्यधिक रेत जमा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त पत्तनों से रेत निकालने के लिये ड्रेजर उपलब्ध कराने का है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां। पश्चिमी तट के साथ-साथ छोटे पत्तनों पर बहुत से मत्स्यन बन्दरगाहों को रेत जमा होने की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से छोटी यंत्रीकृत मत्स्यन नौकाओं को प्रवेश करने में कठिनाई होती है।

(ख) तलमार्जन सहित छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाहों के रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कुछ राज्य सरकारों के पास अपने ड्रेजर्स हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय ड्रेजिंग निगम और प्राइवेट फर्मों के पास ड्रेजर किराये के लिए उपलब्ध हैं।

सैकण्डरी स्कूल परीक्षा

4117. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गैर-सहायता-प्राप्त मान्यता-प्राप्त ऐसे कौन-कौन से पब्लिक स्कूल हैं, जो इण्डियन पब्लिक स्कूल्स कान्फ्रैंन्स के सदस्य हैं और ऐसे क्रमशः कौन-कौन से केन्द्र थे, जहां उन स्कूलों के छात्रों ने सैकण्डरी स्कूल परीक्षा, 1980 दी थी;

(ख) दिल्ली में कौन-कौन से सेन्ट्रल स्कूल हैं और ऐसे क्रमशः कौन से केन्द्र थे, जहां इन स्कूलों के छात्र परीक्षा में बैठे थे;

(ग) दिनांक 30-4-79 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9069 के उत्तर में दी गई सूचना के अनुसार, अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियमावली, 1973 के अधीन गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों द्वारा प्रति छात्र वसूल की जा रही 10वीं कक्षा की फीस की दरें क्या हैं और दिल्ली में सहायता प्राप्त और सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र कितनी फीस वसूल की जा रही है; और

(घ) इसके क्या कारण थे कि मार्च, 1980 में हुई आल-इण्डिया परीक्षा का परिणाम 74 प्रतिशत था, 1980 में हुए दिल्ली सैकण्डरी परीक्षा का परिणाम केवल 61 प्रतिशत था ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दिल्ली में, पब्लिक स्कूलों तथा केन्द्रीय विद्यालयों (सेन्ट्रल स्कूल) के नाम तथा प्रत्येक के सामने दिए गए परीक्षा केन्द्रों के नाम जहां इन स्कूलों के छात्र माध्यमिक स्कूल परीक्षा 1980 में बैठे थे, का विवरण संलग्न है ।

(ग) दिल्ली में पब्लिक स्कूलों द्वारा कक्षा 10 में ली जा रही शिक्षा शुल्क की दरें निम्नलिखित हैं :—

स्कूल का नाम	शिक्षा शुल्क की दर
1. एयरफोर्स सेन्ट्रल स्कूल	115/- रु० प्रति माह
2. माडर्न स्कूल	115/- रु० प्रति माह
3. दिल्ली पब्लिक स्कूल	105/- रु० प्रति माह
4. सावन पब्लिक स्कूल	1,100/- रु० प्रति वर्ष

दिल्ली में सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा कक्षा 10 में लिया जाने वाला शिक्षा शुल्क निम्नलिखित है:—

	ग्रेड I	ग्रेड II
बाल विद्यालय	9/- रु० प्रति माह	7/- रु० प्रति माह
बालिका विद्यालय	5/- रु० प्रति माह	3/50 रु० प्रति माह

टिप्पणी : ग्रेड I का शिक्षा शुल्क उन्हीं छात्रों से लिया जाता है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 5,000/- रु० से कम नहीं है । ग्रेड II का शिक्षा शुल्क उन छात्रों से लिया जाता है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 5,000/- रु० से कम है ।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1980 में आयोजित की गयी अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा तथा दिल्ली माध्यमिक स्कूल परीक्षा में पास प्रतिशतता क्रमश: 90.1 और 55.9 थी। परिणाम परीक्षा में छात्रों के वास्तविक निष्पादन पर आधारित होते हैं।

विवरण

क्रम सं०	स्कूल का नाम	परीक्षा केन्द्र का नाम
	(क) पब्लिक स्कूल जो कि भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन के सदस्य हैं :	
1.	एयरफोर्स सेन्ट्रल स्कूल, दिल्ली कैन्ट।	केन्द्रीय विद्यालय, दिल्ली कैन्ट।
2.	माडर्न स्कूल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।	बाल भारती पब्लिक स्कूल, पूर्वी मार्ग, नई दिल्ली।
3.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली।	केन्द्रीय विद्यालय, एन्ड्रूज गंज, नई दिल्ली।
4.	सावन पब्लिक स्कूल, छत्तरपुर रोड, नई दिल्ली।	केन्द्रीय विद्यालय, आई० आई० टी० हौज खास, नई दिल्ली।
	(ख) केन्द्रीय विद्यालय	
1.	केन्द्रीय विद्यालय, दिल्ली कैन्ट, नई दिल्ली।	केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली।
2.	केन्द्रीय विद्यालय, झड़ौदाकलां, नई दिल्ली।	हैप्पी माडल स्कूल, जनकपुरी, नई दिल्ली।
3.	केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली।	आर्मी पब्लिक स्कूल, धौला कुंआं, नई दिल्ली।
4.	केन्द्रीय विद्यालय, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली।	हंसराज माडल स्कूल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।
5.	केन्द्रीय विद्यालय, गोल मार्किट, नई दिल्ली।	भारतीय विद्या भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
6.	केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर 8, रा० कृ० पुरम, नई दिल्ली।	दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैक्टर 12, रा० कृ० पुरम, नई दिल्ली।
7.	केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर 2, रा० कृ० पुरम, नई दिल्ली।	केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर 8, रा० कृ० पुरम, नई दिल्ली।

8.	केन्द्रीय विद्यालय, एन्ड्रूज गंज, नई दिल्ली ।	समर फील्ड स्कूल, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली ।
9.	केन्द्रीय विद्यालय, आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली ।	एन० डी० एम० सी० नवयुग स्कूल, सरोजनी नगर, नई दिल्ली ।
10.	केन्द्रीय विद्यालय, आई० आई० टी०, हौज खास, नई दिल्ली ।	केन्द्रीय विद्यालय, आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली ।
11.	विशेष केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली ।	हैप्पी माडल स्कूल, जनकपुरी, नई दिल्ली ।

बालिराजगढ़ में खुदाई

4118. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मधुबनी जिले के बहु बराही खण्ड के अन्तर्गत बालिराजगढ़ में की गई प्रारम्भिक खुदाई से ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की वस्तुओं की खुदाई की गई थी;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा यदि आवश्यक हो तो पानी आदि बाहर निकाल कर खुदाई कार्य को आगे जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या स्थल पर बना डाक बंगला भी अपूर्ण है; और

(घ) यदि हां, तो इसे पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां ।

(ख) इस स्थल की खुदाई के दौरान यहां से प्राप्त हुई वस्तुओं में, लगभग दूसरी शताब्दी ई० पू० के उत्तरी काले चमकदार मृद्भाण्डों के कुछ टुकड़ों के अतिरिक्त मनके, सिक्के, शुङ्ग कालीन, पक्की मिट्टी के बर्तन तथा अस्थि की बनी वस्तुएं समाविस्ट हैं।

इस स्थल की और खुदाई करने का अभी सर्वेक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) संरक्षित क्षेत्र में कोई डाक बंगला नहीं बनाया गया ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिथिला विश्वविद्यालय को वित्तीय और अन्य सहायता

4119. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को, इसके प्रबन्ध में व्यापक क्षेत्र और भारी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए पटना विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के बराबर अनुदान और सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता के लिए पात्र घोषित कर दिया गया है। तथापि, विश्वविद्यालय को किसी प्रकार के विकास अनुदान का भुगदान करने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा केवल तभी विचार किया जायेगा जब राज्य सरकार उन सभी आश्वासनों को पूरा करे जिनके आधार पर आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को पात्र घोषित किया गया था और विश्वविद्यालय के विकास प्रस्तावों का मूल्यांकन कर लिया गया हो।

मधुबनी जिले के लिए पृथक डाक डिवीजन

4120. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहरसा जिले के निरमली अलो सहित मधुबनी जिले की जनसंख्या को नेपाल सीमावर्ती जिले की नदी तट क्षेत्र की विशिष्ट प्रकार की भूमि तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मधुबनी जिले के लिए पृथक डाक डिवीजन बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और समयबद्ध कार्यक्रम क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) मौजूदा दरभंगा डाक मंडल का द्विभाजन करके मधुबनी जिले के लिए पृथक डाक मंडल बनाने से संबन्धित प्रस्ताव अभी हाल ही में बिहार सर्कल के पोस्टमास्टर जनरल से प्राप्त हुआ है तथा इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

नालन्दा बिहार में आलू अनुसंधान केन्द्र

4121. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार नालन्दा जिले में अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना करने का है जो कि देश में एक प्रमुख आलू उत्पादक केन्द्र है और जहां मिट्टी का परीक्षण किया जा सके और आलू के अधिक उपज देने वाले बीजों पर अनुसन्धान किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। केन्द्रीय सरकार का नालंदा जिले में कोई अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि बिहार में राज्य के आलू उगाने वाले सभी प्रमुख क्षेत्रों की, जिनमें नालंदा भी सम्मिलित है, क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए बहु-शाखीय अनुसन्धान कार्य चलाने हेतु भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान और अखिल भारतीय समन्वित आलू अनुसंधान प्रायोजना के अधीन पहले से ही पटना, रांची और दानापुर में तीन अनुसंधान केन्द्र स्थापित हैं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

वर्ष 1980-81 के दौरान बिहार में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

4122. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में बिहार में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज लाइनों को बिछाने के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य नियत किया है;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान सरकार जिला नालन्दा (बिहार) के बिहार-शरीफ में भी स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज लाइनों को बिछाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1980-81 के दौरान बिहार में मौजूदा स्वचल एक्सचेंजों का विस्तार करने के लिए स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर की 1100 लाइनें चालू किए जाने की सम्भावना है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पेय जल

4123. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी रूप से पेय जल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने हैं; और

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा जल की सप्लाई के लिए क्या योजनाएं प्रस्तावित की हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा केन्द्र सरकार के पास लम्बित योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) पेय जल की व्यवस्था करना राज्य का विषय है । तथापि, त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उन ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देती है जहां पेय जल की समस्या अपेक्षाकृत अधिक तीव्र है ।

मौजूदा लक्ष्य यह है कि छठी योजना (1980-85) के दौरान कुएं खोदकर, नल जल पूर्ति योजना, स्टोरेज टैंकों के निर्माण, कुओं को गहरा करने आदि जैसे उपयुक्त उपायों के जरिए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जाए ।

(ख) 1977-78 में योजना के आरम्भ से भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1694 ग्रामों के लिए 448 योजनाओं का अनुमोदन किया है। फिलहाल 1852.70 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत की 23 जिलों में 370 ग्रामों (337 समस्याग्रस्त तथा 33 अड़ोस पड़ोस के ग्राम) के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत 309 योजनाओं की तकनीकी तौर पर जांच कर ली गई है और भारत सरकार इन योजनाओं का

अनुमोदन करने से पूर्व राज्य सरकारों से इनमें से प्राथमिक योजनाओं की सूची की प्रतीक्षा कर रही है ।

गिर शेरों की संख्या

4124. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1960 से गिर शेरों की संख्या कम हो गई है जब शेर मारने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस समय गिर वन में शेरों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) उनकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) गत मौसम के दौरान गिर शेरों का शरण स्थान देखने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) वर्ष 1979 में की गई गणना के अनुसार शेरों की संख्या 205 है ।

(ग) इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है :—

(1) शेर वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शामिल किया गया है । इस प्रकार इस प्रजाति की सम्पूर्ण सुरक्षा करने और इसके शिकार करने के विरुद्ध कठोर दण्ड देने का प्रावधान है।

(2) जब से भारत 1976 में वन्य प्राणियों और पौधों की खतरे में पड़ी प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सम्मेलन का सदस्य बना तब से शेर की खालों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

(3) गिर शरण स्थल की बाहरी सीमा के चारों ओर एक मीटर ऊंची दीवार का निर्माण करना ताकि गिर शरण स्थल में पशुओं की चराई न की जा सके ।

(4) शरण स्थान के भीतर सामान्य कटाई के कार्यों तथा शरण स्थान के बाहर मनुष्यों के रहने के स्थान बनाने पर पूर्ण नियन्त्रण लगा करके प्राकृतिक वास स्थलों में सुधार करना ।

(5) शरण स्थान के भीतर सभी मानवीय हस्क्षेपों पर कड़ा नियन्त्रण करना।

(घ) गत मौसम के दौरान (अक्तूबर, 1979 से जून, 1980 तक) गिर शरण स्थल को देखने के लिए आये पर्यटकों की संख्या 28,420 है ।

गाजियाबाद मण्डल में डाक-घरों से शिकायत/सुझाव पुस्तकों का हटाया जाना

4125. **श्री आर० पी० यादव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों ने तथा कुछ संसद सदस्यों ने यू० पी० सर्कल के गाजियाबाद मंडल में कुछ डाकघरों से शिकायत/सुझाव पुस्तकें हटाए जाने के बारे में मन्त्री महोदय को शिकायत की थी;

(ख) शिकायत/सुझाव पुस्तकें किसके आदेश से हटाई गई;

(ग) क्या डाकघर अधीक्षक ने जनता द्वारा बार-बार लिखने पर भी शिकायत/सुझाव पुस्तकें तब तक उपलब्ध नहीं कराई, जब तक कि मन्त्री ने हस्तक्षेप नहीं किया;

(घ) क्या इन लिखित सार्वजनिक शिकायतों की प्राप्ति सूचना भी नहीं दी गई; और

(ङ) ऐसी शिकायतों की पुनरावृति न होने देने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) गाजियाबाद नगर रात्रि डाकघर में शिकायत तथा सुझाव पुस्तक न उपलब्ध होने के सम्बन्ध में तारीख 21-3-80 को एक शिकायत स्वयं माननीय संसद सदस्य से प्राप्त हुई थी तथा उसका उत्तर 18-4-1980 को दे दिया गया था ।

(ख) यद्यपि गाजियाबाद नगर रात्रि डाकघर में शिकायत तथा पुस्तक उपलब्ध है किन्तु बढ़ाये गए कार्यघन्टों के दौरान वह काउन्टर पर इसलिये उपलब्ध न थी क्योंकि पोस्टमास्टर उस अवधि के दौरान ड्यूटी पर नहीं थे । उप पोस्टमास्टर को समुचितरूप से निदेश दिये गए हैं कि शिकायत एवं सुझाव पुस्तक डाकघर में पूरे कार्य घन्टों के दौरान बढ़ाए गए कार्य घन्टे सहित उपलब्ध कराई जाए ।

(ग) तारीख 30-3-80 को केवल एक शिकायत आम व्यक्ति से अधीक्षक डाकघर को प्राप्त हुई थी और वहां शिकायत संचार मन्त्री को प्राप्त हुई थी तथा हस्तक्षेप किया गया ।

(घ) आम शिकायत की पावती अधीक्षक डाकघर ने दी थी ।

(ङ) इस प्रकार के निदेश पहले से ही हैं कि शिकायत तथा सुझाव पुस्तक उपलब्ध होनी चाहिए तथा इस आशय के सूचना पट्ट सभी डाकघरों में लगाए जाने चाहिए । दौरे तथा निरीक्षण पर जाने वाले अधिकारी भी इसकी जांच करते हैं । इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होते ही शीघ्रता से कार्रवाई की जाती है ।

मध्य प्रदेश में सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए टेलीफोन कनेक्शन

4126. **श्री गुफरान आजम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत 3 वर्षों के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता आदि की श्रेणियों के व्यक्तियों को कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग को देखते हुए उपरोक्त श्रेणियों के व्यक्तियों को आवंटित किये जा रहे टेलीफोन की संख्या पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान 'सामाजिक कार्यकर्ता' श्रेणी के अन्तर्गत तीन टेलीफोन दिए गए हैं ।

(ख) जी नहीं । फिर भी, 'जन सेवक' श्रेणी के अन्तर्गत योग्यता सम्बन्धी नियमों को और अधिक कड़ा बना दिया गया है । नवीनतम आदेशों के अनुसार केवल वे प्रमुख जन-सेवक ही इस श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकरण करा सकेंगे जो कि लोक जीवन में ख्याति प्राप्त हैं तथा जिनकी अत्यधिक प्रतिष्ठा है ।

पशुओं की उत्पादिता

4127. **श्री गुफरान आजम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पशुओं की उत्पादिता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : पशुपालन राज्यों का विषय है तथा इस विषय में की जाने वाली कार्रवाई प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हो सकती है परन्तु उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिये किये जाने वाले उपाय मूलरूप से निम्नलिखित हैं :—

(1) पशु विकास

देशी पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिये संकर प्रजनन का कार्य बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया है। कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये प्रशीतन वीर्य तकनोलोजी को आरम्भ किया गया है और उसे व्यापक पैमाने पर अपनाया गया है। छोटे एवं सीमांत कृषकों तथा भूमि-हीन श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिये देश के 99 जिलों में संकर-प्रजनित बछड़ियों के पालन की स्कीम आरम्भ की गई। गहन पशु विकास परियोजनाओं तथा प्रमुख ग्राम खण्डों को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा नई परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। गोपशुओं की उत्पादकता में सुधार करने के लिये अच्छे एवं प्रमाणित सांडों को पैदा करने तथा उन्हें सप्लाई करने के लिये भारत सरकार ने देश में 7 केन्द्रीय गाय व भैंस प्रजनन फार्म स्थापित किये हैं। प्रजनक सांडों के सन्तति परीक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। पशु विकास में गोशालाओं का भी योग-दान है।

(2) कुक्कुट विकास

अण्डों तथा कुक्कुट उत्पादन को बढ़ाने के लिये सर्वोत्तम किस्म के चूजों के विकास, उत्पा-दन तथा सप्लाई के लिये भारत सरकार ने 4 केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म स्थापित किये हैं। संकर प्रजनन के माध्यम से देशी बत्तखों की नस्ल में सुधार करने के लिए सर्वोत्तम किस्म के बत्तखों के संवर्धन हेतु कृषि विभाग ने एक केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म भी स्थापित किया है। कुक्कुट पालकों को अच्छी किस्म के चूजे सप्लाई करने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने कुक्कुट प्रजनन फार्म स्थापित किये हैं। निजी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के अनेक फार्म स्थापित किये गये हैं। ऐसे फार्मों के पक्षियों की उत्पादकता देशीय पक्षियों की तुलना में कई गुणा अच्छी है। विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिये कुक्कुट उत्पादन एवं प्रबन्ध सम्बन्धी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। छोटे एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिये देश के 68 जिलों में विशेष कुक्कुट उत्पादन कार्यक्रम की एक स्कीम आरम्भ की गई है। इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक जिले में 3000 ग्रामीण कृषक परिवारों के लिये 50 अण्डे देने वाली मुर्गियों की यूनिटों की स्थापना होने से उन्हें लाभ पहुंचेगा।

(3) भेड़ विकास

संकर मेढ़ें पैदा करने के लिये देश में ऊन तथा मांस दोनों के लिये विदेशी नस्लों की भेड़ों को प्रचलित किया गया है। संकर मेढ़ें पैदा करने के लिये केन्द्रीय क्षेत्र के तहत हिसार में एक वृहत भेड़ प्रजनन फार्म तथा राज्यों में ऐसे 7 फार्म स्थापित किये गये हैं। संकर मेढ़ें निजी रेवड़ों के मालिकों को उनकी नस्ल सुधारने के लिये दिए जाते हैं। ऊन इकट्ठा करने, उसके श्रेणीकरण तथा

विपणन को बढ़ाने के लिये राजस्थान कर्नाटक तथा गुजरात में एक-एक ऊन बोर्ड स्थापित किया गया है।

(4) सूअर पालन विकास

देशी सूअरों का विदेशी सूअरों की उन्नत नस्लों के साथ संकर प्रजनन द्वारा उत्पादन की क्षमता में सुधार लाने के लिये कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। इस कार्य के लिए राज्य सरकारों ने बढ़िया किस्म के विदेशी नस्लों के सूअर आयात किए हैं तथा बढ़िया किस्म के सूअरों की मांग को पूरा करने के लिए प्रजनन फार्म स्थापित किए हैं।

(5) चारा विकास

चारा उत्पादन तकनोलोजी के शीघ्र प्रसार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में चारा उत्पादन और विकास के लिए सात क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए हैं। ये केन्द्र चारा फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का भी उत्पादन करते हैं तथा राज्य ऐजेंसियों को उनके और अधिक वर्धन और वितरण कार्यों में सहायता देते हैं। बरसीम पैदा करने के लिए, शीतोष्ण कटिबंध में एक नई तथा प्रभावी सस्य-तकनोलोजी आरम्भ की गई है। चारा फसलों के आधारी बीजों की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक में एक वृहत चारा बीज उत्पादन फार्म स्थापित किया गया है तथा केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत एक दूसरा फार्म असम में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त कृषकों की मांग पूरी करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम तथा राज्य सरकार के फार्मों ने भी अधिक उपज देने वाली किस्में तैयार की हैं।

(6) पशु स्वास्थ्य

पशुधन की स्वास्थ्य रक्षा एक प्रकार का आदान है जो पशुओं को लोगों से होने वाले नुकसानों को रोकथाम करके उत्पादकता में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनाएं सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही हैं। पशु प्लेग उन्मूलन योजना में संवेदनशील पशुओं को टीके लगाने तथा रोग पर निगरानी रखने की व्यवस्था की गई है। खुरपका एवं मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत समाज के कमजोर वर्गों को पोलिवेलेंट टीके सस्ते दामों पर दिए जाते हैं। टीकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए राज्यों के जैविक उत्पादन केन्द्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा पशु-चिकित्सा अस्पतालों के माध्यम से पशुओं को दिए जा रहे दैनिक उपचार के अलावा प्रायः सभी राज्यों में रोग-निदान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तुर्कमान गेट पर बनाए गए मकान

4128. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तुर्कमान गेट पर कितने मकान बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं;

(ख) उन मकानों की निर्माण लागत और बिक्री मूल्य क्या है; और

(ग) इन मकानों का आवंटन किन लोगों को किया जाएगा और उनके आवंटन अथवा बिक्री की क्या प्रक्रिया होगी;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तुर्कमान गेट में 414 मकानों का निर्माण प्रायः पूरा हो चुका है। अन्य 54 मकानों का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना है।

(ख) और (ग) इन्हें अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

मिन्टो रोड, नई दिल्ली में क्वार्टर

4129. **श्री चंद्रपाल शैलानी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिन्टो रोड और उसके संलग्न क्षेत्रों में कुछ सरकारी मकानों/क्वार्टरों पर ऐसे लोगों ने अनधिकृत रूप से जबरन कब्जा किया हुआ है जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इन क्वाटंरों को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है;

(ग) क्या इन क्वार्टरों को सरकारी कर्मचारियों को आवंटित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 1976 के दौरान तुर्कमान गेट क्षेत्र में किए गए सफाई अभियान से प्रभावित परिवारों को उस अवधि तक अस्थायी तौर पर बसाने के लिए जब तक कि उनके पुनर्वास की आवास योजना पूर्ण न हो जाए, सामान्य पूल में मिन्टो रोड क्षेत्र में खाली पड़े टाइप-III, IV तथा V के 94 पुराने क्वार्टरों को मई, 1977 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को दे दिये गये थे। इनमें से कुछ क्वार्टरों के हिस्सों पर वास्तविक व्यक्तियों जिन्हें क्वार्टर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किये गये थे, की बजाए अन्य व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा किया हुआ था।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इन क्वार्टरों को खाली कराने के लिए पुलिस प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण भी मकानों को अनधिकृत व्यक्तियों से खाली कराने तथा जुर्माना आदि वसूल करने के लिए आवश्यक कार्रवाही कर रहा है।

(ग) और (घ) सिवाय उन क्वार्टरों के जो पुनर्विकास कार्यक्रम में गिराये जाने हैं, अनधिकृत व्यक्तियों से खाली कराने के पश्चात इन क्वार्टरों को मात्र सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किया जाएगा।

तुर्कमान गेट क्षेत्र, दिल्ली में बेदखल लोग

4130. **श्री चंद्रपाल शैलानी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुर्कमान गेट क्षेत्र के बेदखल लोगों को मिन्टो रोड और उसके समीप के क्षेत्रों में सरकारी क्वार्टर आवंटित कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सरकारी क्वार्टर कितने हैं;

(ग) इन लोगों से कितना किराया वसूल किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) 94 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्वार्टर ।

(ग) और (घ) इन क्वार्टरों के आवंटियों से लिए जाने वाले किराए का अभी निर्धारण नहीं किया गया है लेकिन इन आवंटियों से 20/- रुपये से लेकर 50/- रुपये तक प्रतिमास तक तदर्थ किराया लिया जा रहा है ।

मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

4131. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद 1 जून, 1980 को खाली रहे; और

(ख) इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के पद निम्नलिखित दो श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :—

(1) ऐसे पद जिन पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से भर्ती की जाती है ।

(2) वे पद जिन पर मंत्रालय द्वारा भर्ती की जाती है ।

जहां तक उपर्युक्त (1) का सम्बन्ध है, इनमें साधारणतया भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य केन्द्रीय सिविल सेवा सहित अन्य केन्द्रीय सेवाओं आदि के अधिकारियों द्वारा भरे जाने वाले पद आते हैं । इन पदों/ग्रेडों में रिक्त स्थानों की संख्या समय-समय पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचित कर दी जाती है । वह विभाग वास्तविक भर्ती के समय आरक्षण आदेशों को ध्यान में रखता है ।

जहां तक उपयुक्त श्रेणी का सम्बन्ध है, 1 जून, 1980 को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 12 पद तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 5 पद खाली थे ।

इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए, संघ लोक सेवा आयोग, स्टाफ चयन आयोग आदि जैसी चयन करने वाली एजेंसियों को मांग भेज दी गई है ।

गोपालपुर, उड़ीसा में मत्स्य बन्दरगाह

4132. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार उड़ीसा के गोपालपुर में मत्स्य बंदरगाह की स्थापना करने के प्रस्ताव की जांच कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां। गोपालपुर में वाणिज्यिक तथा मत्स्यन बन्दरगाह के विकास के लिए जुलाई 1979 में राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। यह प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति के लिए मत्स्यन बन्दरगाहों की निवेश-पूर्व सर्वेक्षण परियोजना को भेजा गया था। प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए उनकी टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई हैं। अभी उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

बनारस विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान संस्थान का खोला जाना

4133. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक दल ने वर्ष 1972 में यह सिफारिश की थी कि चौथी योजना में बनारस विश्वविद्यालय में एक कृषि विज्ञान संस्थान खोली जाए;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय में अब तक कृषि विज्ञान संस्थान न खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस संस्थान को कब तक खोलेगी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान। तथापि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक निरीक्षक दल (1972) ने, जिसने कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कृषि संकाय का निरीक्षण किया था, यह परामर्श दिया था कि इस संकाय के भावी विकास की योजना कृषि विश्वविद्यालय की प्रणाली पर बनायी जाय जिससे कि यह संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका अदा कर सके।

(ख) यद्यपि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमत हो गया था तो भी वर्ष 1976 तक इस सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। इसी बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की शिक्षा और अनुसंधान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 1975 में फैजाबाद में नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया। वर्ष 1977 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने इस विश्वविद्यालय के कृषि संकाय को कृषि विज्ञान संस्थान में परिणित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तदनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दल ने सितम्बर, 1977 में विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और कृषि संकाय को कृषि विज्ञान के एक संस्थान के रूप में प्रोन्नत करने की सिफारिश की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस सिफारिश पर सिद्धान्त रूप से सहमत हो गयी है बशर्ते कि कुछ शर्तें पूरी की जाय।

(ग) यह संस्थान किस समय तक खुलेगा, यह कुछ औपचारिकताओं के पूरा होने पर निर्भर करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परि-

षद और स्वयं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के परामर्श से पूरी होंगी। इन्हें शीघ्र पूरा किया जा रहा है।

सारनाथ के बौद्ध भिक्षु के खिलाफ शिकायतें

4134. **श्री निहाल सिंह :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारनाथ, वाराणसी के बौद्ध भिक्षुक ने 50 लाख रुपये के मूल्य की प्राचीन वस्तुएं और प्राचीन काल के सोने और चांदी के सिक्के अपने उत्तराधिकारी के हवाले नहीं किए थे और क्या ये वस्तुएं सारनाथ के महाबोधी इन्टर कालेज के मैनेजर की सहायता से गायब हो गई;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में है तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है और दोषी पाए गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में जानकारी के अनुसार सारनाथ के बौद्ध भिक्षुक डा० भिक्षु धर्मरक्षित के पास पुरावेषों का संग्रह था। 23.5.77 को उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में संघर्ष पैदा हुआ। बाद में स्वर्गीय भिक्षु धर्मरक्षित के घर पर चोरी हो जाने पर पुलिस ने भिक्षु की सम्पत्ति, जिसमें कथित पुरावशेष भी समाविष्ट है, जब्त कर ली और महाबोधी इण्टर कालेज के कार्यकारी प्रिन्सिपल श्री रामू सिंह के पर्यवेक्षणाधीन रखी।

(ख) जी हां। अप्रैल 1979 में तत्कालीन शिक्षा मन्त्री को सम्बोधित करते हुए संसद-सदस्य श्री सौगत राय ने कहा कि बहुत से पुरावशेष ठगे गये हैं। मन्त्री जी ने मामले की छानबीन का अनुरोध करते हुए श्री सौगत राय ने वाराणसी के आयुक्त के न्यायालय में हुए इस मामले से सम्बन्धित निर्णय की एक प्रतिलिपि भी संलग्न की।

(ग) यह मामला वाराणसी के जिला-मजिस्ट्रेट तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एन्टीक सेल में भेजा गया। गृह-सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजते हुए जिला-मजिस्ट्रेट ने यह सुझाव दिया कि यह मामला अपराध अन्वेषण विभाग को सौंप दिया जाए। दूसरी ओर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने, अपराध शाखा द्वारा उपयुक्त जांच कराये जाने के लिए यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिरीक्षक को भेज दिया।

दिल्ली में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की क्रियान्विति में कथित कुप्रशासन

4135. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 28 दिसम्बर, 1979 तथा 28 मार्च, 1980 के दैनिक जनयुग के "दिल्ली में प्रौढ़ शिक्षा फंड के लाखों रुपये का दुरुपयोग" शीर्षक से छपे समाचार और दिनांक 21 फरवरी, 1980 तथा 22 फरवरी, 1980 के इंडियन एक्सप्रेस में "दिल्ली हैज मोर इलिटरेट्स दैन बिफोर" (दिल्ली में पहले से अधिक अनपढ़ लोग हैं) शीर्षक से छपे समाचार के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या माध्यमिक विद्यालय अध्यापक संघ, दिल्ली ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की क्रियान्विति में कुप्रशासन तथा धोखाधड़ी के बारे में दिनांक 3 अप्रैल, 1980 का एक ज्ञापन दिल्ली के उप राज्यपाल को दिया है;

(ग) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गयी है और दिल्ली में अगस्त, 1979 से जनवरी, 1980 तक केन्द्र-वार कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या कुछ कर्मचारियों को इसकी तथाकथित सफल क्रियान्विति के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर आंकड़े प्रस्तुत न किये जाने पर परेशान किया गया था; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) 1979-80 में इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली प्रशासन को 25 लाख रुपये का बजट आवंटन दिया गया था । सन्दर्भाधीन अवधि के दौरान उन्होंने लगभग 8 लाख रुपये का व्यय बताया है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 13 लाख रुपये की राशि मुक्त की गई थी । इन योजनाओं के अन्तर्गत व्यय से सम्बन्धित ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने समाचार पत्रों की रिपोर्टों तथा प्रश्न के भाग (क) और (ख) में संदर्भित ज्ञापन की जांच-पड़ताल की है और इनमें लगाए गए आरोपों में कोई सत्यता नहीं पाई गई है । ऐसी स्थिति में किसी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राउरकेला में डाक और तार कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4136. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई के अन्तिम सप्ताह से 7 जून, 1980 तक राउरकेला के डाक और तार कर्मचारी हड़ताल पर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो उनके हड़ताल करने के कारण क्या थे; और

(ग) उन कारणों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां । राउरकेला के डाक तार कर्मचारियों ने तारीख 23-5-80 से 6 जून, 1980 तक हड़ताल की थी ।

(ख) डाक तार कर्मचारी राउरकेला स्टील प्लांट से सस्ती दरों पर कोयला लेने तथा डाक तार विभाग द्वारा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण की अपनी मांगें पूरी कराने हेतु हड़ताल की थी ।

(ग) सस्ती दरों पर कोयला दिलाने के मामले पर स्टील प्राधिकरण भारत के अध्यक्ष से बातचीत की गई थी। उन्होंने बताया कि सामान्यता कोक ब्रिकेट राउरकेला स्टील प्लांट टाउनशिप में 30 रु० प्रति क्विंटल उपलब्ध है। डाक तार कर्मचारियों को अपनी जरूरतें स्थानीय तौर पर पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जहां तक क्वार्टर के निर्माण का संबंध है अक्तूबर, 1979 में 24.80 लाख रु० के संशोधित परियोजना प्राक्कलन की मंजूरी दी जा चुकी है। निर्माण-कार्य की कार्रवाइयों को और अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु 27-6-80 की निर्माण लागत में वृद्धि को देखते हुए 3.53 लाख रुपयों की अतिरिक्त निधि की व्यवस्था हेतु भी आश्वासन दिया गया।

प्याज की खेती करने वालों के लिए योजना

4137. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष महाराष्ट्र के नासिक जिले, बिहार तथा अन्य प्याज उत्पादक राज्यों में प्याज के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्याज की अच्छी फसल होने के बावजूद इसके मूल्यों में भारी गिरावट के परिणामस्वरूप इसकी खेती करने वालों की आर्थिक दशा और खराब हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों को महाराष्ट्र की तरह प्याज का उचित मूल्य अथवा समर्थन मूल्य देने की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (1979-80) में महाराष्ट्र के नासिक जिले में और कुछ अन्य उत्पादक राज्यों में प्याज के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) को महाराष्ट्र में खरीद करने के अतिरिक्त, गुजरात में मूल्य समर्थन कार्यों के अन्तर्गत प्याज खरीदने के लिए निर्देश दिया है। अन्य क्षेत्रों में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्याज खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल में काम के लिए अनाज के अन्तर्गत पैदा किये गए रोजगार के अवसर तथा टिकाऊ आस्तियां

4138. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री पश्चिम बंगाल में काम के लिए अनाज कार्यक्रम के लिए अध्ययन दल के बारे में दिनांक 9 जून, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कार्य निष्पादन पर विशेष रूप से जन दिवसों के रूप में पैदा किये गए रोजगार अवसरों, टिकाऊ आस्तियों आदि के बारे में अध्ययन दल की टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उनको इस तथ्य का पता है कि पश्चिम बंगाल में पंचायतों की आय के लिए अनाज कार्यक्रम के निष्पादन हेतु आवश्यक प्रशासकीय शक्ति वे दी गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या सरकार पश्चिम बंगाल सरकार से सम्बद्ध तथ्य एकत्र करेगी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) पश्चिम बंगाल में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन जिसमें स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन भी शामिल है, से सम्बन्धित अध्ययन दल की मुख्य टिप्पणियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। अध्ययन दल ने सिवाय इसके कि दल के सदस्यों को उनके दौरे के दौरान एक भी ऐसा कार्य नहीं दिखाया जा सका जो प्रगति पर हो, राज्य में कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य सरकार द्वारा सूचित कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	श्रम दिन (लाख में)
1977-78	218.43
1978-79	533.44
1979-80	286.24 (दिसम्बर 1979 तक)

विवरण

पश्चिम बंगाल के दौरे के पश्चात अध्ययन दल की रिपोर्ट में मुख्य बातें

1. काम के बदले अनाज कार्यक्रम तीन विभिन्न नामों से चलाया जा रहा था अर्थात, ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम, ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम। हालांकि ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम का नाडल दायित्व विकास विभाग का था, तथापि काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के मामले में यह दायित्व राहत तथा पुनर्वास विभाग का था। राज्य सरकार ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम हेतु नकद धनराशि का पर्याप्त प्रावधान रखे हुए थी, किन्तु काम के बदले अनाज कार्यक्रम और ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

2. ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित निर्माण-कार्य स्थायी स्वरूप के होने चाहिए थे। तथापि, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण-कार्यों के लिए स्थायीपन को आवश्यक नहीं समझा गया था। यह धारणा, विशेष रूप से क्षेत्र-स्तरों पर व्यापक थी।

3. विषय पर मार्गदर्शक सिद्धान्तों, जिनमें बहुत सुस्पष्ट शब्दावली में निर्धारित किया गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल सामुदायिक लाभ की परियोजनाएं प्रारम्भ की

जाएंगी, के विपरीत काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तियों के स्वामित्व वाले तालाबों का सुधार किया गया।

4. काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित खाद्यान्नों का उपयोग बाढ़ों के दौरान बह गये व्यक्तिगत आवासों के पुनर्निर्माण के लिए किया गया था। साथ ही व्यक्तिगत किसानों के खेतों में पड़े रेत के ढेरों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गए खाद्यान्नों की सहायता से हटाया गया था। ये दोनों ही कार्य मौजूदा अनुदेशों के विपरीत थे।

5. दल द्वारा निरीक्षण किये गये अधिकांश निर्माण-कार्य तकनीकी विनिर्देशों तथा निर्धारित स्तरों के अनुरूप नहीं थे। हावड़ा जिले की सम्पर्क सड़कें बहुत तंग थीं जो अधिक से अधिक 4 फुट से 7 फुट चौड़ी थीं। इनमें से बहुत सी सड़कें ग्रामीण 'गडंडी जैसी दिखाई पड़ती थीं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों की भी अवहेलना की गई है।

6. काम के बदले अनाज कार्यक्रम से सम्बन्धित सिद्धान्तों के अनुसार जिला स्तर पर जिलाधीश/समाहर्ता की अध्यक्षता से संचालन समिति गठित की जानी है। जिला अधिकारियों, जिला परिषद अथवा जिला पंचायतों के सम्बन्धित प्रतिनिधियों के अलावा संसद तथा विधान मंडलों के सभी स्थानीय सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। समिति से कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले निर्माण-कार्यों को आयोजित करने और अनुमोदित करने तथा इनके कार्यान्वयन की प्रगति की देख-रेख की अपेक्षा की जाती है। किन्तु ये समितियां अभी तक किसी भी जिले में गठित नहीं की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप पंचायतों द्वारा कार्यान्वित निर्माण-कार्यों पर तकनीकी अथवा प्रशासनिक कोई पर्यवेक्षण नहीं है। इस कारण से कार्यान्वित किए गए निर्माण-कार्य घटिया किस्म के तथा निष्कृष्ठ प्रकार के हैं।

7 काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने वाले निर्माण-कार्यों के पर्यवेक्षण और प्रबोधन हेतु न तो जिला स्तर के अधिकारियों और न ही खण्ड स्तर के अधिकारियों को कोई उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

8. पश्चिम बंगाल में इस समय अपनायी जा रही प्रणाली के अन्तर्गत ग्राम प्रधान को बिना आवश्यक प्रशासनिक तथा तकनीकी सहायता सुलभ किये निर्माण-कार्यों के कार्यान्वयन तथा खाद्यान्नों के वितरण का सारा दायित्व सौंपा गया है। वितरण कूपन पद्धति से होता है। कूपनों के वितरण तथा निर्माण-कार्यों के कार्यान्वयन के लिए काम पर लगाए गये कार्यकर्ताओं की एक नई संस्था सृजित की गई है।

9. ऊपर बताई गई विभिन्न कमियों को दूर करने हेतु अध्ययन दल ने दौरे के दिये गये नोट में कई विशिष्ट सुझाव राज्य सरकार के विचारार्थ दिये गये हैं।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1083/88]

वर्ष 1980 के दौरान सूखे से प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए केन्द्रीय सहायता

4139. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 के दौरान पश्चिम बंगाल में कुल कितने क्षेत्र और लोगों पर सूखे का प्रभाव पड़ा; और

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने 1980-81 में सूखे का मुकाबला करने के लिए केन्द्र से कुल कितना खाद्यान्न और वित्तीय सहायता मांगी है तथा कुल कितना खाद्यान्न और वित्तीय सहायता आवंटित की गई है और वास्तव में कितनी दी गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक सूचना दी है कि चालू वर्ष के दौरान बांकुड़ा, पुरुलिया, मिदनापुर, बर्दवान, बीरभूम, हुगली, हावड़ा, नादिया, माल्दा तथा 24 परगना जिले सूखे से विभिन्न मात्रा में प्रभावित हुए हैं और रबी के मौसम में 63,12,900 एकड़ सामान्य सस्यगत क्षेत्र की तुलना में 31.3.1980 तक 38,74,823 एकड़ क्षेत्र की बुवाई की गई। कुल 1,49,36,000 जनसंख्या (माल्दा तथा 24 परगना जिलों को छोड़कर) के प्रभावित होने की सूचना मिली है।

(ख) 1980-81 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार (स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग) ने सूखे से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई के लिये 28.6.1980 को एक प्रस्ताव भेजा है तथा सूखा राहत कार्यक्रम के तहत 481.2 लाख रुपये की रकम मांगी है। इस पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार से सूखे के लिए अग्रिम योजना सहायता के लिये अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल ने वर्ष 1980-81 के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत 2.10 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की आवश्यकता बताई है। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उनके पास 95,400 मीटरी टन बचा हुआ अनाज है जो वर्ष 1979-80 में उपयोग में नहीं लाया गया था। इसके अलावा, राज्य सरकार को 70,000 मीटरी टन अनाज (काम के बदले अनाज सम्बन्धी सामान्य कार्यक्रम के तहत 20,000 मीटरी टन तथा काम के बदले अनाज सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम के तहत 50,000 मीटरी टन) आवंटित किया गया है। इसमें से 20,000 मीटरी टन चावल पहले ही दिया जा चुका है।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार ने खरीफ के मौसम के लिए कृषि आदानों की बाबत अल्पकालीन ऋण के तौर पर वितरित करने के लिए 7.69 करोड़ रु० के लिए भी अनुरोध किया है। भारत सरकार ने खरीफ, 1980 के दौरान कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋण के तौर पर चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 5 करोड़ रु० की मंजूरी दी। खरीफ, 1980 के लिए राज्य सरकार को अल्पकालीन ऋण के तौर पर 2 करोड़ रु० की और रकम मंजूर की जा रही है।

उड़ीसा के गांवों में पेयजल की समस्या

4140. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किन किन गांवों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्याग्रस्त गांवों के रूप में शामिल किया गया है; और

(ख) उनमें से कितने गांवों में पानी सप्लाई किया जा चुका है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए 1972 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 4619 ग्रामों को समस्याग्रस्त ग्राम चुना गया था। तथापि, तत्पश्चात राज्य सरकार ने सूचित किया कि समस्याग्रस्त ग्रामों का चयन पूरा नहीं था। 31-3-1980 को चयनित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या 26,093 थी।

(ख) 31-3-1980 को, 3526 ग्रामों में पूर्णरूपेण पेय जल की व्यवस्था कर दी गई थी और आंशिक रूप से जिन ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था की गई थी या जहां कार्य प्रगति पर है, की संख्या 8,184 है।

उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

4141. **श्री बृज मोहन महंती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कितने और किन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) वर्ष 1979-80 में कितने और किन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने प्रायः बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) विवरण-1 और 2 के अनुसार।

(ग) जी नहीं।

विवरण-1

उड़ीसा में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघरों के विचाराधीन प्रस्तावों की सूची

क्रम सं०	स्थान का नाम	जिला
1.	करुशनापरसाद (मु०-नुपाडा)	पुरी
2.	करुशनापरसाद (मु०-करुशनापरसाद)	"
3.	कोटागढ़	फूलबनी
4.	बन्धूगढ़	कोरापुट
5.	दसमंथपुर	"
6.	खोइरपुर	"
7.	कुदुमुलुगुमा	"
8.	बन्धुगांव	"

1	2	3
9.	श्रीकोना	कोरापुट
10.	गोबरघाट	बालासोर
11.	बारादिहा	"
12.	सनक्रिशनापुर	"
13.	राधानाथपुर	"
14.	बलाना	"
15.	मतिआली	"
16.	अंगरुआ	धेनकनाल
17.	बाडापदगुडा	कालाहंदी
18.	कुकुमबा	कोरापुट
19.	लेइंग	सुन्दरगढ़
20.	कुतुनिआ	"
21.	झिरपानी	"
22.	खतरा	बालासोर
23.	सिन्धोल	बहरामपुर गंजम
24.	कानपुर	कटक
25.	मोतंगा	धेनकनाल
26.	फर्टीलाइजर पी. एस.	"
27.	पुरुनाकोटा	"
28.	जरोडा	गंजम
29.	लबानयागुडा	"
30.	किओगांव	कालाहंडी
31.	लांजीगढ़	"
32.	कांजीपानी	क्योंझर
33.	वेंकटपालम	कोरापुट
34.	पेडुआ	"
35.	अम्बेडोला	"
36.	पुतासिंग	"
37.	मुदलीपारा	"
38.	सारत	मयूरभंज
39.	लजीमाते	"
40.	बेलगढ़	फूलबनी
41.	बामुनीगांव	"
42.	मालचामुंदा	संबलपुर

1	2	3
43.	मोहुलपाडा	सुन्दरगढ़
44.	बंकी	,,
45.	टिकायतपली	,,
46.	राईवोल	,,
47.	रघुनाथपली	,,
48.	खुन्तगांव	,,
49.	रुगुदा	,,
50.	सरसेरा	,,
51.	सोले	,,
52.	बिमलगढ़	,,
53.	बिलदा	,,
54.	जामडीह्	,,
55.	बिरबीरा	,,
56.	मझपाड़ा	,,
57.	मंगेशपुर	,,
58.	गुंदियाहेड़ी	,,
59.	सरह्रीपाली	,,
60.	गोपालपुर	,,
61.	गरजनजोर	,,
62.	राजपुर	,,
63.	करमादिही	,,
64.	बांडेगा	,,
65.	पिंजरीकेला	,,
66.	बिरिंगातोली	,,
67.	पंछारा	,,
68.	कुकुदा	,,
69.	राइबेगा	,,
70.	हतीबारी	,,
71.	कुमदाबाई	,,
72.	खालदी	,,
73.	सालेहुआ	मयूरभंज
74.	जामदीही	,,
75.	शाहारबहल	सुन्दरगढ़
76.	बसीपीठा	मयूरभंज
77.	बहानागा	,,

1	2	3
78.	बरुन्दाबंनचंद्रपुर	मयूरभंज
79.	कुसलदा	"
80.	पसुडा	"
81.	पतबिल	"
82.	सुकुरलो	"
83.	महुलदुहा	"
84.	पेडागढ़	"
85.	गुंहलडांगरी	"
86.	बदाडुलडु	"
87.	धनगिरीलुता	"
88.	हतबारा	"
89.	बदमतालिया	"
90.	मनाडा	"
91.	बंकीसोले	"
92.	भुआसुनी	"
93.	सांकेरको	"
94.	दानगोविन्दपुर	"
95.	छटना	"
96.	पलसमुंडली	"
97.	कांतीसाही	"
98.	देवली	"
99.	मेरडा	"
100.	केलियाहाता	क्योंझर
101.	सिरीगिडा	"
102.	नयाकोटा	"
103.	गनासिका	"
104.	डिम्बो	"
105.	पलसपंगा	"
106.	मांडा	"
107.	उखंडा	"
108.	परकाडी	संबलपुर
109.	कुसुमी	"
110.	गढ़पोश	"

1	2	3
111.	केशीबाल	संबलपुर
112.	कुलुन्डी	,,
113.	फेसीमल	,,
114.	जुबरलपुर	कालाहांडी
115.	करलापट	,,
116.	सिकरकुपा	,,
117.	नुआपेडार	फूलबनी
118.	गोछपाडा	,,
119.	डूटीपाडा	,,
120.	संरंगदा	,,
121.	कंजमंडी	,,
122.	गुंजीहडी	,,
123.	सुदरा	,,
124.	बरहमंगीगांव	,,
125.	लिंगाडा	,,
126.	इन्दरागढ़	,,
127.	गोडागुडे	,,
128.	उमेरी	कोरापुठ
129.	कुमुलीपुट	,,
130.	काते	,,
131.	खोइरपुट	,,
132.	सिक्कापाली	,,
133.	दुमुरीपुट	,,
134.	कुंडली	,,
135.	सुकी	,,
136.	गुलईपाडा	,,
137.	ककीरीगुमा	,,
138.	पेडागोडा	,,
139.	बन्धुग्राम-अलमन्डा	,,
140.	नंदलपुर	,,
141.	अहेहुलहुमा	,,
142.	टिकोरी	,,
143.	दुंगासुडा	,,

विवरण-2

क्रम सं०	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर	जिला
1.	बिरठुंग	पुरी
2.	गुम्मा	गंजम
3.	ठाकुरगढ़	धेनकनाल
4.	रामपुर	बोलनगिर
5.	सुबालय	,,
6.	सिंधुईकेला	,,
7.	पंचपल्ली	क्योंझर
8.	कारलामुंडा	कालाहांडी
9.	हरभंगा	फूलबनी
10.	तारासिंघा	गंजम
11.	मेंदा	बोलानगिर
12.	खानूआ	मयूरभंज
13.	बादाजोदा	,,
14.	भौरीबाद	बालासोर
15.	कांतीकातनी	धेनकनाल
16.	खैमार	,,
17.	कमारवारीसाही	,,
18.	दारलीपल्ली	सुन्दरगढ़
19.	जामिलीकेरा	संबलपुर
20.	कोसागुमदा	कोरापुट
21.	झारीगुमदा	,,
22.	बड़ागांव	कालाहांडी
23.	तालसारा	सुन्दरगढ़
24.	तूबे	धेनकनाल
25.	मदनपुर-रामपुर	कालाहांडी
26.	श्रीदामचंद्रपुर	मयूरभंज
27.	काखरा	बालासोर
28.	मंगलपुर	धेनकनाल
29.	केसादुरपल्ली	क्योंझर
30.	धामा	संबलपुर
31.	चन्द्रशेखरप्रसाद	धेनकलान
32.	जगदलपुर	संबलपुर

1	2	3
33.	नंदीगांव	बालासोर
34.	गुमल	"
35.	बरिहापुर	धेनकलान
36.	बैदेश्वर	कटक
37.	सेरंगा	गंजम
38.	चतुआहंडी	कोरापुट
39.	कान्तामल	फूलबनी
40.	कुन्दरापुर	कोरापुट
41.	करिआलंगा	सुन्दरगढ़
42.	कांतिपाल	क्योंझर
43.	हरदोली	कोरापुट
44.	सारागांव	बालासोर
45.	देरबिस	कटक
46.	कोलार	"
47.	बैनीसिरीआ	"
48.	मैरादाकतियाचक	"
49.	तेरागांव	कोरापुट
50.	गोंडाला	गंजम
51.	बरहाबरद	कटक
52.	हटियाबादी	"
53.	मच्छाडिहा	बालासोर
54.	धुसिआरी	"
55.	कदाबहल	संबलपुर
56.	पदमपुर	गंजम

पाराद्वीप, उड़ीसा पर मत्स्य-पत्तन संबंधी रिपोर्ट

4142. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोग्राम फिशेसन आरगेनाईजेशनआफ प्लेनिंग कमीशन एण्ड एवेल्यूएशन टीम ने उड़ीसा में पराद्वीप पर मत्स्य-पत्तन बनाने के बारे में अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) क्या वहां बढ़ रहे समुद्री मत्स्य-उद्योग को ध्यान में रखते हुए सरकार शीघ्र मत्स्य-पत्तन बनाने के महत्व से प्रभावित हुई है; और

(ग) इस परियोजना को स्वीकृति देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) पूरे हुए 5 मत्स्य-पत्तनों के संबंध में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा अपेक्षित क्षेत्रीय अध्ययन पूरे हो चुके हैं और उनकी रिपोर्ट जुलाई, 1980 में प्राप्त होने की सम्भावना है, उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रस्ताव (जिनमें पराद्वीप बन्दरगाह सम्बन्धी प्रस्ताव भी शामिल हैं) के बारे में कार्यवाही की जाएगी।

महानगरों में दुग्ध-चूर्ण की मांग

4143. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के महानगरों में दुग्ध चूर्ण की मांग कितनी है तथा इन नगरों में गत 5 महीनों के दौरान यह माह-वार कितनी मात्रा में सप्लाई किया गया ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास के महानगरों की डेरियां निगम द्वारा बनाये गये बफर स्टाक के पूल से समय-समय पर दुग्ध चूर्ण के लिए अपनी मांगें भेजती रहती हैं और ये मांगें भारतीय निगम डेरी द्वारा पूरी की जाती हैं। जनवरी से मई 1980 तक के पांच महीनों में महानगरियों की डेरियों की सप्लाई किए गए दुग्ध चूर्ण के आंकड़े (मासवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) निम्न प्रकार हैं :—

1. कलकत्ता	2,186 मीटरी टन
2. दिल्ली	2,184 मीटरी टन
3. मद्रास	1,237 मीटरी टन
3. बम्बई	9 मीटरी टन

खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि

4144. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में खाद्यान्नों के मूल्य में और आगे वृद्धि को रोकने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : प्रत्येक वर्ष कमी के मौसम में खाद्यान्नों के मूल्यों में कुछ मौसमी वृद्धि होना एक सामान्य बात है। 1979-80 के दौरान देश के अधिकांश भागों में चल रही व्यापक सूखे की स्थिति से खरीफ तथा रबी दोनों ही खाद्यान्नों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। अतः उत्पादन में गिरावट के कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तथापि खाद्यान्नों के मूल्यों में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) केन्द्रीय भण्डार से राज्य सरकारों को खाद्यान्नों का आवंटन बढ़ा दिया गया है ताकि अधिकांश लोगों की उचित आवश्यकताएं निर्धारित मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पूरी की जा सकें;

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया है और उसे सशक्त बनाया गया है। इसमें अब 2.55 लाख उचित दर की दुकानों का जाल सा बिछा है जिनके अन्तर्गत 61.05 करोड़ व्यक्ति आते हैं;

(3) देश के एक भाग से दूसरे भाग को खाद्यान्नों का मुक्त तथा निर्बाध संचलन जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है ताकि अधिशेष क्षेत्रों से कमी तथा अधिक मूल्य वाले क्षेत्रों को मुक्त रूप से खाद्यान्नों का संचलन हो सके और अन्तर क्षेत्रीय मूल्यों में संतुलन बनाया रखा जा सके; और

(4) "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" के अधीन खाद्यान्नों की सप्लाई में पर्याप्त वृद्धि करना। इस योजना के अधीन, पहली अप्रैल, 1979 से मई, 1980 के दौरान कुल लगभग 25 लाख मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किये गये थे। ये स्टाक अत्यधिक राज्य सहायता प्राप्त दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील-दल को सप्लाई किये जाते हैं और इस प्रकार इससे समाज के गरीब वर्गों की सहायता की गई है।

बदायूं में डाकघर भवन पर कब्जा किया जाना

4145. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बदायूं (जिला बदायूं) में नवनिर्मित प्रधान डाकघर भवन पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से खाली पड़ा है और अन्य व्यय दोनों भवनों पर किया जाता है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें कब काम करना शुरू किया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) बदायूं में मुख्य डाकघर भवन के सम्बन्ध में सिविल कार्य पूरा हो गया था और अगस्त, 1979 में भवन अधिकार में ले लिया गया था। मुख्य डाकघर और मंडल कार्यालय अभी तक नये बनाये गये भवन में स्थानांतरित नहीं किये गये हैं। इस समय दोनों कार्यालयों के लिए दोनों भवनों हेतु प्रतिमाह 1040 रु० किराया दिया जा रहा है। नये विभागीय भवन के निर्माण पर 8,91,168.62 रु० खर्च किया गया था।

(ख) मुख्य डाकघर और मंडल कार्यालय नगर पालिका जल सप्लाई में पानी के कम दबाव के कारण पानी की अपर्याप्त सप्लाई और स्थानीय पावर स्टेशन केवल में दोष से उत्पन्न बिजली प्वाइंटों के अनुपयुक्त कार्यकरण के कारण नये भवन में स्थानांतरित नहीं किये गये। जल सप्लाई और विद्युत प्वाइंटों के उपयुक्त कार्यकरण तथा संस्थापनाओं हेतु व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) दोनों कार्यालय यथासंभव शीघ्र स्थानांतरित किये जायेंगे।

मराठी नाट्य परिषद द्वारा शताब्दी समारोह

4146. **श्री आर० के० महालगी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मराठी संगीत नाटकों के 100 वर्ष पूर्व आरम्भ होने के अवसर को मनाने के लिए मराठी नाट्य परिषद् द्वारा शताब्दी समारोह आयोजित करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य शाला, संगीत तथा नाटक प्रभाग तथा आकाशवाणी जैसी सांस्कृतिक ऐजेंसियों का किस ढंग से इस अवसर पर समारोह में सम्मिलित होने का और उससे देश की सांस्कृतिक परम्परा को समृद्ध करने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) जी हां।

(ख) आकाशवाणी के पश्चिमी क्षेत्र अर्थात बम्बई, पूना जलगांव स्थित स्टेशनों ने उन समारोहों से सम्बन्धित एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है जो 31 अक्तूबर, 1980 को शुरू किये जाने हैं और 1981 में उसी तारीख को समाप्त होंगे। अन्य संस्थाओं ने इन समारोहों के मनाने के लिए अभी तक कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है।

महाराष्ट्र में अहमदाबाद, जलगांव आदि के औद्योगिक केन्द्रों में दूर संचार सुविधाएं

4147. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नये औद्योगिक केन्द्रों अर्थात् अहमदनगर, रोहा, जलगांव और चिपलून में दूर-संचार, सुविधाओं में सुधार के बारे में कौन से प्रस्ताव विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में कार्य शीघ्र करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) कितनी राशि निर्धारित की गयी है और अब तक कितनी राशि खर्च की गयी है और इन परियोजनाओं के लिए 1980-81 में कितनी राशि दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डीजल और उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि का कृषि उत्पादों की लागत पर प्रभाव

4148. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे कमजोर वर्गों के 60 प्रतिशत उन उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी जो डीजल और उर्वरकों के मूल्य में की गई वृद्धि के परिणामस्वरुप कृषि उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि सहित सामान्य वृद्धि से प्रभावित हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, लघु कृषक विकास एजेन्सी, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा समेकित ग्राम विकास जैसे विशेष कार्यक्रमों के तहत दी जाने वाली राजसहायता की मौजूदा सुविधा जारी रखी जायेगी। उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो जाने से, दी जाने वाली राजसहायता भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। इन बातों के अलावा, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में छोटे तथा सीमान्त किसानों को हर किस्म के उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता भी चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक से भी अनुरोध किया गया है कि वह किसानों के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करे। डीजल और उर्वरकों की कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी का असर समाप्त करने के लिए कृषि मूल्य आयोग से कहा गया है कि वह खरीफ, 1980 से प्रारम्भ होने वाली फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय इन बातों को ध्यान में रखे।

दिल्ली में अस्थायी कनेक्शन के लिए मानदंड

4149. **श्री राम लाल राही :** क्या संचार मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन आवंटित करने के लिए कोई मान दण्ड निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो पूरे तथ्यों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन अस्थायी आवश्यकता के लिए उस क्षेत्र के एक्सचेंज में अतिरिक्त क्षमता तथा केबुल युग्म उपलब्ध होने पर ही मंजूर किए जाते हैं। यह नीति दिल्ली समेत सभी स्थानों पर समान रूप से लागू हैं।

सीतापुर, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सेवा

4150. **श्री राम लाल राही :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के विभिन्न नगरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं लेकिन टेलीफोन कर्मचारियों के उपेक्षापूर्ण और निष्क्रिय व्यवहार से न तो टेलीफोन ही ठीक काम करता है और न ही टेलीफोन-आपरेटर ड्यूटी पर उपलब्ध होते है; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं की इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सीतापुर जिले के 14 शहरों में स्वचल एक्सचेंज प्रदान कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, इस जिले में 64 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर और 23 स्थानीय ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनघर भी प्रदान किए जा चुके हैं। इन एक्सचेंजों का कार्य निष्पादन सामान्यतः संतोषप्रद है। पर्याप्त संख्या में टेलीफोन आपरेटर नियुक्त किये गए हैं परन्तु टेलीफोन आपरेटरों की अत्यधिक अनुपस्थितियों के कारण कुछ कठिनाइयां हैं।

(ख) विभाग और अधिक अवकाश सुरक्षित आपरेटरों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। सेवा के प्रति लापरवाही बरतने वाले दोषी आपरेटरों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा रही है।

सीतापुर, उत्तर प्रदेश में वास्तविक से अधिक राशि के टेलीफोन बिल

4151. **श्री राम लाल राही :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन पद्धति के बारे में कुछ तकनीकी की खामी अथवा लापरवाही के कारण सीतापुर जिले में टेलीफोन प्रयोक्ताओं को असुविधा हो रही है जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक से अधिक राशि के बिल प्राप्त होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर टेलीफोन कार्य नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) सीतापुर जिले में स्वचल एक्सचेंजों का कार्यकरण सामान्यतः संतोषजनक हैं। 1979-80 के दौरान सीतापुर एक्सचेंज में बिलों की शिकायतों की संख्या जारी किए गए कुल बिलों के 1 प्रतिशत से भी कम थी। टेलीफोन बिलों का हाथ से संकलन करते समय मानवीय त्रुटि सम्भव है। बिलों की शिकायतों में और कमी करने के लिए सभी उपभोक्ताओं के मीटरों की नियमित जांच की जाती है। बिलों से सम्बन्धित सभी शिकायतों की जांच की जाती है और जायज मामलों में उपयुक्त छूट दी जाती है।

चीनी जोनों के पुनर्गठन की मांग

4152. **श्री चंद्रभान आठरे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीनी उद्योग की ओर से चीनी जोनों के पुनर्गठन की मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र की ओर से, गन्ने से चीनी की मात्रा की वसूली में व्यापक भिन्नता के कारण, वर्तमान महाराष्ट्र जोन को तोड़ने की मांग प्राप्त हुई है; और

(घ) क्या सरकार ने मांग मान ली है और, यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (घ) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें विशेष रूप से महाराष्ट्र के संदर्भ में चीनी जोनों का पुनर्गठन करने की मांग की गई है। ब्यूरो फिलहाल औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा चीनी उद्योग के लागत ढांचे की जांच करने के कार्य में सहायता कर रहा है। क्योंकि उक्त समिति के विचारार्थ विषय में सभी संगत बातों को ध्यान में रखकर चीनी की उत्पादन लागत तथा भविष्य के लिए अनुमानित लागत और विभिन्न भोगोलिक जोनों के लिए उद्योग को दिये जाने वाले लेवी चीनी के उचित निकासी मूल्यों का हिसाब लगाना शामिल है, चीनी जोनों का पुनर्गठन करने के बारे में प्राप्त ऐसे अभ्यावेदनों पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा सरकार को अपनी शिफारिशें देने से पूर्व निस्संदेह विचार किया जाएगा।

जामनगर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विचाराधीन आवेदन और टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

4153. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मई, 1980 को गुजरात राज्य के जामनगर शहर में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन विचाराधीन पड़े थे;

(ख) क्या मांग पूर्ति के लिए विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है या नया एक्सचेंज खोले जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी लाइनों का ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जामनगर टेलीफोन एक्सचेंज में ता० 31-5-80 को नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 521 आवेदन पत्र प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे।

(ख) और (ग) जी हां। जामनगर टेलीफोन एक्सचेंज में 1981 के दौरान 300 लाइनों तथा 1982 के दौरान 600 लाइनों का प्रस्ताव है।

हिमाचल प्रदेश में खेती हेतु जमीन को सुधारने के लिए स्वान जलधारा का उपयोग करने के लिए योजना

4154. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के उना जिले में खेती के लिए उर्वरा भूमि सुधारने के लिए स्वान जलधारा का उपयोग करने हेतु केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या इस योजना को स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी, तथा यह कार्य किस सम्भावित तिथि को आरम्भ होगा और कुल कितने एकड़ भूमि का सुधार किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और किस सम्भावित तिथि को इस योजन को स्वीकृति दी जायेगी तथा इसका निर्माण कार्य आरम्भ होगा ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां। कृषि विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय निधि से सहायता मांगने के सम्बन्ध में यह योजना कृषि मन्त्रालय को भेजी गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) यह योजना अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता लेने के लिए तैयार किये गये मानदण्डों के अनुरूप नहीं थी।

पेयजल के लिए जल विकास बोर्ड

4155. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी गांवों में पेय जल की व्यवस्था करने हेतु केन्द्र तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जल विकास बोर्ड स्थापित करेगी जिसका एक अतिरिक्त लाभ यह होगा कि ये बोर्ड स्वायत्त निकायों के रूप में वित्तीय ऋण सहायता मांग सकेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय किस तारीख तक कर लिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) केन्द्र में तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में जल विकास बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में उनको ही निर्णय करना है।

सूखा पीड़ित उड़ीसा में वनरोपण के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध

4156. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित 12 सूत्री सूखा प्रबन्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार का विचार सूखे से गम्भीर रूप से पीड़ित सुन्दरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर, धेनकनाल, कालाहांडी और कोरापुट क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनरोपण करने का है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए केन्द्र से कोई सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने 1739.88 लाख रुपये के व्यय की सीमा मन्जूर की है, जिसमें सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्वनरोपण और वृक्ष रोपण के लिए 176 लाख रुपये का प्रावधान भी शामिल है, जो निम्नलिखित है :—

	(लाख रुपयों में)
(1) ग्राम पंचायत के फलोद्यानों के विकास के लिए भूमि सुधार सम्बन्धी कार्य	50.00
(2) उजड़े हुए वनों को फिर से लगाना	15.00
(3) मृदा क्षरण को रोकने के लिए जल-स्रवण क्षेत्रों में वृक्षरोपण	50.00
(4) "गेम टैंक"	1.00
(5) पिछड़े तथा अदिवासी क्षेत्रों में वृक्ष रोपण	50.00
(6) सड़क के किनारे वृक्ष रोपण	10.00
	176.00

उड़ीसा में निवेश राज-सहायता योजना

4157. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने उस निवेश सहायता योजना की स्वीकृति दे दी है जो उड़ीसा के किसानों को मार्च 1980 तक प्राप्त थी;

(ख) क्या राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया है कि इस योजना को चालू खरीफ फसल तक के लिए बढ़ा दिया जाय; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने उस अनुरोध पर स्वीकृति दे दी है और यदि नहीं, तो स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) देश भर में सूखा से प्रभावित उन क्षेत्रों, जहां पिछले वर्ष की खरीफ की फसल में 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की हानि हुई थी, के लाभ के लिए बीज, उर्वरकों, कीटनाशी दवाइयों, अणुपोषक तत्वों आदि जैसे कृषि निवेशों की सहायता देने की एक योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत छोटे किसानों, सीमान्त किसानों तथा आदिवासी भागीदारों के लिए क्रमशः 25 प्रतिशत, 33⅓ प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत की दर से उपदान ग्राह्य है जो निवेशों की लागत के सन्दर्भ में 250 रुपए प्रति हेक्टेयर की उच्चतम सीमा तक है। शुरू में, यह सुविधा 31 दिसम्बर, 1979 तक स्वीकृत की गई थी तथा बाद में इस सुविधा को 31 मार्च, 1980 तक बढ़ाया गया था। यह सुविधा उन एक फसल वाले क्षेत्रों, जहां रबी की फसल नहीं उगाई जा सकी, के लिए चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 1981 तक बढ़ाई गई है।

भुवनेश्वर में क्रास बार टेलीफोन फैक्टरी लगाया जाना

4158. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने फरवरी, 1979 में राज्य सरकार को सूचित किया था कि भलीभांति विचार करने के बाद केन्द्र ने भुवनेश्वर में एक क्रासबार टेलिफोन फैक्टरी स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) क्या बाद में केन्द्र सरकार उस परियोजना को क्रियान्वित न करने और उसके बजाय इलेक्ट्रोनिक सिस्टम आफ टेलीफोन उपकरण उद्योग स्थापित करने पर विचार रही है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) इलेक्ट्रो-मकेनिकल (क्रास-बार) स्विचिंग उपस्कर बनाने के उद्देश्य से इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का कारखाना स्थापित करने के लिए बनी स्थान चयन समिति द्वारा चुने पांच स्थानों में से एक स्थान उड़ीसा में भुव-नेश्वर भी है। उड़ीसा शासन को इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया था तथा इस मामले में अन्तिम निर्णय की पुष्टि किए जाने का इन्तजार करने के लिए कहा गया था।

(ख) रायबरेली कारखाने में पहले से मंजूर 3 लाख लाइनों की क्षमता के अलावा स्विचिंग उपस्कर (सम्भवतः इलेक्ट्रोनिक किस्म के) देश में ही तैयार करने के उद्देश्य से अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

बिना सीनेट और सिंडीकेट के विश्वविद्यालय

4159. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में वे कौन-कौन से विद्यालय हैं जो सीनेट, सिंडीकेट आदि जैसे निर्वाचित प्रशासी अधिकारियों के बिना कार्य कर रहे हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : प्रत्येक विश्व-विद्यालय की सीनेट, सिंडीकेट इत्यादि जैसे विभिन्न प्राधिकरणों का गठन उनके संगठन के अभि-

शासी अधिनियमों और संविधियों में निर्धारित किया जाता है। देश के किसी भी विश्वविद्यालय के विधान में पूर्णत: निर्वाचित अभिशासी प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय के विधानों में, आमतौर पर, सीनेट अथवा सिंडीकेट के लिए शिक्षकों, पंजीकृत स्नातकों आदि जैसे कुछ विभिन्न वर्गों द्वारा प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था है।

+2 और +3 चरणों के लिए अध्यापकों का एक ही संवर्ग

4160. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली आरम्भ किए जाने से (एक) बहुत बड़ी संख्या में कालेज अध्यापकों की पदवन्नति हुई है (दो) अध्यापकों की बहुत बड़ी संख्या को फालतू घोषित कर दिया गया है और (तीन) कालेज स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकन में अत्याधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इन समस्याओं को कैसे हल करने का है; और

(ग) क्या सरकार अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापक संगठन के इस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि +2 और +3 दोनों चरणों के लिए अध्यापकों का एक ही संवर्ग बनाया जाये ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कुछ राज्यों में 10+2+3 प्रणाली के शुरू किए जाने के परिणामस्वरूप विद्यमान पूर्व-विश्वविद्यालय अथवा इंटरमिडिएट कक्षाओं को, जो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के भाग हैं, स्कूल प्रणाली के +2 स्तर में बदलना होगा। इस परिवर्तन से विद्यमान शिक्षण स्टाफ को भी दो स्तरों में विभाजित करना पड़ सकता है। तथापि, नई प्रणाली के प्रारम्भ किये जाने से शिक्षकों के काफी संख्या में फालतू किए जाने की संभावना नहीं है। क्योंकि नई प्रणाली के प्रारम्भ किए जाने से स्कूल स्तर पर एक वर्ष और बढ़ जाएगा अत: नई प्रणाली के लागू होने की प्रक्रिया पूरी होने तक विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिले में अस्थायी तौर पर कमी आ सकती है।

(ग) क्योंकि +2 स्तर विश्वविद्यालय प्रणाली का भाग नहीं है अत: +2 तथा +3 स्तरों के लिए शिक्षकों के एक आम संवर्ग का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय और राज्यों के विश्वविद्यालयों में कालेज/विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान

4161. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कालेज और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक समान वेतनमान निर्धारित किये जाने के बावजूद एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यापक और किसी एक राज्य के एक विश्वविद्यालय के अध्यापक की परिलब्धियों के बीच बहुत अधिक अन्तर है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस अन्तर को दूर करने का है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

परिलब्धियों में ऐसी भिन्नताएं, केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संस्वीकृत मंहगाई और अन्य भत्तों की दरों में विभिन्नताओं के कारण हैं।

(ख) जी, नहीं।

कोको का उत्पादन और आयात

4162. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी मात्रा में कोको की आवश्यकता है;

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान कुल कितनी मात्रा में कोको का आयात करने का विचार है तथा उक्त आयात करने के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी;

(ग) क्या देश कोको की अपेक्षित मात्रा का उत्पादन करने के लिये सक्षम है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार देश को इस बारे में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) संगठित क्षेत्र के उद्योग के लिए इस समय कोको की आवश्यकता का अनुमान प्रति वर्ष लगभग 1700 मीटरी टन लगाया गया है।

(ख) चूंकि कोको का आयात गैर-सरकारी विनिर्माण एककों द्वारा मुक्त सामान्य लाइसेंस (वास्तविक उपयोगकर्ता) के अधीन किया जाता है, अतः 1980-81 के दौरान किए जाने वाले आयात का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) उपरोक्त (ग) को दृष्टि में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं होता।

डाक और तार विभाग में श्रेणी 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की पदोन्नति

4163. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग में श्रेणी 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या को 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर भी स्वतः पदोन्नति नहीं मिलती और उन्हें पदोन्नति के अवसर देने के लिए दो पदोन्नति योजनाएं तैयार की गई थी और डाक और तार विभाग के प्रबंधकों तथा संचार मन्त्रालय ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) डाक तार विभाग में ग्रुप 'ग' और 'घ' संवर्गों में सेवा काल के आधार पर स्वतः पदोन्नति नहीं है। उच्चतर संवर्गों में रिक्त पदों की उपलब्धता पर पदोन्नति आधारित है। किसी भी कर्मचारी को सेवा काल के दौरान दो पदोन्नति प्रदान करने की एक योजना डाक तार विभागीय परिषद में कर्मचारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श करने के बाद तैयार की गई है और इस समय यह सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों का विकास

4164. कुमारी कमला कुमारी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जून, 1980 के हिन्दुस्तान में 'अनधिकृत बस्तियों को बिजली पानी दो' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि संस्थान द्वारा अनधिकृत कालोनियों के लाभभोगियों द्वारा विकास प्रभार देने पर जल दिया जा सकता है बशर्ते कि संबंधित कालोनियों के आस-पास मुख्य सेवाएं उपलब्ध हों।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि दिल्ली प्रशासन ने अपने पहले के आदेश वापस ले लिए हैं जिसमें अनधिकृत निर्माणों/क्षेत्रों को घरेलू विद्युत कनेक्शन देने पर प्रतिबन्ध था। तदनुसार, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने ऐसे क्षेत्रों में अनुरोध करने पर और सामान्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने पर घरेलू कनेक्शन देने आरम्भ कर दिए हैं।

यमुना पार क्षेत्र में कालोनियों को नियमित किया जाना

4165. कुमारी कमला कुमारी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र की उन अनधिकृत कालोनियों की संख्या और नाम क्या हैं जिनको नियमित करने के लिये अब तक स्वीकृत किया गया है;

(ख) उन कालोनियों की संख्या और नाम क्या हैं जिनको अगली बार स्वीकृत करने की सम्भावना है;

(ग) क्या विश्वास नगर के ब्लाक 31, 32 और 33 को, जिनको वर्ष 1935 में अधिसूचित क्षेत्र द्वारा स्वीकृत किया गया था और जो 25 वर्ष पुराने हैं, नियमित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जर्मन जनवादी गणतंत्र से 1982 के एशियाई खेलों के लिए सहायता

4166. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन जनवादी गणतंत्र ने 1982 के एशियाई खेलों के लिए भारत की सहायता करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) जर्मन जनवादी गणराज्य के प्राधिकारियों ने जिमनास्टिक और तैराकी में प्रशिक्षक तैनात करने का प्रस्ताव है।

बिहार में कमजोर वर्गों के लिए "हुडको" द्वारा निर्मित मकान

4167. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्गवार और जिलेवार, राज्य और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, अल्पसंख्यक समुदायों, हरिजनों, अनुसूचित जातियों और आदिवासी समुदायों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए बिहार में "हुडको" तथा अन्य केन्द्रीय सरकार की एजेन्सियों द्वारा कितने मकान बनवाए गए हैं;

(ख) व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इस समय कितने मकान विचाराधीन हैं; और

(ग) समाज के निचले समुदायों तथा कमजोर वर्गों के लिए दिए गए ऋणों तथा अन्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) आवास राज्य का विषय है। राज्यों को वित्तीय सहायता "समेकित ऋणों" और "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है जो उनके किसी विशेष योजना या विकास शीर्षक से सम्बद्ध नहीं होती है। राज्य सरकारें विभिन्न राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए जिनमें आवास भी शामिल है, अपनी-अपनी आवश्यकताओं और अग्रताओं के अनुसार धन का निर्धारण करने में स्वतन्त्र हैं। केन्द्रीय सरकार की भूमिका मार्गनिर्देशन जारी करने तथा ऐसी वित्तीय सहायता देने तक ही सीमित है जो कि उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त हो। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड देश भर में निर्माण अभिकरणों द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं के लिये ऋण स्वीकृत करता है। विभिन्न राज्यों में आवास निर्माण में केन्द्र का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। मकानों का निर्माण राज्य प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है और विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए विशिष्ट समयावधियों में बनाए गए मकानों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) यह मन्त्रालय राज्यों को विभिन्न सामाजिक आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम ऋणों का नियतन करता है। बिहार सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिया गया जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम ऋण इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	जीवन बीमा निगम	*सामान्य बीमा निगम
1977-78	100.00	—
1978-79	120.00	100.00
1979-80	345.00	100.00

(* सामान्य बीमा निगम ने 1978-79 से ऋण देना आरम्भ किया है।)

जीवन बीमा निगम के उपयोग के बारे में राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे ऐसे ऋण का 65 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने पर उपयोग करें। सामान्य जीवन बीमा निगम का ऋण केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने तथा ग्रामीण आवास परियोजना स्कीमों पर खर्च किया जाना है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सभी अनुसूचित/वाणिज्यिक बैंकों को आवास योजना के लिए धन देने के लिए मार्गनिर्देशन जारी किये हैं। ये बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों को मकान की कुल लागत का 80 प्रतिशत तक सीधे ऋण देंगे जबकि आम जनता के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीधे ऋण पर ब्याज की दर 4 प्रतिशत होगी बशर्ते कि आवास के लिए एक व्यक्ति को दिया गया ऋण 2500 रुपये से अधिक न हो। आम जनता के लिए ब्याज की दर 12 प्रतिशत है। इसमें किस्त की नियमित भुगतान के लिए आधे प्रतिशत की छूट है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हुडको द्वारा बिहार में विभिन्न श्रेणी के लिए मकान बनाने के लिए विभिन्न अभिकरणों को दिया गया ऋण इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	स्वीकृत ऋण	स्वीकृत रिहायशी इकाइयां
1977-78	5.91	1700
1978-79	2.16	1246
1979-80	2.07	1197

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा स्वीकृत 73.25 प्रतिशत मकान आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के उन परिवारों के लिए थे जिनकी मासिक आय 600/- रुपए से अधिक नहीं है।

आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के परिवारों के लाभार्थ ऋणी अभिकरणों की योजना बनाने का प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं। इनमें से कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

(1) सभी सम्मिलित अधिकतम सीमा के मूल्य का निर्धारण करना ताकि मकान की लागत लोगों की देय क्षमता के भीतर हो अर्थात आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए सब मिलाकर अधिकतम लागत 8000/- रुपये और निम्न आय वर्ग के लिए 18,000 रुपये है।

(2) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए निम्न ब्याज दर के साथ एक अवकल दर ढांचा अपनाया गया है।

(3) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के परिवारों के लिए ऋण की पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है।

(4) ऋण सहायता का साइडिंग स्केल आरम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत शत प्रतिशत ऋण सहायता वहां दी जाती है जहां मकान की लागत 5000 रुपये से अधिक नहीं है।

(5) कम लागत के नगरीय और ग्रामीण मकानों तथा नई भवन योजनाओं एवं तकनीक के लिए प्रत्येक वर्ष बारी-बारी से पुरस्कार दिए जाते हैं।

विकलांगों की संख्या के बारे में आंकलन

4168. **श्री एन० ई० होरो** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने देश में ऐसे व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई योजना लागू की है ?

शिक्षा, तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) इस देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या के बारे में निश्चित आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण, यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या विकलांग व्यक्तियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

(ख) जी, नहीं। महारजिस्ट्रार ने 1981 की जनगणना में विकलांग व्यक्तियों की गिनती करना स्वीकार कर लिया है। इससे "पूर्णतया दृष्टिहीनों, पूर्णतया मूकों तथा पूर्णतया अपंगों" के बारे में जानकारी मिलेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1. विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास हेतु उनकी शिक्षा और/अथवा प्रशिक्षण के लिए परियोजना शुरू करने के वास्ते स्वयंसेवी संगठनों को अनुमानित खर्च (इमारत के लिए अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए) के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1980-81 के लिए 105 लाख रुपये व्यवस्था की गयी है।

2. कक्षा 9 से आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए नेत्रहीन, बधिर और अस्थि विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इन प्लांट प्रशिक्षण के लिए वर्जाफा दिया जाता है। 1980-81 में इसके लिए 49 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

3. विकलांग व्यक्तियों को आने जाने की अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए उनके विकलांग व्यक्तियों द्वारा खरीदे गये पैट्रोल/डीजल के खर्च के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति इस मन्त्रालय द्वारा की जाती है जिनके पास रोड टैक्स से छूट पाए वाहन हैं।

4. केन्द्रीय सरकार की वर्ग "ग" और "घ" पदों में तथा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों में समतुल्य पदों में 3 प्रतिशत रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गई हैं (दृष्टिहीनों, बधिरों और अपंगों के लिए एक-एक प्रतिशत)।

5. विकलांग व्यक्तियों को नौकरियों में लगाने के लिए देश के विभिन्न भागों में 18 विशेष रोजगार कार्यालय चल रहे हैं।

6. विकलांग व्यक्तियों को वेतन का 10 प्रतिशत प्रतिमास, अधिकतम 50 रुपये, की दर से परिवहन भत्ता दिया जाता है।

7. दृष्टिबाधितों तथा अस्थि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान क्रमशः देहरादून और कलकत्ता में स्थापित किए गये हैं। दो और राष्ट्रीय संस्थान एकश्रव्य बाधितों के लिए तथा एक मानसिक रूप से अविकसितों के लिए क्रमशः बम्बई और हैदराबाद में स्थापित करने का विचार है।

8. यूनिसेफ की सहायता से विकलांग बच्चों के अध्यापकों के लिए एक अल्प समय के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

9. समाज कल्याण मन्त्रालय ने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास में अनुसंधान प्रायोजित करने के लिए परियोजना के खर्च का 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।

10. विकलांग व्यक्तियों के लिए समेकित शिक्षा का उद्देश्य सामान्य स्कूलों में विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा देना है। इस योजना को चलाने के लिए 12 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली को अनुदान दिए जाते हैं।

रिसोर्स टीचर का वेतन और उसका विशेष वेतन, 10 महीनों के लिए प्रति बालक 25 रुपए प्रतिमास की दर से परिवहन खर्च, पुस्तकों और लेखन सामग्री का खर्च प्रति बालक प्रति वर्ष अधिकतम सीमा 150 रुपये, उपकरणों को पहले पहल खरीदने पर वास्तविक खर्च अथवा 500 रुपए, जो भी कम हो, कर्मचारियों का वेतन तथा मूल्यांकन खर्च भारत सरकार और राज्य सरकारों में 50:50 के आधार पर बांटा जाता है।

ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए बिजली की सप्लाई

*4169. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई करने के लिए ऊर्जा मन्त्रालय को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या लघु आकार के जनरेटरों का निर्माण करने की अनुमति देने सम्बन्धी सरकार के निर्णय में ग्रामीण पुनर्निर्माण योजनाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना की क्रियान्विति के लिए क्या वैकल्पिक उपाय ढूंढे हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) लघु सिंचाई आदि जैसी योजनाओं, जिन्हें समन्वित ग्राम विकास, लघु कृषक विकास एजेंसी और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत शुरू किया जाता है, के लिए बिजली की सप्लाई की व्यवस्था राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा की जाती है। इस मन्त्रालय के लिए इस मामले को ऊर्जा तथा कोयला मन्त्रालय के साथ उठाने का कोई मौका नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाना

4170. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार द्वारा स्वीकृति शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस विषय पर सरकार के विचार भिन्न हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (घ) शिक्षा के व्यावसायीकरण से संबन्धित नीति कई वर्षों में तैयार की गई है। शिक्षा आयोग (1966) ने इसकी सिफारिश एक नई स्कूली शिक्षा पद्धति के अभिन्न अंग के रूप में की थी। तदनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) मंजूर की गई थी।

व्यावसायीकरण की धारणा को देश व्यापी स्तर पर स्वीकार करने के उद्देश्य से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी फरवरी 1977 में आरम्भ की गई थी। यह योजना राज्य सरकारों को उच्चतर माध्यमिक स्तर के व्यावसायीकरण के कार्यक्रम को आरम्भ करने में प्रोत्साहन देने और भविष्य में राज्य योजना के रूप में इसे नियमित आधार पर विकसित और समेकित करने के लिए थी। तथापि, राष्ट्रीय विकास परिषद के सामान्य निर्णय के अनुसार, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करने के लिये यह योजना अप्रैल 1979 से समाप्त कर दी गई थी।

शिक्षा के व्यावसायीकरण का राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति (1978) और व्यावसायीकरण (1978) सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा पुनरीक्षण किया गया था। इनकी सिफारिशें राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा जुलाई 1978 में मंजूर कर ली गई थी।

उसके बाद, सितम्बर 1978 में, भारत के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सम्मेलन ने इन्हें कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया था।

डाक और तार सुविधाओं में राज्यवार पिछड़े क्षेत्र

4171. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा राज्यवार कौन-कौन से जिलों और क्षेत्रों को डाक और दूर संचार सुविधाओं के मामले में पिछड़ा जिला पाया गया है;

(ख) राज्यों के जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में कौन-कौन से जिले सब-डिवीजन, तहसील और ब्लाक डाक और टेलीफोन सुविधाओं के मामले में अभी तक पिछड़े हुये हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने कार्यक्रम और प्रस्ताव तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में प्राथमिकता देने के लिए सर्कलों को मार्गदर्शी सिद्धांत और अनुदेश जारी किये हैं;

(घ) विकास के अन्तर को भरने के लिये इस मन्त्रालय ने जनजाति क्षेत्रों के लिए कौन-कौन से मानदण्ड, सुविधाओं और उदार नीतियों को अपनाया है; और

(ङ) पांचवी योजना में वार्षिक योजना 1980-81 में जनजाति सब-प्लान क्षेत्रों के लिए कितना-कितना धन नियत किया गया है और सर्किलों को सर्किलवार कितना-कितना धन दिया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) डाक एवं दूर संचार सुविधाओं की दृष्टि में जिन जिलों और क्षेत्रों की गणना पिछड़े क्षेत्रों में होती है उनके नाम अनुबन्ध के विवरणपत्र-I में दिए हैं। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1084/80)। इस विवरण-पत्र में कुछ जनजाति क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, डाक विकास के प्रयोजन के लिये जनजाति उपयोजना क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों को भी पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) डाक घर खोलने के लिए जनजाति क्षेत्रों में कम से कम 1000 की जनसंख्या होनी चाहिये जबकि सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों के एक ग्राम में 2,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। 1000 की जनसंख्या पूरी करने के लिए 1½ कि० मी० की अरीय दूरी के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामों के एक समूह को भी एक साथ लिया जा सकता है। इसके अलावा जबकि सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक नये डाक घर से यह उम्मीद की जाती है कि उससे लागत की कम से कम 25 प्रतिशत आय हो, जनजाति क्षेत्रों में लागत की 10 प्रतिशत आय ही पर्याप्त है। प्रयास यह किया जाता है कि प्रतिवर्ष मंजूर किये गये नये ग्रामीण डाक घरों में से 50 से 55 प्रतिशत तक पहाड़ी, पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों में खोले जाएं।

जहां तक दूर संचार सुविधाओं का प्रश्न है सूचना अनुबन्ध के विवरण-पत्र-II में संयुक्त कर दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1084/80)।

(ङ) जनजाति क्षेत्रों में डाक घर खोलने के लिए अलग से कोई रकम आवंटित नहीं की गई है। संबद्ध व्यय को 1980-81 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत ग्रामीण डाक सुविधाओं के लिए 5.38 करोड़ रुपये की सामान्य व्यवस्था से पूरा किया जाएगा। जनजाति क्षेत्रों हेतु दूर संचार सुविधाओं के लिये 7.5 करोड़ रुपया आवंटित है। यह रकम, सर्कलों की योजनावार आवंटित समेकित निधियों में शामिल है। 1980-85 की अवधि के लिए पंच-वर्षीय योजना तैयार की जा रही है।

जल तथा जल निकासी परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से ऋण

4172. **श्री अरविंद नेताम** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन ने जल तथा जल निकासी परियोजना क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान सरकार को 8 करोड़ डालर की ऋण सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) यह ऋण सहायता लगभग 2000 गांवों में ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं, जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर शहरों में नगरीय जलपूर्ति में सुधार करने एवं विस्तार करने और जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर में मल जल का एकत्रीकरण एवं व्ययन के लिये मल-जल निकास पद्धति का विस्तार करने के लिये है।

मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

4173. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न विभागों और सरकारी क्षेत्र के एककों में एकक-वार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये कितने प्रतिशत नौकरी का आरक्षण है; और

(क) क्या इस कोटे को बढ़ाने और उनके मंत्रालय में इसे एक समान बनाने के लिये इस समय कोई प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) केन्द्र सरकार के अधीन, जिसमें संचार मन्त्रालय और इसके प्रशासनिक नियन्त्रण के कार्यालय शामिल है, पदों और सेवाओं की खाली जगहों को भरने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु लागू आरक्षण को वर्तमान प्रतिशत का उल्लेख 'अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हित सेवाओं में आरक्षण पुस्तिका (पांचवा संस्करण-1978)" में किया गया है। पस्तिका की प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

जहां तक इस मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-यथा-इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड तथा टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदों और सेवाओं में आरक्षण का सम्बद्ध है, मांगी गई जानकारी का एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

विवरण

संचार मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पदों और सेवाओं में, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रतिशत का विवरण

उपक्रम का नाम	पदों का समूह	आरक्षण का प्रतिशत		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड				
(एक) सीधी भर्ती द्वारा भरे पद	क और ख	16⅔	7½	सभी एककों के लिए
	ग और घ	13	5	कर्नाटक (बंगलौर एकक) के लिए
		21	5	उत्तर प्रदेश (नैनी और रायबरेली एकक) के लिये
		9	5	केरल (पालघाट एकक) के लिये
		8	5	जम्मू और कश्मीर (श्रीनगर एकक) के लिए
(दो) प्रोन्नति द्वारा भरे पद	क, ख, ग और घ	15	7½	
2. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास				
(एक) सीधी भर्ती द्वारा भरे पद	क और ख	16⅔	7½	
	ग और घ	18	5	
(दो) प्रोन्नति द्वारा भरे पद	क, ख, ग और घ	15	7½	
3. टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेन्ट्स (इण्डिया) लि०, नई दिल्ली				
(एक) सीधी भर्ती द्वारा भरे पद	क, ख, ग और घ	16⅔	7½	
(दो) प्रोन्नति द्वारा भरे पद	क, ख, ग और घ	16⅔	7½	

विभागों और संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

4174. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत विभागों और सार्वजनिक संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण किया गया है; और

(ख) क्या उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत सभी स्थानों पर नौकरियों और सीटों का आरक्षण एक समान बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मन्त्रालय, इसके विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सेवा में आरक्षण की प्रतिशतता वही है जो क्रमशः निर्धारित की गई है अर्थात् 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत। विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं सहित स्वायत संगठनें, जिनके अपने नियम है, उन्हें भी सलाह दी गई है कि वे गैर-शिक्षण पदों के बारे में आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता का पालन करें। विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में शिक्षण स्टाफ की भर्ती के सम्बन्ध में प्राध्यापकों के स्तर तक ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

कोणार्क मन्दिर का सर्वेक्षण

4175. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोणार्क मन्दिर की वर्तमान हालत के बारे में ऐतिहासिक भवन विशेषज्ञों द्वारा कोई अद्यतन सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कोणार्क मन्दिर के अनुरक्षण के लिये और इसे ढहने से बचाने के लिए 1979-80 तथा 1980-81 में कोई अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि व्यय की गई और क्या उपाय किये गये ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1979-80 में कोणार्क मन्दिर की विशेष मरम्मत हेतु 1,10,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी। जिसमें से 76,712 रुपये खर्च किये गये। 1980-81 के लिए 90,000 रुपये की व्यवस्था की गई है।

विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए परीक्षण के कुछ उपाय पहले ही किये जा चुके हैं। अन्य उपाय किए जा रहे हैं।

उड़ीसा के लिए अलग पुरातत्व सर्वेक्षण सर्किल

4176. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के लिए एक अलग पुरातत्वीय सर्वेक्षण सर्किल बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्किल की स्थापना कब तक की जायेगी; और

(ग) इसमें विलम्ब किस कारण से हो रहा है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मांग से अधिक अनाज

4177. **श्री गदाधर साह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अनाज में विशेष रूप से चावल की मांग अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति घरेलू खपत क्या है और आर्थिक शब्दों में बाहुल्यता की कसौटी क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) भारत ने वर्ष 1979 से खाद्यान्न का कोई आयात नहीं किया है, दूसरी ओर पड़ोसी देशों को कुछ सीमित मात्रा में खाद्यान्नों का निर्यात किया गया है। वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान खाद्यान्नों और विशेषकर अच्छी फसल की वजह से जून 1979 में खाद्यान्नों का भंडार 214.4 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया। अतः बाहर से किसी भी प्रकार के आयात के बगैर, वर्ष 1979-80 के दौरान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में भी उत्पादन की समस्या पर काबू पाने में काफी हद तक सहायता मिली।

पिछले पांच वर्षों के सरकारी भण्डारणों के अतिरिक्त, प्रति वर्ष खाद्यान्नों की निवल उपलब्धि के स्तर नीचे दिये गये हैं:—

(किलोग्राम—प्रतिवर्ष)

वर्ष	प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धि	
	खाद्यान्न	चावल
1975	148.4	58.2
1976	165.7	68.8
1977	158.7	62.1
1978	174.6	72.5
1979	174 6	74.3

हाल ही में निवल उपलब्धि के स्तर आपेक्षिक रूप से काफी अच्छे हैं।

राष्ट्रीय पोषण सस्थान, हैदराबाद ने, प्रति व्यक्ति के आधार पर खाद्य वस्तुओं की मांग तैयार की है। उनके स्तर के अनुसार खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति मांग प्रति वर्ष 1 ·7 किलोग्राम होती है। संस्थान ने, सब्जियां, फलों, दूध और दुग्ध उत्पादों, चिकनाई और तेल, मांस, चीनी और गुड़ जैसी अन्य वस्तुओं के लिए भी निम्नतम मांग निर्धारित की है। अन्यशब्दों में यदि सुझाये गये स्तर पर खपत के लिए अन्य खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हों तो खाद्यान्नों की मांग 157 किलो ग्राम प्रति वर्ष होनी चाहिए। यदि अकेले खाद्यान्नों की उपलब्धि पर विचार किया जाय, तो कहा जा सकता है कि उपलब्धि के ऊपर दिये गये आंकड़ों के अनुमान खाद्यान्नों की स्थिति काफी अच्छी है।

डाक तथा दूरसंचार के कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता

4178. **श्री भीकूराम जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान में अलग-अलग डाक तथा दूर संचार के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की कितनी राशि दी गई;

(ख) कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते की राशि में असाधारण वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उसमें कमी लाने अथवा उसे समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) :

(क) 1977-78 14.03 करोड़ रु०
1978-79 20.39 करोड़ रु०
1979-80 26.64 करोड़ रु०

(ख) समयोपरि खर्च में वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई है :—

(1) प्रचलन स्टाफ की छुट्टियों की संख्या में 9 से 16 तक वृद्धि,

(2) महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के साथ समयोपरि भत्ते की दरों में वृद्धि,

(3) स्टाफ की कमी ।

(ग) जनोपयोगी विभाग होने के कारण डाक तार विभाग को जनता को आवश्यक सेवाएं प्रदान करनी होती हैं । प्रचालन कार्यालयों में संपादित किये जाने वाला कार्य इस प्रकार का होता है कि उसको सार्वजनिक हित में अगले कार्य दिवस तक स्थगित नहीं किया जा सकता । इस खर्च पर नियंत्रण, प्रत्येक यूनिट हेतु समयोपरि खर्च (प्रति वर्ष) की निश्चित सीमाएं निर्धारित कर, किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में निर्धारित नियतकालिक खर्च के विवरणों के जरिए यूनिट के कार्य निष्पादन पर नजर रखी जा रही है । यूनिटों को समय-समय पर समयोपरि सेवा हेतु स्टाफ को आदेश देते समय कठोर मितव्ययिता का पालन करने के अनुदेश जारी किये जा रहे हैं ।

स्नातकोत्तर शिक्षा अनुसंधान इन्जीनियरी और टेक्नोलोजी संबंधी पुनरीक्षण समिति

4179. श्री मनफूल सिंह चौधरी
श्री पीयूष तिरकी } : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसन्धान इन्जीनियरी और टेक्नोलोजी सम्बन्धी पुनरीक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसमें की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री डी० शंकरानन्द) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट का सारांश और सिफारिशें विवरण के रूप में संलग्न हैं । सम्पूर्ण रिपोर्ट की प्रतियां संसद-पुस्तकालय को उपलब्ध करा दी गई हैं ।

(ग) इन सिफारिशों पर अमल करने की कार्यवाही, सरकार द्वारा इन पर विचार कर लिए जाने के बाद की जाएगी ।

विवरण

सारांश और सिफारिशें

जून, 1978 में, भारत सरकार द्वारा स्नातकोत्तर शिक्षा और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के क्षेत्र में देश द्वारा अब तक की गई प्रगति का पुनरीक्षण करने तथा इसके और विकास के सभी पहलुओं पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति ने इस सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करने वाली लगभग सभी संस्थाओं से संगत जानकारी एकत्र की तथा भारत के विभिन्न भागों के छात्रों, अध्यापकों, शिक्षा-विदों, उद्योगपतियों, शोधकर्त्ताओं और प्रशासकों आदि से व्यापक चर्चाएं आयोजित की, बहुत से प्रलेखों और रिपोर्टों का अवलोकन किया तथा विश्व के अन्य भागों में चल रही प्रवृत्तियों और पद्धतियों की जांच भी की। यह रिपोर्ट इन सभी चर्चाओं और कार्रवाईयों पर आधारित है। स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान से संबंधित प्रमुख प्रश्नों, समस्याओं और सुझावों पर प्रकाश डालते हुए रिपोर्ट में समिति ने अपनी कतिपय सीमाओं का भी उल्लेख किया है। प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण तत्काल हवाले के लिए नीचे दिया गया है:

(1) जबकि पिछले तीन दशकों के दौरान देश में स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान पद्धति का काफी विस्तार हुआ है और यह राष्ट्रीय विकास के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है तथापि पिछले पुनरीक्षणों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में रह गई कमियां, इसकी वर्तमान अनेक बुराईयों के लिए जिम्मेदार हैं। स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान एक राष्ट्रीय महत्त्व का विषय है और इस पर प्राथमिकता के आधार पर सतत् और गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए।

(2) आज भारतीय समाज में एस० एण्ड टी० (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) विषय वस्तु तथा आर० एण्ड डी० (अनुसंधान एवं विकास) में भारत द्वारा जो किया जा रहा है वह बहुत कम है। देश के अन्दर ही प्रौद्योगिकीय विकास को पैदा करने और उसको बनाए रखने की क्षमता को काफी सुदृढ़ करना होगा तथा उस क्षमता में निरन्तर सुधार के लिए जोरदार कदम उठाने होंगे। इसका अर्थ यह है कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय शिक्षा और अनुसंधान में भारत का राष्ट्रीय निवेश कई गुना बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि परिवर्तनशील सामाजिक पद्धति की बढ़ती हुई मांगों को पूरा किया जा सके।

(3) स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन संस्थानों का निष्पादन काफी अच्छा रहा है जिसका मुख्य कारण है उनको बढ़ावा देने में विवेकपूर्ण प्रयास तथा उदार निवेश। काफी थोड़े निवेश के बावजूद लगभग 20 अन्य संस्थानों ने भी अच्छा कार्य किया है। शेष लगभग 50 संस्थानों का निष्पादन घटिया रहा है। हालांकि वे भी कुछ क्षेत्रों/विषयों में अच्छा विकास करने में सफल रहे हैं। इनमें से बहुत से संस्थानों में भौतिक सुविधाएं अपर्याप्त थी।

(4) विभिन्न कारणों से, स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए काफी बड़ी संख्या में प्रतिभावान

लोगों को आकर्षित करना संभव नहीं हो सका है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में केवल प्रतिभावान तथा प्रेरित व्यक्ति ही दाखिल किए जाएंगे, इन कार्यक्रमों में दाखिला केवल उन्हें ही दिया जाना चाहिए जो कि गेट (सामने के दरवाजे) से, जिसका विवरण इस रिपोर्ट में दिया गया है, आते हैं। सरकार को उद्योगों तथा सरकारी विभागों के लिए यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि वे अपने इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों को उनकी रुचि के क्षेत्रों में स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रायोजित करें।

(5) एम० ई०/एम० टेक० के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति की वर्तमान राशि को 400 रु० प्रति माह से बढ़ाकर 600 रु० प्रति माह कर दिया जाना चाहिए और यह उन सबको मिलनी चाहिए जो गेट (सामने के दरवाजे) से दाखिल हुए हैं। तथापि प्रायोजित उम्मीदवार जो अपने नियोजक से वेतन पाते हैं, वे छात्रवृत्ति की राशि के केवल 75% के ही पात्र होंगे। डाक्टर बनने के इच्छुकों की शिक्षा वृत्ति को वर्तमान राशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर प्रथम वर्ष में 700 रुपये प्रति माह, द्वितीय वर्ष में 800 रुपये प्रतिमाह और तृतीय वर्ष में 900 रु० प्रति माह कर दी जानी चाहिए। शिक्षा वृत्ति शोध निबंध प्रस्तुत करने के पश्चात् 50 रु० बढ़ा दी जानी चाहिए और उसे तीन माह तक या जब तक मौखिक परीक्षा न हो जाए जो भी पहले हो, जारी रखा जाना चाहिए। सभी छात्रवृत्तियों/शिक्षा वृत्तियों की राशि का हर तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।

(6) एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम सफल और लोकप्रिय नहीं पाया गया। उनकी व्यवस्था नियमित कार्यक्रमों के रूप में नहीं होनी चाहिए जब तक कि रुचि रखने वाली एजेंसियों द्वारा इनकी विशेष मांग नहीं की जाती और पैसा नहीं दिया जाता।

विद्यमान ऐसे सभी स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रमों को जो लोकप्रिय नहीं हैं और पुराने और रूढ़िबद्ध हो गए हैं, बन्द कर दिया जाना चाहिए। जहाँ कहीं संभव हो इन्हें पुनः तैयार करना चाहिए ताकि इनमें संगत और उभरते हुए क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।

एम० ई०/एम० टेक० के सभी कार्यक्रम तीन सत्रों की अवधि के होने चाहिए, जिनमें से दो सत्र पाठ्यक्रम कार्य (कोर व चुने हुए विषय सम्मिलित हैं) और एक सत्र शोध निबन्ध के कार्य का होना चाहिए। परियोजना/शोध निबन्ध कार्य के पर्यवेक्षण के लिए संयुक्त गाइडों की विचारधारा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों को क्रेडिट पद्धति से उपयुक्त मापदण्डों में प्रदान किया जाना चाहिए। सतत् आधार पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या को संशोधित करने, उसकी पुनः संरचना करने तथा अद्यतन लाने के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या विकास केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। इन पाठ्यचर्याओं को सक्रिय रूप से बनाना चाहिए और इसमें इतना लचीलापन होना चाहिए कि जब कभी आवश्यक हो इसमें नए विचार तथा परिवर्तन शामिल किए जा सकें।

एम० ई०/एम० टेक० डिग्री के बाद डाक्ट्रेट के लिए न्यूनतम अवधि, पूर्णकालिक अध्ययन तथा शोध कार्य के दो वर्ष की जानी चाहिए। विशेष मामलों में, जब डाक्ट्रेट कार्यक्रमों के लिए बी० ई०/बी० टेक० के छात्रों को सीधे ही दाखिल किया जाना है, तो पाठ्यक्रम की न्यूनतम

अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए। डाक्ट्रेट के सभी प्रत्याशियों को अनिवार्यतः अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्र के सुसंगत किसी उच्च पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहिए। "छात्र आधारित डाक्ट्रोल समिति" को छात्र की दक्षता का मूल्यांकन करना चाहिए तथा उसकी कमियों का पता लगाना चाहिए।

विज्ञान पर आधारित, किन्तु अधिकतम प्रौद्योगिकी उन्मुख अनेक उदीयमान क्षेत्रों में ऐसे वैज्ञानिकों और शिल्पविज्ञानियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान तथा नव परिवर्तन के प्रयोग की दोनों जिम्मेदारियाँ निभा सकें। एम० ई०/एम० टेक० के कार्यक्रमों के आधार पर विज्ञान में एम० एस० सी० के बाद 3 सेमेस्टरों की अवधि के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की एक अलग रूपरेखा विकसित की जानी चाहिए।

किसी भी हालत में, विद्यमान कार्यक्रमों को परम्परागत अथवा असंगत क्षेत्रों में और प्रफलन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। पड़ोस की शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थाओं को उत्तर-स्नातक कार्यक्रमों को न केवल संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बल्कि संकाय, पुस्तकालय, उपस्कर आदि जैसी सुविधाओं का भी संयुक्त रूप से हिस्सा करना चाहिए।

(7) अंशकालिक उत्तर-स्नातक कार्यक्रमों को और विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में लागू करने को प्रोत्साहन देना चाहिए। स्थापित केम्पसों से दूर रहने वाले का कार्यरत इंजीनियरों, शिल्पविज्ञानिकों को उच्चकोटि की उत्तर-स्नातक शिक्षा देने के लिए नए तकनीकों तथा प्रबन्धों का उपाय निकालना चाहिए।

नई तकनीकों को कार्यान्वित करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक कौशल तथा समर्थन के विकास के लिए सरकार तथा उद्योगों को रोजगार में लगे इंजीनियरों तथा शिल्पवैज्ञानिकों के प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण को एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्दर मिल-जुलकर कार्य करना चाहिए। संस्थाओं की स्टाफ सम्बन्धी आवश्यकता का मूल्यांकन करते समय, अनवरत शिक्षा कार्यक्रम के उनके कार्यकलापों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

(8) इस बात को सार्वजनिक रूप से मानने तथा उसका व्यापक रूप से प्रचार करने की आवश्यकता है कि आज के युग में मास्टर्स डिग्री स्तर पर उत्तर-स्नातक अध्ययन बुनियादी इंजीनियरी शिक्षा का एक सामान्य अंग है। इस अनुचित संकुचित विचारधारा को कि अधिकांश इंजीनियरी कार्य के लिए पर्याप्त रूप से तैयार करने के वास्ते स्नातक डिग्री पर्याप्त है, बनाए नहीं रखना चाहिए।

उद्योग, आर० और डी० संगठनों, विद्युत बोर्डों, लोक निर्माण विभागों, डाक और तार, रेलवे इत्यादि में इंजीनियरी व्यवसाय में अनेक पदों पर भर्ती के लिए स्नातकोत्तर डिग्री की न्यूनतम अर्हता के रूप में अनिवार्यतया निर्धारित किया जाना चाहिए। अनेक सेवाओं में न्यूनतम स्तरों (एकल विन्दु प्रविष्टि) पर स्नातक इंजीनियरों की भर्ती करने की वर्तमान नीति और पद्धति को समाप्त कर देना चाहिए। जब कभी स्नातकोत्तर डिग्री धारियों को भर्ती किया जाए प्रोत्साहन के रूप में तथा मान्यता देने के लिए कम से कम 2 अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ देना अनिवार्य होना चाहिए।

सरकार को सम्बन्धित परियोजनाओं में सक्षम स्नातकोत्तर इंजीनियरों और प्रौद्योगिकी-विदों को भर्ती करने की आवश्यकता को सभी विकासशील परियोजनाओं तथा औद्योगिक विस्तार के साथ सम्बद्ध करने के लिए कारगर उपाय करने चाहिए। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को "इंजीनियरी जनशक्ति परीक्षक" नियुक्त करने के लिए कहना चाहिए ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वे इन कार्मिकों का मुख्य रूप से अच्छा उपयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति का उपयुक्त उपयोग तथा विस्तार आवश्यक है।

तकनीकी शिक्षा आयोजना को मदद देने के लिए संचयन, अध्यतन, सुधार तथा जन-शक्ति सूचना के विश्लेषण के लिए एक विश्वसनीय राष्ट्रीय सूचना प्रणाली को स्थापित करना चाहिए।

उद्योग, सरकार, शिक्षा आदि में उत्तर-स्नातकों को रोजगार पद्धति का अध्ययन तथा उनकी विशेषताओं, अभिरुचियों तथा निष्पादन के संबंध में अन्तर-तुलना करना भी आवश्यक है।

(9) किसी भी इंजीनियरी शिक्षा कार्यक्रम में निश्चित सफलता के लिए छात्रनिकाय के बाद संकाय एक महत्त्वपूर्ण घटक है। स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए डाक्ट्रेट की डिग्री अथवा किसी समकक्ष योग्यता को जिससे बौद्धिक निष्पादन का उच्च स्तर और रचनात्मक प्रयासों का प्रमाण मिल सकें एक पूर्व शर्त बना दिया जाना चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन, स्टाफ की भर्ती के लिए औद्योगिक अनुभव को अनिवार्य अर्हताएं के रूप में निर्धारित करना चाहिए। शिक्षण के लिए सभी भर्ती केवल अखिल भारतीय आधार पर की जानी चाहिए। असन्तोष को रोकने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान तथा विकास संगठनों और औद्योगिक स्थापनाओं के बीच संकाय की गतिशीलता तथा विनिमय को प्रोत्साहन देना चाहिए।

प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्था में शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन के लिए एक ठोस 'स्टाफ मूल्यांकन योजना' लागू की जानी चाहिए। पदोन्नति के प्रत्येक स्तर पर इन स्टाफ मूल्यांकन रिकार्डों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सभी संस्थाओं में उपयुक्त योग्यता पदोन्नति योजनाएं लागू की जानी चाहिए।

(10) यह आवश्यक है कि कुछ उच्च प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में उपकरणों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के लिए अवस्थापना की व्यवस्था की जाए जिसमें विशेष बल कृत्रिम उपकरणों की मरम्मत तथा रख-रखाव पर दिया जाए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने उपकरणों और अपने क्षेत्र में स्थित अन्य संस्थाओं के उपकरणों के रख-रखाव और उनकी मरम्मत में सक्षम हैं। उचित पद और आकर्षित वेतनमानों सहित रख-रखाव तकनीशियनों/इंजीनियरों का एक विशेषज्ञ संवर्ग कम से कम क्षेत्रीय आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

(11) सरकार को इस रिपोर्ट में दिए गए विभिन्न सुझावों के आधार पर उद्योगों और स्नातकोत्तर संस्थाओं पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने की शर्त लगानी चाहिए। उद्योगों की, तकनीकी जानकारी के लिए विकसित देशों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाना

चाहिए। बाहर से आयात की गई किसी भी जानकारी पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। प्रत्येक उद्योग पर (यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्रवाई के जरिए) अनुसंधान उपकर लगाया जाना चाहिए। स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान की उन्नति के लिए उद्योग द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतानों/अंशदानों/निवेशों पर 33% टैक्स छूट दी जानी चाहिए।

(12) आवृत्तिमूलक और असंगत अनुसंधान परियोजनाओं पर संसाधनों के भारी अपव्यय को रोकने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सभी स्तरों पर शैक्षिक अनुसंधान की सामाजिक आर्थिक विकास के सन्दर्भ में किए गए काम पर बल देना चाहिए। प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं को और अधिक विकसित किया जाना चाहिए।

संस्थागत सलाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और पूर्व-निर्धारित मानदण्डों के आधार पर व्यक्तिगत सलाह की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रायोजित और सलाह परियोजनाओं द्वारा अर्जित धन का संस्थाओं की अनुसंधान क्षमता का और अधिक विकास करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

सभी स्तरों पर डिजाइन और विकास पर बल सहित बहु-विषयों, परा-विषय संबंधों तथा परा-संगठनात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उद्योग की समस्याओं का प्रलेखन किया जाना चाहिए और सतत आधार पर स्नाकोत्तर संस्थाओं को वितरित किया जाना चाहिए। यह सिफारिश की जाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुसंधान और विकास सूचना-पत्र नियमित रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसमें स्नातकोत्तर संस्थाओं, अनुसंधान और विकास संगठनों और उद्योग के लाभ के लिए सभी अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में सूचना दी गई हो। दो वर्ष में कम से कम एक बार स्नातकोत्तर परियोजनाओं पर अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन और क्षेत्र/विषय-वार इनका प्रलेखन करना अच्छा होगा।

बड़े पैमाने पर प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने की क्षमता वाली संस्थाओं को सभी सेवा लाभों सहित स्थायी रूप से सक्षम वैज्ञानिक स्टाफ को भर्ती करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(13) इस रिपोर्ट में सुझाई गई बातों के आधार पर स्नातकोत्तर संस्थाओं में भौतिक और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए निधिकरण के मानदण्डों में संशोधन करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए अनुदान की सिफारिश सम्बन्धित विभागों के सम्पूर्ण स्नातकोत्तर कार्यकलापों पर आधारित होनी चाहिए न कि संस्था द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीमित काट-छांट पर।

जबकि सभी संस्थाओं का चरणबद्ध रूप से आवश्यकता-आधारित समेकन (प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और पुराने उपकरणों को बदलने सहित) करना आवश्यक है, इस बात की जोरदार सिफारिश की जाती है कि इस प्रकार का समेकन प्राथमिकता के आधार पर उन संस्थाओं में किया जाना चाहिए जिन्होंने अपर्याप्त निधिकरण के बावजूद अपने पिछले कामों में अपनी योग्यता का परिचय दिया है। इन संस्थाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय विकास के लिए केन्द्रों के रूप में काम करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए छठी योजना अवधि

(1980-85) के दौरान लगभग 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जानी चाहिए।

यह अनिवार्य है कि विश्वविद्यालय विभागों सहित सभी इंजीनियरिंग संस्थाओं में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए निधिकरण की 100% जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की होनी चाहिए और यह कि जैसा कि इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है निधिकरण सम्बन्धी विद्यमान, द्विभाजन/असमानताएं दूर की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय महत्त्व की उन संस्थाओं के मामले में जिनका प्रवर्तक संस्थाओं के रूप में रख-रखाव तथा और अधिक विकास किया जाना है, निधिकरण जैसा कि इस समय है, एकीकृत अवस्थापनात्मक विकास पर आधारित होना चाहिए। तथापि इनके मामले में भी विभिन्न विभागों की सहायता उनके काम पर आधारित होनी चाहिए।

क्योंकि चल रहे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आवर्ती खर्च को पूरा करने के लिए 79-80 से योजनेतर प्रावधानों को स्वीकार कर लिया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को राज्य सरकार सहायक अनुदान नियमों के द्वारा अभिशासित संस्थाओं में स्नातकोत्तर कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति तथा अन्य सेवा लाभ देने की सलाह देनी चाहिए।

(14) भारत में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान और विकास के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट समुचित आँकड़ा बैंकों/सूचना सेवाओं का अभाव है। इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि स्नातकोत्तर संस्थाओं और अनुसंधान केन्द्रों में प्रयोक्ता शिक्षा/प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करके सूचना प्रयोक्ताओं को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए।

देश में संगठनात्मक सूचना सुधार पद्धति को विकसित करने के लिए उपयुक्त साफ्टवेयर सहित भारत ग्रंथ वैज्ञानिक आँकड़े आयातित कर रहा है। इस आयातित 'सूचना प्रौद्योगिकी' को खपाने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल इसे विकसित करने की आवश्यकता है।

इस बात की जोरदार सिफारिश की जाती है कि कम्प्यूटर रीडिबिल मेग.टिक टेपों के रूप में एस० एण्ड टी० के सभी प्रमुख आँकड़ों के आधारों के साथ-साथ भारत में दो राष्ट्रीय आँकड़े केन्द्र तत्काल स्थापित करने चाहिए।

(15) इस रिपोर्ट के विभिन्न भागों में कई अन्य प्रस्तावों के साथ सम्बद्ध इस समिति की महत्त्वपूर्ण सिफारिश यह है कि सरकार को स० आई० सी० टी० ई०/स्नातकोत्तर बोर्ड की एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में एक नया सांविधिक संगठन बनाना चाहिए। जिसको इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा अनुसंधान के उच्च स्तरों को बनाए रख कर इस देश के प्रौद्योगिकी विकास की प्रोन्नति और संवर्धन के लिए संसद द्वारा अधिकार प्राप्त होंगे। प्रस्तावित प्राधिकरणों को सभी उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों और अनुसंधान में लगे हुए सभी केन्द्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन और प्रत्यायन उपयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा पांच वर्षों में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए।

स्नातकोत्तर संस्थाओं की निष्पादन आधारित लेखा परीक्षा के लिए प्रणालियाँ विकसित करनी चाहिए ताकि उनके विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तृत पुनरीक्षण किया जा सके। वर्तमान वित्तीय खर्चे की लेखा परीक्षा पद्धति को बदल देना चाहिए।

(16) टी० सी० डी० सी० को नई संकल्पना में भारत की प्रमुख भूमिका अदा करनी है॥ भारत को अपने ही हित में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों में विदेशी छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए एक सुसंगत "स्वदेशी प्रशिक्षण नीति" तैयार करनी चाहिए ।

पंचायतों में सेवारत डाक व तार कर्मचारियों

को मकान किराया भत्ता

4180. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी अथवा छोटी पंचायतों में काम कर रहे डाक व तार कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) मकान किराया भत्ता सामान्यतः उन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है जिनमें डाक तार कर्मचारी भी शामिल हैं, जो ऐसे स्थानों पर काम करते हैं जहाँ की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 50,000 या इससे अधिक है तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित कुछ अन्य शर्तें भी लागू होती हैं। केवल पंचायत होने के कारण कोई भी स्थान इस भत्ते के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह अन्य शर्तें पूरी न करता हो ।

(ख) मकान किराया भत्ता तथा उसी प्रकार के अन्य भत्तों के सम्बन्ध में सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की भांति सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेश डाक तार कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। डाक तार विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अलग से नीति नहीं निर्धारित की गई है ।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

ऋण-दाताओं के शिकंजे में

4181. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है, जिन्हें पारम्परिक ऋण दाताओं से छुटकारा नहीं मिल सका है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : जी नहीं । इस संबंध में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, वर्ष 1971-72 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 1975 में ग्रामीण गरीब लोगों, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भी शामिल हैं, के ऋणों को समाप्त करके अथवा कम करके उन्हें राहत पहुंचाने हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कानूनी उपाय अपनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे । मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार 2400 रुपए की वार्षिक आय वाले सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को उनके गैर-संस्थागत ऋणों से पूर्णतः मुक्त किया जाना था और छोटे किसानों

के ऋणों को कम किया जाना था। यह भी सुझाव दिया गया था कि गरीब वर्गों में आदिवासी जनसंख्या के आपेक्षिक पिछड़ेपन पर विचार करते हुए, राज्य सरकारें और अधिक उदार मान-दण्ड अपनाने पर विचार करें, अर्थात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की भूमि के संबंध में गैर आदिवासी कर्जदारों के वर्गों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में सुझाए गए भू-जोत के मानदण्डों को दोगुना करना। अनेक राज्यों ने इस दिशा में ऋण राहत कानून बनाए हैं। आगामी अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण वर्ष 1981-82 में किया जाना है।

राजस्थान में हैण्डपम्पों की हानि के बारे में शिकायतें

4182. **श्री भीखा भाई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य में लगे मजदूरों द्वारा पेय जल के लिए हैण्डपम्प लगाए जाने और उन्हें मजदूरी का भुगतान न किए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या जिन समस्याओं के बारे में शिकायत की गई है वह वैसी ही स्थिति में पड़ी है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को अनुदेश दिए हैं : यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अनुदेश कब जारी किए गए अथवा किए जाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ङ) राजस्थान सरकार से रिपोर्ट माँगी गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

तथापि, भारत सरकार ने राजस्थान सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को 5 मई, 1980 को सामान्य अनुदेश जारी किए हैं, जिसमें काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को खाद्यान्नों के वितरण में कदाचारों को रोकने तथा कूपन प्रणाली शुरू करने सहित प्रक्रिया को कारगर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसके अतिरिक्त, प्रधान मन्त्री का सूखा व्यवस्था सम्बन्धी 12 सूत्री कार्यक्रम, सूखा ग्रस्त राज्यों को भेजा गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरों की मजदूरी को तत्काल भुगतान करने पर बल दिया गया है।

आल इण्डिया फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आर्गेनाइजेशन का "माँग दिवस"

4183. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आल इण्डिया फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आर्गेनाइजेशन के आह्वान पर 7 अप्रैल, 1980 को एक "मांग दिवस" आयोजित किया गया था और इसे देश के विभिन्न भागों से याचिकायें प्राप्त हुईं जिनमें आल इण्डिया फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आरगेनाइजेशन के माँग पत्र का समर्थन किया था ; और

(ख) क्या सरकार ने हाल में आल इण्डिया फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आरगेनाइजेशन सहित अध्यापक संगठन के पत्रों/याचिकाओं का उत्तर न देने का नियम-सा बना लिया था ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री : (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विभिन्न राज्यों के कालेज शिक्षक संघों से कुछ पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें यह बताया गया था कि वे आल इण्डिया फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आरगेनाईजेशन के आह्वान पर 7 अप्रैल, 1980 को "माँग दिवस" के रूप में मना रहे हैं।

(ख) जी, नहीं। आल इण्डिया फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आरगेनाईजेशन के प्रतिनिधि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री से पिछले दो या तीन वर्षों के दौरान समय-समय पर मिलते रहे हैं। उनके द्वारा रखी गई माँगों के बारे में केन्द्रीय सरकार के विचारों और निर्णयों को समय-समय पर उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है।

बिहार में पेय जल

4184. **कुमारी कमला कुमारी : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार सरकार सामान्यतः छोटा नागपुर के अल्पसंख्यकों को और विशेषतः रांची के हिन्द पीगी और कलाल टोली के अल्पसंख्यकों को पेयजल उपलब्ध कराने में असफल रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) पेय जल की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों को अपेक्षाकृत अधिक विकट पेयजल की समस्या वाले ग्रामों में जल की व्यवस्था करने में गति लाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। बिहार राज्य के लिए त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1977-78 में इसके आरम्भ से लगभग 24.77 लाख की आबादी वाले (1971 की जनगणना) 1778 ग्रामों की 1169.172 लाख रुपए की 1572 योजनाएं केन्द्र द्वारा अब तक अनुमोदित की गई हैं।

छाटा नागपुर मण्डल के अन्तर्गत योजनाओं के बारे में स्थिति निम्न प्रकार से है :—

क्रम सं०	जिला	अनुमोदित ए. आर. पी. योजनाओं की संख्या	ग्रामों की संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1.	हजारीबाग	8	53	108.749
2.	धनबाद	4	24	77.160
3.	रांची	3	13	15.167
4.	पलामू	5	13	28.586
5.	सिंहभूम	1	2	0.500
6.	गिरीडीह	4	8	23.480
		25	113	25.3642

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान वर्तमान लक्ष्य सभी समस्याग्रस्त गाँवों में पेयजल की व्यवस्था करना है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए सेवा नियम

4185. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा अपने गैर शिक्षण कर्मचारियों के बारे में किन सेवा नियमों का पालन किया जा रहा है ;

(ख) क्या शिक्षा मंत्रालय/गृह मंत्रालय द्वारा इन नियमों का अनुमोदन किया जा चुका है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि अनुमोदन कर दिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अपनी संविधियों के प्रतिपादित होने तक के लिए विश्वविद्यालय ने पूर्ण-कालिक गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा से सम्बन्धित आचरण तथा शर्तों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए माडल नियमों को अपनाया है।

(ख) और (ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित कार्यविधि के अनुसार, विश्वविद्यालय स्टाफ की सेवा की शर्तों की संविधियाँ बनाने में सक्षम है। सरकार के अनुमोदन का प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयले के डिपो खोलना

4186. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने लोगों की कोयले की अविलंबनीय मांग को पूरा करने के लिए गत दो वर्षों के दौरान कोयले के कितने डिपो खोले ;

(ख) आवेदकों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली प्रशासन ने क्या मानदण्ड अपनाया ;

(ग) वर्ष 1979 में पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में कितने लोगों ने कोयले के डिपो के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया था तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या उक्त कोल डिपो उस महिला को आवंटित किया गया था जिसका आवेदन-पत्र प्रारम्भ में अधिकारियों तथा इस कार्य के लिए नियुक्त समिति ने अस्वीकार कर दिया था और उन्होंने सुझाव दिया था कि किसी अन्य आवेदक को लाइसेंस दिया जाए ; परन्तु कार्यकारी पार्षद ने अस्वीकृत आवेदक को लाइसेंस दे दिया ;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(च) क्या सरकार को डिपुओं के इस प्रकार आबंटन के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं ; यदि हाँ, तो कितनी तथा उनका स्वरूप क्या है ;

(छ) क्या सरकार इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से जांच कराएगी ; और

(ज) यदि हां, तो कब ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1978 और 1979 में कोयले के डिपो खोलने के लिए क्रमशः 62 और 63 लाइसेंस जारी किए गए थे।

(ख) कोयले की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करते समय यह बात तो ध्यान में रखी ही जाती है कि सम्बन्धित क्षेत्र में कोयले के कितने डिपो पहले से ही हैं और उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कार्ड होल्डरों को साफ्ट कोक लेने के लिए बहुत दूर न जाना पड़े।

(ग) वर्ष, 1979 में पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में कोयला डिपो के लाइसेंस के लिए छह व्यक्तियों ने आवेदन किया जिनके नाम हैं—सर्वश्री कस्तूरी लाल, केवल कृष्ण, बाल कृष्ण, छत्तर सेन तथा श्रीमती रत्ना देवी और श्रीमती मूली देवी।

(घ) जी हां।

(ङ) यह लाइसेंस महानगर परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष की सिफारिश पर दिया गया था जिसका कारण यह था कि आवेदन कर्त्ता अनुसूचित जाति की थी।

(च) जी नहीं। कोयला विभाग को कोयले की सप्लाई के आवंटन के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

सवाई माधोपुर, राजस्थान में उर्वरक संयंत्र लगाया जाना

4187. **श्री राम कुमार मीना** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवाई माधोपुर (राजस्थान) में एक उर्वरक संयंत्र लगाने के लिए 1979 में कोई केन्द्रीय सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) क्या वहां संयंत्र लगाया जा रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने सवाई माधोपुर में उर्वरक संयंत्र लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) भविष्य में लगाए जाने वाले गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के सही स्थल की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल ने निर्दिष्ट किया था कि सवाई माधोपुर सही स्थल नहीं हो सकता। तथापि उर्वरक संयंत्र के सही स्थल का निर्णय इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता, कच्चे माल और तैयार उर्वरकों के परिवहन के संभारतंत्र और अन्य युक्तिसंगत तकनीकी आर्थिक पहलुओं जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह तभी सम्भव है जब विस्तृत तकनीकी आर्थिक अध्ययन पूरे हो गए हों कि भविष्य के उर्वरक संयंत्रों के कार्यान्वयन के लिए सही स्थल के लिए किसी निर्णय पर पहुंचना सम्भव होगा।

शरणार्थियों के दावों का निपटान

4188. **श्री भगवान देव :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन के समय देश में आने वाले ऐसे सिंधी, पंजाबी और बंगाली शरणार्थियों की संख्या कितनी है जिनके दावों का निपटान अब तक किया जा चुका है और ऐसे शरणार्थियों की संख्या कितनी है जिनके दावों का निपटान अभी किया जाना है;

(ख) शेष दावों का निपटान अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं और इन दावों का निपटान कब तक कर दिया जाएगा;

(ग) कितने सिंधी शरणार्थियों ने विभाजन के बाद भारत सरकार से लिये गये ऋण का भुगतान कर दिया है और उन्होंने कितनी राशि का भुगतान किया है और ऐसे शरणार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी ऋण का भुगतान करना है और उनके द्वारा कितनी राशि लौटाई जानी है;

(घ) क्या सरकार उन शरणार्थियों के ऋण माफ करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिन्होंने 5000 रुपये से कम राशि लौटाई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर अब विचार करने को तैयार है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) मुआवजे के लिए दायर किए गए आवेदन पत्रों की कुल संख्या 5,07,133 थी। इन सभी आवेदन पत्रों का निपटान कर दिया गया है। तथापि, न्यायिक आदेशों आदि के परिणामस्वरूप, 1785 आवेदन पत्रों पर पुनः कार्यवाही की आवश्यकता है। इन मामलों को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) पुनर्वास विभाग में इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है क्योंकि ऋण राज्य सरकारों के माध्यम से वितरित किए गये थे।

(घ) यह पहले ही निर्णय किया जा चुका है कि कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन विस्थापित व्यक्तियों को दिए गए ऋण बट्टे खाते डाल दिए जाएं। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में 2000/-रुपये के ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां सौंप दी गई हैं। ऐसे मामलों पर, जिनमें 2000/-रु० से अधिक राशि हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

(ङ) उक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

4189. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने क्या-क्या सिंचाई परियोजनाएं, योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए हैं और विश्व-बैंक सहायता के लिए उनके मंत्रालय को पेश किए हैं;

(ख) उस राज्य को विश्व-बैंक से कार्यक्रम-वार अब तक कितनी सहायता मिली है;

(ग) क्या उक्त राज्य विश्व-बैंक सहायता पाने के लिए कोई योजना तैयार कर रहा है;

(घ) क्या विश्व-बैंक ने सहायता देना स्वीकार कर लिया और अब तक कितनी सहायता दी है; और

(ङ) उस राज्य द्वारा कितनी प्रगति की गई और कितने धन का उपयोग किया तथा वर्ष 1980-81 संबंधी योजनाओं के लिए और कितनी धनराशि की मांग की गई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) ओर (ग) विश्व-बैंक से सम्बद्ध संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ उड़ीसा की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए, अक्तूबर, 1977 में हस्ताक्षर किए गए करार के अनुसार, 58 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य की निम्नलिखित तीन वृहद् परियोजनाओं पर विश्व बैंक से ऋण-सहायता लेने के लिए विचार किया जा रहा है:—

(1) महानदी बिरूपा बराज

(2) रेंगली सिंचाई परियोजना

(3) स्वर्णरेखा (उड़ीसा) परियोजना

(ख) 58 मिलियन डालर की ऋण-सहायता मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के एक समूह के लिए है। वे मध्यम परियोजनाएं, जो बैंक के साथ सलाह करके निर्धारित किए गए आर्थिक और तकनीकी मानदण्डों पर पूरा उतरें, इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय जल आयोग में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद, ऋण-सहायता प्राप्त करने की पात्र हो जायेंगी। उड़ीसा सरकार ने इस ऋण सहायता के समुपयोजन के लिए बहुत सी मध्यम परियोजनाएं निर्धारित की हैं। इनमें से 11 परियोजनाएं, जिनका ब्योरा विवरण में दिया गया है, भारत सरकार की मूल्यांकन समिति/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा सहायता के लिए अब तक स्वीकृत की गई है। विश्व बैंक द्वारा मई, 1980 तक 13.69 मिलियन अमरीकी डालर की प्रति पूर्ति की गई है। उपर्युक्त (क) और (ग) में निर्दिष्ट तीन अन्य वृहद परियोजनाओं को ऋण-सहायता देने के लिए विश्व-बैंक का अन्तिम निर्णय, राज्य द्वारा अपनी योजनाओं में इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करने, राज्य की कार्यान्वयन क्षमता और परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक सक्षमता पर निर्भर करेगा।

(घ) ऊपर (क) में उल्लिखित 58 मिलियन अमरीकी डालर के कुल ऋण-में से मई, 1980 तक विश्व बैंक द्वारा 13.69 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिपूर्ति की गई है।

(ङ) उड़ीसा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए दिये जाने वाले ऋण के अन्तर्गत शामिल परियोजनाओं और शामिल किये जाने के लिए राज्य द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में अनुमानित लागत, 1979-80 तक व्यय और 1980-81 का प्रस्तावित परिव्यय और सिंचाई लाभों के ब्योरे विवरण में दिए गए हैं।

विश्व-बैंक सहायता के लिए विचाराधीन तीन अन्य वृहद् परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 1980-81 के लिए प्रस्तावित परिव्यय निम्न प्रकार हैं:—

(करोड़ रु०)

(1) महानदी बिरूपा बराज परियोजना ——रु० 3.00

(2) रेंगाली सिंचाई परियोजना ——रु० 11.60

(3) स्वर्णरेखा (उड़ीसा) परियोजना ——कुछ नहीं

विवरण

उड़ीसा मध्यम सिंचाई परियोजना (ऋण सं० 740—आई० एन०)

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	कृषि कमान क्षेत्र (हेक्टेयर)	अनुमानित लागत	*1979-80 तक व्यय	चकाया लागत	प्रस्तावित परिव्यय 1980-81
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(क)	निर्माणाधीन परियोजनाएं					
1.	रमियाला सिंचाई परियोजना	9600	1104	695.18	444.22	170
2.	रेमल सिंचाई परियोजना	3900	521	298.47	222.53	200
3.	देहा सिंचाई परियोजना	4580	724	482.18	241.82	200
4.	डुमरबहल सिंचाई परियोजना	2800	349	222.43	126.57	50
5.	सुनई सिंचाई परियोजना	10000	1138	340.82	797.18	220
6.	गोहिरा सिंचाई परियोजना	8100	1087	486.51	600.49	200
7.	कुआनरिया सिंचाई परियोजना	3600	653	346.97	306.03	220
8.	पिलातालकी सिंचाई परियोजना	2388	376	300.89	75.11	100
9.	झारबंद सिंचाई परियोजना	2043	206	93.61	112.39	60
10.	सर्पगढ़ सिंचाई परियोजना	2238	341	129.79	211.21	100
11.	तलसारा सिंचाई परियोजना	3036	465	190.09	274.91	120
12.	हरबंगी सिंचाई परियोजना	9650	1522	34.81	1487.19	200
13.	कन्झारी सिंचाई परियोजना	9823	1269	62.81	1206.19	180
14.	हरिहरजोर सिंचाई परियोजना	9950	1497	69.47	1427.53	180
15.	बड़ानाला सिंचाई परियोजना	9800	1337	—	1337.00	50
	उप-जोड़	91500	12589	3718.63	8870.37	2250
(ख)	नई परियोजनाएं					
16.	अपर जोंक	90000	798	3·09	794.91	10
17.	बंकाबल	7200	960	3·00	957·00	35
18.	कंसबहल	6790	415	1·50	413·50	10
19.	बरसान	3000	330	1·50	328·50	10
	उपजोड़	25990	2503	9·09	2493·91	65
	कुल जोड़	117498	15092	3727.72	11364.28	2315

क्रम संख्या 1 से 11 तक की परियोजनाओं की मूल्यांकन समिति/विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

*इसमें अक्तूबर, 1977 से पहले का 570 लाख रुपए का व्यय शामिल है जब अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ हुआ करार लागू हुआ था।

पश्चिम बंगाल के समाचार पत्रों की छपाई कागज देने से इंकार

4190. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के अनेक छोटे समाचार पत्रों को 1978-79 में छपाई-कागज का कोटा देने से इन्कार कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी समाचार पत्र-वार विस्तृत कारण क्या है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) अखबारी कागज के आवंटन के लिये पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होने वाले लघु समाचारपत्रों से वर्ष 1978-79 के दौरान प्राप्त 72 आवेदन-पत्रों में से 64 आवेदन-पत्रों के बारे में पूरी कार्यवाही हो गई थी और उन्हें अखबारी कागज आवंटित कर दिया गया था। शेष 8 आवेदन-पत्रों के मामले में, 3 आवेदन-पत्र आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त हुए थे। अन्य 5 समाचारपत्रों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई। इसलिये उनको अखबारी कागज का आवंटन नहीं किया जा सका। सम्बन्धित समाचार पत्रों को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

दिल्ली की विद्युत उत्पादन क्षमता में गिरावट

4191. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की विद्युत उत्पादन क्षमता में रोजाना हो रही कमी का कोई हल ढूंढा गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपायों का ब्यौरा क्या है और उनके परिणामस्वरूप दिल्ली की बिजली की उत्पादन क्षमता में कितने मेगावाट की वृद्धि होगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिल्ली की बिजली की मांग बदरपुर तथा इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्रों से पूरी की जाती है। कुल उपलब्ध उत्पादन क्षमता लगभग 810 मेगावाट है तथा व्यस्ततम मांग लगभग 520 मेगावाट है। सामान्यतया व्यस्ततम मांग को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं है। तथापि बदरपुर या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की उत्पादन यूनिटों में अधिक बन्दियां होने की परिस्थितियों में यदि ग्रिड से सहायता उपलब्ध नहीं होती तो लोड शेडिंग करनी पड़ती है। दिल्ली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 210 मेगावाट की एक और यूनिट बदरपुर में उत्थापित की जा रही है।

पेट्रोलियम उत्पादकों को जाने-ले-जाने में कठिनाई

4192. **श्री जैनुल बशर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन से पेट्रोलियम उत्पादकों के लाने-ले-जाने में कठिनाइयां आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सन्दर्भ में सरकार एक तेल परिवहन निगम की स्थापना करने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : जी, नहीं। वास्तव में पेट्रोलियम उत्पादों को सड़क यातायात द्वारा लाने-ले-जाने को काफी बढ़ाया गया है जिससे कि जहां तक हो सके रेल टैंक वैगनों की कमी को पूरा किया जा सके।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अगरतल्ला से विस्फोटक सामग्रियों की चोरी

4193. **श्री जनार्दन पी० पुजारी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला के निकट तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कामप्लैक्स से बड़ी मात्रा में उच्च ग्रेड वाली विस्फोटक सामग्री की चोरी हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसकी कितनी मात्रा में चोरी हुई थी;

(ग) क्या इस मामले के कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) ओ. एन. जी. सी. के बारामूरा में विस्फोटक बारूद खाना से गायब हुई मात्राएं :

(1) 125 किलोग्राम स्पेशल गैलाटिन—80 प्रतिशत

(2) 1057 इलैक्ट्रिकल डिटोनेटर्स और

(3) 50 मीटर्स प्राइमा कोर्ड

(ग) और (घ) परियोजना अधिकारियों द्वारा जेरानिया पुलिस स्टेशन में एक एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है।

कोरवा उर्वरक संयंत्र का निर्माण

4194. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरवा में उर्वरक कारखाने के निर्माण में कोई बाधा है और क्या यह सच है कि वहां पर प्राप्त हुए उपकरणों को क्षति पहुंच रही है अथवा वे अन्यत्र भेजे जा रहे हैं; और

(ख) कोरवा में उर्वरक सन्यन्त्र के निर्माण के लिये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और वहां पर उत्पादन कब शुरू होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) संसाधनों की समस्याओं के कारण कोरवा उर्वरक परियोजना का कार्यान्वयन 1974 में धीमा कर दिया गया था। यह भी निर्णय किया गया है कि परियोजना के आगामी कार्यान्वयन पर, तालचर और रामगुण्डम में चालू किये जा रहे कोयले पर आधारित दो सन्यन्त्रों के संचालन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर ही किया जायेगा।

कोरवा से प्राप्त उपकरण/सामग्री को ठीक से सुरक्षित रखा जा रहा है। तालचर और रामागुण्डम सन्यन्त्रों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ मदें उधार पर दी गई हैं।

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्य मन्त्रियों के प्रेस सम्मेलन का आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा प्रसारण

4195. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्य मन्त्रियों के पिछले 2 वर्ष के दौरान के उन प्रेस सम्मेलनों का तिथिवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें आकाशवाणी कलकत्ता और अगरतला तथा कलकत्ता दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : समाचारिक महत्व के दृष्टिकोण से स्थापित परंपरा के रूप में मुख्यमंत्रियों के प्रेस सम्मेलनों को आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के द्वारा ही कवर किया जाता है। जून, 1978 और जून, 1980 के बीच कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र ने चार अवसरों पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के प्रेस सम्मेलन को फिल्म पर कवर किया।

त्रिपुरा के मुख्य मंत्री के 14-1-1980 को कलकत्ता में हुए प्रेस सम्मेलन को दूरदर्शन केन्द्र कलकत्ता द्वारा फिल्म पर कवर किया गया था। अन्य दस अवसरों पर उनके प्रेस सम्मेलन को बिना चित्रों के कवर किया गया था। तिथियां 29-3-79, 18-6-79, 5-11-79, 10-11-79, 13-11-79, 23-11-79, 28-11-79, 3-12-79, 15-6-80 और 1-7-80 हैं।

मैसर्स ब्रुक बोण्ड द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

4196. **श्री एन० ई० होरो** : **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ब्रुक बोण्ड इंडिया कम्पनी ला बोर्ड से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 294 ए के अन्तर्गत अनुमति लिये बिना किस प्रकार रेजर ब्लेडों के सम्बन्ध में मैसर्स सेन्ट्रन इंडस्ट्रियल एलाइन्स के एक मात्र बिक्री एजेन्ट के रूप में कार्य कर रही है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि मैसर्स ब्रुक बांड सेन्ट्रन ब्लेड देकर अपने ग्राहकों को ब्रुक बोण्ड चाय पैकेट जैसे अन्य उत्पादनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करके प्रतिबंधित व्यापार प्रक्रिया में लगे हुए हैं; और

(ग) सरकार का विचार कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन करने और प्रतिबंधित व्यापार प्रक्रिया अपनाने के लिए ब्रुक बोण्ड के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का है जबकि ये उल्लंघन गत एक वर्ष से अधिक समय से जारी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) कम्पनी कार्य विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मैसर्स सेन्ट्रन इंडस्ट्रियल एलाएन्स लिमिटेड ने, मैसर्स ब्रुक बोण्ड इंडिया लिमिटेड को 1-1-79 से सैफ्टी रेजर ब्लेडों और भूतपूर्व कम्पनी द्वारा विनिर्मित अनुषंगी मदों की बिक्री तथा वितरण के लिए अपना विक्रय अभिकर्ता नियुक्त किया है। मैसर्स सेन्ट्रन इंडस्ट्रियल एलाएन्स ने मत प्रकट किया है कि मैसर्स ब्रुक बोण्ड इण्डिया लिमिटेड की उसके उत्पादनों को बाजार में बेचने का अर्थ एकमात्र विक्रय अभिकरण से नहीं है तथा भूतपूर्व कम्पनी ने केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 294 कक के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र भी नहीं दिया है।

न तो कम्पनी कार्य विभाग और ना ही एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि मैसर्स ब्रुक बोण्ड इण्डिया लिमिटेड अपने उपभोक्ताओं को प्रलोभन के रूप में चाय के पैकिटों के साथ सेन्ट्रन ब्लेड के द्वारा अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों में लगा हुआ है।

सेफ्टी रेजर ब्लेडों के वितरण के लिए एकमात्र विक्रय अभिकर्ता के रूप में मैसर्स ब्रुक बोण्ड इण्डिया लिमिटेड को नियुक्ति का मैसर्स सेन्ट्रन इण्डस्ट्रियल एलाएन्स लिमिटेड द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 294 कक के उल्लंघन में सम्मिलित होना माना जा सकता था, किन्तु मैसर्स ब्रुक बोण्ड इण्डिया लिमिटेड के द्वारा यह प्रश्न कि क्या भूतपूर्व कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1976 की धारा 294 कक के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तथा क्या इस कम्पनी के विरुद्ध कोई अभियोग चलाया जाना चाहिए, परीक्षान्तर्गत है।

मैसर्स ब्रुक बोण्ड इण्डिया लिमिटेड के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

कलकत्ता टेलीविजन केन्द्र के लिए भवन

4197. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता में कलकत्ता टेलिविजन के लिए नये भवन के बारे में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और उसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : कलकत्ता में स्थायी दूरदर्शन स्टूडियो भवन के लिए 174.54 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। डिजाइन कार्य

की मिट्टी के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं । परन्तु छः वर्ष से ये निष्क्रिय पड़े हैं । मेरे विचार से इनके बारे में बहुत जल्द कुछ न कुछ किया जाना चाहिए ।

टिड्डी तथा अन्य कीड़ों से फसलों को बचाने के लिए हम सब कीटनाशक दवाइयां इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इनसे मिट्टी में कितनी मात्रा में विषैले तत्व पहुंच जाते हैं तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समाज के लिए कितने हानिकारक हैं ? इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया हैं ।

अब मैं वनों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । इन्हें घास-स्थली, ग्राम वन कार्यक्रमों और सामाजिक बन प्रान्तों में वर्गीकृत किया जा सकता है । ये सब सम्भवतः बहुत रोजगार उन्मुख एजेन्सियां हैं । लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि आप सामाजिक वन-प्रान्त योजना को बनों या घास-स्थलों की पुनरुत्पत्ति या भूमि-संरक्षण की दृष्टि से देखें तो यह योजना ढकोसला मात्र है । यह केवल रोजगार एजेंसी है । इस क्षेत्र में उचित आयोजन न होने के कारण ग्राम वन कार्यक्रमों का ढोल तो बजाया जाता है, परन्तु वास्तव में कुछ नहीं होता । ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और यदि इन्हें सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए तो ये ग्रामीणों के लिए ईन्धन के विकल्प के रूप में काम आ सकते हैं । हम जानते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, हमारे देश के 75 प्रतिशत बन समाप्त हो चुके हैं । हमारे विस्तृत पहाड़ी-क्षेत्र तथा हिमालय के चट्टानी क्षेत्र बेकार पड़े हैं तथा बंजर हो गए हैं । मिट्टी बहकर समुद्र में पहुंच गई है । समझ नहीं आता कि इन्हें कैसे फिर से सुधारा जाएगा । मैं तो केवल यह कह सकता हूं कि दूरगामी प्रभाव वाली योजना अपनाई जानी चाहिए । ऐसी योजना है तो सही, परन्तु उसे शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि हम जान सकें कि हमें कितनी हानि हो रही है और इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिए ।

*श्री के० ए० स्वामी (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदय, कई प्रतिष्ठित सदस्यों ने कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण के बारे में विचार व्यक्त किए हैं । मैं कुछ और बातें माननीय मन्त्री के ध्यान में लाना चाहता हूं ।

श्रीमन्, इस समय इस बात की बहुत आवश्यकता है कि शुष्क क्षेत्रों में खेती करने के लिए भूमिगत जल-साधनों का सर्वेक्षण किया जाए । दुर्भाग्यवश हम भूमिगत जल-साधनों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं । भूमिगत जल का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। वह कहां उपलब्ध है, उसके स्थल का निर्धारण करने के बाद हमें देखना चाहिए कि उपयोग के लिए नलकूपों द्वारा जल बाहर निकाला जाए । सरकार को यह भी देखना चाहिए कि विद्युत की उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं । तेल के इंजनों, बिजली की मोटरों और पम्पों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

*तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

एक ऐसा स्थाई कार्यक्रम होना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शुष्क क्षेत्र में आने वाला प्रत्येक गांव इस योजना के अन्तर्गत आ जाए । जब तक हमारे पास ऐसी स्थाई योजना नहीं होगी, तब तक हम यह आशा नहीं कर सकते कि और अधिक एकड़ भूमि पर खेती की जा सकेगी । केवल इस योजना के माध्यम से हम शुष्क क्षेत्र में स्थित सुदूरवर्ती गांवों में छोटे किसानों को पानी उपलब्ध करा सकते हैं । हमारा देश कृषि-प्रधान देश है । लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है । मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार अधिक से अधिक शुष्क क्षेत्रों में कृषि कार्य आरम्भ करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन अन्ततः ऐसे मंहगे निर्माणों के साथ-साथ भूमिगत जल-साधनों का भी उपयोग करना होगा ताकि देश के समस्त शुष्क क्षेत्र में खेती की जा सके । इस सम्बन्ध में पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है । वहां छोटे-छोटे खेतों में भी भूमिगत-जल की सहायता से खेती की जा रही है । दूसरे राज्यों को भी इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए ।

आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम, विशाखामटनम, विजयनगरम और पूर्वी गोदावरी जैसे पिछड़े जिले और पूरा देश लगातार ही प्राकृतिक आपदाओं से घिरे रहते है । इन इलाकों में किसी वर्ष सूखा पड़ जाता है और किसी वर्ष में अर्न्तवृष्टि हो जाती है । पिछले 20 वर्षों में यहां एक भी फसल नहीं हो पाई है, परिणाम स्वरूप कितने ही किसानों ने अपने खेतों और गावों को छोड़कर आसपास के नगरों में बसेरा कर लिया है । महोदय, एक व्यक्ति जो पान की दुकान करता हैं, या गोदी मजदूर है, अपने बच्चे को डाक्टर, इंजीनियर या भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (आई० ए० एस० आफीसर) बना सकता है । लेकिन एक ग़रीब किसान जो गावों में अपनी भूमि के साथ चिपका हुआ हैं, अपने बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा तक भी नहीं जुटा पाता, हालांकि वह 25 एकड़ भूमि का स्वामी है । मुझे शुष्क-भूमि कृषकों की कठिनाइयों की ओर ज्यादा विस्तार से कहने की जरूरत नहीं हैं क्योंकि इस बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है ।

यह पता लगाने के लिये अनुसंधान किये जाने चाहिये कि एक एकड़ भूमि पर कृषि उत्पादन करने के लिये कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है । उसी आधार पर न्यूनतम मूल्य तय किया जाना चाहिये । न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी आवश्यकता है नहीं तो उत्पादन में गिरावट आ सकती है इस समय गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने का उचित मूल्य तक नहीं मिल रहा है । यहां तक कि उन्हें अपने पूंजी विवेश तक का भी प्रतिफल नहीं मिल रहा है । मिलमालिक सरकार द्वारा निश्चित किये गये मूल्य से भी बहुत कम मूल्य पर उनका गन्ना खरीद रहे हैं ।

महोदय, राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामों में सभी किसानों को ऋण सुविधायें नहीं दे रहे हैं । यहां तक कि वे अपने अंगीकृत किये गये गांवों में भी ऋण सुविधायें उपलब्ध नहीं करा रहे हैं । किसानों को स्थायी रूप से 'पास बुकें' दी जानी चाहिए और उन्हें इन 'पास बुकों' के आधार पर अपेक्षित ऋण प्रदान किया जाना चाहिये । यहां तक कि भारतीय रिजर्व बैंक की नीति भी इन किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर रही है । बल्कि उल्टा-उन्हें नुकसान पहुंचा रही है । इस सम्बन्ध में ,मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर बहुत ही गम्भीरता से

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	अन्ततः सिंचाई शाक्यता (हैक्टेयर में)	3/80 तक हुआ व्यय (लाख रुपये में)
1.	संशोधित भीम सागर	747.10	9986	274
2.	संशोधित हरीश चन्द्र सागर	282.72	10787	119
3.	छप्पी	590.06	6437	इस स्कीम का कार्य 1980-81 में हाथ में लिया जाना संभावित है।

इसके अतिरिक्त, राज्य की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में चार अन्य माध्यम सिंचाई स्कीमों को भी शामिल कर दिया गया है। उनका विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	परियोजना शाक्यता (हजार हैक्टेयर में)	प्रारम्भ होने का संभावित वर्ष
1.	परवान लिफ्ट स्कीम	349	8	1981-82
2.	पिपलेट	400	35	1982-83
3.	गुलेंदी	400	3	1982-83
4.	बंदी सेंदरा	450	4	1982-83

उत्तर प्रदेश, बिहार और कच्छ में तेल और गैस के लिए कुंओं की खुदाई

4203. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और कच्छ के सम्भावित क्षेत्रों में कुओं की परीक्षण के तौर पर खुदाई की गई है; और

(ख) उन क्षेत्रों में भराई न करने के कारण कितना नुकसान हुआ है जहां तेल और प्राकृतिक गैस पायी गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक (मन्त्री श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

उत्तर प्रदेश में 4 और बिहार तथा कच्छ भूमि क्षेत्र में प्रत्येक में दो अन्वेषणात्मक कुएं ओ एन. जी सी. द्वारा खोदे गये थे। इसके अतिरिक्त कच्छ की खाड़ी के समुद्री क्षेत्र में ठेके पर एक कुआं खुदवाया गया था।

(ख) इन कुओं में कोई तेल/गैस का संकेत नहीं मिला था। अत: यह प्रश्न नहीं उठता कि जहां तेल और गैस पाया गया था वहां खुदाई न करने के कारण कितनी हानि हुई है।

टेलीविजन केन्द्र और आकाशवाणी में ड्राफ्टमैनों के रिक्त पद

4204. **श्री उत्तम राव पाटिल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में टेलीविजन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र में ड्राफ्टमैनों, ट्रेसरों और प्रिंटरों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) उनको न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि इन रिक्त पदों को भरने में विलम्ब जान-बूझ कर किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) आकाशवाणी के सम्बन्ध में सूचना 'शून्य' है। जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, ड्राफ्टसमैन ग्रेड-1 का एक पद दो वर्ष से अधिक समय से रिक्त पड़ा है। यह निर्णय लिया गया था कि किफायत के कारणों से इस पद को न भरा जाए।

(ग) और (घ) केवल एक ही शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है।

साझेदारी आधार पर एल. पी. जी. इंडेन के वितरक

4205. **श्री वी० एन० गाडगिल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साझेदारी आधार पर एल. पी. जी. (इंडेन) के कितने वितरक काम कर रहे हैं;

(ख) क्या एल. पी. जी. वितरकों की ओर से इन वितरक-कम्पनियों को दो भागों और तीन भागों में विभक्त करने सम्बन्धी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) साझेदारी आधार पर इंडेन की कुल 120 वितरक कम्पनियां 31-3-1980 को कार्यरत थीं।

(ख) जी, हां ।

(ग) अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर योग्यता के आधार पर विचार किया जा रहा है ।

मद्रास दूरदर्शन स्टेशन द्वारा कर्मचारियों की भर्ती

4206. **श्री एन० डेनिस :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास दूरदर्शन स्टेशन द्वारा (1) प्रशासनिक सहायकों, (2) कार्यक्रमों के लिये कर्मचारियों, (3) उद्घोषकों तथा (4) अन्य श्रेणियों को भर्ती के लिये अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इन पदों पर भर्ती के लिए मद्रास के रोजगार कार्यालय से परामर्श किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) प्रशासनिक सहायकों की दो श्रेणियां हैं अर्थात् क्लर्क ग्रेड-2 और कापीस्ट/जनरल सहायक । क्लर्क ग्रेड-2 की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती है और कापीस्ट/जनरल सहायकों की भर्ती सामान्यतया खुले विज्ञापन के माध्यम से की जाती है । तथापि, हाल ही में कापीस्टों/जनरल सहायकों के खाली पद उन नैमित्तिक कलाकारों में से भरे गए हैं जो दीर्घकालिक नैमित्तिक स्टाफ आर्टिस्टों के विनियमन की योजना के अन्तर्गत नियमन के लिए पात्र हो गए थे । (2) कार्यक्रम सम्बन्धी कर्मचारियों अर्थात् कार्यक्रम एक्जीक्यूटिवों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तथा विभागीय पदोन्नति द्वारा भी की जाती है । ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिवों की भर्ती आकाशवाणी द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के लिए खुले विज्ञापन के माध्यम से की जाती है । (3) और (4) कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों अर्थात प्रोड्यूसरों और उद्घोषकों (अनुबन्ध पद) की भर्ती भर्ती नियमों के अनुसार विज्ञापन के माध्यम से की जाती है । स्टाफ आर्टिस्टों की शेष श्रेणियों के सम्बन्ध में, भर्ती सामान्यतया प्रत्येक श्रेणी के भर्ती नियमों के अनुसार विज्ञापन के माध्यम से की जाती है ।

(ख) ड्राइवरों (ग्रेड-'ग' पद) और चपरासी, खलासी, हैल्पर, आदि जैसे ग्रेड 'घ' के पदों की भर्ती करने के लिए रोजगार कार्यालय से परामर्श किया जाता है । इन पदों के लिए रोजगार कार्यालयों को मांग-पत्र भेजे जाते हैं जो उपयुक्त उम्मीदवारों को भेजते हैं और उनमें से चयन किया जाता है ।

बरौनी में एक पेट्रो-कैमिकल कम्प्लेक्स की स्थापना

4207. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के बरौनी में एक पेट्रो-कैमिकल उद्योग की स्थापना का सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और उर्वरक रसायन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार देश में विभिन्न पेट्रो-रसायन समूहों की स्थापना पर विचार कर रही है।

पेट्रो-रसायनों के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना के लिए स्थल चयन समितियों का गठन किया गया है। इन संयंत्रों को लगाने के स्थान के बारे में निर्णय इन समितियों की रिपोर्ट मिलने के बाद किया जाएगा।

बिहार विधान सभा के चुनावों में बड़े पैमाने पर बूथों पर कब्जा करना

4208. श्री रामावतार शास्त्री
श्री सूर्य नारायण सिंह } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत बिहार विधान सभा के मध्यावधि चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर बूथों पर कब्जा किया गया था;

(ख) किन-किन पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बूथों पर कब्जा किया था और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि इसके बारे में सूचना मुख्य चुनाव आयुक्त को दी गई थी; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम रहे।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) एक विवरण लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 340 के, जिसका उत्तर 1 जुलाई, 1980 को दिया गया था, उत्तर के साथ सदन के पटल पर रख दिया गया था। इस विवरण में अन्य बातों के साथ बिहार विधान सभा के पिछले मध्यावधि निर्वाचनों के दौरान बूथों पर कब्जा करने की घटनाओं से प्रभावित मतदान केन्द्रों के बारे में जानकारी दी गई थी। इस विवरण से पता चलेगा कि राज्य में मतदान केन्द्रों की कुल संख्या को देखते हुए बूथों पर कब्जा करने की घटनाओं से जो मतदान केन्द्र प्रभावित हुए थे उनकी प्रतिशतता थोड़ी ही थी।

(ख) और (ग) इस निमित्त कुछ शिकायतों को छोड़कर, निर्वाचन आयोग के पास कोई अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) निर्वाचन आयोग ने शिकायतें अन्वेषण के लिए भेज दी हैं और अन्वेषण अभी पूरा नहीं हुआ है।

त्रुटियों को रोकने के लिये चुनाव कानूनों में संशोधन

4209. श्री रामावतार शास्त्री : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चनाव प्रणाली में त्रुटियों को दूर करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करने के बारे में सरकार ने निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संशोधनों की जांच कर ली है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कब तक कानून अधिनियमित करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) सरकार को अभी निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के बारे में विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करना है। इन प्रस्तावों के दूरगामी परिणाम होंगे तथा इन प्रस्तावों पर सावधानीपूर्वक गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। अतः इस विषय पर सरकार को अपना विचार बनाने से पूर्व इसमें कुछ समय लगेगा।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए समाचार एकत्र करने वाले पूल

4210. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए समाचार एकत्र करने हेतु अलग-अलग पूल हैं; और

(ख) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी के समाचार प्रसारणों के बीच कोई समन्वय है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) समाचार एकत्र करने के लिए दूरदर्शन की अपनी अलग से कोई व्यवस्था नहीं है और यह लगभग पूर्णतया आकाशवाणी और चार राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की समाचार सेवाओं पर निर्भर करता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग समाचारों की एक मास्टर कापी तैयार करता है जिसे 'पूल' कहते हैं। इसमें समाचार बुलेटिनों में शामिल की जाने वाली सामग्री होती है। दूरदर्शन अपने समाचारों को काफी हद तक इस 'पूल' में से लेता है। तथापि, दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट किए जाने वाले समाचार बुलेटिनों को दृश्य माध्यम तथा स्थानीय दर्शकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन के सम्पादकीय कर्मचारियों द्वारा स्वतन्त्र रूप से संकलित और तैयार किया जाता है।

हुगली की नौगम्यता का ह्रास

4211. **श्री चित्त बसु** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा ने हाल ही में एकमत होकर एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें हुगली नदी की नौगम्यता का ह्रास होने के लिए चिन्ता व्यक्त की गई है और सरकार से अतिरिक्त पानी के बहाव को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) जी हां ।

(ख) शुष्क मौसम में भारत तथा बंगलादेश की पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गंगा में पर्याप्त जल नहीं होता है । अतः भारत और बंगलादेश के बीच नवम्बर, 1977 के गंगा जल करार में यह व्यवस्था है कि भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग गंगा के शुष्क मौसम के प्रवाह में वृद्धि करने के बारे में दोनों में से किसी भी देश द्वारा प्रस्तावित की गई या प्रस्तावित की जाने वाली स्कीमों का अन्वेषण तथा अध्ययन करे ताकि ऐसा हल ढूढ़ा जा सके जो किफायती भी हो और व्यवहार्य भी । इस बारे में दोनों देशों के प्रस्ताव आयोग के समक्ष हैं । भारत सरकार के ये प्रयास रहे हैं कि वृद्धि के लिये दीर्घकालीन स्कीम के किसी एक समझौते पर शीघ्र पहुंचा जाए ।

इस करार में पुनरवलोकन की भी व्यवस्था की गई है। पहला पुनरवलोकन नवम्बर, 1980 में किया जाना अपेक्षित है और दूसरा 1982 में । हुगली की नौगम्यता में बिगाड़ और नदी में पर्याप्त शीर्ष जल(हैडवाटर) की सप्लाई की व्यवस्था महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें पुनरवलोकन के दौरान भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा ।

भागीरथी-हुगली में जल के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार सभी संभावनाओं का पता लगा रही है ।

स्ट्रेप्टोमाइसिन का उत्पादन

4212. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र इकाइयों और गैर सरकारी क्षेत्र कम्पनियों की पृथक-पृथक एक क्षय निरोक्षक औषध स्ट्रेप्टोमाइसिन की अधिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन क्या-क्या हैं;

(ख) देश में इस औषध की अनुमानित आवश्यकता क्या है; और

(ग) सरकार का इस कमी को कैसे पूरा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकारी क्षेत्रीय यूनिटों और निजी क्षेत्रीय कम्पनियों में स्ट्रेप्टोमाइसीन की स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार है :

क्रम सं०	यूनिट	स्थापित क्षमता (टनों में)	1979-80 में उत्पादन (टनों में)
	सरकारी क्षेत्रीय यूनिटें		
1.	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० (एच. ए. एल.)	85	91.06
2.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लि० (आई. डी. पी. एल.)	85	34.27
	निजी क्षेत्रीय यूनिटें		
3.	सिनबायोटिक्स	80	92.00
4.	एलेम्बिक	20	2.83
		270	220.16

(ख) योजना आयोग द्वारा औषधों और भेषजों पर गठित कार्यकारी दल ने 1982-8 और 1983-84 वर्षों के लिये स्ट्रेप्टोमाइसीन की आवश्यकता का क्रमशः 460 टन और 50 टन का अनुमान लगाया।

(ग) एच. ए. एल., आई. डी. पी. एल. और सिनबायोटिक्स के मामले में क्षमता की वृद्धि के लिए स्वीकृति दी गई है। देश में मांग को अधिक उत्पादन से पूरा किया जाएगा और आवश्यक होने पर आयात द्वारा पूरा किया जाएगा।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत विदेशी कम्पनियों की शाखाएं और सहायक कम्पनियां

4213. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1979 को विदेशी कम्पनियों की कितनी शाखाएं और सहायक कम्पनियां पंजीकृत थीं;

(ख) उनके नाम और आस्तियां क्या-क्या हैं;

(ग) उनमें से कितनी कम्पनियां एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उल्लंघन की दोषी पाई गई हैं; और

(घ) उनके नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) 31-12-1979 तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायकें और विदेशी कम्पनियों की शाखाओं के नाम तथा 1978 में उनकी परिसम्पत्तियों के मूल्य को दिखलाता हुआ विवरण संलग्न किया जाता है।

(ग) और (घ) विदेशी कम्पनियों की निम्नलिखित तीन सहायकों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत उनकी असफलता पर चूक नोटिस दिया गया है :

1. आयरे स्मेल्टिंग प्राइवेट लिमिटेट
2. फाइबर ग्लास पिलकिंगटन लिमिटेड
3. गुडलास नेरोलोक पैन्ट्स लिमिटेड

मुकदमें की कार्यवाहियां जो फाइबर ग्लास पिलकिंगटन लिमिटेड के मामले में प्रारम्भ की गई थी, चूक नोटिस के विरुद्ध कम्पनी द्वारा की गई अपील के निपटान के निर्णय तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई हैं। अन्य दो मामलों में, कम्पनियों द्वारा पंजीकरण होने को अस्वीकार करते हुए दिए गए प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

(क) विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियां

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	परिसम्पत्तियां (करोड़ रु० में)
1.	इंडियन एल्यूमीनियम कं० लि०	96.65
2.	पीको इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड/इलेक्ट्रिकल्स लि० (पहले की फिलिप्स इंडिया लिमिटेड)	55.64
3.	फाइजर लि०	26.86
4.	एसोसियेटिड बीयरिंग कं० लि०	20.40
5.	सीबा गेगी आफ इंडिया लि०	29.72
6.	अलकली एण्ड केमीकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	47.70
7.	आल इंडिया टोबाकू कम्पनी प्रा० लि०	नगण्य
8.	एसबेस्टोज सीमेन्ट लि०	11.82
9.	अशोक लेलैण्ड लि०	73.59
10.	केमिकल्स एण्ड फाइवर्स आफ इंडिया लि०	25.87
11.	क्लोराइड इंडिया लि०	21.88
12.	डनलप इंडिया लि०	104.05
13.	इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लि०	12.16
14.	इन्नौर फाउंडरीज लि०	9.48
15.	जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लि०	34.55
16.	ग्लेक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लि०	46.82
17.	गेस्ट कीन विलियम्स लि०	72.41
18.	हिन्दुस्तान फेरोडो लि०	11.78
19.	हिन्दुस्तान लीवर लि०	136.46
20.	हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लि०	5.65
21.	होलमैन क्लाइमैक्स मैन्युफैक्चरिंग लि०	1.64
22.	इंडिया ट्रेडिंग (होल्डिंग) प्रा० लि०	0.01
23.	इंडियन एक्सप्लोसिव्ज लि०	76.92
24.	इंडिया टायर एण्ड रबड़ कम्पनी (इंडिया) प्रा० लि०	4.81

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	परिसम्पत्तियां (करोड़ रु० में)
25.	लिपटन टी (इंडिया) लि०	18.55
26.	लूकास टी. वी. एस. लि०	19.06
27.	मजूली टी कम्पनी (इंडिया) लि०	4.59
28.	माकुम टी कम्पनी (इंडिया) लि०	4.12
29.	मेकलेओड रसल (इंडिया) लि०	13.98
30.	मेटल बाक्स कम्पनी आफ इंडिया लि०	41.29
31.	नामडांग टी कम्पनी (इंडिया) लि०	4.06
32.	आर० एच० विंडसर (इंडिया) लि०	4.04
33.	टी एस्टेट्स (इंडिया) प्रा० लि०	16.67
34.	बाल्डाइस टी लि०	4.06
35.	वारेन टी लि०	19.73
36.	व्हाईफेन्स (इंडिया) लि०	0.24
37.	साईनामाइड इंडिया लि०	14.23
38.	गुडईयर इंडिया लि०	26.21
39.	इन्डोफिल केमिकल्स लि०	5.68
40.	ओटिस एलीवेटर कंपनी इंडिया लि०	12.83
41.	यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०	75.05
42.	मोटर इंडस्ट्रीज कम्पनी लि०	43.22
43.	सीमेन्स इंडिया लि०	44.78
	ख. विदेशी कम्पनियों की शाखाएं	
1.	आचाबाम टी कम्पनी लि०	*
2.	अमलगेमेटड टी एस्टेट कम्पनी लि०	*
3.	ऐंग्लो अमरीकन डारेक्ट टी ट्रेडिंग कम्पनी लि०	*
4.	आसाम कम्पनी लि०	=
5.	आसाम एस्टेट लि०	=
6.	आसाम आयल कम्पनी लि०	18.36
7.	अटारीखेत टी कम्पनी लि०	×
8.	बारगेंग टी कम्पनी लि०	×
9.	बारनगौर जूट फैक्टरी कम्पनी लि०	4.93
10.	बाम्बे गैस कम्पनी लि०	10.25
11.	बोरदुबी टी कम्पनी लि०	×
12.	बोरेल्ली टी कम्पनी लि०	×
13.	बोराहट टी कम्पनी लिमिटेड	×*
14.	बोराई टी कम्पनी लि०	×
15.	ब्री एण्ड चिंगूर टी एस्टेटस लि०	0.57

1	2	3
16.	ब्रिटिश बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लि०	0.46
17.	बर्मा आयल कम्पनी (इंडिया) ट्रेडिंग लि०	0.21
18	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन (इंडिया) लि०	91.15
19.	कास्ट्रोल लि०	6.23
20.	चुब्बा टी कम्पनी लि०	*
21.	कन्सोलिडेटड टी एण्ड सेड कम्पनी (इंडिया) लि०	*
22.	कोरामोर टी कम्पनी लि०	×
23.	धूलिया टी० कम्पनी लि०	10.04
24.	डूम डूमा टी कम्पनी लि०	8.85
25.	इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी लि०	12.16
26.	ग्रीनवुड टी कम्पनी लि०	=
27.	इंडियन लीफ टोबाको डवलपमेंट कम्पनी लि०	आई. टी. सी. लि. के साथ मिल गई
28.	इटाखूली टी कम्पनी लि०	×
29.	जेम्ज फिन्ले एण्ड कम्पनी लि०	*
30.	कानन देवन हिल प्रोड्यूस कम्पनी लि०	*
31.	कूमसोंग टी कम्पनी लि०	×
32.	लिप्टन (इंडिया) लि०	लिपटन टी इंडिया लि० के साथ मिल गई
33.	माओबन्द टी कम्पनी लि०	×
34.	प्रितचेट एन्ड गोल्ड बेटरीज (ईस्टर्न) लि०	उ० न०
35.	राजमायां टी कम्पनी लि०	×
36.	रूपाजूली टी कम्पनी लि०	×
37.	सालोन टी कम्पनी लि०	=
38.	थानाई टी कम्पनी लि०	=
39.	टिंग्री टी कम्पनी लि०	×
40.	अपर आसाम टी कम्पनी लि०	=
41.	सिंगर स्विंग मशीन कम्पनी	उ० न०

* परिसंपत्तियां टाटा फिन्ले द्वारा अधिग्रहण कर ली गई ।

× परिसंपत्तियां जार्ज विलियम सन्स (आसाम) लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण कर ली गई ।

= ये कम्पनियां आसाम कंपनी (इंडिया) के साथ सम्मलित हो गई है ।

उ० न०=उपलब्ध नहीं ।

भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों का पूंजी निवेश

4214. **श्री बृजमोहन महंती :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहुराष्ट्रीय निगमों के नाम क्या हैं जो भारत में अपनी सहायक कम्पनियों के माध्यम से कार्य कर रही हैं और 31 मार्च 1980 को भारत में उनकी कुल पूंजी निवेश कितनी थी; और

(ख) सरकार ने देश में उनकी गति-विधियों पर रोकथाम लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इस सम्बन्ध में नवीनतम उपलब्ध सूचना 31-3-1979 तक की है। उस तिथि को भारत में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय निगमों की 125 सहायकें थीं, जिनकी कुल प्रदत्त पूंजी 360.05 करोड़ रु० थी। विदेशी (धारक) कम्पनियों द्वारा धारित निवेश, कुल प्रदत्त पूंजी में, 215.96 करोड़ रु० था। विदेशी कम्पनियों के नामों और उनकी भारतीय सहायकों में उनके द्वारा धारित प्रदत्त पूंजी की राशि के ब्यौरे 31-3-1979 तक विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायकों तथ्य-विषय-पत्रक में प्रकाशित किये गये हैं। इन तथ्य विषय-पत्रक की प्रतियां संदर्भ सूचना के लिए संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) बहुराष्ट्रीय निगमों की भारतीय सहायकों की गतिविधियां, कम्पनी अधिनियम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम और पूंजी प्रेषण नियन्त्रण अधिनियम, जो भी सम्बन्धित हो, उपबन्धों के अन्तर्गत नियन्त्रित एवं विनिगमित की जाती है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का नया बोर्ड

4215. **श्री नवीन रवाणी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए बोर्ड का गठन पूरा कर लिया है; यदि हां तो नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम क्या हैं और उनके नाम क्या हैं जिन्होंने इसमें सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) क्या कुछ फिल्म निर्माताओं की मांग पर श्री सत्यजीत राय से इस संस्था का चेयरमैन बनने को कहा गया था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

राजस्थान के बाड़मेर जिले में बाढ़ से प्रभावित गांव

4216. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बाड़मेर जिले में पिछले वर्ष लूनी नदी की बाढ़ का कितने गांवों पर प्रभाव पड़ा है और उनमें से कितने गांव ऐसे हैं जिनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा बाढ़ नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत तटबन्धन तथा 'स्पर्स' का निर्माण किया गया है तथा क्या योजना की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार की उपरोक्त योजना के पूरे खर्च को वहन करने की क्षमता नहीं है और यदि हां, तो उक्त योजना के लिए केन्द्रीय सरकार कितनी राशि की सहायता देने को तैयार है; और

(ग) राज्य सरकार इस योजना को केन्द्रीय सरकार की सहायता से कब तक पूरा कर देगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि 1979 के दौरान लूनी नदी की बाढ़ से बाड़मेर जिले के 150 ग्राम प्रभावित हुए थे। लूनी बेसिन में बाढ़ नियन्त्रण के लिए एक मास्टर योजना राज्य सरकार के साथ तैयार की जा रही है जिसमें महत्वपूर्ण नगरों और ग्रामों के लिए स्थानीय बाढ़ सुरक्षा कार्य शामिल होंगे। अभी तक किसी तटबन्ध और ठोकर (स्पर्स) का निर्माण नहीं किया गया है।

(ख) मास्टर योजना को अन्तिम रूप देने और राज्य सरकार द्वारा लागत का अनुमान तैयार कर लेने के पश्चात ही स्थिति का पता चलेगा।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लूनी बेसिन में बाढ़ नियन्त्रण के लिए मास्टर योजना में शामिल करने के लिए प्रस्तावित कार्यों के पूरा करने में, धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, 5 से 6 वर्ष लगने की सम्भावना है।

क्लाउड सीडिंग आपरेशन

4217. श्री ओस्कर फर्नान्डीस : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक विद्युत बोर्ड ने राज्य के लिए मुख्य पोषक शरबती पन बिजली परियोजना में लिंगनामक्की जलाशय के क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा लाने के लिए "क्लाउड सीडिंग आपरेशन" (मेघ सोचन कार्यक्रम) आरम्भ करने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जी, हां। राज्य में चल रही विद्युत की नाजुक स्थिति को देखते हुए कर्नाटक बिजली बोर्ड ने लिंगनामक्की जलाशय

के बाह्य क्षेत्र में "क्लाउड सीडिंग आपरेशन" को हाथ में लेने का प्रस्ताव रखा है। क्लाउड सीडिंग का वास्तविक कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। इस कार्य की अनुमानित लागत लगभग 22 लाख रुपये है।

इस सम्बन्ध में राज्य प्राधिकारियों ने विमानन सुविधाओं हेतु स्वीकृति देने और आवश्यक विमान ईंधन मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। स्वीकृतियां दे दी गई हैं।

कच्चे तेल और "हाई स्पीड डीजल" की मांग और उसका घरेलू उत्पादन

4218. **श्री गदाधर साहा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल और "हाई स्पीड डीजल" की वास्तविक मांग और उसका घरेलू उत्पादन क्या है; और

(ख) कच्चे तेल और "हाई स्पीड डीजल" की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सम्भवतः कच्चे तेल का तात्पर्य लाईट डीजल तेल से है। इन उत्पादों की वास्तविक आवश्यकता बताना सम्भव नहीं है। परन्तु देश में 1979-80 के दौरान लाईट डीजल तेल और हाई स्पीड तेल की वास्तविक खपत लगभग 1.25 मिलियन मी० टन और 9.73 मिलियन मी० टन थी। देश की शोधनशालाओं में 1979-80 के दौरान इन दो पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन निम्न प्रकार था:—

(आंकड़े अस्थायी)

हाई स्पीड डीजल तेल	7.97 मिलियन मी० टन
लाईट डीजल तेल	1.23 मिलियन मी० टन

(ख) शोधनशालाओं में मध्य आसुतों का उत्पादन जिसमें उपरोक्त दो उत्पाद भी शामिल हैं, अधिकतम किया जा रहा है। मांग को पूरी तरह पूरा करने के लिए आवश्यक सीमा तक आयात भी किया जा रहा है।

बिजली मन्त्रियों के सम्मेलन में हुए निर्णय

4219. **श्री पी० के० कोडियन**
श्री एस० एम० कृष्ण
श्री भीखूराम जैन
श्री अमर राय प्रधान
श्री चित्त महाटा
श्री भगवान देव : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में हुए बिजली मन्त्रियों के सम्मेलन में वर्तमान बिजली केन्द्रों पर बिजली का उत्पादन बढ़ाने, निर्माणाधीन परियोजनाओं को तेजी से चालू करने तथा अगले दो वर्षों में एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाने का निर्णय किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए क्या ठोस अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राज्यों के विद्युत मन्त्रियों का सम्मेलन आयोजित करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य राज्य बिजली बोर्डों को अपने प्रचालनों को आधुनिक प्रबन्ध संकल्पनाओं के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए उन्हें एक नई दिशा देना था। सम्मेलन में यह आम सहमति हुई थी कि कुछ नई योजनाएं शुरू की जाएं जैसे प्रत्येक केन्द्र के लिए सुधार एवं नवीकरण दलों का गठन करना, प्रत्येक नई या निर्माणाधीन परियोजना के लिए कार्यान्वयन सम्बन्धी एक व्यापक समय-सूची तैयार करना तथा मुद्रा प्रवाह सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य तैयार करना, देश के लिए एक दीर्घकालिक विद्युत योजना तैयार करना, विभिन्न विधाओं का व्यवसायीकरण करना तथा वित्त प्रबन्ध में और सप्लाईकर्त्ताओं के साथ कार्य-व्यवहार में वाणिज्यिक दृष्टिकोण अपनाना आदि। निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा इस सम्मेलन में की गई थी ताकि परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन करने में बाधा डालने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके।

राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के लिए सम्मेलन में कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं की गई थी क्योंकि ऐसे ग्रिड का निर्माण और विकास करना एक क्रमिक और सतत प्रक्रिया है। तथापि, केन्द्रीय स्वामित्व वाले राष्ट्रीय ग्रिड की संकल्पना के लिए सभी राज्यों की जो आम सहमति थी उसमें पारेषण में केन्द्रीय सरकार की भूमिका को मान्यता दी गई। यह स्वीकार किया गया कि इस सम्बन्ध में केन्द्र उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था तैयार करेगा।

तालचर में कोयले के भंडार

4220. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तालचर और आई० बी० नदी कोयला क्षेत्रों में कोयले के कुल प्रमाणित भंडार कितने हैं; और

(ख) उन कोयला क्षेत्रों में वर्ष 1985 तक वार्षिक उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उड़ीसा में तालचर तथा ईब नदी कोयला क्षेत्र में कोयले के कुल प्रमाणित भंडार क्रमशः 912.95 मि० टन तथा 82.79 मिलियन टन हैं। यह मात्रा सीमों की मोटाई 0.5 मीटर और इससे अधिक की मोटाई तथा अधिकतम 1200 मीटर तक की गहराई के लिए है।

(ख) तालचर तथा ईब घाटी कोयला क्षेत्र से कोयले की मांग के नवीनतम निर्धारण के अनुसार, इस कोयला क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव है ताकि यहां वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर इन क्षेत्रों में, क्रमशः वर्ष 1980-81 के 2 मिलियन टन से 1984-85 में 3.45 मिलियन टन तथा वर्ष 1980-81 के 0.72 मिलियन टन से बढ़ाकर वर्ष 1984-85 में 1.53 मिलियन टन किया जा सके।

मई, 1980 से अब तक विद्युत उत्पादन

4221. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में मई, 1980 से अब तक विद्युत उत्पादन की बिजलीघर-वार उत्पादन स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : मई और जून, 1980 के महीनों के दौरान केन्द्र-वार ऊर्जा उत्पादन दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्षेत्र/राज्य	केन्द्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	सकल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	
				मई, 80	जून, 80
1	2	3	4	5	6
क. ताप विद्युत					
उत्तरी क्षेत्र					
दिल्ली	बदरपुर	510.0	510.0	198	173
	इन्द्रप्रस्थ केन्द्र	284.1	282.5	106	98
	राजघाट	59.6	28.0	9	9
हरियाणा	फरीदाबाद (विस्तार)	120.0	120.0	6	3
	पानीपत	220.0	220.0	32	55
	फरीदाबाद	15.0	15.0	—	3
	सूरजपुर	6.8	5.0	—	—
जम्मू और कश्मीर	कालीकोट	22.5	22.5	—	—
पंजाब	भटिण्डा	440.0	440.0	124	127
उत्तर प्रदेश	ओबरा (ताप विद्युत)	250.0	250.0	83	68
	ओबरा (विस्तार 1-3)	300.0	300.0	95	108
	ओबरा (विस्तार 4-6)	600.0	600.0	204	146
	हरदुआगंज 'बी'	220.0	220.0	69	51
	हरदुआगंज 'ए'	90.0	90.0	—	—
	हरदुआगंज 'सी'	60.0	60.0	26	30
	हरदुआगंज चरण पांच-1	110.0	110.0	46	28
	रेणुसागर	125.0	125.0	90	86
	पनकी विस्तार	220.0	220.0	74	80
	पनकी	64.0	61.0	32	30
	आर० पी० एच०(कानपुर)	75.0	65.0	14	13
	अन्य	146.6	131.0	22	22
	क्षेत्र का जोड़	3938.6	3875.0	1230	1130

1	2	3	4	5	6
पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	धुवारण (ताप विद्युत)	534.0	534.0	27	234
	अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कं०	217.0	192.5	78	73
	उकई 1-2	240.0	240.0	95	82
	उकई 3-4	400.0	400.0	130	103
	गांधीनगर	240.0	240.0	98	57
	साबरमती विस्तार	110.0	110.0	38	—
	उत्राण	67.5	61.0	29	27
	अन्य	142.0	116.0	9	2
मध्य प्रदेश	सतपुड़ा 1-5	312.5	312.5	141	127
	सतपुड़ा 6	200.0	200.0	38	53
	कोरबा-2	200.0	200.0	73	71
	कोरबा-तीन	120.0	120.0	61	49
	कोरबा-एक	100.0	100.0	40	38
	अमर कंटक विस्तार	240.0	240 0	129	76
	अमरकंटक	60.0	60.0	36	28
	अन्य	32.0	20.0	—	—
महाराष्ट्र	कोराडी 1-4	480.0	480.0	216	240
	कोराडी-5	200.0	200.0	82	44
	ट्राम्बे	337.5	330.0	154	159
	नासिक 1-2	280.0	280.0	127	127
	नासिक-3	210.0	210.0	76	60
	खापरखेड़ा	90.0	90.0	32	33
	पारस	92.5	92.5	43	43
	भुसावल	62.5	62.5	38	35
	भुसावल विस्तार	210.0	210.0	43	38
	चोला	96.0	40.0	17	18
	पारली	60.0	60.0	42	42
	बल्लारशाह	22.5	18.0	7	8
	क्षेत्र का जोड़	5356.5	5219.5	2149	1867
दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	कोठागुडम 'ए'	240.0	240.0	78	64
	कोठागुडम 'बी'	220.0	220.0	27	29
	कोठागुडम 'सी'	220.0	220.0	55	64

1	2	3	4	5	6
	विजयवाड़ा	210.0	210.0	—	—
	रामागुंडम 'बी'	62.5	62.5	28	33
	रामागुंडम 'ए'	37.5	20.0	4	5
	नेल्लोर	30.0	30.0	7	—
	हुसैन सागर	12.5	10.0	2	1
	अन्य	20.0	20.0	—	—
तमिलनाडु	नेवेली	600.0	600.0	332	249
	एन्नोर	450.0	450.0	128	123
	तुतीकोरिन	210.0	210.0	55	22
	बेसिन ब्रिज	90.0	90.0	41	36
	क्षेत्र का जोड़	2402.5	2382.5	757	626
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	पतरातु	620.0	620.0	147	127
	बरौनी	145.0	145.0	25	25
दामोदर घाटी निगम	चन्द्रपुरा	780.0	780.0	201	220
	दुर्गापुर	290.0	250.0	50	32
	बोकारो	247.5	227.5	64	59
उड़ीसा	तलचेर	250.0	250.0	74	65
पश्चिमी बंगाल	सी. ई. एस. सी.	412.5	328.0	140	135
	बन्डेल	330.0	320.0	134	132
	डी० पी० एल०	285.0	280.0	47	53
	संथालडीह	360.0	360.0	102	91
	अन्य	135.0	128.0	13	15
	क्षेत्र का जोड़	3855.0	3688.5	997	954
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
असम	नामरूप क्षेत्र	111.5	111.5	33	34
	चन्द्रपुर	30.0	30.0	—	10
	क्षेत्र का जोड़	141.5	141.5	33	44
	जोड़ : ताप विद्युत	15694.1	15307.0	5166	4621

1	2	3	4	5	6
ख. न्यूक्लीय	तारापुर	420.0	420.0	203	165
	आर. ए. पी. एस.	220.0	220.0	91	76
	जोड़ : न्यूक्लीय	640.0	640.0	294	241
क+ख ताप विद्युत+ न्यूक्लीय	अखिल भारत जोड़	16334.1	15947.0	5460	4862
ग. जल विद्युत					
उत्तरी क्षेत्र					
भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड	भाखड़ा दायां	600.0	600.0	294	350
	भाखड़ा बायां	450.0	450.0		
	गंगुवाल	77.5	77.5	105	96
	कोटला	77.5	77.5		
व्यास निर्माण बोर्ड	देहर	660.0	660.0	312	302
	पोंग	240.0	240.0	108	86
हिमाचल प्रदेश	गिरि बाटा	60.0	60.0	5	7
	बस्सो	45.0	45.0	16	15
	बैरा स्यूल	120.0	120.0	4	4
जम्मू और कश्मीर	लोअर झेलम	105.0	105.0	46	48
	लघु जल विद्युत	71.4	70.0	25	26
राजस्थान	राणा प्रताप सागर	172.0	172.0	11	15
	जवाहर सागर	99.0	99.0	8	13
पंजाब	शानन	51.0	43.0	27	26
	यू० बी० डी० सी०	45.0	45.0	33	27
उत्तर प्रदेश	रिहन्द	300.0	300.0	15	14
	यमुना चरण-2	240.0	240.0	65	79
	यमुना चरण 1 और 4	114.8	114.8	42	53
	ओबरा	99.0	99.0	7	9
	गंगा नहर	45.2	45.2	19	16
	खाटोमा	41.4	41.4	18	19
	माता टोला	30.0	30.0	—	6
	रामगंगा	198.0	198.0	5	—
	क्षेत्र का जोड़	3941.8	3932.4	1165	1211

पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	उकई	300.0	300.0	24	53
मध्य प्रदेश	गांधी सागर	115.0	115.0	2	7
महाराष्ट्र	कोयना	880.0	880.0	429	352
	टाटा	276.0	276.0	101	118
	वैतरना	60.0	60.0	14	15
	अन्य	47.5	47.5	10	2
	क्षेत्र का जोड़	1678.5	1678.5	580	547
दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	लोअर सिलेरु	400.0	400.0	64	46
	अपर सिलेरु	120.0	120.0	29	22
	मचकुंड	114.7	114.7	70	51
	नागार्जुन सागर	210.0	210.0	113	107
	तुंगाद्रा बांध	72.0	72.0	2	12
	निजाम सागर	10.0	10.0	2	—
कर्नाटक	शरावथी	891.0	891.0	261	201
	काली नदी	135.0	135.0	—	—
	जोग	120.0	120.0	4	13
	भद्रा	3.2	33.2	2	—
	शिवासमुद्रम	42.0	30.0	18	18
	शिमशापुरा	17.2	16.0	12	12
	मुनिराबाद	27.0	27.0	—	2
	लिंगनामक्की	55.0	55.0	3	1
केरल	इट्टिक्की	390.0	390.0	274	461
	साबरगिरी	300.0	300.0	138	
	कुटियाडो	75.0	75.0	5	
	शोलायार	54.0	54.0	11	
	सेंगुलाम	48.0	48.0	9	
	नेरियामंगलम	45.0	45.0	12	
	पल्लोवसाल	37.5	37.5	16	
	पोरिंगल	32.0	32.0	5	
	पेन्नियार	30.0	30.0	4	

तमिलनाडु	कुन्डाह-1 से 5	535.0	535.0	146	
	मेत्तूर	240.0	240.0	6	
	पेरियार	140.0	140.0	5	
	कोडायार-1 और 2	100.0	100.0	1	
	शोलायार-1 और 2	95.0	95.0	4	
	पाइकारा	70.0	70.0	33	321
	अलियार	60.0	60.0	—	
	सरकारपथी	30.0	30.0	14	
	मोयार	36.0	36.0	13	
	सुरुलियार	35.0	35.0	—	
	पापनासाम	28.0	28.0	—	
	क्षेत्र का जोड़	4627.6	4614 4	1276	1267
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	कोसी	15.0	15.0	—	1
	सुवर्ण रेखा	65 0	65.0	4	6
दामोदर घाटी निगम	मैथोन	60.0	60.0	—	15
	पंचेत	40.0	40.0	2	16
	तिल्लैया	4 0	4.0	—	1
उड़ीसा	बलिमेला	360.0	360.0	44	70
	हीराकुंड	270.0	270.0	13	38
पश्चिमी बंगाल सिक्किम	छोटे केन्द्र	33.0	33.0	2	2
	लोअर लग्यप	12.0	12.0	उ०न०	उ०न०
	क्षेत्र का जोड़	859.0	859.0	65	149
उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
मेघालय	किरडमकुलाई	60.0	60.0	9	8
	छोटे केन्द्र	65 2	65.2	12	11
त्रिपुरा और नागालैण्ड	छोटे केन्द्र	11.5	11.5	3	3
	क्षेत्र का जोड़	1367.7	136.7	24	22
	जोड़ अखिल भारत जल विद्युत	11243.6	11221.0	3110	3196
	जोड़ अखिल भारत (ताप विद्युत+न्यूक्लीय+ जल विद्युत प्रदाय)	27577.7	27168.0	ता.वि. 5116	4621
				न्यूक्लीयर 294	241
				ज०वि० 3110	3196
				जोड़ 8570	8058

*जून, 1980 के महीने के लिए सकल विद्युत उत्पादन जी० डब्ल्यू० एच० में अन्तिम है।

औषधियों के लिए विदेशी ब्रांड नामों का उपयोग बन्द करने का प्रस्ताव

4222. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाथी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार कुछ औषधियों के लिए विदेशी ब्रांड नामों का उपयोग बन्द करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन औषधियों के नाम विदेशी ब्रांड नामों के स्थान पर सामान्य गणों के आधार पर रखे जाने हैं; और

(ग) प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। औषध और भेषज उद्योग पर समिति (हाथी समिति के नाम से विख्यात) की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के एक भाग के रूप में यह निर्णय किया गया है कि पहले एक खुराक वाली निम्नलिखित 5 औषधों के ब्रांडनामों (विदेशी ब्रांड नामों सहित) को समाप्त किया जाना चाहिए :—

1. एनलजिन
2. एसप्रीन
3. क्लोरप्रामाजाइन
4. फेरस सल्फेट
5. पिपराजाइन और इसके लवण जैसे कि एडिवाटे, साइटेट और फास्फेट।

सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि औषध नियंत्रक और अनुमति पत्र प्रदान करते समय एक खुराक वाली नई औषधों के ब्रांड नामों को न तो मान्यता देनी चाहिए और न ही ऐसी औषधों को ब्रांड नामों के अन्तर्गत देश में पहली बार विपणन करने की स्वीकृति देनी चाहिए।

(ग) वाणिज्य और नागर आपूर्ति मन्त्रालय द्वारा ट्रेड मार्क के रजिस्ट्रार को पहले ही अनुदेश जारी किये जा चके हैं कि उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में कथित एक खुराक वाली औषधों और भारत में पहली बार प्रारम्भ की जाने वाली एक खुराक वाली औषधों के किसी भी ट्रेड मार्क को रजिस्टर न करें। ये अनुदेश 16 मार्च, 1979 से प्रभावी हैं। तथापि ये अनुदेश निर्यात की जाने वाली औषधों पर लागू नहीं हैं।

दुधसागर विद्युत परियोजना

4223. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा प्रशासन ने गोवा में बिजली की कमी को देखते हुए दुधसागर परियोजना के प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्विति के लिए सहायता देने हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) गोवा में दुधसागर परियोजना से विद्युत उत्पादन की सम्भावनाओं पर केन्द्रीय जल आयोग ने अन्वेषण किया था और इन अन्वेषणों के आधार पर उन्होंने एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी। यह एक बहुद्देश्यीय परियोजना बनाई जानी थी जिसमें विद्युत उत्पादन, सिंचाई और पीने के पानी की सप्लाई परिकल्पित थी। परियोजना का संशोधित अनुमान अक्तूबर, 1979 में तैयार किया गया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इसकी जांच की गई थी। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन का कार्य हाथ में लिए जाने से पूर्व जल वैज्ञानिक प्रेक्षणों, सिंचाई के लिए जल की निकासी का स्वरूप, पीने के पानी की आवश्यकताएं आदि के सम्बन्ध में आधार-सामग्री को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है। संशोधित परियोजना रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

बाढ़ के पानी का संरक्षण और उपयोग

4224. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मानसून के समय आने वाली बाढ़ के जल का संरक्षण और उपयोग करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) और (ख) भारत की नदियों में प्रतिवर्ष बहने वाले लगभग 1440 मिलियन एकड़ फुट के कुल प्रवाह में से 80-90 प्रतिशत प्रवाह मानसून के मौसम के दौरान होता है और इसमें अधिकांश बाढ़ के प्रवाह के रूप में होता है। इस समय अनुमान है कि इसका केवल लगभग एक तिहाई हिस्सा उपभोगात्मक इस्तेमाल के लिए लाभप्रद रूप में उपयोग किया जा सकता है। फालतू जल का बहुद्देश्यीय लाभों के लिए संचित करने हेतु देश की विभिन्न नदियों में लगभग 130 मिलियन एकड़ फुट की कुल क्षमता वाले कई जल-संचय जलाशयों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। बाढ़ के प्रवाह को यथासंभव सीमा तक उपयोग में लाने के लिए बृहद नदी प्रणालियों पर कई अतिरिक्त जल-संचय जलाशय, अन्वेषण, आयोजन तथा निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

गैर-परम्परागत साधनों से विद्युत उत्पादन

4225. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने समुद्री तरंगों जैसे गैर-परम्परागत स्रोतों से बिजली उत्पादन करने के अनुसंधान कार्य में अब तक क्या प्रगति की है;

(ख) भारत के समुद्रवर्ती राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में यह अनुसंधान किया है और भारत सरकार ने इन राज्यीय गतिविधियों में किस सीमा तक समन्वय स्थापित किया है;

(ग) समुद्री तरंगों से बिजली उत्पादन की वर्तमान संभावनाएं क्या हैं; और

(घ) क्या बिजली की वर्तमान कमी को देखते हुए सरकार का बम्बई के नजदीक पश्चिमी तट पर ऐसी विद्युत उत्पादन परियोजना को तुरन्त हाथ में लेने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों में सौर ऊर्जा तथा जैव-परिवर्तन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा (जैव-गैस आदि) ऐसे स्रोत हैं जिनमें देश को ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ उल्लेखनीय क्षमता होने की सम्भावना है। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किए जा सकने वाले समुद्री ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों यथा ज्वारीय विद्युत, लहर विद्युत, समुद्री ताप ऊर्जा का परिवर्तन तथा समुद्री प्रवाहों में से ज्वारीय विद्युत हो, विकसित प्रोद्योगिकी के आधार पर उपयोग में लाये जाने योग्य है। खंबात की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत उत्पादन की सम्भाव्यताओं की जांच करने के लिए गुजरात प्राधिकारियों ने तत्कालीन केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के साथ परामर्श करके पहले-पहल 1966 में कुछ प्रारम्भिक अध्ययन किए थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी काफी समय पहले एक सलाहकारी कम्पनी के द्वारा प्रारम्भिक अध्ययन करवाये थे। इस मामले में सलाह देने के लिए यू० एन० डी० पी० के एक विशेषज्ञ ने भी 1975 में इस देश का दौरा किया था। ज्वारीय ऊर्जा के विकास के लिए स्कीमों की क्षमता के बारे में सुनिश्चित विचार बनाने के लिए तथा इन स्कीमों को तकनीकी व्यवहार्यता तथा आर्थिक औचित्य सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण करने के लिए एक अन्तरविधा युक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसके लिए विभिन्न संगठनों का सहयोग आवश्यक है। देश में ज्वारीय विद्युत विकास के सम्बन्ध में अन्वेषण और अध्ययन के लिए आगे की जाने वाली कार्रवाई पर विचार करने तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में मई, 1979 में एक समन्वय समिति का गठन किया गया था।

समिति ने 207.11 लाख रुपयों की अनुमानित लागत से कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत के विकास के लिए अन्वेषण किए जाने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसमें 5 वर्ष की अवधि के दौरान व्यय की जाने वाली लगभग 200,000 अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा वाला भाग शामिल नहीं है। समिति ने सिफारिशें की हैं (1) अल्पकालिक क्षेत्रीय अन्वेषण, (2) प्रयोगशाला अध्ययन, (3) दीर्घकालिक क्षेत्रीय अन्वेषण।

अन्वेषण कार्य अभी शुरू नहीं किए गए हैं।

वर्षा के दौरान अधिक बाढ़ वाली नदियां

4226. **श्री के० लकप्पा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा के दौरान देश की नदियों में अधिक बाढ़ आती है;

(ख) ऐसी नदियां कौन सी हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में जान, माल और फसल की अनुमानतः कितनी क्षति हुई; और

(घ) इस स्थिति को हल करने के लिए सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) और (ख) देश में मुख्य बाढ़-प्रवण नदियां हैं— गंगा और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, बारक, नर्मदा, तापी तथा उड़ीसा की समुद्र तटवर्ती नदियां ।

(ग) जैसाकि राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है, कि पिछले तीन वर्षों के दौरान जन, सम्पत्ति और फसलों की अनुमानित हानि का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) बाढ़-प्रवण नदियों पर साधारणतया किए जाने वाले बाढ़ नियन्त्रण उपाय ये हैं:— (1) बाढ़ सुरक्षा तटबंध, (2) नदी नियन्त्रण और भू-कटाव रोधी कार्य, (3) नगर सुरक्षा कार्य, (4) गांवों को ऊंचा उठाना (5) जल-निकास चैनलें । ऐसे बाढ़ नियन्त्रण कार्यों को करने पर पिछले वर्षों से बहुत अधिक जोर दिया जाता रहा है । यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस कार्य के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष का परिव्यय 168 करोड़ रुपये है जबकि 1969-74 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान यह परिव्यय 162 करोड़ रुपये था और 1951-68 तक के लिए केवल 185.32 करोड़ रुपये था । छठी योजना (1980-85) के पांच वर्षों के बाढ़ नियन्त्रण परिव्यय के मार्च, 1980 के अन्त तक पिछले लगभग 30 वर्षों में व्यय हुए 945 करोड़ रुपये की कुल राशि से लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ जाने की संभावना है ।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान फसलों, सम्पत्ति और जनजीवन की अनुमानित क्षति का विवरण

राज्य का नाम/ संघ राज्य क्षेत्र	1977			1978			1979		
	फसलों को क्षति (लाख रु०)	मकानों को क्षति (लाख रु०)	जनजीवन को क्षति सं०	फसलों को क्षति (लाख रु०)	मकानों को क्षति (लाख रु०)	जनजीवन को क्षति सं०	फसलों को क्षति (लाख रु०)	मकानों को क्षति (लाख रु०)	जनजीवन को क्षति सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	35226.4	8423.8	9974	5402.7	157 7	57	2164	12000.0	706
असम	2653.7	158.7	76	392.5	29.4	2	43.6	0.3	26
बिहार	1178.8	45.4	16	945.3	912.2	177	1901.5	103.4	14
गुजरात	2368.6	75.1	80	609.1	15.2	55	1655.0	2488.7	1548
हरियाणा	5600.0	1500.0	50	4297.6	732.7	42	0.6	सू.न.	सू.न.
हिमाचल प्रदेश	948.7	12.6	12	2400.0	568.2	279	0.5	5.6	5
जम्मू और कश्मीर	सू.न.	सू.न.	सू.न.	4.2	1.3	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.
कर्नाटक	3.6	10.7	कु.न.	25.5	1.2	5	14.9	2 0	,,
केरल	646.4	396.6	142	2335.8	2105.7	66	17.9	25.3	37
मध्य प्रदेश	सू.न.	सू.न.	सू.न.	304.4	223.4	28	2 2	0 5	9
महाराष्ट्र	3.6	0.7	11	348.8	83.1	51	504.0	290 0	51
मणिपुर	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मेघालय	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.
नागालैंड	कु.न.	कु.न.	कु.न.	,,	,,	,,	,,	,,	,,
उड़ीसा	750.8	57.8	44	1117.0	117.9	21	49.7	8.8	16
पंजाब	69.2	6 3	11	2205.9	252.2	17	44.4	कु.न.	कु.न.
राजस्थान	5875.7	442 4	105	2175.0	2215.0	109	2362.9	4700.0	478
सिक्किम	सू.न.	सू.न.	सू.न.	24.9	सू.न.	2	सू.न.	सू.न.	सू.न.
तमिलनाडु	4714.0	3388.0	586	0.1	0.6	125	484 2	1134.9	209
त्रिपुरा	92.0	8.5	1	61.1	6.0	4	सू.न.	सू.न.	सू.न.
उत्तर प्रदेश	7500.0	500.0	157	38200.0	9000.0	739	5177.0	172.0	77
पश्चिम बंगाल	3947.2	सू.न.	25	20735.0	9.1	1596	सू.न.	सू.न.	1
अंडमान और निकोबार	कु.न.	कु.न.	कु.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	,,	,,	सू.न.
अरुणाचल प्रदेश	3.5	,,	,,	,,	,,	,,	0 02	कु.न.	कु.न.
चंडीगढ़	कु.न.	,,	,,	,,	,,	,,	सू.न.	सू.न.	सू.न.
दादर तथा नागर हवेली	सू.न.	सू.न.	सू.न.	,,	,,	,,	,,	,,	,,
दिल्ली	355.0	182.6	18	932.4	318.0	18	सू.न.	सू.न.	सू.न.
गोवा, दमन व दीव	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	,,	,,	,,
लक्षद्वीप	,,	,,	,,	8.8	1.50	कु.न.	,,	,,	,,
मिजोरम	,,	,,	,,	सू.न.	सू.न.	सू.न.	,,	,,	,,
पांडीचेरी	125.4	19.6	8	32.0	7.1	3	,,	,,	,,

सू.न.=सूचित नहीं।
कु.न.=कुछ नहीं।

लोकतक बहु-उद्देश्यीय पन-बिजली परियोजना

4227. **श्री नगनगोम मोहेन्द्रा** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकतक बहु-उद्देश्यीय पन-बिजली परियोजना पर वास्तव में कार्य कब प्रारम्भ किया गया था;

(ख) परियोजना मूल रूप से कौन-कौन-सी तिथि को चालू होनी थी; और

(ग) यदि इसमें विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं और अब परियोजना को चालू करने के लिये कौन-सी तिथि निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) यद्यपि लोकतक बहुद्देश्यीय जल विद्युत परियोजना पर कार्य औपचारिक रूप से अक्तूबर, 1970 में आरम्भ किया गया था तथापि वृहत् निर्माण कार्य केवल 1971-72 के दौरान शुरू किये गये थे।

(ख) और (ग) गम्भीर भू-तकनीकी समस्याओं के कारण अभिकल्पों में वृहत् परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी जिसके कारण विलम्ब हुआ। सुरंग में बिलकुल अप्रत्याशित मैथेन गैस का सामना करना पड़ा और इस समस्या के समाधान किये जाने के कारण भी निर्माण कार्य में और देरी हुई। 35 मेगावाट का यूनिट जोड़ने के कारण परियोजना के परिमाण-क्षेत्र में हुआ परिवर्तन भी, देरी के कारणों में एक मुख्य कारण था। ऐसी परिस्थितियों में, मार्च, 1974 में चालू किये जाने के मूल कार्यक्रम को मार्च, 1982 तक के लिये स्थगित कर देना पड़ा है।

आन्ध्र प्रदेश में मनुगुरु में तापीय बिजली घर

4228. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव**
श्री एस० आर० ए० एस० अप्पला नायडू } : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में मनुगुरु में 1000 मेगावाट का तापीय बिजली घर लगाने के लिये आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) भद्राचलम में पहले चरण में 2×210 मेगावाट प्रतिष्ठापना (जिसका विस्तार 1000 मेगावाट तक करने की आगे गुंजाइश रहेगी) के लिये परियोजना रिपोर्ट आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा दिसम्बर, 1976 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई थी। परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई थी तथा अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगे गये थे जोकि आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड से, आंशिक रूप में, दिसम्बर, 1979 में प्राप्त हुये थे। इस परियोजना के लिये अभी तक कोयला लिंकेज स्थापित नहीं हुए हैं। अतः परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा नहीं किया गया है।

पन बिजली, तापीय बिजली तथा परमाणु बिजली के द्वारा बिजली का उत्पादन

4229. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या **ऊर्जा और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1979 से मई, 1980 तक की अवधि में पन-बिजली, तापीय बिजली और परमाणु बिजली के उत्पादन के आंकड़े क्या-क्या हैं;

(ख) देश में विद्युत उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता क्या है; और

(ग) पन-बिजली, तापीय बिजली और परमाणु बिजली घरों में मई, 1980 से मई, 1981 तक की अवधि के दौरान कितना-कितना विद्युत उत्पादन होने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मई, 1979 से मई, 1980 तक की अवधि के दौरान देश में वास्तविक ऊर्जा उत्पादन 113631 मिलियन यूनिट हुआ था। इसमें 62,761 मिलियन यूनिट ताप विद्युत तथा 3225 मिलियन यूनिट न्यूक्लीयर और 47,645 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन था।

(ख) 31-3-1980 को स्थिति के अनुसार देश में कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 31024.71 मेगावाट थी।

(ग) बिजली उत्पादन के लिये कार्यक्रम वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर (अप्रैल से मार्च) तैयार किया जाता है। वर्ष 1980-81 के लिये ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम 115000 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है, जिसमें 66495 मिलियन यूनिट ताप विद्युत, 3011 मिलियन यूनिट न्यूक्लीयर तथा 45494 यूनिट जल विद्युत है।

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक द्वारा चलाये जा रहे माडल इंगलिश हाई स्कूल में अध्यापकों के वेतनमानों में भेदभाव

4230. **श्री ए० के० राय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक द्वारा चलाये जा रहे अन्य हाई स्कूलों की तुलना में मॉडल इंगलिश स्कूल के प्रधानाचार्य और अध्यापकों के वेतनमानों में अन्तर होने की जानकारी है;

(ख) क्या इस विषय में पिछले तीन महीनों में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तथ्यों का ब्योरा क्या है और उस पर क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री धीरेन्द्र पाटिल) : (क) मांडल इंग्लिश हाई स्कूल, सिन्दरी जिसे 1-5-1976 को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता दी गई थी, पहले एक के० जी० स्कूल था जिसमें 7वीं स्तर तक की कक्षाएं थीं। 8वीं, 9वीं और 10वीं

कक्षाएं क्रमशः वर्ष 1975, 1976 और 1977 में चालू की गई थीं, इस स्कूल के प्रमुख जिसको प्रधानाध्यापिका कहा जाता है, का वेतनमान पुराने उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल के प्रमुख से कम है जिसे प्रधानाचार्य का पदनाम दिया गया है।

(ख) और (ग) पिछले तीन माह के दौरान माडल इंग्लिश हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका अथवा अध्यापकों की ओर से वेतनमान के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मार्च, 1900 में एफ० सी० आई० के मुख्यालय को स्नातकोत्तर ट्रेन्ड अध्यापकों के वेतनमान के बारे में सिन्दरी एकक से एक पत्र प्राप्त हुआ था और प्रधानाध्यापिका द्वारा मौखिक रूप से भी इसके बारे में बताया गया था। मामले की जांच करने के बाद एफ० सी० आई० प्रबन्ध मण्डल उचित कार्यवाही करेगा।

कोयले का उत्पादन

4231. श्री बी० आर० नहाटा : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोयले का, राज्यवार कुल उत्पादन क्या रहा है और मध्य प्रदेश में कोयले की उपलब्धता की क्या सम्भावना है; और

(ख) क्या भारत सरकार मध्य प्रदेश में तापीय परियोजनाओं की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर रही है, ताकि मध्य प्रदेश में बिजली की कमी को दूर किया जा सके और पिछड़े राज्य के औद्योगिक विकास में गति लाई जा सके ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) गत तीन वर्षों में हुआ कोयले का राज्यवार उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन टनों में)

	1977-78	1978-79	1979-80
पश्चिम बंगाल	23.02	19.96	18.60
बिहार	42.11	42.22	42.50
मध्य प्रदेश	20.30	22.56	24.30
उड़ीसा	2.16	2.66	2.60
महाराष्ट्र	3.81	4.32	4.80
उत्तर प्रदेश	0.05	0.60	1.20
आंध्र प्रदेश	8.90	0.01	9.40
आसाम	0.62	0.62	0.55
कुल	100.97	101.95	103.95

मध्य प्रदेश में कोयले के कुल भंडारों का अनुमान लगभग 17685 मि० टन है जो 0.5 मिलियन से अधिक मोटी सीमों तक 1200 मी० की गहराई में हैं।

(ख) बीरसिंह पुर ताप बिजलीघर में 5×210 मे०वा० के सेट हैं और इसके पहले चरण के लिये हैं तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं। विंध्याचल ताप बिजलीघर—2×500 मे०वा०—और पेंच ताप बिजलीघर—2×210 मे०वा०—के लिये तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के खंडवा, अमरावती और जल-गांव जिले के लिए सिंचाई योजनाएं

4232. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों से उन राज्यों के खंडवा, अमरावती तथा जल-गांव जिलों के सम्बन्ध में ताप्ती नदी पर संयुक्त सिंचाई योजनाओं के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का इस बारे में क्या योगदान है; और

(ग) इस योजना को कब तक पूरा किया जाना है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एक संयुक्त उपक्रम नामशः अपर तापी परियोजना चरण-दो की रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में महाराष्ट्र सरकार से फरवरी, 1974 में प्राप्त हुई थी। परियोजना पर 87.93 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इसमें मध्य प्रदेश के खंडवा जिले और महाराष्ट्र के जलगांव जिले के क्षेत्रों को सिंचित करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना की जांच केन्द्रीय जल आयोग में की गई थी और आयोग ने अपनी टिप्पणियां मार्च, 1975 और जुलाई, 1976 में राज्य सरकार को भेजी थीं। चूंकि उक्त टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से जून, 1979 तक प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिये राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया कि वे एक नई रिपोर्ट तैयार करे और उसे केन्द्रीय जल आयोग को भेज दे। राज्य सरकार से अभी तक यह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

सस्ती औषधियां उपलब्ध कराने के लिए औषध उद्योग को सुविधाएं

4233. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध उद्योग को ये अनुदेश जारी किये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों के लिये सस्ती औषधियां उपलब्ध करें; और

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने औषध उद्योग को क्या सुविधाएं दी हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक (मन्त्री श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1978 की औषध निति पर आधारित औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 में (1) चुनींदा

मूल्य नियन्त्रण की एक योजना और (2) औषध फार्मूलेशनों की विभिन्न श्रेणियों के लिये ग्रेड-वार मार्क-अप (श्रेणी-1 के लिये 40%, श्रेणी-2 के लिये 55% और श्रेणी-3 फार्मूलेशनों के लिए 100% तक) व्यवस्था है। अधिक उपभोग और आवश्यक प्रकार के औषध फार्मूलेशनों को सस्ते मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है।

(ख) औषध नीति पर दिनांक 29.3.1978 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र में औषधों के मूल ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिये उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदमों को दर्शाया गया है।

जैसा कि उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में दर्शाया गया है, मूल नीति को, जो एक तरफ तो आवश्यक औषधों को तुलनात्मक सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिये है तथा दूसरी ओर यह सुनिश्चित करने के लिये है कि फार्मूलेशन कार्य कलाप समग्र रूप से निर्माताओं के लिये लाभप्रद है, तैयार किया गया है। इसके अलावा श्रेणी-1 और 2 के फार्मूलेशनों के निर्माताओं के लिये आवश्यक बल्क औषधों के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से ऐसी औषधों के लिये कराधान के पश्चात् लाभ की उच्च दर अर्थात 14% की व्यवस्था की गई है जबकि श्रेणी-2 के फार्मूलेशनों से सम्बद्ध बल्क औषधों के लिए कराधान के पश्चात 12% के शुद्ध लाभ की व्यवस्था है।

विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों द्वारा स्वदेश भेजी जाने वाली राशि

4234. **श्री तारिक अनवर :** क्या वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत भारत में चल रही विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों को विदेशों में भेजे गए तकनीकी शुल्क, रायल्टी, लाभांश, आयात निर्यात ब्याज आदि की जानकारी सहित लाभ और हानि के वार्षिक लेखों की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होता है; और

(ख) यदि हां, तो वार्षिक रिपोर्टें रिजर्व बैंक की जानकारी हेतु दिए गए लाभ और हानि लेखे के अनुसार उपरोक्त विभिन्न मदों के अन्तर्गत गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इन कम्पनियों द्वारा विदेशों में भेजी गई राशि का कम्पनी वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों द्वारा उनके लाभ-हानि लेखाओं के अनुसार गत तीन वर्षों, अर्थात 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के मध्य विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बाहर भेजी गई कुल राशि विवरण 1 में दी गई है (1974-75 तथा 1975-76 के इसी प्रकार के आंकड़े शीघ्रतः सुलभ नहीं हैं)।

देश-अनुसार 1978-79 के ब्यौरे—जो निरुपक समझे जा सकते हैं—आयातों, लाभांशों, अधिशुल्क, तकनीकी शुल्क, ब्याज तथा अन्य अदायगियों, सहित—कुल बाहर भेजी गई राशि तथा निर्यात अर्जन, विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-I

1976-77, 1977-78 और 1978-79 की अवधि में विदेशी कम्पनियों की सहयकों द्वारा आयातों, लाभांश, रायल्टी और अन्यों तथा निर्यात उपार्जनों के रूप में विदेश में भेजा गया धन

(करोड़ रु० में)

वर्ष	विदेश में भेजा गया धन					
	आयात	लाभांश	रायल्टी	तकनीकी शुल्क तथा ब्याज को सम्मिलित करते हुए अन्य	कुल अदायगियां	निर्यात उपार्जन
1	2	3	4	5	6	7
1976-77	90.92	28.76	0.87	6.10	128.85	202.40
1977-78	108.53	30.21	0.69	6.52	145.95	205.91
1978-79	115.19	25.48	0.33	6.90	147.90	151.65

टिप्पणी : 1976-77 की अवधि में कार्य कर रही 161 भारतीय सहायकों में से, ब्यौरा 148 सहायकों के लिए दिया गया है। केष 13 कम्पनियों में से, एक परिसमापित होने जा रही थी और 12 कम्पनियों ने वर्ष 1976-77 के तुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये।

2. 1977-78 की अवधि में कार्य कर रही 146 में से 137 सहायकों का ब्यौरा दिया गया है। शेष 9 कम्पनियों में से, तीन परिसमापन में चली गई, एक कम्पनी को सरकार द्वारा अधिग्रहण में किये जाने की कार्यवाही चल रही थी तथा 5 कम्पनियों ने वर्ष 1977-78 के अपने तुलन-पत्रों को प्रस्तुत नहीं किया है।

3. 1978-79 की अवधि में कार्य कर रही 125 सहायकों में से, 113 सहायकों का ब्यौरा दिया गया है। शेष 12 कम्पनियों में से, 3 ने समापन का संकल्प पारित किया। कम्पनी को सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने की कार्यवाही चल रही थी, एक कम्पनी नई कम्पनी थी, जिसका प्रथम तुलन-पत्र देय नहीं था तथा कम्पनी ने अपना लेखा वर्ष मार्च से सितम्बर बदल दिया, 6 सहायक कम्पनियों ने 1978-79 का अपना तुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

विवरण-2

1978-79 के मध्य, विदेशी कम्पनियों की भारतीय शाखाओं के आयात, लाभांश, अधिशुल्क तथा अन्य व निर्यातों के माध्यम से बाहर भेजी गई राशियां

(लाख रु० में)

क्रम सं०	धारिता कम्पनी के विनियमन के देश सहित, भारतीय सहायक कम्पनी का नाम	के माध्यम से बाहर भेजी गई राशियां					
		आयात	लाभांश	अधिशुल्क	तकनीकी शुल्क व ब्याज सहित अन्य	योग	निर्यात
1	2	3	4	5	6	7	8
	कनाडा						
1.	इण्डियन अल्युमिनियम कम्पनी लि०	152.26	198.08	—	16.62	366.96	261.85
2.	के० एस० बी० पम्पस लिमिटेड	107.50	11.33	—	3.65	122.48	42.12
	डेनमार्क						
3.	पीअरलेस फ्रैंबीक्करने इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	उ० म०					
	इटली						
4.	मीगोग्रा प्राइवेट लिमिटेड	10.79	26.81	—	5.89	43.49	585.64

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	सेसागोआ प्राइवेट लिमिटेड	13.63	23.63	—	8.70	45.96	173.01
	नेदरलैंड						
6.	पीको इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (पहले फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड थी)	388.69	132.01	—	55.68	576.38	509.58
	पनामा						
7.	फिजर लिमिटेड	52.15	87.88	—	10.91	140.94	58.20
	स्वीडन						
8.	एसोसियेटड बीयरिंग कम्पनी लि०	457.62	45.00	—	7.03	519.65	12.38
9.	एस० एफ० इण्डिया लिमिटेड	13.45	4.95	—	3.37	21.77	16.43
10.	सैंडविक एशिया लिमिटेड	387.37	16.01	—	1.78	405.16	94.71
	स्विट्जरलैंड						
11.	एंग्ली फ्रेंच ड्रग कम्पनी (ईस्टर्न) लि०	11.68	2.88	—	0.14	14.70	5.53
12.	सीबा गेइजी आफ इंडिया लि०	376.34	54.19	—	18.63	449.16	61.82
13.	जनरल सुप्रिन्टेंडेंस कम्पनी (आई) प्राइवेट लिमिटेड	—	—	—	0.59	0.59	58.12
14.	ग्रोज ब्रैकार्ट्ज साबू लिमिटेड	45.47	2.47	—	2.95	50.80	31.71
15.	रोचे प्रोडक्ट्स लिमिटेड	177.72	40.04	—	0.84	218.60	42.63
16.	सैंडोज इण्डिया लिमिटेड	563.73	11.81	—	19.82	595.36	115.25

1.	2	3	4	5	6	7	8
	यूनाइटेड किंगडम						
17.	अत्कली एण्ड केमिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	356.95	—	—	12.49	369.44	14.76
18.	अल्युमीनियम हिन्दुस्तान प्रा० लि०	उ० न०					
19.	आल इण्डिया टोबाकू कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	—	—	—	—	—	—
20.	अम्मूरी इण्डिया लिमिटेड	उ० न०					
21.	एसबेस्टोज सीमेंट लिमिटेड	455.58	27.38	—	3.92	486.88	74.60
22.	अशोक लेलैंड लिमिटेड	571.77	75.16	—	6.67	653.60	935.86
23.	एवेरी इण्डिया लि०	9.26	32.06	—	0.60	41.92	—
24.	भुलनबरारी कोल कम्पनी लि०	—	—	—	—	—	—
25.	ब्लैक वुड होज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	उ० न०					
26.	बूट्स कम्पनी (इण्डिया) लि०	185.62	12.15	2.22	3.77	203.76	47.44
27.	ब्रिटिश स्टील पिलकिंग कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लि०	उ० न०					

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	बुरोफस वेलकम एण्ड कम्पनी (इंडिया) प्रा० लि०	158.52	13.75	—	0.32	172.59	54.56
29.	बर्क्सा डूअर्स टी कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड	4.04	—	—	—	4.04	—
30.	सी० एफ० पुलफोर्ड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	71.94	3.12	—	0.37	75.43	24.63
31.	कैडबरी इंडिया लि०	254.07	68.67	—	2.54	325.28	515.26
32.	सेम इंडिया लि०	—	—	—	—	—	—
33.	केमिकल्स एण्ड फाइब्रस आफ इण्डिया लिमिटेड	42.28	22.05	—	0.84	65.17	35 02
34.	क्लेवलैंड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	उ० न०					
35.	क्लोराइड इंडिया लि०	164.28	55.46	8.11	6.62	234.47	419.29
36.	क्लाइव स्ट्रीट नोमीनीज प्रा० लि०	—	—	—	—	—	—
37.	कोलम्बिया ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया प्रा० लि०	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	कन्सोलीडेटड न्यूमेटिक टूल्स कम्पनी (आई) लिमिटेड	21.09	16.62	—	0.64	38.35	69.47
39.	साईकल एण्ड आटोमोबाइल कम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	उ० न०					
40.	दार्जलिंग प्लांटेशन इंडस्ट्रीज लि०	—	6.33	—	1.01	7.34	11.98
41.	डोवसन एण्ड बार्लो (रेयन प्लांट्स) प्राइवेट लि०	—	—	—	—	—	—
42.	डनलप इंडिया लि०	451.39	—	—	34.87	486.26	673.84
43.	ई हिल एण्ड कम्पनी लि०	—	—	—	0.05	0.05	372.11
44.	ईस्टर्न बैंक ट्रस्टी एक्जीक्यूटर कम्पनी (आई) प्राइवेट लि०	—	—	—	—	—	—
45.	इम्पाअर प्लांटेशन्स (इंडिया) लि०	—	—	—	6.67	6.67	155.6
46.	इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लि०	108.88	36.00	5.65	—	150.53	91.5
47.	इनोर फाउंड्रीज लि०	20.10	25.07	—	0.08	45.25	4.4
48.	आयर सर्मेल्टिंग प्रा० लि०	12.58	—	—	0.17	12.75	—

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	फाइब्रेग्लास पिलकिंगटन लि०	43.94	11.67	—	0.60	56.21	25.69
50.	जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लि०	84.07	—	7.39	1.93	93.21	81.83
51.	जार्ज स्पेंसर मोल्टन एण्ड कम्पनी (आई) प्रा० लि०	—	—	—	—	—	—
52.	ग्लेक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लि०	106.20	130.79	—	2.45	239.44	176.34
53.	गुडलास नैरोलक पेंट्स लि०	50.25	14.18	—	2.11	66.54	98.51
54.	बोर्डन बुडरोफ एण्ड कम्पनी (मद्रास) प्राइवेट लि०	23.54	8.76	—	6.75	39.05	300.16
55.	ग्रेशम्स केबल आफ इंडिया प्रा० लि०	उ० न०					
56.	गेस्ट कीन विलियम्स लि०	153.52	60.20	—	11.53	225.25	121.06
57.	हिन्दुस्तान फेरोडो लि०	261.20	55.00	—	4.00	320.20	52.19
58.	हिन्दुस्तान लीवर लि०	887.27	225.77	—	60.13	1173.17	1703.35
59.	हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लि०	12.81	—	—	7.61	20.42	256.02

1	2	3	4	5	6	7	8
60.	होलमन क्लाइमेक्स मैन्यु० लि०	—	—	—	—	—	1.63
61.	होलमन क्लाइमैक्स रोक ड्रिल्स (आई) लिमिटेड	—	—	—	—	—	—
62.	हुगली इंक कम्पनी लि०	उ० न०					
63.	इण्डिया फ़ायल्स लि०	34.14	4.20	—	2.89	41.23	65.32
64.	इंडिया ट्रेडिंग (होल्डिंग) प्रा० लि०	—	—	—	—	—	—
65.	इंडियन कार्ड क्लोथिंग कम्पनी लि०	20.92	58.94	—	0.31	80.17	0.04
66.	इंडियन एक्सप्लोसिव्स लि०	48.89	243.74	—	41.31	433.94	86.37
67.	इंडियन सैन्चरिंग लि०	46.53	11.22	—	0.04	57.79	1.63
68.	इण्डियन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग प्राइवेट लि०	—	—	—	—	—	—
69.	इण्डियन टैक्सटाइल पेपर ट्यूब कम्पनी लि०	0.01	0.01	—	0.14	1.16	1.60
70.	इण्डिया टायर्स एण्ड रब्बर कम्पनी (आई) प्रा० लि०	—	—	—	—	—	—
71.	इंटरनेशनल कम्बुशन इंडिया लि०	0.21	3.96	—	0.36	4.53	4.93
72.	इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स (आई) प्रा० लि०	5.68	8.25	—	12.28	26.21	—

1	2	3	4	5	6	7	8
73.	जे० सी० डपस एण्ड कम्पनी प्रा० लि०	उ० न०					
74.	जोकाई इंडिया लि०	9.43	45.79	—	35.39	90.61	32.64
75.	लिपटन टी (इंडिया) लि०	4.34	—	—	4.08	8.42	99.02
76.	लूकास टी० वी० एस० लि०	86.82	—	—	3.79	90.64	87.31
77.	मैकमीलन कम्पनी आफ इंडिया लि०	2.22	—	2.93	1.10	6.25	40.16
78.	मजूली टी कम्पनी इंडिया लि०	—	—	—	2.53	2.53	119.33
79.	मार्शल्स (डाइरेक्शन) प्रा० लि०	उ० न०					
80.	मैथर एण्ड प्लाट इंडिया लि०	2.62	5.75	—	0.13	8.50	—
81.	मैं० एण्ड बैंकर (आई) प्रा० लि०	109.21	—	—	—	109.21	34.88
82.	मर्केन्टाइल बैंक एजेन्सी प्रा० लि०	—	—	—	—	—	—
83.	माकम टी कं० इडिया लि०	—	11.22	—	6.91	18.13	127.67
84.	मेकलेग्रोड रसल (इंडिया) लि०	—	—	—	6.25	6.25	195.40
85.	मैटल बाक्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड	उ० न०					

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	मोलिम्स आफ इंडिया लि०	9.97	3.81	—	0.83	14.61	62.94
87.	नामडांग टी कम्पनी (इंडिया) लि०	—	13.25	—	7.42	20.67	109.36
88.	पोरिट्स एण्ड स्पेन्सर (एशिया) लि०	20.72	6.57	—	0.20	27.89	0.31
89.	आर० एच० विन्डसर (इंडिया) लि०	28.80	1.90	—	0.22	31.00	59.04
90.	आर० के० ओ० रेडियो पिक्चर्स प्राइवेट लि०	—	—	—	—	—	—
91.	सिंगलो (इंडिया) टी कं० लि०	—	1.46	—	4.13	5.59	143.12
92.	सर लिन्डसी पार्किन्सन इंडिया प्राइवेट लि०	—	—	—	—	—	—
93.	स्पाइरेक्स मार्शल लि०	4.26	1.39	—	0.11	5.76	—
94.	स्टोन प्लैंट इलेक्ट्रिकल (इंडिया) लि०	2.15	—	—	0.90	3.05	24.42
95.	टी एस्टेट्स (आई) प्रा० लि०	—	—	—	—	—	1.60
96.	थामस माउगेट एण्ड कंपनी इंडिया लि०	—	—	—	0.19	0.19	—
97.	त्रिवेणी टिशूज लि०	114.70	34.04	—	10.31	159.05	205.93
98.	वीकर्स इंडिया प्रा० लि०	—	—	—	0.16	0.16	—

1	2	3	4	5	6	7	8
99.	वाल्डाईज लि०	0.55	7.01	—	—	7.56	0.47
100.	वारेन टी लि०	—	—	—	24.81	24.81	1184.37
101.	वेड्डेल (इंडिया) लि०	—	—	—	—	—	—
102.	व्हीफैन्न इंडिया लि० यू० एस० ए०	0.42	0.09	—	—	0.51	13.68
103.	एबट लेबोरेटीज इंडिया प्रा० लि०	14.21	19.50	—	2.63	36.34	37.10
104.	एमेक्सको नौमीनीज प्रा० लि०	—	—	—	—	—	—
105.	साइनामाइड इंडिया लि०	115.16	47 88	—	0.57	163.61	27.28
106.	बम्बई टायर्स इंटरनेशनल प्रा० लि०	122.50	—	—	4.91	127.41	85.06
107.	फरिक इंडिया लि०	16.48	—	—	2.83	19.31	113.57
108.	गुडईयर इंडिया लि०	234.32	24.02	—	2.52	260.86	214.56
109.	इंडोफिल केमिकल्स लि०	107.68	—	—	1.37	109.05	4.92
110.	इंगरसोल रेन्ड (इंडिया) लि०	84.03	39.86	—	0.85	124.74	113.46
111.	जानसन एण्ड जानसन लि०	73.83	11.54	—	1.70	87.07	61.19
112.	मर्क शार्प एण्ड धूमे आफ इंडिया लि०	92.55	8.51	—	0.34	101.80	0.78
113.	ओटिस एलीवेटर कम्पनी इंडिया लि०	10.58	11.91	—	10.00	32.49	102.67
114.	पार्के डेविस (इंडिया) लि०	48.25	34.13	—	2.93	85.31	27.57
115.	रीडर्स डाइजेस्ट एसोसियेशन प्रा० लि०	—	—	—	—	—	—

1.	2	3	4	5	6	7	8
116.	रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०	7.63	14.20	—	4.04	25.87	35.56
117.	20थ सैन्चुरी फाक्स कारपोरेशन (आई) प्रा० लि०	—	—	—	—	—	—
118.	यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०	1174.72	132.68	—	22.88	1330.28	537.01
119.	यूनीवर्सल पिक्चर्स (आई) प्रा० लि०	21.93	—	—	—	21.93	—
120.	वेइथ (इंडिया) प्रा० लि०	—	2.10	—	—	2.10	—
121.	वेइथ लेबोरेटरीज लि०	57.59	10.99	—	0.11	68.69	0.85
	पश्चिमी जर्मनी						
122.	बाथर इंडिया लि०	804.80	46.54	—	3.32	854.66	47.20
123.	मोटर इंडस्ट्रीज कं० लि०	510.48	72.77	—	166.63	699.88	1462.14
124.	सीमेन्स इंडिया लि०	100.50	49.32	6.27	10.57	166.66	706.07
125.	ऊंधे इंडिया लि०	—	—	—	—	—	—

टिप्पणी : उ० न० का तात्पर्य है कि वर्ष 1978-79 का तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए पेन्शन

4235. **श्री रामायण राय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट संवर्ग के कर्मचारियों को पेन्शन देने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, जो इसकी घोषणा कब तक कर दी जाएगी ;

(ग) यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में सरकार के सम्मुख क्या अड़चन आ रही है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के सभी संघों ने पेंशन के लिए माँग की है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के विभिन्न संघों/संस्थाओं ने पेंशन देने की माँग की है ? आकाशवाणी/दूरदर्शन के उन स्टाफ आर्टिस्टों को, जो संविदा कर्मचारी हैं, पेंशन देने का डाक प्रस्ताव नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (पेंशन, नियम, 1972 के उपबन्धों के आधार पर तैयार किया गया है और उसको वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को उनकी सहमति के लिए भेजा गया है।

आकाशवाणी के गोहाटी तथा डिब्रुगढ़ केन्द्रों के कर्मचारियों द्वारा प्रसारण

4236. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के गोहाटी तथा डिब्रुगढ़ केन्द्रों के कर्मचारियों ने भारी तनावों में तथा अपने दरवाजों पर निरन्तर धरने की स्थिति का सामना करते हुए भी इन दोनों केन्द्रों से प्रसारण जारी रखे ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को उचित ढंग से सराहना करने का है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) सरकार ने सम्बन्धित कर्मचारियों की अपनी सराहना व्यक्त कर दी है। उन्हें प्रशस्ति-पत्र जारी कर दिए गए हैं और उनकी प्रतियाँ उनकी वैयक्तिक फाइलों में भी लगा दी गई हैं।

बिजली की प्रति व्यक्ति प्रतिष्ठापित क्षमता, उपलब्धता और खपत

4237. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समग्र रूप से देश के लिए, पूरे बिहार के लिए, उत्तर बिहार के लिए और बिहार के शेष भाग के लिए क्रमशः बिजली की नवीनतम प्रति व्यक्ति प्रतिष्ठापित क्षमता, उपलब्धता और खपत क्या है और असामान्य सन्तुलन को खत्म करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) क्या कोसी नदी पर बाराह क्षेत्र और अन्य बाँध ही 7000 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन कर सकते हैं जो बिहार को बिल्कुल आत्म-निर्भर बनाकर आने वाली पीढ़ियों को सस्ते दरों पर बिजली को सप्लाई कर सकते हैं ; यदि हाँ, तो इस परियोजना की शीघ्र कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन (क) सम्पूर्ण देश के लिए तथा बिहार के लिए बिजली की प्रति व्यक्ति प्रतिष्ठापित क्षमता, उपलब्धता और खपत सम्बन्धी अद्यतन आँकड़े **विवरण** में संलग्न हैं। बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में असमानताएं, प्रतिष्ठापित क्षमता में तथा/अथवा क्षमता समुपयोजन के स्तर में भिन्नताएं होने के कारण हैं। तथापि, कर्नाटक जैसे कुछ मामलों में, जहाँ विद्युत की उपलब्धता आवश्यकता से कम है तथा बिहार के मामले में क्षमता का समुपयोजन कम होने के कारण प्रति व्यक्ति खपत कम है। राज्य का औद्योगिक पिछड़ापन तथा राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिक होना—इन संयुक्त कारणों से भी बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कम होती है।

(ख) बाराह क्षेत्र (कोसी उच्च बाँध) जैसे बहुद्देश्यीय उच्च बाँधों के निर्माण के महत्त्व से सरकार अवगत है और नेपाल के महामहिम सरकार के साथ परामर्श करके 7 चरणों वाली एक स्कीम पर इस समय विचार किया जा रहा है। 1953 में, जब कोसी परियोजना विचार-विमर्श के दौर में थी, काफी समय तक बाढ़ से होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हनुमान नगर के समीप एक बराज का कार्य 1958 में हाथ में लिया गया था और 1963 में इसे पूरा किया गया। दिसम्बर, 1979 में तत्कालीन सचिव, सिंचाई के नेतृत्व में गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कोसी उच्च बाँध के निर्माण के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था। प्रस्तावों को सुदृढ़ बनाने तथा एक औपचारिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो और अन्वेषण किए जाने हैं उनका कार्यक्रम तैयार करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने अब तक किए गए अन्वेषणों की समीक्षा हाल ही में जनवरी, 1980 में की थी। इन विचार-विमर्शों के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि स्थलाकृति सम्बन्धी सर्वेक्षण आर० एल० 1200 फुट तक बढ़ा दिए जाने चाहिएं ताकि अधिकतम लाभों के लिए वैकल्पिक अध्ययन किए जा सकें। आगे के अन्वेषणों की लागत का अनुमान लगभग 2.42 करोड़ रुपये लगाया गया है और इन पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इन अतिरिक्त अन्वेषणों को अब हाथ में लिया जाना है। कोसी परियोजना में भारी परिव्यय निहित है। वर्ष 1950 की रिपोर्ट से पता चलता है कि लागत 550 से 600 मिलियन रुपए तक होगी और पारेषण की लागत 600 मिलियन रुपये अलग होगी। बिहार सरकार ने हाल ही में इस स्कीम का मूल्यांकन किया है और उसने बाँधों के लिए 3,850 मिलियन रुपये तथा पारेषण प्रणाली के लिए 4,200 मिलियन रुपये दो राशि का निर्धारण किया है। राज्य सरकार द्वारा किए गए इस मूल्यांकन का केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1978-79 में प्रति व्यक्ति प्रतिष्ठापित क्षमता, उपलब्धता और खपत

(अनन्तिम)

प्रति व्यक्ति	प्रति व्यक्ति	प्रति व्यक्ति खपत		यूनिट	
प्रतिष्ठापित क्षमता (के. डब्ल्यू. प्रति एक हजार जनसंख्या) (केवल युटीलिटीज में)	उपलब्धता (यूनिट) केवल यूटिलिटीज में	युटिलिटीज	गैर-युटिलीटीज	युटिलोटीज	गैर युटिलिटीज
अखिल भारत	41.59	150.61	120.71	10.63	131.34
बिहार*	13.65*	86.63	66.50	21.63	88.13

* दामोदर घाटी निगम की क्षमता इसमें शामिल नहीं है।

** दामोदर घाटी निगम तथा अन्य प्रांतों से उपलब्ध बिजली इसमें शामिल है।

कोल इण्डिया लि० के अनेक अधिकारियों को आरोप पत्र दिया जाना

4238. **श्री नारायण चौबे** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इण्डिया लिमिटेड के अनेक अधिकारियों को कागजात/स्टाक और एकाउन्ट्स ठीक-ठीक न रखने के लिए हाल ही में आरोप पत्र दिए हैं;

(ख) क्या इस आरोप पर कुछ अधिकारियों का विभिन्न स्थानों को तबादला कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि कोल इण्डिया में काफी समय से कोई लेखा परीक्षा नहीं हुई; और

(घ) अन्तिम लेखा परीक्षा कब हुई थी और किस वित्तीय वर्ष के लिए ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अप्रैल तथा मई, 1980 में कुछ अधिकारियों को अन्य कारणों के साथ-साथ कोयले के स्टाक में कमी तथा उत्पादन आँकड़ों को बढ़ाकर दिखाने के कारण "आरोप-पत्र" दिए गए थे।

(ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने 44 अधिकारियों के स्थानांतरण कम्पनी के भीतर ही पदोन्नति तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से किए गए हैं।

(ग) और (घ) कोल इण्डिया लि० के 1976-77 तक के खातों का लेखा परीक्षण हो चुका है।

भीलवाड़ा, राजस्थान में गैस कनैक्शन

4239. **श्री गिरधारी लाल व्यास** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में भीलवाड़ा शहर एक जिला मुख्यालय है जिसकी जनसंख्या करीबन एक लाख से ऊपर है;

(ख) क्या इस शहर के अधिकांश लोग गैस कनैक्शन लेना चाहते हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस शहर के लिए गैस उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में एक जिला मुख्यालय, भीलवाड़ा नगर की जनसंख्या 82,000 के आस पास थी।

(ख) चूंकि तेल उद्योग द्वारा भीलवाड़ा नगर में तरल पेट्रोलियम गैस का विपणन नहीं किया जाता है अतः ऐसे व्यक्तियों की संख्या की जानकारी नहीं है जो तरल पेट्रोलियम गैस लेना चाहते हैं।

(ग) आशा है कि 1981 के आरम्भ से बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से तरल पेट्रोलियम गैस के निकालने की सुविधाओं के चालू होने और उसके बाद मथुरा और कोयाली शोधनशालाओं से इस उत्पादन की अतिरिक्त उपलब्धता होने पर बड़े पैमाने पर नये गैस कनैक्शन दिये जायेंगे। सारे देश में इस उत्पाद के समान वितरण के निम्न आधार पर एक योजना तैयार की जायेगी:—

1. आने वाले वर्षों में तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता
2. सप्लाई का स्रोत
3. विभिन्न राज्यों में सम्भव मांग
4. प्रक्रियाओं की व्यवहार्यता
5. सप्लाई का सम्भार तन्त्र

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को पेट्रोल पम्पों का आबंटन

4240. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अब तक कितने उपभोक्ता पेट्रोल पम्प आबंटित किये गये हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन लोगों को निकट भविष्य में राज्य-वार कितने उपभोक्ता पेट्रोल पम्पों को आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) राज्य परिवहन प्रतिष्ठानों, सरकारी परियोजनाओं एवं निजी परिवहन चालकों आदि जैसे बड़े उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता पम्प वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर दिये जाते हैं। क्योंकि उपभोक्ता पम्प व्यापारिक प्रतिष्ठान या डीलरशिप के रूप में नहीं होते अतः इन पम्पों को दिये जाने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गारलैण्ड नहर परियोजना से संबंधित निर्णय

4241. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दस्तूर योजना के अन्तर्गत सुझाई गई गारलैण्ड नहर परियोजना के संबंध में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सूखे से प्राय: प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पीने के पानी तथा सिचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाने का विचार है तथा कई नदियों में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) और (ख) यद्यपि दस्तूर प्रस्ताव संकल्पनात्मक दृष्टि से दिलचस्प है लेकिन वे तकनीकी दृष्टि से दोषपूर्ण और आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक खर्चीले समझे जाते हैं।

(ग) सरकार ने हाल में देश में जल संसाधनों के विकास का एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है, जिससे सूखा-प्रवण क्षेत्रों में सिचाई-सुविधाओं की व्यवस्था होगी और कुछ हद तक बाढ़ों का नियंत्रण करने में भी सहायता मिल सकती है।

तेल की खोज संबंधी भारतीय तकनीकी जानकारी विदेशों को देना

4242. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनकी तेल की खोज संबंधी भारतीय तकनीकी जानकारी द्वारा सहायता की जा रही है; और

(ख) उक्त करार की शर्त क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) ईराक।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने ईराक के साथ 29-1-1979 से 2 वर्ष के लिए एक खुदाई करने का अनुबंध किया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग मीटरेज खुदाई के हिसाब से अदायगी प्राप्त करता है।

विशाखापत्तनम स्थित आकाशवाणी केन्द्र का स्टुडियो

4243. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम स्थित आकाशवाणी केन्द्र में स्टुडियो सम्बन्धी सुविधायें प्रदान नहीं की हैं; और

(ख) राज्य सरकार से अपेक्षित स्थान प्राप्त कर लिये जाने के बाद विशाखापत्तनम में आकाशवाणी के लिये आवश्यक भवन के निर्माण में विलम्ब क्यों किया गया है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) आकाशवाणी, विशाखापत्तनम में किराये के भवन में अन्तरिम स्टुडियो सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ये अपर्याप्त हैं।

(ख) स्थायी स्टूडियो के निर्माण में विलम्ब इसलिये हुआ है कि स्टूडियो के लिए जिस स्थान का 1971 में चयन किया गया था तथा जिसे 1973 में अधिकार में लिया गया था, उस पर कार्य आरम्भ होने से पूर्व ही उसको राज्य सरकार द्वारा वापिस ले लिया गया था। वैकल्पिक स्थान राज्य सरकार से विस्तृत पत्राचार के पश्चात मई, 1979 में लिया गया था। 1971, जब इस परियोजना को स्वीकृत किया गया था, के बाद कीमतों में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप परियोजना के लिए संशोधित मंजूरी आवश्यक हो गई है। इस मंजूरी के प्राप्त होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

भारतीय तेल निगम द्वारा मिट्टी के तेल के पम्प लगाये जाना

4244. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने पेट्रोल पम्पों जैसे ही मिट्टी के तेल के पम्प लगाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की उपलब्धता

4245. **श्री चित्त महाटा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों में देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल कभी-कभी उपलब्ध होता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य की अपनी खपत हेतु मिट्टी के तेल का कोटा क्या है; और

(घ) मिट्टी के तेल का कंट्रोल मूल्य क्या है और क्या इसकी चोरबाजारी हो रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) असम में आन्दोलन और इसके फलस्वरूप उस राज्य में तीन शोधनशालाएं तथा बिहार में बरौनी शोधनशाला के बंद रहने के कारण जनवरी 1980 से देश में मिट्टी के तेल की समस्त उपलब्धता की स्थिति कठिन हो गई थी। फिर भी, विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को मार्च और मई 1980 के बीच मिट्टी के तेल का आबंटन पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के दौरान वास्तविक बिक्री से अधिक था। जबकि तेल कम्पनियां मिट्टी के तेल की सप्लाई करती हैं परन्तु इसका फुटकर

वितरण राज्य सरकार तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का दायित्व है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाकर राज्य के अन्दर मिट्टी के तेल का समान वितरण सुनिश्चित करें।

(ग) अप्रैल, मई और जून 1980 के महीनों के लिए मिट्टी के तेल का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। आबंटित मिट्टी के तेल का अधिकांश भाग घरेलू क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है।

(घ) बम्बई से निकलते समय मिट्टी के तेल का मूल अधिकतम बिक्री मूल्य 1294.93 रुपये प्रति किलो लिटर है। जब मिट्टी के तेल का फुटकर विक्रय होता है इसमें परिवहन चुंगी, बिक्री कर स्थानीय करों और डीलर की कमीशन जैसे अन्य प्रभार जोड़े जाते हैं जैसा कि उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर में कहा गया है, मिट्टी के तेल का फुटकर वितरण राज्य सरकारों आदि का दायित्व है, जिन्हें यह परामर्श दिया गया है कि काला बाजार, जमाखोरों आदि दुराचार जो कमी के समय अक्सर अनुभव किये जाते हैं, रोकने के प्रभावी कदम उठायें।

विवरण

मिट्टी के तेल का आबंटन

(आँकड़े मी० टनों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	अप्रैल 1980	मई 1980	जून 1980
आन्ध्र प्रदेश	22395	25000	23290
अरुणाचल प्रदेश	142	100	250
अन्डमान तथा निकोबार	79	100	80
असम	10025	10700	11170
बिहार	23000	23000	18910
चण्डीगढ़	800	200	620
दादरा तथा नगर हवेली	55	100	50
दिल्ली	9900	9900	7400
गुजरात	32820	32900	29780
गोआ, दमन एण्ड दी.यू	1260	1100	1240
हरियाणा	4687	5200	5020
हिमाचल प्रदेश	1210	1210	1140
जम्मू काशमीर	1935	1935	1830
करनाटका	20000	19400	17450
केरल	10826	10700	10530
मध्य प्रदेश	15889	16500	16490
महाराष्ट्र	66029	64500	62270
मणीपुर	604	600	580

राज्य/संघ शासित प्रदेश	अप्रैल 1980	मई 1980	जून 1980
मेघालय	715	600	700
मिजोरम	199	100	100
नागालैंड	440	400	360
उड़ीसा	8500	8500	5490
पंजाब	9300	12500	12590
पांडीचेरी	564	600	500
राजस्थान	11291	9800	9180
सिक्कम	398	400	400
तमिलनाडु	26959	27900	24820
त्रिपुरा	932	600	740
उत्तर प्रदेश	32270	34000	30870
पश्चिम बंगाल	34456	34500	28790

हिन्दुस्तान पेट्रोल निगम के एजेंटों को तरल पेट्रोलियम गैस के लिए कमीशन की अदायगी

4246. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोल निगम के उप-एजेन्टों और एजेन्टों को क्रमशः केवल 1.50 रु० तथा 2.75 रु० प्रति सिलेण्डर कमीशन मिल रहा है जब कि उसी कम्पनी के अन्य एजेन्टों को 3.37 रु० कमीशन दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उप-एजेन्टों और एजेन्टों ने पूर्ण अधिकार प्राप्त एजेन्ट के रूप में दर्जा दिए जाने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम की उप-वितरण व्यवस्था का पुनरावलोकन करना शुरू किया है।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार को विकसित करने का प्रस्ताव

4247. **श्री आर० के० महालगी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखाकार पुणे के उचित कार्यकरण तथा विकास के प्रस्ताव को मंत्रालय से पिछले कई वर्षों से उचित प्राथमिकता नहीं मिल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा कारण क्या हैं तथा संस्था के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है जिससे कि वह उस उद्देश्य को पूरा कर सके जिनके लिए कई वर्ष इसकी स्थापना की गई थी ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1964 में पुणे में स्थापित भारतीय फिल्म संग्रहालय को धन के आबंटन आदि में समुचित प्राथमिकता दी गई है। तथापि, प्रिण्टों/नैगेटिव सामग्री को निःशुल्क जमा करने के सम्बन्ध में अभी तक निजी फिल्म उद्योग से पर्याप्त समर्थन का अभाव रहा है। सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान संग्रहालय के लिए उपयुक्त भवन तथा अभिलेखागारीय फिल्मों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, शूटिंग आलेखों और अन्य सम्बन्धित सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था सहित संग्रहालय की विभिन्न योजनाओं के लिए 403 लाख रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है।

नर्मदा योजना से उपलब्ध होने वाली सिंचाई क्षमता

4248. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य द्वारा जल आयोग को भेजे गए पुनरीक्षित प्रतिवेदन में उल्लेख के अनुसार नर्मदा योजना से गुजरात में जिलावार कितनी सिंचाई क्षमता उपलब्ध होगी ;

(ख) क्या इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो आयोग द्वारा और कितना समय लिया जाएगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना-रिपोर्ट में भड़ोच, वडोदरा, पंचमहल, कैरा, अहमदाबाद, गाँधीनगर, मेहसाना, बनासकंठा, कच्छ, भावनगर, सुरेन्द्रनगर और राजकोट जिलों में 15.26 लाख हेक्टेयर (37.7 लाख एकड़) की वार्षिक सिंचाई का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) परियोजना-रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में फरवरी, 1980 में प्राप्त हुई थी और विभिन्न विशेषज्ञता प्राप्त एजेन्सियों/निदेशालयों में उसकी जाँच की जा रही है। बाँध, नहरों, द्वारों और जलीय सिविल डिजाइनों से सम्बन्धित पहलुओं पर टिप्पणियाँ राज्य सरकार को 5 जुलाई, 1980 को भेजी गई हैं।

परियोजना को कब तक स्वीकृति दी जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि परियोजना रिपोर्ट में सम्मिलित ब्यौरे केन्द्रीय जल आयोग कृषि विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों से किस हद तक मेल खाते हैं, तथा विभिन्न एजेन्सियों की टिप्पणियों के बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या उत्तर दिए जाते हैं तथा अनिर्णीत प्रश्नों पर परियोजना अधिकारी सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ कितनी शीघ्रता से विचार-विमर्श करते हैं। इस परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परियोजना के आयोजन तथा लागत और लाभों में हिस्सा बंटाने के बारे में अन्य पक्ष राज्यों नामशः मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए विचार किया जा सकता है।

उड़ीसा में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

4249. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने उड़ीसा राज्य की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने के 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है और अब तक मंजूर की गई तथा विद्युतीकरण की गई बस्तियों के नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उड़ीसा राज्य में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम लि० ने 1979-80 में 5.822 लाख रुपए की ऋण सहायता की तीन स्कीमें स्वीकृत की हैं। उड़ीसा में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए निगम ने वर्ष 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान कोई भी स्कीम स्वीकृत नहीं की थी। 1980-81 में भी अभी तक निगम ने ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी है।

(ख) ग्राम विद्युत निगम द्वारा 1979-80 में स्वीकृत की गई स्कीमों के अन्तर्गत कालाहांडी, बोलनगीर तथा गंजाम जिलों में पहले से ही विद्युतीकृत गाँवों से लगी 139 हरिजन बस्तियां शामिल हैं। इन हरिजन बस्तियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण सहित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का कार्यान्वयन उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जाता है। उपरोक्त स्कीमों के अन्तर्गत विद्युतीकृत की गई हरिजन बस्तियों के नाम उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा उड़ीसा में कालाहांडी, बोलनगीर तथा गंजाम जिलों के लिए शामिल, पहले से विद्युतीकृत गाँवों के साथ लगी 139 हरिजन बस्तियों के नाम।

1. स्कीम के अन्तर्गत आने वाली कालाहांडी जिले की 33 हरिजन बस्तियों के नाम :

1. पास्टीकुडी
2. बड़गाँव
3. अरताल
4. फफ्सी
5. धन्ताशाला
6. कुसुरपाड़ा
7. कुन्डाबन्धा
8. बेनईकाला
9. ननयठ
10. केनरीकेला
11. अपथ
12. कोकोदामाल
13. लंजीगढ़ रोड
14. एम० रामपुर
15. नारला
16. नारला रोड
17. चिचेगुडा
18. पिलकिया

19. कालिया कुन्डा
20. बलदियामल
21. नन्दोल
22. पलास
23. केन्डुपती
24. फरन्गा
25. दासापुर
26. चिचिया
27. अटिगाँव
28. नवापाड़ा
29. पिपालीगुडा
30. जयपटना
31. दुलकीबंधा
32. विजिमुडा
33. तुकुला

2. स्कीमों के अन्तर्गत आने वाली बोलनगीर जिले की 36 हरिजन बस्तियों के नाम :

34. भुसाबहाली
35. लापारसिंहा
36. मालमुन्डा
37. बालपुर
38. मोतियापाली
39. आछीपुर
40. असुरमुन्डा
41. दवलोंग
42. उल्लुन्डा
43. बाधापाली
44. कुडाडोर
45. कुमुन्डा
46. सिकारा
47. सागरघाट
48. माहुलपाड़ा
49. माहीमुन्डा
50. चनचारा
51. करमलता
52. गोडाकटारपाली
53. धारपगारदा
54. सैनियाला
55. कुसुली
56. चपानान्का
57. कुकरहारा
58. फुबुन्दा
59. फुन्दालपडार
60. बन्गामुन्डा
61. दीगांव
62. चटुयानलिया
63. कुरल
64. कुकुदाहाद
65. सनामुला
66. बिनका
67. कान्तालीन्झी-I
68. कान्तालीन्झी-II
69. टिटिलारगढ़

3. स्कीम के अन्तर्गत आने वाली गंजाम जिले की 70 हरिजन बस्तियों के नाम :

70. वासुदेवपुर
71. जगनाथपल्ली
71. रायसिंहपुर
72. मामुदिहा
74. गहन्जापटना
75. केन्दुपडार
76. तरसिंगी
77. खकान्डी
78. दाकीबाज
79. पुटा
80. गुरुधी
81. जी० छान्दीपडार

82. जुगुदी नुआसाही
83. सी० नयुसाही
84. जेनापुर
85. वान्निचय
86. दयाकाना
87. सोदुकस
88. वदुआसाही
89. दिपिरिया
90. मनसेला
91. धुकापाडा
92. कहानीपाली
93. वीरीपुर
94. चिरकीपाडा सासन
95. महातुन्तुनिया
96. भावारादा
97. नरसिंहपाली
98. डावार
99. वीरसंखापुर
100. वी० एस० आई० एन० पुर
101. पाटीगोविन्दपुर
102. के० नुआगाँव
103. चिलाडी
104. मैसनपुर
105. वादावावारान्गो
106. कथिन्गी
107. खासावदिया गोपीनाथपुर
108. झगादा
109. मधावन्धा
110. कामाकुलामानीपुर
111. सुवरनपुर
112. झाटीपाडार
113. वड़ापालान्का
114. वड़ाकेलाझाय
115. लालमेन्टा लक्ष्मीनारायणपुर
116. एस० गोपालपुर
117. प्रतापगिरी
118. रमोहेन्द्रापुर
119. गनतारी
120. दयानिधीपुर
121. नसतीपुर
122. कन्कारादा
123. कौदिया
124. अदापाड़ा
125. कैलहावेदा
126. पाटापुर
127. राधादेईपुर
128. पथीगुडा
129. सहासपुर
130. गोहानाला
131. पलासपुर
132. चानामेर
133. पुडामेरी
134. नया मुलाभाजा
135. सिंहीपुर
136. कन्सामेरी
137. खालिंगी
138 वासुदेवपुर सासन
139. जे० वलाभारुपुर

सरकारी तथा गैर-सरकारी तापीय बिजली घरों द्वारा विद्युत प्रजनन

4250. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि सरकारी क्षेत्र की तापीय बिजली परियोजनाओं की औसत कार्यकुशलता 45 प्रतिशत है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र के तापीय परियोजनाओं में वह लगभग 95 प्रतिशत है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी क्षेत्र की तापीय परियोजनाओं के कार्यकरण में इतनी कम कार्यकुशलता के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) सरकारी क्षेत्र की इन तापीय परियोजनाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ;

(घ) कार्यकुशलता बढ़ाने अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की कार्यकुशलता के साथ मुकाबला करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम कहाँ तक सफल हुए हैं ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र की कम कार्यकुशलता के बारे में कोई जाँच करने का भी निर्णय किया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में अच्छे ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 1979-80 के लिए निम्नानुसार था :—

सरकारी क्षेत्र		गैर-सरकारी क्षेत्र	
पारली	85%	रेणुसागर	100%
कोरबा-3	76%	ट्राम्बे विद्युत केन्द्र	74%
अमर कंटक	76%	अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कम्पनी	60%
रामागुण्डम	74%	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी	56%

(ग) और (घ) देश में ताप विद्युत संयंत्र उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) केन्द्रीय सेक्टर में विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने के लिए सुधारात्मक कार्यक्रम तैयार करने तथा इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने तथा अनुरक्षण प्रबन्ध को सरल और कारगर बनाने के लिए टास्क फोर्स बनाना। राज्य सरकारों को भी उनकी अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से इस प्रकार ही अधिकतम उत्पादन करने के लिए सहायता की जा रही है।

(2) कमियों का पता लगाना तथा निर्धारित विद्युत केन्द्रों पर, दोष सुधार के लिए परियोजना नवीकरण कार्यक्रम हाथ में लेना।'

(3) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाई कर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्था करना।

(4) विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना।

इन उपायों के परिणामस्वरूप कुछ निर्धारित ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार के संकेत दिखाई दिए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

किश्तवार में उड़ी तथा दुल हस्ती पन बिजली परियोजना

4251. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सेन्ट्रल सेक्टर में 480 मेगावाट वाली उड़ी पनबिजली परियोजना को क्रियान्वित करने सम्बन्धी जम्मू तथा कश्मीर सरकार की मांग के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो वह कब तक किया जाएगा ;

(ग) क्या केन्द्र इस परियोजना को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने पर सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र में सरकार ने जम्मू के किश्तवार क्षेत्र में 390 मेगावाट वाली दुल हस्ती परियोजना पर काम शुरू करने के लिए भी अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने जम्मू में उपरोक्त पनबिजली परियोजना से अधिक बिजली देने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर भी अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(च) राज्य सरकार की बिजली की कितनी कमी अब तक दूर की जा चुकी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) उरी जल विद्युत परियोजना को अन्तिम रूप से स्वीकृति दिए जाने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है ताकि निवेश सम्बन्धी निर्णय लिए जा सकें ।

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

(घ) और (ङ) 5 फरवरी, 1979 को हुई बैठक में, जिसमें जम्मू और कश्मीर के मुख्य मन्त्री ने भाग लिया था, इस बात पर सहमति हुई थी कि दुल हस्ती परियोजना के निर्माण के लिए, केन्द्रीय सेक्टर में हाथ में लिया जाए । इसके अनुसरण में, इस परियोजना का निर्माण केन्द्रीय सेक्टर में करने के लिए निर्णय ले लिया गया है । इस परियोजना से उत्पन्न बिजली में जम्मू और कश्मीर के भाग का निर्धारण करने का प्रश्न शीघ्र ही हल किया जाएगा ।

(च) अधिकतम सम्भव सीमा तक राज्य की सहायता करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

केरल में कुकिंग गैस कनेक्शन

4252. **श्री जो० एम० बनातवाला** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1980 को केरल के प्रत्येक जिले में कुल कितने कुकिंग गैस कनेक्शन थे ; और

(ख) इस क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में कुकिंग गैस कनेक्शन की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 31-3-1980 को केरल में गैस कनेक्शनों की जिलावार संख्या की स्थिति निम्न प्रकार है :—

जिले का नाम	आई० ओ० सी०
कोट्टायम	2864
केन्नानोर/तिलिचेरी	3586
कालिकट	5221

जिले का नाम	आई० ओ० सी०
त्रिवेन्द्रम	14008
कोचीन/एर्नाकुलम अल्वे	19795
पालघाट	2037
त्रिचूर	4961
क्विलोन	3178
एलेप्पी	1772
कुल	58412

(ख) नए गैस कनेक्शन 1981 के आरम्भ में बम्बई हाई से प्राप्त सम्बद्ध गैस से तरल पेट्रोलियम गैस के निकालने की सुविधाओं के चालू होने से और मथुरा और कोयाली शोधन-शालाओं में उत्पाद की अतिरिक्त उपलब्धता होने से बड़े पैमाने पर दिए जाने की आशा है। देश में उत्पादों के समान वितरण के लिए निम्न प्रकार के दृष्टिकोण के आधार पर एक योजना तैयार की जायेगी :—

(1) वर्ष भर में तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता ;
(2) सप्लाई का स्रोत ।
(3) विभिन्न राज्यों में माँग क्षमता ;
(4) सप्लाई के संभार-तन्त्र ; और
(5) कार्यों की व्यवहार्यता ।

हाजीरा, गुजरात में पेट्रोकैमिकल काम्प्लेक्स की स्थापना

4253. **श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने सूरत के नजदीक हाजीरा में बम्बई हाई गैस पर आधारित एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक होने की सम्भावना है;

(ग) इसमें पूंजीगत परिव्यय कितना है; और

(घ) प्रस्तावित उद्योग समूह के कार्यक्रम की कब तक संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) गुजरात राज्य में विभिन्न पेट्रो-रसायनों का उत्पादन करने के लिए एक पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना के लिए गुजरात सरकार ने एक औद्योगिक लाइसेंस का आवेदन पत्र दिया है ।

(ख) इस उद्योग समूह के स्वामित्व पर सरकार को अभी निर्णय लेना है।

(ग) निर्माण के दौरान ब्याज सहित कुल निवेश करीब 780 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(घ) इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि यह समूह कब कार्य आरम्भ करेगा ।

भारत-नेपाल पन-बिजली परियोजना

4254. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **उर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माणाधीन एवं विचाराधीन भारत-नेपाल पन-बिजली परियोजनाओं की संख्या एवं नाम क्या हैं;

(ख) उन पर कुल कितना व्यय होगा और भारत सरकार का इसमें कितना भाग है; और

(ग) उनकी बिजली पैदा करने की क्षमता क्या होगी और भारत को उसमें से कितनी बिजली मिलेगी ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देवीघाट परियोजना ही केवल एक परियोजना है जो भारत-नेपाल जल-विद्युत परियोजना के रूप में इस समय निर्माणाधीन है।

सरकार के विचाराधीन जो अन्य बहुद्देश्यीय परियोजनाएं हैं वे हैं : पंचेश्वर, पूर्णगिरी, करनाली, बागमती, कोसी, कनकाई तथा पश्चिमी राप्ती ।

(ख) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार देवीघाट की अनुमानित परियोजना लागत 25.2 करोड़ रुपये (नेपाली मुद्रा में 29.07 रुपये) हैं समझौते की शर्तों के अनुसार यह व्यय भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा । विचाराधीन परियोजनाओं के संबंध में अनुमानों को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) देवीघाट की उत्पादन क्षमता 3×4.7 मेगावाट है, जबकि विचाराधीन परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता के ब्यौरों को तथा जो विद्युत भारत को उपलब्ध होगी उसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

इदीक्की पन-बिजली परियोजना के लिए जेनरेटरों का आयात

4255. **श्री इ० के० इम्बीचीबावा** : क्या **उर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इदीक्की पन-बिजली विद्युत केन्द्र के विस्तार के दूसरे चरण के लिए तीन जेनरेटरों का आयात करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या कनाडा सरकार ने इन जेनरेटरों की खरीद के लिए कोई अनुदान अथवा सहायता दी थी; और

(घ) क्या कनाडा के जेनरेटर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित जेनरेटरों की तुलना में सस्ते हैं ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) इदीक्की चरण-दो के लिए कनाडा से विद्युत उत्पादन उपस्कर का आयात करने के प्रश्न पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है ।

नार्वे से प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण

4256. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि तटदूर तेल की खोज और इसके उत्पादन के क्षेत्र में नार्वे से भारत में बड़े पैमाने पर हुए प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : नार्वे से भारत को प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है और न ही किसी ऐसे प्रस्ताव का अनुमान है। परन्तु गहरे पानी वाले तेल क्षेत्रों में विकास नीति निर्धारण के लिए एक सीमित अध्ययन के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा नार्वे के आयलडेको के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

रेडियो स्टेशन स्थापित करने के मानदण्ड

4257. **श्री के० अर्जुन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करने के मानदण्ड क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : किसी नए रेडियो स्टेशन के स्थान का निश्चय अन्य बातों के साथ-साथ, उन स्थानों, जिनमें प्रसारण सेवा उपलब्ध नहीं है, में प्रसारण सेवा उपलब्ध करने की आवश्यकता, कबीली और सीमावर्ती क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं, जनसंख्या के घनत्व, भाषायी और सांस्कृतिक विचारों, तकनीकी सम्भाव्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों को कोयले का आवंटन

4258. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1980 से जून, 1980 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को कितना कोयला आवंटित किया गया ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों को सप्लाई किए गए कोयले की तुलना में कम कोयला सप्लाई किया गया है; यदि हाँ, तो कितना कम और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में उद्योगों को तत्काल कोयला सप्लाई करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है और यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, भारत कोकिंग कोल लि० तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० नामक जो कोयला कम्पनियाँ उत्तर प्रदेश की जरूरतों के लिए कोयला सप्लाई करती हैं वह रेलवे के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि उत्तर प्रदेश के लिए रेल से अधिकतम कोयला भेजा जा सके। कोयला कम्पनियाँ प्रायोजित मात्रा का जो कोयला रेल संचलन से बच जाता है उसे सड़क द्वारा ले जाने के लिए भी देती हैं। रेल द्वारा कोयले के संचलन की निगरानी उद्योगों के लिए आधारभूत सामग्री की मन्त्रिमण्डलीय समिति भी उच्चतम स्तर पर कर रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रतिजैविक पदार्थों (ऐन्टीबायोटिक्स) का उत्पादन

4259. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिजैविक पदार्थों (एन्टीबायोटिक्स) अथवा अन्य प्रकार की औषधियों का उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम का क्या नाम है तथा वह कहां स्थित है; और

(ख) पिछले पांच वर्षों में इनमें से प्रत्येक उपक्रम में निवेश पूंजी वार्षिक उत्पादन तथा लाभ अथवा हानि कितनी-कितनी रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) प्रतिजैविक पदार्थों (एन्टीबायोटिक्स) और अन्य औषधों का उत्पादन करने वाले सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम तथा उनके कारखानों के स्थान निम्न प्रकार हैं:—

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०

एण्टीबायोटिक्स संयंत्र	—	ऋषिकेश
सिंथेटिक औषध संयंत्र	—	हैदराबाद
शल्य चिकित्सा यंत्र संयंत्र	—	मद्रास
फार्मूलेशन संयंत्र	—	गुडगांव
निकोटिमाइड संयंत्र	—	मुजफ्फरपुर
हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०	—	पिम्परी
स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि०	—	कलकत्ता

(ख) वर्ष 1974-75 से 1978-79 के लिये निवेशित पूंजी, वार्षिक उत्पादन तथा लाभ/हानि नीचे दी गई है—

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०

(रुपये लाखों में)

वर्ष	निवेशित पूंजी	वार्षिक उत्पादन	लाभ(+)/(हानि−)
1974-75	5786.54	4584	+ 249
1975-76	6969.84	5852.40	+354.57
1976-77	7866.18	7314.24	+411.46
1977-78	9356.98	7915.15	+766.26
1978-79	9705.87	7313.39	+ 1.33
हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०			
1974-75	817.04	663.36	−327.96
1975-76	814.66	944.82	−291.65
1976-77	1011.31	1376.63	− 67.74
1977-78	1055.81	1397.10	−222.25
1978-79	1321.27	1616.55	−197.16

स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि०

दिनांक 1-1-1977 को कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था तथा दिनांक 31-3-1979 को 330.74 लाख रुपये का निवेश था। दिनांक 1-10-1977 से 31-3-1979 की अवधि के दौरान वार्षिक उत्पादन और शुद्ध लाभ क्रमशः 671.91 लाख रुपये तथा 8.5 लाख रुपये (लगभग) का था।

टिहरी गढ़वाल जिले में गांवों का विद्युतीकरण

4260. श्री बयाराम शाक्य : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी गढ़वाल जिले में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) दिसम्बर, 1980 तक कितने अतिरिक्त गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में पूर्ण लक्ष्य क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले में 1,958 गांव हैं। इनमें 31 मार्च, 1980 तक 261 गांव विद्युतीकरण कर दिये गये हैं।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम लि० द्वारा स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल जिले में दिसम्बर, 1980 तक 24 और नए गांवों का विद्युतीकृत किये जाने की सम्भावना है। इस जिले के और गांवों को उत्तर प्रदेश राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकृत किये जाने की सम्भावना है।

(ग) 10-7-1980 तक ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 43.50 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता की 6 स्कीमें टिहरी गढ़वाल जिले के लिए स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों के पूरा होने पर 895 गांवों का विद्युतीकरण हो जाने की परिकल्पना है। इसमें वे 24 गांव भी शामिल हैं, जिनको 1980-81 के विद्युतीकृत किए जाने की सम्भावना है।

लम्बित मामलों को निपटाने के लिए नये उच्च न्यायालयों का खोला जाना

4261. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लम्बित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए देश में नये उच्च न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ये नए उच्च न्यायालय किन-किन स्थानों में खोले जाएंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"हेराल्ड आफ फ्रीडम" नामक पुस्तक की उपलब्धता

4262. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन विभाग द्वारा निकाली गई "हेराल्ड आफ फ्रीडम" नामक पुस्तक बाजार में उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पुस्तक को फिर से मुद्रण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे; और

(ग) इसके पुनः प्रकाशन की सम्भावना कब तक है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। इस पुस्तक के पुनः मुद्रण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के चुनींदा भाषण

4263. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ,'नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के चुनींदा भाषण" (सेलेक्टेड स्पीचेज) नामकपुस्तक प्रकाशन डिवीजन द्वारा प्रकाशित की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह पुस्तक किन-किन भाषाओं में प्रकाशित की गई है;

(ग) क्या यह प्रकाशन आठवीं अनुसूची में शामिल की गई सभी अन्य भाषाओं में प्रकाशित की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो इन भाषाओं में जनता को ये प्रकाशन सम्भवतया किस तारीख तक उपलब्ध कराए जाएंगे;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) अंग्रेजी।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। भाषणों को अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि (1) नेताजी की जीवनी "आधुनिक भारत के निर्माता" पुस्तक माला के अन्तर्गत पहले ही अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित की जा चुकी है तथा इसको कुछ और भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित करने का प्रस्ताव है। नेताजी अनुसन्धान ब्यूरो, कलकत्ता द्वारा अंग्रेजी और बंगला में प्रकाशित ; (2) नेताजी वाङमय को हिन्दी में प्रकाशित करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं

4264. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन प्रभाग द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में कौन-कौन-सी पत्रिकाएं कितने-कितने अंतराल से प्रकाशित की जाती हैं;

(ख) इन पत्रिकाओं में से प्रत्येक पत्रिका की 31 मार्च, 1980 को कुल बिक्री कितनी थी;

(ग) इनमें से कौन-कौन-सी पत्रिकाएं एक से अधिक तथा किन-किन भाषाओं में प्रकाशित होती हैं;

(घ) क्या और अधिक एक भाषी पत्रिकाओं को बहु-भाषी पत्रिकाएं बनाने का विचार है;

(ङ) क्या अधिकतम बिक्री वाली पत्रिकाओं को, जिन भाषाओं में वे प्रकाशित की जा रही हैं, उनसे अधिक भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) पत्रिकाओं के नाम उनकी आवधिकता एवं कुल परिचालन संख्या तथा भाषा जिसमें वे प्रकाशित हो रही हैं, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस समय केवल "योजना" (पाक्षिक) ही बहु-भाषी पत्रिका है। यह 9 भाषाओं अर्थात् हिन्दी, अंग्रेजी, असमिया, बंगला, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में प्रकाशित हो रही है;

(घ) किसी एक भाषी आवधिक पत्रिका को बहु-भाषी पत्रिका बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) 1980-85 योजना अवधि के दौरान "योजना" को (उन भाषाओं, जिनमें यह पहले ही प्रकाशित हो रही है, के अतिरिक्त) उड़िया, कन्नड़, पंजाबी और उर्दू में भी प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं और 31 मार्च, 1980 के दिन की स्थिति के अनुसार उनकी परिचालन संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	पत्रिका का नाम	आवधिकता	जिस भाषा में छपती है	बिक्री मूल्य	कुल	कैफियत
1.	आजकल	मासिक	हिन्दी	0.75	49,059	
2.	आजकल	,,	उर्दू	1.00	60,769	
3.	बाल भारती	,,	हिन्दी	0.80	4,72,654	
4.	योजना	पाक्षिक	हिन्दी	0.60	1,15,181	
5.	योजना	,,	असमिया	0.50	42,956	
6.	योजना	,,	बंगला	0.50	48,421	
7.	योजना	,,	गुजराती	0.50	47,177	
8.	योजना	,,	मराठी	0.50	55,378	
9.	योजना	,,	मलयालम	0.50	55,777	
10.	योजना	,,	तमिल	0.50	1,04,400	
11.	योजना	,,	तेलगू	0.50	52,610	
12.	कुरुक्षेत्र	मासिक	हिन्दी	0.50	55,264	कृषि मन्त्रालय, सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग की ओर से प्रकाशित।

1	2	3	4	5	6	7
13.	भागीरथ	त्रैमासिक	हिन्दी	1.00	8,842	सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय की ओर से प्रकाशित।
14.	योजना	पाक्षिक	अंग्रेजी	0.80	1,93,213	
15	इण्डियन एण्ड फारेन रिव्यू	,,	अंग्रेजी	1.00	4,22,835	विदेश मन्त्रालय की ओर से प्रकाशित।
16.	कुरुक्षेत्र	,,	अंग्रेजी	0.40	2,36,910	कृषि मन्त्रालय, सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग की ओर से प्रकाशित।
17.	भागीरथ	त्रैमासिक	अंग्रेजी	2.00	12.297	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की ओर से प्रकाशित।
18.	इम्प्लायमेंट न्यूज	साप्ताहिक	अंग्रेजी	0.25	1,77,200	
19.	रोजगार समाचार	,,	हिन्दी	0.25	0,53,050	
20.	रोजगार समाचार	,,	उर्दू	0.25	3,540	

कच्चे पेट्रोलियम कोक का कम उत्पादन

4265. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चा पेट्रोलियम कोक की सप्लाई न किए जाने के कारण इण्डियन कार्बन घूनट की वज-बज यूनिट बन्द करनी पड़ी है;

(ख) क्या कच्चा पेट्रोलियम कोक के उत्पादन में कमी लगभग 27,000 टन है; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इण्डियन आयल कारपोरेशन गोहाटी शोधनशाला तथा आसाम आयल कम्पनी की दिगबोई शोधनशाला से कच्चे पेट्रोलियम कोक का कुल उत्पादन इण्डियन कार्बन लि० को उपलब्ध किया जाता है। अपने गोहाटी और बज-बज यूनिटों के बीच उपलब्ध कच्चे पेट्रोलियम कोक के आवंटन के लिए निर्णय इण्डिया कार्बन लि० को लेना होता है।

(ख) और (ग) 1980-81 के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कच्चे पेट्रोलियम कोक की कमी का वर्तमान अनुमान करीब 40,000 मीट्रिक टन है। कच्चे पेट्रोलियम कोक के आयात का आयोजन किया जा रहा है।

सरणीकृत एजेंसियों को सरणीबद्ध कच्चे माल की तदर्थ सप्लाई

4266. **श्री के० मालन्ना** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा गत 3 वर्षों के दौरान, वर्षवार, सरणीकृत एजेंसियों के लिए सिफारिश किए गए सरणीबद्ध कच्चे माल की तदर्थ सप्लाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) कम्पनियों और वस्तुओं के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान, कम्पनीवार, प्रत्येक औषधि के सम्बन्ध में सरणीकृत एजेंसी को जारी की गई सिफारिशों/स्पष्टीकरणों का ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम और रसायन उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

क्र. सं.	किस तारीख को तदर्थ आबंटन प्राधिकृत किया गया	पार्टी का नाम	सरणीबद्ध औषधि मद का नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
1.	29.8.1979	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लि०	क्लोरमफेनीकोल पाउडर	50 कि. ग्रा.
	13.9.1979		टेट्रासाइक्लीन एच.सी.एल.	500 कि. ग्रा.
	7.11.1979		डैप्लोन	5 मि. टन
2.	14.11.1979	बंगाल इम्यूनिटी	थायामीन मोनोनाइट्रेट	450 कि. ग्रा
			थायामीन एच.सी.एल.	75 कि. ग्रा.
			रिबोफलेबीन	150 कि. ग्रा.
			विटामिन बी-6	60 कि. ग्रा.
3.	8.6.1979	कैडिला लेबोरेटरीज	एम्पीसिलिन एन हाइड्रल	2.12 मी. टन
4.	30.12.1977	डेज मेडिकल स्टोर्स प्रा० लि०, कलकत्ता	स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट	250 कि. ग्रा.
5.	12.9.1977	ग्लूकोनेट लि. कलकत्ता	टेट्रासाइक्लीन	400 कि. ग्रा.
			क्लोरमफेनीकाल	200 कि ग्रा.
			स्टेप्टोमाइसीन	50 कि. ग्रा.
			एम्पीसीलिन	175 कि. ग्रा.
			आक्सीटेट्रासाइक्लीन	122 कि. ग्रा.
			इरीथ्रोमाइसीन	50 कि. ग्रा.
			डाक्सीसाइक्लीन	50 कि. ग्रा.

1	2	3	4	5
6.	19.9.1978	हिन्दुस्तान एण्टीबायो-	इरीथ्रोमाइलीन	1.5 मी. टन
	7.10.1978	टिक्स लि०	क्लोरेमफेनीकोल पाउडर	1.5 मी. टन
	12.9.1979		6-ए. पी. ए. पी.	4.0 मी. टन
7.	26.2.1979	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मा-	सल्फामेथोक्साजोल	5 मी. टन
	1.6.1979	स्यूटिकल्स लि०	ट्राइमेथोप्रीम	1 मी. टन
	24.7.1979		मिथाइल डोपा	2 मी. टन
	15.9.1979		डोक्सी साइक्लीन	600 कि. ग्रा.
	17.1.1980		मिथाइल डोपा	3 मी. टन
			एम्पीसीलिन एनहाइड्स	30 कि. ग्रा.
	5.2.1980		मिथाइल डोपा	1 मी. टन
8.		स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल लि.	क्लोरम फेनीकोल पाउडर	500 कि. ग्रा.

पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों के लिए विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन और अखबारी कागज

4267. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होने वाले किन-किन समाचार-पत्रों, दैनिक पत्रों, साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रिकाओं को इस समय विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन मिल रहे हैं और इस कागज में से, जिलावार, आर० एन० आई० अखबारी कागज का कोटा कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि जिलों से प्रकाशित होने वाले पश्चिम बंगाल के अधिकांश समाचार-पत्रों को विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन अथवा आर० एन० आई० अखबारी कागज का कोटा नहीं मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके जिलावार और पत्रवार क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होने वाले उन दैनिकों, साप्ताहिकों और पाक्षिकों, जो विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में शामिल हैं, की भाषा-वार सूची संलग्न है (परिशिष्ट-1) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1086/80] । इसी प्रकार पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होने वाले उपरोक्त अवधिकताओं वाले उन समाचारपत्रों जिनको वर्ष 1979-80 के दौरान अखबारी कागज आवंटित किया गया है, की सूची संलग्न है (परिशिष्ट-2) [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी०-1086/80] ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । राशि की उपलब्धता और प्रचार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी समाचारपत्र को विज्ञापन देने से इंकार नहीं किया जाता है बशर्ते कि वह विज्ञापन नीति में निर्धारित न्यूनतम परिचालन संख्या, मुद्रण क्षेत्र और प्रकाशन में नियमितता की शर्तों को पूरा करता हो । इसी प्रकार अखबारी कागज के आवंटन के मामले में, अखबारी कागज आवंटन नीति में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाता है चाहे उनका राज्य/प्रकाशन स्थान कोई भी हो ।

उत्तर पश्चिम सीमान्त प्राप्त (पाकिस्तान) से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी

4268. **श्री एन० ई० होरो :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभाजन के 33 वर्षों के बाद भी सरकार उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रान्त (पाकिस्तान) से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों की उस जमा राशि को, जो फ्रंटियर बैंक की विभिन्न शाखाओं में फंसी पड़ी है, भारत में अंतरित नहीं करा सकी है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार के पास लम्बित ऐसे मामलों की संख्या का ब्योरा क्या है और क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस सम्बन्ध में प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) पाकिस्तान सरकार ने फ्रन्टियर बैंक सहित कुछ बैंकों को 1952 में निष्क्रान्त घोषित कर दिया था और उनकी परिसम्पत्तियों का कब्जा ले लिया था। यह सही नहीं था क्योंकि दोनों देशों के बीच हुए करार के अनुसार, बैंकों को निष्क्रान्त संस्था के रूप में नहीं माना जाना चाहिए था। तदनुसार, मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया था और पाकिस्तान और भारत के बीच हुई बैठकों में इसकी पैरवी की गई थी। तथापि, कोई स्पष्ट परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं।

फिलामेंट धागों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त क्षमता

4269. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृत्रिम रेशा उद्योग के उपयोग हेतु पोलिएस्टर फिलामेंट धागे सहित विभिन्न प्रकार के फिलामेंट धागा निर्माण के लिए वर्तमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है;

(ख) इसका किस सीमा तक उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या इस क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी वृद्धि की जाएगी; और

(घ) इस बारे में सरकार किस बात को महत्व दे रही है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पोलिएस्टर फिलामेंट धागे तथा नायलॉन फिलामेंट धागे के निर्माण की वर्तमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता 8121 मी० टन प्रति वर्ष एवं 31392 मी० टन प्रति वर्ष है।

(ख) पोलिएस्टर फिलामेंट धागे की लाइसेंस क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है तथा नायलॉन फिलामेंट धागे का उत्पादन लाइसेंस क्षमता का 56 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

ताशकंद में फिल्म समारोह में भारत का भाग लेना

4270. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सोवियत संघ में ताशकंद में आयोजित हाल के फिल्म समारोह में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या अनुभव रहा; और

(ग) भविष्य में ऐसे फिल्म समारोहों में भाग लेने के लिए यहां से प्राप्त हुए अनुभव का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) ताशकन्द फिल्म समारोह से भारत की ओर से भाग लेने वालों को एशिया, अफ्रीका और लैटिन-अमरीका के देशों के सिनेमा में नवीनतम रुझानों की जानकारी से अवगत होने और उन देशों के फिल्म निर्माताओं के साथ सम्बन्ध बनाने का अद्वितीय अवसर मिला । मुख्य भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली लगभग 35 फीचर फिल्में समारोह में दिखाई गई । दर्शकों में भारतीय फिल्में काफी लोकप्रिय रहीं और इनको समारोह के बाद सोवियत संघ के 6 गणराज्यों में भी दिखाया गया । भारतीय फिल्म निर्माताओं और वितरकों ने भारतीय फिल्मों की बिक्री के लिए सोवियत प्राधिकारियों के साथ बातचीत की ।

(ग) प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का अपना स्वरूप और अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, इसलिए भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक समारोह की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न भाषाओं और शैलियों की भारतीय फिल्मों के साथ इस प्रकार के समारोहों में भाग लेने के प्रयास जारी रखे जाएंगे । विभिन्न समारोहों के बाजार विभागों में भाग लेकर सोवियत संघ और अन्य देशों में भारतीय फिल्मों का वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने की सम्भावनाओं का भी पता लगाया जायेगा ।

तेल के लिए पिलो टैंक

4271. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र में दुर्घटनाओं के कारण तेल बिखरने की समस्या का सामना करने के लिए कुछ पिलो टैंक और अन्य उपकरण खरीदने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है और इसे खरीदने में अनुमानत: कितना व्यय आयेगा;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सुझाव दिया है कि भारत स्टील टैंक का प्रयोग कर सकता है जिसे वह कम लागत पर निर्माण कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सुझाव पर विचार करने के बाद क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि उत्पादन एवं परिवहन प्रक्रियाओं के दौरान बम्बई हाई क्षेत्र से निकलने वाले थोड़े तेल को सम्भालने के लिए ओ. एन. जी. सी. को सक्षम बनाया जाये और बाद में यह सक्षमता बेसिन क्षेत्र में इसी प्रकार की प्रक्रियाओं में प्रयोग किया जाए । इसके अन्तर्गत ओ. एन. जी. सी. के कर्मचारियों को तेल छलकने की रोक-थाम, नियन्त्रण में तथा समुद्र सम्बन्धी कानून और उपकरणों एवं सामग्री की प्राप्ति के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है ।

इस प्रस्ताव पर होने वाला अनुमानित व्यय करीब 60 लाख रुपये है (5,31,950 अमरीकी डालर, यू. एन. डी. पी. के योगदान के रूप में होंगे तथा 16,13,000 रुपये सरकार द्वारा सामग्री के रूप में दिये जायेंगे)।

(ग) जी, हां। यू. एन. डी. पी. ने, ओ. एन. जी. सी. ने जो पिलोट टेक यू. एन. डी. पी. को सप्लाई किये हैं, की वरीयता के बारे में तकनीकी औचित्य मांगा है।

(घ) इस बारे में अन्तिम निर्णय अभी लेना है।

किशनगंज, शाहबाद तथा छतरा राजस्थान के लिए सिंचाई योजनाएं

4272. **श्री चतुर्भुज**: क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के कोटा जिले में किशनगंज, शाहबाद तथा छतरा के लिए कुछ सिंचाई योजनाएं विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के नाम एवं रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं को आरम्भ करने सम्बन्धी आरम्भिक कार्य पूरा कर लिया गया है और यदि हां, तो इनको कब तक आरम्भ किया जायेगा और प्रत्येक योजना पर क्या व्यय किया जाना है; और

(घ) इन योजनाओं के अन्तर्गत कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी तथा इस बारे में ब्यौरा क्या है?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे): (क) से (घ) राजस्थान के कोटा जिले के लिये निम्नलिखित चार सिंचाई स्कीमें प्रस्तावित की गई हैं:—

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	वार्षिक सिंचाई (हैक्टेयर में)	कृषि कमान क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	लिफ्ट सिंचाई स्कीम (चम्बल घाटी विकास)	1136	52247	39283
2.	बिलास स्कीम	275.20	2547	4813
3.	सावन भादों	418.88	4908	6962
4.	हिन्डलोट स्कीम	198.75	2227	2968

वार्षिक योजना (1980-81) पर हुए विचार-विमर्श के दौरान यह बताया गया था कि चम्बल लिफ्ट सिंचाई और बिलास सिंचाई स्कीम पर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिये गये है। राज्य सरकार की पंच वर्षीय योजना (1980-85) के प्रारूप के अनुसार सावन भादों और हिन्डलोट स्कीमों पर क्रमशः 1981-82 और 1982-83 में काम प्रारम्भ किये जाने की संभावना है।

राजस्थान में झालावाड़ तक 132 किलोवाट बिजली की लाइन डालना

4273. **श्री चतुर्भुज** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने झालावाड़ (राजस्थान) के मुख्यालय तक 132 के० वी० बिजली की लाइन डालने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक डाली जायेगी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि 132 के. वी. सिंगल सर्किट कोटा-मोदक-झालावाड़ लाइन निर्माणाधीन है। वर्तमान सूचना के अनुसार लाइन का कोटा-मोदक भाग 15 अगस्त, 1980 तक तथा मोदक-झालावाड़ भाग जून, 1981 तक पूरा हो जाएगा।

कोटा जिले में 132 किलोवाट की लाइन स्थापित करना

4274. **श्री चतुर्भुज** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला कोटा (राजस्थान) में बिजली की सप्लाई में सुधार करने हेतु वहां पर 132 किलोवाट बिजली की एक लाइन बिछाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन क्षेत्रों को बिजली मिलेगी और यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों को बिजली दी जायेगी:—

(1) कोटा
(2) सांगोद
(3) बारन
(4) अंटा
(5) कानवास, और
(6) रामगंज मंडी

राजस्थान के कोटा जिले में निम्नलिखित 132 के. वी. पारेषण लाइनें निर्मित की जा रही हैं :—

(1) कोटा-बूंदी
(2) कोटा-मोदक-झालावाड़
(3) सांगोद-बारन

उपर्युक्त तीन 132 के. वी. पारेषण लाइनों में से कोटा-बूंदी लाइन पूरी हो चुकी है। वर्तमान सूचना के अनुसार अन्य दो लाइनें जून, 1981 तक पूरी हो जाने का कार्यक्रम है।

दैनिक समाचार-पत्र और पत्रिकाएं

4275. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय भाषाओं में, अंग्रेजी सहित भाषा-वार कितने दैनिक समाचार-पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं;

(ख) उनके मन्त्रालय ने भारतीय भाषाओं में दैनिक और सांवधिक समाचार पत्रों के प्रकाशन में वृद्धि करने के लिए यदि कोई उपाय किए हैं, तो वे क्या हैं;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाशित समाचार-पत्रों के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा क्या नीति अपनाई गई है; और

(घ) विभिन्न श्रेणी के समाचार पत्रों के लिए अपनाई गई विज्ञापन नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) एक विस्तृत विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) सरकार लघु और मझोले समाचार पत्रों को जिनकी श्रेणी के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के अधिकांश समाचार पत्र आते हैं, सुविधाएं/रियायतें देती रही है । अधिकांश लघु और मझोले समाचार पत्र देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाशित होते हैं और वे सरकार द्वारा दिये जाने वाले लाभों/सेवाओं का उपयोग करते हैं । वर्तमान अखबारी कागज आवंटन नीति के अन्तर्गत लघु और मझोले समाचार पत्र अखबारी कागज की अपनी आरम्भिक हकदारी में क्रमशः 15% और 10% की बढ़ोत्तरी प्राप्त करेंगे । सरकार विज्ञापनों को देने के मामले में भी उपर्युक्त श्रेणियों के समाचारपत्रों को उपलक्ष धन (वेटेज) देती रही है । ऊपर बताई गई बातों के अतिरिक्त, हिन्दी समाचार पत्रों को साप्ताहिक समाचार समीक्षा, ग्रामीण पत्र सेवा (साप्ताहिक), कृषि पत्रिका, विज्ञान पत्रिका और संचार पत्रिका जैसी अनेक सेवाएं पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रदान की जा रही हैं । उपरोक्त उपाय/रियायतें भारतीय भाषाओं के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों के विकास को बढ़ावा देने में सहायक होंगी ।

(घ) विज्ञापन नीति का सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

विवरण

समाचारपत्रों की संख्या (भाषा और आवधिकता-वार), 1979

भाषा	दैनिक	त्रि-द्वि-साप्ताहिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	त्रैमासिक	अन्य आवधिकता	वार्षिक	कुल
अंग्रेजी	98	7	371	274	1,362	731	361	84	3,288
हिन्दी	333	26	2,112	704	1,149	203	65	18	4,610
असमिया	3	1	18	12	11	9	4	—	58
बंगला	32	7	340	179	404	214	77	6	1,259
गुजराती	38	3	163	86	316	40	21	7	674
कन्नड़	67	3	145	100	204	27	7	2	555
कश्मीरी	—	—	1	—	—	—	—	—	1
मलयालम	94	—	106	91	374	19	8	5	697
मराठी	110	13	309	80	328	65	28	51	984
उड़िया	10	—	30	19	112	27	4	3	205
पंजाबी	22	1	146	28	142	21	15	—	375
संस्कृत	2	—	3	1	10	10	3	—	29
सिन्धी	4	—	20	4	31	3	1	—	63
तमिल	75	3	115	138	400	16	7	1	755
तेलुगु	28	2	135	83	236	13	6	—	503
उर्दू	114	6	579	161	282	27	10	1	1,180
द्वि-भाषी	24	11	320	161	580	171	73	23	1,363
बहु-भाषी	6	1	64	32	150	50	24	7	334
अन्य	27	2	46	27	71	50	12	—	235
कुल :	1,087	86	5,023	2,180	6,162	1,696	726	208	17,168

राज्य सरकारों की ओर से ताप बिजली घर की स्थापना के लिए अनुरोध

4276. श्री निहाल सिंह : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों की ओर से अपने-अपने राज्यों में ताप बिजली घरों की स्थापना के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों में कब तक ताप बिजली घरों की स्थापना किये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) कुल 18438 मेगावाट क्षमता की 52 ताप विद्युत उत्पादन स्कीमें जो प्रत्येक राज्य में क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है, दिखाने वाला विवरण-1 संलग्न है। इन स्कीमों से 1980-85 की समयावधि के दौरान लगभग 15548 मेगावाट तथा 1985-90 की समयावधि के दौरान 2890 मेगावाट लाभ प्राप्त होने की आशा है। विभिन्न राज्यों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई ताप विद्युत उत्पादन स्कीमों की सूची विवरण-2 में संलग्न है। इन स्कीमों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन अभी पूरा नहीं हुआ है। कुल 3360 मेगावाट की ताप विद्युत स्कीमें, जो 1985-90 के दौरान लाभ देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दी गई हैं तथा जिन पर निवेश सम्बन्धी निर्णय अभी नहीं लिए गए हैं, संलग्न विवरण-3 में दिखाई गई हैं।

विवरण-1

राज्यों में निर्माणाधीन तथा अनुमोदित ताप विद्युत स्कीमों को तथा उन ताप विद्युत उत्पादन स्कीमों को दिखाने वाला विवरण जिनसे 1980-85 और 1985-90 की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त होने की आशा है।

राज्य	स्कीम का नाम	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	जोड़ी जाने वाली संभावित क्षमता, मेगावाट में	
			1980-85 के दौरान	1985-90 के दौरान
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
हरियाणा	फरीदाबाद विस्तार	1×60	60	—
	पानीप्रत चरण-दो	2×110	220	—
	पानीपत चरण-तीन	2×110	220	—
पंजाब	रोपड़	2×210	420	—

1	2	3	4	5
राजस्थान	कोटा	2×110	220	—
उत्तर प्रदेश	ओबरा विस्तार-3	2×200	400	—
	परीछा	2×110	220	—
	अनपारा 'ए'	3×210	630	—
	टाण्डा	4×110	220	220
केन्द्रीय क्षेत्र	बदरपुर 5वीं यूनिट	1×210	210	—
	सिंगरौली 1	3×210	630	—
	सिंगरौली 2	2×210+ 2×500	420	1000
	उप-जोड़	5090	3870	1220
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	उकई 5वीं यूनिट	1×210	210	—
	वानकबोरी	3×210	630	—
	वानकबोरी विस्तार	3×210	630	—
	लिगनाइट पर आधारित कच्छ	2×60	60	60
मध्य प्रदेश	सतपुड़ा 8वीं और 9वीं यूनिट	2×210	420	—
	कोरबा पूर्व	1×120	120	—
	कोरबा पश्चिम	2×210	420	—
	कोरबा पश्चिम विस्तार	2×210	210	210
महाराष्ट्र	नासिक चरण-तीन	1×210	210	—
	भुसावल	1×210	210	—
	पारली विस्तार	1×210	210	—
	चन्द्रपुर चरण-एक	2×210	420	—
	चन्द्रपुर चरण-दो	2×210	210	210
	ट्राम्बे	1×500	500	—
	कोराडी छठी और 7वीं यूनिट	2×210	420	—
	उरण गैस	4×60	240	—
केन्द्रीय क्षेत्र	कोरबा	3×210+ 1×500	1130	—
	उप-जोड़	6730	6250	480
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	1×210	210	—

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	तूतीकोरिन तीसरी यूनिट	1×210	210	—
कर्नाटक	रायचूर	2×210	420	—
केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली दूसरा माइन	3×210	630	—
	रामागुण्डम	3×210+ 1×500	630	500
	उप-जोड़	2600	2100	500
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	पतरातू 9वीं और 10वीं यूनिट	2×110	220	—
	बरौनी छठी और 7वीं यूनिट	2×110	220	—
	मुजफ्फरपुर	2×110	220	—
	तेनुघाट	2×210	—	420
दा० घा० नि०	दुर्गापुर चौथी यूनिट	1×210	210	—
	बोकारो 'बी'	1×210	210	—
उड़ीसा	तलचेर विस्तार	2×110	220	—
पश्चिम बंगाल	संथालडीह चौथी यूनिट	1×120	120	—
	बन्डेल विस्तार	1×210	210	—
	कोलाघाट	3×210	630	—
	डी. पी. एल. विस्तार	1×110	110	—
	सी. ई. एस. सी	4×60	240	—
केन्द्रीय क्षेत्र	फरक्का	3×210	420	210
	उप-जोड़	3660	3030	630
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
असम	बोंगाईगांव	2×60	120	—
	बोंगाईगांव विस्तार	2×60	60	60
	लकवा गैस	3×15	45	—
	नामरूप अवशेष ऊष्मा	1×22	22	—
	मोबाइल गैस	7×3	21	—
	चन्द्रपुर विस्तार	1×30	30	—
	उप-जोड़	358	298	60
	अखिल भारत जोड़	18438	15548	2890

विवरण-2

विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत उन ताप विद्युत उत्पादन स्कीमों को दिखाने वाला विवरण जिनका केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

राज्य	स्कीम का नाम	प्रस्तावित क्षमता (चरम क्षमता) मगावाट
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
हरियाणा	1. यमुना नगर	4×210 (1050)
पंजाब	1. भटिण्डा विस्तार चरण-तीन	2×210
उत्तर प्रदेश	1. अनपारा 'बी'	2×500
	2. अनपारा 'सी'	3×500
	3. दोहरीघाट	2×210 (3×210)
	4. परीछा विस्तार	2×210 (2×110+ 4×210)
	5 रोसा	3×210
	6. जवाहरपुर (एटा)	3×210
दिल्ली	1. डेसू गैस टरबाइन	2×30
	2. डेसू ताप विद्युत	2×110 (1060)
पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात	1. सिक्का और काण्डला प्रतिस्थापन यूनिटें — सिक्का	1×120
	काण्डला	1×60
	2. उत्रण प्रतिस्थापन यूनिटें	1×120
	3. गांधीनगर	1×210
	4. गैस पर आधारित महुवा	2×210
	5. पेठापुर	1×110
मध्य प्रदेश	1. विन्ध्याचल (सिंगरौली)	2×500 (3000)
	2. पेंच	2×210 (2000/2400)

1	2	3
महाराष्ट्र	1. उज्जैनी चरण-एक	2×500 (2000)
	2. पारली विस्तार	1×210
	3. पश्चिमी महाराष्ट्र (वी. एस. ई. एस. टी.)	2×210/1×500
	4. उरण गैस टरबाइन	4×60
	5. चन्द्रपुर चरण-तीन	1×500
केन्द्रीय क्षेत्र	1. कोरबा चरण-दो	2×500
दक्षिणी क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश	1. बद्राचलम	2×210 (1000)
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	1. कहलगांव	6×500
	2. रे	2×200+ 4×500
पश्चिम बंगाल	1. दुर्गापुर द्वितीय सोपान	2×110
	2. कोलाघाट विस्तार	3×210
	3. उत्तरी बंगाल	4×60
	4. गैस टरबाइन	1×20
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
असम	1. बोर्गोलाई	2×30 (4×30)
	2. लाकवा गैस टरबाइन	3×15
	3. लकवा गैस टरबाइन विस्तार	1×15
एन० ई० सी०	1. गारो हिल्स	4×30 (4×30+1×60)
नागालैण्ड	1. बोरजन	1×30
मिजोरम	1. गैस टरबाइन	2×2.5

विवरण-3

उन ताप विद्युत उत्पादन स्कीमों को दिखाने वाला विवरण जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दी गई हैं तथा जिन पर निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जाना है।

राज्य	स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
उत्तरी-क्षेत्र		
उत्तर प्रदेश	1. ऊंचाहार	2×210
राजस्थान	1. कोटा	2×210
	2. पालना लिगलाइट	2×60
	उप-जोड़	960
पश्चिमी क्षेत्र		
मध्य प्रदेश	1. बीरसिंहपुर	2×210
	उप-जोड़	420
दक्षिणी क्षेत्र		
तमिलनाडु	1. मेत्तूर	2×210
1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1. साउथ अण्डमान	2×5
	उप-जोड़	430
पूर्वी क्षेत्र		
दा० घा० नि०	1. बोकारो 'बी' विस्तार	2×210
पश्चिम बंगाल	1. कोलाघाट विस्तार	3×210
केन्द्रीय क्षेत्र	1. फरक्का	1×500
	उप-जोड़	1550
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		शून्य
	जोड़ : अखिल भारत	3360

टेलीविजन केन्द्र और आकाशवाणी में ड्राफ्टमैनों को सिलेक्शन ग्रेड दिया जाना

4277. **श्री उत्तम राव पाटिल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन केन्द्र और आकाशवाणी में कितने ड्राफ्टमैनों को पहिले ही सिलेक्शन गेड दिए गए हैं; और

(ख) उनको सिलेक्शन ग्रेड कब तक दिए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) कोई नहीं।

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के ड्राफ्टमैन फिलहाल सिलेक्शन ग्रेड के पात्र नहीं हैं।

राजस्थान में सिंचाई के लिए बाहर के राज्यों से पानी की सप्लाई

4278. **श्री चतुर्भुज :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान से बाहर उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जहां से राज्य को सिंचाई के लिये पानी मिलता है और प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी मात्रा में पानी मिलता है और तत्संबंधी शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या राजस्थान को अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं से समझौतों के अनुसार पानी की पूर्ण सप्लाई प्राप्त होती है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भविष्य में ऐसे समझौतों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत दिये जाने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) से (ग) राजस्थान मुख्यतः राजस्थान से बाहर स्थित दो परियोजनाओं नामशः भाखड़ा नंगल परियोजना और व्यास परियोजना से जल प्राप्त करता है।

अन्तर्राज्यिक परियोजनाओं से समय-समय पर उपलब्ध होने वाले जल में भागीदार राज्यों के हिस्से भाखड़ा व व्यास प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें सभी राज्यों का बराबर-बराबर प्रतिनिधित्व होता है। बोर्ड ने सूचित किया है कि राजस्थान ने सितम्बर, 1979 से मई, 1980 की अवधि के दौरान भाखड़ा नंगल परियोजना से अपने हिस्से से लगभग 6 प्रतिशत अधिक जल लिया, तथा इसी अवधि के दौरान व्यास परियोजना से अपने हिस्से से लगभग 8 प्रतिशत कम जल लिया। चूंकि भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड का उन सभी स्थलों पर वास्तविक नियंत्रण नहीं है जहां से राजस्थान को जल की सप्लाई की जाती है, बोर्ड निम्न नदी तटीय राज्यों को उनके अपने-अपने हिस्से के अनुसार जल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ऊपरी नदी तटीय राज्यों से सहयोग का अनुरोध करता रहा है। केन्द्रीय सरकार ने बोर्ड द्वारा निर्धारित जल के हिस्सों की सम्बन्धित राज्यों द्वारा सप्लाई सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया है।

इन्डेन वितरकों की संख्या

4279. **श्री वी० एन० गाडकिल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राज्यों में इन्डेन वितरकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) कितने इन्डेन वितरक 1000 से कम सिलेण्डर बेचते हैं और कितने 1000 से 2000 तक प्रति मास बेचते हैं;

(ग) क्या उनको तत्काल अधिकतम स्तर तक लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 31.3.1980 को देश में इंडेन की वितरण एजेन्सियों की संख्या 460 थी।

(ख) जो इंडेन वितरक प्रतिमाह एक हजार से कम सिलेंडरों का विक्रय करते हैं उनकी संख्या 102 है और प्रति माह 1000-2000 सिलेंडर विक्रय करने वाले वितरकों की संख्या 136 है।

(ग) और (घ) तेल उद्योग में कहा गया है कि जहां कहीं व्यवहारीय है वर्तमान वितरण एजेंसियों का पुर्नगठन करके इन वितरण एजेंसियों को अधिकतम लाभदायक स्तर तक लाया जाए। परन्तु इन वितरकों को और अधिक नये कनेक्शन रिलीज करना तभी सम्भव होगा जब 'यूरान फेक्नेशन यूनिट तथा अन्य साधनों से अतिरिक्त गैस उपलब्ध होगी।

मिट्टी के तेल से जलने वाले 'नूतन' स्टोव का विनिर्माण

4280. श्री वी० एन० गाडगिल : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल से जलने वाले नूतन, स्टोव की बिक्री सभी राज्यों में हो रही है;

(ख) यदि नहीं, तो यह किन-किन स्थानों पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है;

(ग) इन स्टोवों का विनिर्माण कितनी कम्पनियां कर रही हैं; और

(घ) क्या किसी खाना पकाने को गैस के वितरक संगठन से नूतन स्टोव के विनिर्माण विक्रय करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) सीमित उपलब्धता के कारण इन स्टोवों का विपणन केवल समस्त दिल्ली, असम, अरुणाचल प्रदेश, चंड़ीगढ़, हरियाणा, मणीपुर, मेघालय, मीजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में किया जाता है।

(ग) इस समय केवल दो कम्पनियां इन स्टोवों का उत्पादन करती हैं। देश में मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन अधिकतम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली, देश के विभिन्न भागों में सरकार की नीति के अनुसार छोटे पैमाने के क्षेत्र में इन स्टोवों का उत्पादन करने के लिए कई यूनिटों की स्थापना कर रहा है।

(घ) इंडियन आयल कारपोरेशन को किसी ऐसे अनुरोध की जानकारी नहीं है, परन्तु तरल पेट्रोलियम गैस के वितरक अनुमोदित मार्केट में नूतन स्टोवों का विक्रय करने के लिए अधिकृत है।

एल० पी० जी० रिफिल की बिक्री की अधिकतम सीमा

4281. **श्री वी० एन० गाडगिल :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० पी० जी० वितरकों द्वारा एल० पी० जी० रिफिल की बिक्री के सम्बन्ध में कोई अधिकतम सीमा निश्चित है और यदि हां, तो विभिन्न नगरों और कस्बों के लिए कितनी-कितनी सीमा निर्धारित है और किन आधारों पर यह नियत की गई है;

(ख) ऐसे कौन-कौन से वितरक हैं जो अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं और अन्य वितरकों को कब तक अधिकतम सीमा के स्तर तक लाया जा रहा है; और

(ग) क्या एल० पी० जी० वितरक फेडरेशन की ओर से अधिकतम सीमा में संशोधन करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) विभिन्न क्षेत्रों में कार्य परिस्थितियों तथा प्रचिया की लागत को ध्यान में रखते हुए सिलेण्डरों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है जो कि एक वितरक प्रति मास हैंडल कर सकते हैं, वह निम्न प्रकार है :—

मार्केट	प्रतिमास सिलेण्डरों की संख्या
बम्बई	6000
दिल्ली	4000
10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अन्य शहर	3500
2 लाख से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहर	3000
अन्य स्थान	2500

सहकारी समितियों को उपरोक्त सीमाओं से छूट दी गई है।

(ख) बताया गया है कि तरल पेट्रोलियम गैस के वितरक/उप-वितरक जो उपरोक्त अधिकतम सीमा तक पहुंच गये हैं, उनकी संख्या 120 है। शेष वितरकों को उपरोक्त सीमा तक लाने के लिए अतिरिक्त नये गैस कनेक्शन देना केवल तभी सम्भव होगा जब इस उत्पाद की उपलब्धता की स्थिति में सुधार होगा।

(ग) जी, हां। यह विचाराधीन है।

खाना पकाने की गैस के वितरकों के क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाना

4282. **श्री वी० एन० गाडगिल :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किफायती और कुशल वितरण प्रणाली के लिए खाना पकाने की गैस के वितरकों के क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में खाना पकाने की गैस के वितरकों द्वारा तेल कंपनियों को कोई अभ्यावेदन दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तेल कंपनियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या भारतीय तेल निगम ने किसी वितरक को अनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अपने शो रूमों से असंबद्ध क्षेत्रों में ग्राहकों के नाम दर्ज करने का काम करने की अनुमति दी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तरल पेट्रोलियम गैस के वितरकों के क्षेत्रों को सुव्यवस्थित करना एक लगातार प्रक्रिया है। नये वितरकों की नियुक्ति के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रों का समायोजन किया जाता है ताकि वितरण एजेंसियां किफायती और कुशलतापूर्वक काम कर सकें।

(ख) और (ग) अभ्यावेदन प्राप्त किये जाते हैं और तेल कम्पनियों द्वारा उन पर उपचारी कार्रवाई करने के लिए यथा विचार किया जाता है।

(घ) एल. पी. जी. के वितरणकर्ताओं का कार्यक्षेत्र उनके पत्र में निश्चित किये जाते हैं। परन्तु विशेष मामलों में उनके मूल विपणन क्षेत्रों की क्षमता कम होने के कारण, उनका कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाता है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में सहकारी समितियों को कुकिंग गैस की एजेंसियों का आवंटन

4283. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश और बिहार में जिन एजेंसियों/सहकारी समितियों को कुकिंग गैस की एजेंसियां दी गई थी उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उनको कुकिंग गैस की एजेंसियां स्वीकृत करने का क्या मानदंड अपनाया गया था; और

(ग) कुकिंग गैस की एजेंसियों का आवंटन करने हेतु कितने आवेदन-पत्रों को रद्द कर दिया गया था तथा उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उत्तर प्रदेश और बिहार में गत तीन वर्षों में जिन सहकारी समितियों को खाना पकाने वाली गैस एजेंसियां दी गई थीं उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

उत्तर प्रदेश :

1. उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड
2. आर. डी. एस. ओ. उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड

बिहार :

कोई नहीं ।

(ख) उस समय लागू नीति के अनुसार सभी एजेन्सियों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए और 2 प्रतिशत शारीरिक दृष्टि से अपांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित था । शेष 73 प्रतिशत एजेंसियां व्यापारिक आधार पर दी जाती थी और वास्तविक तथा कार्यकुशल उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा कृषि उद्योग निगमों आदि को प्राथमिकता दी जाती थी । सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रचलित समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के पश्चात सभी नियुक्तियां की जाती थी तथा प्रत्याशियों का चयन सम्बद्ध तेल कम्पनियों द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा किया जाता था । परन्तु सरकारी प्रतिष्ठानों में बिना विज्ञापन दिये एजेंसियां दी जा सकती हैं यदि ऐसी एजेंसियां इन प्रतिष्ठानों द्वारा विभागीय तौर पर चलाई जाती हैं ।

(ग) ऐसी एजेंसियों के लिए बड़ी संख्या में लोग आवेदन-पत्र भेजते हैं और इन आवेदन-पत्रों का पूरा रिकार्ड तुरंत उपलब्ध नहीं है । प्रत्याशियों में से एजेन्ट का चयन पूरा होने पर शेष आवेदन पत्रों को रद्द किया गया माना जाता है ।

उत्तर प्रदेश में पम्प नहरों द्वारा सिंचाई के बारे में केंद्रीय दल द्वारा नियंत्रण

4284. **श्री जैनुल बशर :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पम्प नहरों द्वारा सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक कितनी राशि दी गई हैं;

(ख) क्या किसी केन्द्रीय दल ने गर्मी के मौसम में और ऐसे समय में जब नदियों में पानी न हो इन पम्प नहरों द्वारा पानी देने के लिए किए जाने वाले प्रबन्धों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) इस सर्वेक्षण के अनुसरण में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और तैयार हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में पेट्रो-रसायन समूह के लिये आशय-पत्र जारी करना

4285. **श्री अमर सिंह वी० राठवा**
श्री आर० पी० गायकवाड़ } : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने बम्बई हाई की गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन समूह के लिए गुजरात राज्य पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड को आशयपत्र देने हेतु कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार को इस समूह के स्वामित्व के बारे में निर्णय अभी लेना है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति नियम

4286. **श्री राम विलास पासवान** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए बनाये गये नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वे नियम केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गये नियमों पर आधारित हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति नीति परस्पर वरीयता एवं गुणों पर आधारित है। इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों/अनुदेशों का कम्पनी पालन करती है।

कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग के लिए परस्पर वरीयता एवं गुणों के आधार पर सरकार के निर्देशों/अनुदेशों का पालन करते हुए विचार सीमा में आने वाले कर्मचारियों में से पदोन्नति के लिए एक चयन सूची तैयार की जाती है। जैसाकि सरकार के अनुदेशों के अनुसार आवश्यक है, कम्पनी श्रेणी—I के पदों से लेकर न्यूनतम स्तर तक सभी पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के लिए 40 प्वाइंट रोस्टर रखती है।

(ख) जैसाकि उपरोक्त (क) में बताया गया है पदोन्नति के लिए अन्य बातों के साथ साथ कम्पनी सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों/अनुदेशों का पालन करती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पेट्रोल पम्पों, एल. पी. गैस एजेंसियों और मिट्टी के तेल के डिपुओं का आवंटन

4287. **श्री एच० पी० नन्जे गौडा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पम्प एल. पी. गैस एजेंसी और मिट्टी के तेल के डिपो आदि आवंटित किए गए; और

(ख) क्या तेल-कम्पनियों में कुछ ऐसी तथाकथित समितियां हैं जो इन मामलों के बारे में निर्णय लेती है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) आरक्षण नीति के प्रारम्भ (अर्थात् 'बी' स्थल के फुटकर पम्पों को छोड़कर आई. ओ. सी. के लिए 1.1.1974 से और सभी तेल कम्पनियों के लिए 23.9.1977 से) से तेल कम्पनियों द्वारा 31 मार्च, 1980 तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को 108 फुटकर पेट्रोल पम्प, 47 एल. पी. जी. की एजेन्सियां 96 एस. के. ओ./एल. डी. ओ. की एजेन्सियां दी गई थी।

(ख) डीलरों का चयन निर्धारित नीति के अनुसार यथा गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है और प्रत्येक डीलरशिप/एजेन्सी के लिए अलग समिति गठित की जाती है।

खदानों में काम करने वालों को बीमा योजना के अन्तर्गत लाना

4288. श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में काम करने वाले कितने मजदूरों को 1 मई, 1980 तक किसी बीमा योजना के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) क्या खानों में होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए खानों में काम करने वालों के जीवन का विशेष रूप से बीमा करने की आवश्यकता नहीं है;

(ग) क्या इस दिशा में अभी बहुत कम प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भारत कोकिंग कोल लि० के सभी मजदूरी बोर्ड कर्मचारी, 1-1-1979 से लागू हुए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-II के अनुसार लाइफ कवर योजना के सदस्य हैं। इनमें खनिक भी शामिल हैं।

(ख) से (घ) पहले से ही लागू लाइफ कवर योजना के अतिरिक्त खनिकों के लिए कोई अन्य, दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने का कोई विचार नहीं है।

कोयले के संबंध में समान मूल्य नीति

4289. श्री चित्त बसु : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार कोयले के सम्बन्ध में समान मूल्य नीति लागू करने के लिये सरकार से बार-बार अनुरोध करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औषध उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता

4290. श्री मनकूल सिंह चौधरी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में पेनीसिलीन सल्फाडाइमाइडाईन एनलजीन और एसप्रीन जैसी औषधों के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और वास्तविक रूप में कितना उत्पादन हो रहा है; और

(ख) इस अन्तर के क्या कारण हैं और इन महत्वतूर्ण औषधों के उत्पादन की कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकारी क्षेत्र में पेनासिलिन, सल्फाडीमीडीन और एनलजिन के उत्पादन की स्थापित क्षमता और वर्ष 1979-80 के दौरान उत्पादन निम्न प्रकार दिये जाते हैं :

मद	स्थापित क्षमता	उत्पादन 1979-80	उपभोग का प्रतिशत
पेंसिलिन (एम. एम. यू.)	189	159.25	84.3
सल्फाडीमीडीन (टन)	600	513.44	85.6
एनलजिन (टन)	400	346.90	86.7

सरकारी क्षेत्र में एस्पिरिन का उत्पादम नहीं किया जाता है ।

(ख) इन औषधों के बारे में क्षमता उपभोग सन्तोषजनक है । सरकारी क्षेत्र के यूनिट अपनी पेनसिलिन की क्षमता का विस्तार कर रहे हैं जिससे देश में बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके ।

सरकारी क्षेत्र में औषधियों का निर्माण

4291. श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1978-79 के चार वर्षों के दौरान भारत में औषधियों के कुल निर्माण में सरकारी क्षेत्र औषध उद्योग का कितना हिस्सा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र औषध उद्योग के उत्पादन में हिस्से में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकारी क्षेत्र इकाइयों में औषधों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पिछले चार वर्षों के दौरान बल्क औषधों और फार्मूलेशनों में सरकारी क्षेत्र के औषध उद्योग का अंश निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपये)

	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
बल्क औषध उत्पादन				
सरकारी क्षेत्र	43	48	47	49
योग	130	150	164	200
फार्मूलेशन उत्पादन				
सरकारी क्षेत्र	35	47	53	60
योग	560	700	900	1050

(ख) और (ग) यद्यपि सरकारी क्षेत्र के उत्पादन में सुधार हुआ है, कुल उत्पादन में उनकी मात्रा में गिरावट आई है चूंकि भारतीय प्राइवेट क्षेत्रीय कम्पनियों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

वर्तमान उत्पादक यूनिटों में कुछ विस्तार में कुछ विस्तार प्रायोजनाएं कार्यान्वित नहीं हैं और वर्ष 1980-81 के दौरान चालू होने की आशा है। इसके बाद सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है।

लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण

4292. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की अनिश्चितता की स्थिति को देखते हुए बड़े पैमाने पर लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और सिंचाई क्षमता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो देश की सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) सिंचित क्षेत्र को भूगत जल के उपयोग सहित विभिन्न उपायों जैसे वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

(ख) जून, 1980 तक सृजित 57 मिलियन हेक्टेयर क्षमता की तुलना में सिंचाई क्षमता को 2000 ई० तक 110 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने का सरकार का प्रस्ताव है।

नर्मदा मुख्य नहर में नौवहन

4293. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री अमरसिंह वी० राठवा } : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नर्मदा मुख्य नहर में नौवहन' परियोजना का निर्माण करने का कोई विचार है;

(ख) क्या नर्मदा मुख्य नहर के निर्माण के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) इस नहर का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और यह नहर नौवहन के लिये कब खोल दी जायेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) नर्मदा मुख्य नहर में अहमदाबाद तक नौचालन की सम्भाव्यता और व्यावहारिता की जांच तकनीकी-आर्थिक आधार पर की जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) अनुमान है कि काम शुरू हो जाने के बाद, नौचालन के बिना मुख्य नहर अहमदाबाद तक सात वर्षों की अवधि में बन कर तैयार हो जायेगी। लेकिन नौचालन के लिए इसके पूरा

होने और खुलने की अवधि का पता, नौचालन के प्रस्ताव की सम्भाव्यता और व्यावहारिकता सिद्ध होने के बाद ही लगेगा।

गुजरात के विद्युत संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता

4294. श्री डी० पी० जदेजा
श्री अमरसिंह वी० राठवा } : क्या ऊर्जा तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य को विद्युत की दैनिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि विद्युत का दैनिक उत्पादन आवश्यकता से बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो आवश्यकता की पूर्ति हेतु इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) गुजरात की कुल सकल अप्रतिबन्धित आवश्यकता 1300 मेगावाट तथा प्रतिदिन (औसतन) 22 मिलियन यूनिट है।

(ख) और (ग) तारापुर न्यूक्लीय संयंत्र से गुजरात के हिस्से सहित विद्युत की वर्तमान उपलब्धता लगभग 21 से 22 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। तथापि, ताप विद्युत सेटों को जबरन बन्दी के कारण अथवा घुवारण ताप विद्युत केन्द्र के लिए अवशिष्ट ईंधन तेल की अथवा अन्य ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में गड़बड़ी के कारण यदि विद्युत उत्पादन में कमी हो जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है तो राज्य को विद्युत के उपभोग में प्रतिबन्धों का सहारा लेना पड़ता है। गुजरात के ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की तथा अवशिष्ट ईंधन तेल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

सिंचाई कुओं को बिजली से चलाने के लिए गिरिडीह जिले के जमुआ डिवीजन का विद्युतीकरण

4295. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक चौड़ाई वाले सिंचाई कुओं की संख्या गिरिडीह जिले के जमुआ डिवीजन में सबसे अधिक है और इस डिवीजन के किसान भारी मात्रा में गेहूं और आलू उगाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद इस डिवीजन का विद्युतीकरण करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष विद्युतीकरण के लिए इस क्षेत्र को सम्मिलित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो विद्युतीकरण योजना में इस डिवीजन के साथ अन्य कौन से डिवीजन शामिल करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार की जाती है और उन्हीं के द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। राज्य बिजली बोर्डों द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को प्रायोजित की गई तकनीकी तौर पर व्यवहार्य और वित्तीय तौर पर जीवनक्षम ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए निगम द्वारा अतिरिक्त ऋण सहायता दी जाती है। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रभाग की कोई भी ग्राम विद्युतीकरण स्कीम इस समय निगम के पास वित्तीय स्वीकृति के लिए विचाराधीन नहीं पड़ी है। राज्य बिजली बोर्ड द्वारा जब भी कोई उपयुक्त स्कीम प्रायोजित की जाएगी तब यदि वह स्कीम तकनीकी तौर पर व्यवहार्य और वित्तीय तौर पर जीवनक्षम पाई गई तो वित्तीय स्वीकृति के लिए निगम द्वारा उस पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित मुकदमों के लिए गैर सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति

4296. श्री मूलचन्द डागा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में ऐसे कुल कितने मुकदमे लम्बित हैं जिनके लिये सर अधिवक्ताओं को छोड़कर अन्य अधिवक्ता नियुक्त किये गये हैं और जो इन मुकदमों में कर रहे हैं; और

(ख) मुकदमें-वार उनको कितना शुल्क दिया गया है तथा वे मुकदमें किस प्रकार और उनको अभी कितनी शुल्क राशि दी जाती है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) केन्द्रीय सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों के संचालन के लिए विभिन्न प्रवर्गों के अधिवक्ताओं की नियुक्ति करती है अर्थात् विधि अधिकारी, वरिष्ठ स्थायी काउन्सेल, कनिष्ठ स्थायी काउन्सेल, रिटेनर देकर या उसके बिना तथा पेनल अधिवक्ता। ऐसे 54 सरकारी अधिवक्ता हैं जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनिवार्यतः नियुक्त किए जाते हैं। उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई मामला लम्बित नहीं है जिसके लिए उपरोक्त सरकारी अधिवक्ताओं से भिन्न अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के मूल अनुमानों में वृद्धि

4297. श्री पी० के० कोडियान : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के मूल अनुमानों में इन वर्षों में निर्माण सामग्री की लागत और परिवहन लागत बढ़ जाने के कारण वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण लागत में वृद्धि का प्रभाव चल रही किन परियोजनाओं पर पड़ा है और इन परियोजनाओं के मूल अनुमान क्या थे ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) बृहद सिंचाई परियोजनाओं की लागत में बढ़ोतरी के कुछ कारण हाल के वर्षों में निर्माण-सामग्री और ढुलाई की लागत में वृद्धि होना है।

(ख) इस समय लगभग 150 निर्माणाधीन बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न राज्यों की कुछ निर्माणाधीन परियोजनाएं दी गई हैं जिन पर लागत में हुई वृद्धि का प्रभाव पड़ा है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	मूल अनुमानित लागत/वर्ष	राज्य सरकार द्वारा सूचित की गई लागत		अभ्युक्ति
			1977	1980	
1	2	3	4	5	6
		(करोड़ रुपये)			
आंध्र प्रदेश					
1.	नागार्जुनसागर	163.54	312.48	533.00	
		1959			
2.	सोमसिला चरण-एक	17.20	33.00	59.85	
		1973			
3.	वमसधारा चरण-एक	8.73	18.29	30.43	
		1972			
बिहार					
4.	गंडक	36.56	371.78	415.89	
		पहली योजना			
5.	दुर्गावती जलाशय	25.30	25.30	50.00	
		1975			
6.	कोसी बराज पूर्वी नहर	24.81	127.05	191.70	
		पहली योजना			
7.	राजपुर नहर	4.67	15.70	20.17	
		1961			

1.	2	3	4	5	6
8.	पश्चिमी कोसी नहर	41.97	136.50	161.80	
		1972			
गुजरात					
9.	दमनगंगा	24.40	47.00	96.64	
		1972			
10.	सिखी	23.11	23.11	34.29	
		1977			
जम्मू और कश्मीर					
11.	रावी नहर	29.84	41.40	46.00	
		1973			
कर्नाटक					
12.	मालाप्रभा	19.19	152.68	162.09	
		1963			
13.	अपर कृष्णा चरण-एक	58.20	283.65	400.00	
		1963	(कार्यक्षेत्र संशोधित)		
केरल					
14.	कल्लाडा	13.28	88.30	176.00	
		1966			
15.	पझास्सी	14.80	25.50	42.00	
		1975			
मध्य प्रदेश					
16.	हसदेव बराज (सिंचाई)	115.30	135.00	245.20	
		1977			
17.	महानदी जलाशय चरण-एक	15.34	40.02	45.00	
		1960			
18.	तवा	20.24	91.42	93.02	
		1960			

1	2	3	4	5	6
	महाराष्ट्र				
19.	भीमा	37.77	139.30	185.00	
		1965			
20.	जयवंडी चरण-एक	28.46	113.58	136.50	
		1965			
21.	कृष्णा	27.66	71.31	116.00	
		1966			
22.	कुकाडी	17.90	120.38	185.00	
		1968			
23.	पंच सिचाई	40.69	40.69	83.49	
		1977			
24.	सिरिया	19.35	25.74	41.89	
		1975			
25.	अपर पेनगंगा	84.48	128.88	170.15	
		1976			
	पंजाब				
26.	शाहमैहर नहर का विस्तार और सुधार	10.63	10.63	22.00	
		1978			
	राजस्थान				
27.	जाखम	11.84	17 70	31.84	
		1973			
28.	माही बजाजसागर (बांध)	22.93	27.09	58.92	
		1971			
29.	राजस्थान नहर चरण-एक	110.30	176.00	206.00	
		1970			
30.	राजस्थान नहर चरण-दो	155.00	215.46	उपलब्ध नहीं	
		1972			

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु					
31.	पेरियर प्रणाली का सुधार	14.55	32.03	69.00	
		1976			
उत्तर प्रदेश					
32.	मध्य गंगा नहर	66.01	66.01	106.00	
		1976			
33.	शारदा सहायक	164.84	199.87	314.85	
		1968			
पश्चिम बंगाल					
34.	कंसवती	25.26	65.87	72.00	
		1961			

परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होने के कारण निम्नलिखित हैं :

1. सामग्री के मूल्य और मजदूरी में वृद्धि ।
2. अपर्याप्त अन्वेषण ।
3. अपर्याप्त वार्षिक वित्तीय व्यवस्था ।
4. परियोजनाओं के स्कोप में परिवर्तन ।
5. निर्माण के दौरान अभिकल्प में आवश्यक परिवर्तन ।
6. भूमि अभिग्रहण की दरों में वृद्धि; और
7. उदार पुनर्वास उपायों की आवश्यकता, आदि ।

दक्षिण अफ्रीका में दिखाई गई भारतीय फिल्में

4298. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं कि काफी संख्या में भारतीय फिल्में दक्षिण अफ्रीका में भेज दी जाती हैं और कुछ फिल्में तो अपने देश में प्रदर्शन की अनुमति मिलने से पूर्व ही वहां भेज दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान पकड़े गये ऐसे मामलों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राममुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार के पास ऐसी कोई प्रमाणित सूचना नहीं है कि कई भारतीय फिल्में भारत में प्रदर्शन की अनुमति मिलने से पहले ही दक्षिण अफ्रीका में भेज दी जाती हैं ।

कोयला खानों में हड़ताल और तालाबंदी

4299. श्री चिन्तामणि जेना : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जिन कोयला खानों में हड़तालें और तालाबन्दियां हुई हैं उनका कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में कितने कर्मचारी शामिल थे;

(ख) इन हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण वर्ष-वार और कम्पनी-वार कितने श्रम दिवसों की हानि हुई है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विभिन्न कोयला कम्पनियों में पिछले तीन वर्षों में हुई हडतालों की संख्या निम्नलिखित थी :--

	ई.को. लि.	भा.को.को. लि.	से.को. लि.	वे.को. लि.	ना.ई.को.
1977	121	91	58	69	1
1978	300	139	92	92	–
1979	264	178	73	111	1

तालाबन्दी केवल एक हुई जो भा. को. को. लि. की अमलाबाद कोलियरी में अप्रैल, 1978 में हुई थी।

(ख) इन हड़तालों में हुई कार्य दिवसों की हानि के कम्पनीवार आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

	ई.को. लि.	भा.को.को. लि.	से.को. लि.	वे.को. लि.	ना.ई.को.
1977	74,163	114,629	24,149	102,253	390
1978	227,685	331,573	36,249	105,675	—
1979	349,992	322,394	128,245	326,863	4,282

(ग) कोयला कम्पनियों में औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) जो ट्रेड यूनियनें केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और श्रम संगठनों से सम्बद्ध हैं उनके साथ यूनिट स्तर पर और सब एरिया स्तर पर तथा कम्पनी के मुख्यालय में भी नियमित रूप से द्विपक्षीय समन्वय बैठकें की जाती हैं।

(2) जिन मामलों में यूनियन और प्रबन्ध मण्डल के बीच वार्ता में गतिरोध हो जाता है उनमें केन्द्रीय श्रम सम्बन्धी मशीनरी की सहायता ली जाती है। कुछ मामलों में मध्यस्थता करवाने के लिए भी सहमति हो जाती है।

(3) एरिया कार्यालयों को इस आशय के कड़े अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि कामगारों और यूनियनों की उचित शिकायतों और मांगों पर तुरन्त ध्यान दिया जाए।

(4) यदि किसी विवाद की आशंका होती है तो संबद्ध समस्याओं को सबसे निचले स्तर पर ही तुरन्त हल कर लेने के लिए प्रयास किये जाते हैं।

कुप्रबन्ध वाली कम्पनियां

4300. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कम्पनियों अथवा औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है जिन्हें पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष मालिकों के कु-प्रबन्ध का शिकार पाया गया है;

(ख) ऐसे कु-प्रबन्ध वाले प्रत्येक औद्योगिक एकक में प्रतिवर्ष कितनी हानि हुई है; और

(ग) उक्त कु-प्रबन्ध वाले औद्योगिक एककों के कार्यकरण में सुधार लाने के विचार से उनकी प्रबन्ध व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) कम्पनी के कार्यकलापों के, इसके सदस्यों के लिए उत्पीड़नकारी ढंग से चलाने अथवा इसके स्वयं के हितों या जनहित के विरुद्ध संचालन करने से रोकने की दृष्टि से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत सरकारी मनोनीत निदेशक, गत तीन कलेन्डर वर्षों के मध्य, 1977 में चार कम्पनियों तथा 1979 में तीन कम्पनियों में, नियुक्त किये गये हैं। इन कम्पनियों द्वारा उठाई गई वर्ष-अनुसार हानियों के आंकड़े शीघ्रतः उपलब्ध नहीं हैं।

इन सातों कम्पनियों में से, केवल चार कम्पनियों के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नियुक्त किये गये निदेशकों का बहुमत है।

औद्योगिक एककों के प्रबन्धकों, "ग्रहण करने" का मामला, उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रशासित उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 की सीमान्तर्गत आता है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

4301. **श्री बलीप सिंह भूरिया** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 1980 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कितने मामले (आपराधिक, सिविल और निर्वाचन संबंधी रिट अर्जियां) लम्बित थे और इन लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31-12-1979 तक उस उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

(1)	आपराधिक	7,899
(2)	सिविल (निर्वाचन अर्जियों को छोड़कर)	19,796
(3)	निर्वाचन अर्जियां	1

30 जून, 1980 तक की अपेक्षित जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए पिछले कुछ समय से जो उपाय किये गए हैं या किये जा रहे हैं, उनको दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मामलों को शीघ्र निपटाने और इस प्रकार लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं या किए जा रहे हैं :—

(i) उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण और लेटर्स पेटेंट संबंधी अधिकारिता समाप्त करने की और द्वितीय अपीलों को उन्हीं मामलों तक, जिनमें उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि उस मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अन्तर्वलित है, निर्बन्धित करने की दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन 1976 में किया गया था।

(ii) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित एक नई दण्ड प्रक्रिया संहिता का 1973 में अधिनियमन किया गया और 1978 में उसका संशोधन किया गया।

(iii) 1-4-1977 से आरम्भ होने वाली पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के छः और पद उस तारीख से सृजित किये गये जिस तारीख को वे भरे जाते हैं।

(iv) रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(v) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह सूचना दी है कि :—

(क) उच्च न्यायालय ने बहुत बड़ी संख्या में दाण्डिक अपीलों का शीघ्र निपटान करने के लिए 1978 और 1979 के ग्रीष्म अवकाश का उपयोग किया।

(ख) उच्च न्यायालय नियमों में संशोधन कर दिए गए हैं जिससे कि बहुत से ऐसे मामले जो पहले दो न्यायाधीशों की खण्ड न्यायपीठ द्वारा सुने और विनिश्चित किए जाएंगे;

(ग) एक ही प्रकार के मामले या जिनमें समान प्रश्न अन्तर्वलित है एस-साथ मिलाए जा रहे हैं जिससे कि एक ही निर्णय से उस पूरे ग्रुप के मामलों का निपटारा हो जाए;

(घ) उच्च न्यायालय मामलों के शीघ्र निपटाए जाने के लिए उपयुक्त मामलों में पेपर बुकों का मुद्रण नहीं करवा रहा है।

(ङ) पुराने मामलों को निपटाने के लिए समय-समय पर न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान से न्यायपीठ न्यायालयों में भेजा जा रहा है।

(च) उच्च न्यायालय जेल अपीलों के निपटारे को सर्वाधिक पूर्विकता दे रहा है।

मध्य प्रदेश में कुकिंग गैस एजेंसियां

4302. श्री दलीप सिंह भूरिया : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कुकिंग गैस एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ख) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को कितनी कुकिंग गैस एजेंसियां दी गई हैं और निकट भविष्य में उन्हें कितनी एजेंसियां दिये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मध्य प्रदेश में खाना पकाने वाली गैस के वितरकों के नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) उस समय लागू नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए किसी अलग आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। परन्तु हाल ही में तैयार की गई संशोधित नीति के अनुसार एजेंसियों/डीलरशिपों के दिए जाने के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 25% के मिले जुले आरक्षित कोटे के अन्दर अनुसूचित जनजातियों को अनुपाततः एजेंसियां दिये जाने की व्यवस्था है।

विवरण

मध्य प्रदेश में एल. पी. जी. वितरकों की सूची

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई. ओ. सी.)

क्र० सं०	वितरक का नाम
1.	आटो हाउस, भोपाल
2.	डावर ब्रदर्स, भोपाल
3.	जे. जे गैस सर्विस, भोपाल
4.	लंगर ट्रेडिंग कार्पोरेशन, उज्जैन
5.	बसंत गैस सर्विस, इन्दौर
6.	गैस-ओ-इण्डेन, इन्दौर
7.	ललित गैस सर्विस, रतलाम
8.	जैदका गैस सर्विस, सागर
9.	गैस-ओ-म्हो, म्हो
10.	सत्यशील गैस सर्विस, दमोह
11.	गोल्डन गैस सर्विस, नागदा
12.	अजय गैस सर्विस, होशंगाबाद (निलम्बित है)
13.	ग्वालियर गैस सर्विस, ग्वालियर
14.	ग्वालियर होल सेल कन्ज्यू. को-आप. स्टोर्स लि., ग्वालियर

क्र० सं०	वितरक का नाम
15.	लक्ष्मी गैस सर्विस, ग्वालियर
16.	मरुत गैस एजेंसी, रायपुर
17.	अरविन्द गैस एजेंसी, भिलाई
18.	डी. पी. गैस सर्विस, सतना
19.	पनवार एन्टरप्राइजेज, रीवा
20.	चौधरी मलिक एन्टरप्राइजेज, जबलपुर
21.	वघीलस गैस सर्विस, जबलपुर
22.	बालाजी गैस कम्पनी, बिलासपुर

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन (बी. पी. सी.)

23.	भोपाल गैस सर्विस, भोपाल
24.	ब्लू फ्लेम गैस सर्विस, भोपाल
25.	मोदी गैस सर्विस, इन्दौर
26.	अनुपम गैस सर्विस, उज्जैन

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन (एच. पी. सी.)

27.	परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि०, धमतरी
28.	परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि., रायपुर
29.	परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि., भिलाई
30.	परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि., राजनन्दगांव
31.	परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि., बिलासपुर
32.	परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि., जगदलपुर
33.	परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि., दुर्ग
34.	जोहर एन्टरप्राइजेज, जेपुर
35.	जोहर एन्टरप्राइजेज, कटनी
36.	महाकौशल केसोलीन एन्टरप्राइजेज, आहलपुर
37.	नाहर एजाइज एजेंसीज, छिंदवाड़ा
38.	नाहर एजाइज एजेंसीज, स्योनी
39.	बी. एस. एण्ड सर्विसेज प्रा. लि०, भोपाल
40.	फिनिक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि०, भोपाल
41.	बरहनपुर गैस सप्लाई कम्पनी, बरहनपुर
42.	तोपरानी गैस एजेंसी, देवास
43.	धार गैस कम्पनी, धार
44.	इन्दौर गैस कम्पनी, इन्दौर
45.	सुपर सेल्स कार्पोरेशन, इन्दौर
46.	जबलपुर गैस कम्पनी, जबलपुर

क्र० सं०	वितरक का नाम
47.	दि नेचुरल गैस कम्पनी प्रा. लि., अनूपपुर
48.	रतलाम गैस कम्पनी, रतलाम
49.	फिनिक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि., सागर
50.	दि नेचुरल गैस कं. प्रा., लि., उज्जैन
51.	अतुल उद्योग भवन, विदिशा
52.	परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि., रायपुर (उप-एजेंट)
53.	सुनील जनरल स्टोर्स, भोपाल (उप-एजेंट)
54.	मश्कराम कोटुमल, बैरागढ़ (उप-एजेंट)
55.	भारत गैस सर्विस, म्हो (उप-एजेंट)
56.	महमूद हुसैन एम. साजाद हुसैन सिहोरे (उप-एजेंट)
57.	खण्डवा गैस कम्पनी, खण्डवा (उप-एजेंट)

मध्य प्रदेश में पैट्रोलियम उत्पादों की काला बाजार में बिक्री

4303. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट की जा रही है और उनको काला बाजार में बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां; तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की काला बाज़ारी अथवा मिलावट की कोई व्यापक घटनाएं सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं परन्तु ऐसे दुराचारों के कुछ आकस्मिक मामलों की राज्य में रिपोर्ट की गई है।

(ख) राज्य सरकारों जिसमें मध्य प्रदेश सरकार भी शामिल है को पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई को सही ढंग से निश्चित करने के लिए परामर्श दिया गया है कि काला बाजारी और जमाखोरी जैसे दुराचारों आदि जो कमी के समय अक्सर अनुभव किये जाते हैं को कम करने के उपाय करें। राज्य सरकारों को आगे और कहा गया है कि जो पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट करने में लगे हुए हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। तेल कम्पनियों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे अपने फुटकर पेट्रोल पम्पों पर कड़ी निगरानी रखें और जिन डीलरों के विरुद्ध दुराचार का स्पष्ट मामला हो उनकी सप्लाई अस्थगित की जाए और बाद में उनकी डीलरशिप समाप्त की जाए।

कोयले के कुल निक्षेप

4304. **श्री सत्यनारायण जाटिया :** क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले के कुल निक्षेप क्या हैं; और

(ख) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले के निक्षेप कब तक होंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोयला भण्डारों के नवीनतम निर्धारण के अनुसार 0.5 मीटर तथा उससे अधिक मोटाई के सीमों में तथा 600 मीटर की गहराई तक के कोयला भण्डारों की मात्रा 83,600 मिलियन टन है।

(ख) ईंधन नीति समिति ने वर्ष 1974 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आश्वासन दिया था कि अब तक जिन भण्डारों का वर्गीकरण किया जा चुका है वह लगभग 150 वर्षों तक चलेंगे। फिर भी, कोयला सीमों की खोज लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और कोयले के अतिरिक्त भंडारों की खोज की जा रही है।

सुवर्ण रेखा नदी के तटों में अभिघर्षण से हुई तबाही

4305. श्री चिन्तामणि जेना : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि सुवर्ण रेखा नदी के दोनों तटों में अभिघर्षण से तबाही हुई है और उड़ीसा राज्य में उस भाग में रहने वाले सैकड़ों लोग बेघर हो गए है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह से अभिघर्षण की रोकथाम के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उपचारात्मक कार्य करने के लिए केन्द्र से कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि सुवर्ण-रेखा नदी के दोनों किनारों पर कटाव होता है, परन्तु यह सच नहीं है कि राज्य के इस क्षेत्र में सैकड़ों व्यक्ति बेघर हो गये हैं।

(ख) राज्य सरकार ने 13 स्थानों पर भू-कटाव रोधी कार्य पूरे कर लिये है और 10 अन्य स्थानों पर ये कार्य हाथ में लिये जाने प्रस्तावित हैं।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने विशेष तौर पर ऐसे भू-कटाव रोधी कार्यों के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध नहीं किया है।

मुगलसराय में यू० बेल फिलिंग स्टेशन स्थापित करना

4306. श्री जैनुल बशर : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन मुगलसराय में एक यू० बेल फिलिंग स्टेशन स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय तेल निगम इस प्रयोजन हेतु मुगलसराय में अपनी भूमि का एक भाग देने के लिए तैयार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है और इस 'फिलिंग स्टेशन' के कब स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ताप बिजली घर औपरा

4307. **श्री जैनुल बशर** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में औपरा के स्थान पर 1000 मैगावाट वाले एक ताप बिजली घर की स्थापना के लिए जापान से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, बोर्ड को एक जापानी फर्म से उत्तर प्रदेश में अनपारा 'बी' परियोजना के लिए टर्न-की आधार पर 2×500 मेगावाट के एक कोल-फायर्ड ताप विद्युत केन्द्र के अभिकल्प, निर्माण, उत्थापन तथा उसे चालू करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। येन ऋण की व्यवस्था किए जाने के लिए कुछ सुझाव भी इस प्रस्ताव में शामिल हैं।

(ग) और (घ) अनपारा 'बी' परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन अभी पूरा नहीं हुआ है। परियोजना की तकनीकी-आर्थिक तौर पर स्वीकृति दिए जाने तथा उस पर निवेश सम्बन्धी निर्णय लिए जाने के पश्चात ही तथा उस समय पर सरकार की आयात नीति को ध्यान में रखते हुए ही जापानी फर्म के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।

उर्दू में समाचार प्रसारित करने के लिए आवंटित समय

4308. **श्री जैनुल बशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू में समाचार प्रसरण के लिए निर्धारित किये गये समय में कमी कर दी गई है और इस प्रकार बचाये गये समय में 'हालात हाजरा पर तब्सरा' कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उर्दू में समाचारों के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य भाषाई समाचारों के प्रसारण के लिए दिये गये समय से कम है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली केन्द्र से प्रसारित होने वाले उर्दू के बुलेटिनों और तब्सरा की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) जबकि उर्दू समाचारों को आवंटित समय अंग्रेजी और हिन्दी के समाचारों को आवंटित समय की तुलना में कम है, यह अन्य प्रादेशिक भाषाओं के समान है।

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी के समाचार बुलेटिनों को अधिक लोगों द्वारा सुना जाता है.

'लोक परलोक' फिल्म पर विवाद

4309. **श्री एन० ई० होरो**
श्री नवीन रवाणी
श्री जनार्दन पुजारी
श्री चिरंजी लाल शर्मा
श्री वसन्त कुमार पंडित } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में फिल्म 'लोक परलोक' को दिखाये जाने के सम्बन्ध में कोई विवाद हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उन कथोपकथनों का ब्यौरा क्या है जो हिन्दू समाज के विरुद्ध है अथवा उस पर आघात करते हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुछ संगठनों द्वारा सरकार को कोई ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा): (क) से (ग) 'लोक परलोक' (हिन्दी) नामक फिल्म के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुयी हैं। केन्द्रीय सरकार प्रथमदृष्टया इस मत की है कि यह फिल्म हिन्दू पौराणिक कथाओं का उपहास करती है यहां तक कि इस फिल्म में राजा इन्द्र पर यह आरोप लगाया गया है कि वह बिना किसी नैतिकता के एक व्यभिचारी हैं और अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए मेनका के लिए दलाली तक की नीचता करता है। राजा इन्द्र, जो हिन्दू पौराणिक कथाओं में बहुत सम्मानीय देवता है, के लिए 'चरित्रहीन' और 'लड़कियों को सप्लाई करने वाला' शब्द प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार यह फिल्म अधिकांश हिन्दू समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाती है। इसलिए केन्द्रीय सरकार ने चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत जांच पूरी होने तक 8 जुलाई, 1980 से इस फिल्म के प्रदर्शन पर दो महीने की अवधि के लिए रोक लगा दी है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और इण्डियन आयल कारपोरेशन के 'ऋण' के आधार पर बाहर भेजे गए कर्मचारी

4310. **श्री नवीन रवाणी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा इण्डियन आयल कारपोरेशन के कितने इन्जीनियर, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी 1976-1980 के दौरान वर्ष-वार 'ऋण सेवाओं' पर बाहर भेजे गये;

(ख) उनमें से कितने वापस आ गए हैं और कितने वापस नहीं आए हैं; और

(ग) वापस न आने वालों को भारत बुलाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और उर्वरक रसायन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :

भेजे गये इन्जीनियरों और अन्यों की संख्या

वर्ष	आई. ओ. सी.		ओ. एन. जी. सी.	
	इन्जीनियर	अन्य	इन्जीनियर	अन्य
1976	25	6	—	1
1977	12	4	—	—
1978	1	3	—	—
1979	2	—	—	1
1980	14	3	—	—
योग	54	16	—	2

(ख) भारतीय तेल निगम के 70 कर्मचारियों में से 39 कर्मचारी वापिस आ गये हैं तथा बाकी अपनी ऋण/एक्सटेंशन की अवधि अगर कोई है, समाप्त होने पर वापिस जा जायेंगे। किसी भी कर्मचारी ने अभी तक न आने का निर्णय नहीं किया है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के दो अधिकारियों में से एक वापिस आ गया है तथा दूसरे अधिकारी की अवधि 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

10,000 करोड़ रुपये की सिंचाई योजना को क्रियान्वित करना

4311. श्री पीयूष तिरकी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार 150 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करने हेतु 10,000 करोड़ रुपये की योजना को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) से (ग) माननीय सदस्य सम्भवत: छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) का उल्लेख कर रहे है। यह अभी तैयार की जा रही है। अभी यह अन्तिम रूप से तय नहीं किया गया कि इस योजना के दौरान कितना पूंजी-निवेश किया जाएगा और कितनी सिंचाई-क्षमता का सृजन किया जाएगा।

दिल्ली विद्युत प्राधिकरण के लिए प्रस्ताव

4312. श्री भीकू राम जैन : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में विद्युत उत्पादन और वितरण की देख-भाल के लिये एक दिल्ली विद्युत प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पुनर्गठन का मामला कुछ समय से विचाराधीन रहा है। तथापि इस समय कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में चल रही विदेशी कम्पनियां

4313. **श्री चित्त बसु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितनी विदेशी कम्पनियां चल रही हैं तथा उनकी (देश-वार) पूंजी, आस्तियां और लाभ कितना-कितना है; और

(ख) इसके द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान लाभ, रायल्टी के रूप में अपनी मूल कम्पनियों को कितनी राशि भेजी गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) भारत में विदेशी कम्पनियों का संचालन अपनी शाखाओं तथा/अथवा सहायक कम्पनियों के माध्यम से होता है। देश में 31-3-1979 तक 358 शाखा तथा 125 सहायक कंपनियां संचालित थीं। इन शाखाओं की 1978-79 में संख्या, परिसम्पतियां, तथा कर-पूर्व लाभों के देश-अनुसार ब्यौरे, **विवरण 1-क** में दिए गए हैं। (विदेशी कम्पनियों की शाखाओं की भारत में कोई प्रदत्त पूंजी नहीं है।) विदेशी कम्पनियों की संख्या, प्रदत्त पूंजी परिसम्पतियां तथा कर-पूर्व लाभ की बाबत इसी प्रकार के 1978-79 के ब्यौरे, **विवरण 1-ख** में दिये गये हैं।

(ख) गत पांच वर्षों के मध्य, शाखाओं द्वारा अपनी विदेशी मूल कम्पनियों को लाभ, तथा अधिशुल्क के मार्ग से, तथा सहायक कम्पनियों द्वारा अपनी विदेशी धारिता कम्पनियों को लाभांश तथा अधिशुल्क के माध्यम से, भेजी गई राशियां, जैसी कि वित्त मन्त्रालय द्वारा सूचित की हैं, नीचे दी जाती हैं:-

(करोड़ रु० में)

वर्ष	विदेशी कम्पनियों की शाखाओं द्वारा		सहायक कम्पनियों द्वारा	
	लाभ के रूप में	अधिशुल्क के रूप में	लाभांश के रूप में	अधिशुल्क के रूप में
1	2	3	4	5
1974-75	761	नगण्य	11.58	0.97
1975-76	18.32	0.36	13 58	2.13
1976-77	17.02	0.16	30.97	1.14
1977-78	10.87	0.27	29.40	0.76
1978-79	14.12	0.30	28.29	0.28

विवरण 1-क

1978-79 के वर्ष के मध्य, भारत में विदेशी कम्पनियों की शाखाओं की संख्या परिसम्पत्तियां तथा कर-पूर्व लाभ-मूल कम्पनी के विनिगमन के देश-अनुसार वितरण

(करोड़ रु० में)

क्रम सं०	मूल कम्पनी के विनिगमन का देश	शाखाओं की संख्या	भारत में परि-सम्पत्तियां		कर-पूर्व लाभ
1	2	3	4		5
1.	यू० के०	189	1276.90	90.70	(65)
2.	यू० एस० ए०	64	531.21	6.47	(37)
3.	जापान	17	63.57	(—) 1.88	(14)
4.	फ्रांस	7	50.72	0.19	(5)
5.	कनाडा	6	0.15	0.07	(1)
6.	बांगलादेश	6	उ०न०	उ०न०	
7.	पाकिस्तान	6	,,	,,	
8.	पश्चिमी जर्मनी	5	2.47	(—) 0.02	(2)
9.	स्विट्जरलैण्ड	5	0.72	(—) 0.01	(2)
10.	नैदरलैण्ड्स	5	74.36	0.62	(2)
11.	इटली	5	1.23	(—) 0.01	(2)
12.	हांगकांग	4	उ०न०	उ०न०	
13.	स्वीडन	4	0.07	(—)नगण्य	(3)
14.	आस्ट्रेलिया	4	0.01	(—) 0.01	(2)
15.	बेल्जियम	3	0.34	—	(1)
16.	युगोस्लाविया	3	4.74	(—) 0.97	(3)
17.	उगान्डा	3	उ०न०	उ०न०	
18.	सिंगापुर	2	,,	,,	
19.	नेपाल	2	,,	,,	
20.	बहामा द्वीप	2	0.14	(—) 0.01	(1)
21.	थाईलैंड	2	उ०न०	उ०न०	
22.	लैबनान	2	4.77	0.96	(1)
23.	पनामा	1	उ०न०	उ०न०	
24.	केन्या	1	,,	,,	
25.	कुवैत	1	,,	,,	
26.	लाइबेरिया	1	,,	,,	
27.	लकजमबर्ग	1	,,	,,	

1	2	3	4	5
28.	तन्जानिया	1	उ०न०	उ०न०
29.	ईरान	1	,,	,,
30.	अदन	1	,,	,,
31.	ग्रीस	1	,,	,,
32.	मलेशिया	1	,,	,,
33.	बरमुदा द्वीप	1	,,	,,
34.	आस्ट्रिया	1	,,	,,
	योग	358	2011.40	15.05 (141)

टिप्पणी:—उ० न० से तात्पर्य है कि 1978-79 का तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है। 1678-79 कार्य कर रहीं, विदेशी कम्पनियों की 358 शाखाओं में से 141 शाखाओं के तुलन-पत्र आदि प्रस्तुत किये गये गये थे। शेष 217 शाखाओं में से 25 नौपरिवहन तथा विमानों के व्यापार में लगी हुई थीं, अतः वे अलग से भारतीय लेखे प्रस्तुत नहीं कर रही थीं। 5, पहले से सामान्य बीमा व्यापार में संलग्न थीं, (1-1-73) से राष्ट्रीकृत कर ली गई) तथा 24 अन्य कम्पनियों के साथ सम्मिलित हो गई, व इस प्रकार उनके लिए इस वर्ष का अलग से तुलन-पत्र आदि प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं था। शेष शाखाओं में से अधिकांश निष्क्रिय/मृतप्राय थीं, अथवा बंद किये जाने की प्रक्रिया में थी।

2. कालम 5 के अन्तर्गत कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े, उन शाखाओं की संख्या के द्योतक हैं, जिनकी परिसम्पत्तियों व लाभों के आंकड़े उपलब्ध हैं।

विवरण 1-ख

1978-79 के वर्ष में विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों की संख्या, प्रदत्त पूंजी, परिसम्पत्तियां तथा कर-पूर्व लाभ धारिता कम्पनी के विनिगमन के देश-अनुसार वितरण

(करोड़ रु० में)

विदेशी धारिता कम्पनी को मूल देश	1978-79 में कार्यरत कम्पनियों की संख्या	भारतीय सहायक कंपनियों की प्रदत्त पूंजी	भारतीय सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियां	भारतीय सहायक कंपनियों के कर-पूर्व लाभ
1	2	3	4	5
1. यू० के०	86	193.50	1006.57	141.54 (75)
2. यू० एस० ए०	19	46.93	227.79	29.08 (19)
3. स्विटजरलैंड	6	15.33	60.42	16.44 (6)

1	2	3	4	5	
4. स्विडन	3	8.36	44.26	6.74	(3)
5. वैस्ट जर्मनी	4	28.14	117.91	26.76	(4)
6. कनाडा	2	30.63	103.89	15.28	(2)
7. इटली	2	3.13	15.57	0.89	(2)
8. नैदरलैंड	1	16.30	59.52	10.95	(1)
9. पनामा	1	10.05	26.86	7.33	(1)
10. डेनमार्क	1	उ०न०			
योग	125	352.37	662.79	255.1	(113)

टिप्पणी:—1978-79 के मध्य कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की 125 भारतीय सहायक कंपनियों में से केवल 113 कंपनियों के आंकड़े उपरोक्त सारणी में दिये गये हैं। शेष 12 कंपनियों में से तीन ने परिसमापित होने के संकल्प पास कर दिये हैं, एक कंपनी को सरकार द्वारा हाथ में लिए जाने की प्रकिया चल रही है, एक कम्पनी, एक नई कम्पनी है, जिसके प्रथम तुलन-पत्र आदि अभी देय नहीं हैं, एक कंपनी ने अपना लेखांकन वर्ष मार्च से सितम्बर बदल दिया है, जिससे इसका 30 सितम्बर, 1979 को समाप्त हुए 18 मास का तुलन-पत्र 1979-80 का समझा जायेगा। 6 सहायक कंपनियों ने अभी 1978-79 के तुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं।

रसायन तथा उद्योग में प्रशिक्षण देने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव

4314. **श्री निहाल सिंह :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत तथा अन्य विकसित देशों के रसायन और परिष्करण (प्रोसेसिंग) उद्योग में लोगों को प्रशिक्षण देने के विचार से देश में एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान को स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संस्थान को देश के किस स्थान पर खोला जायेगा और संस्थान कब तक कार्य प्रारम्भ कर देगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रधान कार्यालय का खोला जाना

4315. **श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम शहर में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पूर्वी क्षेत्र के मुख्यालय को खोले जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एकाधिकारी कम्पनियों से प्राप्त विस्तार के प्रस्ताव

4316. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में प्रमुख और एकाधिकारी कम्पनिया से अपनी अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाने अथवा नया काम आरम्भ करने के बारे में सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने जिन प्रस्तावों पर विचार किया है उनका ब्यौरा क्या है, तथा ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं, उन्हें अधिष्ठापित क्षमता में कितनी वृद्धि करने अथवा नया काम आरंभ करने की अनुमति दी गई है; और

(ग) सरकार ने ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) 1 जनवरी, 1980 से 30 जून, 1980 तक की समयावधि में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत मुक्त किये गये, को छोड़कर वास्तविक महत्वपूर्ण व्यापारिक विस्तार की गतिविधियों के क्रमशः 36 प्रस्ताव और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 और 22 के अन्तर्गत नये उपक्रमों की स्थापना के 40 प्रस्ताव अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत उपक्रमों, पंजीकृत या पंजीकरण योग्य से प्राप्त हुये थे। इन प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये जाते हैं । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1087/80]

विदेशी कम्पनियों द्वारा कृमिनाशी/कीटनाशी फार्मूलेशनों की ऊंची कीमत पर बिक्री

4317. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में ऐसे कुछ मामले आये हैं जिनमें विदेशी कंपनियां कृमिनाशी/कीटनाशी फार्मूलेशनों को ऊंची कीमत पर बेच रही हैं और उन्होंने पेटेन्ट संबंधी कानूनों की सुरक्षा के अन्तर्गत अपना एकाधिकार और ऊंचा मूल्य बनाये रखा है;

(ख) क्या भारत में ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो ऐसे फार्मूलेशनों का उत्पादन कर सकती हैं और उन्हें सस्ती कीमत पर बेच सकती हैं लेकिन विदेशी कंपनियों के पेटेन्ट उनके मार्ग में रुकावट बनते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन फार्मूलेशनों का उत्पादन करने और उन्हें उप-भोक्ताओं को सस्ती दरों पर देने में भारतीय कम्पनियों की सहायता के लिए कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) और (ग) जी नहीं । विदेशी कंपनियों की स्वीकृत अधिकतर औद्योगिक लाइसेंसों में शर्तों के मुताबिक उन्हें उनके द्वारा उत्पादित तकनीकी सामग्री का 50 प्रतिशत असम्बद्ध फार्मूलेटरों को देना पड़ता है । बाद वाली सभी भारतीय कंपनियां हैं ।

वर्षा के कारण बाढ़ के पानी का सिंचाई प्रयोजनों के लिए संरक्षण

4318. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्षा के कारण बाढ़ का पानी जो अब बेकार बह कर समुद्र में चला जाता है उसको सिंचाई और बिजली के लिये उपयोग में लाने की योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) और (ख) सरकार ने जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है, जिसमें विभिन्न नदियों पर, जहां सम्भव हो, इष्टतम जल-संचयन की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है, जिससे उस जल को, जो अब समुद्र में व्यर्थ चला जाता है, सिंचाई और विद्युत-उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने के उद्देश्य से संरक्षित करने में सहायता मिलेगी । इस प्रस्ताव को राज्यों के साथ सलाह करके अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में नई विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का मांगा जाना

4319. **श्री मनफूल सिंह चौधरी**
श्री पी० एम० सईद } : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन में अधिकांश राज्यों ने निधि की कमी की शिकायत की और नई विद्युत परियोजनाएं आरम्भ करने के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी ।

(ख) क्या अलग-अलग राज्यों के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अपनी कुछ मौजूदा परियोजनाओं के लिए और

नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता के बारे में लिखा था। वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए नहीं दी जाती है अपितु यह समग्र योजना सहायता का ही एक भाग होती है।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए स्टाफ पुनरीक्षण समिति की नियुक्ति

4320. **श्री रामायण राय :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए एक संवर्ग पुनरीक्षण समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार उन्हें कार्यान्वित करने में कितना समय लेगी;

(ग) उसके परिणामस्वरूप आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को क्या लाभ मिलने की सम्भावना है; और

(घ) नियमित कर्मचारियों की भांति उन्हें लाभ पहुंचाने के लिये विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) आकाशवाणी की इन्जीनियरी और कार्यक्रम सेवाओं के संवर्ग ढांचे का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययनदल नियुक्त किया गया था। कार्यक्रम सेवा से सम्बन्धित अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रमों को तैयार करने के काम में स्टाफ आर्टिस्टों की कतिपय श्रेणियों यथा प्रोडक्शन सहायक, प्रोड्यूसर इत्यादि भी शामिल हैं। अध्ययन दल की सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रोडक्शन काडर के कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी मानना

4321. **श्री रामायण राय :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रोडक्शन काडर के कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के रूप में मानने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाईयां अनुभव की जा रही हैं और ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी बना कर उन पर नियमित सरकारी कर्मचारियों के नियम लागू करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों (प्रोडक्शन संवर्ग के स्टाफ आर्टिस्टों सहित) को, जो इस समय

संविदा कर्मचारी हैं, नियमित सरकारी कर्मचारियों में बदलने के प्रस्ताव पर सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में जांच की जा रही है।

राजस्थान को पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता, आवंटन और सप्लाई

4322. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से जून, 1980 तक की अवधि के दौरान राजस्थान को मिट्टी के तेल, डीजल और कच्चे तेल की कितनी आवश्यकता थी, उसे कितना आवंटन किया गया और कितनी सप्लाई की गई;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की गई; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सम्भवता कच्चे तेल का तात्पर्य लाइट डीजल तेल से है। जबकि इस समय मन्त्रालय द्वारा मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल के लिये मासिक आवंटन देने की प्रणाली है परन्तु लाइट डीजल के मासिक आवंटन की कोई प्रणाली नहीं है। राजस्थान सरकार ने केवल हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की मांग बताई थी जो क्रमशः 53,720 मी० टन और 27,240 मी० टन प्रति मास थी। जनवरी से जून 1980 तक राजस्थान में हाई स्पीड डीजल तथा मिट्टी के तेल के आवंटन और विक्रय तथा लाइट डीजल तेल का वास्तविक विक्रय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े मी० टनों में)

माह	एच. एस. डी.		मिट्टी का तेल		एल. डी. ओ.
	आबंटन, 80	विक्रय, 80	आबंटन, 80	विक्रय, 80	विक्रय, 1980
जनवरी	32600*	39180	10200*	10570	2867
फरवरी	36770	38130	9596	9440	471
मार्च	40000	42490	11128	10760	2818
अप्रैल	39000	39490	11291	9820	2449
मई	39000	43250 (अस्थाई)	9800	8785 (अस्थाई)	3294
जून	42000	39403 (अस्थाई)	9180	8557 (अस्थाई)	उपलब्ध नहीं

* असम में आन्दोलन के कारण उपलब्धता में कमी के फलस्वरूप मूल आवंटन इस स्तर तक कम किया गया था।

(ख) और (ग) उत्पाद उपलब्धता परिवहन क्षमता तथा भूतपूर्व में विक्रय सहित विभिन्न सम्बद्ध पहलुओं के आधार पर आवंटन किया जाता है। उपरोक्त अवधि के दौरान

राजस्थान में हाई स्पीड डीजल का वास्तविक विक्रय पिछले वर्ष के इन्ही महीनों में विक्रय से काफी अधिक था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

4323. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1980 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में कितने मामले (आपराधिक, सिविल और निर्वाचन सम्बन्धी रिट अर्जियां) लम्बित थे और इन लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार ने अब तक क्या उपाय किये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31-12-1979 तक उस उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या इस प्रकार है :

1. आपराधिक	3193
2. सिविल (निर्वाचन अर्जियों को छोड़कर)	72082
3. निर्वाचन अर्जी	1

31 मार्च, 1980 तक की अपेक्षित जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए पिछले कुछ समय से जो उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं उनको दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

मामलों को शीघ्र निपटाने और इस प्रकार लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किए गए हैं या किये जा रहे हैं :

(i) उच्च न्यायालयों की पुनरीक्षण और लेटर्स पेटेंट सम्बन्धी अधिकारिता समाप्त करने की और द्वितीय अपीलों को उन्हीं मामलों तक, जिनमें उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि उस मामले में विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित है, निर्बन्धित करने की दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन 1976 में किया गया था।

(ii) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित एक नई दण्ड प्रक्रिया संहिता का 1973 में अधिनियम किया गया और 1978 से उसका संशोधन किया गया।

(iii) रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(iv) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह सूचना भी दी है कि :

(क) एक ही प्रकार में मामलों का वर्गीकरण करके उन्हें एक साथ रखा गया है, जिससे कि एक मामले के निपटाने से उसी प्रकार के अन्य मामलों का भी, जिसमें विधि का समान प्रश्न अन्तर्वलित है, निपटारा हो जाये।

(ख) पुराने मामले निदेशार्थ सूची में रखे जाते हैं जिससे कि उन्हें तैयार करने के लिए उन पर शीघ्र कार्यवाही की जा सके।

(ग) ऐसे पुराने मामले जो फिजूल हो गये हैं उनकी नियमित रूप से छटाई की जा रही है।

(घ) सम्बद्ध विभागों को निदेश दिया जा रहा है कि वे पुराने मामलों को यावत-साध्य शीघ्र तैयार करे जिससे कि उन्हें साधारण सूची में रखा जा सके।

परिणामस्वरूप कलकत्ता उच्च न्यायालय में निपटाए गये मामलों की जो संख्या 1978 में 47770 थी वह 1979 में बढ़कर 52,355 सो गई।

पश्चिम बंगाल में कुकिंग गैस एजेंसियां

4324. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितनी कुकिंग गैस एजेंसियां हैं; और

(ख) पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को कितनी कुकिंग गैस एजेंसियां आवंटित की गई हैं और निकट भविष्य में उन्हें कितनी एजेंसियां आवंटित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में इस समय 50 एल. पी. जी. वितरक हैं जिनमें से 4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

वर्तमान नीति के अनुसार खाना पकाने वाली गैस की एजेंसियों सहित सभी एजेंसियों/डीलरशिपों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को देना होता है।

फिल्म प्रभाग द्वारा वृत्तचित्रों का उत्पादन

4325. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वृत्तचित्रों के कोटे तथा फिल्म प्रभाग के वार्षिक बजट में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में पूर्ण हो चुके वृत्तचित्रों की संख्या तथा उनमें से प्रत्येक पर क्या लागत आई है;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक वृत्तचित्र 'पूर्ण हो चुके' दिखाये जाते हैं परन्तु बाद के वर्षों में पूरे किये जाते रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को पता लगा है कि कोटा भरने के लिये पुराने वृत्त चित्रों को फिर से सम्पादित करके तथा अतिरिक्त दृश्य जोड़ करके प्रस्तुत कर दिया जाता है;

(ङ) गत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान 'पूर्ण न हुये' वृत्त चित्रों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(च) सरकार का फिल्म प्रभाग का पुनर्गठन करने तथा वृत्तचित्रों, नई रीलों और विशेष फिल्मों का उत्पादन करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) वृद्धि सीमान्त रही है ।

(ख) फिल्म प्रभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में बनाई गई डाकुमेन्ट्री फिल्मों की संख्या और उन फिल्मों पर व्यय इस प्रकार है :

वर्ष	मुक्कमल हुई डाकुमेंट्री फिल्मों की संख्या	फिल्म निर्माण का व्यय
1975-76	129	94,27,181/-
1976-77	159	1,20,31,398/-
1977-78	128	1,15,65,932/-
1978-79	129	1,12,92,039/-
1979-80	143	वर्ष 1979-80 के फिल्म प्रभाग के प्रोफार्मा लेखे अभी संकलित किये जाने हैं, अतः व्यय के आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यद्यपि ऐसा कभी-कभी होता है तो भी जब किसी पुरानी डाकुमेंट्री फिल्म को पुनः रिलीज करना होता है तो उसको रिलीज करने से पहले आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शूटिंग और सम्पादित करके उसको आधुनिक बनाया जाता है ।

(ङ) निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित कुछ विषयों के स्वरूप के कारण उनपर फिल्मों के पूरा होने में समय लगता है । पहुंच-रेखा पृष्ठभूमि सामग्री, अन्य विभागों की आलेखों की स्वीकृति आदि न मिलने जैसी बातों के कारण फिल्मों के मुकम्मल होने में देरी हो जाती है । इससे निर्माण के लिए काफी संख्या में विषयों को हाथ में लेना आवश्यक हो जाता है । अतः प्रति वर्ष निर्माण कार्यक्रम में औसतन 300 विषय शामिल रहते हैं । जिन विषयों पर फिल्में वर्ष के दौरान मुकम्मल नहीं होती उनको अगले वर्ष के कार्यक्रम में ले जाया जाता है । पिछले पांच वर्षों के दौरान अग्रेनीत इस प्रकार के विषयों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	पिछले वर्षों से अग्रेनीत अधूरी फिल्में
1976-77	153
1977-78	180
1978-79	239
1979-80	257
1980-81	233

(च) फिल्म प्रभाग का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

तिब्बती शरणार्थी

4326. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास कार्य को पूरा कर दिया गया है;

(ख) शिविरों, बस्तियों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक शिविर में तिब्बती शरणार्थियों के पुरुष, स्त्रियों तथा 10 वर्ष से कम के बच्चों की संख्या कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास पर कुल कितना व्यय किया गया ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में रह रहे 64,562 तिब्बती शरणार्थियों में से लगभग 53,000 को बसा दिया गया है।

(ख) शिविरों की संख्या	शून्य
बस्तियों की संख्या	30
प्रत्येक शिविर में तिब्बती शरणार्थियों की संख्या	शून्य

(ग) भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय इस प्रकार है :

	(लाख रुपयों में)
1977-78	33.98
1978-79	22.46
1979-80	28.82

कम्पनियों द्वारा निधियों (फण्ड्स) के अनियमित रूप से एकत्रित किये जाने की जांच

4327. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके मंत्रालय को कुछ ऐसे मामले जांच करने के लिए भेजे हैं जिनमें कुछ उन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अनियमितताएं बरती हुई हों जिन्होंने जनता से धन एकत्रित करने के सम्बन्ध में नियमों का उल्लंघन किया हो;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी सुदर्शन चिट्स (इण्डिया) लिमिटेड का एक महत्वपूर्ण मामला कम्पनी कार्य विभाग को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रेसित किया गया है, जिसमें चन्देदाता को दिये गये वचन के सम्मान करने में कम्पनी का असफल होना तथा विभिन्न शहरों में अपने व्यापार को बन्द करने के सम्बन्ध में विभाग की सूचना में बहुत सी शिकायतें लाई गई हैं।

(ग) तथा (घ) विभाग ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 क के अन्तर्गत कम्पनी के कार्य में निरीक्षण करने का आदेश दिया है तथा निरीक्षण में प्रगति हो रही है।

प्रेस परिषद का गठन

4328. श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद का विधिवत् गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रेस परिषद के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या पुनर्गठन के बाद किन्ही मामलों को परिषद को सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) सूचना विवरण-1 में दी हुई है।

(ग) और (घ) सूचना विवरण-2 में दी हुई है।

विवरण-1

1. श्री न्यायमूर्ति ए० एन० ग्रोवर — अध्यक्ष

सदस्य

1. श्री ए० एन० शिवरामन
2. श्री वीरेन्द्र
3. श्री जी० एस० तलवलकर
4. श्री छोटू कराड़िया
5. हिरण्मय कार्लेकर
6. श्री वी० पी० वी० राजन
7. श्री सुनीत घोष
8. श्री पी० आर० गांगुली
9. श्री फणी तालुकदार
10. श्री शरद द्विवेदी

11. श्री जी० एन० आचार्य
12. श्री मेवालाल शास्त्री
13. श्री एस० विश्वम्
14. श्री नरेन्द्र तिवारी
15. श्री सी० आर० ईरानी
16. श्री प्रेम चन्द वर्मा
17. श्री रति लाल सेठ
18. श्री मोइन फारूक्की
19. श्री यदुनाथ थाट्टे
20. श्री जी० जी० मीरचन्दानी
21. डा० (कुमारी) ए० दस्तूर
22. श्री उमाशंकर जोशी
23 श्री आर० बी० जेठमलानी
**24. श्री हरि विष्णु कामथ
**25. श्री अमृत नहाटा
**26 श्री सी० एम० स्टीफन
27. श्री पीलू मोदी
28. श्री रफीक जकारिया

* परिषद की सदस्यता से 11-6-1980 से त्यागपत्र दे दिया ।

** पिछली लोक सभा के 22-8-1979 का भंग हो जाने पर परिषद के सदस्य नहीं रहे ।

विवरण-2

भारतीय प्रेस परिषद को अपनी स्थापना से लेकर अब तक 125 शिकायतें प्राप्त हुईं । इन 125 शिकायतों में से, 59 शिकायतें प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के अन्तर्गत सरकारों (अधिकतर राज्य सरकारों) और अन्य प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों से संबंधित थीं जबकि 66 शिकायतें उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) के अन्तर्गत समाचारपत्रों के विरुद्ध थीं । 50 मामले बन्द कर दिए गए हैं, क्योंकि शिकायत कर्ताओं ने या तो अपनी शिकायतों का पीछा नहीं किया या वे समाचारपत्रों/प्राधिकारियों द्वारा किये गये संशोधनों से सन्तुष्ट हो गए थे । अन्य 12 मामले प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत प्रेस परिषद की स्थापना से पहले की अवधि से संबंधित थे । परिषद के निर्णय के अनुसार इनको ग्रहण नहीं किया गया । 6 शिकायतों का न्याय-निर्णय द्वारा निपटान कर दिया गया है । 125 शिकायतों में से 57 शिकायतें जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

2. 8 अन्य विविध पत्र प्राप्त हुए थे जिनको शिकायतें नहीं समझा जा सकता था।

फिल्मों में स्त्रियों की छवि का चित्रण

4329. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दूरदर्शन पर कुछ कार्यक्रमों में स्त्रियों की घटिया छवि का प्रदर्शन किया जाता है और कुछ फिल्मों में दहेज प्रथा, पत्नी को मारने-पीटने और स्त्रियों के निम्न स्तर को बढ़ावा दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) दूरदर्शन इस सम्बन्ध में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति पूर्णतया सजग है। विभिन्न दूरदर्शन केन्द्र महिलाओं पर अत्याचार, दहेज, इत्यादि जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जनचेतना उत्पन्न करने के लिए विभिन्न रूपों में उपयुक्त कार्यक्रम नियमित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। जहां तक फीचर फिल्मों का संबंध है केवल उन्हीं फिल्मों को दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट किया जाता है जो अप्रतिबन्धित प्रदर्शन के लिए सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणीकृत की जाती हैं और जो परिवार के साथ देखने योग्य होती हैं।

फिल्मों में स्त्रियों का उचित चित्रण

4330. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म सेंसर बोर्ड को जानकारी है कि स्त्रियों का अपमानजनक चरित्र-चित्रण उतना ही हानिकारक है जितनी हिंसा;

(ख) क्या सेंसर बोर्ड यह सुनिश्चित करने के उपाय करता है कि हमारी फिल्मों में स्त्रियों को सम्मानित व्यक्तियों के रूप में दिखाया जाए; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) फिल्म सेंसरशिप का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फिल्म का माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे। इस उद्देश्य के अनुसरण में फिल्म सेंसर बोर्ड, प्रमाणीकरण के लिए फिल्मों की जांच करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करता है कि अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता द्वारा मानविक संवेदना क्षुब्ध न हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ फिल्मों में भारतीय नारी की छवि विकृत की जाती हो। तथापि, जहां इस प्रकार की विकृतियां अर्थात् सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता से संबंधित उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले दृश्य चलचित्र अधिनियम, 1952 की परिधि में आते हैं, फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों में आवश्यक काट-छांट की जाती है।

कावेरी बेसिन में कुएं खोदना

4331. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कावेरी बेसिन में 40 कुओं की खुदाई करने के बाद भी तेल तथा गैस के कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर अब तक कितना धन तथा जन-बल व्यय किया जा चुका है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कावेरी बेसिन में 28 कुएं भूमि क्षेत्र में और 5 कुएं समुद्री क्षेत्र में खोदे गये हैं। दो कुओं में तेल के और दो में गैस के संकेत मिले हैं। परन्तु कोई व्यापारिक खोज नहीं हुई है।

(ख) मूल्य ह्रास सहित अनुमानित व्यय के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

(1)	भूमि क्षेत्र	960.78 लाख
(2)	समुद्री क्षेत्र	1133.26 लाख

आन्ध्र प्रदेश की पोचिमपाड़ परियोजना

4332. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश की पोचिमपाड़ परियोजना से संबंधित प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) और (ख) पोचमपाड़ बांध के दाएं किनारे का कार्य पूर्ण हो चुका है और बाएं किनारे पर यह कार्य चल रहा है। चिनाई वाले नान-ओवर-फ्लो सेक्शन और उपड-मार्ग (स्पिलवे) का काम और द्वारों के निर्माण का कार्य भी काफी हद तक हो चुका है। इस कार्य को जून, 1982 तक पूरा किये जाने का कार्यक्रम है।

लोअर मनेर बांध का निर्माण-कार्य प्रगति की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में है और इसके जून, 1983 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

235 किलोमीटर लम्बी गोदावरी दक्षिण मुख्य नहर (काकतिया नहर) का 116 किलोमीटर लम्बा पहला हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाकी हिस्से का निर्माण-कार्य चल रहा है और इसके जून, 1982 तक पूरा हो जाने की आशा है। इस नहर की शाखाओं और इसकी वितरणियों के निर्माण-कार्य को 1984-85 के अन्त तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

पश्चिम बंगाल और बिहार को कोयले की रायल्टी का भुगतान

4333. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या उर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार को कोयले पर देय रायल्टी की बड़ी राशि भारत सरकार की ओर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस बकाया राशि का भुगतान कब तक कर देगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) कोयला कंपनियों द्वारा कोयले पर स्वामित्व के रूप में बिहार सरकार को देय धनराशि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पुनपुन सिंचाई योजना

4334 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनपुन नदी पटना, गया, औरंगाबाद और अन्य जिलों में होकर बहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है सिंचाई की दृष्टि से यह नदी बहुत महत्वपूर्ण है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने पुनपुन सिंचाई योजना के बारे में उनसे कोई सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) पुन-पुन के जल का उपयोग सिंचाई के लिये करने के बारे में परियोजना रिपोर्ट जांच के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ङ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिहार को पेट्रोलियम पदार्थों का मासिक आवंटन

4335. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रत्येक राज्य की पेट्रोलियम पदार्थों का आवंटन मासिक कोटे के आधार पर करती है;

(ख) यदि हां, तो बिहार को जनवरी से लेकर जून, 1980 तक की अवधि के दौरान प्रतिमास आवंटित और सप्लाई किये गये मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेन्डरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार सरकार द्वारा उक्त उत्पादों के लिए की गई मासिक मांग का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मेरा मन्त्रालय सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को केवल हाई स्पीड डीजल (एच. एस. डी.) और मिट्टी के तेल का आवंटन करता है। अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के लिए ऐसा कोई आबंटन नहीं किया जाता है।

(ख) बिहार राज्य को जनवरी से जून, 1980 के दौरान हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल के आवंटन और बिक्री (सप्लाई) के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(आंकड़े मी० टनों में)

	हाई स्पीड डीजल		मिट्टी का तेल	
	आवंटन	बिक्री	आवंटन	बिक्री
जनवरी, 1980	30000	28372	14000	13510
फरवरी, 1980	34652	25810	16967	16140
मार्च, 1980	36000	35836	18147	19046
अप्रैल, 1980	40000	40249	23000	20357
मई, 1980	43000	41442 (अस्थायी)	23000	18213 (अस्थायी)
जून, 1980	40800	उपलब्ध नहीं	18910	उपलब्ध नहीं

उपरोक्त (क) में दिये गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आवंटन और सप्लाई के ब्यौरे देना सम्भव नहीं है।

(ग) मार्च, 1980 में मेरे बिहार के दौरे के दौरान बिहार सरकार ने हाई स्पीड डीजल की अपनी मासिक मांग 60,000 मी० टन बताई थी। राज्य सरकार ने बाद में मिट्टी के तेल की अपनी मांग प्रति मास 30,000 मी० टन बतायी थी। राज्य सरकार ने प्रति मास तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) के 30,000 सिलेण्डरों की सप्लाई की भी मांग की थी।

हरियाणा राज्य द्वारा डीजल कोटे में वृद्धि का अनुरोध

4336. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार से राज्य के डीजल कोटे में वृद्धि के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मार्च, 1980 में मेरे हरियाणा के दौरे के दौरान, हरियाणा सरकार ने हाई स्पीड डीजल की मांग प्रति मास 40,000 मी० टन बताई थी।

(ख) हरियाणा को मार्च-जून, 1980 के लिए हाई स्पीड डीजल तेल का आवंटन इन महीनों के उत्पाद के वास्तविक विक्रय तथा पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के विक्रय के आधार पर किया गया है जो निम्न प्रकार हैं:–

(मीट्रिक टनों में आंकड़े)

मास	1981 में आवंटन	1980 में बिक्री	1979 में बिक्री
मार्च	21000	23610	18967
अप्रैल	21700	22970	20689
मई	26000	25175 (अस्थायी)	24500
जून	21700	22098 (अस्थायी)	19737

जैसाकि उपरोक्त आंकड़ों से देखा जायेगा, इन महीनों में हरियाणा में हाई स्पीड डीजल का आवंटन और विक्रय पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के विक्रय से अधिक हुआ है।

पुनः तैयार की गई सिंचाई प्राथमिकता योजनाएं

4337 **श्री चित्त महाटा :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए वर्तमान सिंचाई प्राथमिकता योजनाओं को पुनः तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादन

4338. **श्री चित्त महाटा :** क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में इस समय विद्युत उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) विभिन्न स्रोतों से कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) क्या इसकी कमी है; यदि हां, तो कमी को कैसे पूरा किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पश्चिम बंगाल में कुल प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1449 मेगावाट है। इसमें 1416 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता तथा 33 मेगावाट जल विद्युत क्षमता शामिल है।

(ख) और (ग) कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी तथा दुर्गापुर परियोजना लि० सहित पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादन 700 मेगावाट से 800 मेगावाट के लगभग होता है।

पश्चिम बंगाल को दामोदर घाटी निगम प्रणाली से 50 मेगावाट से 60 मेगावाट तक की सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार, राज्य में कुल उपलब्धता 750 मेगावाट से 800 मेगावाट के लगभग या 15.6 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। लगाए गए प्रतिबन्धों के साथ पश्चिम बंगाल की आवश्यकता लगभग 900 मेगावाट या 18.9 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है:-

(1) विद्युत के उपयोग पर प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रण लगाकर मांग में कमी करना;

( ) लोड शैडिंग करना; तथा

(3) इस समय उत्थापित की जा रही नई यूनिटों को शीघ्रता से चालू करना।

पश्चिम बंगाल में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में चोर-बाजारी

4339. **श्री चित्त महाटा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल तथा पेट्रोलियम के अन्य उत्पादों में मिलावट की जा रही है और उन्हें चोर-बाजार में बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) राज्य सरकारों, जिसमें पश्चिम बंगाल शामिल है से अनुरोध किया गया है कि इन पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई अधिकतम सही ढंग से निश्चित की जाए। उन्हें परामर्श दिया गया है कि कालाबाजारी और जमाखोरी जैसे दुराचारों आदि जो कमी के समय अक्सर अनुभव किये जाते हैं को कम करने के उपाय करें। राज्य सरकारों को आगे और कहा गया है कि जो पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट करने में लगे हुए हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। तेल कम्पनियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे अपने फुटकर पेट्रोल पम्पों पर कड़ी निगरानी रखें और जिन डीलरों के विरुद्ध दुराचार का स्पष्ट मामला हो उनकी सप्लाई आस्थगित की जाए और बाद में उनकी डीलरशिप समाप्त की जाए।

एल० पी० गैस के फुटकर वितरकों के लिए कमीशन

4340. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने एल० पी० गैस के फुटकर वितरकों के लिए कितना कमीशन निर्धारित किया है तथा इसको किस आधार पर कब निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या एल० पी० गैस के वितरकों से प्रतिशत के आधार पर कमीशन में वृद्धि करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या एल० पी० गैस के वितरकों को मिलने वाले लाभ में कमी होने और संचालन लागत के बढ़ने से एल० पी० गैस के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवा के स्तर में ह्रास होता जा रहा है; और

(ङ) एल० पी० गैस के वितरकों को उचित लाभ देकर एल० पी० गैस के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवा में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) शान्ति लाल शाह समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर तरल पेट्रोलियम गैस वितरकों की कमीशन की दर पहली अगस्त, 1972 से प्रति सिलेंडर 3.37 रुपये निर्धारित की गई थी। तेल कम्पनियों द्वारा नियुक्त किये गए वितरकों को 3.37 रुपये प्रति सिलेंडर की कमीशन मिलती है। मुख्य वितरकों द्वारा नियुक्त उप-एजेन्टों को अलग-अलग दर पर कमीशन मिलता है।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार ने डीलरों की एक बैठक बुलाई है।

(घ) जी नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ङ) जैसे उपरोक्त (ग) में बताया गया है।

विशाखापत्तनम में पड़े ट्रान्समीटर का उपयोग

4341. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में 10 किलोवाट क्षमता का एक ट्रांसमीटर बेकार पड़ा हुआ है तथा उसे 100 किलोवाट ट्रांसमीटर के एवजी उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है; और

(ख) क्या इसका उपयोग विविध भारती अथवा युवा कार्यक्रमों जैसे मनोरंजन कार्यक्रम के लिए किए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) आकाशवाणी, विशाखापत्तनम में 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर के चालू होने से पहले वहां 10 किलोवाट का जो ट्रांसमीटर काम करता था उसको एवजी ट्रांसमीटर के रूप में वहां रखा हुआ है। इस ट्रांसमीटर का किसी नये नियमित कार्यक्रम के लिए उपयोग करना सम्भव नहीं होगा क्योंकि यह अपने उपयोगी जीवन की अवधि से अधिक काम कर चुका है।

हैदराबाद में आकाशवाणी केन्द्र

4342. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद स्थित आकाशवाणी केन्द्र बहुत पुराना है और उसमें आधुनिक उपकरण लगाए जाने तथा एक आधुनिक स्टूडियो कम्प्लेक्स बनाए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) हैदराबाद में आकाशवाणी केन्द्र के लिए आधुनिक आवश्यकता के अनुसार एक नए भवन का निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) हैदराबाद रेडियो स्टेशन आकाशवाणी द्वारा 1950 में अपने अधिकार में लिया गया था। उपयुक्त स्टूडियो 1957 में बनाए गए थे और उसके बाद उनमें अनेक सुधार किये गए हैं। जिन उपकरणों के बदलने/जोड़ने की आवश्यकता होती है उनको समय-समय पर बदला/जोड़ा जा रहा है। केन्द्र में उपलब्ध अधिकांश उपकरणों के तत्काल बदलने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) आकाशवाणी, हैदराबाद में नया कार्यालय भवन बनाने का प्रस्ताव है। तथापि, नया स्टूडियो भवन बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मन्त्रालय के विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए पदों का आरक्षण

4343. **श्री छोतू भाई गामित** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में विभागों तथा अधीनस्थ सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों के लिए आरक्षित रखे गए पदों की एकक-वार प्रतिशतता क्या है और क्या इस कोटे को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या उनके मन्त्रालय में इस प्रकार के आरक्षण को एक समान बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) यह मन्त्रालय तथा इसके अधीनस्थ प्रतिष्ठान विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के मामले में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के प्रतिशतता की अनुपालन करते हैं। यूनिट-वार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रखा जायेगा। इस कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव इस मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी नहीं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए रोजगार आरक्षण

4344. **श्री छोतू भाई गामित** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के विभागों और अधीनस्थ एककों में इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए और आरक्षित रखे गये पदों की प्रतिशतता क्या है और क्या उनके कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या मन्त्रालय में इस प्रकार के आरक्षण को एक समान बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) यह मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए पदों के आरक्षण में उसी प्रतिशतता का अनुसरण कर रहे हैं जो गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आरक्षण सम्बन्धी उनके ब्रोशर के अध्याय 2 और परिशिष्ट 3 में विस्तार से दी गई है। यह मन्त्रालय इन प्रक्रियाओं से विचलित नहीं हो सकता।

उड़ीसा में अधिष्ठापित क्षमता एवं पैदा की जा रही बिजली

4345. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में बिजली की कुल अधिष्ठापित क्षमता 880 मेगावाट है;

(ख) क्या इस अधिष्ठापित क्षमता का केवल 32.8 प्रतिशत बिजली पैदा हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो अधिष्ठापित क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं तथा इसको बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मानसून के आने से उड़ीसा के विद्युत केन्द्रों के विद्युत उत्पादन में इस समय पर्याप्त सुधार हुआ है। इस समय राज्य में उत्पादन लगभग 400 मेगावाट से लेकर 460 मेगावाट तक 9 मिलियन यूनिट प्रतिदिन के स्तर पर हो रहा है। इससे पहले वर्ष 1979 के दौरान मानसून न आने के परिणामस्वरूप जल विद्युत जलाशयों में जल स्तर कम होने तथा इसके परिणाम-स्वरूप जल विद्युत उत्पादन में कमी होने के कारण उत्पादन कम था। तथापि 250 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाला तलचेर ताप विद्युत केन्द्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। इस समय इससे उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा 60 मेगावाट से 70 मेगावाट के लगभग है। तलचेर ताप विद्युत केन्द्र के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए जो उपचारी उपाय किये जाने आवश्यक हैं वे उपाय राज्य सरकार को सुझाए गए हैं।

गोवा को सामान्य सप्लाई बहाल करना

4346. श्रीमती संयोगिता राणे : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा के विद्युत मन्त्री ने उनके साथ भेंट की थी और उनसे अनुरोध किया था कि वह कर्नाटक से संघ राज्य-क्षेत्र गोवा को 0.75 मिलियन यूनिट की उसकी सामान्य दैनिक सप्लाई बहाल करने के लिए कहें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मानसून के आ जाने से कर्नाटक में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है। कर्नाटक सरकार अब गोवा को 28-6-1980 से प्रतिदिन 7.5 लाख यूनिट विद्युत सप्लाई करने के लिए सहमत हो गई है ।

पेट्रो केमिकल कम्प्लेक्स, हल्दिया के लिए विदेशी सहयोग

4347. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री पी० एम० सईद
श्री गुलाम रसूल कोचक } : **क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या हल्दिया में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित पेट्रो-केमिकल कम्प्लेक्स में पश्चिमी यूरोप, अमरीका तथा जापान से गैर सरकारी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा बड़े तौर पर सहयोग किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में इन देशों के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि जर्मनी-जापान, फ्रांस, ब्रिटेन के बैंकों ने सहायता प्रदान करने में बड़ी रुचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो हल्दिया के प्रस्तावित पेट्रो-केमिकल्स कम्प्लेक्स का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ग) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उनके प्रस्तावित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा ऋण का प्रबन्ध सम्बद्ध इन्जीनियरिंग और उपकरणों के ठेकेदारों के देशों की वित्तीय संस्थानों के पास उपलब्ध ऋणों में से ही होने का अनुमान है। रिपोर्ट में इस बात की भी कल्पना की गई है कि 20% मात्य पूंजी का प्रबन्ध विदेशी ठेकेदारों तथा सम्भवतः एक या अधिक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जायेगा ।

(ख) और (घ) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

रुमानिया को पन-बिजली पर स्थापित करने की पेशकश

4348. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री पी० एम० सईद } : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पन-बिजली घर स्थापित करने के लिये कार्य आरम्भ से लेकर पूरा होने तक की अवधि कम करने हेतु रुमानिया द्वारा तकनीकी जानकारी दिये जाने की पेशकश के बारे में कोई अंतिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन शर्तों पर पेशकश की गई है;

(ग) कार्य आरंभ से कार्य पूरा होने तक की अवधि कितनी कम हो जायेगी; और

(घ) पेशकश स्वीकार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पन बिजली केन्द्रों की अधिष्ठापित क्षमता

4349. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री पी० एम० सईद
श्री गुलाम रसूल कोचक } : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3,507 मेगावाट की कुल अधिष्ठापित क्षमता वाली चौदह पन बिजली परियोजनाएं सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की प्रतीक्षा में है ।

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के कहां-कहां स्थापित किये जाने की संभावनाएं हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई 3478 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता को 12 जल विद्युत स्कीमों पर इस समय निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है क्योंकि इनके बारे में अभी कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक हैं । ब्यौरे विवरण में देखे जा सकते हैं ।

विवरण

वे परियोजनाएं जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्वीकृत कर दी हैं परन्तु जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग/योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जानी है

क्रम सं०	स्कीम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति की तारीख	तकनीकी जांच की वर्तमान स्थिति
	उत्तरी क्षेत्र				
1.	मानेरी भाली चरण-2	उत्तर प्रदेश	3×52=156	अगस्त, 77	निवेश संबंधी निर्णय देने के लिये योजना आयोग से अनुरोध किया गया है

1 2	3	4	5	6
2. पीन	पंजाब	4 × 120 = 480	फरवरी, 79	क्रियान्वयन, वित्त व्यवस्था तथा लाभों के बंटवारे के संबंध में निर्णय नहीं लिए गए हैं।
3. अपर बारी दोआब नहर चरण-2	पंजाब	3 × 15 = 45	फरवरी, 79	—वही—
4. दुल हस्ती	जम्मू और कश्मीर	3 × 130 = 390	मई, 79	लोक निवेश बोर्ड के ज्ञापन की जांच की जा रही है।
5. नाथपा झाकरी	हिमाचल प्रदेश	6 × 170 = 1020	फरवरी, 80	क्रियान्वयन और वित्त व्यवस्था के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है जिसके बाद लोक निवेश बोर्ड के लिए ज्ञापन तैयार किया जाएगा।
6. उरी	जम्मू और कश्मीर	4 × 120 = 480	मार्च, 80	क्रियान्वयन और वित्त व्यवस्था संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।
पश्चिमी क्षेत्र				
7. पवना	महाराष्ट्र	1 × 10 = 10	नवम्बर, 80	निवेश संबंधी निर्णय देने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया गया है।
दक्षिणी क्षेत्र				
8. नागार्जुन सागर चरण-दो	आन्ध्र प्रदेश	3 × 100 = 300	फरवरी, 80	—वही—

1	2	3	4	5	6
9.	श्रीशैलम चरण-दो	आन्ध्र प्रदेश	3 × 110 = 330	मार्च, 80	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग की स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा परियोजना की सिफारिश योजना आयोग को दी जा रही है।
10.	पोचमपाद	आन्ध्र प्रदेश	3 × 9 = 27	मार्च, 80	–वही–
11.	साइलेंट वैली	केरल	2 × 60 = 120	फरवरी, 79	समस्त संसार के पर्यावरण वैज्ञानिकों तथा परिस्थिति वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई गंभीर आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए, मामले की पुनः जांच की जा रही है।
12.	लोअर मैत्तूर	तमिलनाडु	8 × 15 = 120	नवम्बर, 78	परियोजना की संशोधित रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मई, 1980 में स्वीकृत कर दी है।

ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई

4350. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री पी० एम० सईद
श्री गुलाम रसूल कोचक } : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताप विद्युत संयंत्रों का कार्यनिष्पादन खराब होने का एक महत्वपूर्ण करण यह है कि अधिकांश संयंत्र इतना कोयला नहीं जमा कर पाये हैं जो तीन चार सप्ताह तक चल सके;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त कारणों की वजह से, मानसून के दौरान स्थिति और बिगड़ सकती है क्योंकि कोयले के लाने ले जाने में अनिश्चित विलम्ब हो सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो संयंत्रों में कोयले का स्टाक जमा करने के लिए तत्काल क्या उपाय किये जा रहे हैं और क्या इन संयंत्रों को सप्लाई बराबर बनाये रखी जाती है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में सुधार लाने के लिए कई उपाए किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. कोयला कम्पनियों और रेलवे से कहा गया है कि विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करें।
2. कोयला विभाग, रेलवे और विद्युत विभाग के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रखा जा रहा है और विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय अन्तर-मंत्रालयीय बैठकें समय-समय पर की जाती हैं।
3. कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ताप विद्युत केन्द्रों पर कोयले के स्टाक की मानीटरिंग की जाती है।
4. मंत्रिमण्डलीय ओद्योगिक अवसंरचना समिति भी कोयले के उत्पादन और ढुलाई पर विशेष रूप से विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई पर, लगातार निगरानी रख रही है।

रायचूर तापीय विद्युत परियोजना, कर्नाटक

3551. श्री बी० बी० देसाई : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में रायचूर तापीय परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) इस पर कुल कितनी लागत आयेगी;

(ग) इसकी कुल क्षमता कितनी होगी;

(घ) इसमें विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) यह परियोजना कर्नाटक राज्य में किस हद तक बिजली उपलब्ध करायेगी;

(च) क्या इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई विदेशी सहायता मांगी हुई थी;

(छ) अब तक कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ज) क्या निर्माण कार्य में विलम्ब होने से इसकी लागत बढ़ गई है, यदि हां, तो कितनी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) यह परियोजना मैसूर पावर कारपोरेशन द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने जो सूचना दी है उसके अनुसार रायचूर

ताप विद्युत परियोजना का 210 मेगावाट क्षमता का पहला यूनिट 1982-83 के दौरान चालू किए जाने की तथा 210 मेगावाट क्षमता का दूसरा यूनिट 1983-84 तक चालू किए जाने की आशा है।

(ख) परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 220 करोड़ रुपए है।

(ग) इस समय स्वीकृत की गई परियोजना की कुल क्षमता 420 मेगावाट है।

(घ) भूमि सौंपे जाने में हुई देरी के कारण परियोजना पर कार्य शुरू नहीं किए जा सके।

(ङ) यूनिटों के चालू हो जाने के पश्चात कर्नाटक राज्य में प्रतिदिन 420 मेगावाट या 6.0 मिलियन यूनिट अतिरिक्त बिजली पैदा होगी।

(च) जी, नहीं।

(छ) मार्च, 1980 के अन्त तक 21.42 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं।

(ज) परियोजना का मूल अनुमान 159.25 करोड़ रुपए था। उपस्कर और सिविल कार्यों की लागत में वृद्धि होने के कारण परियोजना द्वारा अब बताई गई संशोधित लागत लगभग 220 करोड़ रुपए है।

पन बिजली घर स्थापित करने के लिये रुमानिया की पेशकश

4352. श्री बी० वी० देसाई : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुमानिया सरकार ने भारत में बिजली घर स्थापित करने के बारे में पूरा सहयोग देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई पेशकश और सहयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रूमानिया सरकार की सहायता से कौन से पन बिजलीघर स्थापित किये जायेंगे ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पन बिजलीघरों को प्राथमिकता देना

4353. श्री बी० वी० देसाई : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तापीय बिजलीघरों पर पन बिजलीघरों को अधिक प्राथमिकता देने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ऊर्जा नीति पर कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि ऊर्जा की कुल सप्लाई में जल विद्युत उत्पादन के भाग को भावी योजनाओं की अवधियों में बढ़ाया जाए। ऊर्जा नीति पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

जल विद्युत उत्पादन के लाभ निम्नलिखित हैं :—

1. प्रचालन सम्बन्धी लागत कम होना।

2. जल साधनों का उपयोग। यह एक नवीकरणीय साधन है।

3. प्रदूषणहीन प्रचालन।

3. कोयले के खनन और उसकी ढुलाई की मात्रा में कमी होना।

आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोयला खानों से कोयले की सप्लाई

4354. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश को सिंगरेनी कोयला खानों से कोयले की सप्लाई करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कोयला खानों से आंध्र प्रदेश को कुल कितनी मात्रा में कोयला सप्लाई किया जाना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कोयले में "एश" के तत्व बहुत अधिक हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार कोयला खानों के समीप अथवा ताप बिजली परियोजनाओं के समीप धावनशाला (वाशरीज) की स्थापना करने के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी आंध्र प्रदेश को पहले ही कोयला सप्लाई कर रही है। यह कम्पनी अन्य दक्षिणी राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की कोयले की मांग का एक बहुत बड़ा भाग भी पूरा करती है।

(ख) सिंगरेनी कोलियरीज कं० 1979-80 में अपने 9.38 मि० टन के कुल उत्पादन में से 4.87 मि० टन कोयला आन्ध्र प्रदेश के उपभोक्ताओं को ही सप्लाई किया।

(ग) सिंगरेनी के कोयले में सामान्य तौर पर राख का अंश बहुत रहता है।

(घ) से (च) कोयले के परिष्कार के लिए वाशरियां आमतौर पर कोयला खानों के नजदीक ही स्थापित की जाती हैं। ताप बिजली घरों में इस्तेमाल की दृष्टि से अकोकर कोयले के परिष्कार के लिए वाशरियां स्थापित करने की साध्यता पर विचार किया जा रहा है। ऐसी वाशरियां स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय इस प्रस्ताव का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हो जाने के बाद ही लिया जा सकेगा। वाशरियां कोयला खानों के पास ही स्थापित की जाएगी ताकि परिवहन साधनों को रद्द माल बहुत दूर तक न ले जाना पड़े।

पन बिजली घर की स्थापना के लिए रूमानिया की पेशकश

4355. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पन-बिजली घर की स्थापना की निर्माणावधि को कम करने हेतु तकनीकी जानकारी के लिए रूमानिया द्वारा की गई पेशकश के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और शर्तें क्या है जिस पर पेशकश की गई है; और

(ग) पेशकश को स्वीकार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बिजली ग्रिड

4356. **श्री नवीन रवाणी :** क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने एक राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के निर्माण के लिए राज्यों के परामर्श से कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके निर्माण में कितना समय लगेगा;

(घ) इसका कार्य क्या होगा; और

(ङ) क्या राज्यों ने केन्द्र द्वारा मुहानों पर सुपर ताप बिजली घरों की स्थापना के लिए भी सहमति दे दी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) यह समझा गया है कि देश में विद्युत के इष्टतम पारेषण और विकास के लिए एक उच्च वोल्टता पारेषण प्रणाली का निर्माण और परस्पर सम्बद्ध प्रचालन आवश्यक है। राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली का इस प्रकार का निर्माण और प्रचालन एक विकासात्मक प्रक्रिया है, जिसके लिए क्षेत्रीय प्रणालियों को परस्पर-सम्बद्ध करना तथा इन प्रणालियों को सशक्त बनाना और इनका आवर्धन करना आवश्यक होगा। अन्तर्क्षेत्रीय सम्बन्धों को सशक्त बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय सरकार अन्तर्राज्यीय लिंकों के निर्माण के लिए राज्यों को 100% ऋण के रूप में धन दे रही है। एक 400 के०वी० पारेषण प्रणाली की योजना बनाई जा रही है जिसका निर्माण कार्य क्रम-बद्ध ढंग से हाथ में लिया जायेगा।

(घ) राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से राज्यों और क्षेत्रों के बीच विद्युत का वल्क आदान-प्रदान सम्भव होगा तथा विद्युत के सन्साधनों का इष्टतम विकास और पारेषण करना भी संभव होगा।

(ङ) चूंकि केन्द्र द्वारा बनाए जाने वाले ताप विद्युत केन्द्रों का लाभ राज्यों को प्राप्त होगा, अतः राज्य सरकारें सामान्यतः कोयले के पिट-हैडों पर सुपर ताप विद्युत केन्द्र बनाए जाने के पक्ष में हैं।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

4357. **श्री पी० राजगोपल नायडू** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसी वर्ष सभी गांवों में बिजली देने का काम पूरा करने के लिए देश के कुछ जिलों का चयन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में किन जिलों का चयन किया गया था ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (विक्रम महाजन) : (क) विभिन्न राज्यों में कुछ चुने हुए जिलों में सभी गांवों तक बिजली का पूर्णतः विस्तार करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने, राज्य बिजली बोर्डों के साथ परामर्श करके, एक कार्यक्रम तैयार किया है।

(ख) वर्ष 1980-81 में सभी गांवों को बिजली देने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में मेडक रंगारेड्डी तथा अनन्तपुर जिलों को चुना गया है।

एरोमैक्स की अनुपलब्धता

4358. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिगबोई से एरोमैक्स, जिसका प्रयोग पूरे भारत में कीटनाशक दवाइयों के निर्माताओं द्वारा किया जाता है, की अनुपलब्धता के कारण खरीफ की फसल, को सम्पूर्ण भारत में भारी हानि पहुंचेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके अवयव का जो कि एरोमैक्स का एक उपोत्पादन है, आयात करना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि इस संसार के बहुत थोड़े ही देश इसका उत्पादन करते हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि दिगबोई में पर्याप्त भंडार हैं और यदि पूरे देश में उनको सप्लाई किया जाए तो वे आगे तीन और महीनों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) एरोमैक्स की आंशिक उपलब्धता अथवा अनुपलब्धता से कीटनाशी दवाइयों के निर्माण और खरीफ के समय कीट नियंत्रण कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। परन्तु एरोमैक्स के कई जाइलीन, साइक्लो-हेक्सानोन, ईओमेक्स आदि जैसी स्थानापन्न औषधियां हैं। स्थानापन्न कीटनाशक भी चूर्ण और गीले पाउडर की दवाइयों के रूप में उपलब्ध हैं। असम में गड़बड़ी की परिस्थितियों के कारण जनवरी से मार्च, 1980 के दौरान दिग्बोई के स्टाक की सप्लाई करने पर बुरा प्रभाव पड़ा है। परन्तु दिग्बोई शोधनशाला में एरोमेक्स का उत्पादन बढ़ रहा है और आशा है कि सामान्य उत्पादन से आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी।

कैमिकल कम्प्लेक्स, हल्दिया के लिए संस्थानों द्वारा वित्तीय तथा प्रौद्योगिकी सहयोग

4359. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैट्रो-कैमिकल कम्प्लेक्स, हल्दिया के सम्बन्ध में गैर-सरकारी क्षेत्र के अनेक संस्थानों ने काफी रुचि दिखाई है और उसके लिए उनके द्वारा बड़े तौर पर वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहयोग किए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा की गयी पेशकश क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि० से प्राप्त विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट के अनुसार निगम को कई पार्टियों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) जब तक सरकार इन प्रस्तावों पर निर्णय न ले ले तब तक इनका ब्यौरा प्रकाशित नहीं किया जा सकता।

(ग) अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

तेल सम्बन्धी खोजों के लिए परिव्यय

4360. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा गठित नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल ने तेल सम्बन्धी खोजों के लिए अधिक परिव्यय का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) योजना आयोग द्वारा स्थापित ऊर्जा नीति पर कार्यकारी दल के अध्यक्ष ने दिसम्बर, 1979 में कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय अपने पत्र में कहा था कि तेल अन्वेषण के एक विशाल कार्यक्रम की आवश्यकता है ।

(ख) इस रिपोर्ट में अन्वेषण कार्यक्रम को तेज करने का कोई ब्योरा नहीं दिया गया है और न हि तेल अन्वेषण में निवेश के कोई आंकड़े दिये गये हैं । परन्तु तेल अन्वेषण प्रक्रियाओं के तेज करने के लिए समय-समय पर योजनाए तैयार की जाती हैं और कार्यान्वयनाधीन है ।

मंगलूर में तेल शोधक कारखाना

4361. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलूर में एक तेल-शोधक कारखाना लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार 1985-86 के बाद अतिरिक्त शोधन क्षमता तैयार करने के प्रश्न पर नियुक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है जिसने मंगलूर को भी नई शोधनशाला स्थापित करने की संभावित जगह के बारे में सलाह दी है ।

कोयला खानों का क्षमता से कम कार्यकरण

4362. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इण्डिया लिमिटेड के अधीन अनेक कोयला खानों में क्षमता से कम कार्य हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० की कुछ कोलियरियां, विशेष रूप से बिहार-बंगाल क्षेत्र की कोलियरियां अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रही हैं। अपनी क्षमता का कम उपयोग करने का प्रमुख कारण कुछ बाधाओं की वजह से कोयले का कम उत्पादन है, यह बाधाएं हैं—बिजली की कम उपलब्धि, कानून और व्यवस्था की अनिश्चित स्थिति तथा अन्य आवश्यक उत्पादक सामग्री की कमी।

हांडा रोटेरी मशीन्स लिमिटेड के कार्यकरण में अनियमितताएं

4363. श्री निहाल सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हांडा रोटेरी मशीन्स लिमिटेड में पायी गई अनियमितताएं क्या हैं और जून, 1975 में जांच करने के लिये नियुक्त किये गए अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) यह जांच किस तारीख तक पूरी हो जायेगी ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) कम्पनी के कार्यकलापों की कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 (ख) के अन्तर्गत जांच की गई थी। निरीक्षक ने एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस बीच कम्पनी परिसमापित हो गई, एवं शासकीय समापक को कम्पनी का कार्य-भार सौंप दिया गया। पुनः केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कुछ दुराचारों की बाबत जांच की थी; तथा उन्होंने कम्पनी के निदेशकों तथा कुछ अन्यों के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया था। इन हालातों को दृष्टि में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शासकीय समापक को उपकरणों आदि के कार्यों से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं, कम्पनी विधि बोर्ड ने निर्णय किया कि जांच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत किये गये आरोप पत्र में, साथ-साथ षडयंत्र, आपराधिक धोखा-धड़ी, लेखाओं के कूटकरण आदि के आरोप उल्लिखित हैं। मुकदमे में लगने वाले समय की भविष्यवाणी करना कठिन है।

हिन्दुस्तान और स्टेंडर्ड मोटर्स द्वारा कम्पनी नियमों का उल्लंघन

4364. श्री निहाल सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मोटर्स और स्टेन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट की स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना के समय इनके कितने साझेदार थे और अब कितने साझेदार हैं; और

(ख) क्या उक्त कम्पनियों द्वारा कम्पनी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और क्या सरकार को इस बारे में उनके विरुद्ध शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड शुरू में 11 फरवरी, 1942 को बड़ौदा राज्य में पंजीकृत की गई थी। मैसर्स स्टेन्डर्ड मोटर्स प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड की 2 सितम्बर, 1948 को स्थापना हुई थी। चूंकि ये लिमिटेड कम्पनियां हैं अतः इनके साझीदार नहीं हैं। जहां तक हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड का सम्बन्ध है, उसके निर्माण के समय 3 निदेशक थे और वर्तमान निदेशकों की संख्या 9 है। जहां तक स्टेन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड का सम्बन्ध है, निर्माण के समय 3 निदेशक थे और इस समय 8 निदेशक हैं।

(ख) कम्पनी अधिनियम की धारा 209क के अन्तर्गत हिन्दुस्तान मोटर्स के कार्य का निरीक्षण सम्पन्न किया गया था तथा इस सम्बन्ध में रिपोर्ट माह अगस्त, 1979 में विभाग में प्राप्त हुई थी। इस निरीक्षण से कतिपय मामूली सी अनियमितताएं और कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के उल्लंघन सामने आये हैं तथा मामलों को कम्पनी के साथ आगे बढ़ाया गया है। शेयरधारियों से कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, जिन पर कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता से परामर्श करके कार्यवाही की जा रही हैं।

कुछ शिकायतें स्टेंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड के सम्बन्ध में, सितम्बर, 1977 में सम्पन्न वार्षिक महा सभा की बैठक में कम्पनी द्वारा प्रस्तावित संकल्पों के विरुद्ध भी, प्राप्त हुई थीं। कम्पनी रजिस्ट्रार और प्रादेशिक निदेशक, मद्रास से आवश्यक रिपोर्टों को मांगने के पश्चात् इन शिकायतों को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि इनसे कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का कोई उल्लंघन प्रकट नहीं हुआ। इस मामले में भी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण सम्पन्न किया गया था तथा निरीक्षण रिपोर्ट अगस्त, 1975 में प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट के निष्कर्षों पर कार्यवाही, जो भी उचित समझी गई विधिवत की गई।

औषध निर्माता एककों द्वारा विदेशी सहयोग

4365. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी सहयोग से चलाये जा रहे प्रत्येक औषध निर्माता एककों के नाम क्या हैं;

(ख) इनमें से कितने जीवन-रक्षक औषधियों का निर्माण करते हैं और इन एककों को कौन-कौन से विभिन्न कर सदा करने पड़ते हैं; और

(ग) क्या जहां तक जीवन-रक्षक औषधियों का सम्बन्ध है उन पर से सभी प्रकार के कर खत्म करने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 40% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी साम्य पूंजी के रूप में वित्तीय साझेदारी के साथ देश में कार्यरत औषध निर्माण एककों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) मैसर्स रिचार्डसन हिन्दुस्तान को छोड़कर ये सभी कम्पनियां इस समय जीवन रक्षक बल्क औषधों/फार्मूलेशनों के निर्माण में लगी हुई है।

देश में निर्मित औषधों पर लगाये गये कर निम्न प्रकार हैं :—

(i) बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के निर्माण के लिये अपेक्षित आयातित कच्चे माल पर सीमा शुल्क (ii) उत्पादन शुल्क (iii) बिक्री कर, चुंगी और अन्य स्थानीय कर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाते हैं जबकि बिक्री कर केन्द्रीय और राज्य बिक्री कर अधिनियम के अनुसार लगाया जाता है। चुंगी राज्यों में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगायी जाती है।

(ग) हाथी समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में बिक्री कर, चुंगी और अन्य स्थानीय करों को समाप्त करने का मामला राज्यों के साथ उठाया गया था। राज्य सरकारों ने आम तौर पर इन करों को समाप्त करने का मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया गया था। राज्यों सरकारों ने आम तौर पर इन करों को समाप्त करने के मामले पर चुप्पी साध रखी है क्योंकि इससे राजस्व की हानी होगी।

जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये शुल्कों का सम्बन्ध है, अनिवार्य औषधों और दवाईयों पर विगत कुछ समय के दौरान समय-समय पर निम्नलिखित रियायतें दी गई हैं :

1. 75 अनिवार्य और जीवन रक्षक फार्मूलेशनों का देश में आयात करने पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया गया है।

2. अनिवार्य और जीवन रक्षक फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिए अपेक्षित 22 बल्क औषधों पर से सीमा शुल्क को हटा दिया गया है।

3. महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक औषधों के उत्पादन के लिये अपेक्षित 17 औषध मध्यवर्ती पदार्थों पर से सीमा शुल्क को 70%/45% सममूल्य से घटाकर 25% सममूल्य तक रखा गया है; और

4. 30 अनिवार्य और जीवन रक्षक औषधों पर आधारित पेटेन्ट अथवा स्वामित्व वाली दवाइयों पर से उत्पादन शुल्क को वर्ष 1980-81 के बजट प्रस्तावों से समाप्त किया गया है।

विवरण

कम्पनी का नाम

1. मैसर्स सी० ई० फुलफोर्ड (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई।
2. मैसर्स ऐबट लेबोरेट्रीज (आई०) प्रा० लि० बम्बई।
3. मैसर्स स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेन्च (आई०) लि०, बंगलौर।
4. मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०, बम्बई।

5. मैसर्स वाईफेन्स (इंडिया) लि०, बम्बई ।
6. मैसर्स बुरोज वेलकम एण्ड कं० (आई०) लि०, बम्बई ।
7. मैसर्स मे एण्ड बेकर लि०, बम्बई ।
8. मैसर्स राक प्रोडक्टस लि०, बम्बई ।
9. मैसर्स पार्के डेविस (इंडिया) लि०, बम्बई ।
10. मैसर्स ग्लेक्सो लेबोरेट्रीज (आई०) लि०, बम्बई ।
11. मैसर्स जोहनसन एण्ड जोहनसन आफ इंडिया लि०, बम्बई ।
12. मैसर्स फाइजर लि०, बम्बई ।
13. मैसर्स सिवा गेगी आफ इंडिया लि० बम्बई ।
14. मैसर्स ई मर्क (आई) प्रा० लि०, बम्बई ।
15. मैसर्स सैंडोज (इंडिया) लि०, बम्बई ।
16. मैसर्स मर्क सार्प एण्ड धोमे आफ इंडिया लि०, बम्बई ।
17. मैसर्स दि बूटस कम्पनी (इंडिया) लि० बम्बई ।
18. मैसर्स हैक्स फार्मास्यूटिकल्स लि० बम्बई ।
19. मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड, हैदराबाद ।
20. मैसर्स ओग्रेनन इंडिया लि०, कलकत्ता ।
21. मैसर्स यूनी सैंको लि०, हैदराबाद ।
22. मैसर्स तथ लेबोरेटरीन लि०, बम्बई ।
23. मैसर्स बेयर (इंडिया) लि०, बम्बई ।
24. मैसर्स सिनामिड इंडिया लि०, बम्बई ।
25. मैसर्स अल्काली एण्ड केमिकल्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०, कलकत्ता ।
26. मैसर्स जोयफरी मैनर्स एण्ड कं० लि०, बम्बई ।

हिन्दी और अंग्रेजी समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन

4366. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार और सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापनों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह जानने का प्रयास किया है कि विशेषकर हिन्दी भाषी उत्तरी भारत के मामले में आम आदमी हिन्दी समाचारपत्र की तुलना में अंग्रेजी समाचार पत्र को क्यों खरीदता है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या सरकार ने हिन्दी समाचार पत्रों के विकास के लिये अनुदान देने की अथवा अन्य कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अंग्रेजी और हिन्दी के समाचारपत्रों को जो विज्ञापन जारी किए गए थे उनका स्थान और राशि इस प्रकार है :

अंग्रेजी

वर्ष	स्थान सेंटीमीटर में	राशि रुपयों में
1977-78	7,88,212	95,61,256
1978-79	9,91,930	112,08,028
1979-80	9,30,349	107,90,826

हिन्दी

वर्ष	स्थान सेंटीमीटर में	राशि रुपयों में
1977-78	8,69,120	54,69,533
1978-79	10,53,197	72,63,603
1979-80	9,66,237	65,53,126

(ख) और (ग) सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई अध्ययन हाथ में नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों (हिन्दी के समाचारपत्रों सहित) के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकार छोटे और मझोले समाचारपत्रों, जिनकी श्रेणी के अन्तर्गत हिन्दी के समाचारपत्रों सहित अधिकांश भाषायी समाचारपत्र आते हैं, को कतिपय सुविधाएं/रियायतें प्रदान करती रही है। उदाहरणार्थ चालू अखबारी कागज आबंटन नीति के अन्तर्गत, छोटे और मझोले समाचारपत्र अखबारी कागज की अपनी आरम्भिक हकदारी में क्रमशः 15% और 10% की बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे। सरकार विज्ञापन देने के मामले में भी उपर्युक्त श्रेणियों के समाचारपत्रों को उपलक्ष धन (वेटेज) देती रही है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, हिन्दी के समाचारपत्रों को साप्ताहिक समाचार समीक्षा, ग्रामीण पत्र सेवा (साप्ताहिक), कृषि पत्रिका, विज्ञान पत्रिका और संचार पत्रिका जैसी अनेक सेवाएं पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रदान की जा रही हैं। बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए वर्ष 1981-84 के लिए संशोधित छठी 'योजना' के प्रस्तावों के अंग के रूप में पत्र सूचना कार्यालय के कई कार्यालय हिन्दी भाषी राज्यों में खोलने का प्रस्ताव है। उपरि उल्लिखित रियायतें और योजनाएं हिन्दी समाचारपत्रों के विकास और कुछ हद तक उनकी परिचालन संख्या और पाठकों की संख्या में वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगी।

एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन करके जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस

4367. श्री ब्रजमोहन मोहन्ती : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-1979 के दौरान एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन करके कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए और औद्योगिक घरानों के नाम, निवेश की राशि और उल्लंघन के कारणों सहित ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई मूल्यांकन किया है कि क्या उक्त अधिनियम ने एकाधिकार व्यापार और धन का केन्द्रीयकरण समाप्त कर दिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1977-1979 की अवधि के मध्य, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुये औद्योगिक लाइसेंस के प्रेषण की बाबत विभाग के पास किसी मामले की सूचना नहीं है।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 10 तथा 31 के अन्तर्गत, अवरोधक तथा एकाधिकारी व्यापारिक व्यवहारों की जांच करता है। 1970 में इसकी स्थापना के पश्चात् से, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने 31-12-1979 तक अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों की 349 जांचें संस्थापित की हैं। आयोग ने 31-12-1979 तक 276 जांचें निपटा दी हैं, तथा 129 मामलों में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 10(क) के अन्तर्गत, 'बन्द करो और बाज आओ' आदेश पारित किये हैं। यह एक ऐसा मामला है, जिस पर लगातार सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

जहां तक आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण का सम्बन्ध है, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत अथवा पंजीकरणयोग्य सभी उपक्रमों द्वारा प्रस्तावित, कार्य-कलापों की नवीन क्षमता सृजित करने, अथवा विस्तार या एकीकरणों के लिये, सरकार का अनुमोदन आवश्यक है तथा इन प्रस्तावों के लिये अनुमोदन केवल वहां प्रदान किया जाता है जहां यह जन हित के लिये अपेक्षित हो।

अतारांकित प्रश्न संख्या 197 दिनांक 16.6.1980 में शुद्धि करने वाला विवरण

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : श्री भीखा भाई द्वारा 10-6-1980 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 197 के उत्तर में निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :

"देश में बृहद, मध्यम और लघु नदी/नहर परियोजनाओं से 1979-80 के अन्त तक कुल 30.9 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र के सिंचित होने की संभावना है। भूतल जल संसाधनों में 22.0 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र के सिंचित होने की संभावना है।

देश का कुल कृषि-योग्य क्षेत्र लगभग 140 मिलियम हैक्टेयर है। इस प्रकार, वर्षा के जल पर निर्भर क्षेत्र 87 मिलियन हैक्टेयर है।"

अब यह देखा गया है कि देश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र से संबंधित जो आंकड़े दिये गये थे वह निवल क्षेत्र के आंकड़े थे। भूमि के उपयोग के बारे में वर्ष 1978-79 के अब उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, उक्त अतारांकित प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा:

"भूमि के उपयोग के बारे में उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों (1978-79) के अनुसार, सकल बुवाई क्षेत्र और सभी साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र क्रमशः 173.30 और 48.48 मिलियन हैक्टेयर है। केवल भूतल जल साधनों से सिंचित सकल क्षेत्र 29.80 मिलियन हैक्टेयर था। इस प्रकार वर्षा के जल पर निर्भर सकल क्षेत्र 124.82 मिलियन हैक्टेयर है।"

सदस्यों की गिरफ्तारी और रिहाई

(सर्वश्री जयपाल सिंह कश्यप और चन्द्रपाल शैलानी)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को एक सूचना देनी है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा (**व्यवधान**) ××

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि मुझे उपायुक्त-पुलिस, जिला नई दिल्ली, नई दिल्ली का दिनांक 14 जुलाई, 1980 का निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है:

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि सर्वश्री जयपाल सिंह कश्यप और चन्द्र पाल शैलानी, संसद-सदस्य, जिनकी गिरफ्तारी के बारे में आपको सूचित किया था, 14-7-80 को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली, श्री प्रेम कुमार की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उपरोक्त संसद सदस्यों की प्रताड़ना की 14-7-80 को ही 6.15 बजे सांय तक की सजा दी।"

श्री रशीद मसूद, संसद सदस्य की गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ किए गए व्यवहार के बारे में

अध्यक्ष महोदय : 11 जुलाई, 1980 को मैंने सदन को सूचित किया था कि श्री जार्ज फर्नान्डिस से प्राप्त हुए एक पत्र के साथ श्री रशीद मसूद के 9 जुलाई, 1980 के पत्र में उनकी गिरफ्तारी के समय किए गए व्यवहार के बारे में बताया गया है, जिसे इस मामले पर वस्तुस्थिति का ब्यौरा देने के लिए गृह मन्त्रालय को भेज दिया गया है।

×× कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सदन में श्री एन०के० रामालिंगम के मामले के बारे में भी उल्लेख किया गया था, जिन्होंने मई,1979 को सदन को सूचित किया था कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने पीटा था तथा उचित चिकित्सा सहायता नहीं दी। और अध्यक्ष से मांग की कि सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा हेतु इसके साथ-साथ, इस मामले में न्यायिक जांच कराने के लिए सरकार को निदेश दिए जायें।

इस पर नियम 222 के अधीन श्री वसन्त साठे संसद सदस्य द्वारा, विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना उसी दिन दिए जाने पर कार्यवाही शुरू हुई। मेरे प्रतिष्ठित पूर्वाधिकारी अध्यक्ष महोदय हेगडे ने मामले पर निम्नांकित टिप्पणी की थी :—

> "प्रथम मई को घटी घटना के दो पाठांतर हैं—एक जो गृह मन्त्रालय ने दिया है और दूसरा श्री रामालिंगम ने। श्री रामालिंगम का कहना यह नहीं है कि जब वे संसद सदस्य के रूप में अपना कर्त्तव्य पालन कर रहे थे तो, उन्हे कोई हानि पहुंचायी गई। इस प्रकार के मामलों में विधि न्यायालयों को इस पर विचार करना चाहिए था। विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह स्थिति बिलकुल स्पष्ट है इस पर किसी प्रकार की अनुमति/सम्मति नहीं चाहिए।"

उपर्युक्त टिप्पणी के प्रकाश में, इस मामले पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने या नियम 222 के अधीन सहमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी चूंकि माननीय सदस्य श्री रशीद मसूद ने शिकायत की है और जब श्री रशीद मसूद पुलिस में बन्दी थे तो, दूसरे माननीय सदस्य ने उसे प्रेषित किया था तो, गृह मन्त्रालय से वस्तुस्थिति का शीघ्र पता लगाने के लिए कहा जायेगा।

श्री रामविलास पासवान : (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल 10 बजे के पहले मैंने एक पत्र लिखकर आपको दिया था। स्वामी इन्द्रवेश जी की गिरफ्तारी हुई। आपने बुलेटिन में दिया है, स्वामी इन्द्रवेश जी की 12 बजकर 15 मिनट पर गिरफ्तारी हुई, मैंने आपको पत्र लिखा कि 10 बजे रात तक उनको एक कप चाय तक नहीं दी गई···××

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मेरी अनुमति बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए। आप नियमाधीन प्रस्ताव लाइये। आप इस तरह से सदन में नहीं उठा सकते।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मैंने आपको विशेषाधिकार के तीन नोटिस दिए हैं। श्री जयपाल कश्यप जी के बारे में तो आपसे मिला भी था·····

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार हो रहा है। मैंने वस्तुस्थिति भेजने के लिए लिख दिया है।

श्री मनीराम बागड़ी : आपसे बात हुई थी। आपने हमको जो इत्तला दी वह गिरफ्तारी की इत्तला थी लेकिन कल वे रिहा हो गए, उनकी रिहाई की इत्तला·····

अध्यक्ष महोदय : हाउस तो अब मीट हुआ है।

श्री मनीराम बागड़ी : आपने गिरफ्तारी की इत्तला हमको कब दी ?

××कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : बुलेटिन में दे दिया है। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : आपने पुलिस वालों को पुरस्कार दिया है। मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया था, 12-15 औरतों को नंगा नचाया गया है (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा, नेशनल कोआपरेटिव लैण्ड डिवलपमैंट बैंक्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978-79 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1063/80]**

(2) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा** (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी-०1064/80]**

(3) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा*** (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1065/80]**

(4) (एक) नेशनल कोआपरेटिव लैण्ड डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन, बम्बई के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1066/80]**

(5) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन—भाग 2 (प्रशासन और वित्त) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1067/80]

(6) कम्पनी अधिनियम' 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पंजाब कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1976-77 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पंजाब कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1068/80]

केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन, संस्थान, वाराणसी के वर्ष 1978-79 के लेखापरीक्षित लेखा, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के लेखापरीक्षित लेखा और विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण, रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी के वर्ष 1978-79 के लेखा-परीक्षित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1069/80]

(2) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के लेखापरीक्षित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1070/80]

(3) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन****(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1071/80]

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । श्री फैलीरो । (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : मैंने श्री रशीद मसूद की गिरफ्तारी के बारे में लागू होने वाले नियमों का पालन न करने पर, जिला मजिस्ट्रेट मेरठ के विरुद्ध 222 और 223 नियमों के अधीन एक प्रस्ताव की सूचना दी है। यदि उसने माफी मांग ली है, तो आप सदन में उसे पढ़कर सुनाइये। हम उस क्षमायाचना को स्वीकार कर लेंगे। परन्तु इसे इस प्रकार नहीं दबाया जा सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे बुलेटिन में दे दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप केवल सदन को यह पढ़कर सुना दीजिए कि जिला मजिस्ट्रेट ने माफी मांग ली है। सदन को यह पता चलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सन्देश में कहा गया है :

"·····तदनुसार 9-7-1980 को साढ़े बारह बजे अपराह्न श्री रशीद मसूद, संसद सदस्य को बागपत में गिरफ्तार किया गया और फिर साढ़े सात बजे सायं ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मेरठ के सामने पेश किया गया, जिन्होंने 10-7-1980 तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। 9-7-1980 को श्री रशीद मसूद को जिला जेल मेरठ में भेज दिया गया।

मुझे हार्दिक खेद है कि यह सूचना आपको पहले नहीं भेजी जा सकी, जिसके लिए मैं आपके हस्तक्षेप की याचना करता हूं।" (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सदन की कार्यवाही में बाधा क्यों डालना चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि आपको सहयोग चाहिये तो आपको निष्पक्ष रहना होगा। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट के विरुद्ध नियमों की उपेक्षा करने के लिये विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा था जो नियम मैंने उस दिन उद्धृत किये थे, उन्होंने उन उपबन्धों का पालन नहीं किया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि इसमें कोई बात छूट गयी है तो, आप दोबारा बता सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस व्यक्ति ने जानबूझकर सदन से यह सूचना छिपाई। नियमों के अधीन उनके लिए यह आवश्यक है·····(व्यवधान) नौकरशाहों को इस प्रकार संरक्षण मत दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को संरक्षण प्रदान नहीं कर रहा हूं। मैं संरक्षण क्यों दूं ? वे मेरे क्या लगते हैं ? श्री फैलीरो।

अविलम्बनीय लोक महत्व क विषय की ओर ध्यान दिलाना

पूर्वोत्तर राज्यों की तोड़फोड़ की कथित "आपरेशन ब्रह्मपुत्र" नामक योजना का समाचार

श्री एड्मण्ड फैलीरो (मारमुगाओ) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे उस पर एक वक्तव्य दें :—

मेघालय, त्रिपुरा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा असम और अरुणाचल प्रदेश के कुल भागों को मिलाकर एक नए स्वतन्त्र राष्ट्र की स्थापना करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर राज्यों की तोड़फोड़ की "आपरेशन ब्रह्मपुत्र" नामक विस्तृत योजना के समाचार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे आपकी अनुमति चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? क्या आपने मुझे कुछ लिखित में दिया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

नियम 197 (2) (11) में यह व्यवस्था है :

"किसी एक बैठक के लिए 10 तक प्राप्त सूचनाएं उस दिन के लिए 10 बजे तक प्राप्त सूचनाएं मानी जायेंगी और एक ही विषय पर प्राप्त प्रत्येक सूचना की सम्बद्ध पूर्ववर्तिता निश्चित करने के लिए बैलट किया जायेगा ।"

महोदय, आप 15 जुलाई के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ग्रहीत कर सकते हैं किन्तु नियम के अनुसार सूचना 14 जुलाई को 10 बजे तक दी जा सकती है और 15 जुलाई के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये 14 जुलाई की दोपहर को बैलट करना होगा । किन्तु आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को 11 जुलाई को परिचालित कर दिया गया था । अतः इसमें नियम 197 के अन्तर्गत दी गई सामान्य प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : 12 और 13 को छुट्टी थी । मैंने इस तथ्य को ध्यान में रखा है । मैं अब उसका उत्तर दूंगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर ने मुझे लिखा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सामान्य तौर पर एक दिन पहले ग्रहीत किये जाते हैं, जबकि आज की कार्यसूची में सम्मिलित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कई दिन पहले अर्थात् 11 जुलाई, 1980 को ग्रहीत किया गया था ।

वर्तमान सूचना के बारे में सदन को याद होगा कि 11 जुलाई को जब इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मामला सदन में उठाया गया था तो मैंने यह कहा था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मैं सक्रिय रूप से विचार कर रहा हूं । इसी घोषणा के अनुसार मैंने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को

[अध्यक्ष महोदय]

आज के लिये ग्रहीत किया क्योंकि सोमवार 14 जुलाई को देश में टेलीफोन सेवा में भ्रष्टाचार विषय पर एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ग्रहीत किया जा चुका था।

मैं इस बात से सहमत हूं कि सामान्य प्रक्रिया यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक दिन पहले ग्रहीत किया जाता है। किन्तु ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं कि भूतकाल में जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक अथवा अधिक दिन पहले ग्रहीत किये गये थे।

उदाहरण के तौर पर, सोमवार, 2 अप्रैल, 1979 को बुद्धवार, 4 अप्रैल के लिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ग्रहीत किया गया था। सदन की 3 अप्रैल, 1979 को भी बैठक थी। उसी प्रकार शनिवार, 8 अप्रैल, 1978 को मंगलवार, 11 अप्रैल, 1978 के लिये एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ग्रहीत किया गया था सदन की बीच वाले दिन अर्थात् 10 अप्रैल को भी बैठक थी। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे उदाहरण होंगे।

मैंने पाया है कि नियमों में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कुछ दिन पहले ग्रहीत न किया जा सके।

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : महोदय, 15 दिन से अधिक समय हो गया है कि मैंने "लोक परलोक" चलचित्र के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और एक अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दी थी। आपने सदन को सूचित किया था कि मामला सरकार को भेजा हुआ है क्या आपको इस सम्बन्ध में कोई सूचना मिली है ? आपने किस विभाग को लिखा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह मन्त्रालय को पुनः स्मरण करा दिया है मैंने उन्हें स्मरण करा दिया है।

श्री मनोराम बागड़ी : (हिसार) : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। जो मेम्बर गिरफ्तार होता है, उसकी इत्तिला आप सदन को देते हैं। लेकिन मनोहर लाल सैनी की इत्तिला आपने नहीं दी है, पढ़कर नहीं सुनाया है कि वह कहां गिरफ्तार हुए, कैसे गिरफ्तार हुए यह एनाउन्स नहीं किया है। आपने जयपाल सिंह के लिये अपनी जुबान से कहा है, लेकिन मनोहर लाल सैनी के लिए नहीं कहा।

आप जो एडजार्नमेंट मोशन रिजेक्ट करते हैं, उसको किस आधार पर रिजेक्ट किया है—इस बारे में भी आपका रूलिंग होता है। मैंने मंहगाई के लिये एडजार्नमेंट मोशन दिया है···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होता है, आप रूल को पढ़ लें।

श्री मनोराम बागड़ी : आपने सदन में एनाउन्स नहीं किया है। हर मेम्बर के लिये स्पीकर यहां पढ़ता है।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : देखिये—12 ता० को लोक सभा नहीं बैठी थी, उसको बुलेटिन में दिया गया था·····

श्री मनीराम बागड़ी : अगर लोक सभा नहीं बैठी थी तो आज कीजिये । सबको बुलेटिन का पता नहीं था, इसलिए आज कीजिए । आखिर सदन को कैसे पता लगेगा ? दूसरे मेम्बरों के साथ आपको इनका भी आज करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : जैसे-जैसे आता है, हम उसी प्रकार से करते हैं, रोक कर नहीं रखते हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : जिस मेम्बर की गिरफ्तारी होती है, स्पीकर एनाउन्स करता है, चाहे सदन 6 दिन के बाद बैठे ।

अध्यक्ष महोदय : जब हमने बुलेटिन में कर दिया, तो इसका मतलब है कि हो गया ।

श्री मनीराम बागड़ी : बुलेटिन काफी नहीं है । 6 दिन के बाद भी हो, तो भी स्पीकर उसको पढ़कर सुनाता है ।

अध्यक्ष महोदय : अब तो हो गया । अब आप बैठिये ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप एनाउन्स करते ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह तो दिया । अब तो हो गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई काम नहीं चलने देंगे आप ।

किस नियम के अन्तर्गत ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 376 के अन्तर्गत हम ऐसा कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अन्डर डिस्कशन कोई चीज है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बताया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया आप ऐसा मत करें, मैं यह अनुरोध करता हूं ।

यदि आप हैंडबुक का पैरा 14 पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सदस्य को अध्यक्ष महोदय से निवेदन करने का अधिकार है ··

अध्यक्ष महोदय : उन्हें निवेदन करने का अधिकार है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप नियमों को पढ़िये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियमों को पढ़ा है मैंने उन्हें अनेक बार पढ़ा है । यह आवश्यक नहीं है ।

[अध्यक्ष महोदय]

मैं सदन के लाभ के लिये इसे पुनः पढ़ता हूं :

"जब अध्यक्ष प्रथम दृष्टि में सन्तुष्ट हों कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना ग्राह्य है तो वह मामले को सदन के सामने लाये बिना ही अपनी सहमति अस्वीकार कर देंगे और उसकी अध्यक्ष के निर्णय के बारे में सम्बद्ध सदस्य को सूचना दी जायेगी।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : पैरा (ii) में कहा गया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान क्यों डालते है ? यह नियमों का प्रश्न है ?

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : कुछ दिन पहले एक संहिता पर समझौता हुआ था कि दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले। अब प्रश्न यह है कि वह व्यक्ति कौन है जिसने इस संहिता को तोड़ा है। आपको इस बात का निश्चय तो करना ही है।××× यह सब रोकना होगा। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप उन्हें अपने शब्द वापस लेने के लिये कहें।

अध्यक्ष महोदय : जो बात निन्दनीय अथवा असंसदीय होगी वह सदन की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं की जायेगी। आप और क्या कहना चाहते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कोई सदस्य सदन के स्थगन के लिए प्रस्ताव की सूचना देता है तो उसे यह उम्मीद करनी चाहिये कि आप उसका उल्लेख करेंगे···

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे निवेदन पर निर्भर है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इसे पढ़ क्यों नहीं देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हैंडबुक में कहा गया है :

"यदि एक बार सदस्य को सहमति देने सम्बन्धी अध्यक्ष का निर्णय सूचित कर दिया जाता है तो सूचना के मामले पर अथवा उसके ग्रहीत न करने के कारणों पर सदन में चर्चा अथवा कोई प्वाइंट उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।" (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री क्या कर रहे हैं। आप सदन को इस प्रकार से धोखा नहीं दे सकते हैं ? आप उनसे पूछते क्यों नहीं कि वह वहां क्या कर रहे हैं ? देखिए, इन्होंने शुरू किया। वे वहां जाकर बैठ गये। ये उकसाने का काम कर रहे हैं। यह कोई ठीक नहीं है ··(व्यवधान)। इस सदन का नियम यह है कि सदस्य अपनी सीटों पर ही बैठेंगे।···(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : कृपया उनसे पूछिये कि क्या वह अपनी सीट पर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आर्डर आर्डर। देखिये ! इस तरह से अगर काम चलेगा तो कैसे चल सकता है।···(व्यवधान) आप क्या कर रहे हैं ? आपको इतना भी पता नहीं कि जब स्पीकर

××× अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

खड़ा होता तब बैठते हैं। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो बात दूसरी है। लोगों ने हमको किस लिए चुन कर भेजा है ? सब आनरेबल मेम्बर हैं। सब एक दूसरे की इज्जत करेंगे तभी बात चलेगी। (व्यवधान)

आप मौलाना साहब बैठेंगे नहीं ? यह बिल्कुल गलत है। यह अच्छा नहीं लगता है कि जब मैं बोल रहा हूं आप बीच में टोकाटाकी कर रहे हैं। यह न इनको अच्छा लगता है और न आपको अच्छा लगता है। अगर हमें काम चलाना है तो जो हमने फैसला किया था सारे के सारे मेम्बर हाउस में जाकर बैठेंगे और काम करेंगे। उस पर हमें अमल करना है। मैं अपना काम बिल्कुल तैयार करके रखता हूं। बिल्कुल होम वर्क करता हूं। रात को जागना पड़ता है तब भी जागता हूं। कोई ऐसा काम नहीं करता जो कि रूल्स के खिलाफ हो। उसके बावजूद अगर आप हाउस में टोका-टाकी करेंगे तो गलत काम करेंगे। इस तरह से काम नहीं चलेगा। यह मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, सब से कहना चाहता हूं। यह अच्छी बात नहीं, चाहे आपमें से कोई करे या इनमें से कोई करे। (व्यवधान) आपको इतनी समझ नहीं है। यह सोचने की बात है कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। सारी बात बिना वजह की जाए, यह अच्छा नहीं है। हमें इकट्ठे होकर कार्य करना चाहिये और लाभदायक चर्चा करनी चाहिए ताकि इस राष्ट्र को कुछ लाभ मिल सकें।

मेरी आप से वन्दना है कि मुझे हाउस चलाने दीजिए। ··(व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : आपने एक विनिर्णय दिया है और वह उसके पश्चात उठकर बोल रहे हैं। हमें इसकी आज्ञा नहीं देनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 349 के उप-नियम (7) के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : वह सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित कर रहे हैं।··· (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। अब श्री एडुआर्डो फैलीरो बोलेंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : हमारे देश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र कुछ समय से विक्षुब्ध रहा है। नागालैंड और मिजोरम तथा हाल में मणिपुर के गुमराह किए गए कुछ तत्वों ने हिंसा का सहारा लिया है जिससे इन क्षेत्रों में जनता का सुख और चैन प्रभावित हुआ है। शिलांग समझौते पर नवम्बर, 1975 में हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात नागालैंड में सामान्यतः शान्ति स्थापित हो गई है। मिजोरम और मणिपुर में अराजकता को रोकने और सामान्य स्थिति बहाल करने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

2. करीब दस महीनों से असम में विदेशियों के प्रश्न को लेकर एक आन्दोलन किया जा रहा है। समाज का सामान्य जीवन विघटित हो गया है और विकास कार्य पूरी तरह रुक गए हैं। आन्दोलन ने सन्देह, अविश्वास और कटुता का वातावरण पैदा कर दिया है। असम में

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

आन्दोलन द्वारा उत्पन्न किए गए वातावरण का लाभ उठाते हुए राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों ने बड़े पैमाने पर हिंसा की है जिसमें कई निर्दोष व्यक्तियों की जानें गई हैं और बहुत से बेघर हो गए हैं। असम में उत्पन्न की गई हिंसा की फिजा का उत्तरपूर्व के अन्य भागों पर असर पड़ा है खासतौर पर त्रिपुरा में जहां पर बडे पैमाने पर हिंसक वारदातें जिनमें 530 व्यक्तियों की जाने गईं, 500 व्यक्ति जख्मी हुए और लगभग 3 लाख व्यक्तियों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। सामप्रदायिक सद्भाव पूरी तरह भंग हो गया है। इससे ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति में बहुत समय लगेगा। सरकार सामान्य स्थिति को शीघ्र बहाल करने और प्रभावित व्यक्तियों के शीघ्र पुनर्वास के लिए सभी संभव कार्यवाइयां कर रही है।

3. सरकार ने "ओपरेशन ब्रह्मपुत्र" नामक एक दस्तावेज देखा है। यह कुछ राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों का कार्य दिखता है।

4. सरकार संवेदनशील उत्तरपूर्वी क्षेत्र में घटनाओं के प्रति अत्याधिक सावधान है और स्थिति पर कडी नजर रख रही है। सरकार इस क्षेत्र के तेज विकास की आवश्यकता के प्रति भी सचेत रही है और इस दिशा में उपयुक्त उपाय कर रही है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को स्थिति से निपटने के लिए सभी संभव सहायता दी जा रही है। सरकार हर कीमत पर देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करेगी।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जबकि माननीय मन्त्री अपने वक्तव्य में एक ऐसी योजना के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जिसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है अर्थात् यह योजना है, 'आपरेशन ब्रह्मपुत्र के नाम से पूर्वोत्तर राज्यों में तोड़-फोड़ की योजना है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों को मिला कर एक नये राष्ट्र का सृजन करना है। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और इसमें तथ्यों विशेष का उल्लेख नहीं है। मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार की अब तक की यह स्थिति रही है। मैं यह अनुभव करता हूं कि सरकार को इस देश को और इस सदन को विश्वास में लेना चाहिए। इस देश को और सदन को यह जानकारी होनी चाहिये कि वह तोड़-फोड़ के कार्य कौन से हैं और वास्तव में यह योजना किस सम्बन्ध में है। यह राष्ट्र के महत्वपूर्ण हित की बात है। इस गम्भीर मामले के सम्बन्ध में इस देश और इस सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

आरम्भ में ही मैं यह बात कहना चाहता हूं ताकि मुझे गलत न समझ लिया जाये कि उन क्षेत्रों की जनता की कुछ वास्तविक कठिनाइयां हैं। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से सम्बध रखता हूं जिसमें उसी प्रकार की अनेक सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयां हैं जैसी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हैं। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। किन्तु यद्यपि मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं और उनकी उन कठिनाइयों को भी समझता हूं जो देश के अन्य अनेक भागों में भी है, फिर भी मेरा यह विचार है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता को अपनी कठिनाइयों को दूर करने तथा इस देश से पृथक होने, नये राष्ट्र बनाने और उसके अतिरिक्त विदेशी शक्तियों की सहायता, अवप्रेरणा और मार्गदर्शन में एक नया राष्ट्र बनाने के बीच एक रेखा खींचनी होगी।

अब मैं इस सदन के सामने और आपके माध्यम से मन्त्री महोदय के सामने वह साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता हूं जो उस क्षेत्र में पृथकतावादी गतिविधियों के सम्बन्ध में मेरे पास है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उस क्षेत्र के छात्र नेताओं की उनकी आयु के कारण न तो उनकी निन्दा कर रहा हूं और न ही उनकी नीयत पर ही सन्देह कर रहा हूं क्योंकि मैंने यह बात कही है कि मुझे उनकी कुछ कठिनाइयां वास्तविक प्रतीत होती हैं। किन्तु यह बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि चाहे वह इस तथ्य से परिचित हो अथवा न हों, वह कुछ ऐसी शक्तियों के हाथों में पड़ गए हैं जो पर्दे के पीछे से कार्य कर रहे हैं और जिनका उद्देश्य समूचे क्षेत्र को देश से पृथक करना है। इसके सम्बन्ध में साक्ष्य क्या है? "अलविदा भारत" के शीर्षक के अन्तर्गत एक इश्तयार आसाम के गौहाटी शहर में पाया गया है इसे 'संयुक्त राज्य आसाम' के नाम से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है :

> "आप आसामी, नागा, मिजो, मनिपुरी और धारो जनता, जो रक्त-पिपासु भारतीयों से पूर्वी क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए एक संयुक्त मंच में शामिल हो गई हैं, की आत्मा का विनाश नहीं किया जा सकता है।"

आसाम में सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त को एक 'गोपनीय' साइकलोस्टाइल्ड पर्चे में भारत से आसाम को पृथक करने का एक 35-सूत्रीय कार्यक्रम है। यह बात सदन में 11 जून, 1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 426 के उत्तर में जिसे श्री अर्जुन सेठी तथा श्री मलप्पा ने पूछा था, स्वीकार की गई है। 35-सूत्रीय कार्यक्रम का उसमें उल्लेख है।

सात यूनाइटेड लिबरेशन आर्मी अर्थात् 'सुला' और 'नामात' जिसमें नागालैंड, आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा शामिल हैं, ने भी समय-समय पर विघटन का प्रचार किया है। 'सुला' ने नारे दिए हैं। मैं आपके माध्यम से सभा को तथा मन्त्री महोदय को सूचित करना चाहूंगा कि वे क्या हैं। कुछ व्याकरण की गल्तियां हैं किन्तु मैं उन्हें उसी रूप में रखूंगा जिस रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। ये सात बातें इस प्रकार हैं :

(1) 'सुला' सात राज्यों का एक प्रभुसत्ता सम्पन्न संघ का निर्माण करेगा।

(2) मुक्ति के लिए 'सुला' क्रान्ति शान्तिपूर्ण और सही होगी।

(3) 'सुला' न केवल अपने भाई और बहिनों से प्रेम करता है किन्तु उन स्वयंसेवकों से भी प्रेम करता है जो इन राज्यों में अपने स्थायित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

(4) 'सुला' इन राज्यों से पाश्चात्य लोगों को निकालने में सहायता करेगी।

(5) 'सुला' कभी भी क्रान्तिकारी शक्तियों की हठधर्मी विचारधारा को नहीं अपनायेगी।

(6) 'सुला' हथियारों के लिए लूट, धोखाधड़ी, छीना-झपटी और खून-खराबी में नहीं पड़ेगा किन्तु पाश्चात्य शोषकों के विरुद्ध एक आदर्श शक्ति प्रस्तुत करेगा।

(7) 'सुला' इन सात राज्यों के लोगों के लिए एक वास्तविक प्रभुसत्ता सम्पन्न देश की स्थापना करेगा।

[श्री अडुआर्डो फैलीरो]

जुलाई के प्रथम सप्ताह में आसाम की निष्ठा को समाप्त करने के उद्देश्य से तीन और पर्चे ध्यान में आए हैं जो जोरहाट में परिचालित किये जा रहे थे। इनमें सरकार की आतंकशाही के लिए आलोचना की गई है। इन पर्चों में सशस्त्र सेनाओं से अपील की गई है कि वे असमिया लोगों का साथ दें। इनमें सेना, केन्द्रीय अरक्षित बल, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस से भी आग्रह किया गया है। यह पृथकता की मांग का भी समर्थन करता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यदि माननीय मन्त्री ने इसे नहीं देखा है तो मैं इसे उन्हें दे दूंगा। इसमें कहा गया है कि 'यह अपने देश वासियों से एक अपील है। इसमें सभी शिकायतें की गई हैं···(व्यवधान)

मैं आपको बताऊंगा। इस पर समन्वय समिति के सदस्यों, आसाम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट-785013, के हस्ताक्षर हैं। इसमें कहा गया है :

"अतः हमारी अपने भारतवासियों से जोरदार अपील है कि वे इस राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन दें और सरकार की प्रतिकूल साजिश को निष्प्रभावी सिद्ध करें। साथ ही, विशेष रूप से हम सशस्त्र सेनाओं से तथा भारत के तेल मजदूरों से अपील करते है कि इस महान राष्ट्रीय संघर्ष में हमारा दृढ़ समर्थन करें।"

अतः यह सशस्त्र सेनाओं और तेल मजदूरों से यह एक अपील है।

अब चाहे पृथकता की बात हो या अन्य बात हो, यह बात किसी को इतनी नहीं चुभती यदि स्वयं इसी क्षेत्र के वे लोग इसमें होते जिन्होंने इसे महसूस किया होता क्योंकि यदि वे स्वयं जाना चाहते हैं···

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यदि उन्होंने स्वयं इस दिशा में सोचा होता तो किसी को यह इतना नहीं चुभता। यह काफी बुरी बात होती। यह उस संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा जिसे हम सभी अपनाने पर समहत हुए हैं। यह देश की सुरक्षा के लिए बुरा होगा। यह न केवल शेष देश की सुरक्षा के लिए किन्तु स्वयं उन लोगों के लिए भी जो विदेशी शक्तियों के हाथ में छोटे प्रभावी क्षेत्र के रूप में होंगे। किन्तु हम जिस बात से इसका अधिक विरोध करते हैं वह यह तथ्य है कि यह उस क्षेत्र के लोग नहीं हैं जो यह षड्यंत्र कर रहे हैं। यह विदेशी शक्तियों की साजिश है। इस समस्त आन्दोलन का उद्देश्य केवल आसाम को पृथक करना ही नहीं है। आसाम, त्रिपुरा और मनीपुर के आन्दोलन अलग-अलग नहीं हैं। एक व्यापक योजना एव विस्तृत योजना है जिसे 'आपरेशन ब्रह्मपुत्र' कहते हैं। यह एक तकनीकी व्यवस्था है जिसमें एक नये स्वतन्त्र देश की स्थापना करने का उद्देश्य है और इसके पीछे बाहरी देशों की योजना है। इनमें एक बड़ी शक्ति है। इस अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति की साजिस में यह देश प्रत्येक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता, तथा यह सभी बड़ी शक्तियों को खुश नहीं कर सकता। अतः यदि दो या अधिक देश नहीं भी हैं तो कम से कम एक देश की तो इस देश को कमजोर करने में रुचि है। इसका साक्ष्य यह है कि

एक बड़ी शक्ति इस 'आपरेशन ब्रह्मपुत्र' के पीछे है और एक बड़ी शक्ति के अलावा जो इसे सहायता दे रही है तथा जो 'आपरेशन ब्रह्मपुत्र' को योजना बना रही है···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह बड़ी शक्ति कौन है ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा । मैं सरकार को उलझन में डालना नहीं चाहता हूं । यदि सरकार चाहती है तो वह इसे बता सकती है । इस 'आपरेशन ब्रह्मपुत्र' में एक बड़ी शक्ति के अलावा, हमारे तीन पड़ौसी देश हैं जिनका भी इसमें हाथ है और जो इन आन्दोलनों में सहायता दे रहे हैं । इन तीनों में मैं पाकिस्तान को शामिल नहीं करूंगा ।

'आपरेशन ब्रह्मपुत्र' में कुछ संगत बातें हैं । इसमें दिये गए प्रस्तावों अथवा कार्यवाही सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का नीचे उल्लेख किया गया है :

"बड़ी संख्या में नागा, मैनपुरी, मिजो, खासिस और अन्य जनजाति युवक हैं । जिनको छापामारी में प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें काफी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र सप्लाई किये गये हैं । खण्ड स्तर पर भूमिगत किलों को स्थापना के लिए आसाम और अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था की जायेगी ।

"सेवामुक्त स्थानीय उच्च अधिकारियों तथा बुद्धिजीवी नागरिकों, अर्थात् संपादकों, क्षेत्रों में पत्रकारों, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों, लेखकों, कवियों, कलाकारों, सुन्दर युवा लड़कियों को मासिक वेतन के आधार पर लिया जाए । भारत के सी० साई० ए० से वेतन पाने वाले कुछ अनुभवी तथा प्रसिद्ध पत्रकार भारत के स्थानीय पत्रकारों, सम्पादकों और शिक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देंगे···।"

मैं इसके सही होने की पुष्टि नहीं कर सकता, यह मुझे इस प्रकार मिला है :

"···(क) सामान्य प्रचार (ख) मनोवैज्ञानिक तथा विश्वव्यापी प्रचार में ।"

"युवा और छात्र नेताओं को वेतन पर भर्ती करो ।"

"विभिन्न नामों से पर्चे और पुस्तिकाएं जारी करो । देश के कर्मचारियों और अधिकारियों से मेल मिलाप बन्द करो जिससे भारतीय (अर्थात बाहरी लोगों) कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध घृणा पैदा हो ।

"अहिंसात्मक जन आन्दोलन आरम्भ करो और इसमें यथा सम्भव अधिक से अधिक युवकों और अन्य लोगों को शामिल किया जाए और उनकी दैनिक मजदूरी और आय की क्षतिपूर्ति की जाए । दूसरी ओर एक छोटे से दल को हिंसा के काम में विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा के लिए लगाया जाये और धीरे-धीरे हिंसात्मक कार्यवाही को बढ़ाया जाए जिनमें जन-धन की क्षति हो और जिनसे गैर-आसामी लोगों में आतंक फैल जाए···"

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : प्रश्न यह होगा कि क्या यह सही है या नहीं जिससे सरकार विशिष्ट सूचना प्रस्तुत करे।

"····वेतन पाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं तथा सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखिए और उनके लिए अलग-अलग रिकार्ड रखिए।

"अखिल भारतीय राजनीतिक दलों और उनके स्थानीय लोगों को कुचलो···।"

मेरे पास मूल दस्तावेज नहीं है। ब्योरा भी नहीं है, किन्तु मैं समझता हूं कि 'आपरेशन ब्रह्मपुत्र' के मूल दस्तावेज में कानूनी तथा संवैधानिक सरकारों को गिराने तथा इस नये राष्ट्र के निर्माण का उल्लेख है।

अब मेरे सीमित प्रश्न यह हैं। क्या सरकार को ऐसे साक्ष्य के बारे में मालूम है या नहीं जिनका मैंने इन क्षेत्रों को पृथक करने या अलग करने के सम्बन्ध में उल्लेख किया है? क्या ये दस्तावेज सरकार के ध्यान में आये हैं या नहीं? सरकार इस सभा को तथा इसके माध्यम से देश को बताये।

दूसरे में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को 'आपरेशन ब्रह्मपुत्र' के बारे में मालूम है जिसका उन्होंने उल्लेख किया है? और इस 'आपरेशन ब्रह्मपुत्र' के वास्तविक विवरण क्या है? वहां क्या तरीका अपनाया जाना है? क्या सरकार सभा को बतायेगी? मेरी सरकार से यह प्रार्थना और मांग है क्योंकि ये वे प्रश्न हैं जो राष्ट्रीय सीमा पार कर चुके हैं और जो ऐसे प्रश्न हैं जो देश के एक विशेष भाग से अब सम्बन्धित हैं या किसी विशेष शिकायत से अब सम्बधित नहीं हैं। इससे इस देश की एकता और सुरक्षा को खतरा है। इस व्यापक संदर्भ में, जो किसी प्रकार इस आन्दोलन की पृष्ठभूमि में रहे हैं, क्या सरकार सभा को स्पष्ट जानकारी देगी और इस महत्व-पूर्ण प्रश्न पर सभा को विश्वास में लेगी?

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर): उपाध्यक्ष महोदय,··· × ×

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। केवल वही सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नाम है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। माननीय सदस्य जो भी कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा···

मंत्री महोदय कृपया उत्तर दें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : × ×

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ने कतिपय पर्चों और दस्तावेजों का उल्लेख किया है···(*व्यवधान*)

× × कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं । कृपया मंत्री के भाषण में बाधा न डालें ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सरकार को इन सभी पर्चों और तथा-कथित दस्तावेजों की जानकारी है । ये कुछ स्थानों पर वितरित किये गये हैं और ये सरकार के ध्यान में आये हैं किन्तु प्रकाशकों के नाम नहीं हैं । प्रिंट लाइन भी नहीं है और यह बहुत कठिन है । महोदय यह जाली नाम है और मैंने इसे देखा है । यह पता लगाना कठिन है कि किसने इन्हें प्रकाशित किया है ।

माननीय सदस्य ने केवल दो प्रश्न पूछे हैं । एक यह है कि क्या सरकार को इसकी जानकारी है । जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है कि सरकार को इन पर्चों के पूर्वोत्तर राज्यों में परिचालन तथा आपरेशन ब्रह्मपुत्र के बारे में अच्छी तरह से मालूम है ।

वह जानना चाहते हैं कि सरकार क्या करने जा रही है । सरकार इसे बन्द करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी···(व्यवधान) सरकार जो भी आवश्यक कदम उठा सकती है, उठायेगी और यह सरकार ऐसे कदम उठाने की क्षमता रखती है और उठायेगी ।

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं दिया है । मैंने पूछा था कि आपरेशन ब्रह्मपुत्र में प्रक्रिया का क्या प्रस्ताव है जिसे हम जानना चाहते हैं । क्या सरकार सभा को विश्वास में लेगी ? उन्होंने स्वयं प्रलेख पढ़ा और कार्य प्रणाली उस प्रलेख में बताई गई है । हमने इसको नोट कर लिया है और हम कार्यवाही कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० बुलन्दई वेलु—वह अनुपस्थित हैं । श्री तारिक अनवर—उनके बोलने के दौरान कोई भी व्यक्ति व्यवधान पैदा नहीं करेगा । व्यवधान पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति की बात को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही हैं जिनके बारे में अभी हमारे साथी ने बताया उसके अलावा जो सब से चिन्ता का विषय है वह यह है कि आज जो वहां का आन्दोलन है वह धीरे-धीरे साम्प्रदायिकता की ओर बढ़ रहा है और उससे भी बड़ी चिन्ता का विषय यह है कि आज अगर इस समय सरकार ने कोई बड़ा कदम, कोई मजबूत कदम नहीं उठाया तो आज जो उस क्षेत्र की हालत हो रही है उससे यह कहना कि हमारे देश की अखण्डता, हमारे देश की सामियत, हमारे देश की एकता बरकरार रह सकेगी या नहीं, इस बात का खतरा आज सामने आ चुका है । आज जो वहां की अक्लियत है, जो वहां के अल्पसंख्यक लोग हैं, वहां के बंगाली, नैपाली, हिन्दू, ईसाई और दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं चाहे वह भाषाई तौर पर हों या धार्मिक तौर पर हों, आज वह अपने आप को वहां सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं । आज वहां के जो मुसलमान हैं वे भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनकी जिन्दगी, उनका जीवन आज खतरे में है और उनका क्या हश्र होने वाला है इसका पता उनको नहीं है । आज हम कोई छोटी से छोटी घटना घटती है तो सदन में हंगामा करते हैं, कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो बहुत हंगामा करते हैं लेकिन आज जो आसाम में, त्रिपुरा में और नागालैण्ड

[श्री तारिक अनवर]

का जो क्षेत्र है, वहां पर हो रहा है उस ओर हमारा जितना ध्यान जाना चाहिए, जितना सिन्सियरली हमें ध्यान देना चाहिए, ऐसा लगता है वह हम नहीं कर रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार खासतौर पर उस ओर ध्यान दे। जो समस्याएं वहां पर खड़ी हो रही हैं, अगर उनको कन्ट्रोल नहीं किया गया और इस आग को नहीं दबाया गया तो आने वाले दिनों में यह आग केवल आसाम और त्रिपुरा में ही महदूद नहीं रहेगी बल्कि सारे देश में फैल सकती है। इसलिए मैं होम मिनिस्टर साहब से आग्रह करूंगा और उनसे चाहूंगा कि सरकार कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जिनसे, जो वहां फिजा बन रही है, जो साम्प्रदायिकता की हवा चल रही है उसको कन्ट्रोल किया जाए और साथ ही साथ ऐसे लोग जो उसके पीछे हैं उनकी ओर भी आप ध्यान दीजिए। मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि इसके पीछे जहां दूसरी शक्तियों का हाथ है वहां हमारे देश के वे लोग जो अपने को राष्ट्रीय भावना को मानने वाले और सबसे बड़ा नेशनलिस्ट कहते हैं—आर० एस० एस० के लोग—वे उसमें शामिल हो चुके हैं। (व्यवधान) मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं 1979 के फरवरी में 20-24 तारीख, जून में 27-28 तारीख और मार्च में 3-7 तारीख तक आर० एस० एस० के० श्री बालासाहब देवरस ने विजिट किया। (व्यवधान) इतना ही नहीं, इस विजिट के बाद यह आग और बढ़ी। आर० एस० एस० के० कैम्प वहां लगाए गए। (व्यवधान) आर० एस० एस० के कैम्प लगाने के बाद कामरूप जिले के बारपेटा सब-डिवीजन में जनवरी 30 के बाद जो घटनाएं हुई उसमें 38 लोग मारे गए, एक हजार तक मकानों को जलाया गया। इस तरह से वहां पर जो आर० एस० एस० के आदमी हैं वे इतने एक्टिव हैं, इतने सक्रिय हैं कि हमारी सरकार को उस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और ऐसे एलिमेन्ट जो वहां की फिजा से फायदा उठाना चाहते हैं, साम्प्रदायिकता को बढ़ाना चाहते हैं उनको कैसे रोका जाए, इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। (व्यवधान) इस तरह से जो वहां पर आज घटनाएं घट रही हैं, मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इस ओर ध्यान दें और ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसी ताकतों के खिलाफ, ऐसी शक्तियों के खिलाफ जो इस देश की अखण्डता के लिए खतरनाक हैं, कदम उठाकर उनको तुरन्त दबाया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। अगर यह नहीं किया गया तो आज जो देश की एकता है उसको क्षति पहुंच सकती है। (व्यवधान)

मैं आपका और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आज जो आसाम और त्रिपुरा में घटनाएं हो रही हैं आज यदि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसकी बेइज्जती होती है, तो हम सदन में हंगामा करते हैं। जो भी हो सकता है, हम करते हैं, लेकिन आज त्रिपुरा और असम के अन्दर कितनी औरतों की इज्जत लूटी जा रही है और कितनी नंगी घूम रही हैं, आज उनके मासूम बच्चों के कतल हो रहे हैं और यह सदन उन समस्याओं की तरफ सीरियसली नहीं सोच पा रही है। आज हम लोग ठीक ढंग से विचार नहीं कर पा रहे हैं इन छोटी-छोटी बातों को दूर करने के लिए। इसलिए सरकार को चाहिए कि असम और त्रिपुरा व उसके आस-पास के इलाकों में जो घटनाएं हो रही हैं, उस ओर सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। चाहे कोई भी शक्ति हो, उसको दबाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सरकार ने इस मामले में हमेशा ही सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगा है। परन्तु यह भी तथ्य है कि दुर्भाग्यवश कुछ दलों के कुछ राजनीतिज्ञों ने इस मामले में अनुचित रूचि ली है और वहां के लोगों को भड़काया है। (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य महोदय की इस बात से सहमत हूं कि कुछ राजनीतिज्ञों के दौरे के पश्चात् स्थिति गंभीर हो गई थी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। वह चर्चा का उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें मन्त्री महोदय की बात सुननी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। हमें मन्त्री महोदय की बात सुननी चाहिए। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : मन्त्री महोदय को उन राजनीतिक नेताओं के नाम बताने चाहिए जिन्होंने आसाम का दौरा किया। उनके दौरे के पश्चात स्थिति गम्भीर हो गई थी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपकी बात का भी उत्तर दे रहे हैं। उन्हें सुनिए।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : वह सारे सदन को उत्तर दे रहे हैं।

श्री योगेन्द मकवाना : मूलतः अखिल असम छात्र संघ द्वारा किया गया आंदोलन शांतिपूर्ण और अहिंसक था। यह किसी राजनीतिक दल विशेष की विचारधारा से सम्बद्ध नहीं था। परन्तु जैसा कि मैंने बताया, दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दलों ने स्थिति का लाभ उठाया···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जब माननीय सदस्य महोदय ने उनका नाम बता दिया है तो अब उनका नाम लेना आवश्यक नहीं है। सदस्य महोदय ने पहले ही उनका नाम बता दिया है। और जब मैं यह कहता हूं, कि मैं माननीय सदस्य महोदय की बात से पूरी तरह सहमत हूं तो मेरे लिए उस राजनीतिक दल का नाम लेना आवश्यक नहीं है। मैंने पहले ही यह कह दिया है कि सदस्य महोदय ने जो कुछ कहा, मैं उससे सहमत हूं।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : वह एक जिम्मेदार सरकार के मन्त्री हैं। वह इस तरह की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक क्षण। उनकी बात सुनने दीजिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सभी राजनीतिक दलों और इस सम्मानीय सदन के सभी माननीय सदस्यों की सहायता से ही यह सम्भव है कि इस आंदोलन और इस स्थिति को निपटाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री धर्मदास शास्त्री बोलेंगे।

श्री धर्मदास शास्त्री (करोलबाग) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, "आपरेशन ब्रह्मपुत्र" जो आन्दोलन चल रहा है, यह आन्दोलन जनता राज की देन है । मैं साफ-साफ शब्दों में इस बात को कहना चाहता हूं कि उनको इस देश से कोई प्यार नहीं था, क्योंकि उस सरकार में सारे लोग ऐसे थे, जिनमें कुछ रेल की पटड़ी तोड़ने वाले थे, कुछ चीन के एजेन्ट थे, कुछ पाकिस्तान के एजेन्ट थे और कुछ लोग ऐसे थे जो विदेशी एजेन्टों के एजेन्ट बने हुए थे और यहां काम कर रहे थे । उनको इस देश से कोई प्यार नहीं था । जब जनता सरकार ताकत में आई तो उन्होंने रीजनल पार्टीज को, प्रान्तीयता की भावनाओं को बहुत बल दिया । आपने देखा— अकालियों के साथ अपनी हुकूमत में सौदा किया, उनको बराबर का हिस्सेदार ठहराया, अन्ना डी०एम०के० को अपनी पार्टी में हिस्सेदार बनाया (व्यवधान)···इस तरह से प्रान्तीय भावनाओं को भड़काने में और देश की एकता को चुनौती देने के लिये इन्होंने बहुत बड़ा अत्याचार और अनाचार फैलाया ।

आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सन 1971 में जिन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय चुनावों में हिस्सा लिया था, पंचायतों के चुनावों में हिस्सा लिया था, आज उनको हम विदेशी मान लें, यह कैसे न्याय और सूझ-बूझ की बात है ? आज वाजपेयी जी 1961 की बात करते हैं, लेकिन जब उन्होंने 1971 में वोट दिया, तो वे भारत के नागरिक हैं, उनको कैसे विदेशी माना जा सकता है ? वे हमारे अंग हैं, वे हमारे लोग हैं । आज जो देश के पुजारी हैं, बड़े-बड़े नेता हैं—मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे अपने ही देश के लोगों को विदेशी कहते हैं ? मैं नौजवानों की भावनाओं का आदर करता हूं, कद्र करता हूं, सम्मान करता हूं, उनको अपने राज्य के विकास के मामले में कुछ शिकायतें हैं । उन शिकायतों को वे कहें, जिस तरह से दूसरे राज्य अपनी शिकायतों को कहते हैं, आन्दोलन करते हैं । आन्दोलन करने का उन्हें हक है, प्रजातन्त्र ने उन्हें यह हक दे रखा है, लेकिन जिस तरह से रेल की पटड़ियां उखाड़ने, लोगों के घर जलाने, लोगों की हत्यायें करने का काम हो रहा है और वह भी "महात्मा गांधी का आन्दोलन" नाम देकर, यह महात्मा गांधी का आन्दोलन नहीं । जहां हिंसा का प्रयोग किया जाय, लोगों के घर जलाये जांय, बहन-बेटियों की लाज लूटी जाय, इस तरह के जुल्म और अत्याचार हों और उसको हमारे ये नेता प्रोत्साहन देते जाय —वह महात्मा गांधी का आन्दोलन नहीं हो सकता ।

इन नेता लोगों की दुकानें सारे राष्ट्र में बन्द हो चुकी हैं, अब कहीं दुकान नहीं चल रही है, इसलिये ये लोग अब वहां जाकर अपनी दुकान खोल बैठे हैं । मैं उनसे कहना चाहता हूं— अपनी दुकानों को चलाने के लिये राष्ट्र के साथ खिलवाड़ न करें, अपनी दुकानों को चलाने के लिये देश को मत बेचो, देश के लोगों की भावनाओं को मत उभारो । मैं इस बात को बड़ी गम्भीरता के साथ कहना हूं—हमारे देश के नेता लोग इस बात को समझें, इस तरह का वातावरण बना कर देश को बरबाद मत करो । जनसंघ पार्टी वहां पर डायरेक्टली इन्वाल्व्ड है, आर० एस० एस० डायरेक्टली इन्वाल्व्ड है, बाला साहेब देवरस वहां जाकर प्रचार कर रहे हैं··· (व्यवधान)···इस तरह से वे वहां अपनी दुकानदारी को चला रहे हैं ।

जिस समय देश खतरे में हो, देश के लोग चाहते हों कि हालात सुधरें, आपको उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये । आपको मालूम होना चाहिये—श्रीमती इन्दिरा गांधी,

जिनको अपने देश से कितना प्यार है, जिनको इस मातृभूमि से कितना प्यार है, आप अपने ही नेताओं से पूछ लीजिये—जिस समय संजय गांधी मरे हुए पड़े थे, उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी चन्द्रशेखर जी से आसाम के बारे में चर्चा कर रही थीं। एक संजय नहीं, लाखों संजय, जो आसाम में जल रहे थे, मर रहे थे, उनकी आत्माएं पुकार रही थीं, वे भी इस देश की भारत मां हैं। जिस में राष्ट्र पिता बापू हुए हैं, जिन्होंने इस देश को एक नया पैगाम दिया, उसी देश को एक नया पैगाम देने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी 'राष्ट्र मां' हैं। उनके सामने एक ही सवाल था और वह था—असम का सवाल। चन्द्र शेखर जी रो पड़े, उनकी आत्मा रो पड़ी, इतनी महान नेता, जिसका बेटा मौत की गोद में पड़ा हो, वह असम की चर्चा कर रही है। मैं कहना चाहता हूं—उस राष्ट्र मां की भावना को समझो और साथ दो, अगर आपके दिल में सच्चाई है। यदि आपके दिल में सच्चाई है, तो असम के नौजवानों की भावनाओं को भड़का कर और विदेशी एजेन्सियों के रुपयों पर पल कर इस तरह से असम में अलगाव के मूवमेंट को, आन्दोलन को सपोर्ट करने की मुहिम को जो चलाया है, उस मुहिम को, उस आन्दोलन को आप खत्म करो। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि जिन लोगों का इसमें हाथ दिखाई दिया, उनका हाथ काट देंगे। इसमें इतने सारे हाथ दिखाई देते हैं, क्या इनके हाथों को आप काट देंगे। मैं कहता हूं कि इनके हाथों को आपको काटना चाहिए, जिनकी कथनी और करनी में अन्तर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आर० एस० एस० की एक्टीं पर और आर० एस० एस० की शाखाओं पर वहां पर बैन लगना चाहिए। इन पर प्रतिबन्ध की मैं मांग करता हूं। इस तरह से देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि बहुत सोच-समझ कर इन बातों को सोच-समझ कर इस चीज को देखिये। ये देशद्रोही हैं, इनके रास्ते को देखिये। चोरों से मिलकर ही अगर चोर कहे कि चोर को पकड़ो, तो वह पकड़ा जा सकता है? अगर खेत को बाड़ ही खाने लगे, तो क्या खेती की रक्षा हो सकती है। ××

देश के जो रक्षक हैं, वे ही भक्षक बन जाएं, तो देश की रक्षा कैसे हो सकती है।

श्री योगेन्द्र मकवाना: मैं आनेरेबिल मेम्बर की भावनाओं का स्वागत करता हूं।··· (व्यवधान) · मैं देशद्रोह के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं जैसा इन्होंने कहा है, उस भावना का स्वागत कर रहा हूं और हम सब की कोआपरेशन लेने के लिए तैयार हैं। इन्होंने जो यह कहा है कि गवर्नमेंट को जोर से एक्शन लेना चाहिए, वह हम जरूर लेंगे।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लकप्पा।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अत्यन्त सजगतापूर्वक गृह मंत्री जी का वक्तव्य पढ़ा है। वक्तव्य बहुत स्पष्ट है और इस देश में विदेशी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई भी प्रभावशाली उपाय उस वक्तव्य में नहीं दर्शाए गए हैं। मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता। सरकार इस स्थिति का कुछ शांतिपूर्ण समाधान का पता लगाने का प्रयास कर सकती है। ऐसा लगता है कि वहां विदेशी तत्वों द्वारा सुनियोजित प्रयास हो रहा है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में नौ महीने से अधिक समय से एक लम्बी लड़ाई चल रही है। भारत सरकार को एक

×× उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[श्री के० लकप्पा]

स्पष्ट वक्तव्य देने की पहल करनी चाहिए और हमें यह बताया जाना चाहिए कि इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए वह क्या कर रही है।

माननीय सदस्यों ने कुछ प्रासंगिक प्रलेखों को उद्धृत किया है और उन्होंने गृह मन्त्री को कुछ अन्य जानकारी भी दी है। क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन की बात तो समझ में आ सकती है। इस देश में अनेक आन्दोलन हुए हैं लेकिन इतने लम्बे समय तक नहीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही इस लम्बी लड़ाई के वास्तविक कारण क्या हैं? इस तरह की लम्बी अवधि के लिए इस आंदोलन को वित्तीय सहायता कौन दे रहा है? इन पहलुओं पर गृह मन्त्री महोदय ने कुछ भी नहीं कहा है। कुछ समय पूर्व मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी से सम्बद्ध एक माननीय सदस्य द्वारा प्रारम्भ किए गए गैर सरकारी सदस्यों के एक विधेयक पर बोलते समय मैंने यह अत्यन्त स्पष्ट कर दिया था कि यह देश के लिए अत्यन्त खतरनाक है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक ज्वालामुखी फूट रहा है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में कोई मजबूत सरकार नही है। आप देखिए कि त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सरकारें किस तरह कार्य कर रही हैं। वे एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास कर रही हैं परन्तु दुर्भाग्य से उन क्षेत्रों का प्रशासन पूरी तरह से ठप्प हो गया है। प्रलेखों से इस बात की पुष्टि की जा सकती है। उस अलगाववादी आंदोलन के पर्याप्त प्रमाण हैं जो वहां पैदा किया गया है, हमने जो एकत्रित किए हैं वे पर्याप्त प्रमाण हैं, हमने गृह मंत्रालय को पर्याप्त प्रमाण दिए हैं। सभी रिकार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहां वितरित किए गए साहित्य का रिकार्ड भी उपलब्ध है। साम्प्रदायिक शैतान और उसके कार्य सफलतापूर्वक वहां चल रहे हैं। श्री फैलीरो तथा अन्य सदस्यों ने इस देश के राजनीतिक नेताओं के बारे में उल्लेख किया है। यह देश एक स्वतन्त्र देश है। यदि इस देश की प्रभुसत्ता पर प्रहार होता है, यदि इस देश से सम्बद्ध अथवा किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करता है अथवा इस तरह के अलगाववादी आंदोलन चलाता है तो क्या सरकार इसे बर्दाश्त करेगी? यदि उस आंदोलन में किसी तरह की साम्प्रदायिक गतिविधियां होती हैं, यदि कोई भी पत्रकार उसके बारे में समाचार देते हैं, यदि कुछ बुद्धिजीवी इसमें हैं जो इसके बारे में समाचार देते हैं, इसमें कई छात्र हैं जो इसके बारे में समाचार देते हैं। यदि इसमें ऐसे कुछ अन्य बुद्धिजीवी लोग हैं जो इसके बारे में समाचार देते हैं, यदि वे इसके बारे में समुचित रूप से समाचार नहीं दे रहे हैं तो क्या हमारी सरकार यह नहीं देख सकती कि इसके समाचार ठीक से दिए जाते हैं और सारा रिकार्ड ठीक ढंग से रखा जाता है। बहुत से राजनैतिक नेताओं ने वहां का दौरा किया है। श्री वाजपेयी ने उस स्थान का दौरा किया है। श्री जार्ज फर्नान्डीस ने भी उस स्थान का दौरा किया है। ये सभी नेता इसके बारे में समाचार देते रहे हैं। श्री सुदर्शन ने भी उस स्थान का दौरा किया है। इन लोगों के दौरों के पश्चात व्यापक पैमाने पर हिंसा की वारदातें हुईं। वहां इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अल्पसंख्यकों को वहां से पूरी तरह खदेड़ दिया गया है और अनेक लोगों की मृत्यु होने का समाचार भी है। मैं उस सामग्री में से कुछ पढ़ना चाहूंगा जो मुझे इस सदन को सूचना देने के लिए मिली है। इसमें कहा गया है, "असम आन्दोलन व्यापक क्षेत्र में फैल गया है और इसमें परिणामस्वरूप अपूर्व हिंसा हुई है। 200 से अधिक व्यक्ति इस आन्दोलन में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 25 तथा 26 मई 1980 की घटनाओं में उपर्युक्त दो सौ व्यक्तियों के अलावा 56 लोग और मारे गये हैं।" जहां तक इस

आंदोलन का सम्बन्ध हैं, हम आसानी से आंकड़ों का पता लगा सकते हैं। हम आसानी से इस बात का पता लगा सकते हैं कि इस आंदोलन के शिकार हुए लोग कौन थे। मैं इसको और आगे पढ़ता हूं। यह कहता है, 'अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार हैं—28 मुसलमान, 21 बंगाली और 6 असामी।

असाम में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। उनकी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी परेशानियों को अभिव्यक्त करने की उनकी स्वतन्त्रता उनसे छीन ली गई है। 26 मई 1980 को वे 1971 को आधार वर्ष मानने, परीक्षाएं आयोजित कराने और परेशान किए जाने को रोकने के लिए अपने मांग दिवस के समर्थन में क्षेत्रीय अधिकारियों को एक ज्ञापन देने के लिए शांतिपूर्ण जुलूस निकालना चाहते थे। आंदोलन के समर्थक लोगों द्वारा उन्हे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई और इसके परिणामस्वरूप अनेक लोग मारे गए और उनकी सम्पत्ति बर्बाद कर दी थी।

स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

अखिल आसाम छात्रसंघ और अखिल आसाम गण संग्राम परिषद ने प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम भेजा कि यदि कोई हल नहीं निकाला जाता है, तो स्वयंसेवकों द्वारा विदेशियों की जांच-पड़ताल और उनका निर्वासन प्रारंभ कर दिया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पहले से भी स्वतन्त्र देश है ?

यदि हमारी सरकार पड़ौसी देशों की कार्यवाही और वे जो वित्त उपलब्ध करा रहे हैं उसे रोकने में असमर्थ है तो वह इस राष्ट्र को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं जबकि यहां पृथकतावादी आन्दोलन चल रहा है ? यह तो इन अभिकरणों व माध्यम से और विदेशी धन की सहायता से चलाया गया एक लम्बे समय तक चलने वाला आन्दोलन है। यदि इस प्रकार के तत्व वहां सक्रिय हों, और यदि पड़ौसी देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हों तो, मैं त्रिपुरा सरकार को नपुंसक नही कहूंगा, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों में कौन सी विकासात्मक गतिविधियां चल रही हैं ? यदि कुछ कमियां हैं और स्वाभाविक रूप में इसका कारण भी यही कमियां हैं। इसीलिए तो हम इस या उस बहाने का आश्रय ले रहे हैं। इस देश में पृथकतावादी आंदोलन बड़ा सजग है और भलीभांति संगठित भी है और किसी भी परिस्थिति में दबा दिया जाना चाहिये। जब तक हमारी सरकार इसका कोई हल नहीं ढूंढ़ लेती, तब तक इसे नियन्त्रण में कैसे लाया जा सकता है। इस समस्या को हल करना कठिन समस्या है और स्थिति पर तुरन्त नियन्त्रण करना भी। यदि पृथकतावादी आन्दोलन चल रहे हैं, यदि किसी प्रकार के संगठन सक्रिय हैं तो मैं चाहता हूं कि गृह-मंत्रालय उसे सदन को बताए और सदन को विश्वास में ले कि कौन से संगठन और कौन से देश इसमें हाथ बटा रहे हैं ? उसके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं, क्या उसके पीछे महाशक्तियों का हाथ है ? श्री गोहाटी ने वहां का दौरा किया, उसका ब्यौरा अतिथि विश्राम-गृह में देखा जा सकता है। एक और महापुरुष हैं, उन्होंने भी उस क्षेत्र का दौरा किया है, इस बात का भी रिकार्ड है। इस सबके पीछे क्या कारण हैं ? इस आन्दोलन के समय में उनके वहां जाकर दौरा करने के पीछे क्या कारण हैं ? नेताओं, राजनीतिक नेताओं का वहां क्या काम था ? मैं यह

[श्री के० लकप्पा]

तो समझ सकता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध उनकी कोई राजनीतिक शिकायत है तो संविधान की सीमा रेखा के भीतर वे कार्य कर सकते हैं। किसी भी राजनीतिक-दल या राजनीतिक-नेता को इस देश की सार्वभौमिकता से खेलने की छूट नहीं होनी चाहिये। दुर्भाग्य से साम्प्रदायिक शैतान के भेष में, श्रेत्रीय कट्टरपन के रूप में यह सब हो रहा है जो कि असम क्षेत्र की युवा-पीढ़ी में एक प्रकार का जहरीला कीटाणु छोड़ रही है। ये तत्व कौन से हैं ? कौन से देश हैं, उनके पीछे क्या कारण हैं ? कितने समय तक, किस प्रकार यह दीर्घकालीन लड़ाई वित्तीय सहायता प्राप्त करती आ रही है ? कौन इसे वित्तीय सहायता दे रहा है ? इन नेताओं के दौरे क्यों हुए ? वे कौन लोग थे, जिन्होंने दौरे किए और उसके क्या परिणाम निकले ? इन नेताओं के दौरे के बाद, क्या आग में घी का काम हुआ ? वे मुसीबत खड़ी कर रहे हैं ? क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग ले रही पड़ौसी देशों की सरकारें आन्दोलन कर्ताओं को प्रोत्साहित कर रही है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके परिणामस्वरूप किसी प्रकार का कोई साम्प्रदायिक दंगा हुआ है और साम्प्रदायिक घटनाएं किस प्रकार की हैं ? कितने लोग पहले ही सूचना दे चुके है ? भारत सरकार के पास तो सभी प्रकार की सूचना होगी। जैलसिंह महोदय को सदन को आश्वासन देना चाहिये और सदन को विश्वास में लेकर यह देखना चाहिये कि इस प्रकार के आंदोलन और पृथकतावादी आंदोलनों को पूरी तरह इस प्रकार दबा दिया जाए और दिखा दिया जाए कि भारत एक स्वतन्त्र और सार्वभौमिक देश है। यदि किसी प्रकार की सामाजिक-आर्थिक समस्याएं हैं तो हमें मिल बैठकर उन्हें हल कर लेना चाहिये। हमारी नेता सभी प्रकार के कदम उठा रहीं हैं और कोई हल निकालने के लिये, सभी नेताओं को आमन्त्रित कर रही हैं और किसी प्रकार का शान्तिपूर्ण हल ढूंढ निकालने के लिए, वह उस क्षेत्र के सभी नेताओं को आमन्त्रित कर रही हैं। दुर्भाग्य से ये सभी घटनाएं पर्दे के पीछे घट रही हैं। अतः, मै यह जानना चाहता हूं कि क्या गृह-मन्त्रालय कोई ठोस वक्तव्य देगा, और कारणों पर प्रकाश डालेगा तथा उन्हें यह भी देखना चाहिये कि देश में इस प्रकार की घटनाएं न घटें और शान्तिपूर्ण हल निकल आए ? उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी आन्दोलन नहीं होना चाहिये। उन्हे इस बात का ध्यान रखना होगा कि निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए। दुर्भाग्य से सीधे-साधे लोगों को उस क्षेत्र में काम नहीं करने दिया जाता। इसलिये, मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जो कुछ सूचना उनके पास है वह बताएं। इस विषय पर हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। हमें इससे कोई सन्तोष नहीं है। हम चाहते हैं कि श्री जैलसिंह जी एक वक्तव्य देकर इस सदन को सन्तुष्ट करें और हमें कारण बताये तथा क्या कुछ घटित हुआ है आदि-आदि बातों पर प्रकाश डालें।

गृह मन्त्री (श्री जैल सिंह) : सत्कार योग्य सभापति जी, आज के कालिंग एटेन्शन में आनरेबिल मैम्बर्स ने कुछ चिन्ता प्रकट की है। उनकी यह चिन्ता सही है। लेकिन इतनी चिन्ता की बात नहीं है कि यह मामला सुलझेगा ही नहीं। हमारी सरकार ने कार्यभार सम्भालते ही इस तरफ ध्यान दिया। आप और सदन के मैम्बर साहिबान जानते हैं कि कभी-कभी इस रिजन में कुछ घटनाएं पहले भी होती रही हैं। लेकिन 1977 के इलैक्शन होने के बाद जब 1980 के इलैक्शन आए उस वक्त वहां की सरकार असम की जनता पार्टी की सरकार थी। यह भारतीय जनता की या दूसरी नहीं थी और वह सरकार टिक नहीं सकी। कुछ ऐसे हालात भी थे, जो मैं समझता हूं कि कोई भी प्रधान मन्त्री इस तरीके से हो, जिसके साथ लोगों की सेंक्शन न हो,

या केयर-टेकर हो और जिस प्रधान मन्त्री ने एक बार भी इस हाउस का सामना न किया हो, ऐसे प्रधान मन्त्री के बस की बात नहीं रह जाती। तो वहां पर कंट्रोल न हो सका। नतीजा यह हुआ कि पार्लियामेंट के सिर्फ दो मेम्बरों के इलैक्शन के अलावा बाकी का इलैक्शन नहीं हुआ, असेम्बली सस्पेंड कर दी गई, प्रधान राज्य हुआ। प्रधान राज्य होने के बाद यह जो मूवमेंट थी, यह कुछ आगे बढ़ी।

हमने यह कोशिश की कि उनको बुलाकर बात करें। मीटिंगें हुईं, प्रधान मन्त्री ने उनसे बातें की और फिर उन्होंने कहा कि हम असम जायें। मैं गोहाटी गया, 3 दिन लगातार हमारी लड़ीवार मीटिंग होती रहें और कुछ बातों में एग्रीमेंट भी होता रहा, मगर जब एग्रीमेंट होता था, तो आसु, जो एजीटेटर्स स्टूडेंट्स थे, वह उस बात को मान जाते थे, मगर वह कहते थे कि हम मीटिंग करके फिर आपसे बात करेंगे। तो बात करते रहे, खैर, मीटिंगें वहां होती थीं, उसका हमको कुछ पता तो है, लेकिन पकड़ में नहीं आ सकते थे वे लोग कि उनके लिंक कहां-कहां हैं। मगर उन्होंने हर वक्त सेबोटाज किया कि यह मीटिंगें पूरी न हों, सुलह न हो और एजीटेशन कन्टीन्यु रहे। एजीटेशन कन्टीन्यु रखने में देश के विद्रोही लोग, अनजान ताकतें, एंटीनेशनल ताकतें जो हैं, वही हो सकती हैं, मगर स्टूडेंट्स को जहां तक मैंने देखा है, उनके हाथ में स्लोगन लगाना, पिकेटिंग करना, जलूस निकालना, घूमना, लोगों को इकट्ठा करना था, मगर लिटरेचर प्रोड्यूस करने वाले, प्लानिंग करने वाले, उसके लिए दौलत इकट्ठी करने वाले, खर्चा करने वाले, गाड़ियां देने वाले लोग कैसे काम करते हैं, वह काफी गुप्त तरीके से करते हैं।

ऐसी स्थिति में सरकार बिल्कुल अलर्ट है, मगर हम यह नहीं चाहते कि जब तक कोई मुकम्मिल सबूत अपने हाथ में न हो, दुनिया की किसी भी ताकत को हम ब्लेम करें और उससे हमारी बिटरनैस बढ़े। यह हम नहीं चाहते, लेकिन भारत सरकार ने बहुत साफ शब्दों में यह बात कही है कि अगर कोई ताकत हमारे अन्दरूनी मामले में दखल देने की कोशिश करेगी और वह दखल हम देख लेंगे तो इसकी जिम्मेदारी उसी ताकत पर होगी और वह ताकत मिटा दी जायेगी, लेकिन हिन्दुस्तान की एक इन्च जमीन भी अलहदा नहीं होने देंगे। इसके लिए जहां हम फर्मनेस से काम करते हैं, वहां पोलाइटनैस भी हममें है। वह क्यों है, आप समझेंगे, इत्तिफाक करेंगे हमारे साथ कि इस मूवमेंट के आगे स्टूडेंट्स को लगा रखा है और स्टूडेंट्स सारे हमारे देश के बच्चे हैं। हमें उनके साथ मौहब्बत है। कभी किसी घर में बच्चे नाराज हो जायें, क्राकरी तोड़ दें, बर्तन तोड़ दें, कपड़े फाड़ दें तो उनको कुछ थोड़ा डराया भी जाता है और थोड़ी चपत भी लगाई जाती है, लेकिन मारने तक नहीं जाया जा सकता।

भारत सरकार ने एक माता-पिता की हैसियत से रहकर इस बात की इन्तहाई कोशिश की है कि उनको समझ आ जाये और हम यह समझते हैं कि उसका कुछ हिस्सा समझने भी लगा है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : आपकी मुहब्बत ज्यादा हो गई है।

श्री जैल सिंह : मैं आपकी बात से इत्तिफाक नहीं करता हूं। मुहब्बत की कोई हद होती ही नहीं है—ज्यादा और कम की बात नहीं है। आप मुझसे इत्तिफाक करेंगे कि मुहब्बत की नहीं जाती है, मुहब्बत हो जाती है।

[श्री जैल सिंह]

हमारे आनरेबल मेम्बर साहबान ने कहा कि आर. एस. एस. वालों का उसमें हाथ है। मैं यह बात छिपाता नहीं हूं। वहां आर. एस. एस. की शाखाएं लगीं। आर.एस.एस. के संचालक भी गये, और जब-जब वह जाते रहे, तो कुछ दंगे भी होते रहे। लेकिन इसके बावजूद मैं यह नहीं कह सकता— कहना नहीं चाहता—कि आर. एस. एस. वाले इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। वे तो अखंड भारत में विश्वास रखते हैं। कुछ लोगों से यह गलती हो सकती है कि वे समझें कि हम तो दुरुस्त बात कर रहे थे, लेकिन उससे नतीजा गलत निकले। हम विश्वास रखते हैं कि आपस में बात करने से गलतफहमी दूर हो जाती है। अगर सब लोग एक दूसरे के साथ बात करें और असल बात सामने आ जाये, तो दुनिया की बड़ी-बड़ी लड़ाइयां खत्म हो सकती हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितनी बार हमारे विरोधी दलों के नेताओं से हमारी बात हुई—प्रधान मन्त्री के लेवल पर बात हुई—तो हमको कोआपरेशन मिली, और मैं आशा करता हूं कि आईन्दा भी कोआपरेशन मिलेगी। यह मामला ऐसा है कि अगर वे हमसे इत्तिफाक नहीं करेंगे, तो देश के लोग उनके खिलाफ हो जायेंगे। वे बुद्धिमान भी हैं। वे हमारे विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन देश के विरोधी नहीं हो सकते। देश के हित में वे हमारे साथ रहेंगे। लेकिन इस बारे में इतना कनसेशन देना चाहिए कि जब सरकार विपदा में होती है, तो विरोधी दलों को कुछ तो खुशी होती ही है। इसलिए इस बात पर हम उनके प्रति नाराजगी नहीं रखते हैं। हम आशा करते हैं कि अल्टीमेटली वे हमारे साथ खड़े होंगे और भारत के इस हिस्से में, इस किनारे में, जो कुछ बेचैनी पैदा हुई है, उसको हम मिटायेंगे। वहां की आर्थिक दशा को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने प्लानिंग की है। उनके कल्चर को बचाने के लिए, उनके वे आफ लाइफ की रक्षा करने के लिए और उनकी पुरानी ट्रेडीशन्ज को सुरक्षित रखने के लिए हम पूरी-पूरी कोशिश करेंगे।

लेकिन यह जो भावना पैदा हो गई है कि वहां पर पुराने जमाने के जो बंगाली रह रहे हैं, या जो मुसलमान भाई हैं, उनको निकाल दिया जाये तभी हमारी पोलिटिकल रक्षा होती है, यह उनकी अज्ञानता है, गलतफहमी है। कोई भी सरकार यह नहीं कर सकती है। इन्सानियत को इस तरह कैसे तबाह और बर्बाद किया जा सकता है? भारतवर्ष की संस्कृति और परम्परायें ऐसी हैं कि हमने तो उन दुश्मनों को भी अपने साथ रखा, जो कभी हमें बुरी निगाह से देखते थे।

गुलशन-परस्त हूं, मुझे गुल ही नहीं अजीज,
कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूं मैं।

हम नहीं चाहते हैं कि वे इस जिद पर अड़े रहें। मगर मैंने आर. एस. एस. वालों से एक दिन पहले भी कहा था, और आज फिर कहता हूं, कि वे इस मामले में बहुत बड़ी गलती करेंगे। अब भी वे मसले को सुलझाने में नहीं हैं। वे कहते हैं कि अगर फलां डेट से लिया गया, तो हिन्दू निकलेंगे और अगर फलां डेट से लिया गया, तो मुसलमान निकलेंगे। अगर कोई ऐसी बात पर विचार कर के यह फैसला करता है, तो मैं समझता हूं कि वह बहुत गलती करता है। जो मुसलमान और हिन्दू नाजायज तौर पर भारत

में आये हैं, उनको हम निकालें, यह तो मैं समझ सकता हूं। यह हमारी ड्यूटी है कि जो लोग नाजायज तौर पर भारत में आये हैं, जो यहां पर भारत के मामलों में दखल देते हों, चाहे वोटर्ज लिस्ट में उनके नाम हों, उन्हें हम न रहने दें। हम डिटेक्शन करेंगे और डिलीशन भी करेंगे वोटर्स लिस्ट से लेकिन एक न्यायपूर्ण तरीके से करेंगे। तमाम ख्यालों के लोगों को, तमाम पार्टियों को अगर इससे इत्तफाक होगा कि हां, यह मशीनरी निष्पक्षता से काम करेगी, उस मशीनरी के जरिए से इस चीज को हल किया जायगा। अब तक आसाम की सरकार ने 3 लाख 10 हजार विदेशियों को छांटा और छांटकर बाहर निकाला। इसके अलावा 30 हजार ऐसे भी केसेज हैं जो डिस्प्यूटेड थे, वह दौबारा अदालतों में गए हैं। तो यही तरीका मैं समझता हूं कि हमको अपनाना है। इंडियन सिटिजेनशिप ऐक्ट के मुताबिक, हिन्दुस्तान के कांस्टीच्यूट के मुताबिक, इंटरनेशनल कमिटमेंट को देखकर, दूसरे मुल्कों के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है उनको देखकर और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउन्ड को जो हमारी भारतीय समस्या की सबसे बड़ी बात है उसको देखकर इस मामले को हम सुलझाना चाहते हैं।

मैं यह बात बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं नहीं जो इस मूवमेंट के शुरू होने के समय मांगी गई और उसको हमने एग्री नहीं किया लेकिन एक बार, जो बहुत जिद सी चलती है जिसके लिए हमारे दोस्त हमको कहते हैं, हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स से भी कहिए और एजीटेटर्स से भी कहिए। उसमें स्टूडेंट्स तो बहुत कम हैं, एजीटेटर्स ज्यादा हैं. वह स्टूडेंट्स का नाम रखें आल आसाम गण संग्राम समिति रख लें, कोई नाम रख लें लेकिन उसके पीछे जो लिटरेचर छपा है वे उसको मानते नहीं हैं, वे उसको ओन नहीं करते कि यह लिटरेचर हमारा है। हमारे आनरेबल मेम्बर्स कुछ बात हमारी नोटिस में लाए हैं और यह कहा है कि यह बताओ यह कहां से छपा, इसके साथ कैसे डील किया जायगा तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम उसकी जानकारी कर रहे हैं, उसकी छानबीन कर रहे हैं। आसू वाले इससे इनकार कर रहे हैं मगर हमने इस बात को देखा है कि इनकार करने के बाद भी इसको वे कंडेम नहीं करते। इस लिटरेचर को, ऐसी तकरीरों को, ऐसे वाकयात को वे कंडेम न करें तो शुबहा पड़ता है कि इसके पीछे कोई ऐसी ताकत काम तो नहीं कर रही है जो देश की एकता को बिगाड़ना चाहती है।

एक बात आनरेबल मेम्बर ने कही कि यह बीमारी तमाम हिन्दुस्तान में फैल जायगी। उनका ख्याल दुरुस्त नहीं है। मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह कोई हमारी कमजोरी नहीं है, यह हमारी गंभीरता की वजह से है और हम एक फर्ज पूरा करना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं कि अगर यह ताकत, यह मूवमेंट जिसके लिए कि हम अब भी दरवाजा खुला रखना चाहते हैं, अब भी निगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं तो वह किया जाये। अगर उसमें यह तत्व साबित हो जाए कि वह हिन्दुस्तान की एकता को तोड़ना चाहते हैं तो भारत सरकार ऐसी ताकत रखती है कि ऐसी मूवमेंट एक नहीं, दो नहीं, सौ हों तो सौ की सौ को स्मैश करके रख दिया जायगा। यह ताकत है, हिम्मत है लेकिन हमेशा ताकतवर को घबड़ाना नहीं चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए और ऐक्शन जल्दी नहीं लेना चाहिए। बहुत लांग रोप हमने दी है और अब भी हम उनको कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन अपने देशवासियों को, इस सदन के मेम्बरान को जो सारे भारत को रेप्रेजेन्ट करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, उनसे मैं बात छिपाना नहीं चाहता,

[श्री जैल सिंह]

इस बात के लिए आप निश्चित रहें, हमारे पास भरपूर तैयारी है, कोई भी ताकत कोई भी शक्ति वहां आकर दखल नहीं दे सकेगी। और कोई इस भावना को देश के दूसरे हिस्सों में फैलाने की कोशिश करेगा तो वह हम होने नहीं देंगे।

एक बात मैं सदन के मेम्बर साहबान से बड़े अदब से कहना चाहता हूं। कुछ जगह सन आफ दि सीयल की बात चलती है, कुछ जगह हमारा यह प्रदेश हमारे प्रदेशवासियों के लिए है, इस तरह की बात चलती है। ये भावनाएं बहुत गलत हैं। वह तत्व जो इस बात को लेकर उठते हैं वे हिन्दुस्तान की एकता को खतरा पैदा कर सकते हैं और पोलिटिकल पार्टीज अपने कंडक्ट आफ कांडक्ट में ऐसे मेम्बरों को कोई स्थान न दें जो हिन्दुस्तान के किसी एक हिस्से को अपना हिस्सा समझते हैं और सारी भारत माता को अपनी माता नहीं समझते। भारत में रहने वाला हर इंसान हर हिस्से में जाकर रह सकता है, हर इंसान को हक है कि वह वहां जाय और ये प्रान्त ऐडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं। डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ताल्लुक हो सकते हैं, थाने हो सकते हैं। लेकिन भारत माता को कोई अलाहिदा करना चाहता है या उनका ऐसा खयाल है तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें. इस ख्याल को हम पनपने नहीं देंगे। हमारा विधान इस बात की इजाजत ही नहीं देता है कि कोई सिशेसनिस्ट ऐसी बात कहे और उसको चलाए। हम चाहते हैं कि प्रान्तों में ऐसी भावना पैदा ही न हो। मैं विभिन्न पार्टियों के नेताओं से कहूंगा कि वे बराबर इस बात के लिए प्रयत्न करें और इस भावना को पूरी तरह कंडेम करें। हमारे अन्दर कमजोरी है, मैं विरोधियों को नहीं कहता, मैं अपनी पार्टी के नेताओं को कहता हूं और अपने आपको भी उसमें शामिल करता हूं कि जब हम विरोधी दल में होते हैं तो हमारी भावना होती है कि उठने दो मूवमेन्ट, चलने दो और कभी-कभी वह बीमारी बन जाती है और नुकसान भी हो जाता है। रीजनल पार्टीज में कुछ अंश ऐसे हैं जिनके लिए मैं अदब से कहूंगा कि वे इसको मिटायें, इन भावनाओं को छोड़ दें, इलाकाई जजबात को उभारना नेशनलिज्म के लिए बहुत नुकसानदेह है। हम कहते थे कि कम्युनलिज्म की बीमारी विदेशी हुकूमत ने हमारे में डाली है और हम इसको खत्म करेंगे। जब हम हिन्दुस्तान के लोगों को एजूकेटेड बना देंगे, हम आजाद हो जायेंगे तब कम्युनलिज्म खत्म हो जायेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले तीन सालों में कम्युनलिज्म को थोड़ी सी चोट लगी लेकिन चोट क्या लगी, उससे बीमारी और ज्यादा बढ़ गई। कम्युनलिज्म को छोड़कर कास्टीज्म पर आ गए और कास्टीज्म ने आज हर इलाके में लोगों को बांट रखा है। अपनी कास्ट के बुरे आदमी को भला समझते हैं और गैर कास्ट के भले आदमी को बुरा समझते हैं। इस बीमारी को भी मिटाना है। इसको मिटाए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

मैं आसाम की बात कर रहा था। मेघालय और मिजोरम के मामले का भी इस कालिंग अटेंशन में थोड़ा सा जिक्र है। मिजोरम में दो विचारधाराएं थीं—एक तो अलाहदा होना चाहते थे और एक देश के कांस्टीट्यूशन के मुताबिक देश में रहकर काम करना चाहते थे। मिजोरम बना, मेघालय बना और वहां गवर्नमेन्ट्स भी बनी हैं। अभी कुछ दिन हुए हैं, जो एग्रीमेन्ट लालडेंगा ने 1975 में किया था उसके मुताबिक वे काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने अपनी फालोइंग को कह दिया है कि हम हिन्दुस्तान के विधान के मुताबिक हिन्दुस्तान में रहकर एक हिन्दुस्तानी के नाते काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि वहां के मुख्य मन्त्री, जो लालडेंगा के सख्त खिलाफ रहे हैं अब तक, उन्होंने भी इसको वेलकम किया है कि अगर लालडेंगा

हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम उसको खुश-आमदीद कहते हैं। इसी तरह से मनीपुर में भी थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, उसका भी काफी हद तक फैसला हो गया है और वह झगड़ा नहीं होगा। इसी तरह से मेघालय में भी नहीं होगा। लेकिन आसाम में पटिकुलरली ब्रह्मपुत्र वैली में कुछ ताकतें लड़ रही हैं, एजीटेशन हो रहा है जिसका असर दूसरे हिस्सों पर पड़ तो रहा था लेकिन अब रुक गया है। हाउस को इस बात की खशी होगी कि जहां इस बुराई को आगे बढने का मौका मिल रहा था वहां अब लोग इससे नफरत करने लगे हैं। लोग समझते हैं कि यह एजिटेशन आसामियों के हित में नहीं है, इस देश के हित में नहीं है, वहां के विद्यार्थियों, कारखानेदारों और व्यापारियों यानी पूरी सोसायटी के हित में नहीं है। अब ऐसी भावना पैदा होनी शुरू हुई है। मुझसे ट्राइबल एरियाज के नेताओं ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि कोई विदेशी हमारे साथ रहे, न हम इस एजिटेशन मे साथ हैं, किसी को भी हम नहीं चाहते कि हमारे इलाके में आकर गड़बड़ डाले, हमारी राजनीति पर वह छा जाए, इसको हम रोकना चाहते हैं और हम उनके साथ नहीं हैं। टी गार्डेन्स में जो पांच लाख के करीब गरीब लोग काम करते हैं वे भी इनके साथ वावस्था नहीं हैं। आसाम की आबादी में 39 परसेंट वे लोग हैं जिनको हम माइनारिटी कह लें, ये पुराने आसामी नहीं, बंगाली हो सकते हैं, मोहमडन हो सकते हैं। इस बात को मानना पड़ेगा कि भारत की तक्सीम के बाद···

श्री के० लक्कप्पा : एक स्पष्टीकरण चाहिये। मैं विशेषरूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री वाजपेयी या श्री फर्नान्डीस जैसे राजनैतिक नेता वहां किसी उद्देश्य को लेकर दौरे पर जाते हैं और आग में घी का काम करते हैं। क्या वह ऐसे नेताओं के वहां जाकर देश के हितों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर रोक लगायेंगे ? मैं यही प्रश्न-विशेष पूंछता हूं।

श्री जैल सिंह : जो आपका कथयश्चन है, वह महत्वपूर्ण है। आपने तो नेताओं के नाम भी दिए हैं। उन नेताओं ने अब तक इस मामले को सुलझाने के लिए हमको मिलवर्तन भी नहीं दिया है और वे कभी भी राय नहीं देते हैं। इन्कार कर देते हैं। लेकिन मैं जब कोई बात कर रहा हूं, तो इस भावना से नहीं कर रहा हूं। हमारे विरोधी दलों के जो मुखिया हैं, वे बड़े आनरेबल मेम्बर हैं, और जब कुदरत की ऐसी बात आ गई कि वे दो-तीन महीने इकट्ठे रहते हैं और फिर फैल जाते हैं। आनरेबल मेम्बरों से जब ऐसा मौसम हो तो मैं क्यों लड़ाई लूं, वे अपने आप लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं तो ऐसे मौसम में आशा रखता हूं कि वे हमारे साथ आएंगे और इत्तिफाक करेंगे। आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े-बड़े फिलोस्फर की यह राय रही है कि :

हर चीज नहीं मरकज पर
एक रोज इधर, एक रोज उधर।
दुश्मन को न देखो नफरत से,
शायद वह मोहब्बत कर बैठे ॥

तो हम नहीं चाहते हैं कि कुछ बुरा करें।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : दुश्मन की मोहब्बत के इन्तजार में मुल्क बर्बाद हो जाएगा।

श्री जैल सिंह : मुस्लिम लीग के नेता की बात को मैंने सुना। मैं समझता हूं कि मुल्क की मोहब्बत के मुकाबले में न मित्र की मोहब्बत, न दोस्तों की मोहब्बत, न बेटे-बेटियों की मोहब्बत,

[श्री जैल सिंह]

कोई भी मोहब्बत दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो मुल्क की मोहब्बत का मुकाबला कर सकें। इसलिए हम मुल्क से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और आपको बिल्कुल इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। फिर आप तो होल-हार्टेडली हमारे साथ हैं, यदि आप चाहें तो मैं इस बात को दो बार कह देता हूं।

अभी नागालैण्ड के मुख्यमंत्री भी मिले थे, उनको बड़ी तसल्ली है और उन्होंने बताया कि बर्मा के साथ जो हमारी हदूद मिलती है, उस बार्डर पर जरा और इन्तजाम बढ़ाना चाहिए, चूंकि वहां से कुछ लोग आकर हमको खराब करते हैं। लेकिन वह एलीमेंट जो हमेशा होस्टाइल रहता था, जिस एलीमेंट के अन्दर यह भावना थी कि वह हिन्दुस्तान से अलहैदा होंगे, उनमें से बहुत लोग असलियत को समझ कर साथ आ रहे हैं। यह बात मैंने इसलिए कही कि नागालैण्ड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये जितनी भी असम के अलावा छोटी-छोटी स्टेट्स हैं, उनके लिए मेरे मन में काफी तसल्ली है कि वहां यह बीमारी नहीं जाएगी और ये लोग दुरुस्त रास्ते पर आ जायेंगे।

अब मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि इतनी बार बात करना, नेगोशिएट करना और उसको लांग रोप देना, इसमें और ज्यादा सुस्ती करना, आप की बात ठीक है कि सही नहीं है। अब हमें इनको ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। ज्यादा टाइम देना देश के हित में नहीं है और अगर इसके लिए आपका समर्थन होगा और दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, तो वह भी हम करेंगे। लेकिन मैं अब भी निश्चित तौर पर, भरोसे के तौर पर कहता हूं कि इन्सान का एक कतरा खून भी हम डोलना नहीं चाहते हैं, और हम इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि खून का कतरा डोले बगैर, गिराए बगैर, वहां पर शक्ति इस ढंग से कायम करेंगे कि वह सारा का सारा मामला सुलझ जाए।

एक मां के बेटे ने एक कुतिया को मारा। उस मां ने कहा—अरे, बेटा उस कुतिया को न मारो, इसकी चीख दरगाह तक पहुंच जाएगी। उसने कहा कि मैं तो इसको बस में करना चाहता हूं और ऐसे समझाकर रखूंगा कि इसकी चीख निकलने ही नहीं दूंगा, तो इसकी चीख दरगाह तक कैसे पहुंचेगी। इसलिए हम यह चाहते हैं कि ऐसे तरीके से हम उनको साथ लायें और इस मामले में विरोधी दल के नेता हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। जिनके प्रति आनरेबल मेम्बर ने शंका प्रकट की है, उनका भी हमें फायदा हो सकता है—जार्ज फर्नान्डीस और वाजपेयी जी का—क्योंकि यह समझा जाता है कि ये उनके साथ हैं और वहां एजीटेशन करवाना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : करवा रहे हैं।

श्री जैल सिंह : यदि ये करवा रहे हैं तो और ज्यादा काम आ सकते हैं। उनको चाहिए कि इस मामले को सुलझाएं। दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा, जब हमको इस काम को करने के लिए मजबूर कर दिया गया कि हम करें·· (व्यवधान)

श्री भगवान देव (अजमेर) : बहुत सी समाचार एजेन्सियां ऐसी हैं जो आग में घी डालने का काम कर रही हैं। वे कौन सी समाचार एजेन्सियां हैं ?

श्री जैल सिंह : आनरेबिल डिप्टी स्पीकर साहब, अब ज्यादा लम्बी बात करने का कोई फायदा नहीं है। समाचार पत्र या कुछ एलीमेन्ट्स ऐसे हैं—जब जम्हूरियत के सुनहरी उसूलों से

इन्सानियत की इज्जत बढ़ती है, तो साथ-साथ ऐसी बीमारियां भी आती हैं। वे बीमारियां कैसी होती हैं ? अगर हम उनको रोकें तो कहती हैं कि हमारी आजादी को छीन लिया, हमारी जुबान बन्द कर दी गई, हमको लिखने नहीं दिया जाता, किसी मामले को ब्लेकमेल करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं ? कौन सी समाचार एजेन्सी ऐसी है, कौन सी नहीं है, कौन सी ब्लैक मेल कर रही है या कुछ भी कर रही है, लेकिन हमारा यह काम है—आंधी आये, झक्खड़ आये, बारिश आये, कुछ भी हो, लेकिन हर तूफान के बीच में से सही-सलामत निकलना हमारा काम है, हम निकलेंगे और तूफान की कोई परवाह नहीं करेंगे।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : सरदार साहब, मैं एक बात अर्ज कर दूं—

आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब
कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय उत्तर नहीं देंगे।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

प्रथम प्रतिवेदन

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रथम प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1400वें हिजरी सन के शताब्दी समारोहों के बारे में वक्तव्य

शिक्षा मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : इस्लामी पंचांग वर्ष, हिजरी की 14वीं शताब्दी की समाप्ति और 25वीं शताब्दी की (लगभग 22 नवम्बर, 1979 से) शुरूआत विश्व के सारे मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अवसर इस्लाम के मूल विश्वासों, सिद्धांतों तथा विचारधाराओं के प्रति मुसलमानों की गहरी प्रतिबद्धता को ताजा करता है।

2. विश्व में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के नाते भारत ने, जहां मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक है, हिजरी सन शताब्दी समारोहों में भाग लेने का निर्णय किया है। शताब्दी समारोहों के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के उप राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर एक सलाहकार समिति गठित की गई है। सलाहकार समिति के सदस्यों की एक सूची संलग्न है।

3. शताब्दी समारोह के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाना है :—

1. प्रधान मन्त्री द्वारा स्मारक टिकट जारी करना।
2. "भारत की इस्लामी परम्परा" सम्बन्धी एक प्रदर्शनी।
3. उसी विषय अर्थात "भारत की इस्लामी परम्परा" पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी।

हिजरी सन की 1400वीं वर्ष गांठ के लिए स्थापित एक सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

1. श्री एम० हिदायतुल्ला, भारत के उप राष्ट्रपति — अध्यक्ष

2. श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी, ऊर्जा तथा कोयला मन्त्री।	सदस्य
3. श्री बी० शंकरानन्द, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्री।	सदस्य
4. शेख अब्दुल्ला, मुख्य मंत्री, जम्मू और काश्मीर, श्रीनगर।	सदस्य
5. श्री ए० आर० अन्तुले, मुख्य मन्त्री, महाराष्ट्र, बम्बई।	सदस्य
6. श्री ए० आर० किदवई, राज्यपाल, बिहार, पटना।	सदस्य
7. श्री जफर शरीफ, रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	सदस्य
8. मौलाना अबुल हसन अली नदवी मजलिस तामीकात वानसरियात, इस्लाम पी०-ई० सं० 119, लखनऊ।	सदस्य
9. श्री सुलेमान सेठ, संसद सदस्य (राज्य सभा), 18, जनपथ, नई दिल्ली।	सदस्य
10. मौलाना आजाद मदानी, संसद सदस्य, (राज्य सभा), नई दिल्ली।	सदस्य
11. मुफ्ती अतिकर रहमान, नदवातुल मुसनीफिन, मकतासा-बलिएन, जामा मस्जिद, दिल्ली।	सदस्य
12. न्यायमूर्ति बशीर अहमद सईद, मुख्य न्यायाधीश, तमिलनाडु, मद्रास।	सदस्य
13. कर्नल बी० एच० जैदी जामियानगर, नई दिल्ली।	सदस्य
14. बेगम आबिदा अहमद, 19, अकबर रोड, नई दिल्ली।	सदस्य

15.	हकीम अब्दुल हमीद, हमदर्द दवाखाना, वाकफ, हमदर्द मार्ग, दिल्ली-6	सदस्य
16.	श्री मुहम्मद युनुस, 7, तुगलक लेन, नई दिल्ली।	सदस्य
17	श्री एस० हमीद, कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।	सदस्य
18.	श्री बी० एच० एफ० तयाबजी, 1/23, शान्ति निकेतन, नई दिल्ली।	सदस्य
19.	डा० गोपाल सिंह, 7, पूर्वी मार्ग, वसन्त बिहार, नई दिल्ली।	सदस्य
20.	श्री मुल्क राज आनन्द, सम्पादक, मार्ग प्रकाशन, आर्मी नेवी भवन, 148, महात्मा गांधी मार्ग, बम्बई।	सदस्य
21.	प्रो० बिहार राजन राय 68/4/1 पूर्णदास रोड, कलकत्ता-29	सदस्य
22.	श्री मीर नसरुल्लाह, अपर सचिव, संस्कृति विभाग, नई दिल्ली	सदस्य

भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की ढाका में हुई 19वीं बैठक के निष्कर्षों के बारे में वक्तव्य

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की 19वीं बैठक 9 से 11 जुलाई, 1980 तक ढाका में हुई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व मैंने किया और बंगलादेश

के पक्ष का नेतृत्व वहां के जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत मन्त्री श्री काजी अनवरुल हक द्वारा किया गया। विचार-विमर्श खुले और मित्रतापूर्वक वातावरण में हुआ। मैंने बंगलादेश के जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति से 11 जुलाई को भेंट की।

भारतीय पक्ष ने बताया कि बातचीत निर्णायक स्थिति में पहुंच गई है और उसने गंगाके प्रवाह को बढ़ाने के बारे में दोनों स्कीमों—एक भारत की तथा दूसरी बंगलादेश की—का अध्ययन शुरू करने में बंगलादेश से सहयोग देने का अनुरोध किया। पिछले मौसम में पड़े अभूतपूर्व सूखे के परिणामस्वरूप कलकत्ता पत्तन के लिए भागीरथी में छोड़ा गया जल-प्रवाह बिल्कुल अपर्याप्त था और इसलिए गंगा के प्रवाह को बढ़ाने के प्रश्न को अति शीघ्र हल करने पर जोर दिया गया ताकि बंगलादेश की आवश्यकताओं और कलकत्ता पत्तन की पूरी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नवम्बर, 1977 में हुए करार के अन्तर्गत आयोग को सौंपे गए कार्य के अनुसार, आयोग को तीन वर्ष की अवधि के भीतर अध्ययन पूरे करने हैं और एक ऐसी स्कीम की सिफारिश करनी है जो व्यावहारिक और कम खर्च वाली हो। जैसा कि सदस्यों को मालूम ही है, शुष्क मौसम के दौरान गंगा के प्रवाह को बढ़ाने के बारे में भारत की स्कीम में ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक नहर के निर्माण की और उसके अनुपूरक के रूप में दिहांग, सुबनसिरी और बारक नदियों पर जल-संचयन की परिकल्पना की गई है। बंगलादेश की स्कीम में गंगा प्रणाली पर भारत में और इसके अलावा नेपाल में भी जल-संचयन की परिकल्पना की गई है। हालांकि तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने में केवल चार महीने रह गए हैं, लेकिन आयोग अभी अध्ययन शुरू नहीं कर सका है। इसका कारण यह है कि बंगलादेश इस बात पर जोर देता रहा है कि पहले नेपाल को बंगलादेश के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए अध्ययन दल का अथवा संयुक्त नदी आयोग का सदस्य बनाया जाए। भारत नवम्बर, 1977 में हुए करार के उपबन्धों को देखते हुए इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ रहा है। भारतीय पक्ष बंगलादेश के पक्ष से अध्ययनों को शुरू करने का अनुरोध करता रहा है। नेपाल को सहयोजित करने के प्रश्न पर आयोग में 1978 से विचार-विमर्श किया जाता रहा है। लेकिन इस प्रश्न पर और इसके अलावा दोनों स्कीमों का अध्ययन शुरू करने के प्रश्न पर मतभेद बने रहे। जल-प्रवाह में वृद्धि करने से संबंधित अध्ययनों के जिन मामलों पर संयुक्त नदी आयोग में मतभेद बने रहे थे, उन्हें दोनों सरकारों के पास भेजने के समूचे प्रश्न पर आयोग की 18वीं और 19वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। हालांकि बैठक के कार्य-वृत्त को अन्तिम रूप नहीं दिया गया, फिर भी आम राय यह थी कि इस मामले के शीघ्र निपटारे के लिए इस पर संयुक्त नदी आयोग में विचार-विमर्श किया जाता रहेगा पर इसके साथ-साथ अन्य स्तरों पर भी इस मामले पर विचार-विमर्श किया जाए ताकि अच्छे पड़ोसी सम्बन्धों और सौहार्द की भावना से इसका शीघ्र हल निकाला जाए। जहां तक गंगा के जल-प्रवाह में वृद्धि करने का सम्बन्ध है, आयोग ने मतभेदों को दूर करने और अध्ययन जारी रखने के अपने प्रयत्नों में और अधिक तेजी लाने का निश्चय किया। आयोग की अगली बैठक अगस्त, 1980 के अन्तमें आयोजित करने का प्रस्ताव है। भारत का इस मामले पर संयुक्त नदी आयोग के बाहर, सरकारी स्तर पर भी विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है।

आयोग ने तोस्ता के जल के बंटवारे के बारे में सिफारिशें देने के लिए गठित समिति के कार्य में तेजी लाने का भी निर्णय किया।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में बन्दरों पर अनुसंधान की परियोजना

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, हाल ही में राजस्थान में एक घटना के ऊपर काफी हो-हल्ला हुआ जहाँ एक अमरीकी वैज्ञानिक ने निषेधात्मक आदेश की परिभाषा दी और रणथंभोर के वर्जित क्षेत्र में प्रवेश किया। जोधपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से चल रही परियोजना में अमरीकी वैज्ञानिक बंदरों पर अनुसंधान कर रहे थे। तदुपरांत राज्य सरकार ने इस परियोजना को बन्द कर दिया है। तथापि राजस्थान के भाषायी समाचार पत्रों के अनुसार अमरीकी वैज्ञानिक श्री डेनियल ब्रूश हार्डी बन्दरों पर अनुसंधान कार्य को पुनः शुरू करने राजस्थान, निकट भविष्य में आने वाले हैं। चूंकि पहले ही घटना से राजस्थान के स्थानीय लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया है, शिक्षामन्त्री कृपया सदन को यह बतायें कि किसकी अनुमति से अमरीकी वैज्ञानिक यहाँ पहुँच रहे हैं और यह भी कि राज्य में विदेशी वैज्ञानिक को अनुसंधान परियोजना शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमति देने के पूर्व क्या केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है ? और क्या पूर्ववर्ती परियोजना के बारे में जिसे अब राज्य सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई थी या नहीं। जो भी हो, केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करे कि यदि बन्दरों पर अनुसंधान कार्य को पुनः शुरू किया जाता है तो उससे राजस्थान की जनता में तनाव पैदा न हो।

(दो) तमिलनाडु को इस्पात और कच्चे लोहे का आबंटन

श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन (करूर) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन, आपकी अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूँ :—

तमिलनाडु में पूरे राज्य में हजारों छोटे एकक जो बिजली के भारी कटौती के बाद पुनः उभर रहे हैं वे नए सिरे से संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि इस्पात और कच्चे लोहे की पुनः भारी कमी हो गई है। राज्य के लघु एककों को कच्चे लोहे एवं इस्पात की कुल आवश्यकता की तुलना में केवल दस से बारह प्रतिशत मात्रा ही आबंटित की गई है। भारत इस्पात प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार प्रत्येक इस्पात और कच्चे लोहे का अलग-अलग सामान्य वार्षिक उपभोग करीब 10,000 टन है। 1973-74 में अखिल भारतीय इस्पात आबंटन में तमिलनाडु का तीसरा स्थान था, केवल पश्चिम बंगाल और गुजरात ही को इससे अधिक आबंटन होता था। परन्तु 1978-79 में गिरकर इसका स्थान छठा हो गया है। इस अवधि में, जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को मिलने वाले कच्चे लोहे और इस्पात की मात्रा में 600 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है किन्तु तमिलनाडु के हिस्से में 50 प्रतिशत की कमी आ गई है। यह बात उल्लेखनीय है कि सबसे अधिक आधुनिक इंजीनियरिंग और अच्छी निर्यात क्षमता वाले ढलाई एककों की स्थापना तमिलनाडु में हुई है। मैं माननीय इस्पात मन्त्री से तमिलनाडु को आवश्यकता के अनुसार इस्पात और कच्चे लोहे का आबंटन करने की मांग करता हूँ।

[श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन]

(तीन) साइलेंट वैली की पनबिजली परियोजना तुरन्त स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन (सवेलीकारा) महोदय, नियम 377 के अधीन आपकी अनुमति से मैं उर्जा मन्त्री महोदय का ध्यान इस आशय की कुछ प्रेस रिपोर्ट पर कि केरल की सायलेंट वैली रिजर्व फारेस्ट को नेशनल पार्क में बदला जायेगा, केरल के लोगों में हुए तीव्र विरोध और आशंका की भावना की ओर आकर्षित करता हूं। योजना आयोग ने 1973 में ही सायलेंट वैली जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान की थी जो 10 करोड़ रुपये मूल्य की 5220 लाख इकाई बिजली साल में पैदा कर सकती है। केरल सरकार ने प्रारम्भिक खर्च के रूप में करीब 2 करोड़ रुपये की राशि खर्च की थी और 1976 में पर्यावरण योजना एवं समन्वय सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के निदेश से काम बन्द कर दिया गया था।

सायलेंट वैली परियोजना का बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं से सम्बन्ध है जिनको स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आधुनिक मन्दिरों की संज्ञा दी थी। इस परियोजना में से 25,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है, केरल राज्य के पिछड़े क्षेत्र के औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है और करीब 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन भी किया जा सकता है। इस परियोजना से कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में, जहां बिजली की भारी कमी है, बिजली की आवश्यकता भी पूरी होगी। उर्जा के ऐसे बृहत स्रोत का। जिसे प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, ऐसे समय पर दोहन न करना आत्मघाती होगी जबकि देश बिजली की भारी कमी की दौर से गुजर रहा है।

महोदय, सायलेंट वैली परियोजना के लिए 8,952 हेक्टेयर भूमि में से केवल 840 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि इससे आरक्षित वन के उचित अनुरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्रस्तावित राष्ट्रीय पार्क का निर्माण जल-विद्युत-परियोजना के क्रियान्वयन के साथ किया जा सकता है। अतः राष्ट्रीय पार्क के नाम पर जल विद्युत परियोजना के कार्य में अवरोध पैदा नहीं किया जाना चाहिए।

केरल विधान सभा ने सर्वसम्मति से भारत सरकार से इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया है और पश्चिमी घाटों के पर्यावरण आयोजन सम्बन्धी तदोद्देश्यीय दल द्वारा निर्धारित सुरक्षा के उपायों के अनुसार सायलेंट वैली सुरक्षित क्षेत्र अधिनियम भी पास किया है।

इन परिस्थितियों में मैं ऊर्जा मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि सायलेंट वैली जल विद्युत परियोजना को अविलंब स्वीकृति प्रदान की जाए, और केरल के लोगों के दिमाग से भय और संदेह को दूर किया जाए ताकि 5200 लाख यूनिट अतिरिक्त बिजली प्रतिवर्ष पैदा की जा सके।

(चार) काजू उद्योग के विकास के लिए काजू बोर्ड की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री बी० के० नायर (क्विलोन) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन

काजू बोर्ड की स्थापना के बारे में निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्व का मामला उठाता हूं।

यह भारी चिंता की बात है कि भारत काजू गिरी के निर्यात करने में अपना गौरव का स्थान तेजी से खो रहा है। हमारा निर्यात जो 1972-73 में 66,000 टन था वह गिरकर 1978-79 में केवल 27,000 टन रह गया है। अनुभव यह बताता है कि हम कच्चे गिरीदार फल की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब आगे आयात पर निर्भर नहीं कर सकते और देश में ही उत्पादन कर इसकी कमी को पूरा करना होगा। सौभाग्यवश, देश में ही उत्पादन को विकसित करने की संभावना प्रचूर है। जैसे अभी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश महाराष्ट्र और गोआ में काजू बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और पांडिचेरी में भी शुरूआत की गई है। काजू पैदा करने का क्षेत्र निरन्तर बढ़ता जा रहा है एवं उत्पादन भी बढ़ रहा है। ये कार्य बहुतायत, हजारों में से दस लघु पैमाना वाले कृषकों और कुछ सरकारी एजेन्सियों द्वारा हो रहा है। तथापि, यह ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट हो रहा है कि जब तक एक केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा उचित रूप से समन्वित एवं मार्गदर्शित प्रयास नहीं किए जाते हैं तब तक हमें वांछित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। पुनः, खेती के कई पहलुओं पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है और इससे सम्बन्धित कई प्रकार के कार्यों जैसे गिरीदार फल को इकट्ठे करने, संसाधित करने, माल गोदाम में रखने एवं विपणन कार्य में लगे व्यक्तियों को सहायता देने की जरूरत है। इन सब चीजों में केन्द्रीय समन्वय की आवश्यकता है।

इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि रबड़ बोर्ड एवं कॉफी बोर्ड जैसी कोई एक एजेन्सी बनाई जाये इसमें देरी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः मैं भारत सरकार से काजू बोर्ड की स्थापना अविलंब करने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) दुर्गापुर मिश्र इस्पात सयन्त्र के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता

श्री नीरेन घोष (दमदम) : मैं नियम 377 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

सरकारी क्षेत्र का दुर्गापुर मिश्र धातु इस्पात सयन्त्र चालू होने के समय से दोषपूर्ण योजना एवं क्रियान्वयन के कारण डांवाडोल रहा है। इस अर्थ में यह अर्ध निर्मित सयन्त्र है कि इसमें बड़ी मात्रा में पूंजी लगाई गई थी और स्टेनलैस स्टील की ठण्डी ढाली गई पतली चादरें तैयार करने की बृहत क्षमता थी परन्तु इस उद्देश्य से कार्यों का कभी भी क्रियान्वयन नहीं किया गया। पतली इस्पात की चादरें नहीं बल्कि इसने केवल मोटी चादरें तैयार की और अब भी कर रहा है। परिणामस्वरूप, देश को स्टेनलैस स्टील की ठण्डी ढाली हुई पतली चादरों का आयात करने पर भारी नुकसान हुआ है। अब ऐसी चादरों का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भी बढ़ गया है। आयातित माल के प्रति टन कीमत 63,000 रुपये होने पर भी बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है। परन्तु भारतीय इस्पात प्राधिकरण से लगातार शिकायतें हो रही हैं कि देश में खासकर दुर्गापुर मिश्र धातु इस्पात संयंत्र से उत्पादित स्टेनलैस स्टील की चादरों के विक्रय पर भारत सरकार की आयात नीति से घातक प्रभाव पड़ रहा है। इसमें कोई विवाद

[श्री नीरेन घोष]

नहीं है कि आयात नीति से मिश्र धातु इस्पात संयन्त्र को नुकसान हुआ है। क्योंकि मिश्र धातु इस्पात संयत्र में उत्पादन 1976-77 में 8,300 टन से गिरकर 1979 में 5,200 टन हो गया है। जब 9,000 टन आयातित माल की बिक्री न हुई हो तो दुर्गापुर मिश्रधातु इस्पात संयंत्र के उत्पादन में इसका हानिकारक प्रभाव को देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पुनर्वेलन मिल वाले भी आयात को बन्द करने का अनुरोध कर रहे हैं। यह नीति 'निर्यात करो या मरो' की सरकार की घोषित नीति के प्रतिकूल है।

अतः मैं मांग करता हूं कि बड़ी मात्रा में ठण्डी ढाली गई स्टेनलैस स्टील की चादरों के आयात की इस अत्यधिक नुकसानदायक आयात नीति को तुरन्त खत्म किया जाए क्योंकि इससे देशी पुनर्वेलन उद्योग एवं सरकारी क्षेत्र के दुर्गापुर मिश्र धातु इस्पात संयंत्र को नुकसान होता है और यह विदेश व्यापार नीति के खिलाफ है।

मैं यह भी मांग करता हूं कि इन ठंडी रोल्ड स्टेनलैस चादरों का निर्माण करने के हेतु दुर्गापुर मिश्र धातु इस्पात संयंत्र की बृहत क्षमता का उपयोग करने के लिए अधूरे काम को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि ऐसे आयातों की कोई जरूरत न पडे।

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1980-81

कृषि मन्त्रालय और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 1 से लेकर 9 तक और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 74 पर चर्चा एवं मतदान होगा। इसके लिए 10 घंटे का समय नियत किया गया है। माननीय सदस्यगण जिनके अनुदानों की मांगों में कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं वे अगर चाहें तो अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और सभा पटल पर 5 मिनट के अन्दर जिन कटौती प्रस्ताव को पेश करना चाहते हैं उनकी क्रमसंख्या बताते हुए स्लिप भेज सकते हैं। केवल इन कटौती प्रस्ताव को पेश किया गया माना जाएगा। अब श्री दिगम्बरसिंह बोलेंगे। आपके दल को 37 मिनट का समय दिया गया है। आपके दल से तीन नाम आए हैं। यह आपकी जानकारी के लिए है।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के विरोध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे देश के किसानों का वह समुदाय जो देश की राष्ट्रीय आय 76,376 करोड़ रुपए के आधे का भागीदार है, उसी के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। वह समुदाय मानव-मात्र के लिए ही नहीं, पशु-पक्षियों के लिए भी उत्पादन करता है। उसके लड़के और भाई हमारी फौज में देश की रक्षा के लिए जाते हैं। वह समुदाय इतनी संख्या में है और इतनी क्षमता रखता है कि सरकार बना और बदल भी सकता है। हमारे उस समुदाय की एक लम्बे समय से उपेक्षा होती आयी है। उसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश में कृषि उत्पादन गिरा है जिसके कारण हम बाहर से अनाज मगाते रहे हैं और

इसके परिणाम स्वरूप हम कर्जदार बने हैं। हमारे देश पर कर्ज की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि उसके ब्याज के रूप में ही हमें 3292 करोड़ रुपया देना पड़ता है।

आप देखें हमारे बजट में सुरक्षा के लिए 3600 करोड़ रुपया रखा गया है और इतना ही रुपया लगभग हमारा ब्याज में चला जाता है। जितनी राशि कृषि मंत्रालय के बजट में रखी गई है उससे कहीं अधिक रकम हमें ब्याज के रूप में देनी पड़नी है। अगर यह ब्याज न देना पड़ता और यदि ब्याज की रकम को रक्षा मंत्रालय में सम्मिलित कर लिया जाता तो आज हमारे देश की हिमालय की पवित्र भूमि जहां मानसरोवर और कैलाश से चीन के कब्जे में न गई होती। अगर गई भी होती तो हमारी शक्ति इतनी बढ़ जाती कि हम उसको वापिस ले सकते थे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्पादन गिरने के मुख्य क्या कारण हैं। एक मुख्य कारण यह है कि कृषि की उपेक्षा की गई, हमारे देश के कृषि उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। देश के उत्पादन के बढ़ने और घटने का बहुत कुछ निर्भर मूल्यों पर करता है। आप वर्ष के आंकड़े देखें तो उनसे यह साबित होता है कि जब कृषि उत्पादन का मूल्य बढ़ा तो दूसरे वर्ष का उत्पादन बढ़ जाता है। जिस वर्ष कृषि उत्पादन का मूल्य गिर जाता है, दूसरे वर्ष का उत्पादन भी गिर जाता है। मैं एक दृष्टांत आपके सामने रखता हूं। 1977 में गुड़ का सूचकांक 190 था। उसका भाव बढ़ा उत्पादन बढ़ गया। 1978 में उत्पादन बढ़ा तो भाव गिर गया और वह भाव पहुंच गए सूचांक 147.9 यानी भाव गिर गए। इस तरह से गन्ने की पैदावार गिर गई। जब पैदावार गिर गई तो फिर भाव बढ़ गए। इस तरह से दूसरे साल का सूचांक गुड़ का 292.1 पर पहुंच गया।

मैं निवेदन करूंगा कि किसान के सामने यह समस्या है कि जिस चीज का उत्पादन बढ़ता है, उसी का भाव गिर जाता है। जिसका भाव गिर जाता है, उसी का भाव गिर जाता है। किसान को भी यह विचार करना होगा कि क्या उसकी ऐसे ही उपेक्षा होती रहेगी। एक वर्ष में 20 प्रतिशत मंहगाई बढ़ी है और हमारा गेहूं का भाव कितना बढ़ा ? 115 से 117। तो आज किसान यह सोचने लगा है कि अपनी रक्षा करनी है तो उत्पादन अधिक मत करो। एक किसान 100 रुपये खर्च करके उत्पादन कर लेता है, दूसरे वर्ष वह 200 रुपए खर्च करके दुगना उत्पादन करता है, लेकिन भाव आधा हो जाने की वजह से उसको लाभ उतना ही मिलता है। इस स्थिति में कहीं ऐसा न हो जाये कि किसान यह नारा लगाने लगें कि "उत्पादन घटाओ, मूल्य बढ़ाओ, किसानों को बचाओ", क्योंकि अगर उत्पादन घटेगा, तो मूल्य बढ़ेगा और किसान का लाभ होगा। अभी किसान ऐसा नहीं कर रहा है, अभी तो वह उत्पादन बढ़ा रहा है। उसने 1971 में 17,310 करोड़ रुपए का उत्पादन किया था और 1978 में 31,582 करोड़ रुपए का उत्पादन किया।

किसान ने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन किसान की हर जगह उपेक्षा होती है—इस सदन में भी होती है। इस बजट पर चर्चा के लिए 75 घंटे रखे गए हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय आय का आधा

[श्री दिगम्बर सिंह]

भागीदार है, उसकी समस्याओं पर विचार करने के लिए केवल दस घंटे रखे गए हैं। वित्तमंत्री जी के बजट भाषण में 122 पैराग्राफस थे। लेकिन कृषि के बारे में केवल दो पैराग्राफ्स थे।

एक पैराग्रापस में वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमने कृषि का बजट 1811 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2247 करोड़ रुपए कर दिया है। लेकिन स्थिति यह है कि किसानों से सम्बधित महत्वपूर्ण विभागों के बजट को घटा दिया गया है, जैसा कि इन आंकड़ों से प्रकट होता है:—

	बजट अनुमान 1979-80	बजट अनुमान 1980-81
कृषि	398.13 करोड़	242.81 करोड़
लघु सिंचाई	19.97 करोड़	10.45 करोड़
भूमि तथा जल संरक्षण	18.52 करोड़	13.72 करोड़
पशुपालन	19.36 करोड़	18.93 करोड़
मीन उद्योग	36.65 करोड़	33.76 करोड़
वन	28.95 करोड़	12.84 करोड़
ग्राम विकास	357.05 करोड़	347.32 करोड़
कृषि वित्तीय संस्थायें	162.75 करोड़	109.20 करोड़

वित्त मंत्री कहते हैं कि हम कृषि के लिए रुपया बढ़ा रहे हैं। रुपया बढ़ा रहे हैं, लेकिन कृषि के नाम पर डेरी के विकास पर 1979-80 में 44.75 करोड़ रुपया रखा गया था, जिसको 1980-81 में बढ़ाकर 72.61 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस रकम को इसलिए बढ़ा दिया गया कि शहरों के बड़े-बड़े पूंजीपतियों को सस्ता दूध और मक्खन मिले। सरकार को इस बात पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए कि अगर किसानों की उपेक्षा लगातार इसी तरह होती रही, तो देश का विकास नहीं होगा।

कृषि के प्रति सरकार की उपेक्षा की दूसरी मिसाल यह है कि इस उदार सरकार ने किसानों में कर्जे बांटने के लिए 2,302.6 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की, लेकिन उसमें से सिर्फ 1333.5 करोड़ रुपए वितरित किए गए। इसी तरह आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि गोबर गैस के लिए 40 करोड़ रुपए मन्जूर किए गए, लेकिन उसमें से सिर्फ 0.4 करोड़ रुपए बांटे गए। यानी 4 करोड़ रु० में से केवल 4 लाख। अब आप बताइए कि इस तरह से जो सरकार कर रही है क्या इससे किसान की उन्नति हो सकती है, क्या इससे किसान का विकास हो सकता है? इस तरह से उपेक्षा करने से देश की तरक्की नहीं होगी। मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप किसानों की भलाई करें। मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं कि देश की भलाई के लिए माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिए। देश की भलाई निर्भर करती है किसानों के ऊपर। अगर किसान की तरक्की है तो देश की तरक्की है। आप पंजाब और हरियाना जाकर देखें। वहां के किसानों की हालत अच्छी है, वहां के गांवों की हालत अच्छी है, कस्बे की हालत अच्छी है

व्यापारियों की हालत अच्छी है ट्रैक्टर बेचने वालों की हालत अच्छी है, वहां के कारीगर की हालत अच्छी है और यही नहीं वहां के मजदूरों की हालत भी अच्छी है। वहां मजदूरों को ज्यादा पैसा मिलता है। अगर आप चले जायें पूर्वी उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेश की बात मैं नहीं करता, लेकिन वहां जाकर देखें तो किसान की हालत खराब है, गांव की हालत खराब है, कस्बे की हालत खराब है, दूकानदार की और बिजनेसमैन की हालत खराब है, सब की हालत वहां खराब है और यही नहीं वहां के मजदूर की हालत भी खराब है। जितना पैसा मजदूर को पंजाब में मिलता है, उतना पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है। तो क्या आप यह किसानों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं ?

आप देखें दिल्ली शहर में जगह-जगह घास में पानी दिया जाता है, उसके लिए बिजली प्रयोग की जाती है, मकानों को गरम और ठण्डा किया जाता है, उसके लिए बिजली प्रयोग की जाती है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने-जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग होता है, उसमें बिजली का प्रयोग होता है, सिनेमाघर और टेलीवीजन बिजली से चलते हैं, हमारे दिल्ली शहर को रात में दिन जैसा बना दिया जाता है, उसमें भी बिजली का प्रयोग होता है। बहुत से लग्जरी के समान जो कारखानों में बनते हैं, उनको बनाने के लिए भी बिजली दी जाती है। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण किसान के लिए आप देखेंगे कि बिजली नहीं मिलती है। उसको बिजली नहीं मिलती है सिंचाई के लिए, उसके नलकूप के लिए। बहुत से कामों के लिए आप देखेंगे कि डीजल मिलता है। रेल के डिब्बों को गरम और ठण्डा करने के लिए, लग्जरी के बहुत से सामानों का उत्पादन करने के लिए, लग्जरी की कारों में इधर उधर घूमने के लिए डीजल मिल जाएगा लेकिन डीजल नहीं मिलेगा ट्रैक्टर के लिए, किसान के पम्पिंग सेट के इंजन के लिए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर आप अपने फार्म पर जायें, वहां अपने लड़के या मैनेजर या जो भी खेत का काम कर रहा हो, उसको देखें कि वह गेहूं में पानी देने के बजाय घास में पानी दे रहा है, मकान को ठण्डा और गरम करने में बिजली को खर्च कर रहा है तो क्या आप उसको इनाम देंगे या उससे नाराज होंगे ? अगर वहां वैसा बर्ताव कर सकते हैं तो यहां सरकार में रहकर क्यों नहीं ऐसा कर सकते ? यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज किसानों की इस तरह उपेक्षा की जा रही है। किसानों की उपेक्षा के सम्बन्ध में विरोधी दल के माननीय सदस्य कहेंगे, मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के भी अधिकतर सदस्य किसानों की समस्या पर कहेंगे, मुझे यह विश्वास है कि माननीय मंत्री जी भी जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें वह भी किसानों की उपेक्षा के सम्बन्ध में बात करते होंगे, और कहां तक कहूं, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने भी कह दिया कि किसानों के ट्यूबवेल के लिए बिजली नहीं मिलती है और बड़े-बड़े कारखानों को बिजली मिलती है। तो राष्ट्रपति जी कहें, माननीय मंत्री जी कहें, लोक सभा के सदस्य कहें, इसके बाद एक ही बात रह जाती है कि अध्यक्ष महोदय भी कह दें, वह भी किसानों के बारे में खड़े होकर आवाज उठा दें तो शायद सम्भव है कि किसानों के प्रति इस सरकार की उपेक्षा समाप्त हो जाय और वह किसानों की भी बात सुनकर उनके लिए भी कुछ काम करे।

मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा, क्या मंत्री जी नहीं जानते इस बात को कि आज दस एकड़ के किसान की वह हालत नहीं जो एक बैंक के चपरासी की है। यह

[श्री दिगम्बर सिंह]

मेरा स्वयं का अनुभव है, मैंने कुछ दिन कौआपरेटिव में काम किया है और मैंने देखा है कि वहां के चपरासी की जैसी स्थिति है, जैसा रहन-सहन है, खानदान है वैसा दस एकड़ के किसान का नहीं है। किसान की आज उपेक्षा इस कदर हो रही है। इस तरफ अगर ध्यान नहीं दिया गया और इसके लिए बजट में उपाय नहीं किए गए तो मैं समझता हूं कि बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस बजट के बाद, ऐसी स्थिति किसान की हो जाएगी कि दस एकड़ का किसान एक बैंक के चपरासी से अच्छी स्थिति में हो जायगा? क्या ऐसी स्थिति हो जायगी कि जिन किसानों के खेत बिक रहे हैं बैंक के कर्ज की अदायगी में, नीलाम हो रहे हैं, वह बिकने और नीलाम होने बन्द हो जाएंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि एक किसान जिसने अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपनी लड़की के जेवर गिरवी रखकर उसमें लगा दिया और आज उसके दरवाजे पर उसका दामाद बैठा हुआ है उसकी लड़की को ले जाने के लिए, घर के अन्दर वह लड़की रो रही है, उसकी मां रो रही है और किसान घर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्या इस बजट के बाद उस किसान की पहले वाली स्थिति आ सकती है ? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो चीजें चल रही हैं, इनसे देश की भलाई नहीं हो सकती है क्योंकि जब तक किसान की भलाई नहीं होगी, देश की भी भलाई नहीं होगी। हां, एक बात में किसान की स्थिति जरूर बढ़ रही है, किसानों पर जो कर्जा था वह बढ़ गया है। यदि आप आंकड़े देखें और अध्ययन करें तो पता लगेगा कि पहले जितना उन पर कर्जा था उससे अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरह से किसानों पर पहले जितना बकाया था वह भी अब बहुत बढ़ गया है।

किसानों के प्रति जो उपेक्षा का भाव है उसका एक दृष्टान्त मैं भाषण समाप्त करने से पहले देना चाहूंगा। आप देखेंगे कि पूंजीपति और बड़े-बड़े आफिसर्स के लिए मकान बनाने के लिए जो सामान खरीदा जाता है तो बाजार भाव पर सामान की कीमत दी जाती है लेकिन किसानों के साथ अन्याय होता है। किसान से जो भूमि ली जाती है उसकी वह कीमत नहीं दी जाती है जो कि उस वक्त का बाजार भाव होता है। उसको बहुत कम कीमत दी जाती है। लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट की धारा (4) के अनुसार जो वर्षों पहले घोषणा हो जाती है उसी के हिसाब से किसान को कीमत दी जाती है। उत्तर प्रदेश में सभी भूमि के भाव नियत कर दिए गए हैं। सरकार ने हर एक भूमि का भाव नियत कर दिया है इसलिए कोई बयनामा करे या बेचे तो उसका स्टाम्प रेट तय है, उसी के हिसाब से उसको स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। उसी सरकार के एक जिलाधिकारी ने मथुरा में एक जमीन का भाव 15 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से तय किया इण्डस्ट्री के लिए, भूमि लेने पर किसान को दिया गया 24 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से। जो भूमि स्टाम्प ड्यूटी के लिए 15 रुपए गज के भाव की मानी जाएगी उसी का भाव किसान को 24 पैसे प्रति वर्ग गज दिया जाता है। एक ऐसी भूमि जो शहर के पास है, जिसमें सिंचाई की व्यवस्था है और जिस पर उत्पादन होता है उसका भाव है 24 पैसे प्रति वर्ग गज। एक डाक का लिफाफा 30 पैसे का और किसान की भूमि 24 पैसे की इससे ज्यादा अन्याय और क्या हो सकता है ? मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि कैबिनेट में जाकर कह दें कि किसानों

के साथ इस प्रकार के अत्याचार को वे सहन नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार के जो कानून हैं उनको वे रद्द करवायें। उत्तर प्रदेश में हमारे यहां लैंड एक्वीजीशन एक्ट में एक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि तीन वर्षों से अधिक समय से पहले का नोटिफिकेशन हो तो उसकी भूमि नहीं ली जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में वहाँ दुर्भाग्य से आवास विकास एक्ट ऐसा है कि अगर दस वर्ष पहले भी नोटिफिकेशन हुआ है तो भी उसी 20 वर्ष पहले के भाव पर जमीन ले ली जाती है। उत्तर प्रदेश में हजारों एकड़ भूमि आवास-विकास एक्ट के अन्तर्गत बड़े-बड़े पूंजीपतियों के मकानों के लिए किसानों से ली गई है। मन्त्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर मन्त्री जी चाहते हैं कि देश की तरक्की हो तो पहले किसानों की तरक्की करनी होगी। आज बिजली का इस्तेमाल दूसरी जगहों पर बन्द करके सिंचाई के लिए देना चाहिए। किसान के नलकूप को चलाने के लिए बिजली दी जानी चाहिए। लग्जरी के कामों में जो डीजल का दुरुपयोग होता है, उसे भी बन्द कर देना चाहिए और वह ट्रैक्टर्स के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। माननीय मन्त्री जी प्रधान मन्त्री जी से कहें कि जो कारें लग्जरी के काम में इस्तेमाल होती हैं उनके इन्जिनों को उखाड़-उखाड़ कर कुओं पर लगवाया जाय, ताकि उन से सिंचाई हो सके और बजट का अधिक रुपया किसानों पर व्यय किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मन्त्री जी, आप मजदूरों की हड़ताल बरदाश्त कर सकते हैं, मजदूरों के असन्तोष को बरदाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब गांव के किसान और उसके पढ़े हुए लड़कों में असन्तोष पैदा होगा और वे क्रान्ति के लिए खड़े होंगे तो उसको रोकना आपके बस की बात नहीं होगी। उस समय बड़े-बड़े पूंजीपति और बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी महलों में नहीं रह पायेंगे।

किसानों के लड़के, मजदूरों के लड़के जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, वे इन महलों पर कब्जा करेंगे। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम्यूनलिजम को रोकने का यह तरीका नहीं है कि आप उसकी आलोचना करें। कम्यूनलिज्म को रोकने का एक ही तरीका है कि हम किसान की स्थिति में सुधार करें। अगर किसान की स्थिति सुधरेगी और उसको आगे बढ़ाते जायेंगे, तो मजदूरों की स्थिति में भी सुधार होगा और सबकी स्थिति सुधरेगी और तभी यह क्रान्ति रुक सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नगीना राय (गोपाल गंज) : मान्यवर, सदन में जो कृषि मन्त्रालय की अनुदान की मांगें पेश की गई हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की 82 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है। यहां 170 मिलियन हेक्टेयर जमीन है, जिसमें अभी भी सिंचाई के साधन 52 मिलीयन हेक्टेयर जमीन में नहीं हो पाए हैं। इस देश के 60 प्रतिशत लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं। भारत की जनसंख्या अभी भी 66,35,96,000 है। इस जनसंख्या को देखते हुए खेती की जमीन प्रति व्यक्ति 2/3 एकड़ दो-तिहाई एकड़ पड़ेगी। इस जमीन के बंटवारे से राजनैतिक एवं मानसिक लाभ तो अवश्य हुए हैं, लेकिन आर्थिक लाभ एवं स्वतन्त्रता के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे।

[श्री नगीना राय]

अब देश की जनसंख्या, उत्पादन और खपत इत्यादि इस प्रकार है। 1961 में जनसंख्या 43,92,35,000 थी, 1971 में 54,81,60,000 थी, 1975 में यह बढ़कर 60 करोड़ हो गई, 1980 में यह 66 करोड़ हो गई, 1981 में यह 67 करोड़ तक पहुंच जाएगी और 1990 तक यह 80 करोड़ के लगभग हो जाएगी। पहले इसमें वृद्धि 2.4 प्रतिशत हो रही थी और अब 1.87 प्रतिशत हो रही है। खाद्यान का उत्पादन 1950 में 60.8 मिलीयन टन था, 1967-68 में 95.1 मिलीयन टन हो गया, 1976-77 में यह बढ़कर 111.2 मिलीयन टन, 1977-78 में 126.4 मिलीयन टन, 1978-79 में 131.4 मिलीयन टन तक पहुंच गया और पहली बार 1977 में हमने 136 हजार मेट्रिक टन गेहूं रूस को लौटाया, लेकिन 1967-68 में 10 मिलीयन टन गेहूं हमने इम्पोर्ट किया और इम्पोर्ट करते आ रहे थे और यह इम्पोर्ट 1977 में समाप्त हुआ। हमारी प्रगतिशील नीतियों के चलते 1978-79 में हमने 131.4 मिलीयन टन गेहूं पैदा किया, लेकिन जनता पार्टी की गलत नीतियों के चलते 1979-80 में 115 मिलीयन टन अनाज पैदा किया, इसमें गिरावट आ गई। 1976 में जो फूड ग्रेन्स रिजर्व था, जनता पार्टी के राज में उसके सारे गोदाम खाली हो गए।

चीनी का उत्पादन 1961 में 3021 हजार मिट्रिक टन था, जिसमें से 194 हजार मिट्रिक टन हमने एक्सपोर्ट किया। 1971 में 3740 हजार मिट्रिक टन का उत्पादन हुआ और एक्सपोर्ट किया 394 हजार मिट्रिक टन, 1977 में 4840 हजार मिट्रिक टन उत्पादन किया और 312 हजार मिट्रिक टन हमने एक्सपोर्ट किया और 85.75 करोड़ रुपये हमने कमाया। 1977 में जनता पार्टी का राज हुआ। जहां 1978 में 177 मिलियन टन शुगर केन का उत्पादन हुआ और जनता पार्टी के राज में उसका रेट 12.5 रु० से घटा कर 10.5 रु० कर दिया और कहा कि डिफ्रेंस का दाम हम देंगे। इसी प्रकार शुगर वगैरहा आर० बी० आई० का लोन भी 90 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत कर दिया, किसान पूंजी लेने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। अभी भी सरकार के यहां डिफ्रेंस आफ प्राइसेस के 10 करोड़ रु० से ज्यादा बाकी है, जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। 1978-79 में किसान उदासीन हो गया और उसके बाद पैदावार भी घट गई। 177 मीलियन टन जहां गन्ने का उत्पादन 1978 में था वह घटकर 1979 में 156.5 मीलियन टन रह गया और इसी वजह से आप चीनी इम्पोर्ट करने जा रहे हैं। इस प्रकार से हमको दो लाख टन चीनी इम्पोर्ट करने की नौबत आ गई है। मन्त्री जी ने राज्य सभा में एलान किया है कि 27 रु० क्विंटल तक गन्ना बिका है, इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जो मिनिमम प्राइस 10.5 रु० है, अब उसको बढ़ाकर 15-20 रु० कर देना चाहिए।

इन्डैक्स आफ प्राइसेस आफ एग्रीकल्चर इन्पुट्स में डीजल 1971 में 104.5 था वह 1977 में 213.9 हो गया, लुब्रीकेटिंग आयल 1971 में 98.5 था जो 1977 में 314.2 हो गया, इलेक्ट्रिसिटी 1971 में 101.9 थी वह 1977 में 178.5 हो गई, टैक्टर्स 1971 में 109.6 था, तो 1977 में 202.3 हो गया, पिग-आयरन 1971 में 100.8 था जो 1977 में 181.6 हो गया, उर्वरक 1971 में 100.3 था जो 1977 में 178.9 हो गया, इसी प्रकार कीट-नाशक 1971 में 102 था जो 1977 में 233 हो गय। 1977 से 1979 में जनता पार्टी के राज में इन पर 75 प्रतिशत की वृद्धि और हुई है।

जहां देहात में किसान 1975 में एक कुदाल 8रु० में खरीदता था, 1980 में वह 18 रु० में खरीद रहा है। जहां खुरपी 12 आने की मिल रही थी, आज 3 रुपये की है, जहां हसुआ 10 आने का था, आज ढ़ाई रुपये का मिल रहा है, जहां "फोर" 2 रुपये की थी आज 5 रुपये की मिल रही है, जहां 1 रुपये किलो गल्ला मिलता था, आज सवा रुपए का मिल रहा है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां 1975 में गल्ला 1 रुपए किलो था, 1980 में उसका दाम केवल सवा रुपया हुआ। जहां इन्पुट्स के दाम देखते-देखते दुगने और तिगुने हो गए। 1971 में फर्गुसन का ट्रैक्टर 200 क्विंटल गेहूं के दाम पर मिल जाता था, लेकिन आज 1980 में 400 क्विंटल गेहूं के दाम पर मिलता है। ये सब बातें मैं इफैक्टिव-मार्केट- प्राइस के आधार पर कह रहा हूं, न कि प्रोक्योरमेन्ट और मिनिमम प्राइस के आधार पर।

उर्वरक के दाम 8 जून, 1980 से 38 प्रतिशत बढ़ा दिये गये। आज बाजार में यूरिया 50 के० जी० का ब्योरा, जो 81 रुपए का था, 32 रुपए बढ़ाकर, 113 रुपए में मिल रहा है। जब इन चीजों के दाम बढ़े थे तो आर० बी० आई० के माध्यम से क्रेडिट देने वाली संस्थाओं, जैसे बैंक, सोसायटी, आदि, इन की क्रेडिट लिमिट को भी बढ़ाना चाहिए था, जिससे किसान की क्रय शक्ति बढ़ सके। आज किसान की क्रय शक्ति उसी अनुपात से न बढ़ने के कारण इन चीजों को खरीद सकने में असमर्थ है। खरीफ का सीजन आ गया है, मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, किसान खाद नहीं खरीद सकेगा, जिससे उसकी धान की पैदावार कम हो जायगी।

आप खाद कारखाने से एफ० ओ० आर० रेल-हेड तक एक्स- फैक्ट्री प्राइस होल-सेल की फिक्स करते हैं और वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन देते हैं, चाहे खाद खपत होने वाला स्थान स्टेशन से 1 मील दूर हो या 100 मील दूर हो, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन सबके लिए एक है। इस देश में 2900 से अधिक ब्लाक ऐसे हैं जिनमें रेलवे स्टेशन नहीं हैं। किसी-किसी इलाके में तो 100 मील तक कोई स्टेशन नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश का बस्तर है। वहां का छोटा किसान कैसे उसी मार्जिन पर खरीद कर इस्तेमाल कर सकता है, यह असम्भव है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे एफ० ओ० आर० न रखकर ब्लाक हैडक्वार्टर तक पहुंचा दें और वहां से मार्जिन शुरू हो।

खेती के लिए ऋण का बुनियादी स्रोत आर० बी० आई० है जो एग्रीकलचर सैक्टर के लिए 1200 करोड़ रुपए का ऋण प्रतिवर्ष मुहय्या कर रहा है, लेकिन सूद की दर 14 परसेन्ट है। इतना बड़ा सूदखोर दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देगा। आर० बी० आई० तो काबुलीवालों और महाजनों को भी मात कर रहा है। दुनिया के अन्य देशों में कृषि के लिए सूद की दर बहुत कम है। थाइलैंड में 1 परसेन्ट है, जापान, कोरिया, मलेशिया, आदि देशों में 3 से साढ़े-चार प्रतिशत दर पर खेती के लिए ऋण प्राप्त हो जाते हैं। आर० बी० आई० द्वारा खेती के लिए दिए गए ऋण में क्षेत्रीय असमानता भी है जैसे 1200 करोड़ रुपए में से बिहार को 10 या 11 करोड़ रुपया मिला है जबकि बिहार देश का 1/10 वां हिस्सा है। विकसित और अविकसित राज्यों के लिए एक क्राइटेरिया या मापदण्ड न होकर, कमजोर प्रान्त के लिए कुछ नरम मापदण्ड होना चाहिए, जिससे वहां का किसान पूरा-पूरा ऋण लेकर आधुनिक खेती कर सके।

[श्री नगीना राय]

हमारे देश से बाहर ट्रेनिंग के लिए बड़े पैमाने पर अफसर लोग जाते हैं और इस पर करीब 3 करोड़ रुपया खर्च होता है। इस तरह की ट्रेनिंग के लिए अमरीका, जर्मनी, हालैंड, जापान आदि देशों में जाते हैं। अमरीका में 1890 में 93 प्रतिशत आदमी खेती पर थे, लेकिन आज केवल 5 प्रतिशत खेती पर हैं और सरकारी सब्सिडी पर खेती हजारों-हजारों एकड़ की होती है। वहां स्प्रेइंग हेलीकाप्टर और हवाई जहाजों से होती है। जापान में छोटे-छोटे खेत अवश्य हैं, लेकिन वहां 8 प्रतिशत आदमी खेती पर हैं और एक भी ऐसा खेतिहर परिवार नहीं है जो केवल खेती पर निर्भर हो। वहां प्रत्येक खेत में कृत्रिम वर्षा की व्यवस्था है। क्या आप उन देशों की नकल कर सकते हैं ? मैं समझता हूं नहीं कर सकते हैं। आज उस ट्रेनिंग और विदेश यात्रा का लाभ केवल अफसरों को होता है। उनको बड़ी-बड़ी उपाधियां मिल जाती हैं परन्तु देहात में उनके द्वारा अर्जित ज्ञान का न कोई परीक्षण होता है और न डिमान्स्ट्रेशन होता है।

अब मैं फसलों के मार्केटिंग पर आता हूं। आज एफ० सी० आई० के गोदाम जहां-तहां बने हुए हैं और भारतीय खाद्य निगम द्वारा सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेन्ट प्राइस पर खाद्यान्न खरीदा जाता है, जो कास्ट आफ प्रोडक्शन से बहुत कम है। जब किसान बैलगाड़ी या ट्रैक्टर से खाद्यान्न बिक्री के लिए इन गोदामों में ले जाते हैं, तो उनकी क्वालिटी इंस्पैक्टर या मार्केटिंग मैनेजर साहब से भेंट होती है। वे कहते हैं कि बिना कमीशन लिए हम ग्रेडेशन ठीक से नहीं करेंगे और बिना कमीशन लिए नहीं करते हैं।

स्टोरेज कई विभागों द्वारा होता है, जैसे एफ० सी० आई०, सेन्ट्रल वेअर हाउसिंग कारपोरेशन, स्टेट वेअर हाउसिंग कारपोरेशन, रूरल गोडाउन्ज पंचायत लेवल पर। मेरा यह निवेदन है कि एक जगह पर प्लान्डवे में होना चाहिए। एप्रोप्रियेट टेकनालाजी के अनुसार पंचायत लेवल पर होना चाहिए। यही युक्तियुक्त टेकनालोजी होगी। अब मैं आपका ध्यान एक बहुत बड़ी खतरनाक और घातक चीज की तरफ ले जाना चाहता हूं, उस काम की तरफ ले जाना चाहता हूं जो वैस्ट बंगाल में हो रहा है। ये मार्कसिस्ट्स जो यहां बैठे हुए है, क्राप लूटिंग करवा रहे हैं। इनके वर्कर्स वहां पर क्राप की लूटिंग करा रहे हैं। ये किसानों की खुशहाली को नहीं देख सकते। स्वभावतः ये दूसरों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने जो इस सम्बन्ध में कहा है, वह मैं आपको सुनाता हूं :

"ऊंच निवास नीच करतूती
देख न सकही पराय विभूति।"

ये उन लोगों में से हैं। इन्होंने बंगाल में उद्योगों को टप्प किया है और अब खेती की बारी है। खेती के मामले में मार-धाड़ चल रही है। इनसे आप जागरूक रहिए, होशियार रहिए, नहीं तो ये खेती को भी चौपट कर देंगे।

भारत में पैदा होकर दूसरे देश की बात सोचते हैं।**

ये एक्सट्रीम लेफटिस्ट्स हैं, वाजपेयी जी एक्सट्रीम राइटिस्ट है और हमारे चव्हाण साहब सेन्ट्रलिस्ट हैं। ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। एक-दूसरे से कैसे मेल खा सकता है। इनके बीच में

**उपाध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

जमीन-आसमान का अन्तर है रहीम जी ने लिखा है :

"कहो रहीम कैसे निभे, बेर केर के संग,
ये डोलत रस आपनों इनसे फाड़त अंग ।।"

श्री ज्योतिर्मय वसु जब डोलेंगे, तो वाजपेयी जी के अंग-अंग छील देंगे । इसलिए इनकी संगत चलने वाली नहीं है ।

अब मैं कृषि के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, गेहूं की तो बहुत अच्छी किस्में निकली हैं पर धान के लिए कुछ आवश्यक किस्में जरूरी हैं । इन्टरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिलिपीन्स में फ्लड रसिसटेंस वैराइटी, ड्राऊट रसिसटेंस वैराइटी आदि का अनुसंधान हो गया है । अतः यहां पर भी वैसा अनुसंधान किया जाना चाहिए, जिससे हाई यील्डिंग वैराइटीज पैदा हों । इसके अलावा डीप वाटर पेडी का अनुसंधान होना चाहिए, जिससे लाखों हेक्टेयर डूबी हुई जमीन में खेती की जा सके ।

एक बात मैं क्रॉप इन्श्योरेंस के बारे में भी कहना चाहूंगा । जब किसान अपने लहलहाते खेतों को देखता है और खुश होता है कि पौध अच्छी निकली है और अच्छी फसल होगी और जब फसल काटने का समय आता है तो बाढ़ आ जाती है और उसी वक्त ओले पड़ जाते हैं और खड़ी फसल बरबाद हो जाती है । इसलिए इण्डिया में क्रॉप इन्श्योरेंस **मस्ट** से है अगर आप किसानों को जिन्दा रखना चाहते हैं । इसलिए मेरा कहना यह है कि आपको क्रॉप इन्श्योरेंस जरूर करना चाहिए । मेरा कहना यह भी है कि जो भी तकनीकी या वैज्ञानिक खेती के अनुसंधान हुए हैं, उनके लाभ के लिए एक्सटेंशन सेवा का विस्तार पंचायत लेवल पर होना चाहिए क्योंकि अभी तो बड़ी-बड़ी जगहों पर उसका फायदा पहुंचता है ।

इसके अलावा किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवा, उन्नत कृषि औजार, ऋण आदि प्राप्त होने चाहिए जिससे छोटे-छोटे किसान भी इनका लाभ उठा सकें । आज कुछ विकसित प्रान्त हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि, जहां प्रति हेक्टेयर उपज बहुत काफी हो चुकी है और वहां उपज और अधिक बढ़ने की गुंजाइश कम है परन्तु कुछ प्रान्त ऐसे हैं जैसे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा आदि जहां उपज प्रति हेक्टेयर एक टन के लगभग है धान और गेहूं की । आज वहां पर आधुनिक ढंग से खेती करके 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाई जा सकती है । अब आपका जो फ्यूचर प्रोडक्शन होगा वह यहां से आएगा लेकिन आपने इन प्रान्तों में इन्फ्रा-स्ट्रक्चर के लिए अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं । इसलिए आप को शीघ्र वहां पर ठोस कदम उठाने चाहिएं । आप यह भी सोचें कि किसानों को उचित, एकोनामिक और रेमोन्यूरेटिव प्राइस मिले और वहां पर स्टोरेज और मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए और वहां पर पैदावार बढ़ाई जानी चाहिए ।

अब मैं आपका ध्यान खास तौर पर इन्डो-गैन्जेटिक प्लेन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जहां पर आपकी प्रोडक्शन की पोटेंशियल बहुत अच्छी है । जब रेमोनरेटिव प्राइस किसानों को मिलेगी, तो आप की पैदावार बढ़ जाएगी । तब आप भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं और किसान भी खुशहाल हो जाएगा । वह ज्यादा पैदा करेगा ।

[श्री नगीना राय]

अब मैं इनर्जी की बात कहना चाहता हूं। आप बाहर से इनर्जी इम्पोर्ट कर रहे हैं और इम्पोर्ट होने वाली इनर्जी है क्रूड डीजल और उर्वरक। इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं और इससे हमारी फॉरेन एक्सचेन्ज की पोजीशन जो है, वह बिगड़ती जा रही है। इस बिगड़ी हुई स्थिति का सुधार करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन करें। यही एकमात्र उपाय है। ज्यादा उत्पादन करके ये चीजें जैसे बासमती चावल, गेहूं, आलू, प्याज आदि का एक्सपोर्ट करें।

आज अमेरिका दुनिया में हावी है। वह किस लिए हावी है? 130 बिलियन टन अनाज वह एक्सपोर्ट करता है और जिस देश को वह खिलाता है, जिस देश को वह अनाज देता है, उस पर हावी हो जाता है। प्रकृति की हमारे ऊपर बहुत बड़ी देन है मगर उस पर हमने ध्यान नहीं दिया है। प्रकृति की हम पर बड़ी कृपा है और हम बहुत बड़े एग्रो डालर अर्निंग देश बन सकते हैं। हमारे पास रीन्यूएबिल सोर्स आफ एनर्जी है। हमारे पास जमीन है, हमारे पास रीन्यूएबिल सोर्स आफ एनर्जी है। जिन देशों के पास पेट्रोल है, वे पेट्रोल से कमा रहे हैं लेकिन वह नान-रीन्यूएबिल सोर्स आफ एनर्जी है। हम लकी हैं। हमारे पास जमीन है, पानी है और सबसे महत्त्वपूर्ण सूरज की रोशनी है। वेस्टर्न देशों में सूरज की रोशनी 6 माह मिलती है और वे साल में एक फसल पैदा कर सकते हैं जबकि हम साल में तीन फसल पैदा कर सकते हैं क्योंकि हमें साल भर सूरज की रोशनी मिलती है।

जिस तरह से हमने नेशनल मलेरिया इरेडीकेशन प्रोग्राम में फ्री स्प्रेइंग करके मलेरिया का सफाया किया है, वैसे ही कीटनाशक दवाइयों की फ्री स्प्रेइंग करके इन कीड़ों का सफाया किया जा सकता है। और उसके उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इस देश में 8 सौ करोड़ रुपये का एडीबिल आयल हर वर्ष इम्पोर्ट कर रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि मुक्ति मिल जाएगी और आयल सीड्स के प्रोडक्शन में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी और विदेशी मुद्रा की भी बचत हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत खुशी की बात है कि आज भारत के कृषि मंत्री एक किसान हैं और हरियाणा जैसे कृषि में उन्नत प्रांत से आते हैं जहां कृषि वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। हमारे मन्त्री जी यह भी जानते हैं कि खेती में क्या तकलीफ होती है। वे यह भी सोच सकते हैं कि अविकसित प्रांतों में खेती की क्या दुर्दशा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके नेतृत्व में भारत की खेती विकसित होगी और किसान खुशहाल होंगे।

सभी इंडस्ट्री वाले अपने माल का दाम बढ़ा देते हैं। मनमाने ढंग से वे ट्रैक्टर के और और चीजों के दाम बढ़ा देते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स के दाम जिस तेजी से बढ़ते रहते हैं उतनी तेजी से किसान की उपज का दाम नहीं बढ़ता है। इसकी वजह है कि भारत का किसान संगठित नहीं है। कोरिया में किसानों का संगठन है। अगर आप चाहते हैं कि भारत का किसान भी संगठित हो तो वह भी संगठित हो सकता है। यह बात हमारे देश के नौकरी करने वाले मुट्ठी भर लोग भूल जाते हैं। आज किसान की जो दयनीय हालत है वह इन इंडस्ट्री वालों की वजह से है।

अगर किसान की तरफ माननीय मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया तो वे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वे इनकी तरफ ध्यान दें।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण विभागों की अनुदान की मांगों पर विचार कर रहे हैं। मान्यवर, यदि हम दुनिया के मानचित्र के ऊपर दृष्टि डालें तो हमें दिखाई देगा कि हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि कामों में लगी हुई है। जहां अन्य देशों में—इंगलैंड में केवल तीन प्रतिशत व्यक्ति, अमेरिका में चार प्रतिशत, जर्मनी में आठ प्रतिशत, फ्रांस में चौदह प्रतिशत, जापान में बीस प्रतिशत व्यक्ति कृषि के कामों में लगे हुए हैं, वहां हमारे देश में 72 प्रतिशत व्यक्ति लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह आशा की जानी चाहिए थी कि हमारा देश कृषि के मामले में आत्म-निर्भर होगा, कृषि बहुत उन्नत होगी, परन्तु, मान्यवर कृषि की दृष्टि से हम इन देशों के मुकाबले बहुत ही पिछड़े हुए हैं।

इस कथन में पर्याप्त सत्यता है कि हिन्दुस्तान एक धनी देश है जहां पर कि निर्धन व्यक्ति निवास करते हैं। कृषि की दृष्टि से हमारी जलवायु बहुत ही उपयुक्त है। हमारे यहां पर विशाल भूभाग है जहां पर नित्य प्रवाही नदियां हैं और भूमिगत जल भी है। इसके साथ ही, मान्यवर, हमारे यहां 23 प्रतिशत भूभाग में वन सम्पदा है। साढ़े पैंतीस करोड़ के लगभग हमारे यहां पशुधन हैं। साथ ही थोरियम के विशाल भण्डार हैं जिससे कि अणु शक्ति भी अर्जित की जा सकती है। खुला आकाश है जहां से हम सूर्य ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु दुःख से कहना पड़ता है कि हमारे देश के बीस करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको एक समय भी भोजन मुश्किल से मिलता है। हमारे देश में 45 प्रतिशत व्यक्ति निर्धनता और घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

यद्यपि यह सारी स्थिति है फिर भी मैं यह कह कर निराशा व्यक्त नहीं करती हूं। हमारे देश में पिछले तीस सालों में कृषि के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। हरित क्रान्ति भी हुई है। लेकिन मान्यवर इसका लाभ कुछ बड़े किसान तथा कुलक लोग ही ले पाये हैं। हमारे सीमान्त और लघु किसान कृषि विकास और हरित क्रांति दोनों से ही अछूते रहे। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्रामीण पुनर्निर्माण का एक बहुत अच्छा सपना देखा था। नेहरू जी ने इस स्वप्न को व्यावहारिकता का जामा पहनाया और हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण पुनर्विकास के बारे में बहुत ही सुन्दर योजना बनाई। फिर भी अभी इस क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं और बहुत कुछ करना बाकी है।

कृषि का अनुसन्धानात्मक अध्ययन हो इसके लिए कृषि अनुसंधान परिषद को मान्यता दी गई है जिसको 'इंडियन काउंसिल आफ एग्रिकल्चरल रिसर्च' कहा जाता है। आई० सी० ए० आर० पर हमारे देश में सौ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च किए जाते हैं। साथ ही 32 इसके अधीन संस्थायें हैं। उन संस्थाओं के माध्यम से यह आशा की जाती है कि कृषि के क्षेत्र में अनुसन्धानात्मक अध्ययन होगा, डेरी फार्मिंग के बारे में, फिशरीज के बारे में, शीप ब्रीडिंग के बारे में, अनुसन्धानात्मक अध्ययन होगा। परन्तु मुझे यह कहते हुए बहुत दुख है कि आई० सी० ए० आर० बहुत सी धाधलियों

[श्री नगीना राय]

का गढ़ बना हुआ है। पहले इसके डी० जी० श्री स्वामीनाथन हुआ क ते थे। उनके बाद ओ० पी० गौतम आए। इन गौतम साहब का व्यवहार इस संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ सर्वेंट और मास्टर का है। इसलिए हमारी कई प्रतिभायें कृषि के क्षेत्र हैं जिन्होंने अन्वेषण का काम किया था और हम यह आशा करते थे कि आई० सी० ए० आर० में जो वैज्ञानिक हमारे देश के काम करते हैं वे गरीब किसानों के खेतों और खलिहानों एवं उनकी झोंपड़ियों तक कृषि ज्ञान को ले जाएंगे। पर नहीं ले जा पाये। कई वैज्ञानिकों को आत्महत्या तक करनी पड़ी है। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। डा० विनोद शाह, डा० एम० एस० जोसफ, विद्या सागर, मिस के० जुत्शी, मि० एस० बत्रा, डा० श्रीवास्तव, उदयपुर यूनिवर्सिटी के नाम इस संदर्भ में लिए जा सकते हैं। एक प्रश्न चिन्ह हमारे दिमाग में उभर कर आता है कि इन कृषि वैज्ञानिकों ने आत्महत्यायें क्यों कीं और इनके पीछे क्या कारण थे ? मैंने जहां तक इसके बारे में जानकारी ली है उसके आधार पर मैं यह कह सकती हूं कि इनके पीछे मुख्य कारण यही था कि आई० सी० ए० आर० में बहुत धांधलियां हैं और इसमें जो सिलैक्शन हुआ है उसमें बहुत अधिक पक्षपात बरता गया है। इस तरह से यदि हमारे देश की प्रतिभायें आत्म-हत्यायें करती रहेंगीं तो यह हमारे लिए एक कंपा देने वाली बात होगी, हमें डरा देने वाली बात होगी। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये, इसके बारे में जांच-पड़ताल की जानी चाहिये कि ऐसा हमारे वैज्ञानिकों ने आखिर क्यों किया ? मैं समझती हूं कि हमें इसके बारे में कुछ सुझाव भी देने चाहिये और वही सुझाव मैं आपकी सेवा में पेश करना चाहती हूं।

मेरा पहला सुझाव यह है कि एग्रिकलचरल रिसर्च बोर्ड जो है उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये क्योंकि वहां बहुत अधिक धांधलियां होती हैं। इसके स्थान पर जो भी सिलैक्शन हो वह यू० पी० एस० सी० के द्वारा होना चाहिये।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो वर्तमान डी० जी० है, ओ० पी० गौतम और जिनका रवैया बहुत ही पक्षपातपूर्ण है उनके स्थान पर किसी उच्च वैज्ञानिक तथा निष्पक्ष व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिये।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि यह जो एक आटोनोमस बाडी है इसके स्थान पर एक कमिशन का रूप इसको दिया जाना चाहिये। जिस प्रकार से एटमिक एनर्जी कमिशन के चेयरमैन प्रधान मंत्री होते हैं उसी प्रकार से इस एग्रिकलचर कमिशन के चेयरमैन भी प्रधान मंत्री हों और वाइस चेयरमैन कृषि मंत्री या कृषि राज्य मंत्री हों। ऐसा होगा तभी हम सोच सकेंगे कि हमारी जो वैज्ञानिक प्रतिभायें हैं उनके ज्ञान को हम किसान के झोंपड़े, खेत और खलिहान तक पहुंचा सकेंगे। सौ करोड़ रुपये खर्च करके भी यदि हमारे वैज्ञानिक निरंतर आत्म-हत्यायें करते रहें तो यह हमारे गरीब देश के लिए, कृषि प्रधान देश के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी।

कृषि के विकास के लिए सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। मैंने पूर्व में कहा है कि हमारे यहां पानी की कमी नहीं है। दुर्भाग्य से हम अपने यहां एक तिहाई पानी का ही उपयोग कर सके हैं। इस संदर्भ में हमें बहुत कुछ करना शेष है। राजस्थान का उदाहरण मैं पेश

करना चाहती हूं जहां से चुन कर मैं आई हूं । वहां की भूमि सदियों से पानी की प्यासी है । कई प्रकार की योजनायें वहां बनी हुई हैं परन्तु वह बहुत ही धीमी गति से चल रही हैं । उनके ऊपर जो भी काम हुआ है, यदि यह कहा जाए कि वह समुद्र में बूंद के समान है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

राजस्थान कनाल, पार्वती योजना, माही योजना आदि कई योजनाएं हैं जिनका काम तीव्र गति से होना चाहिए ।

राजस्थान की भूमि मरुस्थलीय है, मरू भूमि है। मरू विकास के लिए भी आपके विभाग के द्वारा बहुत अधिक सहायता दी जाती है । राजस्थान में एक मरू विकास मंडल काम करता है । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस मरू विकास मंडल को केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेकर इसकी धनराशि बढ़ाकर, यह जो रेगिस्तानी इलाका है, इसको हरे-भरे खेतों में बदला जा सकता है । यहां विशालकार्य रेत के टीले हैं जिनका रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ता रहता है । उस स्थान पर पेड़-पौधे लगाकर उसे उपयोगी बनाया जा सकता है ।

इस क्षेत्र में और भी प्रयोग हुए हैं । यहां कृषि कुंडों के प्रयोग हुए हैं । वहां पर कुछ व्यक्तियों ने बरसात का पानी इकट्ठा करके कृषि कुंडों में रखा हुआ है जिससे फसल भी पैदा की जाती है और पीने के लिए भी पानी काम में लाया जाता । मैं यह सुझाव दूंगी कि ऐसे किसानों को, जो कि मरूभूमि में हैं और कृषि कुंड बनाते हैं, उनको 50 प्रतिशत अनुदान सरकार की ओर से मिलना चाहिए, जिसमें 25 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार अनुदान दे और 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाये । इससे हम सीमान्त कृषकों और लघु कृषकों की समस्याओं का काफी हद तक समाधान कर सकते हैं ।

आज किसानों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, वह डीजल की कमी की है । साथ ही रसायन खाद का मूल्य भी बहुत बढ़ गया है । मेरे कहने का अभिप्राय: यह है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन, उत्पादन मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाने से आज की नितान्त आवश्यकता यह है कि किसान के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करें । गेहूं के खरीद मूल्य, मोटे अनाजों और धान की फसल के खरीद मूल्यों को बढ़ाया जाना चाहिए ।

यह कैसी विडम्बना है कि एक किसान जो अपना बहुत खून और पसीना बहाकर ठंड में घुटनों-घुटनों पानी में खड़ा रहकर गन्ना पैदा करता है, आज उस गन्ने का मूल्य लकड़ी से भी सस्ता है । गन्ने का मूल्य लकड़ी से भी सस्ता होता जा रहा है ।

किसान अफीम का पौधा बोता है । बच्चे की तरह उसे वह पालता है, प्रातःकाल उठकर वह एक-एक बूंद दूध उसका इकट्ठा करता है और जब सरकार उसको खरीदती है तो उसका भाव केवल 150, 200 और 220 रुपये किलो के भाव पर खरीदती है । ऐसी स्थिति में गरीब किसान को कुछ नहीं मिलता है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इनके खरीद मूल्यों को बढ़ाया जाना चाहिए ।

किसान की एक सबसे बड़ी परेशानी नकली चीजों की है । उसको मिलने वाले डीजल के इंजन नकली, मशीनें नकली, बीज जो वह सोचता है कि अच्छा होगा, हाई-ब्रीड होगा, वह भी

[प्रो० निर्मलाकुमारी शक्तावत]

नकली, यहां तक कि जो दवाएं मिलती हैं, कीट-नाशक दवाएं, वह भी नकली। तो ऐसी नकली चीजों से किसान बहुत परेशान है। एक तरफ बीज बोकर वह आशा भरी निगाह से देखता है कि उसका पौधा बड़ा होगा, विकसित होगा परन्तु उसके हाथ निराशा लगती है। वह कीटनाशक दवाई छिड़क कर यह आशा करता है कि फसल के कीटाणु नष्ट हो जायेंगे, परन्तु वह नष्ट नहीं होते। क्या इस प्रकार की नकली चीजें बनाने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं ?

यह माना जा सकता है कि सन् 1977 से 1980 तक का समय ही नकली था क्योंकि जनता के नाम रूपी सरकार थी। उसका जनता का मुखौटा जरूर था, लेकिन वह नकली मुखौटा था। आज की सरकार को तो कम से कम इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से जो नकली धन्धा करने वाले व्यक्ति हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आज किसान के उपयोग में आने वाली जो भी मशीनरी है, उनको भी सस्ता किया जाना चाहिए। किसान के उत्पादक मूल्य में कमी आनी चाहिए।

जैसा मैंने निवेदन किया, हमारे देश में 35 करोड़ पशुधन है। लेकिन इसकी नस्ल बहुत अधिक निम्न है। राजस्थान में पशुधन की बहुत दुर्दशा है, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में वहां के निवासी जो भेड़ पालन करते हैं, वह नोमैडिक हैं। वह पश्चिमी रेगिस्तान का इलाका है और वहां से भेड़ पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में आते हैं। आये दिन वहां लड़ाई-झगड़े होते हैं। पिछले साल 4, 5 लोगों की जानें चली गई। यहां निरन्तर झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रकार से नौमेड रहकर किस प्रकार से श्वेत क्रांति लायेंगे ? भेड़ पालने वालों को एक स्थान पर बसाना बहुत आवश्यक है। राजस्थान कनाल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां इस प्रकार से भेड़ों को पालकर, वैज्ञानिक तरीके से चरागाह डेवलप करके इन भेड़ पालकों को सहायता दे सकते हैं। यदि केन्द्रीय सरकार इसमें सहायता दे, तो यह एक बहुत ही उपयोगी कदम होगा।

ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्षेत्र में बिचौलियों को समाप्त करने के लिए सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं—सहकारी समितियां बनाई हैं, पंचायत राज संस्थायें कायम की हैं और सामुदायिक विकास योजनायें चलाई हैं। परन्तु इनसे जितना लाभ मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाया है। जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में इन संस्थाओं के प्रजातांत्रिक स्वरूप को ही विकृत कर दिया था। जहां-जहां संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि थे, वहां उन्हें भंग कर दिया गया और उनके स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिये गये। विकास के काम में तेजी लाने के लिए इन संस्थाओं के प्रजातांत्रिक स्वरूप को फिर से लाना चाहिए।

ग्रामीण लोगों को बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने के लिए तीन योजनायें चलाई गई हैं: रोजगार गारंटी स्कीम, जो महाराष्ट्र में चलाई गई है, काम के बदले अनाज योजना और अन्त्योदय। मैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ न कह कर राजस्थान के बारे में यह निवेदन करना चाहती हूं कि काम के बदले अनाज योजना सिद्धान्ततः बहुत अच्छी है, क्योंकि हम किसानों से अनाज खरीदते है, उसको स्टोर में रखते हैं और उसको इस काम में लाया जा सकता है। पिछली सरकार ने

इस बारे में जो कुछ किया, वह आपके सामने है। वहां पर सारा काम कागजों पर हुआ—सड़कें कागजों पर बनाई गईं, कुंएं कागजों पर खोदे गए और स्टोर भी कागजों पर बनाये गये। परन्तु वास्तव में हुआ क्या ? सड़क की जगह पर धूल डाल दी गई, कुंआ खोदने के बजाय थोड़ी सी मिट्टी निकाल ली गई और पुराने स्टोर पर लीपा-पोती कर दी गई। इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के जो अंकुर केवल शहरों में ही थे, उन्हें गांवों तक पहुंचाने का पाप जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसकी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।

अन्त्योदय के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। राजस्थान सरकार ने इस बारे में पहल की, परन्तु वास्तविक अन्त्योदयी कौन है, इसकी छान-बीन नहीं की गई। वास्तविक अन्त्योदयी बेचारे कुछ लेने से घबराते हैं, क्योंकि वे सर्टिफ़ाइड ग़रीब नहीं बनना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनपर उंगली उठाई जाती है कि ये अन्त्योदयी हैं। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर हम अन्त्योदयी रहेंगे, तो हमारे बच्चों का शादी-ब्याह होना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए वास्तविक ग़रीबों ने कर्जा नहीं लिया। जिनकी आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने कर्ज ले लिये।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि ग्रामीण पुनर्निर्माण का सारे का सारा काम 20-सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से सुचारु रूप से चल सकता है। सभी राज्यों की सरकारें इस ओर ध्यान दे रही हैं। अगर 20-सूत्री कार्यक्रम के साथ ही हमारे नेता, स्वर्गीय संजय गांधी, का 4-सूत्री कार्यक्रम जोड़ दिया जाता है, तो मुझे आशा है कि हम ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्षेत्र में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं और आने वाला समय बता देगा कि हिन्दुस्तान एक धनी देश है, जहां धनी व्यक्ति निवास करते हैं। यह उक्ति समाप्त हो जायेगी कि हिन्दुस्तान एक धनी देश है, जहां ग़रीब लोग निवास करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जायनल अबेदिन। आपके दल के लिए 36 मिनट नियत किए गए हैं। मेरे पास जो सूची है उसके अनुसार आपके दल के तीन माननीय सदस्यों को बोलना है। उनमें आप पहले सदस्य हैं। यह आपकी जानकारी के लिए बताया गया है।

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर) : केवल दो सदस्य बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय आपको करना है।

***श्री जानियल अलेदिन** (जंगीरपुर) : महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और राष्ट्रीय आपके 46 प्रतिशत के लिए कृषि को आंका जाता है। 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 18 करोड़ लोगों में से, जो अलग-अलग व्यवसाय करते थे, 13 करोड़ लोग खेती करते थे और यदि इसे आंका जाए तो यह देश की कुल कार्य शक्ति का 72 प्रतिशत होता था। इसलिए, यह सभी की स्वभाविक आशा थी

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री जायनल आबेदिन]

कि देश के जनजीवन में कृषि को प्राप्त महत्वपूर्ण स्थिति पर विचार करते हुए और साथ ही कृषि में लाखों भूमिहीन श्रमिकों, बरगदारों, सीमांत और छोटे किसानों की थिरकत के तथ्य पर विचार करते हुए, सरकार उनकी दशा को सुधारने के लिए कुछ व्यावहारिक और एहतियाती कार्यक्रम शुरू करेगी परन्तु जब हम गांवों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो स्वतंत्रता के तेंतीस वर्ष बाद भी हम वहां क्या पाते हैं ? हम पाते हैं कि आधारभूत सुविधाएं, जो एक आदमी को आदमी की तरह रहने योग्य बनाती हैं, मुहैया करना तो दूर रहा, और उनकी समस्याओं का समाधान करना दूर रहा, सरकार की नीतियों ने इन समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है और उनकी स्थिति बदतर कर दी है। महोदय, आज ग्रामीण भारत की कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा खतरा क्या है ? यह है कुछ थोड़े से लोगों के हाथों भूमि और ग्रामीण सम्पत्ति का केन्द्रीकरण। यदि हम 1970-71 की कृषि सम्बन्धी जनगणना रिपोर्ट को पढ़ें तो हम पाएंगे कि 30.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से कुल उपलब्ध भूमि की 53 प्रतिशत 16.1 लाख हेक्टेयर भूमि खेती योग्य थी। यह जानना रुचिकर होगा कि इस पर ग्रामीण लोगों के विभिन्न वर्गों द्वारा किस प्रकार आधिपत्य किया गया है। सीमांत किसान जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम भूमि है वे भूस्वामियों का 56 प्रतिशत हैं और उनके पास 9 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। छोटे किसान जिनके पास 1.2 हेक्टेयर जमीन है, वे भू-स्वामियों का 19.2 प्रतिशत हैं और उनके पास कुल भूमि की 12 प्रतिशत भूमि है। मझोले किसान जिनके पास 2-4 हेक्टेयर भूमि है, उनकी संख्या कुल भू-स्वामियों का 15.2 प्रतिशत है और उनका भूमि का स्वामित्व 8 प्रतिशत होता है। मझोले किसान जिनके पास 4-10 हैक्टेयर भूमि है वे भू-स्वामियों का 11.3 प्रतिशत हैं और उनके पास 29.7 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। बड़े किसान जिनके पास 10 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि है वे भू-स्वामियों के 3.9 प्रतिशत हैं और उनके पास कुल कृषि योग्य भूमि का 30.9 प्रतिशत है। इस बात से यह एकदम स्पष्ट है कि 31 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि 4 प्रतिशत काश्तकारों के हाथों में है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि गरीब काश्तकारों की उस बहुत बड़ी संख्या के पास 9 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है जो कि कुल काश्तकारों की संख्या का 50 प्रतिशत हैं। कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में कृषि योग्य भूमि के पाशविक केन्द्रीकरण की प्रक्रिया की जांच किया जाना तो दूर रहा, अपितु यह 1971 के बाद तीव्रगति से बढ़ती रही। आज स्थिति इतनी निराशाजनक हो गई है कि 70 प्रतिशत काश्तकारों के पास केवल पांच प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। जिसका मतलब है कि काश्तकारों की बड़ी संख्या के पास एक हैक्टेयर से भी कम भूमि है महोदय, मैं आपका ध्यान एक लेख की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो 15 जुलाई, 1979 को 'पेट्रियट' में जॉन फिडमैन द्वारा लिखा गया। ग्रामीण एशिया में टिके रहना नीति में परिवर्तन की आवश्यकता" शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। आपकी अनुमति से मैं उसके कुछ अंश उद्धृत करता हूं। "उदाहरण के लिए पंजाब में सर्वाधिक गम्भीर बात यह हुई है कि पिछले दस वर्षों में भूमिहीन और सीमांत किसानों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भूमिहीन किसानों की संख्या दुगनी हो गई है और सीमांत किसानों की संख्या पिछले 10 वर्षों में तिगुनी हो गई है। भूमि वितरण में असमानताएं भी भी बहुत बढ़ गई हैं। और यह भारत की हरित क्रान्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।" निर्णायक रूप से ज्यादा ये आंकड़े

यह सिद्ध करते हैं कि अधिकाधिक भूमि कम से कम संख्या में अमीर काश्तकारों के हाथों में केन्द्रित होती जा रही है और दूसरे परिणामस्वरूप छोटे किसान, धीरे-धीरे भूमिहीन मजदूर होते जा रहे हैं। यह सब कुछ वास्तविक रूप में ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है।

तथ्य केवल यही नहीं है कि भूमि थोड़े से ही हाथों में केन्द्रित की जा रही है अपितु जहां तक ग्रामीण सम्पत्ति का सम्बन्ध है, उसमें भी शोषण की ऐसी ही प्रक्रिया उसी गति से चल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की 1971-72 की समीक्षा के अनुसार चार प्रतिशत चोटी के ग्रामीण अमीर लोगों के पास 50,000 ग्रामीण सम्पत्तियां थीं, 10 प्रतिशत धनी ग्रामीण लोगों के पास ग्रामीण सम्पत्ति की 50 प्रतिशत सम्पत्ति थी और 20 प्रतिशत निर्धनतम ग्रामीण लोगों के पास केवल 1000 ग्रामीण सम्पत्तियां थी जिसका मतलब यह हुआ कि इस 20 प्रतिशत के पास कुल ग्रामीण सम्पत्ति का केवल एक प्रतिशत था।

इसलिए, इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त ही प्रासंगिक प्रश्न उठता है। एक ओर सरकार ऊपरी तौर पर उस बात की कोशिश करती रही है कि काश्तकारों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए, उनकी अर्थव्यवस्था का कायाकल्प किया जाए, उनको गरीबी के स्तर से ऊपर उठाया जाए और उसने काश्तकारों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, छोटे किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि जैसी दर्जनों योजनाएं शुरू की हैं। परन्तु दूसरी ओर ग्रामीण भारत की कृषि सबंधी अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे तहस-नहस हो रही है। ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं तथा अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। हमें एक बंगला मुहावरे में बताया गया है कि भूतग्रस्त आदमी का उपचार गांव के पुजारी द्वारा राई से उपचार किया जा सकता है परन्तु जब राई में भी भूत हो तो राई क्या कर सकती है। दूसरे शब्दों में, केवल कुछ कार्यक्रम शुरू करने से, काश्तकारों के प्रति सहानुभूति और कोमल संवेदनायें व्यक्त करनें से न तो हम काश्तकारों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और न इससे उनके भाग्य को सुधारा जा सकेगा, जबकि केन्द्रीय सरकार की आधारभूत कृषि नीति ही अन्तर्निहित दोषों और खामियों की शिकार है। तब हमें यह देखना होगा कि सरकार की कृषि नीति क्या है। महोदय, सरकार की कृषि नीति का मूल लक्ष्य सामंती जमींदारी प्रणाली को एक पूंजीवादी जमींदारी प्रणाली में बदलने का है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य स्वामित्व के ढांचे को छोड़ने का नहीं है, जो कृषि सामान के उत्पादन के सम्बन्ध में है, बदलने का नहीं है अर्थात् काश्तकारों को कृषि योग्य भूमि और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व दिलाने का नहीं है और धनी किसानों के हाथों में अधिकाधिक भूमि का केन्द्रीकरण करने और उनके स्वयं के बीच में भूमिका वितरण करने के लिए उनको सहायता देना और प्रोत्साहित करने सरकार तथा निजी धन की सहायता से उद्योगों के लिए अपनी निगरानी में कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का है। जब तक यह नीति जो धनी किसानों की पक्षधर है और गरीब किसानों का शोषण करती है, बनी रहेगी, तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि आगामी वर्षों में हम अधिकाधिक सीमांत किसानों को भूमिहीन होता देखेंगे और भूमिहीनों की संख्या तेज गति से बढ़ती जाएगी।

[श्री जायनल अबेदिन]

श्रीमान् सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्राधिकरण द्वारा निकाले गये प्रकाशन से मालूम होता है कि जलेश्वर (क्षेत्र विकास कार्यक्रम) क्षेत्र के अन्तर्गत एक जोतदार जिसके पास 6 सतही नलकूप और 59 एकड़ भूमि है वह नलकूप क्षेत्र में केवल अपनी 8.75 एकड़ भूमि पर खेती करता है तथा 19.34 एकड़ भूमि पर फसल उगाने में भाग लेता है जिसमें 75%निर्धन कृषकों की है। श्रीमान मैं इस सभा का ध्यान उस नई बात की ओर आकर्षित करने के लिए यह अवसर उपयुक्त समझता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में विकसित हो रहे हैं। पहले गरीब कृषक फसल बटाई दार के रूप में धनवान कृषकों की भूमि पर काम किया करते थे। परन्तु आज प्रक्रिया पूर्णरूप से बदली हुई प्रतीत होती है। बड़े तथा धनी कृषक कृषि के उन्नत तरीकों तथा भूमि पर अधिक बेहतर वित्तीय निवेश करने के बहाने गरीब कृषकों को प्रलोभन देते हैं, गरीब कृषकों की भूमि लेते हैं, और फसल बटाईदारी के रूप में खेती करते हैं। इस तरह से गरीब कृषक भूमि पर खेती करने का अधिकार धनी कृषक को दे देता है। प्रायः ऐसा भी होता है कि कृषक ग्रामीण साहूकारों तथा सरकार से कृषि के उन्नत तरीकों को अपनाने के लिए, औजारों उर्वरक तथा बीजों को खरीदने के लिये तथा सिंचाई की उगाही का भुगतान करने के लिये भारी ऋण लेता है परन्तु वह बहुत पहले अपने आपको स्वयं अपने द्वारा बनाये गये जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ पाता है और उस साहूकार की कर्ज न दे सकने के कारण अपनी भूमि को खो बैठता है जो प्रायः ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा जमींदार ले लेता है। इस तरह से जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि सीमान्त कृषक भूमिहीन श्रमिक बन जाता है और अधिकाधिक भूमि जोतदारों के हाथों में चली जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार, जो राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है, पं० बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में वे कृषक अपनी भूमि का 59-75% भाग फसल बटाई पर दे रहे हैं जिनके पास 1/2 एकड़ भूमि है। इसके अतिरिक्त वे कृषक अपनी भूमि का 10.77% भाग फसल बटाई के लिए दे रहे हैं जिनके पास 1/2 एकड़ से 1 एकड़ तक भूमि है। इस बात की कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह सारी भूमि बड़े कृषकों को चली जाती है जो अन्ततः जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं इस भूमि के मालिक बन जाते हैं। इस प्रकार सरकार की कृषि नीति के अनिवार्य परिणाम से एक ओर भूमिहीन श्रमिकों की संख्या बढ़ती है और दूसरी तरफ कुछ धनी जोतदारों के हाथों में भूमि चली जाती है। धीरे-धीरे कराधान का भार, मुद्रास्फिति तथा कृषि ऊपज के लिये उचित मूल्य की उपलब्धता का अभाव ग्रामीण निर्धनता को निरन्तर रूप से बढ़ाता है और भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करता है। अब प्रश्न यह है कि समस्या का समाधान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ? श्रीमान् मेरी राय में, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सम्पूर्ण भूमि सुधार इस समस्या के समाधान की कुंजी है। भूमि सुधार कानून केन्द्र। राज्य सरकारों द्वारा पारित किये जा चुके हैं। अधिकतम जोत सीमा कानून बहुत से राज्यों द्वारा पारित किये जा चुके हैं। हालांकि इन अधिकतम जोत सीमा कानूनों में बहुत सी कमियां छोड़ दी गई हैं। उदाहरणार्थ धर्मदाय मत्स्य फार्मों तथा उद्यानों आदि की भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। यदि सरकार ने अधिकतम जोत सीमा से अधिक की सारी फालतू भूमि पर कब्जा कर लिया होता अथवा यदि सरकार ने बेनामी भूमि पर कब्जा कर लिया होता और इसे

भूमिहीनों में वितरित कर दिया होता तो बहुत हद तक समस्या का समाधान हो गया होता। परन्तु ऐसा हुआ नहीं है। कितने लोगों को फालतू भूमि दी जा चुकी है ? केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संशोधित अधिकतम जोत सीमा के अन्तर्गत सरकार ने 3888 लाख एकड़ फालतू भूमि की घोषणा की है। इसमें से 23.62 एकड़ भूमि राज्य सरकारों के अधिकार में है और इसमें से 16.77 लाख एकड़ भूमि भूमिहीनों में वितरित की जा चुकी है। इस संबंध में मैं सदन को उस प्रशंसनीय कार्य की जानकारी देना चाहूंगा जो प० बंगाल सरकार ने किया है। अप्रैल 1980 तक दो अधिकतम जोत कानूनों के अंतर्गत: 28 लाख एकड़ फालतू भूमि राज्य सरकार के अधिकार में ली जा चुकी है। इसमें से 12 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि है और 10 लाख भूमिहीन श्रमिकों से अधिक के बीच वितरित की जा चुकी है। भूमि को अधिकार में लेने की मासिक औसत दर 4500 एकड़ थी। तो भी राज्य सरकार की एक अन्य उपलब्धि बरगादारों के नामों का रिकार्ड रखने के क्षेत्र में है। अप्रैल 1980 तक उन बरगादारों की संख्या 8.55 लाख थी जिनके नामों का रिकार्ड रखा गया था। सितम्बर 1978 में अभियान बारगा चलाया गया था और उसी समय से मासिक औसत पर रिकार्ड में 20000 बारगादारों के नामों को सूचीबद्ध किया गया था। राज्य सरकार के इन दो विशिष्ट कार्यों ने गरीब कृषकों के बीच एक आशा उत्पन्न कर दी है और ग्रामीण क्षेत्र में एक नई आशा पैदा कर दी है। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि यदि सरकार ने गरीब कृषक के लिए सभी कमियों, कानूनी बाधाओं तथा अन्य अड़चनों तथा सीमा के बावजूद कुछ अच्छा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो वे वास्तविक रूप से धीरे-धीरे आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें इन अड़चनों से अपने उद्देश्य से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्यवश हमें यह मालूम हुआ है कि एक ओर तो प० बंगाल सरकार गरीब कृषकों की दशा सुधारने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ कार्यवाही कर रही है और दूसरी तरफ जोतदार तथा निहित स्वार्थ निष्क्रिय नहीं और वे वामपंथी सरकार के प्रयासों को विफल करने के लिये साजिश कर रहे हैं। श्रीमान् मैं आपका ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 1980 की 'आनन्द बाजार पत्रिका' में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। समाचार का शीर्षक "भू-स्वामियों की संस्था" बताया गया है कि जिला वर्दवान में आसनसोल तथा रानी गंज के जोतदारों ने एक संस्था बनाई है और मुझे आशंका है कि वे जरा से बहाने पर मामला उच्च न्यायालय में ले जायेंगे और वे अनेक ढंगों से वाम पंथी सरकार की भूमिसुधार नीति के कार्यान्वयन में अड़चनें डालेंगे। इस संबंध में मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि भूमि सुधार के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इस बात पर विचार करें कि क्या संविधान की 9 वीं अनुसूची में ऐसा संशोधन किया जा सकता है कि क्या अधिकतम जोत सीमा कानूनों को इसमें शामिल किया जा सकता है।

श्रीमान् ग्रामीण कृषक की समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका भूमि सुधार है परन्तु केन्द्रीय सरकार इसे क्रियान्वित करने में अत्यधिक उत्सुक प्रतीत नहीं होती है या भूमि सुधार उपायों को क्रियान्वित किये जाने की अनुमति नहीं देती है। कारण साफ है। जमींदार तथा जोतदार सत्ताधारी दल को बड़ी संख्या में मत दिलाने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से यदि इन लोगों

[श्री जायनल अबेदिन]

को तंग किया जाता है तो सरकार को इनके मत नहीं मिल सकते हैं। इसलिए सरकार ने भूमि सुधार नीतियों के प्रवर्तन करने के बजाय सरकार ने हरित क्रान्ति का रास्ता चुना है। जो गरीब कृषक के लिए वास्तव में लाभप्रद नहीं है। वास्तव में वह काली क्रान्ति है। क्योंकि उत्पादन वृद्धि के बहाने से गरीब कृषकों को प्रलोभन दिया जाता है और अन्ततः वे अपनी भूमि गंवा बैठते हैं। यह हरियाली तो केवल जमींदारों तथा जोतदारों के लिए है।

श्रीमान् 1978-79 में देश में खाद्यानों का सबसे अधिक उत्पादन हुआ था परन्तु इससे कृषकों में कोई खुशहाली नहीं आई थी। मध्यम वर्ग के लोगों तथा जमा खोरों व पूंजीपतियों ने सारे लाभ उठाये थे। जब तक कि सारी सरकारी प्रणाली में सुधार नहीं किया जाता है, तब तक त्रुटिपूर्ण कृषि नीति में परिवर्तन नहीं किया जाता है तब तक हम कृषकों की दशा में सुधार की आशा नहीं कर सकते हैं। सरकार की त्रुटिपूर्ण मूल्य नीति एक अन्य कारण है। गरीब कृषक अपना कर्ज चुकाने के लिये तथा सैकड़ों घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये फसल काटते ही अपनी ऊपज को बेचते हैं। जब जूट उत्पन्न होता है तो कृषक अपनी ऊपज को बाजार में ले जाते हैं। परन्तु उन्हें यहां पर कोई सरकारी एजेन्सी नहीं मिलती है जो उनकी उपज को खरीद सकती है। उस समय भारतीय जूट निगम चैन की नींद सो रहा होता है। अब फारीअज के लिये सरकार द्वारा निर्धारित उन मूल्यों की अपेक्षा बहुत सस्ते मूल्य पर बेचने के सिवाय कृषक के पास कोई विकल्प नहीं होता। जूट मिल में जाता है और तैयार माल के रूप में वापस आता है जिसे कृषक को उससे तीन गुणा मूल्य पर खरीदना पड़ता है जिस पर उसने अपनी ऊपज बेची थी। गन्ना उत्पादकों के साथ भी वैसी ही बात है। उसे गन्ने की मजबूरन बिक्री करनी पड़ती है और जब उसे चीनी खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता है तो उसे 8 रु० प्रति कि० ग्रा० देना पड़ता है। इस प्रकार से उसका शोषण किया जाता है। उनके मामले में भी इसी प्रकार की कहानी है जो उनके खेतों से खाद्य फसलें उठाते हैं। जब कृषक बाजार में बेचने के लिए जाता है तो भारतीय खाद्य निगम खरीदने की पहल नहीं करता है। कृषक इसे जमाखोरों को बेचता है जो खाद्यान्नों की जमाखोरी करता है। कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देता है और मूल्य को बढ़ा देता है। गरीब कृषक जिसने एक बार बहुत कम मूल्य पर अपने खाद्यान्नों को बेचा था अब उसे बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार आवश्यकता के समय उसी को खरीदता है। सरकार की खाद्य व मूल्य नीति का यह प्रभाव है। जब तक सम्पूर्ण परिवर्तन लागू नहीं होता है तब तक जूट, गन्ने तथा खाद्यान्नों के कृषकों को उनकी उपज की उचित कीमत कभी भी नहीं मिल सकती है। श्रीमान् सितम्बर, 1979 में प० बंगाल के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार को मुद्रास्फिति तथा मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम का सुझाव दिया था। मैं केन्द्रीय मंत्री महोदय से इस कार्य क्रम को क्रियान्वित करने के लिये निवेदन करूंगा यदि वे वास्तव में गरीब कृषकों की भलाई करने का विचार रखते हैं।

10 सूत्री कार्यक्रम में निम्न लिखित मुद्दों पर जोर दिया गया है:—

1. दैनिक उपयोग की प्राप्ति तथा वितरण केन्द्रीय सरकार की एजेन्सियों के माध्यम से किया जाए।

2. सम्पूर्ण देश में समान मूल्य पर सभी आवश्यक वस्तुओं को बेचना।
3. अर्थ-सहायता प्राप्त वसूली तथा वितरण व्यवस्था के लिये 500 करोड़ रु० के कोष को तैयार करना।
4. उन आवश्यक वस्तुओं के आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा में 1000 करोड़ रु० निर्धारित करना जिनकी जनता को जरूरत है।
5. चीनी तथा अन्य वस्तुओं जिनकी कम पूर्ति है, को निर्यात से मुक्त रखा जाना चाहिए।
6. चीनी का 80% सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से वितरण किया जाए और बजट में आबंटित अर्थ-सहायता प्राप्त धनराशि को मिलाकर 2.50 रु० प्रति कि० ग्रा० की दर से बेची जाए।
7. कोयला, चीनी आदि जैसी वस्तुओं के मूल्य 1979 के बजट-पूर्व स्तर पर लाए जाएं।
8. तेल तथा खाद्य तेल का आयात सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से किया जाए।
9. एकाधिकार औद्योगिक घरानों के ऋण में वास्तविक रूप से बड़ी कमी की जाए।
10. काम के बदले अनाज योजनाओं के लिये राज्यों को पर्याप्त अनाज दिया जाए।

महोदय, मैं काम के बदले अनाज कार्यक्रम के विषय में दो शब्द कहना चाहूंगा। हमारे राज्य को पिछले दो वर्षों में लगातार बाढ़ और सूखे का शिकार होना पड़ा। तब हमें पता चला कि इस कार्यक्रम की हमारे राज्य में बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। इस कार्यक्रम का लाभ सीधे जनता को मिलता है। इस कार्यक्रम के कारण ही कृषि मजदूरों को मन्दी के मौसम में अथवा कठिनाईयों के समय रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। चूंकि उन्हें मन्दी के मौसम में रोजगार मिलता है वह अपनी मजूरी में वृद्धि के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से निचले स्तर पर तथा गांवों में तेजी से स्थायी परिसम्पत्तियों की स्थापना होती है। वर्तमान बजट में सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 340 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। किन्तु क्या इतनी धनराशि वास्तव में इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त है क्योंकि 36 करोड़ जनता गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। इससे ग्रामीण बेरोजगारों की समस्या का अधिक समाधान नहीं हो पायेगा।

अतः मैं मन्त्री महोदय से यह आग्रह करता हूं कि वह देखें कि क्या इस धनराशि में वृद्धि की जा सकती है ? अपने अनुभव से हमें यह बात पता है कि चाहे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल और धान सड़ ही क्यों न रहा हो, वह राज्य सरकारों को उपलब्ध नहीं किया जाता और कार्यक्रम रुक जाता है। प्रशासनिक और अकार्यकुशलता की समस्याओं का भी समाधान होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम को राज्यों को समय पर खाद्यान्न की सप्लाई करनी चाहिए ताकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का कार्यान्वयन भली भांति हो सके। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कानून बना देने से ही दायित्व की इति नहीं हो जाती। मात्र कह देने अथवा सहानुभूति दिखाने से ही समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। गरीबी हटाओ नारे से गरीबी का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। अतः इसके लिए निष्ठा, ईमानदार प्रयास तथा सरकार की नीति में अमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि वह वास्तव में गरीब जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करना होगा।

[श्री जायनल अबेदिन]

महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने बजट भाषण में वर्तमान वित्त मन्त्री महोदय ने कहा है कि "यह निराशाजनक अर्थ-व्यवस्था भूतपूर्व सरकार की नीतियों अथवा अगर मैं यह कहूं कि नीतियों के अभाव के कारण हैं।" मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि यदि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन नहीं होता और नीतियों में परिवर्तन नहीं किया जाता तो भविष्य के केन्द्रीय वित्त मन्त्री महोदय को भी यह कहना पड़ेगा जो आज वर्तमान वित्त मन्त्री महोदय कह रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं और कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं।

श्री शान्तुभाई पटेल (साबरकंठा) : सभापति महोदय, कृषि के बारे में जो डिमाण्ड्स माननीय मन्त्री जी ने पेश की हैं उनका अनुमोदन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अपने देश में लाखों गांवों में करोड़ों की संख्या में कृषक रहते हैं। उनके उत्थान के लिए जो कुछ भी कार्यवाही हो वह तेजी से चलनी चाहिए। अगर उसके बारे में की जाने वाली कार्यवाही तेजी से नहीं होगी तो खेत में काम करने वाले काश्तकार को भला नहीं होगा।

आज काश्तकार जो प्रोडक्शन करता है उसका उसे पूरा पैसा नहीं मिलता है। मैं गुजरात स्टेट से आता हूं जहां काटन का उत्पादन होता है। काटन पैदा करने वाले काश्तकार की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया है।

काटन का सीजन तीन-चार महीने चलता है। गुजरात में जो काटन पैदा होता है उसका पूरा भाव काश्तकार को नहीं मिलता है। काटन कारपोरेशन आफ इंडिया को सरकार ने काटन खरीदने के लिए कहा हुआ है। वह सी० सी० आई० काश्तकार का पूरा काटन खरीदने का इंतजाम नहीं करता है। इस से सोसायटियों को बड़ी तकलीफ होती है। बहुत सी सोसायटियों का तो माल वह खरीदता ही नहीं है। वह व्यापारियों और दलालों से बहुत ज्यादा माल खरीदता है।

हमारे देश में एन० टी० सी० 110 मिलें चलाती हैं। अगर एन० टी० सी० अपनी 110 मिलों के लिए ही सोसायटियों से माल खरीदे तो भी काश्तकार को उसके उत्पादन का पूरा भाव मिल सकता है। लेकिन जो एन० टी० सी० और सी० सी० आई० के अधिकारी हैं वे मिल कर यह कोशिश करते हैं कि काश्तकार को उसके उत्पादन का पूरा भाव न मिले।

इस हाउस में सब जानते हैं कि काटन क्लाथ का भाव महंगा हो रहा है लेकिन पिछले तीन-चार वर्ष में काटन के भाव बहुत कम चल रहे हैं। चार उक्त खांडी का भाव तीन साल पहले 5,500 से लेकर 6,000 रुपये तक मिलता था वह भी आज नहीं मिलता है। सरकार ने तीन साल पहले जो कपड़े का दाम फिक्स किया था उसके बाद काटन का भाव नीचे आया है और कपड़े का भाव बढ़ता रहा है। मिल वाले कहते हैं कि हमारी मशीन की कास्ट बढ़ गयी है, हमारे यहां ब्याज बढ़ गया है। इसको सरकार को देखना चाहिए।

हमारे यहां हर साल 76 लाख बेल्स तैयार होती है। 28 लाख बेल्स केरी आन होती हैं। इस तरह से 104 लाख बेल्स का हर साल प्रोडक्शन होता है। यह सारी हमारे देश में काम

में नहीं आती हैं। इसलिए इनको विदेशों में निर्यात किया जाना चाहिए। इनके निर्यात की सरकार को बहुत कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस बारे में जितनी कोशिश होनी चाहिए वह नहीं होती है। बहुत सारा माल बच जाता है। जब माल बच जाता है तो उसका भाव गिर जाता है। सरकार को काटन के निकास के लिए सीधे कोशिश करनी चाहिए। यह निकास व्यापारियों और दलालों के माध्यम से नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि वे इस मामले में गौर करें और पहले से ही सोचकर कि कितनी काटन की हमारे यहां जरूरत है, कितनी काटन विदेशों में भेजी जा सकती है, उसके मुताबिक अपनी पालसी पहले से अनाउंस करें। जब मंत्री जी ऐसा करेंगे तभी काटन का भाव काश्तकार को पूरा मिल सकता है। आप हों, प्रदेश सरकार हो या पंचायत वाले हों या आफिसर हों सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि जब भी देश में खाद के भाव, कीट नाशक दवाओं के भाव, तथा दूसरे साधन जो खेती के लिए अपनाए जाते हैं या इंटरेस्ट रेट है, वह बढ़ता है तो उसके द्वारा पैदा की गई वस्तु के भाव भी बढ़ने चाहिए और उसको इतने दाम दिए जाने चाहियें कि वह प्रोत्साहित हो और पैदावार ज्यादा कर सके और खेती के काम में, काटन प्रोडक्शन के काम में उसको लाभ हो सके। अगर खेड़ूत को पूरा पैसा नहीं मिलेगा तथा जो प्रोडक्शन है वह घट जाएगा, काटन का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो सकेगा। काटन जब ज्यादा हो या खेड़ूत से ली न जा रही हो तो उसको ले करके आपको इसको विदेशों में भेजने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह की पूरी व्यवस्था सी० सी० आई० के द्वारा होनी चाहिए।

गुजरात में मैंने देखा है कि सी०सी०आई० और एन०टी०सी० दोनों मिलकर व्यापारियों से, बिचौलियों से काटन की खरीद करते हैं और कोआप्रेटिव सोसाइटीज से माल न खरीद करके उनसे पहले खरीदा जाता है। इसका नतीजा यह है कि कोओप्रेटिव सोसाइटीज के पास स्टाक पड़ा हुआ है और सी० सी० आई० वाले उसको खरीद नहीं रहे हैं। सी० सी० आई० वालों को पहले इनसे काटन को खरीदना चाहिए।

सी० सी० आई० जो काटन खरीदता है उसका भाव ऐसा खेड़ूत को दिया जाना चाहिए ताकि काटन की पैदावार बढ़ सके। उसको इसका पूरा स्टाक भी करके रखना चाहिए। बाहर भी काटन का निर्यात करने की कोशिश करनी चाहिए था ताकि खेड़ूत को पूरा दाम मिल सके, उसको नुकसान न हो।

मिलों द्वारा तैयार किए गए कपड़े के दाम पन्द्रह पैसे से साठ पैसे प्रति मीटर तक बढ़ाने की जब बात आती है तो इसको मान लिया जाता है। मिलें यह कह कर कि इंडस्ट्री की कास्ट बढ़ गई है, बिजली का रेट बढ़ गया है इस वास्ते उनको कपड़े के दाम बढ़ाने की अनुमति दी जाए, उनको अनुमति दे दी जाती है लेकिन खेड़ूत का जो कच्चा माल है उसके दाम बढ़ाए नहीं जाते हैं, तैयार माल के भाव तो बढ़ जाते हैं लेकिन कच्चे माल के भाव नहीं बढ़ते हैं। मेरी विनती है कि खेड़ूत की कास्ट आफ प्रोडेक्शन निकाल कर उसके उत्पादन की कीमत उसको मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पैदावार बढ़ाने में कठिनाई होगी। खाद के भाव, बिजली का रेट, कीट नाशक दवाएं आदि जितने भी साधन हैं सबके भाव बढ़ गए हैं।

[श्री शान्तु भाई पटेल]

खेती की प्रोडक्शन के भाव अगर नहीं बढ़ाए जाते हैं तो देहात के खेडूत, किसान बरबाद हो जाएंगे।

बिग इरिगेशन प्राजेक्ट्स के लिए, बांध बनाने के लिए खेडूत की जमीन ली जाती है लेकिन उसको उसका बाजार भाव नहीं दिया जाता है, बहुत ही सस्ते दामों पर उसकी जमीन को ले लिया जाता है। जो जमीन का बाजार भाव है, वह भाव उसको मिलना चाहिए।

मिल वाला जब भी कपड़े का दाम बढ़ाता है तो खेती के उत्पादन का भाव भी साथ-साथ बढ़ाना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था आपको पहले से ही कर देनी चाहिए। ऐसा आपने नहीं किया तो खेती की पैदावार बढ़ाने के रास्ते में रुकावटें आयेंगी। काटन कारपोरेशन काटन ग्रोंअर्ज को रक्षण प्रदान करने के लिए बना है। वह उसका रक्षण करता है या नहीं करता है, इसको भी आपको देखना चाहिए।

सरकार ने बहुत सी सिक मिल्ज को अपने कब्जे में लिया है और उन मिलों को एन०टी० सी० चला रही है। वह लाखों करोड़ों रुपया नफा करती है। कैसे वह करती है? वह काटन को खेडूत से सस्ते दामों पर खरीद लेती है और ऊंचे दामों पर कपड़े की बिक्री करती है। यही काम मिल वाले कर रहे हैं। इससे न किसान को फायदा होता है और न ही कज्यूमर को। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो लखपति है वे करोड़पति बनते जा रहे हैं और जो करोड़पति हैं वे और भी ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं।

हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि किसान को संरक्षण देना चाहिए। संरक्षण देकर उसकी जो क्राप है, पूरी की पूरी कीमत मिले इस बात की कोशिश करनी चाहिए।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत ही अनुगृहीत हूं कि कृषि मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण सबजेक्ट पर मेरे भी सुझाव आ जायें, इसके लिए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

यह मंत्रालय ऐसा है, जो केवल कृषि से ही सम्बन्ध नहीं रखता है। हमारे कृषि मंत्री का सम्बन्ध अन्य मंत्रालयों से इतना घनिष्ठ है कि जब तक अन्य मंत्रालय इनका साथ न दें, कृषि का काम सफल नहीं हो सकता है।

कृषि के लिये सबसे जरूरी है पानी, और पानी का सम्बन्ध सिंचाई से है। जब तक नहरें और ट्यूबवैल ठीक नहीं हो जाते, तब तक हमारी कृषि उन्नति नहीं कर सकती। ट्यूबवैल चलाने के लिए बिजली की जरूरत है। अगर बिजली मंत्री ठीक से बिजली का प्रबन्ध करके कृषि मंत्री से सहयोग नहीं करते तो हमारे ट्यूबवैल नहीं चल सकते। इसी प्रकार खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत है। पानी के लिए डीजल इंजन की जरूरत है। और ट्रैक्टर पर डीजल इंजन चलाने के लिए डीजल व पैट्रोल की जरूरत है। इसलिए इनका सम्बन्ध इस मंत्रालय से भी है। गांव से गन्ना और अनाज ढोने के लिए सड़कों की जरूरत है, इसलिए पी० डब्लू० डी० से भी इनका सम्बन्ध रहता है। कहने का मतलब यह है कि कृषि मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है, जब तक अन्य सारे मंत्रालय इससे सहयोग न करें, इस मंत्रालय की सफलता नहीं होगी।

मैं अदब के साथ आपकी मारफत मंत्री जी से और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, उनसे कहूंगा कि कृषि मंत्रालय को अगर सुचारु रूप से संचालित करना है तो इन तमाम चीजों से संबंधित लोगों की एक कमेटी होनी चाहिए जिससे कि बैठकर यह चारों-पांचों मंत्रीगण आपस में राय कर सकें और कृषि की उन्नति हो।

आशा है, हमारे बहुत से विद्वान लोग यहां बैठे हुए हैं, वह अपने सुझावों से मंत्री जी को अवगत करायेंगे। सभापति महोदय, आपने समय इतना कम दिया है कि इसमें कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चन्द सुझाव जो हमारे मन में हैं, क्योंकि मैं किसान हूं, इसलिए यह कह रहा हूं, वह आपके सामने रखना चाहता हूं।

गन्ने के बारे में मैं अपना जरूरी सुझाव दूंगा। हमें सबसे ज्यादा आश्चर्य अपने विरोधी दल के लोगों पर होता है, जो कि शासन में रह चुके हैं। वह भी कहते हैं कि हमारे गरीब किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है, और हम भी यही कहते हैं, हम भी अपने को समाजवादी कहते हैं, वह भी कहते हैं। यहां सारे आंकड़े जो पेश होते हैं, उसमें कोई कहता है कि 72 फीसदी लोग कृषि पर अपना गुजारा करते हैं, हमारा उसमें मतभेद है। इसमें असलियत क्या है ?

असलियत यह है कि देश में 15 से 20 फीसदी लोग ऐसे होंगे जिनका अधिकार खेती पर है। जब 72,75 फीसदी की बात आती है तो उसमें 50 फीसदी ऐसे हैं जिनको मजदूरी करनी होती है। उन्हें खेतिहर मजदूर कहिए या कुछ भी कहिए। मैं तो समझता हूं कि खेत जिसके नाम से है, वही खेतिहार कहलाता है। हम सभी लोग उन छोटे मजदूरों से सहानुभूति रखते हैं।

भगवान की बनाई हुई पृथ्वी भी है, ईश्वर प्रदत्त हवा भी है, सूरज और चांद भी हैं। जब लखपति, करोड़पति सड़क पर चलता है तो उसको भी ठंडी हवा लगती है और गर्मी भी लगती है, गरीब को भी उसके समान यह चीजें लगती हैं। गंगा में स्नान करने के लिए जायें तो पानी सबको एकसा शीतल लगता है लेकिन जब गरीब के यहां बच्चा जन्म लेता है तो झोंपड़ी बनाने के लिए उसको जमीन भी नहीं मिलती और टाटा, बिड़ला जैसे लोगों के यहां बच्चा जन्म लेता है तो उसके पैदा होते ही लाखों, अरबों रुपये की जमीन कोठी उसके नाम से हो जाती है। इसी तरह के समाज की हम रहनुमाई कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उत्पादन के साधन समान हों। जब झारखण्डे राय जी पावर में थे, तो हम बहुत पढ़ते थे, वह कहते थे कि उत्पादन के साधन पर समाज का अधिकार रहना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह 3 साल शासन में रहे क्या एक भी मिसाल उन्होंने पेश किया ? नहीं। हमारे बंगाल के भाई ने बहुत क्रान्तिकारी लेक्चर दिया है। वहां पर उनकी सरकार है। क्या वे यह कार्य कर सके ? नहीं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अगर वे पावर में न रहते, तो मैं मान लेता। लेकिन पावर में रह कर भी उन्होंने कोई अगुवाई नहीं की।

आज देश के किसानों और खेतिहर मजदूरों की हालत क्या है ? अन्न वे पैदा करते हैं, दूध वे पैदा करते हैं, वे साग-सब्जी और गन्ना पैदा करते हैं। लेकिन उनको कुछ भी नसीब नहीं होता है। केवल विवाह-शादी में उन्हें चीनी या मिठाई, सब्जी, चावल और दाल वगैरह मिल पाते हैं। कमाते वे हैं, खाता कौन है ?—शहरों के बड़े-बड़े लोग। आज मुझे वह कहानी

[श्री राम नगीना मिश्र]

याद आ रही है कि एक बार अकाल पड़ा और भगवान् राम के गुरु, विश्वामित्र, जब भूख की ज्वाला बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उन्हें भी चोरी करनी पड़ी। हमें इस बात की आशंका है कि आज जब भी किसानों को—किसान से मतलब है मजदूर, जो मजदूरी का काम करता है—खाने को नहीं मिल रहा है, तो कहीं वह कहानी चरितार्थ न हो जाए, क्योंकि "बुभुक्षितः किं न करोति पापं, क्षीणा नराः निष्करुणाः भवन्ति।" जब भगवान् राम के गुरु भूख की ज्वाला बर्दाश्त न कर सके और कुत्ते का मांस चुराने के लिए विवश हो गये, तो हम तो साधारण मानव है— भूख की ज्वाला को कब तक रोक पायेंगे ?

आज हमारे देश में जातिवाद का या और कोई झगड़ा नहीं है। यहां पर झगड़ा सिर्फ गरीबी और अमीरी का है। यहां पर कोई आदर्श के लैक्चर सुन कर दिल चाहता है कि मैं भी कुछ कहूं, लेकिन समयाभाव के कारण मजबूर हूं। चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं कुछ अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं।

मैंने जिक्र किया है कि कृषि के लिए नहर, ट्यूबवैल और सड़क की जरूरत होती है। हमारे यहां गंडक प्राजेक्ट पर अरबों रुपये खर्च हुए हैं। यह देखा गया है कि पानी के लिए नहरें और नालियां बनी हैं, लेकिन उनके अन्दर पानी के लिए जगह नहीं है। इसके कारण फायदे के बजाये नुकसान हुआ है और बाढ़ से सारा क्षेत्र बर्बाद हो जाता है। मैंने बलिया में 16 ट्यूबवैल देखे है, लेकिन उनकी मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं, पानी नहीं चल रहा है, क्योंकि अधिकारियों को निजी दुकानों आदि से उपकरण खरीदने की इजाजत नहीं है और स्वीकृत एजेन्सियों से सामान मिलता नहीं है। ट्यूबवैल्ज की नालियां बनी हुई हैं, लेकिन खेत में पानी नहीं जा सकता है। मैं चाहूंगा कि इन बातों में सुधार करने के लिए यहां से हिदायत दी जाये।

यह सही है कि हमारे वैज्ञानिकों ने कई तरह की अन्न की वैरायटीज उत्पन्न की है, जिनसे हमारी उपज बढ़ गई है और हम अन्न के विषय में आत्म-निर्भर हो गये हैं। लेकिन गन्ने के सम्बन्ध में जो विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे ऐसी वैरायटीज विकसित करें, जिनसे चीनी की मात्रा भी बढ़े और उपज में भी वृद्धि हो। हमारे देश में 200 से ऊपर चीनी मिलें हैं। उनमें से आधी से अधिक चीनी मिलें बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल और बिहार के ऊपरी हिस्से में चीनी मिलों की हालत इतनी दयनीय है कि उनको नफे के बजाये नुकसान हो रहा है। आज जो उनकी हालत है, जो पूर्वी जिले हैं उनमें 36 फैक्ट्रियां हैं जिनमें 16 फैक्ट्रियां 1 हजार टन से कम की हैं। 10 फैक्ट्रियां 1 हजार और 1200 टन की हैं। केवल एक फैक्ट्री ऐसी है कि जो 2 हजार टन की है। आज इस तरह की जो फैक्ट्रियां हैं उनकी हालत यह है, मैं मिसाल के तौर पर छितौनी और खड्डा का नाम ले रहा हूं। छितौनी फैक्ट्री में एक करोड़ रुपया सरकार का लगा हुआ है। पचास लाख रुपया किसानों का बकाया है और अगर मजदूरों का बकाया भी शामिल करें तो 2 करोड़ रुपया है। अगर उस फैक्ट्री को बेच दिया जाय तो 50 लाख रुपया भी नहीं मिलने वाला है। ठीक उसी तरह से रामकोला में लाखों रुपया पड़ा हुआ है, खड्डा में लाखों रुपया किसानों का बह गया। इसी तरह लक्ष्मीगंज की फैक्ट्री है। ये इतनी छोटी-छोटी यूनिट्स हैं कि

अगर इनका विकास नहीं किया गया, इनकी शक्ति नहीं बढ़ाई गई तो मैं समझता हूं कि दस साल के बाद वहां पर गन्ना बोने वाला किसान बर्बाद हो जाएगा और ये फैक्ट्रियां तो बर्बाद हैं ही।

आज आप उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 1960-61 में 14.7 लाख क्विंटल चीनी पैदा हुई थी और 78-79 में 14.72 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन है। वहीं पर महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र में 60 61 में 5.23 लाख क्विंटल उत्पादन था और आज 21.11 लाख है। दस साल में महाराष्ट्र ने चौगुना तरक्की की और हम जहां के थे वहीं रह गए। अगर यही विकास दर रही तो हमारे उत्तर भारत की सारी फैक्ट्रिया बर्बाद हो जायेंगी और इसमें लाखों किसान परिवार काम करते हैं, लाखों मजदूर काम करते हैं, करोड़ों किसान इससे सम्बन्धित हैं। हमारी ये चीनी मिलें सोने की चिड़ियां हैं। अगर ये बर्बाद हो गई तो उत्तर प्रदेश की जो सब से बड़ी इंडस्ट्रियल चीज है और गन्ना जिससे हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं तथा सारे देश को चीनी देते हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जायगा।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं, इसके पहले भी कमेटियां बैठी हैं, अगर चीनी उद्योग को कायम रखना है तो उसके लिए सरकार को एक ठोस नीति बनानी होगी जो बीमार चीनी मिलें हैं, जो एक हजार टन से कम की हैं उनका विकास करना होगा। दूसरे, गन्ने के दाम के बारे में साल के शुरू में ही सरकार को एलान करना चाहिए कि हम इतना गन्ने का दाम देंगे। इससे किसानों को बल मिलेगा। साथ ही एक आश्चर्य की बात है, आप नियम देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि जहां हम गन्ना बोते हैं, एक जोन है, उस जोन से हम अपने गन्ने को दूसरी फैक्टरी में नहीं दे सकते हैं। केन ऐक्ट में यह प्राविजन है कि अगर हम अपना गन्ना एक जोन से दूसरी फैक्ट्री में ले जाते हैं तो छः महीने की सजा और 5 सौ रुपये जुर्माना होगा। 77-78 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नोटिस छापा कि आपके पास जो एक्सेस गन्ना है हम उसको लेने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, आप उसका जो चाहे करें। एक तरफ तो रिजर्व जोन कर दिया कि हम एक जगह से दूसरी जगह अपना गन्ना ले जाएं तो छः महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना होगा और गन्ना अधिक होता है तो सरकार कहती है कि हम लेंगे नहीं। हम अपने गन्ने से अपने कोल्हू से अगर गुड़ बनाना चाहें तो वह भी नहीं बना सकते। रात दिन हल्ला होता है छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज का विकास करने के लिए, मैं तो मांग करता हूं और यह हमारा मारल राइट है किसानों का कि हम अपने गन्ने से गुड़ बना सकें। यह अधिकार हमें होना चाहिए। साथ ही हम गन्ना बोते हैं, सप्लाई करते हैं और विवाह शादी में ब्लेक से चीनी खरीद कर अपने मेहमानों को खिलाते हैं। क्या यही फर्ज है। मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि किसानों का भी हिस्सा होना चाहिए जितना वह गन्ना देते हैं उसके प्रोपोर्शन में चीनी पाने का। गन्ना बोने वाले किसान को फैक्ट्रियों से चीनी मिलनी चाहिए, उसका कोटा निर्धारित होना चाहिए जैसे मजदूरों को मिलता है। फैक्ट्री से हर मजदूर को जिस तरह चीनी मिलती है उसी तरह गन्ना बोने वाले किसान जो गन्ना सप्लाई करते हैं फैक्ट्रियों से उनको भी चीनी मिलनी चाहिए।

तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं। यह भी हमारा मारल अधिकार है, फैक्ट्री में चीनी

[श्री राम नगीना मिश्र]

बनती है, उसमें एक तो कैपिटलिस्ट अपना पैसा लगाकर फैक्ट्री खड़ी करता है, मजदूर उसमें काम करता है, कच्चा माल मैं देता हूं तो बोनस मजदूर पाने का हकदार है क्योंकि वह संगठित है, मेरा कहना है कि उसके मुनाफे में किसानों को भी बोनस मिलना चाहिए। मुझे सही जानकारी नहीं है लेकिन शायद महाराष्ट्र में ऐसा प्रावधान है। महाराष्ट्र की शुगर फैक्टरीज मजदूरों को भी बोनस देती हैं और किसानों को भी देती हैं। शुरू में गन्ने का भाव फिक्स हो जाता है, उस वक्त चीनी का भाव कम हो सकता है, लेकिन बाद में यदि चीनी का भाव बढ़ जाता है तो मिल मालिक करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, लेकिन किसान का दाम वही रहता है। इतना ही नहीं, अगर किसान पर सरकारी बकाया रहता है तो उस पर कुड़की और वारन्ट होता है, उसकी गिरफतारी की जाती है, लेकिन किसानों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का जो लाखों-करोड़ों रुपया मिल-मालिक के पास बकाया रहता है, उसके लिये कोई नहीं पूछता। हमारी मांग है कि गन्ना किसानों का जितना रुपया मिल-मालिकों पर बकाया हो, उस पर, जिस तरह से हमसे बैंक सूद लेता है, उसी तरह से किसानों को भी सूद मिलना चाहिये। साथ ही अगर गन्ना-किसानों का रुपया मिल मालिकों के पास हो तो किसानों के जिम्मे जितनी भी सरकारी वसूलियां हो, वे स्थगित रहनी चाहिएं। यह हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें तो याद नहीं है कि कभी पहले बाहर से चीनी मंगाई गई हो, जैसा कि इस बार मंगानी पड़ी है। मैं समझता हूं—इसमें कहीं न कहीं भूल है और वह यह है कि उत्तर भारत और बिहार की जितनी फैक्ट्रीज हैं वहां एक तो यह नारा लगा कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो। मैं भी नारा लगाने वालों में हूं। चौधरी साहब बैठे हैं—आप जब कसियां गये थे, तब मैंने नारा लगाया था और हड़ताल कराई थी कि जब तक आप दाम नहीं दे देंगे, हम फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। राष्ट्रीयकरण तो हुआ नहीं, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि जो मिल-ओनर्स थे, वे पीतल तक चुरा कर ले गये। अब बड़ी जर्जर अवस्था में वे फैक्ट्रीज हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अगर चीनी मिलों को जीवित रखना है तो सरकार को ऐलान करना चाहिये, या तो सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण कर ले, नहीं तो यह कह दे कि हम राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे। दो में से एक बात तय होनी चाहिये। इससे यह होगा कि अगर राष्ट्रीयकरण हुआ, तो भी फैक्ट्रीज विकसित होंगी और अगर आप कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे तो मिल-मालिक उन पर पूंजी लगाने के लिये तत्पर होंगे। अभी तो घपले में चल रहा है, जिससे फैक्ट्रीज बरबाद हो रही हैं। मैं किसानों के हक में यह बात कर रहा हूं।

इन शब्दों के साथ माननीय कृषि मन्त्री जी से मेरी मांग है कि कृषि ऐसा सब्जैक्ट है जिस में और भी धन का इजाफा होना चाहिये। जितने रुपये की आपने मांग रखी हैं उसमें अन्य मदों से कटौती करके इजाफा किया जाना चाहिये। मैं जोरदार शब्दों में आपकी मांगों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि आज के कृषि मन्त्री, जोकि स्वयं किसान भी हैं और देखने में भी किसान मालूम होते हैं, के नेतृत्व में हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में उन्नति होगी और गन्ना किसानों की ओर उनका विशेष ध्यान जायगा तथा गन्ना किसानों का भला आपके द्वारा अवश्य होगा।

*श्री एस० मुरुगेयन (तिरुपत्तूर) : माननीय सभापति महोदय, कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आरंभ में सिंचाई और बिजली को कृषि मन्त्री के प्रभार में देने की आवश्यकता पर बल देना चाहता हूं। आप स्वयं इस बात की भली भांति कल्पना कर सकते हैं कि यदि कृषि मन्त्री को सूखे खेतों के लिए जल के लिए सिंचाई मन्त्री तथा कृषकों के पम्पों के लिए बिजली के लिए बिजली मन्त्री के पास बार-बार दौड़ना पड़े तो उन्हें कार्य करने में कितनी कठिनाई होगी ? हमारे देश में कृषि विकास के लिए यह आवश्यक है कि कृषि, सिंचाई और बिजली को कृषि मन्त्री के प्रभार में होना चाहिए। तभी हम यह आशा कर सकते हैं कि वह कृषि की बेहतरी के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकेंगे।

मैं अब कृषि मन्त्रालय की वास्तविक मांगों का उल्लेख करूंगा। 1979-80 वर्ष में मत्स्यपालन की मांगों के अन्तर्गत पहले 59.87 करोड़ रुपये धनराशि की व्यवस्था की गई थी और संशोधित प्राक्कलन में इसे घटा कर 28.47 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इन मांगों में इतनी कमी करने का कारण क्या है ? यह सर्वविदित है कि हमारे मछुआरे प्रागैतिहासिक वातावरण में कार्य कर रहे हैं और उन्हें सरकार से सहायता की बहुत आवश्यकता है। किन्तु फिर भी हमें यह पता चलता है कि सरकार ने 31.40 करोड़ रुपये की विपुल राशि को छोड़ दिया है, इन राशि को हमारे लाखों मछुआरों के उत्थान पर व्यय किया जा सकता था। सरकार विभिन्न गतिविधियों के लिए लागत व्यय के प्राक्कलन तैयार करती हैं और उन प्राक्कलनों के आधार पर बजट में कराधान प्रस्तावों की व्यवस्था की जाती है। कर संग्रहण के पश्चात्, जिन उद्देश्यों के लिए कराधान किया जाता है, उसे उन पर व्यय नहीं किया जाता है। इस बात की न केवल आलोचना की जानी चाहिए बल्कि उसकी भर्त्सना भी की जानी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा छोड़ी गई थी अथवा राज्य सरकारों को दिये जाने के पश्चात उन्होंने इस राशि का उपयोग नहीं किया है।

मैं "वन" मांग के बारे में भी कहना चाहता हूं। यहां इस मामले में भी पहले वाले प्राक्कलन में 48.33 करोड़ रुपये का प्रावधान था किन्तु संशोधित प्राक्कलन में इस राशि को घटा कर 15.55 करोड़ रुपये कर दिया गया। मैं 32.78 करोड़ राशि को छोड़ देने के संबंध में पूर्ण सूचना चाहता हूं। पर्यावरण में निरन्तर सन्तुलन स्थापित करने की दृष्टि से एक तिहाई भूमि पर वन होने चाहिए। हम वन रोपड़ कार्यक्रम के बारे में प्रायः रोज ही सुनते हैं और हमें यह भी पता चलता रहता है कि हमारे वनों को कैसे हर रोज कम किया जा रहा है। वन तो हमारे कृषि सम्बन्धी प्रयासों में भी सहायक होते हैं। इनसे वर्षा होती है, इनमें किसानों को प्राकृतिक उर्वरकों की उपलब्धि होती है। इस पृष्ठभूमि में मैं जब यह देखता हूं कि 32.78 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय नहीं की गई है तो मुझ पर मानो वज्रपात होता है। इस सम्बन्ध में भी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस धनराशि को केन्द्र ने व्यपगत हो जाने दिया अथवा राज्य सरकारों ने।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[श्री एस० मुरुगंयन]

"सहकारी" मांग के अन्तर्गत भी मूल प्राक्कलन में 71.14 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई थी किन्तु संशोधित प्राक्कलन में इसे घटा कर 63 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि किसान लोग ऋणों के लिए मुख्य रूप से सहकारी संस्थाओं पर निर्भर करते हैं। जब उन्हें धनराशि नहीं मिलती तो वे ऋण के लिए गैर-सरकारी एजेंन्सियों के पास जाते हैं और ब्याज की ऊंची दरों पर ऋण लेते हैं। योजनाएं बनाई जाती है और प्राक्कलन भी बनाए जाते हैं। किन्तु उन पर धन नहीं व्यय किया जाता है। क्या उन्हें यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि पूरी धनराशि का उपयोग किया जाना चाहिए ? इस मांग के अन्तर्गत कुछ करोड़ रुपये छोड़ देने से अनेक सहकारी संस्थाएं धनराशि से वंचित रह जायेंगी। उदाहरण के तौर पर, केन्द्रीय भूमि विकास बैंक और अन्य भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्र सरकार द्वारा खरीदे नहीं गये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन संस्थानों के पास हमारे कृषकों को वित्तीय सहायता देने का कोई पूंजी आधार नहीं है। मैं यह मांग करता हूं कि कृषि विकास के लिए जो भी धन दिया जाता है, उसे पूरी तरह व्यय किया जाना चाहिए और उसे पूरी तरह व्यपगत नहीं होने दिया जाना चाहिए।

कृषि मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन वैज्ञानिक शब्दावली से भरे हुए हैं जिन्हें कृषि में रुचि रखने वाले मेरे जैसे आम आदमी नहीं समझ सकते हैं। अतः इन प्रतिवेदनों को सुगम भाषा में तैयार किया जाना चाहिए ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। कृषि मन्त्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मछली पकड़ने के लिए जल्दी ही छोटी-छोटी बन्दरगाह बनाई जायें ताकि इस देश के लाभ के लिए समुद्री सम्पदा का पता लगा सकें। कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम, जिसकी किसानों के लाभ के लिए स्थापना की गई है, प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। मन्त्रालय को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि वह सुचारु ढंग से चलने लगे। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि जितनी भी लघु सिंचाई योजनाएं उनके ध्यान में हैं उन्हें वह सितम्बर, 1980 से पहले केन्द्र सरकार को भेज दें। जब ऐसी योजनाएं केन्द्र के पास पहुंचें तो वह शेल्फों की शोभा ही बन कर न रह जायें। केन्द्र को इन योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त सहायता भी प्रदान करनी चाहिए।

जहां किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां वे प्रति एकड़ 50 रुपये के हिसाब से भू-राजस्व देते हैं और अपनी खेती-बाड़ी करते रहते हैं। किन्तु तमिलनाडु में स्थिति भिन्न है। 2 एकड़ भूमिधारी कृषकों को भी 10,000 रुपये व्यय करके एक कुआ खुदवाना पड़ता है, उन्हें पम्पसेट तथा उन्हें चलाने के लिए मोटरें खरीदनी पड़ती हैं तब वह खेती कर सकते हैं। उसकी नजर केवल लाभ पर नहीं रहती। अतः यह स्वाभाविक बात है कि केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु राज्य को अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए ताकि कृषि के प्रति ऐसे निष्ठावान किसानों की सहायता की जा सके।

अब कावेरी नदी में बाढ़ आई हुई है और मेंटूर बांध में पानी बांध के ऊपर बह रहा है। तंजोर क्षेत्र में बाढ़ का खतरा है। न केवल सूखे की स्थिति पर काबू पाने के लिए योजना तैयार की जानी चाहिए अपितु बाढ़ की समस्या के समाधान का भी यत्न किया जाना चाहिए। होंगेकल क्षेत्र में व्यर्थ जाने वाले पानी को सुरक्षित रखने के लिए बांध बनाया जाना चाहिए। इस क्षेत्र

में एक थर्मल विद्युत संयंत्र की स्थापना की एक परियोजना है। तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य में बातचीत चल रही है। माननीय कृषि मन्त्री को अपने पद का उपयोग करके कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों की बातचीत को फलदायक बनाने में मदद करनी चाहिए ताकि ये राज्य पर्याप्त बिजली का उत्पादन कर सकें तथा उपलब्ध जल का कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके। बाढ़ रोकने के अलावा बढ़ी हुई सिंचाई सुविधाओं से अधिक भूमि में खेती की जा सकेगी।

जिस समय मेरी पार्टी द्रमुक तमिलनाडु में सत्तारूढ़ थी उस समय नार्थ अरकाट जिले में कुछ लघु सिंचाई योजनायें तैयार की गई थीं तथा उन्हें भाग-दो योजनाओं में सम्मिलित किया गया। जब उन्हें बजट प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाने वाला था तो द्रमुक सरकार हटा दी गई। तमिलनाडु में बाद में बनी सरकार ने इन योजनाओं की क्रियान्विति में कोई रुचि नहीं दिखाई है। मैं मांग करता हूं कि पुल्लुर बांध, अन्दिअधानुर बांध, जलागमपलई जलाशय, सत्तुर अपर रीच, नहर प्रणाली शेनवागथोप्पू बांध और उत्तरी अरंकाट जिले में मोरदान बांध को प्राथमिकता दी जाए।

यदि तमिलनाडु की राज्य सरकार धन की कमी की शिकायत करे तो केन्द्र को राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। इस समय जो पानी व्यर्थ जा रहा है उसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाओं में उपयोग करके असिंचित भूमि को सिंचित भूमि में बदला जा सकेगा। केन्द्रीय सरकार का रवैया यह होना चाहिए कि वह कृषकों की, वे जहां भी हों मदद करे और केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों को बीच में न लाये।

किसानों को सुधरे हुए बीजों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जानी चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चेंगम नामक स्थान पर केन्द्रीय बीज फार्म है। जहां पर उत्पन्न बीज राज्य के बाहर बेचे जाते हैं। ऐसे बीज फार्म का प्राथमिक उद्देश्य पहले अपने क्षेत्र के किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त बीज पैदा करना चाहिए। तथा बाद में फालतू माल को बेचा जा सकता है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह 10,000 एकड़ के इस बीज फार्म को देखने जायें। राज्य सरकार बीज व्यय के रूप में एक रुपया प्रति एकड़ लेती है। यदि मन्त्री महोदय समय न निकाल सकें तो राज्य मन्त्री जो कि तमिलनाडु के हैं, इस बीज फार्म में जायें तथा यह सुनिश्चित करें कि बीज पहले किसानों को दिये जायें।

हमारे कृषकों को उनके उत्पादों के लिए लाभदायक मूल्य दिये जाने चाहिए। धान का न्यूनतम वसूली मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम कटाई के बाद समय पर अनाज नहीं खरीदता। इससे किसानों में कठिनाई पैदा होती है पिछले वर्ष जनता सरकार ने खाद्य निगम द्वारा अनाज की वसूली के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। अब उसके लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की जाये उसकी हमें चिन्ता नहीं, परन्तु हम चाहेंगे कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि अनाज की वसूली के मामले में जनता सरकार की नीतियों का अनुसरण न करें। इसे अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि खाद्य निगम को दी गई राशि किसानों के हित में व्यय की जाये।

[श्री एस० मरुगैयन]

मैं किसानों के लिए फसल बीमा योजना की मांग करता हूं। किसानों को कीटों, रोगों, बार-बार होने वाली बाढ़ों तथा सूखों का सामना करना पड़ता है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि किसानों के लिए बीमा योजना जारी की जाये। 4.6 करोड़ कृषि कार्मिकों की दयनीय दशा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस समय धान के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता गेहूं के लिए दी जाने वाली सहायता की तुलना में बहुत कम है। धान के लिए सहायता बढ़ायी जानी चाहिए। गन्ना उत्पादकों को कम से कम 200 रुपए प्रति टन मिलने चाहिए। तमिलनाडु में गन्ने की खेती होती है। कृषि के लिए आवश्यक चीजों की लागत बढ़ गई है। उसे मोटर आदि की मरम्मत पर व्यय करना पड़ता है। यहां पर चीनी मिलों द्वारा कमाये जाने वाले बहुत अधिक लाभों का भी उल्लेख करना आवश्यक है। वे 230 रुपये प्रति बोरी की दर से लेवी चीनी देते हैं। परन्तु खुले बाजार में चीनी का मूल्य बढ़कर 700-800 रुपये हो गया है। एक बोरी चीनी का उत्पादन व्यय क्या है। यह 180 रुपए से अधिक नहीं है। आप उनके द्वारा अर्जित किये जाने वाले लाभों पर ध्यान दें। चीनी के प्रति टन उत्पादन मूल्य के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जानी चाहिए। इसी प्रकार एक टन गन्ने की उत्पादन लागत का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मेरी गन्ने के लिए 400 रुपए प्रति टन की मांग का सभा के सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया जायेगा। मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे तथा आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

समाप्त करने से पूर्व मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा चन्दन के निर्यात पर लगाई गई रोक का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं इस रोक के जारी रखने में कोई औचित्य नहीं समझता। इसे तुरन्त हटाया जाना चाहिए। तमिलनाडु की राज्य सरकार के पास चन्दन का भारी स्टाक जमा हो गया है और राजस्व में वार्षिक क्षति 5-10 करोड़ रुपये की हो रही है। चन्दन के निर्यात पर रोक से भारत सरकार को विदेशी मुद्रा की भारी हानि होती है। हमें बताया गया है कि सरकार चन्दन का लकड़ी के रूप में नहीं उत्पादित वस्तुओं के रूप में निर्यात की अनुमति देगी। परन्तु दुर्भाग्य से चन्दन की लकड़ी के उत्पादनों की देश के बाहर कोई मांग नहीं है। इसलिए चन्दन की लकड़ी के निर्यात की अनुमति दी जानी चाहिए तथा उस पर रोक तुरन्त हटा दी जानी चाहिए।

समाप्त करने से पूर्व मैं पंचायती संघों में काम करने वाले कृषि अधिकारियों की एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता का उल्लेख करता हूं उन्हें मोटर साईकल दिये जाने चाहिए ताकि वे दौरों पर जायें और यह सुनिश्चित करें कि किसानों की उर्वरक, सुधरे बीजों आदि की मांग अनावश्यक प्रशासनिक विलम्बों के बिना पूरी की जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय एक ऐसा विभाग है जिसके ऊपर, वर्तमान में, हमारा देश ही आकांक्षा नहीं रखता बल्कि संसार के अन्य देश भी जो कि भुखमरी के शिकार हैं, वे भी आशा और आकांक्षा रखते हैं। हमारा राष्ट्र इन देशों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकता है क्योंकि हमारा राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जहां सिंचाई के साधन हैं, बिजली है और कई बहुउद्देश्यीय योजनाएं हैं। यही एक ऐसा देश है जिसकी भूमि सोना उगलती है।

इसीलिए यह देश सोने की चिड़िया कहलाता है । इस देश में पहाड़ों पर पहाड़ी फसलें होती हैं, रेगिस्तान में रेगिस्तान की फसलें होती हैं । जो हमारे देश का समुद्री इलाका है वह समुद्री चीजें पैदा करता है, गंगा का मैदानी इलाका चावल, गेहूं की फसलें उत्पन्न करता है । लेकिन दुःख इस बात का है कि आज आजादी के 33 वर्ष के पश्चात् भी हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा की पूर्ति हम नहीं कर सके हैं । कभी हमारे देश में सूखा लगता है, कभी प्राकृतिक नुक्सान होता है, कभी और चीज होती है ।

हमारे देश के अन्दर जो प्राकृतिक अनुसंधान के यूनिट काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय हैं, सेन्टर हैं, कालेज हैं जिनमें इस देश के हजारों कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, हजारों हमारे गांव स्तर के कर्मचारी काम कर रहे ह वे क्या कर रहे हैं ? अगर इसका लेखा जोखा आप देखना चाहेंगे तो आपको रिपोर्टों में मिल जाएगा । हमारे बहुत से वैज्ञानिक इनमें भरे पड़े हैं लेकिन जो रिपोर्ट निकल रही हैं उनमें इनके खिलाफ बहुत सी बातें आती हैं । इसके बारे में आपकी पार्टी की ओर से भी आलोचना हुई है, इनकी गलतियों के बारे में आलोचना हुई है ।

मैं कहता हूं कि यह एक ऐसा विभाग है जिसके बारे में पूरा चिन्तन होना चाहिए और सभी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मिलकर एक राष्ट्रीय भावना से इस पर कृषि की क्षमता पर चिंतन कर सकते हैं । जो गांधी जी का इस बारे में सपना था हमें उस पर भी विचार करना, चाहिए । उन्होंने कहा था कि भारत गांवों में बसता है । अभी कुछ दिन पहले हमारे सेठी साहब आवास मंत्री का भाषण हो रहा था । वे कह रहे थे कि बड़े-बड़े शहरों, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली जैसे शहरों में गन्दी बस्तियों को हटाना चाहते हैं । मैं कहता हूं कि गांवों में जो लोग निवास करते हैं वे सारे गन्दी बस्तियों में निवास करते हैं । आज कौन-सा ऐसा गांव है जहां गन्दी बस्ती नहीं है । रेडियो और टेलिविजन की बात तो आप छोड़ दीजिये, गांव सड़कों तक से नहीं जुड़े हुए हैं । जो गांव जुड़े हुए भी हैं वहां कच्ची सड़कें हैं । बारिस में गांव वालों को निकलने तक का रास्ता नहीं मिलता । उनके पास गांव से निकलने का कोई आधार या कोई साधन नहीं है । जो वे गल्ला या अन्य उपज पैदा करते हैं अगर उसे चार मील दूर मण्डी तक ले जाना होता है तो उसके लिए उनके पास माध्यम नहीं है । ट्रैक्टर वगैरह की तो बात छोड़िये, लोहे के पहियों वाली बैल गाड़ी तक उनके पास नहीं है जिससे कि वे सड़क पर आ सकें । इसलिए हमारे देश का विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हुआ ।

जब देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और खेती पर निर्भर करती है तो बजट का 80 प्रतिशत नहीं तो कम से कम 70 प्रतिशत ही खेती के ऊपर खर्च होना चाहिए । बाकी का उन गांवों पर भी खर्च करना चाहिए जो खेती बिना खेती के निर्भर करते हैं । खेती के बारे में आपको गम्भीर चिन्तन करना चाहिए । आप तो खेती के विशेषज्ञ हैं, खेती को आप समझते हैं, इस वास्ते आप कठिनाइयां जो किसान को भोगनी पड़ती हैं उनसे भी भली भांति परिचित होंगे । मैं आशा करता हूं कि आप खेती के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करके कदम उठाएंगे जिससे किसान को फायदा हो ।

[श्री चतुर्भुज]

लोक सभा की बैठक होने के तीन दिन पहले खादों के भाव बढ़ा करके 665 करोड़ रुपये प्राप्त करने की योजना बना ली गई थी। ऐसा करके किसानों की जेब में से पैसा खींच लिया। यह भार किसान पर लाद दिया। आपने चीनी के बारे में दोहरी नीति अपना रखी है। अगर आप यही दोहरी नीति डीजल के बारे में भी चलाएं और किसान के पम्पिंग सेट्स के लिए सस्ते पर डीजल दें तो आप डीजल के भाव बढ़ाते जाएं हमें कोई एतराज नहीं होगा, कोई आपत्ति नहीं होगी।

मेरी पहली मांग यह है कि खेती को आप उद्योग घोषित करें। उद्योग वालों को जिस तरह से आप सारी सहूलियतें देते हैं, बिजली में सबसिडी देते हैं, उसी तरह से सभी प्रकार की सहूलियतें आप यहां भी दें। आज भी आपका नौ सौ करोड़ रुपया पूंजीपतियों की ओर बकाया है। आप उसको वसूल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन किसान के ऊपर थोड़ी सी भी राशि बकाया रह जाती है चाहे वह सहकारी बैंक की हो या लैंड मार्टगेज बैंक की हो, भूमि विकास बैंक की हो, तो उसकी खाल खींच करके भी उसको निकाल लिया जाता है। उसको इस लोकतंत्र में आज भी मुर्गा बनाया जाता है, घोड़ा बनाया जाता है। मेरी मांग है कि खेती को आप सबसे पहले लघु उद्योग घोषित करें। प्रत्येक किसान परिवार को इकाई मानकर उसको आप आगे बढ़ायें, विकास की सभी सहूलियतें आप उसको दें, सबसिडी आदि सब आप को उसको देनी चाहिए। उसके अन्दर आपको क्षमता पैदा करनी चाहिए और सामाजिक तथा आर्थिक दोनों न्याय उसको मिलने चाहिए। राष्ट्र की प्रगति उसकी प्रगति पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं किया गया तो मैं कहूंगा कि यह सब ढकोसला है, सब बेकार है।

आप पशु धन को ले लें। कितना आप पशु धन के विकास पर खर्च कर रहे हैं। डेरी निगम आप ने बनाया है और उसके अन्तर्गत आपरेशन फ्लड नम्बर 1 आपने चालू किया। यह 1981 में पूरा हो रहा है। उसके बाद नम्बर दो चालू होने वाला है। लेकिन उसके प्रति किसान की कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि यह क्या चीज है और आप्रेशन क्या होता है। परिवार नियोजन के अन्तर्गत जो आप्रेशन होते थे उनको ही वह आप्रेशन समझता है। अगर आपने किसान के मन में पशु धन के विकास के बारे में कुछ चेतना पैदा की होती तो कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो अपने पशु धन का विकास न करता। हर किसान अपने पशुओं को मजबूत बनाना चाहता है, उनको तन्दरुस्त बनाना चाहता है, प्रबल बनाना चाहता है। उसके फायदे के लिए सब कुछ करना चाहता है लेकिन कैसे पशु धन का विकास हो सकता है इसको बताने वाला कोई नहीं है। सब भाषण बाजी होती है, कागजी कार्रवाई होती है, संस्थाएं बना दी जाती हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता।

मैं कहूंगा कि गांव पंचायतों के अन्दर आप को पशु धन स्वास्थ्य केन्द्र खोलने चाहिए ताकि पशु धन का विकास हो सके, उसको बीमारियों से बचाया जा सके। पंचायत को इस काम के लिए आपको इकाई मानना पड़ेगा। पशु धन राष्ट्र की सम्पत्ति है। रासायनिक खाद पर आप करोड़ों और अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। फर्टिलाइजर कारपोरेशन तथा कम्पनियां आदि जो बनी हुई हैं, वे घाटे में जा रही हैं। लेकिन करोड़ों और अरबों रुपये की खाद हमारा पशुधन दे रहा है। पशुधन की खाद न हो तो हमारा देश बरबाद हो जाएगा। खाद के इस्तेमाल से हमारे

देश का कितना नुक्सान हो रहा है, कितनी हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। सिंचाई का जो प्रबन्ध किया गया है उसके कारण सीवेज हो रहा है, उसको रिमूव करने के लिए कोई साधन नहीं अपनाए जा रहे हैं, कोई खोजबीन नहीं की रही है। वन सम्पदा के संरक्षण के रास्ते में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह वन विभाग ही है, कोई दूसरा नहीं है।

ग्रामीण निर्माण योजना बहुत सुन्दर योजना है। जनता पार्टी की सरकार की यह देन हो या आपकी, यह निर्विवाद है कि ग्रामीण इलाकों के अन्दर इससे एक स्वर्णिम युग शुरू हो सकता है। काम के बदले अनाज योजना को भी आप बढ़ाना चाहते हैं। आपने कहा है कि 85 करोड़ व्यक्तियों के श्रम दिवसों का कार्य आपने अपने सामने रखा है, उसके लिए बजट में प्रावधान किया है। पांच करोड़ व्यक्तियों के लिए पन्द्रह दिन काम देकर गांवों से बेरोजगारी को नहीं मिटाया जा सकता है। इस वास्ते वहां पर आपको कुटीर उद्योग खोलने होंगे और उद्योगों की स्थापना करनी होगी, खेत के ऊपर जो वर्डन बढ़ता जा रहा है, भार पड़ता जा रहा है, परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है इसको आपको घटाना होगा और कुटीर तथा लघु उद्योगों के अन्दर आपको इनको लगाना होगा। ऐसा नहीं किया गया तो खेती चौपट हो जायेगी। सोलह हजार किसानों को आपने भू सम्पदा कर से अलग कर दिया है। इनको जोड़कर बाकी सारे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले किसान हैं। मैं आकड़े देना चाहता हूं। मैं थोड़े से शब्दों में निवेदन करूंगा कि आज 55 परसेंट व्यक्ति गांव में गरीबी की रेखा के नीचे हैं, आज 65 रुपये प्रति माह उनकी इनकम है। यह हमारे देश का विकास है। यह नहीं हो सकता है।

आप गांव में सिंचाई के साधन करते हैं, तालाब के साधन करते हैं, मेरा कहना यह है कि अन-इरिगेटेड लैंड पर ट्यूब-वैल कायम किये जायें। सरकार के माध्यम से यह कायम कीजिये और बाद में उसका पैसा चाहे किसान से वसूल कीजिये, लेकिन किसान की हिम्मत नहीं है कि वह ट्यूब-वैल लगा सके। यह काम बड़े किसान ही कर पा रहे हैं, सीमान्त, लघु किसान इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। ज्वायन्ट रूप में रिग मशीनें भेजनी पड़ेंगी क्योंकि यह किसी भी जिले में उपलब्ध नहीं हैं। चाहे आप सहकारिता के माध्यम से कीजिये, को-आपरेटिव बेसिस पर कीजिये, आपको ट्यूबवैल गरीबों के लिए गांव में देने पड़ेंगे। यह सरकारी रेट पर देना पड़ेगा तभी गांव का विकास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है क्योंकि निजी रूप में किसी की क्षमता नहीं है।

अफीम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में नम्बर दो का धन्धा करने वाले अरबों और करोड़पति बन रहे हैं। लेकिन किसान को आप 150 और 200 रुपये का भाव दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप अफीम के भाव बढ़ाइये। आज गांव में अफीम का किसान को 150, 200 का भाव मिलने से कुछ नहीं मिलता है। नम्बर 2 वाले अरबोंपति होते जा रहे हैं।

मैं गन्ने के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि गन्ने का मूल्य उसकी लागत के हिसाब से तय कीजिये।

सभापति महोदय : अब आपको टाइम नहीं मिल सकता। श्री रामस्वरूप राम।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, माननीय कृषि मन्त्री जी ने सदन के समक्ष जो मांगें प्रस्तुत की हैं, इनका मैं समर्थन करता हूं। यह समर्थन इसलिए करता हूं यह काफी विकासोन्मुख हैं।

सभापति महोदय : आपको जो कुछ कहना है, सदन के सामने रखना है, कृपया जो प्वाइन्ट्स हैं, उस पर ज्यादा बोलिये। बाकी के मुद्दे अगर वक्त मिले तो कहिये। हमारे सामने बहुत लम्बी लिस्ट है, सभी को वक्त देना है।

श्री राम स्वरूप राम : जो समय मिला है, उसी में बोलेंगे।

मैं कह रहा था कि माननीय मन्त्री के दिमाग में काफी बातें हैं, देश में कृषि को वैज्ञानिक तर्ज के से लागू करने का अधिकतम प्रयास किया है। जब देश के कृषि की बात आती है तो अर्थ-शास्त्र की भाषा में हिन्दुस्तान की कृषि एक बहुत बड़ा उद्योग है जो अनियोजित है। एग्रीकल्चर इज ए विग इण्ड्स्ट्री, बट अन-प्लेन्ड। यह बात हमेशा अर्थ-शास्त्र की परिभाषा में कृषि के बारे में आती है। हमारे एक माननीय सदस्य ने एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ किसान से ही रखा है, उनको याद रखना चाहिए कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि खेतों में काम करने वाले खेतिहर मजदूर हैं जिन पर सारी एग्रो-इकनामी निर्भर करती है। हिन्दुस्तान में किसान की आबादी 25 फीसदी है और मजदूरों की आबादी 47 5 फीसदी है और यही 47.5 फीसदी एग्रो-लेवरर्स हैं, हिन्दुस्तान की कृषि की उन्नति या अवनति के द्योतक हैं।

आज देश में खेतिहर मजदूर की हालत काफी नीचे स्तर पर आ गया है, यों कहिये कि अगर आप सुदूर गांव में जायें तो पता नहीं लग सकेगा कि कौन घर मनुष्य का है और कौन जानवर का है। जब तक उसके उत्थान एवं आर्थिक स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात मांग में नहीं लाते, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हम विकासशील देश के सभ्य नागरिक हैं। इसलिए हमारे 47.5 फीसदी एग्रो-लेवरर्स हैं, उनके उत्थान के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर को विशेष ध्यान देना चाहिए। एक योजना बनानी चाहिए।

आपने बड़े-बड़े एग्रीकल्चरिस्ट के बिना सारी चीजों का प्लानिंग किया है। आपने नहरें और ट्यूबवैल बनाये, वह केवल बड़े-बड़े किसानों के लिए बनाये हैं। जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है, उससे वही लाभान्वित हो रहे हैं। 2.5 या आधे एकड़ वाले किसान मजदूर उससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। एकतरफा कृषि का विकास होता जा रहा है और 47 5 परसेंट जो आबादी है वह लाभांश से अछूती होती जा रही है। आज हम विषम असमानता का वातावरण देख रहे हैं।

देश में खेती लायक जमीन 17,11,62 हजार हैक्टर है और 4,29,44 हजार हैक्टर जमीन में एशोर्ड इरिगेशन है। इस प्रकार हिन्दुस्तान की कुल कृषि योग्य भूमि में से केवल 25.1 प्रतिशत में सिंचाई की जा सकती है। जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, वहां 11,287 हजार हैक्टर कृषि-योग्य भूमि है, जिसमें एशोर्ड इरिगेशन वाली भूमि 3363 हजार हैक्टर है, अर्थात् वहां 29.8 प्रतिशत भूमि में सिंचाई होती है।

इससे यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हम 25.1 प्रतिशत भूमि को सिंचित करके हम अन्न के मामले में आत्म-निर्भर हो सकते हैं, लेकिन यदि हिन्दुस्तान की एक-एक इंच भूमि सिंचित हो जाये तो हिन्दुस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क चाहे वह डेनमार्क हो या जापान, एवं अन्य देशों को अन्न खिला सकता है। हमारे यहां की धरती इतनी उर्वर है। इसलिए सिंचाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

यदि मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर के सामने इरिगेशन की बात कहूं, तो वह कहेंगे मेरा इससे सम्बन्ध नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर और इरिगेशन मिनिस्टर की एक जायंट कमेटी बनाई जाये। उस कमेटी की तरफ से यह रिपोर्ट आनी चाहिए कि इस साल कृषि की भूमि में सिंचाई उपलब्ध करने का क्या प्रस्ताव है ? उस पर कितना पैसा खर्च होगा ? और किस लगन के साथ यह काम किया जाएगा ?

पिछले सत्र में मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से हरिजनों की बस्तियों में पेय जल की व्यवस्था के बारे में एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने बहुत स्ट्रांग शब्दों में कहा था कि हम पांच बरसों में हिन्दुस्तान की सभी बस्तियों में, चाहे वे अमीरों की हों या गरीबों की, पानी मुहैया कर देंगे। पता नहीं इस दिशा में एग्रीकल्चर मिनिस्टर का ध्यान कहां तक गया है ? यह बहुत अहम सवाल है और इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

जहां तक यातायात के साधनों का सम्बन्ध है, कम्यूनिकेशन्ज न होने की वजह से किसानों का मैक्सिमम एक्सप्लायटेशन होता है। अगर मार्केट में किसी चीज का भाव 20 रुपये मन है, तो कम्यूनिकेशन्ज की कमी की वजह से किसानों को उसे कम भाव पर बेच देना पड़ता है। इस लिए यातायात के साधन जुटाये जाने चाहिए।

रोजगार देने के लिए फूड फार वर्क योजना चलाई गई है। इस योजना के द्वारा लोगों को पर्मानेंट रोजगार नहीं दिया जा सकता है। अकाल या प्रकृति का प्रकोप होने पर ही ऐसी स्कीम्ज चलानी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि फूड फार वर्क योजना के अन्तर्गत देश की स्थायी सम्पत्ति का निर्माण होना चाहिए—यातायात बनने चाहिए नहरें बननी चाहिए पईनों—डिस्ट्री-ब्यूटरीज—की सफाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बल्कि फूड फार वर्क योजना की आड़ में सारे देश में लूट फार वर्क चल रहा है। सरकार की मशीनरी बहुत करप्ट है। इस करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए।

यदि सरकार हरिजनों का उत्थान करना चाहती है, तो सरकार को हरिजनों और आदिवासियों के बच्चों के लिए फूड फार एजूकेशन योजना चलानी चाहिए। आप जानते है कि जब हरिजन का बच्चा पांच साल का होता है, तो उसी वक्त से किसी बड़े गृहस्थ या किसान के यहां उसके जानवरों को चराने के लिए लगा दिया जाता है, क्योंकि इससे उसके माता-पिता को इकानोमिक एसिस्टेंस मिल जाती है। इसी कारण बच्चे पढ़ने न जाकर परिवार के लिए अतिरिक्त आय प्राप्त करने में लिए काम करने लग जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हरिजनों के बच्चों के लिए फूड फार एजूकेशन योजना चलाई जाये, जिसके अन्तर्गत स्कूलों, विद्यार्थियों को छात्रवृतियों की जगह फूड दिया जाये।

[श्री राम स्वरूप राम]

आज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के मूल्यों में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। यही कारण है कि इतने जबर्दस्त रूप से किसानों का एक्सप्लायटेशन होता है जिसकी कोई हद नहीं है। दुनिया के किसी दूसरे स्थान पर इतना एक्सप्लायटेशन किसान का नहीं होता जितना हिन्दुस्तान के किसान का होता है। इसलिए इन दोनों के लिए एक प्राइस फिक्सेशन बोर्ड बने जिसमें इंडस्ट्रीज के भी रेप्रेजेन्टेटिव रहें, किसानों के रेप्रेजेन्टेटिव रहें, खेत में काम करने वाले खेत-मजदूर के रेप्रेजेन्टेटिव रहें और सरकार के रेप्रेजेन्टेटिव रहें। वह बैठकर एक मूल्य निर्धारित कर दे कि एक क्विंटल गेहूं पैदा करने में कितना लगता है और इंडस्ट्रियल गुड्स पैदा करने में कितना लगता है। ऐसा एक प्राइस फिक्सेशन बोर्ड बनाइए।

हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में लागू हुआ था जिसके तहत 20 लाख एकड़ जमीन अर्जित की गई थी जिसमें से मात्र 25 प्रतिशत जमीन वितरित की गई और वह जो वितरित की भी गई, जनता पार्टी की प्रतिक्रियावादी ताकतों ने उन जमीनों से उनको बेदखल कर दिया। कितने हरिजनों की उसमें जानें गईं। इसलिए मैं चाहूंगा कि उस बीस सूत्री कार्यक्रम को पुनः तेजी से लागू किया जाय और जो 20 लाख एकड़ जमीन अर्जित की गई थी वह हरिजनों में, आदिवासियों में या गरीब तबके के लोगों में बांटी जाय, तभी हिन्दुस्तान में समाजवाद आ सकता है और खुशहाली आ सकती है। मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि कृषि की उन्नति के लिए पूरा प्रयत्न करें और हिन्दुस्तान की धरती को सिंचित करें तो हिन्दुस्तान सोने की चिड़िया बन जायगा। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री पी० वी० जी० राजू (नोविली) : कृषि हमारे देश के लिए मूलभूत है 70 प्रतिशत लोग जो गांवों में रहते हैं कृषक हैं। हमारे मित्र जानते हैं कि भारत में 65 करोड़ लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या 325 करोड़ है। इसका अर्थ है हर पांच व्यक्तियों में एक भारतीय है। हमारे देश में लगभग 45.5 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। इसका अर्थ है कि विश्व की आबादी के प्रति आठ व्यक्तियों में एक भारतीय किसान है। हमें इस अनुपात को समझना चाहिए। इस प्रकार कृषि कोई मामूली बात नहीं है। यह भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

मैं एक छोटा भाषण दूंगा क्योंकि मैं विज्ञान पर चर्चा नहीं कर सकता। छोटे भाषण का प्रयोग मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे वाद-विवाद में विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।

एक माननीय सदस्य : मैं प्रार्थना करूंगा कि इनको बैठकर भाषण देने की इजाजत दे दी जाये।

श्री पी० वी० जी० राजू : मैं अपने मित्र को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे लिए बैठ कर भाषण देने का सुझाव दिया है। परन्तु मैं खड़ा होकर बोल सकता हूं।

सभापति महोदय : यदि आप बैठ कर बोलना चाहते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपको बैठ कर बोलते हुए सुन कर खुशी होगी।

श्री पी० वी० जी० राजू : मेरी कठिनाईया व्यक्तिगत हैं, सामूहिक नहीं। यह आपकी दयालुता है कि आपने मुझे बैठकर बोलने की अनुमति दी है। धन्यवाद।

कृषि राज्य का विषय है। मैं समझता हूं कि हमें केन्द्र की ओर से कृषि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हम कृषि शिक्षा की बात करते हैं परन्तु मुझे भय है कि हमारे स्कूलों के देश के वैज्ञानिक खेतों में नहीं जाते जैसे पंचायतों में हमारे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं। केन्द्र को राज्य कृषि कार्यों पर इस प्रकार नियंत्रण करना चाहिए कि डाक्टरों की तरह वैज्ञानिक भी गांवों में अथवा पंचायतों में जाकर रहें। केवल तभी किसानों के लिये आधुनिक वैज्ञानिक कृषि को समझना सम्भव होगा।

मैं एक उदाहरण दूंगा। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खेती करना एक बुनियादी बात है। डा० बोरलोग एवं डा० स्वामीनाथन ही 'हरित क्रान्ति' बीजांश को बनाने के लिये जिम्मेदार थे। मेरे विचार में बहुत ही कम लोग इस बात से अवगत हैं कि भारत में जो चावल की खेती होती है वह जापान थाईलैंड तथा चीन में चावल की खेती की मात्रा का एक तिहाई होती है। जापान थाईलैंड एवं चीन में एक हैक्टेयर क्षेत्र में प्रतिवर्ष 6 टन चावल उगाया जाता है किन्तु भारत में 1 हैक्टेयर क्षेत्र में केवल 2 टन चावल उगाया जाता हैं। भारत में हमारे द्वारा उगाये गये चावल की मात्रा की तुलना में यह तिगुनी है। यद्यपि हमारे वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान में प्रशिक्षित हैं, फिर भी गांवों तथा नगरों में बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि हमारी चावल खेती इतनी पिछड़ी हुई है। मुझे यह सूचना संयोग अथवा रूचि से प्राप्त हुई क्योंकि मैं सभी प्रकार की पुस्तकों को पढ़ता हूं। मेरे मित्र—मैं उनके नाम का उल्लेख कर दूं—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डा० दक्षिणामूर्ति ने इस तथ्य के बारे में मुझे बताया। उन्होंने मुझे सूचित किया कि भारत में हम प्रति हैक्टेयर भूमि में केवल दो टन चावल उगाते हैं जबकि जापान, थाईलैंड तथा चीन में 6 टन चावल प्रति हैक्टेयर उगाया जाता है। मैंने उनसे पूछा कि वह मुझे बताये कि हम अपनी खेती में इतना कम चावल क्यों प्राप्त करते हैं। उन्होंने मुझे सूचित किया कि चावल की खेती करने का जो तरीका भारत में दो हजार वर्ष पहले अपनाया जा रहा था अब भी वही है।

इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि जापान, थाईलैंड और चीन में पुनः रोपण के पश्चात चावल क्षेत्रों में पानी बहने नहीं दिया जाता। किन्तु भारत में पुनः रोपण के पश्चात चावल क्षेत्रों में पानी बहने दिया जाता है। भूमि का उपजाऊपन धान की भूसी से दूर किया जाता है। अतः पुनः रोपण के पश्चात चावल क्षेत्रों से पानी न निकालने का एक तरीका है जिसे भारत में भी शुरू किया जाना चाहिये। इस तरीके को धान की खेती में अभी लागू नहीं किया गया है। मैं यह सुझाव दे रहा हूं क्योंकि डा० दक्षिणामूर्ति ने मुझसे इसका उल्लेख किया है। बेशक वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से सेवानिवृत होने वाले हैं—उनकी आयु 60 अथवा 58 की हो गयी है। किन्तु उनकी ओर से प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं महसूस करता हूं कि भारत सरकार को धान की खेती का बुनियादी अनुसंधान कार्यक्रम बनाना चाहिये और चावल की खेती करने वालों को सूचित किया जाना चाहिये कि बाहर के देशों में यह सब कुछ कैसे किया जा रहा है।

[श्री पी० वी० जी० राजू]

इसके अतिरिक्त डा० दक्षिणमूर्ति ने मुझे सुचित किया है कि कुछ समय पूर्व फोर्ड फाऊन-डेशन देश भर में चावल/धान खेती योजना शुरू करना चाहता था। किन्तु किसी कारण से, जिसे भारत सरकार जानती है, इसे शुरू नहीं किया गया। मैं महसूस करता हूं कि हमें धान की खेती के सम्बन्ध में अधिक अनुसंधान करने के लिये काफी अधिक शक्ति तथा संसाधनों को लगाना चाहिये, जिसे हम अपने देश में नहीं कर रहे हैं। यदि हम जापान, चीन तथा थाईलैंड द्वारा उत्पादन किये जा रहे चावल का केवल एक तिहाई उत्पादन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि भारत में हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिये।

एक अन्य बात है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा और वह यह है कि हमारे यहां दो प्रकार की खेती होती है—सिंचाई द्वारा खेती तथा शुष्क खेती। जहां तक शुष्क खेती का संबंध है, गेहूं को एक शुष्क फसल समझा जाता है। मैं आन्ध्र प्रदेश में हूं और मेरा सोचने का तरीका यह है कि गेहूं एक शुष्क फसल है। किन्तु पंजाब में गेहूं की फसल की प्रति वर्ष पांच बार सिंचाई की जाती है। इसलिए सिद्धान्त रूप से गेहूं एक शुष्क फसल नहीं है और फिर भी भारत में गेहूं न खाने वालों को यह तथ्य इस दृष्टि से ज्ञात नहीं है कि यदि आप मुझे बतायें कि गेहूं एक सिंचित फसल है, क्योंकि इसकी पांच बार सिंचाई होती है, तो मैं कहूंगा 'आपको किसने ऐसा बताया'। अतः मैं यह कहूंगा कि अब की अपेक्षा सामान्य जनता को कृषि के सम्बन्ध में अधिक सामान्य सूचना उपलब्ध की जानी चाहिए। भारत में जनता को वैज्ञानिक अभिप्राय से सामान्य सूचना उपलब्ध नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि लोगों के पास सिंचाई और अन्य बातों के बारे में सामान्य सूचना तथा जानकारी नहीं है किन्तु हम इस बुनियादी तथ्य को, कि गेहूं की फसल की कम से कम चार या पांच बार सिंचाई की जाती है, उत्तरी क्षेत्र से बाहर के लोग नहीं जानते।

अतः गेहूं का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों की, अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और इस प्रकार के अन्य स्थानों को सिंचाई करने के हेतु क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि हम सहकारी छिड़काव करने वाली सिंचाई समितियां बनायें ? मैंने 'सहकारी' शब्द को प्रयुक्त किया है क्योंकि जहां गेहूं की खेती की जाती है वहां सतही क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए छिड़काव सिंचाई अनिवार्य है। यदि सतही क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, तो हम उत्पादन किये जा रहे फसल को दो तिहाई तक अथवा आधे तक बढ़ा सकते हैं। यह मैं महसूस करता हूं। अतः छिड़काव करने वाली सिंचाई अनिवार्य है और भारत सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

अब, किस प्रकार छिड़काव करने वाली सहकारी सिंचाई समिति बनायी जाये, यह एक प्रश्न है जो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नहीं जानता हूं। मैं एक सहकारिता विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं तो केवल वहां कह सकता हूं जो मैं इस मामले में महसूस करता हूं। अतः छिड़काव करने वाली समितियां बनाई जानी चाहियें।

एक बात और भी है कि दो शुष्क फसल होती हैं। उनमें एक को हम 'मक्का' कहते हैं। जिसको अमरीकी लोग 'कार्न' कहते हैं। अब मक्का की खेती के सम्बन्ध में मुझे बताया गया है कि जिस प्रकार बोरलाग स्वामीनाथन 'हरित क्रान्ति' लाये थे, अमरीका में उन्होंने 'उपाक कार्न'

के रूप में ज्ञात एक नये प्रकार के मक्के का आविष्कार किया था। इस नये प्रकार के मक्के में 10 प्रतिशत प्रोटीन होते हैं और इसकी गुल्ली में 2 प्रतिशत से तीन प्रतिशत तक प्रोटीन होते हैं। अमरीका में इस गुल्ली को पशु चारे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और भुस्सी को, जिसमें 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक प्रोटीन होते हैं, मानव खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अतः, इस प्रकार के 'उपाक कार्न' अथवा 'उपाक मक्का' को जिसका आविष्कार अमरीका में किया गया है, भारत में लाया जाना चाहिए और हमें प्रयोगात्मक आधार पर इसे उगाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या भारत में इसका उत्पादन सफलतापूर्वक किया गया था अथवा उत्पादन किया जा सकता है, किन्तु यदि इसको उगाया नहीं गया है, तो मैं, यह चाहूंगा कि 'उपाक मक्का' जैसाकि बोरलाड गेहूं को भारत में लाया गया था और हमारे यहां 'हरित क्रान्ति' हो गई थी, (स्वामीनाथन के बोरलाग संश्लेषण) को भारत लाया जाना चाहिए।

एक बात और भी है जिसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। मैं महसूस करता हूं कि भारत में डेयरी अथवा दुग्ध उत्पादन को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वास्तव में सरकार द्वारा दुग्ध को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। बिनौले के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाकर के दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। बिनौला गायों का बुनियादी चारा है और मैं यह चाहूंगा कि भारत सरकार सारे मामले पर ध्यान दे और बिनौले की खल्ली के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये। इस समय बिनौले की खल्ली को पिराई की जाती है और बिनौले की खल्ली से तेल निकाला जाता है। मैं वनस्पति विरोधी नहीं हूं, किन्तु, मैं महसूस करता हूं कि वनस्पति के कुछ मिल मालिक बिनौले के तेल को वनस्पति के साथ मिला कर मुझ जैसे तथा अन्य लोगों को बेच देते हैं जो चपातियों को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो कि स्वास्थ्य के प्रतिकूल है। अतः, बिनौले के तेल की पिराई नहीं की जानी चाहिए और उसे बनस्पति के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए और बिनौले की खल्ली को विदेश को निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुझे बताया गया है कि सारा योरोप बिनौले की खल्ली को खरीदता है और इसको सुअरों तथा मुर्गियों आदि के चारे के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जाने के पश्चात संसाधित किए बिनौले तथा बिनौले की खल्ली को पशुओं और दुग्ध पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। हमें बिनौले अथवा बिनौले की खल्ली को भारत से निर्यात करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : अब इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

श्री पी० वी० जी० राजू : श्री स्वामीनाथन कहते हैं कि इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। यदि इसकी अनुमति नहीं दी जाती, तो बहुत अच्छी बात है।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हम भारतीय विचित्र लोग हैं। मैं 'विचित्र' शब्द का का उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एक हिन्दू हूं और मैं गोमांस नहीं खाता और हमारे मुसलमान मित्र सूअर का मांस नहीं खाते। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें गोमांस खाना चाहिए

[श्री जी० वी० जी० राजू]

और हमारे मुसलमान मित्रों को सूअर का मांस खाना चाहिए । मुझे भय है, भारत के मुसलमानों तथा हिन्दुओं को यह समझ लेना चाहिए कि विश्व में सूअर के मांस तथा गोमांस की सबसे अधिक मांग हैं । यदि मैं गोमांस तथा सूअर के मांस के लिए विश्व मांग की बात करता हूं, तो ये लोग ये समझ सकते हैं कि मैं यह कह रहा हूं कल से हम सबको गोमांस अथवा सूअर मांस खाना चाहिए और वे कहेंगे कि राजू अज्ञेयवादी है और आदि आदि । मैं तो केवल इस वक्तव्य को वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित करने का प्रयास कर रहा हूं । अतः मित्रों को समझना चाहिए कि सूअर मांस तथा गोमांस विश्व के दो बुनियादी मांस उत्पाद हैं ।

मेरा विचार है कि जहां तक पशुपालन का सम्बन्ध है, अनुसंधान के लिए हमारे पास और अधिक संसाधन होने चाहिए । मुझे बताया गया है कि इजतनगर में, उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान है । मैं उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित नहीं हूं, मैं आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित हूं । मैं आपको इस यूनिट को उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित करने के लिए नहीं कहता मैं ऐसा कहने वाला आन्ध्र प्रदेश का राजनीतिज्ञ नहीं हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा इजतनगर को अधिक धन दिया जाना चाहिए ताकि भेड़ पालन तथा बकरी पालन को बन्द रखकर उनके विकास पर और अधिक अनुसंधान किया जा सके । मैं 'बन्द रखकर' शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुर्गी पालन एवं सूअर पालन बन्द रख कर किया जाता है ? किन्तु, मुझे भय है कि भारत में बकरी और भेड़ का उपयोग इस तरह से किया जाता है कि सैकड़ों एकड़ भूमि में दो बकरियां होंगी और दो भेड़ों को 10 एकड़ में चराया जायेगा । अतः इजतनगर केन्द्र को भेड अथवा बकरी की, जिन्हें बन्द रखकर पाला जा सके तथा व्यापक रूप से पेश किया जा सके, किस्म के विकास करने के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिए और अधिक धनराशि दी जानी चाहिए, क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और मेरा विचार है कि आगामी वर्षों में प्रोटीन गृहणता भी बढ़ जायेगी । इजतनगर जैसी प्रोटीन संस्थाओं की देश भर में स्थापना की जा सकती है । भारत सरकार द्वारा पशु चिकित्सा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

मैं मत्स्य पालन के बारे में सुनी हुई बात का उल्लेख करके समाप्त करना चाहता हूं । मेरे बंगाली मित्रों की मत्स्य पालन में रुचि होगी···(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : हमें भी इसमें रुचि है । मैं मत्स्य पालन में रुचि रखता हूं । समुद्री मछली खाता हूं जो बंगाली नहीं खाते हैं । वे ताजा पानी वाली मछली खाते हैं ।

जहां तक ताजे जल में मत्स्यपालन का सम्बन्ध है, फिलीपाईन्स में पाली जा रही बन्द रखकर मछली को चावल की चोकर चारे के रूप में दी जाती है । जहां तक मुझे ज्ञात है भारत में बन्द रखकर पाली जा रही मछलियों को चारे के रूप में चावल का चोकर नहीं दिया जा रहा है । ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, फिलीपाईन्स तथा थाईलैंड में जो कुछ किया जा रहा है, इस बारे में सूचना का प्रचार भारतीय मत्स्य पालन करने वालों में प्रचार क्यों नहीं किया गया ? यह एक बात है ।

दूसरी बात यह है जो बताना चाहूंगा कि जापान में बहुमन्जिला भवनों में बहते हुए पानी तथा पम्प के जल में मत्स्यपालन किया जाता है । न केवल एक मंजिल में, बल्कि तीन या चार या पांच मंजिलों में जहां पम्प का पानी उपलब्ध होता है और 6×1 क्षेत्र में 3½ किलोग्राम की मछलियां प्रति वर्ष प्राप्त की जाती हैं । इसका अर्थ है, जहां तक बंगाली मित्रों का सम्बन्ध है, कलकत्ता में खुदरा बाजार में मछली 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है—यह समझ लिया जाये एक किलोग्राम मछली 12 रुपये में बिकती है, तो मत्स्यपालन से एक वर्ग फुट क्षेत्र से प्रति वर्ष 40 से 44 रुपये के बीच प्राप्त होगा । अतः 80 रुपया प्रति वर्ग फुट से एक बहुमंजिल भवन का निर्माण करके आपको 50 प्रतिशत की आय प्राप्त होगी । किन्तु हमारे बैंक मत्स्यपालन के लिए ऋण नहीं देते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि मत्स्यपालन एक वाणिज्यिक कार्य नहीं है । मैं नहीं जानता कि बंगाली मित्र बंगाल बैंकों से क्यों नहीं कहते कि वे मित्रों को मत्स्यपालन का कार्य करने के लिए ऋण दें ।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : क्या मत्स्य पालन के लिए बहुमंजिले भवन बनाये जाते हैं ?

श्री पी० वी० जी० राजू : यही मेरी जानकारी है ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय : मैंने एक घोषणा करनी है ।

कृषि और पुनर्निर्माण मन्त्रालयों से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों के कटौती प्रस्तावों की संख्या की एक सूची को, जिसे सम्बन्धित सदस्यों से प्राप्त स्लिपों के आधार पर पेश किया गया समझ लिया गया है, सदस्यों की सूचनार्थ नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है ।

यदि किसी सदस्य को सूची में किसी प्रकार की गलती का पता चले, तो वह इसे कृपया तुरन्त पटल अधिकारी के ध्यान में लायें ।

कटौती प्रस्तावों का पाठ

श्री ई० के० इम्बीचीबावा (कालीकट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें" ।

आसाम केन्द्रीय फार्म के सम्बन्ध में मध्यस्थता पंचाट का लागू न किया जाना और भारतीय फार्म निगम की सिफारिश के अनुरूप फार्म को कार्य न सौंपना । **(17)**

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मीन उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

उत्तर बिहार में बहने वाली नदियों में, तालाबों, गांव के पोखरों, पुराने नदी मार्गों और उत्तर बिहार में बहने वाली नदियों में बड़े पैमाने पर मीन उद्योग के विकास की आवश्यकता । **(93)**

[श्री भोगेन्द्र झा]

"कि पशु पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा और अन्य क्षेत्रों में डेरी कार्य का आधुनिक स्तर पर विकास करने में असफलता। (94)

"कि पशु पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बिहार में मुर्गीपालन के बड़े पैमाने पर विकास की आवश्यकता। (95)

"कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

देश भर में सड़क के दोनों ओर सड़कों, रेलों और नदियों के दोनों ओर अनिवार्यतः पेड़ लगाने की आवश्यकता। (98)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

अनाज के थोक व्यापार का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। (99)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

नगरों, गांवों और औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धन वर्ग को सस्ते मूल्य पर अनाज देने में असफलता। (100)

"कि खाद्य विभाग के शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

किसानों से उत्पादन के क्रय मूल्य और उपभोक्ताओं को बिक्री मूल्य के बीच अधिक से अधिक 15 प्रतिशत अन्तर रखने की आवश्यकता। (101)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

सरकारी अभिकरणों द्वारा उचित मूल्य पर किसान के उत्पादन खरीदने की आवश्यकता ताकि उन्हें मजबूरन अनाज बिक्री न करना पड़े। (102)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बिहार में रेयन, लोहट, साकरी और अन्य चीनी मिलों के आधुनिकीरण तथा विस्तार की आवश्यकता। (133)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपये कम किये जायें।"

बिहार के मधुबनी जिले में माधेपुर में दुग्ध उत्पाद फैक्टरी को अपने हाथ में लेकर चलाने की आवश्यकता। (159)

श्री दौलत राम सारण (चुरु) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

किसानों की फसल को अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, अकाल, ओलों, शीत लहर और गर्मी की लहर आदि से बचाने के लिए फसल बीमा लागू करने में असफलता। (160)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

असिंचित और शुष्क क्षेत्रों में कृषि विकास करने में असफलता। (161)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सरकार द्वारा सहकारी समितियों के आचार, स्वरूप और अधिकारों में लगातार परिवर्तन किये जाने से सहकारी आन्दोलन को पहुंची हानि। (162)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सहकारिता के आधार पर कृषि उत्पादों के उत्पादन, क्रय-विक्रय, खरीद और वितरण का पुनर्गठन करने में असफलता। (163)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

कृषि मंडियों में बोली लगाने की प्रथा को बन्द करके किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने में असफलता। (164)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

किसानों को सस्ती दरों पर बिजली, डीजल, कीटनाशी दवाइयां और कृषि उपकरण देने की आवश्यकता। (165)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

राजस्थान में कृषि विकास और कृषि पर आधारित उद्योग लगाने के लिए धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (166)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

सूरतगढ़ फार्म में बहुत व्यय करने पर भी कम उत्पादन होने के तथ्यों की जांच करने की आवश्यकता। (167)

[श्री दौलतराम सारण]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रासायनिक उर्वरकों के आयात पर बढ़ रही निर्भरता को रोकने की आवश्यकता। (168)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक और कीटनाशी दवाइयां देने का आवश्यकता। (169)

"कि पशु पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

बीकानेर डेरी में कदाचार और किसानों के शोषण को रोकने की आवश्यकता। (170)

"कि पशु पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

संकर किस्म के पशुओं को खरीदने की अन्धाधुन्ध दौड़ के कारण देशी पशुओं की उन्नत नस्ल कम होने को रोकने की आवश्यकता। (171)

"कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

वनों में उपलब्ध वनोषधियों को एकत्र करके उनका विकास करने की प्रणाली बनाने में असफलता। (172)

"कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

राजस्थान के मरुस्थल में वायु द्वारा भू-स्खलन को रोकने के लिए कोई योजना बनाने में असफलता। (173)

"कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

राजस्थान के मरुस्थल को रोकने के लिए एक केन्द्रीय और व्यापक वनरोपण योजना बनाने की आवश्यकता। (174)

"कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

राजस्थान में वनों की अन्धाधुन्ध कटाई को रोकने में असफलता। (175)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद के मामले में अनियमितताओं और अनुचित कार्य को रोकने की आवश्यकता। (176)

"कि कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

शुष्क खेती के क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता। (177)

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

राष्ट्रीय कृषि मूल्य और खरीद नीति में तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने में असफलता। (178)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

गरीब किसानों को सस्ती दरों और रियायती दरों पर कृषि आदान देने में असफलता। (179)

"कि मीन उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

देश में प्रत्येक पंचायत में एक मत्स्य पालन केन्द्र खोलने में असफलता। (180)

"कि पशु पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में लघु और सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों के सहायक पेशे के रूप में डेरी और मुर्गी पालन का बड़े पैमाने पर विकास करने की आवश्यकता। (181)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए किए जायें।"

मुख्य अनाज, दालें, नमक, चीनी, वस्त्र, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, डीजल, माचिस, कागज, कपड़े धोने के साबुन, आदि को एक समान मूल्य पर बेचने के लिए व्यापक वितरण प्रणाली लागू करने में असफलता। (182)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए किए जायें।"

चीनी तथा अन्य खाद्य दुर्लभ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने में असफलता। (183)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए किए जायें।"

अनाज के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। (184)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए किए जायें।"

बिचौलियों तथा उनके द्वारा कमाए जाने वाले लाभ को समाप्त करने के लिए भारत खाद्य निगम द्वारा उत्पादकों से सीधे ही अनाज, कपास, और गन्ना खरीदने में असफलता। (185)

[श्री गदाधर साहा]

"कि पशु पालन तथा डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय स्थापित करने की आवश्यकता। (188)

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि सहकारिता मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

कृषि प्रयोजनों के लिये मिट्टी तथा जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने में असफलता। (186)

"कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

उन किसानों को क्षतिपूर्ति देने में असफलता जिनकी हजारों हैक्टेयर जमीन फरक्का बांध परियोजना के कारण डूब गई है। (189)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

ऐसे उपाय अपनाने में असफलता, जिनसे गन्ना और कपास उत्पादकों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। (190)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

अनाजों के मूल्यों को स्थिर करने के लिये सुरक्षित भंडार रखने में असफलता। (191)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

अनाज की जमाखोरी के विरुद्ध उचित उपाय अपनाने में असफलता। (192)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

चीनी की दोहरी नीति समाप्त करने में असफलता। (280)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

चीनी के मूल्य कम करने में असफलता। (281)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

गन्ने का मूल्य 20 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने में असफलता। (282)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

चीनी उद्योगपतियों के साथ सन्धि की नीति समाप्त करने में असफलता। (283)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

चीनी मिलों को अपने निजी कृषि फार्म रखने का अधिकार देना तथा उन पर भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम लागू न होना। (284)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता की व्यवस्था करने में असफलता। (285)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

अनाजों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। (286)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

किसानों को उनके उत्पादों का समर्थन मूल्य दिलाने में असफलता। (287)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"

उत्पादकों से नाफेड द्वारा 60 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीदने में असफलता। (288)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

कृषि उत्पादन के लिये किसानों को सहायया देने में असफलता। (289)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

देश के अधिकांश भागों में भूमि हदबन्दी, काश्तकारी तथा अन्य अधिनियमों को पूरी तरह प्रवर्तित करने में असफलता। (3)

[श्री भोगेन्द्र झा]

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

विभिन्न कर्ज मुक्ति तथा कर्ज राहत अधिनियमों समेत सूदखोरी विरोधी अधिनियमों को पूरी तरह प्रवर्तित करने में असफलता। (4)

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत में 100 रुपये कम किये जायें।"

ग्रामीण गरीबों के लिए ग्रामीण आवास योजना के अधीन मकानों के निर्माण के लिये सहायतानुदान और सहायता के लिये उपबन्ध करने की आवश्यकता। (43)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत में 100 रुपये कम किये जायें।"

कृषि उत्पादों के भंडारण के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु पर्याप्त उपबन्ध करने की आवश्यकता। (44)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत में 100 रुपये कम किये जायें।"

भूमि सीमा विधियों को लागू कर फालतू भूमि भूमिहीन कृषि श्रमिकों में बांटने में असफलता। (45)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत में 100 रुपये कम किये जायें।"

भूमि सीमा कानून लागू करने पर फालतू भूमि के अलाटियों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत राज्यों को पर्याप्त सहायतानुदान देने में असफलता। (46)

श्री दौलत राम सारण (चुरु) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

चुरू जिले के उन गांवों तथा रेगिस्तान इलाकों में पेय जल की व्यवस्था करने की आवश्यकता जहां खारा पानी उपलब्ध है। (49)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

चुरू जिले में ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम बनाते समय व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ पशुओं की संख्या को भी सम्मिलित करने में असफलता। (50)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

चुरू जिले में बैसी स्कीमें शुरू करने में असफलता जिनसे ग्रामीण व्यक्तियों को स्थायी रोजगार मिले। (51)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

राजस्थान के चुरू जिले में ग्रामीण विकास की उपेक्षा। (52)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।"

चुरू जिले के गांवों तथा राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में लिंक रोड बनाने की आवश्यकता। (53)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

चुरू जिले तथा राजस्थान के गांवों में सार्वजनिक शौचालय तथा सेनिटेशन बनाने के लिए निधियों की व्यवस्था करने में आवश्यकता। (54)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

गांवों में गृह विहिनों के लिए मकान बनाने हेतु निधियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (55)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

राजस्थान के चुरू जिले में गांवों को विद्युतीकृत करने की आवश्यकता। (56)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाये।"

ग्रामीण उत्थान तथा पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (57)

'कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाये।"

ऋणग्रस्त गरीब ग्रामीणों को निजी तथा सहकारी ऋणों से मुक्त करवाने में असफलता। (58)

श्री जयनल अबेदिन (जंगीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

बड़े जमीदारों द्वारा भूमि के बेनामी हस्तांतरण का पता लगाने के लिए उचित उपायों के अपनाने में असफलता। (70)

[श्री जयनल अबेदिन]

'कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाये।"

भूमि और अन्य ग्रामीण सम्मदा का कुछ हाथों में इकट्ठे होते चले जाने को रोकने में असफलता। (71)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

भूमि की अधिकतम सीमा से अधिक भूमि को भूमिहीन किसानों में बांटने में असफलता। (72)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाये।"

बाढ़, सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाली हानि के लिए लघु तथा सीमान्त कृषकों को प्रतिपूर्ति राशि देने में असफलता। (73)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

बटाईदारों को बेदखली से बचाने में असफलता। (106)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

गांवों में धनी व्यक्तियों द्वारा गरीबों को सताने से बचाने में असफलता। (107)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

ग्रामीणों की दशा सुधारने के लिए क्रांतिकारी भूमि सुधार कानून बनाने में असफलता। (108)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

राज्यों द्वारा बनाए गए भूमि हदबन्दी कानून को लागू करने के संबंध मे निदेश देने में असफलता। (109)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

गांवों में पूंजीवादी कृषि ढांचे पर रोक लगाने में असफलता। (110)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए सहायता देने में असफलता। (111)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सभी गांवों को सड़क से जोड़ने में असफलता। (112)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

गांवों में कर्ज गुलामी को समाप्त करने में असफलता। (113)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने में असफलता। (114)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों के शोषण को रोकने में असफलता। (115)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

भूमि हदबन्दी के फलस्वरूप प्राप्त फालतू जमीन को कृषि मजदूरों तथा गरीब किसानों में बांटने में असफलता। (116)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

गांवों में व्याप्त घोर गरीबी को दूर करने में असफलता। (117)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

अकाल तथा सूखा पीड़ित राज्यों को राहत कार्य चलाने के लिए पर्याप्त बिजली देने में असफलता। (118)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सभी गांवों के विद्युतीकरण करने की योजना को पूरा करने में असफलता। (119)

[श्री रामावतार शास्त्री]

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

काम के बदले अनाज योजना को पूरा करने में असफलता। (120)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

काम के बदले अनाज योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने में असफलता। (121)

"कि ग्रामीण पनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

गांवों में बुनकरों की दयनीय दशा को सुधारने में असफलता। (122)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

लघु तथा सीमान्त किसानों को उनकी दशा सुधारने के लिए सभी सम्भव सहायता देने में आवश्यकता। (123)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

गांव में सामन्तवादी अत्याचारों को समाप्त करने में असफलता। (124)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

गांवों के आर्थिक पुनर्निर्माण करने में असफलता। (125)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

गांव में कुटीर उद्योगों का विकास करने में असफलता। (126)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

गांव में हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए मकान की व्यवस्था करने में असफलता। (127)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

गांव में भूमि के विकेन्द्रीकरण करने में असफलता। (128)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

बिहार के गांवों में सहकारिता आंदोलन का विकास करने की आवश्यकता। (129)

"कि ग्रामीण पूनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

गांव में सहकारिता आंदोलन में व्याप्त कदाचार को दूर करने में असफलता। (130)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

गांव के सर्वांगीण विकास के लिए पंचायतों को और अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता। (131)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

पंचायतों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता ताकि वे अपनी भूमिका ठीक से निभा सकें। (132)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

गांव में खादी तथा ग्रामोद्योग का विकास करने की आवश्यकता। (133)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने में असफलता। (134)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

बिहार के गांवों में बिजली की व्यवस्था करने में असफलता। (135)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

बिहार के सभी गांवों में विद्युतीकरण करने में असफलता। (136)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

गांवों में बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने में असफलता। (137)

[श्री रामावतार शास्त्री]

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माग में 100 रुपए कम किए जाये।"

केरल की भांति निर्धन ग्रामीणों को मुफ्त बिजली की सप्लाई करने की आवश्यकता। (138)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

गांवों में और नलकूप लगाने में असफलता। (139)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

बिहार के सभी जिलों एवं प्रखण्डों में महाजनी व्यवस्था के शिकंजों को तोड़ने में असफलता। (140)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

बिहार के सभी जिलों एवं प्रखंडों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने में असफलता। (141)

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

गांवों में निर्मित माल के लिये विपणन सुविधा की व्यवस्था करने में असफलता। (142)

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : मान्यवर, हमारे स्वतन्त्रता संग्राम का एक सबसे बड़ा नारा था, लैंड टू दि टिलर, जमीन जोतने वालों के हाथ में हो। 33 साल की आजादी के बाद भी वह सपना पूरा नहीं हुआ। इसके लिए जिम्मेदार 30 साल की कांग्रेस सरकार और लगभग 3 साल की जनता पार्टी और लोकदल की सरकारें है और आज पिछले छः महीने से कांग्रेस (आई) की सरकार है। कांग्रेस महा-सम्मेलनों, विधानसभाएं और मेहदवरी की घोषणाएं की गईं, परन्तु सब ढकोर शेख रहे।

मैं जानता हूं कि हमारे पड़ौसी देश चीन ने 1949 के बाद, दस साल के अन्दर ही इस समस्या का पूरा समाधान कर दिया लेकिन 33 साल के अन्दर भी हम इस काम को नहीं कर सके। इसी कारण 1948 में तेलंगाना का सशस्त्र किसान विद्रोह और 1966 में नक्सलवादी किसान विद्रोह हुए थे। विकल्प तो दो ही हैं—सशस्त्र विद्रोह या शान्तिपूर्ण समाधान। इस समस्या के समाधान के लिए श्री विनोबा भावे ने एक आन्दोलन 1951 में चलाया लेकिन वह भी पूरी तरह से असफल हो गया और श्री विनोबा भावे थक कर, निराश होकर पौनार आश्रम में बैठ गए। उनका लक्ष्य था 5 करोड़ जमीन दान में प्राप्त करना और इस समस्या का शान्तिपूर्वक और अहिंसात्मक हल निकाल लेना लेकिन कागजों में भी जो उनको जमीन मिली, वह

40 लाख एकड़ से ज्यादा नहीं थी और उसमें से केवल 15 लाख एकड़ जमीन लोगों में बांटी जा सकी।

देश में 215 लाख एकड़ अनुमानित फाजिल जमीन है। परन्तु इसमें 10.13 लाख एकड़ का ही बटवारा किया जा सका है। बाकी जमीन का कोई पता ही नहीं है लक्ष्य तो बहुत ही दूर रह गया।

जमीन के मसले को तेलंगाना के इलाके में 1948 से 1952 के बीच में वहां के कम्युनिस्टों ने हल किया था। करीमगंज, नालगौंडा, वारंगल और सूर्य्यपेठ चार जिलों की 26 लाख एकड़ जमीनें बड़े-बड़े भूस्वामियों और जमींदारों से छीन कर उन्होंने खेतिहर मजदूरों, हरिजनों और गिरिजनों में बांट दी थी। साढ़े चार हजार की उनकी लाल सशस्त्र फौज ने अपनी ताकत के बल पर उनकी रक्षा की थी। लेकिन नेहरू और पटेल की सरकार के 35 हजार सैनिकों ने वहां घुसकर उन साढ़े चार हजार सैनिकों से टक्कर ली और उस संघर्ष में साढ़े छः हजार कम्युनिस्ट सैनिकों ने अपना बलिदान किया। वह सारी जमीन सरकार के इन सैनिकों ने गरीबों से छीन कर फिर से पुराने भूस्वामियों और मालिकों को वापस कर दी।

मान्यवर, पिछले 33 साल से यह समस्या जहां की तहां रह गयी है। इसलिए मैं सबसे पहले इसी विषय की ओर आपका, सरकार का और राष्ट्र का ध्यान खींचना चाहता हूं। हमारे देश में जमीन का कितना विषम बंटवारा आज भी देखने को मिलता है। 33 साल की आबादी के बाद चार परसेंट खुशहाल किसान 33 फीसदी जमीन के मालिक हैं और 50 फीसदी गरीब और सीमांत किसान केवल 8 फीसदी जमीन के मालिक हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तो ये 50 फीसदी छोटे किसान केवल 4 फीसदी जमीन के ही मालिक रह गये हैं। धीरे-धीरे खेत मजदूरों की संख्या साढ़े तीन करोड़ से बढ़कर पांच करोड़ तक पहुंच चुकी है। उनमें हजारों-लाखों को बेगार करनी पड़ती है।

मान्यवर, श्रीमती इन्दिरा गांधी के राज की शुरू से लेकर आखिर तक की बात को अगर देखा जाए अर्थात इंदिरा-दशाब्दी में तो आपको पता चलेगा कि पहले जो बड़े फारमर 23 हजार थे वे बढ़ कर 28 हजार हो गये हैं। किसान वर्ग की संख्या 71 फीसदी से घट कर अब केवल 63 फीसदी रह गयी है। खेत मजदूरों की संख्या 17 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी हो गयी है। करीब-करीब आज उनकी संख्या पौने पांच या पांच करोड़ तक पहुंच चुकी है जो इंगलैंड की आबादी के आधे से अधिक हैं। वे लोग जो फुटपाथ वासी कहलाते हैं उनकी संख्या 80 लाख से सवा करोड़ लोग ही थे और अब तो वह और बढ़ कर डेढ़ करोड़ हो गयी है। बंधुआ मजदूरों की संख्या इन आंकड़ों के हिसाब से तीस लाख है।

श्री आनन्द सिंह (गोंडा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये आंकड़े कहां से लिए गए हैं ? ये आंकड़े हम भी देखना चाहेंगे।

सभापति महोदय : ये सारे आंकड़े लाइब्रेरी में हमारे रिकार्ड में हैं।

श्री झारखण्डे राय : मान्यवर बीस सूत्री प्रोग्राम को भी देखा जाए। एमर्जेंसी के जमाने में उसकी बड़ी चर्चा की गयी। खेतिहर मजदूरों और हरिजनों को जमीनें देने की बात की गयी।

[श्री झारखण्डे राय]

केवल हमारे उत्तर प्रदेश में, केवल कागज पर 12 लाख एकड़ जमीन हरिजनों को दी गयी लेकिन वास्तव में वह जमीन उन्हें नहीं मिली। या तो उन्हें पट्टा ही नहीं मिला, अगर मिला भी तो वह केवल कागज पर ही मिला। जमीन पर कब्जा उन लोगों को नहीं मिल पाया। आज भी उस जमीन पर उनका कब्जा नहीं है। वस्तुतः नाम मात्र जमीन भूमिहीनों को मिली। 90 फीसदी जमीन पर कब्जा दूसरों का है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो सका। इसलिए सरकार का ध्यान इस ओर अब तो जाना चाहिए। विकास की सारी योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं सब अधूरी रह जाएंगी अगर मूल समस्या का समाधान नहीं होगा, अगर हम उस सिद्धांत को कि 'लेण्ड टू दि टिलर्स' को पूरा नहीं करेंगे। तथाकथित हरित क्रान्ति से भूमि वितरण की विषमता और बढ़ी है, और इस समस्या ने अधिक उग्ररूप धारण कर लिया है। हदबन्दी के 1979 तक केवल 10 लाख हेक्टेयर जमीन ही मिली थी। इसमें केवल आधी जमीन ही वितरित की जा सकी। मजदूरों का इसमें चौथाई पर भी कब्जा नहीं हो सका है। इसलिए मंत्री महोदय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

स्वतन्त्रता के बाद के ही पूंजीवादी विकास पथ पर चलने का कुपरिणाम देश को और समाज को भुगतना पड़ रहा है। इसके कुपरिणाम समाज के जीवन और अर्थ नीति और राजनीति के हर क्षेत्र में बुरी तरह दिखाई पड़ रहे है। इसका असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ा है। देहात की विकास योजनाओं के जरिये, पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, बजट के जरिये जो भी पैसा गया है आप विश्वास करें उसका नब्बे प्रतिशत पैसा समाज के केवल पांच दस प्रतिशत लोगों के पास पहुंचा है और जितने नीचे की सतह के लोग हैं उनको लाभ कम होता गया है और सबसे नीचे स्तर वाले लोगों को तो उसका लाभ नहीं के बराबर पहुंचा। इंदिरा-दशाब्दी के आंकड़े मैं देता हूं। इससे पहले 36 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते थे। अब गरीबी की रेखा की परिभाषा भी बड़ी भयंकर है कि दशाब्दी के अन्त तक वह सख्या बढ़ कर 46 प्रतिशत हो गई। जनता पार्टी शासन की समाप्ति तक वह पचास प्रतिशत हो गई है। श्री चरण सिंह कहते थे कि 55 प्रतिशत हो गई है। कहने का मतलब यह है कि गरीबी बढ़ती जा रही है और अमीर तथा गरीब एवं अमीर तथा मध्यम वर्ग के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है। सारी विकास योजनाओं का अगर यही फल निकलना है कि गरीब-गरीब होते जाएं और अमीर-अमीर तो इन विकास योजनाओं से क्या लाभ ? यही प्रक्रिया चल रही है 33 साल से। इसको रोका नहीं जा रहा है। एक सीमा तक भी नहीं रोका जा रहा है। सारी योजना या सारे बजटों से क्या फायदा ? 1947 में 22 करोड़ या 23 करोड़ वाले बिड़ला और टाटा अब 33 साल के बाद 14-14 सौ करोड़ के मालिक हो गए हैं। यह समाजवाद है या समाजवाद के साथ मखौल हो रहा है या हिपोक्रेसी है या आत्म-प्रवंचना है ? समाजवाद का गरीबों को नारा देकर उसी प्रकार से धोखा किया जा रहा है जिस प्रकार से प्यासे को एक घूंट पानी देकर उसको मारने से बचाने का बहाना किया जाता है या भूखे को रोटी का एक टुकड़ा देकर उसको मरने से बचाने का बहाना किया जाता है। ऐसा करके क्या दुनिया के साथ धोखा नहीं किया जा रहा है और अपने आपको धोखा

नहीं दिया जा रहा है ? मैं चाहता हूं, इन बुनियादी बातों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

हमारे एक नौजवान दोस्त अभी उधर से बोल रहे थे । इस तरह के लोगों से मैं कहूंगा कि अगर सचमुच शासकीय पार्टी के लोग कुछ उधर के और कुछ इधर के समाजवाद में जरा भी आस्था रखते हैं तो समाजवाद लाने के लिए उनको मिलकर आगे आना पड़ेगा और सरकार को सचमुच में कारगार कदम उठाने के लिए विवश करना पड़ेगा । ये कदम ऊपर से उठाने पड़ेंगे । टाटा बिड़ला ऐसे 100 एकाधिकारी घरानों को आगे बढ़ने का पूरा मौका देकर देहाती जीवन में भी विकास योजनाओं का लाभ उन्हीं को उठाने का मौका देकर मैं कहूंगा कि न तो शहरों से गरीबी को मिटाया जा सकता है तौर न ही देहातों से गरीबी को मिटाया जा सकता है । ऐसा करके जनता को आप अवश्य कुछ दिन तक धोखा दे सकते हैं लेकिन बहुत दिन तक नहीं देते रह सकते हैं ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । किसानों की लूट आज सामन्ती प्रथा के जरिये सीधे नहीं हो रही है । रंगा जी मुझ से सहमत होंगे । वह हिन्दुस्तान के बचे खुचे एक आध किसान नेताओं में से एक हैं जिन्होंने स्वामी सहजानन्द सरस्वती के नेतृत्व में काम किया है । दामों के उतार चढ़ाव की वजह से अब मुख्यतया किसानों की लूट होती है किसान को उचित दाम नहीं मिलता है । जनता पार्टी के ढाई वर्ष के शासन काल में चालीस अरब रुपया किसानों का लूटा गया है केवल दामों के उतार चढ़ाव में । कृषि उत्पादन के दाम तो नीचे लेकिस हर प्रकार के कारखानों में तैयार माल के जो कृषी उत्पादन पर आधारित थे, बहुत ऊचें । इस माल को किसान भी खरीदता है । एक असन्तुलन, एक बेतालमेल, एक असंमंजस्य, एक असमन्वय में किसान लुट रहा है । उसको बचाने का उपाय 33 साल तक हम नहीं कर सके है ; यह पूंजीवादी व्यवस्था के रहते सम्भव भी नहीं हैं, यह समझ लिया जाना चाहिये । खेत-मजदूरों की क्या राष्ट्रीय मागें है, उनका युद्धघोष क्या है । खेत-मजदूरों को जमीन दीजिये रहने के लिये और जोतने के लिये उनको उचित मजदूरी मिले । हम देखेंगे कि कम्प्रीहैंसिव बिल जो आप ला रहे हैं लैंड-लैस लेबरर्स के बारे में, उसमें क्या करते हैं । उसका क्या हश्र होता है ? खेत-मजदूरों और हरिजनों को सामाजिक उत्पीडन से मुक्ति दिला दीजिये ।

अभी सभापति आसन पर पटेल जी बैठे हुए थे, उनको टी०वी० ज्यादा पसन्द है बजाय रोटी के । रंगीन टी०वी० अच्छा है या रोटी, यह तो साठे साहब कह सकते हैं कि टी० वी० क्योंकि वह रोटी की चिन्ता से मुक्त है, लेकिन जिसको रोटी नहीं मिल रही है वह तो कहेगा कि रोटी मिले, टी०वी० नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं है ।

मानव शक्ति, मैन-पावर हिन्दुस्तान की चीन के बाद नम्बर दो पर है, उसका इस्तेमाल पूरी तरह से 33 साल में राष्ट्रीय स्तर पर समायोजित तरीके से नहीं किया जा सका है, न देहाती जीवन में और न शहरी जीवन में ।

[श्री झारखण्डे राय]

अब मैं अपने कुछ सुझाव पुनः देना चाहता हूं। कुछ प्रदेशों में, हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े गांवों को पक्की सड़कों के साथ कच्ची सड़कों के जरिये जोड़ा गया है। मेरा सुझाव है कि इन कच्ची सड़कों को रोड-साइंस के हिसाब से चौड़ी करके सीधी करके पक्की बना दीजिये।

पथ वृक्षा-रोपण की योजना अच्छी चली है। मैं चाहूंगा कि देश के कोने-कोने की हर सड़क के किनारे यह योजना लागू की जाये, राष्ट्रीय स्तर पर इससे सचमुच आम जनता और किसानों को लाभ होगा।

पूरे भारत में जितने प्रदेशों में पिछले साल अभूतपूर्व ऐतिहासिक सूखा पड़ा था, उन प्रदेशों के किसानों के उस साल के लगान और सारी की सारी बकाया, चाहे राज्य सरकार की हो या केन्द्र सरकार की या सहकारी संस्थान की, उन्हें माफ कर दिया जाए। चीनी मिलों पर जो किसानों की बकाया धनराशि है, हमारे प्रदेश के बहुत से किसान ऐसे हैं, उनको सरकार अपने खजाने से यह राशि दे दे और फिर उन पूंजीपतियों से मय-सूद के वसूल करे, यह मेरा सुझाव है।

सारे देश में फैले हुए पुराने सामन्तों, राजाओं और महाराजाओं के सागर हैं, तालाब, ताल तलैय्या या पोखर हैं, उनका पुनरुद्धार एवं जीर्णोद्धार होना चाहिए और इनको पूरक सिंचाई के साधनों के रूप में सुधारें। आज यह टूटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं लोग उनके किनारों पर खेती करते जा रहे हैं और उन पर कब्जा करते जा रहे हैं। आप नये-नये साधन सिंचाई के दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन साधनों को भी इनके पूरे रकबे पर सप्लीमेंटरी तरीके से चालू कीजिए और इनका पुनरुद्धार कराइए। हमारे देश में डेढ़ लाख गांव हैं जिसमें एक गांव में एक कुआं भी पीने के पानी का नहीं है। इधर उधर से गन्दा पानी पीकर लोग बीमारी के शिकार होते हैं। आजादी के 33 वर्ष बाद भी इन गांवों में से एक गांव में भी पक्का कुआं नहीं बनाया जा सका है, इससे ज्यादा असफलता और क्या हो सकती है ?

हमारे पूरे देश में लाखों हैक्टेयर में बीहड़ फैला हुआ है। केवल उत्तर प्रदेश में साढ़े 12 लाख हैक्टेयर में बीहड़ है जो 9 जिलों में फैले राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलाकर बहुत ज्यादा है। इनके लिए राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने एक बार कहा था कि हमारा बस चले तो पूरे एरिया को खाली कराकर बमबार्ट करके अगर इसको ठीक करके जोत दिया जाये तो लाखों लोगों को जमीन मिल सकती हैं। उन इलाकों में कुल जमीन अच्छी है लेकिन इतनी ऊबड़-खाबड़ है कि किसानों के लिए खेती करना मुश्किल है।

पूरे देश में लाखों-लाख हैक्टेयर ऊसर जमीन अभी भी पड़ी है। केवल उत्तर प्रदेश में 12 लाख हैक्टेयर ऊसर पड़ी है इनको ठीक करके सरकारी फार्म बनाए जाने चाहिए अथवा भूमिहीनों को बांट दिया जाना चाहिए।

भण्डारण व्यवस्था सरकार कुछ कर रही है, लेकिन बहुत कम है। एक बार उत्तर प्रदेश की असेम्बली में तत्कालीन कृषि मन्त्री श्री वीरेन्द्र वर्मा ने आंकड़े दिये थे कि हमारे उत्तर प्रदेश में 60 करोड़ चूहे हैं, पता नहीं कैसे गिना गया था, और वह 12 लाख टन अनाज हमारा खा जाते हैं। एक कृषि विशेषज्ञ ने कहा कि हमारे सारे हिन्दुस्तान में 4 करोड़ टन अनाज चूहे खा

जाते हैं। कीड़े-मकोड़ों से, सीलन से, भीग जाने से अनाज की जो कमी हो जाती है, अगर इसकी राजकीय एवं निजी सा कर दिया जाए ती हमारा देश अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा हो जायेगा और सचगुच में हम निर्यात करने लायक हो जायेंगे, यह बात श्री चरण सिंह ने भी अपनी स्पीच में कही थी। पूरी तरह आत्म-निर्भरता का अर्थ है, कि भारत का प्रत्येक नागरिक दोनों जून भरपेट भोजन करे।

जहां तक क्रान्तिकारी एवं उग्र भूमि-सुधार का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश में जब श्री बहुगुणा मुख्य मन्त्री थे, तो उन्होंने किन्हीं वजहों से मंगलदेव विशारद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। श्री विशारद मेरे साथ विधान सदस्य, संविद सरकार में मन्त्री और इस सदन के मेम्बर रह चुके हैं और आज हमारे बीच में नहीं हैं। उस कमेटी ने अपनी अधूरी जांच में भी उत्तर प्रदेश के 36 जमीन-चोरों को पकड़ा था। जमीन-चोर बहुत हैं—बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, पुराने सामन्त हैं, पुराने राजा-महाराजा हैं, बड़-बड़े अफसर हैं और कुछ बड़े-बड़े राजनीतिक नेता भी हैं, जिनमें ज्यादा उधर कांग्रेस (आई) में हैं और कुछ इधर भी हैं,—लेकिन उस कमेटी ने इन पांचों तरह के जमीन-चोरों में से 36 चोरों को पकड़ा। नतीजा यह हुआ कि उन 36 चोरों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन श्री मंगलदेव विशारद ने डेढ़ साल की जेल की हवा खाई। जो सरकार इस दिशा में थोड़ा सा बढ़ी, उसको दबा दिया गया, उस विशेष व्यक्ति को कुचल दिया गया और वह रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज, ठन्डे घर में डाल दी गई। जेल में विशारद जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, और नई आयु में वह दिवंगत हो गए।

मैं कृषि मन्त्री जी से कहूंगा कि हिन्दुस्तान की जंगे-आजादी का पहला युद्ध-घोष, वार-आई, था। "लैंड टु दि टिल्लर," इसलिए जब उस अधूरे सपने को पूरा किया जायेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम देश में अपेक्षित चतुर्थ की प्रगति ला सकते हैं, जिसकी अपेक्षा, जिसकी चाह पूरे राष्ट्र को है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में कृषि की स्थिति संतोषजनक है। मुझे आशा है कि कृषि मन्त्री के नेतृत्व में यह स्थिति और भी मजबूत होगी। हम बहुत अच्छी तरह कह सकते हैं कि यह मजबूत है क्योंकि 11 राज्यों में सूखे के बावजूद भी, बिना किसी भुखमरी के हम सूखे का सामना कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हमने 35 लाख टन खाद्यान्न काम के बदले अनाज कार्यक्रम के रूप में दिया और दो लाख टन चावल का निर्यात किया। इससे सिद्ध होता है कि हमारी कृषि की दशा कितनी पसंतोजनक है। लेकिन हमें कुछ समस्याओं का सामना करना है। कृषि फसलों के कीड़े तथा बीमारियां एक चिन्ताजनक विषय है। हमारी सरकार इन कठिनाइयों का सामना करने में सफल हुई है। लेकिन प्राकृतिक विनाश एक खतरनाक समस्या है। कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय योजना आयोग भी इस बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका और न ही इस बारे में कुछ कर सका। इन प्राकृतिक विनाशों के कारण हमें बहुत नुकसान होता है। प्राकृतिक विनाश से मेरा तात्पर्य आंधी-तूफान, बाढ़, सूखे आदि से है। मैं आपको बता सकता हूं कि इन प्राकृतिक संकेतों से हमें कितना नुकसान हुआ है। 1979 में 11 राज्य के 22 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हुए। फसल वाला क्षेत्र 3.85 हैक्टेयर है। 1974 में समुद्री तूफान से 7 करोड़ लोग तथा 1.74 करोड़ हैक्टेयर जमीन प्रभावित हुई। एक

[श्री पी० राजगोपाल नायडू]

करोड़ हैक्टेयर जमीन की फसल को नुकसान पहुंचा और इसका मूल्य 604 करोड़ रुपये था। 38 लाख घर तथा 2 लाख पशु प्रभावित हुए। 355 करोड़ रुपये की लागत की जन सुविधायें भी प्रभावित हुईं। अतः कुल 1091 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

हिमाचल प्रदेश को ओला-वृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है। सारे सेब के बगीचे नष्ट हो गए। उन्हें लगभग 16 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। फसल का नुकसान कोई बात नहीं लेकिन यदि पेड़ ही नष्ट हो जायें तो इसे उगने में 6-7 वर्ष लगेंगे। अतः सरकार, विशेषकर कृषि मंत्री को समझना चाहिए कि हमें हर वर्ष कितना नुकसान हो रहा है। मुझे खुशी है कि खाद्य तथा कृषि संगठन में हमारे कृषि मन्त्री ने खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की थी। यदि हम देश में इस योजना को लागू करना चाहें तो इस प्राकृतिक आपदा का सामना किये बिना हम इसे लागू नहीं कर सकते। अतः कृषि मन्त्रालय को इस विपत्ति का समाधान करने के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए। चार वर्ष पहले एक कर्मठ किसान नेता प्रो० एन० जी० रंगा ने सुझाव दिया था कि हमारे पास एक विश्व आपदा न्यूनीकरण बीमा निधि होनी चाहिए। वह चाहते थे कि इस मामले को खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ उठाया जाये और इस बात का ध्यान रखा जाये कि इस निधि का गठन हो जाये। वह निधि बनाना चाहते थे ताकि हमें इसमें से अपना शेयर मिल सके। कई सदस्यों ने यहां फसल, गृह तथा पशु बीमे के बारे में सुझाव दिए हैं। सरकार ने इस रिपोर्ट में कहा है, "जब फसल बीमे के प्रयोग के तौर पर लागू किया गया तो बहुत नुकसान हुआ और इसे त्यागना पड़ा।" अब वे एक आदर्श विधेयक लाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं को कम करना सम्भव है तो मेरे विचार में इस फसल बीमा योजना को लागू करना भी सम्भव है। यदि तटवर्ती क्षेत्रों में वन लगाए जायें और मैंढें बनायी जायें तो समुद्री तूफान के प्रभाव को कम करना सम्भव है। यदि नदियों पर बांध बनाये जायें और जल अन्य क्षेत्रों में प्रवाहित किया जाता है तो बाढ़ को कम करना तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई करना सम्भव है और फिर फसल बीमा योजना कार्यान्वित करना भी सम्भव है। इसी कारण एक विश्व प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण बीमा निधि का बनाया जाना जरूरी है। अतः मैं मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि इस मामले को खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ उठाया जाये और ध्यान रखा जाए कि उस बीमा निधि का गठन किया जाए।

अब मैं मूल्यों पर आता हूं, जो एक दूसरी समस्या है। देश में कृषि उत्पादों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के बारे में सभी लोग जानते हैं। इससे किसानों को फसल उगाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मूल्यों को स्थिर करना है। मुझे खुशी है कि पहली बार कृषि मूल्य आयोग तथा हमारे कृषि मन्त्री ने हमें आयोग की नीति सम्बन्धी पुस्तकें दी हैं। मुझे खुशी है कि आयोग ने इसे 1965 तक स्वीकार किया है और दस वर्ष तक मूल्य निर्धारण नीति उपभोक्ताओं के पक्ष में रहेगी। ये उपभोक्ता कौन हैं? क्या ये गरीब लोग हैं? यदि ये गरीब लोग हैं तो हम घाटा होने पर भी उन मूल्यों को स्वीकार कर लेते। लेकिन ये उपभोक्ता दो प्रकार के हैं: एक वे पूंजीपति जो सस्ती दरों पर उत्पादन करना चाहते हैं, दूसरे अधिक वेतन लेने वाले लोग, व्यापारी आदि हैं। क्या हमारी सरकार अथवा हमारे देश के लिए इन अधिक वेतन लेने वाले लोगों के लिए बचनबद्ध होना अथवा उन्हें सस्ते दाम पर

अनाज उपलब्ध करना जरूरी है ? हम मजदूरों तथा समाज के कमजोर वर्गों को कम दर पर अनाज तथा अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध करने के लिए बचनबद्ध हो सकते हैं। मूल्य निश्चित करते समय, उपभोक्ता को ध्यान में रखना चाहिए लेकिन आपको उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को मिश्रित नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि उत्पादकों के लिए ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के हित में भी मूल्य निश्चित किये ही जाने चाहिए। मेरा इसमें मतभेद है। मैं चाहता हूं कि लाभकारी मूल्य दिए जायें। जो कुछ यहां लिखा है वह भ्रमपूर्ण है। किसान लाभकारी मूल्य चाहते हैं। देश इसे चाहता है क्योंकि किसान उस समय तक उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकता जब तक उसे लाभकारी मूल्य न मिलें। लाभकारी मूल्यों में कृषि श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरी भी शामिल है। हम कृषि मजदूरों को आवश्यकता पर आधारित मजूरी नहीं देते। हमें न्यूनतम मजूरी निश्चित करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कृषि श्रमिकों के लिए कार्यान्वित किया जाए। उपभोक्ताओं के लिए मूल्य निश्चित करने के प्रति चिंता व्यक्त करने के बाद हम समर्थन मूल्य निश्चित करने जा रहे हैं। मैंने श्री भानु प्रताप सिंह से पूछा है कि क्या समर्थन मूल्य एक लाभकारी मूल्य है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा ही समझती है। मैं कहता हूं कि यह लाभकारी मूल्य नहीं है। अतः लाभकारी मूल्य निश्चित किए जाने हैं। कृषि मूल्य आयोग ने कहा है :—

> "इस बात को ध्यान में रखा जाए कि कृषि क्षेत्र में आशाजनक स्थिति होते हुए भी देश की कृषि अर्थव्यवस्था में निराशा की प्रवृति नजर आ रही है। इसकी लागत बढ़ती जा रही है। अधिक अन्न पैदा करने की लागत प्रौद्योगिकी के मामले में प्रगतिशील क्षेत्रों में भी बढ़ रही है। अतः उपज की मुख्य समस्या बढ़ती लागत की स्थिति में भी उत्पादन की गति को बनाए रखना है।"

अतः कृषि मूल्य आयोग ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि लागत बढ़ती जा रही है जिसके लिए मैं आयोग को बधाई देता हूं।

कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने कहा है कि कृषि में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए और आधुनिक प्रौद्योगिकी लागू करने के लिए किसान को लाभकारी मूल्य सम्बन्धी आश्वासन का दिया जाना जरूरी है। सरकार वैसा नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है कि मूल्य निश्चित करते समय कृषि उपकरणों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उर्वरक के मूल्य बढ़ा दिये गए हैं। मुझे खुशी है कि कृषि मूल्य आयोग शीघ्र ही इसमें संशोधन करना चाहता है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : इन्होंने इसे सन्तोषजनक ढंग से नहीं किया है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मै कृषि मूल्य आयोग को बधाई देता हूं लेकिन जो मूल्य उन्होंने निश्चित किए, उसके लिए मैं उन्हें बधाई नहीं देता (व्यवधान) कृषि मूल्य आयोग के पास पूरे कर्मचारी नहीं हैं; इसकी सदस्यता में वृद्धि की जानी चाहिए और इसमें कृषि उत्पादकों को शामिल किया जाना चाहिए। कृषि मूल्य आयोग पर प्रतिबन्ध हैं। उनके आंकड़े एकत्र करने का तरीका त्रुटिपूर्ण है।

[श्री पी० राजगोपाल नायडू]

उन्हें आंकड़े स्वतन्त्र आर्थिक संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों आदि-आदि से लेने पड़ते हैं। यदि वे आंकड़े लें तो उन्हें उत्पादन लागत का पता लग जायेगा। दालों और तिलहन के संबंध में उन्होंने बताया है कि इनकी प्राप्ति की जानी है। मैं इस बात पर उनसे सहमत हूं। जब तक हम यह नहीं करेंगे, किसानों को मूल्यों के सम्बन्ध में आश्वासन देना संभव नहीं है।

निर्यात के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि हमारे लोग कृषि वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। परन्तु समीक्षा अथवा पुनर्विचार के सम्बन्ध में उद्योग और कृषि के लिए लागू होने वाली नीति में अन्तर है। उद्योग के सम्बन्ध में वे पांच वर्ष की अवधि के बाद स्थिति की समीक्षा करते हैं, परन्तु कृषि वस्तुओं के सम्बन्ध में वे किसी भी समय समीक्षा कर सकते हैं। वे इसके लिए एक वर्ष का भी इन्तजार नहीं करते। जब कस्बे में उसके बन्द करने के लिए आंदोलन शुरू हो जाता है तो वे इसे बन्द कर देते हैं। जब बम्बई अथवा दिल्ली जैसे शहरों की कुछ महिलाएं सब्जियों के सम्बन्ध में आंदोलन करती हैं तो वे उसकी समीक्षा करना बन्द कर देते हैं। उसके बाद, वे कुछ समय पश्चात समीक्षा शुरू कर देते हैं। इस तरीके से यह नहीं किया जाना चाहिए।

अन्य देशों को हमारे देश से भेजी जाने वाली वस्तुओं का निरन्तर प्रवाह बना रहना चाहिए क्योंकि कुछ देश हमारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए यदि आप उन वस्तुओं को नहीं भेजते तो हम वहां के बाजार खो सकते हैं क्योंकि वे उसी वस्तु को अन्य स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। और समीक्षा केवल पांच वर्ष बाद ही की जानी चाहिए।

जहां तक निर्यात संवर्द्धन का सम्बन्ध है, उद्योगों को अनेक सुविधायें मिली हुई हैं। परन्तु कृषि वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है। कृषि के साथ उद्योगों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जहां कृषि वस्तुओं के निर्यात संवर्द्धन का सम्बन्ध है, कृषि वस्तुओं के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

आरक्षित भण्डार बनाए जाने चाहिए। यदि हमारे पास भारतीय खाद्य निगम नहीं है और यदि हमने ये भण्डार नहीं बनाए होते तो इस सूखे के दौरान क्या होता ? तमाम लोग मर गए होते। जब पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम नहीं था और कोई आरक्षित भण्डार नहीं थे तो वहां क्या हुआ ? पैंतीस लाख लोग मर गए। आन्ध्र प्रदेश में जब दक्कन में अकाल पड़ा अथवा भुखमरी फैली तो 35 लाख लोग मर गए। अफ्रीका के देशों तथा अन्य दूसरे देशों में, क्योंकि वहां इस तरह के संगठन नहीं हैं, इसलिए, लाखों लोग मर रहे हैं। परन्तु हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास भारतीय खाद्य निगम तथा आरक्षित भण्डार हैं।

न केवल खाद्यान्न ही बल्कि अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी हमारे पास उनको प्राप्त करने के लिए संगठन होने चाहिए। मैं उन अन्य वस्तुओं की बात कर रहा हूं जिनके बारे में कृषि मूल्य आयोग ने कहा है। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, जब हमारे पास इसके 25 लाख टन थे, तो यह हमारे पास अतिरिक्त मात्रा में थी। मान लीजिए हमें 15 लाख टन चीनी प्राप्त होती और उसे हमने आरक्षित भण्डारों में रख दिया होता तो आज हम चीनी की जिस कमी का सामना कर रहे हैं वह नहीं हुई होती।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस बात का सुझाव क्यों नहीं देते कि चावल का निर्यात भी राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाना चाहिए।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : विपणन संघ यह कार्य कर रहे हैं। हमारे लोग आरक्षित भण्डार बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। प्रो० रंगा ने अलग-अलग समय पर भुगतान किए जाने का सुझाव दिया है। निर्धन लोगों के लिए हम भुगतान कर सकते हैं और धनी लोग किश्तों में भुगतान कर सकते हैं। मान लीजिए, आरक्षित भण्डार बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है तो वे तत्काल 10 करोड़ रुपये दे रहे हैं।

हमारी सरकार की ग्रामीण गोदाम बनाने की नीति है। हम इनके निर्माण की गति और तेज कर सकते हैं। हमें किसानों से गांवों में जगह मिल सकती है। अथवा हम उन्हें ऋण दे सकते हैं और वे भण्डारण क्षमता में सुधार कर सकते हैं। तब हम फसल के समय पर बाजार में अधिक मात्रा में कृषि वस्तुओं को भेजे जाने को कम कर सकते हैं। बाजार में कृषि वस्तुओं को आवक को कम करने तथा इन्हें अधिक मात्रा में प्राप्त करने और आरक्षित भण्डार बनाने से हमारे लिए मूल्यों को नियन्त्रित कर पाना बिल्कुल संभव है।

यदि हम कृषि विकास करना चाहते हैं तो हमें कृषि विकास पुनर्गठन अवश्य करना चाहिए ताकि इसे आधुनिक कृषि का विकास करने के अनुकूल बनाया जा सके। इस समय सभी राज्यों में इस सम्बन्ध में एकरूपता नहीं है। उदाहरण के लिए यहां केवल कृषि विभाग है जिसके पास विस्तार कार्य है। इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। प्रशासन के लिए, अलग से एक विभाग होना चाहिए। आपूर्ति के लिए एक अलग विभाग होना चाहिए और कृषि इंजीनियरी के लिए अलग से एक विभाग होना चाहिए। आज हमारे देश के लिए कृषि इंजीनियरी आवश्यक है क्योंकि अब हमारे पास तमाम बातें हैं। हमें भूमि को समतल बनाना है। हमें भूमि को जोतना है। हमें चट्टानें तोड़नी हैं और कुएं खोदने हैं। हमें जल निकासी की सुविधाएं पैदा करनी हैं। भूमि संरक्षण और जल आवश्यक हैं। कृषि कार्यों के क्रियान्वयन को ढंग से संभालना आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक राज्य में कृषि इन्जीनियरी विभाग होना चाहिए। पहले इसका संचालन कृषि उद्योग द्वारा किया गया है। परन्तु अब कृषि-उद्योगों ने वह कार्य छोड़ दिया है और वे उद्योग शुरू करने में लगे हुए हैं। इसलिए, किसानों को इन्जीनियरों से तकनीकी सहायता नहीं मिल रही है। हमारे देश में बहुत इन्जीनियर हैं। योजना आयोग और कृषि विभाग को इस जनशक्ति को संभावित करना है और उसका उपयोग करना है। यदि आप प्रत्येक राज्य में कृषि इन्जीनियरी विभाग शुरू कर सकते हैं तो यह न केवल कृषि इन्जीनियरों को अपितु समस्त राष्ट्र के लिए लाभप्रद होगा।

हमें बागवानी को भी विकसित करना है। अब तक हमने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है। कर्नाटक में यह कार्य अच्छी तरह किया गया है। वहां इसके लिए अलग मन्त्री हैं और अलग विभाग है। अब प्रत्येक राज्य में बागवानी के लिए अलग मन्त्री न रख सकें परन्तु कम से कम इसके लिए अलग से एक निदेशक रख सकते हैं। तब बागवानी का विकास करना सम्भव होगा। हमारे यहां हर जगह फसल उगाने के लिए पर्याप्त जल रहित शुष्क भूमि है। फलों के

[श्री पी० राजगोपाल नायडू]

उद्यान लगाने के लिए आवश्यक पानी की कमी है, इसलिए इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

कृषि-उद्योग कृषि विभाग के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु उनके पास कोई कार्य योजना नहीं है। इसलिए, सरकार को एक समिति गठित करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि राज्यों में स्थित सभी कृषि-उद्योग निगमों को मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए जाते हैं। यदि केवल कृषि उद्योग शुरू किए जाते हैं तो इन वस्तुओं के मूल्य स्थिर हो जायेंगे। इसलिए, मैं कृषि मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात को देखें कि कृषि उद्योगों की ओर ध्यान दिया जाता है।

अब मैं भूमि को खेती योग्य बनाने के बारे में दो शब्द कहूंगा। हमारे यहां छः करोड़ एकड़ तक भूमि लवणीय और क्षारीय है। ये भूमि गंगा के मैदानों, ब्रह्मपुत्र की घाटी और आन्ध्र प्रदेश में भी है। मैं करनाल गया और कुछ ऐसे क्षेत्र देखे जहां इस सम्बन्ध में अनुसन्धान किया गया है। मैंने देखा कि ऐसे गरीब हरिजन भी, जिनको क्षारीय भूमि भी दी गई थी और जहां कि पहले घास की एक पत्ती भी नहीं उगती थी, इन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप दो वर्षों में उस जमीन पर 20 बोरे धान की पैदावार कर सकते थे। उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। इसलिए, यदि हम क्षारीय और लवणीय भूमि के सुधार की सुविधाओं का विस्तार करते हैं तो मुझे इस बात का यकीन है कि 60 लाख बोरे से ज्यादा धान का उत्पादन कर सकते हैं।

*श्री थी० एस० विजय राघवन (पालघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के लाखों गरीब लोगों की आशाओं-आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करने वाली इस सरकार ने एक ऐसा बजट पेश किया है जो उनके उत्थान की प्रक्रिया में सहायक होगा ऐसा मेरा विश्वास है। यह इस बजट की विशेषता है कि हमारे कटु राजनीतिक आलोचक भी उसमें खामियां नहीं निकाल सकते हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय को इसके लिए बधाई देता हूं। इस बजट की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें किसानों को, जो इस देश के आधार हैं, नहीं भुलाया गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हम आहिस्ता-आहिस्ता उस सामाजिक-आर्थिक ढांचे के निर्माण में लगे रहे हैं जिसकी हमने स्वतन्त्रता की उषा-बेला में कल्पना की थी। जब हम इस कार्य को अन्तिम स्वरूप प्रदान कर रहे थे, तभी यह उन कुछ निहित स्वार्थों के हाथों आ गया जिन्होंने तीन वर्ष के दौरान इसे पूरी तरह तहस-नहस कर दिया क्योंकि वे सत्तासीन थे। यह बजट उस बड़े प्रयास का एक भाग है जो अर्थव्यवस्था को पुनः शक्तिशाली बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किये जाएंगे और इससे यह आशा बलवती होती है कि इस सरकार के हाथों अर्थव्यवस्था उसी तरह पुनरुज्जीवन प्राप्त करेगी जिस तरह अमर पक्षी शाख के ढेर से फिर जीवित हो जाता है। यह बजट अर्थव्यवस्था को तबाही के खतरनाक रास्ते पर जाने से रोकता है। यह बजट महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि वित्त मन्त्री महोदय ने इसके माध्यम से मूल्य-रेखा को नियन्त्रित करने का ईमानदारी से प्रयास किया है और सभी आवश्यक वस्तुओं को शुल्क राहत देकर मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित किया है जिससे निःसन्देह आम आदमी को राहत मिलेगी जो कि मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति के भयंकर शिकंजे में कसा कराह रहा है। जिस तरह एक

* मलयालम में दिया गया भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

ड्राइवर दिशा बदलने के लिए अपने वाहन की गति कम कर देता है उसी तरह वित्त मन्त्री ने अर्थव्यवस्था की उस गति को कम कर दिया है जिस गति से वह तबाही के रास्ते पर जा रही थी और उन्होंने अर्थव्यवस्था को प्रगति और समृद्धि के रास्ते की ओर मोड़ दिया है। इस बजट ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, जोकि समाजवाद की झांसी की रानी और लोकतन्त्र की रक्षक दूत हैं, के नेतृत्व में यह सरकार उस विश्वास के उपयुक्त है जो जनता ने उसमें व्यक्त किया है। इस संदर्भ में मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बजट में दी गई रियायतें सही माइने में आम आदमी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए और कि अनवरत चौकसी और सख्त कार्यवाही आवश्यक हैं। सत्तारूढ़ होने वाली पिछली सरकार ने इस देश के किसानों की वास्तविक प्रतिनिधि होने का दावा किया था। परन्तु जब एक बार वे सत्तासीन हो गए, उन्होंने सुविधाओं में फंसकर किसानों को भुला दिया यह बजट उनके दावे की असलियत सामने रखता है और किसानों के बारे में एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है। तब भी मैं माननीय मन्त्री महोदय से कृषि के सम्बन्ध में यह अनुरोध करूंगा कि किसानों को कुछ और ज्यादा रियायतें दी जानी चाहिए क्योंकि केवल किसानों के माध्यम से ही देश तरक्की कर सकता है।

जो किसान समूची आबादी का भरण-पोषण करता है, वह भूखों मर रहा है। वह इसलिए कष्ट भोग रहा है क्योंकि उत्पादन के मूल्य और उसको अपने उत्पादों के लिए मिलने वाले मूल्य के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके अलावा उसे बाढ़ तथा दूसरी प्राकृतिक आपदाओं तथा मूल्यों की निरन्तर वृद्धि का सामना करना पड़ता है। उसकी पैदावार का समुचित मूल्य दिलाने की दृष्टि से उत्पादन लागत को कम करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इस तथ्य को प्राप्त करने के लिए उनको उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करना और कृषि ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दर को कम करना आवश्यक है। 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में क्रमशः 121 करोड़ रुपए, 171 करोड़ रुपए और 479 करोड़ रुपए मूल्य के रासायनिक उर्वरकों का आयात किया गया था। किन्तु, 1975-76 में उर्वरकों का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बड़ी तेजी के साथ बढ़ा था और इस प्रकार उपभोग खपत हो गई है। उस वर्ष केवल 198 करोड़ रुपए की लागत के उर्वरकों का आयात किया गया था। यद्यपि उर्वरकों का उपभोग 1970-78 के दौरान 12% बढ़ा है परन्तु तदनुसार खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं बढ़ सका। 1978-79 में खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं बढ़ सका। 1978-79में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1313.7लाख टन था। अब अनुमान है कि 1979-80 में उत्पादन लगभग 14% से कम होगा। सामान्य रूप से प्राय उन सारे खाद्यान्नों का वितरण उपभोग के लिए कर दिया जाता है वसूल प्राप्त किया जाता है। यदि 1980 में फसल खराब होगी तो हम वितरण के लिए खाद्यान्नों की कुल मांग का केवल 2/3 भाग वसूल कर सकेंगे। उसके बाद हमें अन्तर को पूरा करने के लिए आयातित खाद्यान्नों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस तथ्य के बावजूद यदि वैसा हो जाता है कि हम निर्भरता की हालत में वापस आ जाते हैं तो हम अपनी उस निर्यात आय के 85% के लिए किसी महत्वपूर्ण मात्रा पर खाद्यान्नों का आयात करने की स्थिति में नहीं होंगे जो आयातित तेल तथा पेट्रोलियम वस्तुओं पर खर्च की जाती है।

[श्री वी० एस० विजय राघवन]

इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को कृषि विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध करना चाहिए।

छठे दशक में हमें आयातित खाद्यान्नों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े थे। परन्तु सातवें दशक में हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां हमने हरित क्रांति के माध्यम से अपने लिए पर्याप्त खाद्य प्राप्त कर सके थे। आज हम खाद्य के बारे में जरूरतमन्द देशों की सहायता करने की स्थिति में हैं हालांकि कम मात्रा में सहायता करने की स्थिति में हैं। इस सन्दर्भ में मुझे आपका ध्यान मौसम की खराबी तथा कठिनाइयों की ओर आकर्षित अवश्य करना चाहिए जिनसे कृषक पीड़ित है। सरकार को उनकी हानि की पूर्ति करनी चाहिए तथा फसलों के लिए बीमा योजना लागू करनी चाहिए।

वित्तीय समस्याओं के अतिरिक्त तकनीकी कठिनाइयां भी उसके सामने अनेक समस्यायें उत्पन्न करती हैं। कर कानूनों में कुछ अप्रचलित उपबन्धों तथा नियमों के कारण कृषक नियमों के जाल में फंस जाता है। उसे विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए भूमि के क्षेत्रफल पर आधारित एकल बिन्दु कर लागू किया जाना चाहिए। कर कानूनों को समेकित तथा सरल बनाया जाना चाहिए। आज परिश्रमी कृषक कोको, काली मिर्च आदि की अन्तर-फसल के रूप में खेती करते हैं। उसके बाद उन्हें उन बांधों से दिए गए जल के लिए भारी रकम देनी पड़ती है। जिसके निर्माण के लिए कृषक अंशदान करते हैं जैसे कोई अन्य कर-दाता अंशदान करता है। परन्तु यहां समस्या यह है कि उन्हें समय पर पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। हम उन जल संसाधनों का सही रूप से उपयोग कर सकेंगे जो प्रकृति के उपहार हैं। इस संदर्भ में मैं सरकार से साईलेंट वैली परियोजना पर निर्णय लेने के लिए नम्र निवेदन करता हूं ताकि इसे यथा संभव शीघ्र आरम्भ किया जा सके। इस परियोजना से 10,000 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। साइलेंट वैली परियोजना के अलावा करीधरकुर्ती कारापारा परियोजनाओं को भी शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए क्योंकि यह परियोजना जिला पालघाट के सूखाग्रस्त पूर्वी भागों को राहत दे सकती है। मुझे आपका ध्यान इस तथ्य की ओर अवश्य आकर्षित करना चाहिए कि जबकि उद्योगों के लिए ऋण ब्याज की कम दरों पर मिला है परन्तु कृषकों को ऋण पर 15% तक देना पड़ता है। यह कृषक को गदा ऋण में रखता है। इसलिए उसे ऋण दायित्व से मुक्त करने के लिए या तो उसे ब्याज मुक्त ऋण देना चाहिए या ऋण पर ब्याज बहुत कम कर देना चाहिए।

श्रीमान्, मेरे राज्य में अधिक संख्या में कृषक धान उत्पादक हैं। उनकी दशा अति शोचनीय है। चूंकि उत्पादन लागत और धान के मूल्य के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए वे कभी ऋण मुक्त नहीं होते हैं। उनमें से अधिकांश कृषि कार्यों के लिए ऋण पर निर्भर रहते हैं। भूमि जोत का अधिकतम आकार 10 तथा 12 एकड़ का है जो केरल में किसी के कब्जे में हैं। जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि हैं उनकी संख्या केवल 8% है। अधिकांश कृषकों के पास 5 एकड़ तथा कम भूमि है। उन कठिनाइयों जिनका वे रोटी-रोजी कमाने में सामना करते हैं के बावजूद वे पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से दूसरा काम नहीं मिल सकता है।

केरल नागरिक आपूर्ति निगम ने धान का मूल्य निर्धारित किया है परन्तु इससे केवल बहुत सी व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। यदि केवल सरकार सरकारी स्वामित्व वाले बीज फार्म में उत्पादन की लागत तथा धान के मूल्य की तुलना करती है तो आप कृषकों की कठिनाइयों को महसूस करेंगे। धान उत्पादकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और धान उत्पादक के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने तथा मूल्यांकन करने के लिए सरकार को समर्थ बनाने और उत्पादक को लाभप्रद मूल्य देने के लिए मैं मांग करता हूं कि एक धान मंडल की स्थापना की जानी चाहिए।

अब मै आपका ध्यान केरल के कृषकों द्वारा सामना की जाने वाली एक अन्य समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केरल में कोको की खेती सरकार द्वारा बड़े प्रचार तथा सक्रिय प्रोत्साहन के साथ शुरू की गई थी। यह एक गम्भीर संकट का सामना कर रही है। स्थिति ऐसी है कि कोई कोको खरीदने वाला नही हैं जिसका बड़ी उम्मीदों के साथ उत्पादन किया गया था। कृषक दुविधा में हैं। वे अभी इन योजनाओं को समाप्त नहीं कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने बड़ी सावधानी से तैयार किया था। केडबरी कम्पनी कोको बीन को 45 रुपये प्रति कि० ग्रा० तथा कच्चे बीन को 15 रु० की दर से खरीदा करती थी। परन्तु जब उत्पादन में वृद्धि हो गयी तो कम्पनी ने मूल्य घटा कर क्रमशः 30 रु० तथा 10 रु० कर दिये। केडबरी ने तालाबन्दी घोषित कर दी और उसके बाद कोई कोको खरीदने को तैयार नहीं। तत्पश्चात केरल सरकार के स्वामित्व वाली विपणन संघ ने 5.30 प्रति किलो की दर से कच्चा···खरीदना शुरू कर दिया। मुझे सन्देह है कि केरल सरकार तथा केडबरी के बीच मिली-भगत है। क्योंकि केरल सरकार ने अपनी कार्यवाही से केवल एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां तालाबन्दी समाप्त होने के बाद केडबरी 5.30 रु० की दर से खरीद सकेगी। कर्नाटक में कोको का मूल्य 7/- रु० है। मैं केन्द्रीय सरकार से कोको उत्पादकों की समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं। सरकार को आयात का आश्रय उस समय लेना चाहिए जब वास्तव में ही कमी हो। सरकार अपने नियंत्रण में विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करे ताकि उत्पादक लाभप्रद मूल्य प्राप्त कर सके। जब कश्मीर में सब उद्यानों को बीमारी के कारण हानि हो रही थी तो सरकार ने सेबों की बीमारी को राष्ट्रीय महत्व की बीमारी घोषित कर दिया था। मैं अनुरोध करता हूं कि जिस बीमारी ने केरल में नरियल के पेड़ों को प्रभावित किया है उसे भी राष्ट्रीय महत्व की बीमारी घोषित कर देना चाहिए। केवल तभी आप नारियल उत्पादकों के साथ न्याय कर रहे होंगे। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से केरल में ही प्रस्तावित नारियल मंडल के मुख्यालय को स्थापित करने का भी अनुरोध करूंगा।

कृषकों की समस्या का समाधान करते समय सरकार को उन खेतीहर मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने में सावधानी बरतनी चाहिए जो कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रगति केवल तभी हो सकती है यदि कृषक और खेतीहर मजदूर आपस में सहयोग कर ले। जनशक्ति औद्योगिक विकास में भी एक मूल कारण है। यह केवल कृषि उत्पादन से आता है। 1974 में तत्कालीन केरल सरकार ने जिसमें कांग्रेस दल भागीदार थी, कृषि मजदूर अधिनियम पारित किया था। यह आदर्श अधिनियम है और मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बात को

[श्री वी० एस० विजयराघवन]

सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध करूंगा कि ऐसे कानूनी उपाय अपनाये और विभिन्न राज्यों में क्रियन्वित करें। कृषकों की समस्याओं को हल करने तथा उन्हें राहत देने की आशा से सरकार अपने अधिकार से हर बात करेगी। मैं मांग का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? यह बहुत महत्वपूर्ण मन्त्रालय है और काफी संख्या में सदस्य हैं जो वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं वे केवल हमारे पक्ष के ही नहीं हैं बल्कि दूसरे पक्ष के भी हैं। इसलिए यदि सभा की इस बात में खुशी है तो आज समय 6 बजे से 7 बजे तक बढ़ाया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : कल आधे घन्टे की चर्चा है और कल यह सम्भव नहीं हो सकता है। मैंने दलों के कुछ सचेतकों से भी सम्पर्क स्थापित किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री महोदय आपकी मदद करना चाहते हैं। यदि इसका समय एक घंटा बढा दिया जाता है तो अधिक वक्ताओं को बोलने का अवसर मिल सकता है। मुझे आशा है कि सभा समय बढ़ाने के लिए सहमत है।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : आपको मालूम है कि रमजान शुरू हो गया है और हम रोजे पर हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं। बहुत से सदस्य मेरे पास आये और कहा कि वे वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। यदि आप समय बढ़ाना नहीं चाहते हो तो मैं आग्रह नहीं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कल देखेंगे।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : हम इसको दस के बजाय ग्यारह घंटे दे सकते हैं। कल हम एक घंटा और बैठ सकते हैं। आज के लिए यदि पहले से कहा गया होता तो अच्छा रहता।

चौधरी मुलतान सिंह (जलैसर) : इस मन्त्रालय में चार-पांच विभाग हैं। इसके लिए कम से कम चार छः घंटे तो और दिये ही जाने चाहिए। बहुत से मेम्बर बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कल के बारे में अब निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए आज केवल सायं 6 बजे तक।

श्री जार्ज जोजफ मुंडाकल (मुवत्तपुजा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी आवाज केरल के गरीब, शोषित, दलित और निराश सीमान्त कृषकों की है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक की आवाज गरीब की आवाज है।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : मेरी आवाज गरीब की आवाज है क्योंकि मैं उस निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं जिसमें अधिकांश सीमान्त कृषक है। केरल में भूमि सुधार के कार्यान्वयन के बाद हम सभी के पास केवल लगभग दो से तीन एकड़ तक भूमि है और हम रबड़ नारियल, अदरक तथा जायफल व लोंग जैसी मूल्यवान नकद फसल की खेती कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति हमारी खेती के बारे में नहीं जानते हैं। केरल राष्ट्र के कल्याण के लिये बहुत अधिक योगदान दे रहा है···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके बहुत नजदीक का हूं।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : आपको भी हमारी कृषि के बारे में कुछ बात मालूम है। यहां के लोग खेती अधिकांश रूप से लाभ के लिए कर रहे हैं। वे एक वर्ष गेहूं की खेती करते हैं यदि इससे लाभ नहीं हो रहा है तो वे बदल कर धान की खेती करते हैं। यदि उससे भी लाभ नहीं होता तो वे बदल कर मूंगफली तथा गन्ने की खेती करने लगते हैं। दुर्भाग्यवश, नारियल तथा रबड़ जिसकी खेती केरल में होती है कुछ लाभप्रद उत्पादन करने में लगभग आठ से दस वर्ष तक ले लेते हैं और सरकार की नीति में बार-बार परिवर्तन होने के कारण हम भारी कष्ट उठा रहे हैं। कुछ समय के लिए आप केले तथा फलों की खेती को प्रोत्साहन दे रहे थे। परन्तु लगभग गत दो वर्षों में जनता सरकार ने केले तथा फलों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था जिसके परिणामस्वरूप हमें कष्ट उठाना पड़ा था। हम कोको तथा रबड़ का आयात कर रहे हैं हालांकि केरल में इन चीजों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। मुझे मालूम नहीं है कि इन चीजों के आयात में हमारी कीमती विदेशी मुद्रा को क्यों नष्ट किया जा रहा है। हम खाद या चीनी या केसर के लिए कुछ दवाई भी आयात कर सकते हैं। हमारी विदेशी मुद्रा को लोग के आयात में बेकार किया जा रहा है जो विलासता की वस्तु है, बीयानी या फल-सलाद में इस्तेमाल की जाती है। इन वस्तु का आनन्द अरब के शाही बादशाहों को लेने दीजिए। हमें ऐसी वस्तुओं के आयात में अपनी विदेशी मुद्रा बेकार नहीं करनी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से इन कृषि की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने में अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए तथा हमारी रक्षा करने के लिए निवेदन करूंगा।

खाद तथा कीट नाशक दवाइयों की क्या लागत है ? हमारी तरफ बहुत वर्षा होती है और हमें ताम्र कवक नाशी दवाई का अधिक इस्तेमाल करना पड़ता है। उत्तर में कृषकों को अर्थ सहायता मिल रही है परन्तु दक्षिण में नहीं। हमें कीटनाशक कवक नाशी तथा उर्वरक के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री से छिड़काव करने के यन्त्रों तथा छिड़काव सामग्री के लिए अधिक रियायतें तथा अर्थ-सहायता देने का अनुरोध करता हूं।

गरीब कृषकों से कृषि पुनर्वित्त निगम किस दर से ब्याज ले रहा है ? यह लगभग 11% है। रबड़ तथा नारियल जैसी फसलें उत्पादन देने में लगभग आठ से दस वर्ष तक ले लेती है। यदि 11% ब्याज दिया जाता है तो कोई भी इस बात को समझ सकता है कि कितना ब्याज देना पड़ेगा और मूल राशि से अधिक होगा। विश्व बैंक भारत सरकार को 75% की ब्याज की दर से धन दे रहा है। परन्तु दुर्भाग्यवश भारतीय रिजर्व बैंक, ऋण देने वाले बैंक इसमें से मुनाफा कमा रहे हैं और गरीब कृषक को ब्याज की अधिक दर देनी पड़ती है। मैं मन्त्री महोदय से कृषि

[श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल]

ऋणों पर ब्याज दर घटाने का अनुरोध करूंगा। क्योंकि हम दीर्घकालीन बागवानी की खेती करते हैं और हम खेती को दूसरी फसल में नहीं बदल सकते हैं तथा इसलिए सरकार को कुछ दया करनी चाहिए। हाल ही में ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने खोपड़े के आयात का निर्णय किया है। हम केरल में 500 करोड़ नारियल के बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश केन्द्रीय केरल में नारियल की खेती जड़ मुरझा देने वाली बीमारी नामक विषैली बीमारी से गत अस्सी वर्षों से प्रभावित है। पिछले पचास वर्षों से अनुसंधान किया जा रहा है परन्तु इसके लिए कोई उपाय नहीं खोजा गया है। मेरा प्रश्न यह है कि हम इस बीमारी का कोई इलाज खोज करने में हमारी सहायता के लिए हम कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को क्यों नहीं आमंत्रित करते हैं। इस सम्बन्ध में केरल सरकार कुछ पहल कर रही है। सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा मानते हुए इस समस्या का समाधान करने के लिए केरल सरकार को अधिक मदद क्यों नहीं देती है। केरल में नारियल उत्पादक अधिक संख्या में हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से केरल में यथा संभव शीघ्र नारियल को गठित करने का अनुरोध करता हूं।

उसी प्रकार हम केरल में बड़े पैमाने पर टेपीओका की खेती कर रहे हैं। ब्राजील में वे इससे पावर एल कोहल तैयार कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक बुरे नहीं हैं। हमें अपने वैज्ञानिकों को टेपीओका से पावर ऐलकोहल तैयार करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। पावर के संकट का समाधान कुछ हद तक टेपीओका की अधिक खेती करके तथा इससे पावर ऐलकोहल उत्पन्न करके किया जा सकता है। यदि टेपीओका के उत्पादकों को उचित मूल्य दिया जाता है तो हम केरल में प्रचुर मात्रा में इसका उत्पादन कर सकते हैं।

मैं सभा का अधिक समय नहीं ले रहा हूं। मैं एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय से हमारे गरीब कृषकों, केरल के छोटे तथा सीमान्त कृषकों के प्रति दया तथा सहानुभूति दिखाने के लिये तथा उन कृषि वस्तुओं जिनका हम उत्पादन कर रहे हैं के आयात पर प्रतिबंध लगाने में वाणिज्य मंत्रालय के साथ अपना प्रभाव इस्तेमाल करने के लिये अनुरोध कर रहा हूं। महाराष्ट्र में आन्दोलन हुआ था जब प्याज मूल्य बहुत कम हो गया था। परन्तु हमें भ्रान्ति है। हमारे कृषक सोच रहे है कि क्या करना है और उनका भविष्य बड़ा अंधकारमय है। हम अपनी कृषि को सरलता से नहीं बदल सकते है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से हमारी कठिनाइयों पर ध्यान देने के लिये क्षेत्र का दौरा करने तथा केरल के कृषकों के प्रति कुछ दया तथा सहानुभूति दिखाने का अनुरोध करूंगा।

समय देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले रहा हूं तथा मांगों का समर्थन कर रहा हूं।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की है कि आपने कृषि और ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय सम्बन्धी बहस में भाग लेने का मुझे अवसर दिया। भूमि-सुधार के सम्बन्ध में आज यहां बहुत से सवालात उठाये गये हैं। श्री राय ने भी कई सवालात उठाये हैं। मैं उन बातों को विस्तार में दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि गरीब लोगों और खेतिहर मजदूरों को केवल बीघा दो बीघा भूमि देकर ही उनका

विकास किया जा सकेगा, उनके जीवन में परिवर्तन हो जायेगा और उनकी आर्थिक दशा में कोई सुधार हो जायेगा, यह सम्भव नहीं है।

सीलिंग कानून पर पुनर्विचार होना चाहिए। इस कानून को बनाते समय बड़ी ढिलाई की गई। उत्तर प्रदेश में जब सीलिंग कानून पर विचार होने लगा, तो उसके मार्ग में काफी अवरोध उत्पन्न किया गया। पहले यह सवाल उठाया गया कि इस कानून को 1960 से लागू करना चाहिये, 1970 से या 1971 से। उहा पोह में बड़े बड़े भूस्वामियों को छूट दी गई। जब तक यह कानून बने, तब तक उन्होंने अपनी जमीनों को अपने परिवार के लोगों और रिस्तेदारों के नाम ट्रांसफर कर दिया, जिसके कारण भूमि जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए थी, उतनी मात्रा में नहीं मिली। मेरी राय से सीलिंग हो और दस एकड़ की सीमा रखनी चाहिए, जिसमें सिंचित और असिंचित का कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। उसमें बाग को भी शामिल करना चाहिए। अब बाग ऐसे नहीं रहे हैं कि उनमें कोई आमदनी न होती हो आम, जामुन और खजूर के बाग होते हैं, जिनसे बहुत अच्छी आमदनी होती है और इनकी दो चार हजार रुपये पर-एकड़ सालाना बिक्री होती। इसलिए यह छूट अब बन्द होनी चाहिए और दस एकड़ की सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

जब सीलिंग लागू होने के बाद भूमि-चोरों ने काफी भूमि हथिया ली, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जब श्री बहुगुणा हुये जैसा कि श्री राय साहब ने बताया है, उन्होंने मरहूम सदस्य, श्री मंगलदेव विशारद, की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसने इस बारे में जांच की। 36 बड़े भूमि चोरों को पकड़ा गया। उनका तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उन्होने दिल्ली के सिंहासन के आ कर हाथ पैर जोड़े और दिल्ली के सिंहासन ने जो भूमि चोरी से भूमि निकलवाना चाहते थे भूमि चोरों से उनको निकाल दिया। उनके तेतृत्व में, उनके विचार से जो भूमि मिलनी चाहिये थी और गरीब लोगों से बंटनी चाहिये थी, वह भूमि उनको नहीं मिलनी थी नहीं मिल पाई।

औद्योगिक क्रान्ति पानी से हुई है और खेती में हरित क्रान्ति भी पानी से ही सम्भव है। अगर पानी न होता, भाप न बनती, इंजन न चलते तो कल कारखाने नहीं चल पाते। इसी तरह से अगर पानी नहीं है तो खेती में चाहे जितनी खाद, जितना बीज आप दे, उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। जो आपका वर्षा से प्राकृतिक पानी मिलने वाला है और जो धरती के अन्दर पानी है इसकी खोज के सतत प्रयास होने चाहिये। बरसात के पानी को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिये। पानी दो ही तरीके मिल सकता है या तो धरती से या बरसात से। हमारे यहां जो नदियां हैं उनकी सतह धीरे धीरे ऊंची होती चली जा रही है और नदियां छिछली होती जा रही हैं। इसलिए पानी का ठहराव नहीं होता। इसका कारण यह है कि हमारे पहाड़ों के जो बड़े बड़े जंगल थे वे—कटते जा रहे हैं और पहाड़ों से मिट्टी खिसक कर नीचे चलती चली आ रही है। उस मिट्टी के पटाव के कारण नदियां छिछली हो रही हैं। बड़ी अच्छी स्कीम है, मैं मन्त्री जी को बधाई दूंगा कि इन्होंने पेड़ लगाने की योजना बनाई है। मैंने उ० प्र० विधान सभा में भी 1971-72 में इस सवाल को उठाया था कि हमारे देश की जो नदियां हैं उनके कटाव और उनके पटाव को रोकने के लिए पेड़ लगाए जाने चाहिएं। ऐसे पेड़ और झाड़ियां लगाई जानी चाहिए जिनका तात्कालिक प्रभाव हो और जो कटाव को रोक सके। अगर यह व्यवस्था कर ली

[श्री राम लाल राही]

जाए कि जिन नदियों में पानी जमा हो सकता है उनको थोड़ा गहरा किया जा सके तो बरसात के बाद तत्काल जो रबी की फसल होती है उसके लिए आपको पानी मिल सकता है। रबी का उत्पादन आप नदियों के पानी से बढ़ा सकते हैं और साथ ही बिजली के उत्पादन में भी आपको इससे मदद मिल सकती है। इसलिए आप अधिक से अधिक जंगल लगाएं, नदियों के किनारे लगाएं। सड़कों के किनारे जहां लगाने जा रहे हैं वहां नालों और नदियों के किनारे भी पेड़ लगाए जाने चाहिए ताकि कटाव रुक सके और नदियों में पानी का ठहराव हो सके।

उत्तर भारत में मूंगफली का उत्पादन काफी होता है। तीन चार सालों से इसकी क्वालिटी में फर्क पड़ गया है, दाने छोटे हो गए हैं और चिकनाई भी कम हो गई है। इसलिए उत्तर भारत का किसान मूंगफली की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। अकेले मेरे सीतापुर जनपद में 128 छोटी बड़ी मिलें थीं। तेल व मूंगफली का दाना निकालने के लिए। उनकी हालत खस्ता हो गई है। सैकड़ों व्यक्ति बेकार हो गए है और जो व्यवसायी थे वे अपना कारोबार बन्द करके दूसरे धंधों में लग गए हैं। इस ओर आप ध्यान दें। आप खाद्य तेल विदेशों से मंगाते हैं और विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं। आप मूंगफली में शोध के लिए, इसके दाने में चिकनाई की मात्रा बढ़े और उसका दाना बढ़े, इसके लिए कोई संस्थान कायम करें। उत्तर भारत में मूंगफली का उत्पादन बढ़े तो किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। किसान अधिक मात्रा में मूंगफली बोएंगे। जब फसल पर मूंगफली तैयार होती है तो किसानों की लूट होती है। इसके लिए भंडारण की व्यवस्था हो, सरकारी खरीद की व्यवस्था हो। अगर आप ऐसा कर लें तो मुझे विश्वास है कि जो तेल आप बाहर से मंगाते हैं वह आपको नहीं मंगाना पड़ेगा। अच्छी खासी आपके यहां मूंगफली पैदा करने वाली जमीन है।

मूंगफली के बिजिनैस में जो लोग लगे थे उनको हतोत्साहित होना पड़ा क्योंकि मूंगफली का तेल वैजीटेबिल में इस्तेमाल होता था उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। कई सालों से यह लगा हुआ है। मैंने सवाल उठाया था तो हुआ कि अभी नहीं, अभी नहीं। इस तरह कई साल हो गए लेकिन अभी तक प्रतिबन्ध नहीं हटाया जा सका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि किसान उत्पादन बढ़ाने पर अधिक ध्यान दे तो मूंगफली की खपत का स्रोत खोलना चाहिये, मूंगफली के तेल की वेजिटेबिल-आयल में इस्तेमाल की छूट देनी चाहिये। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और किसानों को बड़ा लाभ पहुंचेगा।

मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि मोटे अनाजों के भण्डारण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ज्वार, बाजरा, मक्का के भण्डारण की व्यवस्था देहातों में नहीं है। जो गरीब आदमी हैं उनका मुख्य भोजन यही मोटे अनाज हैं। गेहूं और चावल तो जो बड़े किसान हैं, वे पैदा करते हैं और गरीब किसान दो-चार एकड़ वाले, मोटे अनाज ही पैदा करते हैं, लेकिन उन बेचारों की लूट होती है, क्योंकि जब फसल पैदा करते हैं तो कपड़ा खरीदने के लिए, मिट्टी के तेल के लिए उनको पैसे की जरूरत होती है। उसी प्रकार परिवार में बच्चों के लिए दूसरी चीजों की आवश्यकता होती है। जब वह बाजार में बेचने के लिए जाता है तो सस्ते दाम

पर उसका अनाज बिकता है और बाद में जब उसको फिर खाने के लिए खरीदना पड़ता है तो दुगने-तिगुने दाम उसको देने पड़ते हैं। इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए।

आपने गांव के पुनर्निर्माण की बात कही है। मैंने इस बजट को देखा है—मेरी समझ में नहीं आया आपने कौन सा आधार बनाया है और कैसी व्यवस्था आप पुनर्निर्माण के लिए करना चाहते हैं। क्या पुनर्निर्माण में गांवों में जो गरीब लोग हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना चाहते है या उनके रहन-सहन की जो आवासीय व्यवस्था है, उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं? आपकी कोई योजना तो है नहीं, क्या आप वही पुरानी आवासीय व्यवस्था की योजना लाना चाहते हैं? सन 1974-75 में एक गांव के पास ब्लाक में एक-आध किलोमीटर दूर आपने दो कोठरियां बना दी थीं, जोकि आज भी खाली हैं कोई परिवार नहीं रह सकता। परिवार की परिभाषा क्या है? जो सरकारी कर्मचारी आई०ए०एस०, पी०सी०एस० के रैंक में आते हैं, उनके परिवार की भाषा और गरीब व्यक्ति के परिवार की परिभाषा में क्या कोई अन्तर है? मैं समझता हूं कि अन्तर नहीं होना चाहिए। अगर आपने अन्तर कर रखा है तो वह ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक परिवार में बच्चे होते हैं, बीवी होती है, एक तरफ एक परिवार के लिए आप एक कोठरी बनावें जिसमें बीवी-बच्चे सब एक साथ रहे और दूसरी तरफ एक आई० ए० एस०, पी० सी० एस० अधिकारी के लिए 8 कमरों का मकान बनावें, जिसमें केवल दो-तीन व्यक्ति ही रहें, यह आपका कैसा समाजवाद है? और कैसा पुनर्निर्माण आप करना चाहते हैं? मेरी प्रार्थना है कि इन मूल्यों में आपको परिवर्तन निश्चित रूप से लाना होगा, अगर नहीं लायेंगे तो समाज और परिस्थितियां आपको मजबूर कर देंगी। जब आप समाजवाद की बातें करते हैं तो आपको इन सारी चीजों को और सारे मूल्यों को देखना पड़ेगा।

कृषि में लगे हुए जो कृषि मजदूर हैं उनको आप ज्यादा जमीन नहीं दे सकते हैं, जिससे कि उनके परिवार का भरण-पोषण हो सके। इसलिए कृषि मजदूरों को जिन चीजों का तजुर्बा है, उसमें उनको सहायता देनी चाहिए। जैसे कि दुधारू पशु उनको दिए जाएं। अन्त्योदय योजना में और लघु कृषि विकास योजना में जो आप दे रहे हैं, उसमें आप जाकर जानकारी कर सकते हैं कि चार-चार बेंत बियानी भैंस दो हजार और चार हजार रुपये में दी जाती है और इसी तरह से चार-चार बेंत-बियानी गाय दी जाती हैं, जो कि मार्केट में हजार-बारह सौ में मिल जायगी। इसमें आप को सुधार लाना पड़ेगा और जो दुधारू पशु हैं उनमें सुधार करने के लिए आपको कोई विस्तृत योजना बनानी पड़ेगी। गांवों के लोगों को जब तक आप दुधारू पशु उपलब्ध नहीं करायेंगे, ऐसे दुधारू पशु तो 10-10 और 12-12 किलो दूध दे सकें, केवल दो बीघा खेत बांट कर आप उनका भला नहीं कर पायेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गांव के गरीब लोगों को, ऐसे लोगों को जो खेतिहर मजदूर कहलाते हैं, उनके दरवाजों पर आप दुधारू पशु बांधने की व्यवस्था करें। ऐसे दुधारू जानवर जिनकी नसल अच्छी हो, जो अच्छा दूध दे सकें। अगर यह आप नहीं कर सकेंगे तो मैं समझता हूं कि 30-32 साल की जो पुरानी परम्परा नारा देने वाली लाइन्स चलाना चाहते हैं, उससे आप चाहे लोगों को खुश कर लें, तो समय बदल रहा है, आप बहुत दिन उनको सब खुश नहीं कर

[श्री रामलाल राही]

पायेंगे और आप टिक नहीं पायेंगे। आपको बदलना पड़ेगा और ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे वास्तव में समाजवाद आ सके और समाजवादी मूल्यों की स्थापना कर सकें, ऐसे मूल्य जो न्याय पर आधारित हों।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना समय बोलने के लिए दिया।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उपाध्यक्ष महोदय : पत्रों का रखा जाना। श्री मगन भाई बारोत।

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : श्रीमान मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 142—सीमा शुल्क/80 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सम्बद्ध सामान नियमों के अन्तर्गत लाये जा सकने वाले सामान से अधिक आयातित सामान पर सीमा शुल्क की दरों के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1072/80)।

---

6 06 बजे म० म० :

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 16 जुलाई, 1980/ 25 आषाढ़, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-110002